उत्तर प्रदेश {नगर निगम} अधिनियम, 1959

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1959)

THE UTTAR PRADESH [MUNICIPAL CORPORATION] ACT, 1959

[U. P. Act No. II of 1959]

उत्तर प्रदेश {नगर निगम}[2] अधिनियम 1959[1]

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1959}

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, 1959

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 1961

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1961

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 1963

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 वर्ष 1964

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 वर्ष 1966

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 वर्ष 1970

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 वर्ष 1970

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 1972

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1972

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1974

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1975

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 41, 1976

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1967

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1977

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1978

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1978

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1979

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1982

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 1982

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1983

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1983

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1984

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, 1985

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1987

अधिनियम

यइ इष्टकर है कि कतिपय नगरों में {नगर निगम}[2] की स्थापना के लिए व्यवस्था की जाय, जिससे उन नगरों में श्रेष्ठ नगर–शासन सुनिश्चित हो सके, अतएव एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

---

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 16 अप्रैल, 1957 का सरकारी असाधारण गजट देखिए।
2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 12 वर्ष 1994 के अध्याय 2 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

अध्याय —1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1—— {(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959}[3] कहा जायेगा।

(2) इसका प्रसार उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण राज्य में होगा।

(3) यह अध्याय तुरन्त प्रवर्तित हो जायेगा और इस अधिनियम के शेष, उपबन्ध, जहां तक उनका संबंध किसी नगर से है, ऐसे दिनांक से प्रवर्तित होंगे जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करे {और विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं :}[1]

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अधीन किसी नगर के लिए {निगम}[2] का संगठन करने के सीमित प्रयोजन के लिए अध्याय II के उपबन्ध, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :—

(क) नगर में कक्षों का परिसीमन,

(ख) निर्वाचक सूचियों को तैयार किया जाना और उनका प्रकाशन,

(ग) किसी {निगम}[2] का नगर—प्रमुख, {***}[4] या सभासद चुने जाने तथा नगर—प्रमुख, {***}[4] का सभासद निर्वाचित किये जाने के लिए उम्मीदवार के रूप में नाम निर्देशित किये जाने के निमित्त अर्हताएं तथा अनर्हताएं, और

(घ) सामान्यतया, निर्वाचन का संचालन तथा {निगम}[2] के यथावत् संगठन के लिए आवश्यक अन्य समस्त विषय;

धारा 3 के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक से उक्त नगर में और उसके सम्बन्ध में प्रवत्ति होंगे और किन्हीं अन्य विधायनों में किसी बात के रहते हुए भी {निगम}[2] के यथावत् संगठन के लिए उक्त अध्याय तथा तदन्तर्गत बने नियमों के उपबन्धों के अनुसार निर्वाचन करने के निमित्त ऐसे समस्त कार्य तथा कार्यवाहियां की जा सकती हैं, जो आवश्यक हों।

परिभाषायें

2—— विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में :—

(1) ''विज्ञापन'' से तात्पर्य है दीप्तियुक्त अथवा दीप्तिहीन कोई ऐसा शब्द, वर्ण, नमूना, चिन्ह, विज्ञापन फलक नोटिस, युक्ति अथवा प्रतिरूप जो विज्ञापन, घोषणा या निर्देश के प्रकार का हो और उन्हीं प्रयोजनों के लिए पूर्णतः या अंशतः प्रयुक्त किया गया है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसी तख्ती तथा इसी प्रकार के अन्य ढांचे है, जो या तो विज्ञापन के प्रदर्शनार्थ प्रयुकत होते हों या जो इस प्रकार प्रयुक्त किये जाने के लिए अनुकूलित कर लिये गये हों,

(2)''नियत दिन'' से, किसी नगर के सम्बन्ध में तात्पर्य है, वह दिन जिस पर उक्त नगर के लिए {निगम} का यथावत् संगठन गजट में विज्ञापित कर दिया जाय,

(3)''विधान सभा की सूचियां'' (Assembly Rolls) से तात्पर्य है ऐसी निर्वाचक सूचियां जो रिप्रेजेटेशन आफ दि पीपुल ऐक्ट, 1950 के उपबन्धों के अधीन और अनुसार विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के लिये तैयार की गई है,

---

1. उ.प्र. अधिनियम संख्या 14, 1959 की धारा 2 द्वारा अन्तर्विष्ट।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 4 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 4 (ख) द्वारा निकाला गया।

(4) ''नानबाई की दुकान या नाबाई गृह'' से तात्पर्य है कोई ऐसा स्थान जिसमें बिक्री या लाभ के लिए किसी भी रीति से रोटियां, बिस्कुट या लेमनजूस आदि मिठाइयां, सेंकी, पकाई या तैयार की जाती हो,

(5) ''बजट अनुदान'' से तात्पर्य है ऐसी कुछ धनराशि जो नियमों द्वारा विहित किसी मुख्य शीर्षक (major head) में बजट के तखमीनों के व्यय के अन्तर्ग तदिखाई हो तथा {निगम}[2] द्वारा अंगीकृत हो और उसके अन्तर्गत कोई ऐसी धनराशि भी है, जिसके द्वारा ऐसा बजट अनुदान इस अधिनियम के उपबन्धों और नियमों के अनुसार अन्य शीर्षकों से, या को स्थानान्तरित (transfer) करके बढ़ाया या घटाया जाय,

(6) ''भवन'' के अन्तर्गत मकान, घर के बाहर के कक्ष, अस्तबल, छादक झोंपड़ी तथा अन्य घिरा हुआ स्थान या ढांचा है, चाहे वह पत्थर (masonry), ईंट, लकड़ी, मिट्टी (mud), धातु से या अन्य किसी भी वस्तु से बना हो और चाहे वह मनुष्यों के रहने के लिये या अन्यथा प्रयुक्त होता हो, और उसके अन्तर्गत बरामदे, स्थिर चबूतरे मकानों की कुर्सियां, दरवाजे की सीढ़ियां (door-steps) दीवालें तथा हातों की दीवालें और मेड़ (fencing) तथा ऐसे ही अन्य निर्माण भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत तम्बू या ऐसा ही अन्य वहनीय अस्थायी ढांचा नहीं है,

(7) ''भवन पंक्ति'' (building line) से तात्पर्य है वह पंक्ति जो ''सड़क रेखाकरण (street alignment)'' से पृष्ठ भाग में हो, तथा जिस तक सड़क से लगी हुई भवन की मुख्य दीवार वैधरूप से बढ़ायी जा सकती हो और जिसके आगे भवन का कोर्ठ भाग बढ़ाया न जा सकता हो, सिवाय उस दशा के, जो भवन संबंधी नियमों कें विहित की गयी हो,

(8) ''उपविधि'' से तात्पर्य है, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बनाई गई कोई उपविधि,

(9) ''मलकूप'' (cesspool) के अन्तर्गत कोई ऐसी भराव वाली टंकी (या अन्य टंकी है जो भवनों से निकलने वाली गलीज को ग्रहण करने उसके निस्तारण के लिये हो,

{(10) 'नगर' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243–य के खण्ड (2) के अधीन यथा अधिसूचित बृहत्तर नगरीय क्षेत्र से है,}[3]

{(10–क) 'वाणिज्यिक भवन' का तात्पर्य ऐसे किसी भवन से है, जो कारखाना न हो और जिसका उपयोग या अध्यासन कोई व्यापार या वाणिज्य या उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक या प्रासंगिक कोई कार्य करने के लिये किया जाय;}[1]

(11) किसी नगर के सम्बन्ध में ''डिवीजन के कमिश्नर'' से तात्पर्य है उस डिवीजन का कमिश्नर, जिसमें उक्त नगर स्थित हो और उसके अन्तर्गत ऐसा अतिरिक्त कमिश्नर भी है जिसे डिवीजन के कमिश्नर ने इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्य प्रतिनिधानित कर दिये हों,

{(11–क) 'निगम' या 'नगर निगम' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243–थ के खण्ड (1) के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के लिये संगठित नगर निगम से है,}[4]

(12) ''घनाकार स्थान'' से जब उसका प्रयोग किसी भवन की माप के प्रसंग में किया गया हो, तात्पर्य है वह स्थान, जो उसकी दीवालों और छत के वाह्य धरातलों तथा उसके सब से नीचे से खण्ड के फर्श के ऊपरी धरातल के या, यदि भवन केवल एक ही खण्ड के फर्श के ऊपरी धरातल के या, यदि भवन के एक ही खण्ड का हो तो उसके फर्श के ऊपरी धरातल में समाविष्ट हों,

---

1. उ.प्र. अधिनियम संख्या 3, 1987 के अध्याय–चार की धारा 5 द्वारा अन्तर्विष्ट।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26 वर्ष 1995 के अध्याय–दो की धारा 2 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 2 (ख) द्वारा अन्तर्विष्ट।

(13) ''दुग्धशाला'' के अन्तर्गत ऐसा कोई फार्म, पशुशाला, दूध गोदाम, दूध की दुकान या अन्य ऐसा स्थान है, जहां से विक्रय के लिये दूध दिया जाता हो या जहां बेचने के प्रयोजनों के लिए दूध रखा जाता हो, या जहां बेचने के लिए दूध से मक्खन, घी, पनीर, दही या सुखाया हुआ अथवा जमाया हुआ दूध तैयार किया जाता हो और ऐसे ग्वाले के सम्बन्ध में, जिसके अध्यासन में दूध बेचने के लिए कोई स्थान नहीं है, दुग्धशाला के अन्तर्गत ऐसा स्थान है जहां वह दूध बेचने के लिये प्रयुक्त अपना पात्र रखता हो, किन्तु इसके अनतर्गत ऐसी कोई दुकान या अन्य स्थान नहीं है जहां केवल वहां पर ही उपयोग के लिये दूध बेचा जाता हो,

(14) ''ग्वाला'' के अन्तर्गत गाय, भैंस, बकरी, गधी या अन्य पशु का, जिसका दूध मनुष्यों के उपयोग के निमित्त बिक्री के लिये प्रस्तुत किया जाता हो या प्रस्तुत किया जाना अभिप्रत हो, रक्षक और दूध लाकर जुटाने वाला तथा दुग्धशाला का अध्यायी भी है,

(15) ''दुग्धशाला के पदार्थ'' के अर्न्गत दूध, मक्खन, घी, दही, मट्टा, पनीर तथा दुग्धजन्य सभी पदार्थ है,

(16) ''भयानक रोग'' से तात्पर्य है हैंजा, ताऊन, चेचक, या अन्य कोई ऐसा संक्राम तथा संसर्गजन्य रोग, जिससे मनुष्यों का जीवन खतरे में पड़ जाता हे और जिसे {निगम}[4] समय–समय पर सार्वजनिक नोटिस द्वारा भयानक रोग घोषित करे;

(17) {***}[3]

{(17–क) ''निदेशक'' के तात्पर्य धारा 5–क के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सीनीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश से है,}[1]

(18) ''जिला जज'' के अन्तर्गत ऐसा अतिरिक्त जिला जल भी है, जिसे इस अधिनियम के अधीन जिला जज का कोई कृत्य हस्तान्तरित किया गया हो।,

(19) ''नाली के अन्तर्गत नाला, सड़क के नीचे की नालियां, पाइप खाई, जलमार्ग अथवा प्रणाली, जलकुन्ड, फ्लश टंकी, मलटंकी, या कोई अन्य युक्त, जो मल इत्यादि या दुर्गन्धित पदार्थ, या कोई अन्य युक्त, जो मल इत्यादि या दुर्गन्धित पदार्थ दूषित–जल, कूडा करकट, बेकार जल, नाली के जल अथवा उपभूतिगत जल को ले जाने अथवा उसके बहाने के लिए प्रयुक्त होते हों, तथा उनसे संसक्त कोई पुलिया, संवीजन दण्ड या पाइप अथवा अन्य उपकरण या संधायन हैं। नाली के अन्तर्गत किसी स्थान से मल इत्यादि अथवा दुर्गन्धयुक्त पदार्थों को उठाने, एकत्र करने, निकालने के लिये प्रयुक्त कोई निष्कासक, दबी हुई हवा से युक्त प्रणाली, मल इत्यादि के मुहरबन्द प्रणाली तथा कोई विशेष यन्त्र अथवा उपगकरण भी है,

(20) ''भोजनालय'' से तात्पर्य है कोई ऐसा भू–गृहादि, जहां जनता अथवा जनता का कोई वर्ग जा सकता हो और जहां वहीं अथवा अन्यत्र किसी ऐसे व्यक्ति के, जो उक्त भू–गृहादि का स्वामी हो अथवा उसमें कोई स्वत्व रखता हो, या उसका प्रबन्ध करता हो लाभ अथवा फायदे के लिये किसी प्रकार का भोजन तैयार या सम्भरित किया जाता है,

(21) ''निर्वाचक'' से किसी कक्ष के सम्बन्ध में तात्पर्य है, वह व्यक्ति, जिसका नाम तत्समय उस कक्ष की निर्वाचक सूची में दर्ज हों,

{(22) ''आवश्यक सेवायें'' से तात्पर्य है धारा 112–ख में निर्दिष्ट सेवा,}[2]

(23) ''फैक्ट्री'' से तात्पर्य है {***}[1] फैट्रीज ऐक्ट, 1948 में परिभाषित कोई फैक्ट्री,

(24) ''गलीज'' (filth) के अन्तर्गत मल इत्यादि, विष्ठा तथा अन्य दुर्गन्धयुक्त पदार्थ है,

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 14, 1959 की धारा 3 (1) द्वारा निकाला गया।
2. उ.प्र. अधिनियम सं. 21, 1964 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापत।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 41, 1976 की धारा 2 द्वारा अन्तर्विष्ट।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

{(24—क) ''वित्त आयोग'' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243—झ {के अधीन संगठित}[3] वित्त आयोग से है;}[2]

(25) ''वित्तीय वर्ष'' से तात्पर्य है, पहली अप्रैल से आरम्भ होने वाला वर्ष,

(26) 'भोजन'' के अन्तर्गत भेषजों अथवा जल से भिन्न ऐसी प्रत्येक वस्तु है, जो मनुष्य द्वारा खाने अथवा पीने के काम में लायी जाती हो तथा ऐसी कोई वस्तु भी है, जो समान्यतया मनुष्यों का भोजन तैयार करने अथवा बनाने में डाली जाती हो, अथवा प्रयुक्त होती हो, तथा उसके अन्तर्गत मिठाइयां, स्वादिष्ट बनाने तथा रंगने की वस्तुएं मसाले एवं चटनीं भी है,

(27) ''ढांचे पर बने भवन'' से तात्पर्य है ऐसा भवन, जिसकी बाहर की दीवालें लकड़ी अथवा लोके के ढांचे की बनी हों तथा जिसका स्थायित्व उस ढांचे पर निर्भर करता हो,

(28) ''गृहनाली'' से तात्पर्य है वह नाली जो एक या एकाधिक भवनों या भू—गृहादि की नाली हो और उसके जल—निस्सारण के लिये प्रयुक्त होती हो, और केवल {निगम}[1] की नाली से मिलाने के प्रयोजन के लिये बनाई गई हो,

(29) ''गृह—पथ'' अथवा ''सेवा—पथ'' से तात्पर्य है ऐसा पथ अथवा भूमि की ऐसी पट्टी, जो नाली के रूप में उपयोग में लाये जाने, अथवा किसी संडास, मूत्रालय, मलकूप अथवा गलीज या दूषित पदार्थ एकत्र करने के किसी पात्र तक पहुंचनेके लिये, {निगम}[1] के कर्मचारियों के अथवा उपर्युक्त संडास इत्यादि की सफाई करके अथवा वहां से उक्त पदार्थ हटाने के कार्य में नियोजित किसी व्यक्ति के वहां तक पहुचने के लिये मार्ग देने के लिए निर्मित की गई हो, अलग कर दी गई हो, अथवा उपयोग में लायी जाती हो,

(30) 'कुटी'' (hut) से तात्पर्य है कोई ऐसा भवन, जो मूलतः लकड़ी मिट्टी, पत्तियों, घास, कपड़े अथवा फूस आदि से निर्मित किया गया हो तथा उसके अन्तर्गत किसी भी आकार का कोई ऐसा अस्थायी ढांचा अथवा किसी भी सामान के निर्मित कोई ऐसा छोटा भवन भी है, जिसे {निगम}[1] इस अधिनियम के लिये ''कुटी'' घोषित कर दे,

(31) ''निवासी'' (inhabitant) से किसी स्थानीय क्षेत्र से संबंध में तात्पर्य है कोई ऐसा व्यक्ति जो उस क्षेत्र में सामान्यता निवास अथवा कारबार करता हो, अथवा वहां अचल सम्पत्ति का स्वामी या अध्यासी हो,

(32) ''न्यायाधीश'' से तात्पर्य है प्राविन्शियल स्माल कॉज कोर्ट ऐक्ट, 1887 के अधीन नगर में क्षेत्राधिकार रखने वाले लघुवाद न्यायालय का न्यायाधीश,

(33) ''भूमि'' के अन्तर्गत ऐसी भूमि है जिस पर कोई निर्माण हो रहा हो, अथवा निर्माण हो चुका हो, अथवा जो पानी से ढंकी हो, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, जमीन से संलग्न, अथवा जमीन से संलग्न किसी वस्तु से स्थायी रूप से बंधी हुई वस्तुये, और वे अधिकार है जो किसी सड़क के संबंध में विधायक (legislative enactment) द्वारा सृजित हुए हों,

(34) ''अनुज्ञप्त नल मिस्त्री'', ''अनुज्ञप्त भूमापक'', ''अनुज्ञप्त'' वास्तुशास्त्री'', ''अनुज्ञप्त अभियन्ता'', ''अनुज्ञप्त ढांचा निर्माता'' तथा ''अनुज्ञप्त निर्माण लिपिक'' से तात्पर्य है वह व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन {निगम}[1] ने क्रमशः नल मिस्त्री, भूमापकद्व वस्तुशास्त्री, अभियन्ता, ढांचे का निर्माण अथवा निर्माण लिपिक के रूप में अनुज्ञप्त किया हो,

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 5 (ख) द्वारा अन्तर्विष्ट।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26 वर्ष 1995 के अध्याय—दो की धारा 2 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

(35) 'निवास गृह'' (lodging house) से तात्पर्य है कोई भवन अथवा भवन का कोई भाग, जहां कि धन के प्रतिफल में भोजन अथवा अन्य सेवा के सहित अथवा उनसे रहित निवास की व्यवस्था की जाती हो, और इसके अन्तर्गत भवनों का ऐसा समुदाय (collection) अथवा कोई भवन अथवा भवन का भाग भी है, जो धन देकर अथवा अन्यथा तीर्थ यात्रियों अथवा यात्रियों को ठहराने के लिए प्रयुक्त होता हो,

(36) ''बाजार'' (market) के अन्तर्गत ऐसा कोई स्थान है, जहां पशु–धन अथवा पशुओं के लिए खाद्य पदार्थ अथवा मांस, मछली, फल, साग सब्जी, मनुष्यों के भोजन के लिये अभिप्रेत पशु अथवा मनुष्यों के भोजन के अन्य पदार्थ, चाह वे कुछ भी हो, के विक्रय के लिए अथवा विक्रयार्थ प्रदशित करने के निमित लोग ऐसे स्थान के स्वामी की अनुमति से अथवा बिना उसकी अनुमत के एकत्रित होते हों, चाहे वहां केताओं तथा विकेताओं के एकत्र होने के सम्बन्ध में कोई सामान्य विनियम न हो, और चाहे उस स्थानीय के स्वामी अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा ''बाजार' के कारबार पर अथवा बाजार में आने जाने वाले व्यक्तियों पर कोई नियंत्रण रखा जाता हो अथवा न रखा जाता हो,

(37) ''पक्का भवन'' (masonry building) से तात्पर्य है, ढांचे पर बने भवन अथवा कुटी से भिन्न कोई भवन और इसके अन्तर्गत ऐसा ढांचा (structure) भी है, जिसका पर्याप्त भाग ईंट, पत्थर अथवा फौलाद अथवा लोहा या अन्य किसी धातु से बना हो,

{(38) ''निगम का सदस्य'' का तात्पर्य किसी सभासद, पदेन सदस्य, नाम–निर्दिष्ट सदस्य या धारा 5 के खण्ड (ङ) के अधीन स्थापित किसी समिति यदि कोई हो, के अध्यक्ष, यदि वह निगम के सदस्य नहीं है, से है और जब तक कोई प्रतिकूल कोई बात व्यक्त न की गयी हो, इसके अन्तर्गत नगर प्रमुख भी है,}[2]

{(39) ''मुख्य नगर अधिकारी'' का तात्पर्य धारा 58 के अधीन नियुक्त मुख्य नगर अधिकारी से है और इसके अन्तर्गत उक्त धारा के अधीन नियुक्त अपर मुख्य नगर अधिकारी और धारा 107 के अधीन नियुक्त कोई उप नगर अधिकारी और सहायक नगर अधिकारी भी है, जब वे धारा 112 के अधीन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हों,}[3]

(40) ''{निगम}[1] की नाली'' से तात्पर्य है {निगम}[1] में निहित कोई नाली,

(41) ''{निगम}[1] का बाजार'' से तात्पर्य है कोई बाजार जो {निगम}[1] में निहित हो अथवा जिसका प्रबन्ध {निगम}[1] द्वारा किया जाता हो,

(42) ''{निगम}[1] की वधशाला'' से तात्पर्य है कोई वधशला जो {निगम}[1] में निहित हो अथवा जिसका प्रबन्ध {निगम}[1] द्वारा किया जाता हो,

(43) ''{निगम}[1] कार्यालय'' से तात्पर्य है {नगर निगम}[1] का कार्यालय,

(44) ''{निगम}[1] कर'' से तात्पर्य है कोई लाभकर (impost) जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन लगाया गया हो,

(45) ''{निगम}[1] जलकर'' से तात्पर्य है वह जलकर जो {निगम}[1] का हो अथवा उसमें निहित हो,

{(45–क) 'महानगर क्षेत्र' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243–त के खण्ड (ग) में यथापरिभाषित क्षेत्र से है;

(45–ख) '{नगर निगम}[1]' का तात्पर्य धारा 4 के अधीन गठित स्वायत्त शासन की किसी संख्या से है;

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26 वर्ष 1995 के अध्याय–दो की धारा 2 (घ) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 2 (ङ) द्वारा प्रतिस्थापित।

(45–ग) '{नगर निगम} क्षेत्र' का तात्पर्य किसी निगम के प्रादेशिक क्षेत्र से है;}[2]

(46) ''अपदूषण'' के अन्तर्गत कोई ऐसा कार्य, कार्यलोप (omission), स्थान या वस्तु है, जिससे कि चक्षु, प्राण अथवा श्रवण की इंद्रियों को क्षति, संकट, उद्वेजन अथवा कष्ट पहुचे अथ्वा पहुंचने की संभावना हो, अथवा जो जीवन के लिये के लिये संकट उत्पन्न करने वाली हो या हो सकती हो, अथवा जो स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिए हानिकारक हो,

(47) ''आध्यासी'' के अन्तर्गत निम्नलिखित है :––

(क) कोई व्यक्ति, जो किसी भूमि अथवा भवन का, जिसके संबंध में किराया दिया जाता हो अथवा देय हो, तत्समय उसके स्वामी को कोई किराया अथवा उसका कोई भाग दे रहा हो अथवा उसके लिए देनदार हो,

(ख) स्वामी, जो अपनी भूमि या भवन में रह रहा हो अथवा अन्य प्रकार से उसे प्रयोग में ला रहा हो,

(ग) किराया–मुक्त किरायेदार या काश्तकार (tenant),

(घ) किसी भूमि अथवा भवन का अध्यासी अनुज्ञप्तिगृहीता (licensee), तथा

(ङ) कोई भी व्यक्ति, जो किसी स्वामी को किसी भूमि अथवा भवन के अध्यासन अथवा प्रयोग के लिए क्षतिपूर्ति (damages) का देनदार (liable) हो,

(48) ''दुर्गन्धयुक्त पदार्थ'' के अन्तर्गत पशुओं की लाशें, गोबर, धूल तथा मल इत्यादि से भिन्न दुर्गन्धित सड़े अथवा सड़ाने वाले (putrid or putrefying) पदार्थ है,

(49) ''{निगम}[1] का पदाधिकारी'' से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो, तत्समय इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन सृजित अथवा जारी रखे गये किसी पद पर आसानी हो, किन्तु उसके अन्तर्गत {निगम}[1] अथवा उसकी किसी समिति के सदस्य न होंगे।

(50) ''सरकारी गजट'' से तात्पर्य है राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन प्रचारित गजट,

(51) ''आज्ञा'' से तात्पर्य है वह आज्ञा जो सरकारी गजट में अथवा विहित रीति से प्रकाशित की गई हो,

{(51–क) 'पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;}[3]

(52) ''स्वामी'' से तात्पर्य है ––

(क) किसी भू–गृहादि के संबंध में प्रयुक्त होने पर वह व्यक्ति जो उक्त भू–गृहादि का किराया लेता हो अथवा उक्त भू–गृहादि किराये पर उठाये जाने की दशा में उसका किराया लेने का अधिकारी हो तथा इसके अन्तर्गत निम्नलिखित है :––

(1) कोई अभिकर्ता अथवा न्यासी जो स्वामी के लिए किराया प्राप्त करता हो,

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 5 (ङ) द्वारा अन्तर्विष्ट।
3. उपर्युक्त की धारा 5 (च) द्वारा अन्तर्विष्ट।

(2) कोई अभिकर्ता अथवा न्यासी जो धर्मोत्तर अथवा दानोत्तर प्रयोजनों के लिए समर्पित, किसी भू–गृहादि का किराया लेता हो अथवा जिसे उक्त भू–गृहादि सौंपा गया हो या जिसका सम्बन्ध उक्त भू–गृहादि से हो,

(3) कोई आदाता, व्यवस्थापक अथवा प्रबन्धक, जिससे समक्ष क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय ने उक्त भू–गृहादि को अवधायन (charge) में लेने अथवा उसके स्वामी के अधिकारों का प्रयोग करने के लिऐ नियुक्त किया हो, तथा

(4) भोग–बन्धकी (mortgagee-in-possession),

(ख) किसी पशु वाहन अथवा नाव के सम्बन्ध में प्रयोग किये जाने पर इस (स्वामी) के अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है, जो तत्समय उक्त पशु, वाहन अथवा नाव का अवधायक (incharge) हो,

{(52–क) 'पंचायत' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243–त के खण्ड (च) में निर्दिष्ट पंचायत से है;}[4]

(53) ''भवन का भाग'' के अन्तर्गत कोई दीवाल, भूमिगत कमरा या मार्ग बरामदा, स्थिर चबूतरा, कुर्सी, जीना या दरवाजे की सीढ़ी है, जो किसी वर्तमान भवन से सम्बद्ध हो या उसके अहाते के भीतर बनी हो या जो ऐसी भू पर बनी हुई हो, जो प्रस्तावित भवन का स्थल या अहाता होने वाली हो,

{(53–क) 'जनसंख्या का तात्पर्य ऐसी अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गयी जनसंख्या से है, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गये हैं;}[5]

(54) {''भू–गृहादि'' का तात्पर्य किसी भूमि या भवन से है,}[1]

(55) ''विहित'' से तात्पर्य है इस अधिनियम द्वारा अथवा तदन्तर्गत बने नियत या आज्ञा द्वारा या किसी अन्य विधायन द्वारा या उसके अधीन विहित,

(56) ''विहित प्राधिकारी'' से तात्पर्य है कोई पदाधिकारी या निगमित संस्था जो राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियुक्त की गयी हो और यदि कोई ऐसा पदाधिकारी या निगमित संस्था नियुक्त न की जाय, तो उस डिवीजन का कमिश्नर, जिसमें वह नगर स्थति हो,

(57) ''पेट्रोलियम'' से तात्पर्य है, {पिट्रोलियम ऐक्ट, 1934}[2] में परिभाषित पेट्रोलियम,

(58) ''निजी सड़क'' से तात्पर्य है, कोई सड़क, जो सार्वजनिक सड़क न हो,

(59) ''संडास'' (privy) से तात्पर्य है वह स्थान, जो शौच निवृत्ति या लघुशंका निवृत्ति या दोनों के लिए अलग कर दिया गया हो और इसमें वह ढांचा, जिससे यह स्थान बनाया गया हो, उसके भीतर मलमूत्रादि के लिए रक्खा गया बर्तन तथा उससे संसक्त संधायन (fittings) और उपकरण यदि कोई हों, सम्मिलित होंगे। इसके अन्तर्गत शुष्क प्रकार का नावादान, जल संडास (aqua privy), शौचालय तथा मूत्रालय भी है,

(60) ''सार्वजनिक स्थान'' के अन्तर्गत कोई ऐसा सार्वजनिक पार्क या उद्यान या कोई मैदान (ground) है, जिसमें जन–साधारण जा सकते हैं या उन्हें वहां जाने की अनुमति हो,

---

1. उ. प्र. अधिनियम सं. 24, 1972 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ. प्र. अधिनियम सं. 14, 1959 की धारा 3 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 5 (छ) द्वारा अन्तर्विष्ट।
5. उपर्युक्त की धारा 5 (ज) द्वारा अन्तर्विष्ट।

(61) ''सरकारी प्रतिभूतियां'' (Public securities) से तात्पर्य है :–––

(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियां,

(ख) प्रतिभूतियां, सम्भार, ऋणपत्र या अंशक, जिन पर केन्द्रीय सरकार या राज्य के ब्याज संरक्षित किया हो,

(ग) धन के ऋणपत्र या अन्य प्रतिभूतियां, जिन्हें किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से भारतीय गणतन्त्र के किसी भाग में तत्समय प्रचलित किसी विधायन द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके जारी किया गया हो।

(घ) प्रतिभूतियां, जो किसी ऐसी आज्ञा द्वारा स्पष्टतः प्राधिकृत की गयी हों जो सरकार एतदर्थ दें,

(62) ''सार्वजनिक सड़क'' से तात्पर्य है, कोई सड़क –––

(क) जो अब तक {निगम}[1] की निधियों या अन्य सार्वजनिक निधियों से समतल की गई हों, जिसमें खड़ंजा लगाया गया हो, जो पक्की, की गयी हो, जिसमें नालियां बनायी गयी हों, नाले लगाये गये हों, या जिसकी मरम्मत की गयी हो, अथवा

(ख) जो धारा 290 के उपबन्धों के अधीन सार्वजनिक सड़क घोषित की जाय या जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन सार्वजनिक सड़क हो जाय,

(63) (क) कोई व्यक्ति, किसी निवास–गृह में ''रहने वाला'' समझा जाता है, जिसे या जिसके कुछ भाग को वह सोने के कमरे के रूप में कभी–कभी प्रयोग करता है, चाहे व्यवधानों के साथ या निरन्तर, और

(ख) किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इस कारण से यह न समझा जायगा कि उसने किसी निवास–गृह ''में रहना छोड़ दिया है'' कि वह उसमें अनुपस्थिति है या उसके पास दूसरे स्थान पर दूसरा निवास गृह है, जिसमें वह रहता है, यदि वह किसी भी समय उसमें लौट आने के लिए स्वाधीन हो और उसमें लौट आने के अभिप्राय का परित्याग न किया गया हो,

(64) 'कूड़ा–करकट'' के अन्तर्गत धूल, राख टूटी हुई ईंटें, बजरी (mortar) टूटे हुये शीशे, उद्यान अथवा अस्तबल का कूड़ा–करकट और किसी प्रकार का कूड़ा–करकट, जो दुर्गन्धयुक्त पदार्थ या मल इत्यादि न हों, है,

(65) ''नियम'' से तात्पर्य है इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकारों के अधीन बनाये गये नियम,

(66) ''अनुसूची'' से तात्पर्य है इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची,

(67) {***}[2]

(68) ''अनुसूचित बैंक'' पद का वहीं अर्थ होगा, जो अर्थ (Scheduled Bank) का रिजर्व बैंक आफ इंडिया ऐक्ट, 1934 में किया गया है,

(69) ''{निगम}[1] का सेवक तथा {निगम}[1] का कर्मचारी'' से तात्पर्य है कोई व्यक्ति, जो {निगम}[1] से वेतन प्राप्त करता हो और उसकी सेवा में हो,

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 5 (झ) द्वारा निरसित।

(70) ''मल इत्यादि'' से तात्पर्य है, विष्ठा और माबदानों, शौचालयों, संडोसों, मूत्रालयों, नलकूपों अथवा नालियों में पड़ी हुई अन्य वस्तुयें, और गन्दगी, गलीज आदि के स्थानों (sinks) स्थान घरों, अस्तबलों, पशुशालाओं तथा इसी प्रकार के अन्य स्थानों से निकाला हुआ दूषित जल और इसके अन्तर्गत व्यापारिक व्यर्थ द्रव–पदार्थ और सब प्रकार के कारखानों से निकलने वाले तरल पदार्थ भी है,

(71) ''आकाश चिन्ह'' से तात्पर्य है, कोई शब्द, वर्ण, नमूना, चिन्हयुक्त या अन्य प्रतिरूप (representation) जो विज्ञापन, घोषणा या निर्देशन के रूप में हो और जो किसी भवन या ढांचे पर या उसके ऊपर पूर्णतः या अंशतः किसी खम्भे, बल्ली, ध्वजदंड, चौखट या अन्य किसी अवलम्ब (support) के सहारे रखा हुआ हो या उससे संलग्न हो और जो किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान के किसी भी स्थल से पूर्णतः या अंशतः आकाश पर दिखायी देता हो और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित है :–

(क) उक्त अवलम्ब का प्रत्येक भाग, और

(ख) कोई गुब्बारा, हवाई छतरी (parachute) अथवा ऐसी ही अन्य कोई युक्ति, जो पूर्णतः या अंशतः किसी विज्ञापन या घोषणा के प्रयोजनों के लिए काम में लायी गई हो और जो किसी भवन, ढाचें या किसी प्रकार के निर्माण (erection) पर या उसके ऊपर हो या जो किसी सड़क अथवा सावर्जनिक स्थान पर या उसके ऊपर हों,

किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं समझे जायेंगे –––

(1) ध्वजस्तम्भ, बल्ली, वायु–दिग्दर्शन पंख (weather-cock) या वायु दिशा सूचक यंत्र (vane) जब तक कि वे पूर्णतः या अंशतः किसी विज्ञापन या घोषणा के लिए अनुकूलित या प्रयुक्त न किये गये हों,

(2) चिन्ह, जो किसी ऐसे पटल, चौखट या अन्य प्रारूप (contrivance) पर हो, जो किसी भवन की दीवाल या भित्ति (parapet) से सबसे ऊपरी भाग पर, किसी कारनिस या दीवाल से सटकर बने हुये भागों (blocking course) पर या किसी छत के किनारे पर सुरक्षित रूप से लगाया गया हो यदि उक्त प्रारूप एक ही अटूट सतह पर बना हो और खुला–कार्य न हो और उक्त दीवाल, भित्ति या किनारे के किसी भाग के ऊपर तीन फीट से अधिक ऊंचाई तक न हो, या

(3) कोई प्रतिरूप, जो केवल इंडियन रेलवेज ऐक्ट, 1890 में परिभाषित (defined) रेल प्रशासन के कारबार से संबंध रखता हो और जो पूर्णतः उक्त रेल प्रशासन के किसी रेलवे स्टेशन के चत्वर (yard) प्लेटफार्म अथवा स्टेशन के सन्निकट स्थान (approach) पर या उसके ऊपर या ऐसे भू–गृहादि पर या उसके ऊपर रखा गया हो या और जो इस ढंग से रखा गया हो कि वह किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान पर न गिर सके,

(72) ''विशेष निधि'' (special fund) से तात्पर्य है, धारा 139 के अधीन संगठित कोई निधि,

(73) ''राज्य–सरकार'' से तात्पर्य है, उत्तर प्रदेश सरकार;

{(73–क) 'राज्य निर्वाचन आयोग' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243–ट में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग से है;}[2]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 5(ज) द्वारा अन्तर्विष्ट।

(74) ''सड़क'' के अन्तर्गत कोई राजमार्ग, पुलियों–पुलों की ऊंची सड़क, पुल, मार्गसेतु, मेहराव, पथ, गली, पगडंडी, उपमार्ग, आंगन, संकरी–गली या घुड़सवारी का मार्ग या रास्ता–चाहे वह सार्वजनिक मार्ग हो या न हो, जिसके ऊपर जन–साधारण को आनेजाने या प्रवेश का अधिकार हो या जिसके ऊपर जनसाधारण लगातार बीस वर्षों से आते–जाते अथवा प्रवेश करते रहे हों, है, और यदि किसी सड़क के पगडंडी, और वाहन मार्ग दोनों ही हों तो सड़क के अन्तर्गत दोनों ही होंगे,

(75) ''सड़क रेखा करण'' से तात्पर्य है वह रेखा, जो किसी सड़क में सम्मिलित और उसका भाग बनी हुई भूमि को पार्श्ववर्ती (adjoining) भूमि से अलग करती हो,

(76) ''मिठाई की दूकान'' से तात्पर्य है कि कोई भू–गृहादि या किसी भू–गृहादि का वह भाग जो किसी आइसक्रीम अथवा अन्य किसी प्रकार की मिठाइयों को चाहे वह किसी के भी अभिप्रेत हों और चाहे जो भी नाम हो और चाहे वे भू–गृहादि में या उसके बाहर उपभोग के लिए हो बनाने, व्यवहृत करने या बिक्री के लिए संग्रह करने अथवा थोक या फुटकर विक्रय के निमित्र प्रयुक्त होता :

(77) ''प्रेक्षागृह कर'' से तात्पर्य है, मनोविनोंदों अथवा मनोरंजनों पर लगाया गया कर,

(78) ''व्यापारिक व्यर्थ द्रव पदार्थ'' (trade effuent) से तात्पर्य है, कोई तरल पदार्थ चाहे उसमें न्यू पदाथों के कण घुल मिले हों या न हों, और जो पूर्णतः या अंशतः किसी व्यापारिक भू–गृहादि में किये जाने वाले व्यापार या उद्योग मैं उत्पादित होती हो, और किसी व्यापरिक भू–गृहादि के संबंध में इसका तात्पर्य है उपुर्यक्त प्रकार का कोई तरल पदार्थ जो उक्त भू–गृहादि में किये जाने वाले व्यापार या उद्योग में उक्त प्रकार से उत्पादित होता हो किन्तु इसके अन्तर्गत घरेलू मल इत्यादि नहीं है,

(79) ''व्यापारिक भू–गृहादि'' से तात्पर्य है कोई भू–गृहादि, जो किसी व्यापार या उद्योग के संचालन के लिए प्रयुक्त किये जाते हों या प्रयुक्त किये जाने के लिए अभिप्रेत हों,

(80) 'व्यापारिक कूड़ा–करकट से तात्पर्य है कोई भू–गृहादि, जो किसी व्यापार या उद्योग के संचालन के लिए प्रयुक्त किये जाते हों या प्रयुक्त किये जाने के लिए अभिप्रेत हों,

(81) ''वाहन'' के अन्तर्गत है यान, गाड़ी, परिवहन, ठेला गाड़ी, मोटर ठेला, हाथ से चलायी जाने वाली वाईसिकिल, ट्राईसिकिल, मोटरकार तथा पहियेदार ऐसा प्रत्येक वाहन, जो सड़क पर प्रयुक्त किय जाता हो या प्रयुक्त किया जा सकता हो,

{(82) ''कक्ष'' का तात्पर्य निगम के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से है,}[3]

{(82–क) 'कक्ष समितियों' का तात्पर्य {संविधान के अनुच्छेद 243–घ में निर्दिष्ट}[4] कक्ष समितियों से है;}[2]

(83) 'नावदान'' (water closet) से तात्पर्य है ऐसा नावदान, जिसमें जल निस्सारण प्रणाली से संसक्त कोई पृथक स्थित पात्र लगा हुआ हो, और जिसमें यंत्र द्वारा या स्वयं चालित (automatic) रूप में स्वच्छ जल से धोये जाने की पृथक व्यवस्था हों,

(84) ''जल सम्बन्ध'' में निम्नलिखित सम्मिलित है :–––

(क) कोई टंकी, जल कुन्ड, पानी निकालने का बंम्बा, बम्बा, मीटर अथवा नल, जो किसी निजी संपत्ति पर स्थिर हो और {निगम}[1] के किसी जल–प्रणाली (esyrt-main) अथवा पाइप से मिलता हो, और

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 5(ट) द्वारा अन्तर्विष्ट।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26 वर्ष 1995 के अध्याय–दो की धारा 2 (च) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 2 (छ) द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) पानी का पाइप, जो उक्त टंकी, जलकुन्ड पानी निकालने के बम्बे, बम्बे मीटर अथवा नल को उपर्युक्त जल प्रणाल अथवा पाइप से मिलाता है,

(85) ''जलमार्ग'' के अन्तर्गत कोई नदी, स्रोता अथवा गूल है, चाहे वह प्राकृतिक हो अथवा कृत्रिम :

(86) ''घरेलू प्रयोजनों के लिए जल'' के अन्तर्गत ऐसा पानी नहीं है जो ढोरों अथवा घोड़ों के लिए हो अथवा वाहनों (vehicles) को घोने के लिए हो, जब उक्त ढोर, कारोबार अथवा भवन के प्रयोजनों के लिए अथवा घोड़े अथवा वाहन बिक्री या किराये के लिए रखे जाते हों अथवा समवाहक के पास हों और इसके अन्तर्गत किसी व्यापार, निर्माण अथवा भवन के प्रयोजनों के लिए अथवा बाकों अथवा सड़कों पर पानी के छिड़काव के लिए अथवा निर्झर (fountains) अथवा अन्य किसी सजावट या यांत्रिक प्रयोजनों के लिए जल सम्मिलित नही हैं,

(87) ''जलकल'' के अन्तर्गत कोई झील, सोता, झरना, कुयें का पम्प, जलाशय, जलकुन्ड, टंकी, प्रणाली चाहे वह ढकी हुई हो अथवा खुली हुई, बांध (sluice), मुख्य पाइप, पुलियां, इंजिन, जल–वाहन, पानी निकालने के बंम्बे, बॅम्बा, जल ले जाने की अन्य कोई व्यवस्था और यंत्र आदि मशीनरी तथा भूमि, भवन अथवा वस्तु है जो जल संभरण के लिए हों अथवा एतदर्थ प्रयुक्त होती हों अथवा जल संभरण के स्रोतों की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त होती हों,

(88) ''कारखाना'' से तात्पर्य है कोई भवन, स्थान अथवा भू–गृहादि अथवा उसका कोई भाग, जो फैक्टरी न हो और जहां अथवा जिसके ऊपर, वहां काम करने वाले व्यक्तियों को तथा नियोजन को प्रवेश करने तथा उन पर नियंत्रण करने का अधिकार हो और वहां अथवा जिनके अहाते अथवा घेरे के भीतर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किसी प्रक्रिया के भीतर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किसी प्रक्रिया में सहायता देने के लिऐ, अथवा उसके प्रासंगिक रूप में, शारीरिक श्रम करने वाले लोग नियोजित हो अथवा प्रयुक्त होते हों ––

(क) कोई वस्तु अथवा उसका कोई भाग बनाना, अथव

(ख) कोई वस्तु परिवर्तित करना, उसकी मरम्मत, करना, उसकी सजावट करना अथवा उसे अंतिम रूप देना, अथवा

(ग) किसी वस्तु को बिक्री के लिए अंगीकार करना।

{(89) 'संक्रमणशील क्षेत्र' और 'लघुतर नगरीय क्षेत्र' पदों के वही अर्थ होंगे, जो संयुक्त प्रान्त {नगर निगम}[4] अधिनियम, 1916 में क्रमशः उनके लिये किये गये हैं।}[2]

वृहत्तर नगरीय क्षेत्र की घोषणा

{3–– (1) संविधान के अनुच्छेद 243–थ के खण्ड (2) के अधीन राज्यपाल द्वारा अधिसूचना में वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट कोई क्षेत्र, जिसकी सीमायें उसमें विनिर्दिष्ट हों ऐसे नाम के नगर से जाना जायेगा, जिसे वह विनिर्दिष्ट करेः

[5]{परन्तु यह कि राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 243–थ के खण्ड (2) के अधीन किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा इस उपधारा में विनिर्दिष्ट किसी वृहत्तर नगरीय क्षेत्र में किसी क्षेत्र को सम्मिलित कर सकते हैं या उसमें से किसी क्षेत्र को निकाल सकते हैं।}

(2) जहां, संविधान के अनुच्छेद 243–थ के खण्ड (2) के अधीन किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा, राज्यपाल किसी क्षेत्र को नगर में सम्मिलित करे, वहां ऐसे क्षेत्र पर इस या किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन बनाई गई या जारी की गयी और ऐसे क्षेत्र को सम्मिलित किए जाने के ठीक पूर्व नगर में प्रवृत्त समस्त अधिसूचनायें, नियम, विनियम, उपविधियां आदेश और निदेश लागू हो जायेंगे और इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित समस्त कर, फीस और प्रभार उपर्युक्त क्षेत्र में लगायें और वसूल किये जायेंगे और किये जाते रहेंगे।}[3]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 5(ठ) द्वारा अन्तर्विष्ट।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26 वर्ष 1995 के अध्याय–दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 04 वर्ष 2008 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 32 वर्ष 2018 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

अध्याय –2

{निगम}[3] का संगठन तथा शासन

नगर निगम का निगमित निकाय होना

{4–– संविधान के भाग 9–क के अनुसार उसके अनुच्छेद 243–थ के खण्ड (1) के उपखण्ड (ग) के अधीन संगठित किसी नगर निगम को ....(नगर का नाम) नगर निगम के नाम से जाना जायगा और वह एक निगमित निकाय होगा।}[6]

{निगम}[3] के आधिकारी

5–– प्रत्येक नगर के लिये इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के हेतु निम्नलिखित {निगम}[3] प्राधिकारी उत्तरदायी होंगे –

(क) {निगम}[3],

{(कक) कक्ष समितियां,}[4]

(ख) {निगम}[3] की कार्यकारणी समिति,

{(ख ख) नगर प्रमुख,}[1]

(ग) {निगम}[3] की विकास समिति,

(घ) इस अधिनियम के अधीन {निगम}[3] के लिये नियुक्त एक मुख्य नगराधिकारी {और एक अपर मुख्य नगर अधिकारी}[5], तथा

(ङ) ऐसी स्थिति में जब {निगम}[3] विद्युत सम्भरण अथवा सार्वजनिक परिवहन उपक्रम अथवा अन्य सावर्जनिक उपयोगी सेवायें स्थापित अथवा अर्जित करे तो {निगम}[3] की ऐसी अन्य समिति अथवा समितियां, जिन्हें {निगम}[3] राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उनके लिये स्थापित करे।

स्थानीय निकाय निदेशक

{5–क–– (1) राज्य सरकार किसी अधिकारी को स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश नियुक्त करेगी।

(2) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अभिव्यक्ततः समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त, निदेशक, {निगम}[3] के कार्यकलापों के संबंध में, राज्य सरकार के ऐसे अधिकारों का (जो धारा 538 और 539 के अधीन अधिकार न हों) जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तो तथा निर्बन्धनों के अधीन (जिनके अन्तर्गत स्वयं उसके द्वारा पुनर्विलोकन की शर्त भी है) जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें, उसे प्रतिनिहित करे, प्रयोग करेगा।}[2]

निगम की संरचना

{6–– (1) निगम, एक नगर–प्रमुख और निम्नलिखित से मिलकर बनेगा ––

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 41, 1976 की धारा 3 द्वारा अन्तर्विष्ट।
2. उपर्युक्त की धारा 4 द्वारा बढ़ाई गई।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 8 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 8 (ख) द्वारा अन्तर्विष्ट।
6. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 26 वर्ष 1995 के अध्याय–दो की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) सभासद, जिनकी संख्या उतनी होगी, जितनी राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियत करे, परन्तु जो {चालीस}[3] से अन्यून और {एक सौ}[3] से अनधिक होगी और जो संख्या खण्ड (ख) के अधीन नाम–निर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त होगी;

{(ख) निर्दिष्ट सदस्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इसी प्रकार की विज्ञप्ति द्वारा उन व्यक्तियों में से जिन्हें नगर पालिका प्रशासन का विशिष्ट ज्ञान या अनुभव हो नाम निर्दिष्ट किया जायेगा और जिनकी संख्या खण्ड (क) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पार्षदों की कुल संख्या के पांचवे भाग से अधिक नहीं होगी;

परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले सदस्यों में यथा आवश्यक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।}[5]

(ग) पदेन सदस्य, जिसमें लोक सभा और राज्य विधान सभा के वे सदस्य हैं, जो न निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें नगर पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है;

(घ) पदेन सदस्य, जिसमें राज्य सभा और राज्य विधान परिषद के वे सदस्य हैं, जो उस नगर में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

(ङ) धारा 5 के खण्ड (ङ) के अधीन स्थापित समितियों के यदि कोई हों, अध्यक्ष, यदि वे निगम के सदस्य नहीं हैं :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को निगम की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि खण्ड (क) से (ङ) में निर्दिष्ट श्रेणी के सदस्यों में किसी रिक्ति से निगम के संगठन या पुनस्संगठन में कोई बाधा नहीं पड़ेगी।

(2) सभासद कक्षों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जायेंगे।}[2]

कक्ष समितियों का संगठन और संरचना

{6–क–– (1) तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले निगम के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर संविधान के अनुच्छेद 243–थ के खण्ड (1) के अधीन संगठित प्रत्येक कक्ष समिति में दस कक्ष होंगे।

(2) कक्ष समिति का प्रादेशिक क्षेत्र उस समिति में समाविष्ट कक्षों के प्रादेशिक क्षेत्रों से मिलकर बनेगा।

(3) प्रत्येक कक्ष समिति में निम्नलिखित होंगे :––

(क) कक्ष समिति में प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर कक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी सभासद;

(ख) पांच से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा सम्बद्ध कक्ष समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों में से, जिन्हें {नगर निगम}[4] प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव हो, नाम–निर्दिष्ट किये जायेंगे,

(4) कक्ष समिति अपने संगठन के पश्चात् अपील प्रथम बैठक में और प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष में उसी मास में अपनी प्रथम बैठक में उपधारा (3) के खण्ड (क) में उल्लिखित सदस्यों में से एक को समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेगी।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 10 वर्ष 2018 की धारा 2(एक) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 04 वर्ष 2008 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 10 वर्ष 2018 की धारा 2(दो) द्वारा प्रतिस्थापित।

(5) अध्यक्ष के पद का कार्यकाल एक वर्ष होगा किन्तु वह अपना उत्तराधिकारी चुने जाने तक पद धारण करेगा और पुनर्निर्वाचन के लिये पात्र होगा।

(6) सभासद न रह जाने पर अध्यक्ष तुरन्त अपना पद रिक्त कर देगा।

(7) अध्यक्ष के पद का उसकी पदावधि के समाप्त होने के पूर्व त्यागपत्र या अन्यथा किसी कारण से रिक्त हो जाने की दशा में कक्ष समिति, रिक्ति होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उपधारा (4) के अनुसार नये अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार निर्वाचित अध्यक्ष केवल उस अवशेष अवधि के लिये पद धारण करेगा, जिसके लिये वह व्यक्ति, जिसके स्थान पर उसे निर्वाचित किया गया है, पद धारण करता, यदि ऐसी रिक्ति न हुई होती।

(8) कक्ष समिति का कार्यकाल निगम की अवधि के साथ समाप्त होगा।

(9) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कक्ष समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी, जो नियमों द्वारा विहित किये जायं।}[2]

स्थानों का आरक्षण

{7—— (1) प्रत्येक निगम में {अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों}[3] के लिये स्थान आरक्षित किये जायेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात निगम में प्रत्यक्ष चुनाव से भरे जाने वाले कुल स्थानों की संख्या में यथाशक्य, वही होगा, जो {नगर निगम}[9] क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या {नगर निगम}[9] क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की {या {नगर निगम}[9] क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की}[4] जनसंख्या का अनुपात ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में हो और ऐसे स्थान किसी निगम के विभिन्न कक्षों को ऐसे क्रम में चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय :

{किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी निगम में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कुल स्थानों की संख्या के {चौदह}[8] प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;

किन्तु अग्रत्तर प्रतिबन्ध यह है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न हो तो नियमों द्वारा विहित रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है।}[5]

(2) {***}[6]

(3) {उपधारा (1)}[7] के अधीन आरक्षित स्थानों के एक तिहाई से अन्यून स्थान यथस्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिये आरक्षित रहेंगे।

(4) उपधारा (3) के अधीन आरक्षित स्थानों को सम्मिलित करते हुए किसी निगम में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों की संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान स्त्रियों के लिये आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी निगम के विभिन्न कक्षों को ऐसे क्रम में चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 26 वर्ष 1995 के अध्याय–दो की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 6 (क)(एक) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 6 (क)(दो) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 6 (क)(तीन) द्वारा प्रतिबन्ध खण्ड बढ़ाया गया।
6. उपर्युक्त की धारा 6 (ख) द्वारा निकाला गया।
7. उपर्युक्त की धारा 6 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 19 वर्ष 2002 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
9. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 04 वर्ष 2008 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

(5) राज्य में निगमों के {नगर प्रमुखों और उप नगर प्रमुखों}[4] के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ें वर्गों और स्त्रियों के लिये ऐसी रीति में आरक्षित किये जायेंगे, जो नियमों द्वारा विहित की जाय :

{परन्तु यह कि यदि किसी नगर निगम के नगर प्रमुख का पद आरक्षित हो तो उस नगर निगम के उप नगर प्रमुख का पद आरक्षित नहीं होगा।}[5]

(6) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये इस धारा के अधीन स्थानों और पदों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

स्पष्टीकरण—— यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा में कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और स्त्रियों को अनारक्षित स्थानों और पदो के लिये निर्वाचन लड़ने से निवारित नहीं करेगी।}[2]

निगम का कार्यकाल

{8—— (1) जब तक कि उसे धारा 538 के अधीन पहले ही विघटित न कर दिया जाय, अपनी प्रथम बैठक के लिये नियत दिनांक से 5 वर्ष तक, न कि उससे अधिक, बना रहेगा।

(2) किसी निगम के संगठन के लिये निर्वाचन ——

(क) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट, उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व;

(ख) धारा 538 के अधीन उसके विघटन के आदेश के दिनांक से छ' मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व पूरा कराया जायगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहां विघटित निगम की शेष अवधि, जब तक कि निगम बनी रह सकती थी, छः मास से कम हो, वहां ऐसी अवधि के लिये निगम का संगठन करने के लिये कोई निर्वाचन कराना आवश्यक न होगा।

(3) किसी निगम के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसे विघटन पर संगठित किया गया निगम उस अवधि के केवल शेष भाग के लिये, जिस अवधि तक विघटित निगम, उपधारा (1) के अधीन बना रहता, यदि उसे इस प्रकार विघटित न किया जाता, बना रहेगा।}[3]

{(4) जहां नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हो गया हो या नये नगर निगम बोर्ड का गठन नहीं हुआ हो तो नये बोर्ड के गठन तक ——

(क) नगर निगम, उसके नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, वार्ड समिति, कार्यकारिणी समिति, विकास समिति और धारा 5 के खण्ड (ङ) के अधीन स्थापित अन्य समितियों की समस्त शक्तियां, कार्य और कर्तव्य राज्य सरकार द्वारा इस हेतु नियुक्त अधिकारी (एतद्पश्चात् प्रशासक कहा जायेगा) में निहित होगी और उसके द्वारा प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन की जायेगी और प्रशासन, विधि की दृष्टि में, नगर निगम अथवा समिति, जैसा कि परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हो, समझा जायेगा;

(ख) प्रशासक को ऐसा वेतन एवं भत्ता नगर निगम कोष से देय होगा, जैसा कि राज्य सरकार इस हेतु किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा नियत करे;

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 3 वर्ष 1996 की धारा 2 (क) द्वारा अन्तर्विष्ट।
5. उपर्युक्त की धारा 2 (ख) द्वारा अन्तर्विष्ट।

(ग) राज्य सरकार, समय–समय पर गजट में विज्ञप्ति द्वारा, ऐसे आनुषंगिक या प्रासंगिक उपबन्ध, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अन्तर्गत किन्ही उपबन्धों का अनुकूलन, परिवर्तन या परिष्कार करने के भी उपबन्ध शामिल हैं, किन्तु जो तत्व पर प्रभाव न डाले, जो उसे इस धारा के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अथवा ईष्टकर हो, बना सकेगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन नियुक्त प्रशासक के कार्यकाल की अवधि छः मास या नये बोर्ड के गठन तक, जो भी पहले हो, से अधिक नहीं होगी।}[7]

8–क–– {***}[2]

{निगम}[1] के गठन के लिये और नहर के रूप में अधिसूचित क्षेत्र के प्रशासन के लिए अस्थायी उपबन्ध

{8–कक –– (1) {जहां किसी क्षेत्र के संविधान के अनुच्छेद 243–थ के खण्ड (2) के अधीन वृहत्तर नगरीय क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया गया है}[5] और राज्य सरकार की राय है कि {संविधान के अधीन}[6] ऐसे क्षेत्र के लिए, {निगम}[1] का सम्यक् संगठन होने तक ऐसा करना समीचीन है, वहां राज्य सरकार, इस अधिनियम का तत्सयम प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा निदेश दे सकती है कि ––

(क) ऐसे क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए संगठित {नगर पालिका परिषद्}[3] या कोई अन्य स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे दिनांक से, जैसा उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, जिसे आगे इस धारा में ''विनिर्दिष्ट दिनांक'' कहा गया है, यथास्थिति, विघटित हो जायगा या ऐसे क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा।

(ख) {निगम}[1], उसके नगर प्रमुख, {कक्ष समिति}[4], कार्यकारिणी समिति, विकास समिति और धारा 5 के खण्ड (ङ) के अधीन स्थापित अन्य समितियों की ओर मुख्य नगराधिकारी की समस्त शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य विनिर्दिष्ट दिनांक से, राज्य सरकार द्वारा इस निर्मित नियुक्त अधिकारों में (जिसे आगे प्रशासक कहा गया है) निहित हो जायेंगे और उसके द्वारा उनका प्रयोग, अनुपालन और निर्वहन किया जायेगा और प्रशासक को विधि की दृष्टि से {निगम}[1], नगर, प्रमुख {कक्ष समिति}[4] कार्यकारिणी समिति, विकास समिति अन्य समिति या मुख्य नगराधिकारी, जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, समझा जायेगा,

(ग) प्रशासक को, ऐसे वेतन और भत्ते, जो राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेशों द्वारा इस निमित नियत किये जायें, {निगम}[1] की निधि से दिये जायेगे।

(2) प्रशासक, राज्य सरकार के किन्हीं साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, खण्ड (ख) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों में से सब या किन्हीं के बारे में –––

(एक) उस निमित विनिर्दिष्ट रीति से संगठित ऐसी समिति या अन्य निकाय से, यदि कोई हो, परामर्श कर सकेगा, या

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 12 द्वारा निकाला गया।
3. उपर्युक्त की धारा 13(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 13(ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 26 वर्ष 1995 के अध्याय–दो की धारा 7 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 7 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 04 वर्ष 2008 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

(दो) इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें अधिरोपित करना वह उचित समझे, उसके द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को या उपखण्ड (एक) के अधीन गठित किसी समिति या अन्य निकाय को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(3) इस धारा के उपबन्ध धारा 579 और 580 में दिये गये उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनका अल्पीकरण करेंगे।}[1]

{महापालिका}[5] के संगठन की विज्ञप्ति

9–– किसी नगर की {निगम}[5] के लिए सभासदों {***}[2] तथा नगर प्रमुख के निर्वाचन पूरे हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करेगी कि उक्त नगर की {निगम}[5] यथावत् संगठित हो गयी है।

नगर–प्रमुख तथा उपनगर–प्रमुख

उपनगर–प्रमुख

10–– (1) प्रत्येक {निगम}[5] के लिये एक उपनगर प्रमुख होगा।

(2) यदि कभी नगर–प्रमुख किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो अथवा नगर–प्रमुख का पद रिक्त हुआ हो तो इस पद के समस्त कर्तव्यों का पालन यथास्थिति नगर–प्रमुख के पुनः कार्यभार सम्भालने अथवा रिक्त स्थान की पूर्ति होने तक उपनगर–प्रमुख करेगा।

नगर–प्रमुख तथा उपनगर प्रमुख के पद के लिये निर्वाचन की अर्हतायें

11–– (1) कोई भी व्यक्ति नगर–प्रमुख के पद पर निर्वाचन के लिये अर्ह न होगा।

(क) यदि वह नगर में निर्वाचक नहीं है,

(ख) यदि उसकी आयु तीस वर्ष की नहीं हो गयी है,

(ग) यदि वह धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन सभासद {XXX}[3] के रूप में निर्वाचित होने के निमित्त अनर्ह है, अथवा

(घ) यदि वह {XXX}[4] सभासद के किसी स्थान के लिये निर्वाचन में हार चुका हो और उस निर्वाचन का फल घोषित होने के दिनांक के पश्चात् छः महीने व्यतीत न हो गये हों,

(2) {***}[6]

(3) कोई व्यक्ति जो {निगम}[5] का {सभासद}[7] नहीं है, उपनगर–प्रमुख के पद पर निर्वाचन के लिये पात्र न होगा।

नगर प्रमुख का निर्वाचन

{11–क ––(1) नगर प्रमुख का निर्वाचन नगर में निर्वाचकों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा।

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 25, 1974 की धारा 2 द्वारा अन्तर्विष्ट।
2. उ.प्र. अधिनियम सं. 12, 1977 की धारा 4 द्वारा निकाला गया।
3. उपर्युक्त की धारा 5 (क) द्वारा निकाला गया।
4. उपर्युक्त की धारा 5 (ख) द्वारा निकाला गया।
5. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 14(क) द्वारा निकाला गया।
7. उपर्युक्त की धारा 14(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) धारा 16 में यथा उपबन्धित के सिवाय अपने पद से हटने वाला नगर प्रमुख पुनर्निर्वाचन के लिये पात्र होगा।

(3) किसी सभासद के निर्वाचन के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन (जिसके अन्तर्गत निर्वाचन तथा निर्वाचन अपराध से सम्बन्धित विवाद भी है) नगर प्रमुख के निर्वाचन के सम्बन्ध में यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(4) यदि किसी सामान्य निर्वाचन में कोई व्यक्ति नगर प्रमुख और सभासद दोनों रूप में या किसी उप चुनाव में सभासद के रूप में होने पर नगर प्रमुख निर्वाचित होता है तो वह नगर प्रमुख के रूप में अपने निर्वाचन के दिनांक से सभासद नहीं रह जायेगा।}[7]

{***}[8] उपनगर प्रमुख का निर्वाचन

12–– (1) {{***}[8] उपनगर प्रमुख}[4] सभासदों का निर्वाचन पूरा हो जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र निर्वाचित किये जायेंगे।}[1]

(2) {XXX}[2]

(3) {{XXX}[8] उप नगर प्रमुख}[4] सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धिति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे और ऐसे निर्वाचन में मतदान गूढ़शलाका द्वारा होगा।

(4) यदि {XXX}[8] नगर–प्रमुख के पद पर निर्वाचित हो गया हो तो उपनगर प्रमुख के पद की रिक्ति उस दिनांक से होगी, जब से वह नगर–प्रमुख का पद ग्रहण करे।

(5) धारा 47 के उपबन्ध यथासम्भव {{XXX}[8] उप नगर–प्रमुख}[4] के निर्वाचन के सम्बन्ध में लागू होंगे।

सभासदों का निर्वाचन कब पूर्ण समझा जायेगा

13–– {{XXX}[9] {XXX}[3] उपनगर–प्रमुख}[5] के निर्वाचन के प्रयोजनों के निमित सभासदों का निर्वाचन किसी स्थान के अपूरित रहने पर भी, पूर्ण समझा जायगा यदि धारा 6 के अधीन निश्चित सभासदों की कुल संख्या की कम से कम चतुष्पंचमांश (four-fifiths) संख्या पूरी हो गई हो।

नगर–प्रमुख अथवा उपनगर –प्रमुख के पदों की आकस्मिक रिक्ति

14–– यदि नगर प्रमुख तथा उपनगर–प्रमुख की मृत्यु, अथवा उनके पद–त्याग अथवा अन्य किसी कारण से उनके पद रिक्त हो जायं तो यथास्थिति नगर–प्रमुख अथवा उपनगर प्रमुख का निर्वाचन तत्पश्चात् यथाशीघ्र {धारा 11–क में, या, यथास्थिति धारा 12 में}[10] उपबंधित रीति से होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी शेष पदावधि दो महीने अथवा उससे कम की है तो रिक्ति की पूर्ति नहीं की जायेगी जब तक कि {निगम}[6] अन्यथा संकल्प न करे।

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 41, 1976 की धारा 8(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 8 (ग) द्वारा निकाला गया।
3. उ.प्र. अधिनियम सं. 12, 1977 की धारा 7 द्वारा निकाला गया।
4. उ.प्र. अधिनियम सं. 17, 1982 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उपर्युक्त की धारा 15 द्वारा अन्तर्विष्ट।
8. उपर्युक्त की धारा 16 द्वारा निकाले गये।
9. उपर्युक्त की धारा 17 द्वारा निकाला गया।
10. उपर्युक्त की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित।

15—— (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय—— *नगर प्रमुख तथा उपनगर प्रमुख की पदावधि*

(क) उपधारा (7) निकाली दी गई समझी जायेगी, और

{(ख) उपनगर प्रमुख की पदावधि उसके निर्वाचन के दिनांक से दो वर्ष और छः माह या सभासद के रूप में शेष कार्यकाल के लिए, जो भी कम हो, होगी;

(ग) खण्ड (ख) के उपबन्ध ऐसे किसी उपनगर प्रमुख पर भी लागू होंगे, जो गत निर्वाचन में निर्वाचित घोषित किए गए हों।}[3]

(2) किसी आकस्मिक पद की पूर्ति के निमित्त निर्वाचित नगर—प्रमुख अथवा उपनगर प्रमुख की पदावधि उसके पूर्वाधिकारी की शेष पदावधि तक के लिये ही होगी।

(3) नगर—प्रमुख अथवा उपनगर—प्रमुख, जब तक कि वह अपना पदत्याग नहीं कर देता अथवा उसका अर्ह होना समाप्त नहीं हो जाता अथवा वह अनर्ह नहीं हो जाता, उस समय तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नगर—प्रमुख अथवा उपनगर—प्रमुख, जैसी स्थिति हो, के पद को ग्रहण नहीं करता।

{15—क—— {XXX}[2]

[4]{16—— (1) जहां राज्य सरकार का यह विश्वास करने का कारण हो कि — *नगर प्रमुख और उपनगर प्रमुख का हटाया जाना*

(क) नगर—प्रमुख या उपनगर प्रमुख की तरफ से अपने कर्तव्यों के निष्पादन में कोई चूक हुई है;

(ख) नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख ने ——

(एक) धारा 11 और 25 में उल्लिखित कोई अनर्हता उपगत कर ली है; या

(दो) धारा 463 के अर्थान्तर्गत निगम के साथ उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या सेवायोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भागीदार द्वारा कोई अंश या हित, चाहे धन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार का हो, जान—बूझकर अर्जित किया है; या

(तीन) जान—बूझकर किसी ऐसे मामले में, जिसमें उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भागीदार द्वारा कोई अंश या हित हो, चाहे वे धन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार का हो या जिसमें किसी मुवक्किल, मालिक या अन्य व्यक्ति की ओर उसका वृत्तिक रूप में निहित था या नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख या सभासद के रूप में जानबूझकर किसी ऐसे मामले में, कार्य किया है; या

(चार) निगम के प्रबन्ध में सौंपी गई किसी नजूल भूमि के सम्बन्ध में किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही में किसी व्यक्ति की ओर से नगर निगम के विरूद्ध या राज्य सरकार के विरूद्ध विधि व्यवसायी के रूप में कार्य किया है या उपस्थित हुआ है या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से, जिसके विरूद्ध नगर निगम द्वारा या उसकी ओर से कोई आपराधिक कार्यवाही संस्थित की गई हो, कार्य किया है या उपस्थित हुआ है; या

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 20 द्वारा निकाला गया।
3. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 26 वर्ष 2005 के अध्याय—दो की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(पांच) नगर निगम के {नगर निगम}[3] क्षेत्र में अपने सामान्य निवास स्थान को परित्याग कर दिया है; या

(छः) अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी रहा है; या

(सात) निगम के चालू या पूर्ववर्ती कार्यकाल में नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख के रूप में या किसी अवधि के सभापति या सभासद के रूप में या किसी अन्य हैसियत से, चाहे जो भी हो, कार्य करते हुए अपने पद का इतना घोर दुरूपयोग किया है या इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या किसी नियम, विनियम या उपविधि का जान–बूझकर उल्लंघन किया है या निगम की निधि या सम्पत्ति को ऐसी हानि या क्षति पहुंचाई है, जो उसे नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख बने रहने के अयोग्य बना देती है; या

(आठ) किसी अन्य अवचार का दोषी है, चाहे ऐसा अवचार उसने नगर प्रमुख के रूप में या उपनगर प्रमुख के रूप में या सभासद के रूप में किया हो; या

(नौ) निगम के हित के प्रतिकूल कार्य किया है; या

(दस) निगम की किसी बैठक में इस प्रकार से बाधा उत्पन्न की है या किसी निगम का उस बैठक का कार्य संचालन असंभव हो जाये या ऐसा करने के लिए किसी को दुष्प्रेरित किया है; या

(ग्यारह) इस अधिनियम के अधीन दिए गए राज्य सरकार के किसी आदेश या निर्देश का जान–बूझकर उल्लंघन किया है; या

(बारह) निगम के अधिकारियों या कर्मचारियों के साथ बिना किसी न्यायोचित कारण के दुर्व्यवहार किया है; या

(तेरह) निगम की किसी सम्पत्ति का उसके बाजार मूल्य से कम मूल्य पर व्ययन किया है; या

(चौदह) निगम की भूमि, भवन या किसी अन्य अचल सम्पत्ति पर अतिक्रमण किया है या किसी अन्य व्यक्ति की अतिक्रमण करने में सहायता की है, या दुष्प्रेरित किया है तो वह उससे नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या कारण बताने की अपेक्षा कर सकेगी कि क्यों न उसे पद से हटा दिया जाये।

(2) राज्य सरकार, नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी वह आवश्यक समझे, कारणों को अभिलिखित करते हुए नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख को उसके पद से हटा सकेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन हटाया गया नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख, सभासद भी नहीं रह सकेगा और उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित किसी आधार पर हटाए जाने की दशा में अपने हटाए जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि तक नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख के रूप में पुनर्निर्वाचन का पात्र नहीं होगा।}[2]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तराखण्ड अधिनियम सं. 12 वर्ष 2005 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 04 वर्ष 2008 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

17—— (1) {नगर प्रमुख निगम का पदेन सदस्य होगा।}[6] नगर—प्रमुख सदस्य होगा

(2) {निगम}[3] अथवा उसकी किसी समिति के अधिवेशनों की अध्यक्षता करते समय नगर—प्रमुख मतों की समानता की दशा में एक निर्णायक मत देने का अधिकारी होगा परन्तु सदस्य के रूप में उसे मत देने का अधिकार न होगा।

{18—— नगर—प्रमुख तथा उप नगर—प्रमुख को ऐसे भत्ते या सुविधायें, जो {निगम}[3] राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से निश्चित करे, दी जा सकती है।}[1] नगर—प्रमुख के भत्ते

19—— (1) यदि नगर प्रमुख अपना पद त्याग करना चाहे तो वह अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, जो राज्य सरकार को सम्बोधित होगा, ऐसा कर सकता है और त्यागपत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा, जिस दिन यह सूचना कि उसका त्याग—पत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, मुख्य नगराधिकारी को प्राप्त हो। नगर—प्रमुख तथा उपनगर प्रमुख का त्याग—पत्र

(2) उपनगर—प्रमुख किसी भी समय अपने हस्ताक्षर सहित लेखा द्वारा, जो नगर प्रमुख को सम्बोधित होगा, अपना पद त्याग कर सकता है और यह त्याग—पत्र नगर—प्रमुख को मिलते ही प्रभावी हो जायगा।

{निगम}[3] के सदस्य

20—— {XXX}[2]

21—— {XXX}[2]

22—— {XXX}[2]

{23—— धारा 24, 25, 26, 28, 29, 30—क, 81, 82 83, 85, 87, 538, 565, 570 और 572 के उपबन्ध जैसे सभासदों पर लागू होते हैं, वैसे नाम—निर्दिष्ट सदस्यों पर, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।}[4] सभासदों पर प्रयोज्य कतिपय उपबन्ध नाम—निर्दिष्ट सदस्य पर लागू होंगे।

{24—— कोई व्यक्ति सभासद के रूप में चुने जाने के लिए और सभासद होने के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह —— सभासद के निर्वाचन के लिये अर्हतायें

(क) नगर का निर्वाचक न हो, तथा

(ख) 21 वर्ष की आयु प्राप्त न कर चुका हो, तथा

(ग) स्थान के अनुसूचित—जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों या स्त्रियों के लिये आरक्षित होने की दशा में, जैसी भी स्थिति हो, सम्बन्धित श्रेणी का नहीं है;}[5]

(घ) {***}[7]

---

1. उ.प्र. अधिनियम संख्या 21, 1964 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ. प्र. अधिनियम संख्या 12, 1977 की धारा 8 द्वारा निकाली गयी।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 26 वर्ष 1995 के अध्याय—दो की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 04 वर्ष 2008 की धारा 3 द्वारा निकाला गया।

{***}[5] सभासदों की अनर्हतायें

25—— (1) कोई भी व्यक्ति इस बात के होते हुए भी कि वह अन्यथा अर्ह है, {सभासद}[2] चुने जाने तथा होने के लिए अनर्ह होगा यदि—

{(क) उसे इस अधिनियम के आरम्भ से पूर्व अथवा पश्चात् भारत के किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी पाया गया हो, तथा उसे दो वर्ष से अन्यून अवधि के लिए कारवास का दंड दिया गया हो, जब तक कि उसके छूटने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि या इससे कम ऐसी अवधि, जिसकी अनुमति राज्य सरकार किसी विशेष मामले में दे, व्यतीत न हो गई हो,}[1]

(ख) वह अनुन्मुक्त दिवालिया हो,

(ग) वह {निगम}[4] में लाभ के किसी पद पर हो,

(घ) वह राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा अन्य किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में हो, अथवा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेन्ट कौंसिल अथवा अतिरिक्त या सहायक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कौंसिल अथवा अवैतनिक मैजिस्ट्रेट अथवा अवैतनिक मुन्सिफ अथवा अवैतनिक असिस्टेन्ट कलेक्टर हो,

(ङ) वह चाहे स्वयं, चाहे उसके लिए न्यासी के रूप में अथवा उसके लाभ के लिए या उसके लेखे में किसी व्यक्ति द्वारा, {निगम}[4] को माल सम्भरित करने के लिए या किसी निर्माण—कार्य के निष्पादन के लिए किन्हीं सेवाओं को, जिनका भार {निगम}[4] ने अपने ऊपर लिया हो, सम्पन्न करने के लिये किये गये किसी संविदे में कोई हिस्सा या हित रखता हो,

(च) वह {निगम}[4] को देय ऐसे कर के जिन पर धारा 504 लागू होती है अथवा ऐसे मूल्य के, जो {निगम}[4] द्वारा दिये गये पानी के लिये देय हो एक वर्ष से अधिक अवधि के बकाये का देनदार हो,

(छ) यदि वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण करके भ्रष्टाचार अथवा राजद्रोह के लिए पदच्युत हो चुका हो, जब तक कि उसके पदच्युत होने के दिनांक से {छः वर्ष}[3] की अवधि न व्यतीत हो गयी हो।

(ज) वह किसी सक्षम प्राधिकारी आज्ञा से वकालत करने के लिये विवर्जित कर दिया गया है,

(झ) वह इस अधिनियम की धारा 80 तथा 83 के अधीन {निगम}[4] का सदस्य होने के लिये अनर्ह है,

(ञ) वह {XXX}[6] किसी ऐसे संसर्गजन्य रोगों में से किसी से ग्रस्त है, जो राज्य सरकार की आज्ञा द्वारा निर्दिष्ट किये जायेंगे और {मुख्य चिकित्सा अधिकारी}[7] से अन्यून पद के किसी चिकित्साधिकारी ने उस रोग को असाध्य घोषित कर दिया है;

{(ट) राज्य विधान मण्डल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या के अधीन अनर्ह हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति इस आधार पर अनर्ह नहीं होगा कि वह पच्चीस वर्ष से कम आयु का है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली होः}[8]

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 14, 1959 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ. प्र. अधिनियम संख्या 12, 1977 की धारा 10 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ.प्र. अधिनियम सं. 15 वर्ष 1983 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 24 (क) द्वारा निकाला गया।
6. उपर्युक्त की धारा 24 (ख)(एक)(क) द्वारा निकाला गया।
7. उपर्युक्त की धारा 24 (ख)(एक)(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उपर्युक्त की धारा 24 (ख) (दो) द्वारा अन्तर्विष्ट।

और प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी कर अथवा पानी के मूल्य का बकाया जो उस क्षेत्र, जिसको अब {नगर अधिसूचित कर दिया गया है,}[5] में क्षेत्राधिकार रखने वाली {{नगर निगम}[8] परिषद्}[4] अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारी को देय हो, उसको {निगम}[3] का बकाया समझा जायगा;

{(ठ) उसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म इस धारा के प्रवृत्त होने की तिथि से 300 दिवस के पश्चात् हुआ है; या

(ड) महिला के विरूद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया है; या

(ढ) किसी ऐसे समाचार–पत्र में, जिसमें {नगर निगम}[8] के कार्यकलापों से सम्बन्धित कोई विज्ञापन दिया जा सकता है, अंश या हित रखता है; या

(ण) किसी ऐसी संस्था, जो {नगर निगम}[8] से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है, का वैतनिक कर्मचारी है; या

(त) यदि वह या उसके परिवार का सदस्य या उसका कानूनी वारिस {नगर निगम}[8] के स्वामित्व या प्रबन्धन की भूमि या भवन या सार्वजनिक सड़क या पटरी, नाली, नाला पर अनाधिकृत कब्जा करता है अथवा किसी ऐसे अनाधिकृत कब्जे से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करता है; या

(थ) {नगर निगम}[8] के किसी भी कर्मचारी संवर्ग या वर्ग के संघ या यूनियन का प्रतिनिधि या पदाधिकारी है; या

(द) {नगर निगम}[8] के अधिनियम, नियम, उपविधियां, विनियम, शासनादेश का उल्लंघन करने, {नगर निगम}[8] के हितों की उपेक्षा करने का सिद्ध दोषी ठहराया गया हो;}[6]

{(ध) वह एक से अधिक वार्ड के लिए अभ्यर्थी हो।}[7]

(2) {XXX}[1]

(3) {XXX}[1]

(4) कोई व्यक्ति {XXX}[2] सभासद चुन लिये जाने पर {XXX}[2] सभासद बने रहने के लिए अनर्ह होगा यदि वह –––

(1) स्वयं अथवा किसी ऐसे फर्म के नाम से, जिसमें वह साझीदार है, अथवा जिसके साथ वह वृत्ति हैसियत से लगा हुआ है, किसी ऐसे बाद या कार्यवाही के सिलसिले में जिसमें {निगम}[5] अथवा मुख्य नगराधिकारी का कोई हित या संबंध है वह वृत्तिक हैसियत से रोक रखा जाता है अथवा नियोजित किया जाता है, अथवा

(2) बीमारी अथवा {निगम}[5] द्वारा स्वीकृत अन्य किसी कारण से अनुपस्थिति को छोड़कर {निगम}[5] के अधिवेशनों में लगातार छः महीने तक अनुपस्थित रहता है।

---

1. उ.प्र. अधि. सं. 12, 1977 की धारा 10 (ख) तथा (ग) द्वारा निकाली गयी।
2. उपर्युक्त की धारा 10 (घ) द्वारा निकाली गयी।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 24 (ख)(तीन) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 26 वर्ष 1995 के अध्याय–दो की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उत्तराखण्ड अधिनियम सख्या 19 वर्ष 2002 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया।
7. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 04 वर्ष 2008 की धारा 4 द्वारा अन्तर्विष्ट।
8. उपर्युक्त की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

(5) उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन कोई व्यक्ति केवल इसलिए अनर्ह हुआ न समझा जायेगा कि वह ———

(एक) कोई पेंशन पाता है,

(दो) नगर प्रमुख या उप नगर प्रमुख या सभासद {XXX}[1] के रूप में काम करते हुए कोई भत्ता या सुविधा पाता है।

(6) उपधारा (6) के खंड (ङ) के अधीन कोई व्यक्ति केवल इसलिये अनर्ह हुआ न समझा जायगा कि उसका निम्नलिखित में कोई हिस्सा या हित है :——

(1) कोई संयुक्त सम्भार समवाय अथवा {उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965}[5] के अधीन पंजीकृत अथवा पंजीकृत समझी गयी कोई समिति, जिससे {निगम}[4] की ओर से मुख्य नगराधिकारी संविदा करेगा अथवा जिसे वह नियोजित करेगा,

(2) {निगम}[4] के लिये मुख्य नगराधिकारी को बेची जाने वाली किसी ऐसी वस्तु के प्रायिक विक्रय में जिसमें वह किसी कलेण्डर वर्ष में कुल मिलाकर 2,000 रु0 से अनधिक मूल्य का नियमित रूप से व्यापार करता है।

{(7) कोई व्यक्ति जो सभासद के रूप में निर्वाचित होने के पश्चात् इस धारा के अधीन अनर्ह हो जाय, सभासद नहीं रह जायगा और उसका स्थान ऐसी अनर्हता होने के दिनांक से रिक्त हो जायगा।}[2]

सभासद की पदावधि

26—— (1) आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के निमित निर्वाचित सभासद {XXX}[3] से भिन्न सभासद {XXX}[3] की पदावधि {निगम}[4] के कार्यकाल के समकक्ष होगी।

(2) आकस्मिक रिक्त की पूर्ति के लिये निर्वाचित किसी भी सभासद {XXX}[3] का कार्यकाल उसके पूर्वाधिकारी की पदावधि का अवशिष्ट भाग होगा।

सभासदों का निर्वाचन

27—— (1) सभासदों का निर्वाचन इस अधिनियम के उपबन्धों और इसके अधीन बने नियमों के अनुसार प्रौढ़ मताधिकार प्रणाली के अनुसार होगा।

(2) अपने पद से हटने वाला सभासद पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा।

सभापद के पद की आकस्मिक रिक्ति

28—— यदि किसी सभासद की पदावधि समाप्त होने के पूर्व उसके स्थान की रिक्ति उसकी मूत्यु अथवा तयाग—पत्र, अथवा अन्य किसी कारण से हो जाय, तो ऐसे रिक्ति होने के पश्चात यथाशीघ्र दूसरा सभासद यथाशक्त उसी रीति से, किन्तु इस अधिनियम में एतदर्थ बनाने गये अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुये निर्वाचित किया जायगा, जो सामान्य निर्वाचन में सभासदों के निर्वाचन के लिये इस अधिनियम द्वारा तथा उसके अधीन उपबंधित हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पद से हटने वाले सभासद की पदावधि साधारणतः रिक्त होने के चार महीने के भीतर समाप्त हो रही हो, ऐसी रिक्ति बिना पूर्ति के छोड़ दी जायगी जब तक कि {निगम}[4] अन्यथा संकल्प न करे।

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 12, 1977 की धारा 10 (ङ) द्वारा निकाला गया।
2. उपर्युक्त की धारा 10 (च) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 11 द्वारा निकाला गया।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 24 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

सभासदों का त्याग–पत्र

29–– कोई सभासद किसी समय अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, जो नगर प्रमुख को संबांधित होगा, अपना पद त्याग सकता है और उसका त्याग–पत्र नगर प्रमुख को प्राप्त होते ही प्रभावी हो जायगा।

30–– {***}[8]

सदस्यों को वाहन भत्ता सुविधायें

{30–क–– सभासदों {XXX}[2] को {निगम}[3] के और उसकी समितियों के अधिवेशनों में उपस्थिति होने के लिए ऐसा वाहन भत्ता या वाहन भत्ते के बदले में ऐसी सुविधायें दी जा सकती है जिनकी नियमों द्वारा व्यवस्था की जाय।}[1]

कक्षों का परिसीमन

कक्षों की व्यवस्था

31–– (1) सभासदों के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ धारा 32 में दी हुई रीति से {{प्रत्येक {नगर निगम}[9] क्षेत्र}[7] को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जायेगा, जो कक्ष कहे जायेंगे}[4] और प्रत्येक कक्ष के लिये पृथक निर्वाचक नामावली होगी।

{(2) प्रत्येक कक्ष का प्रतिनिधित्व निगम में एक सभासद द्वारा किया जायेगा।}[5]

(3) {XXX}[6]

परिसीमन आज्ञा

* 32–– {(1) राज्य सरकार आदेश द्वारा :–

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 21, 1964 की धारा 5 द्वारा अन्तर्विष्ट ।
2. उ.प्र. अधिनियम सं. 12, 1977 की धारा 12 द्वारा निकाला गया।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 25 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 25 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 25 (ग) द्वारा निकाला गया।
7. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 26 वर्ष 1995 के अध्याय–दो की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 04 वर्ष 2008 की धारा 5 द्वारा निरसित।
9. उपर्युक्त की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

* उत्तर प्रदेश {नगर निगम}[9] (संशोधन) अधिनियम, 1977 (उ.प्र. अधि. सं. 12, 1977) को धारा 33 के अनुसार मूल अधिनियम में या मूल अधिनियम की धारा 32 के अधीन पहले से जारी की गई परिसीमन आज्ञा में किसी बात के होते हुये भी, किन्तु उक्त अधिनियम की धारा 33 के अधीन राज्य सरकार की शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी सभी परिसीमन आज्ञा इसके परिष्कार के साथ प्रवृत्त रहेगी कि प्रत्येक कक्ष के लिये सभासदों के लिये उक्त आज्ञा में उल्लिखित एक स्थान के बजाय दो स्थान होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार अधिसूचित आज्ञा द्वारा अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिये आरक्षित स्थानों की कुल संख्या का पुनवितरण विभिन्न कक्षों में कर कसती है और ऐसी अधिसूचित आज्ञा देने के पूर्व इस सम्बन्ध में आपत्तियों के लिये प्रस्ताव का कोई प्रारूप प्रकाशित करना आवश्यक न होगा।

(क) किसी {{नगर निगम}[8] क्षेत्र}[5] को ऐसी रीति से, कि प्रत्येक कक्ष की जनसंख्या जहां तक सम्भव हो सके, सम्पूर्ण {नगर निगम}[8] क्षेत्र में एक समान हो, कक्षों में विभाजित करेगी;

(ख) कक्षों की संख्या, जिसमें किसी {{नगर निगम}[8] क्षेत्र}[5] को विभाजित किया जायेगा, अवधारित करेगी;

(ग) प्रत्येक कक्ष का विस्तार अवधारित करेगी;

(घ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों या महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या अवधारित करेगी।}[4]

(2) उपधारा (1) के अधीन आज्ञा का पाँडुलेख आपत्तियों के लिये, जो {सात दिन}[6] से कम न हो, सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायगा।

(3) राज्य सरकार उपधारा (2) के अधीन की गयी किन्हीं आपत्तियों पर विचार करेगी, और यदि आवश्यक हुआ तो तदनुसार आज्ञा का पाँडुलेख संशोधित, परिवर्तित अथवा परिष्कृत किया जायगा और तत्पश्चात् यह अंतिम हो जायगा।

परिसीमन आज्ञा में परिवर्तन अथवा संशोधन और उसका प्रभाव

33—— (1) राज्य सरकार अपनी किसी परवर्ती आज्ञा द्वारा धारा 32 की उपधारा (3) के अधीन की गयी किसी भी अन्तिम आज्ञा को परिवर्तित अथवा संशोधित कर सकती है।

{(1—क) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश के परिवर्तन या संशोधन के लिये, धारा 32 की उपधारा (2) और (3) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।}[7]

(2) इस धारा के अधीन किसी भी अन्तिम आज्ञा के परिवर्तन अथवा संशोधन के पश्चात् राज्य सरकार विद्यमान सभासदों को परिवर्ति अथवा संशोधित कक्षों में इस प्रकार विभाजित कर देगी कि जहां तक युक्तिः साध्य हो, वे अपने पूर्व निर्वाचन क्षेत्रों का यथासंभव अधिक से अधिक संख्या का प्रतिनिधित्व करते रहे।

(3) विद्यमान सभासद उसी कक्ष में पदासीन होगा, जो उसे नियत किया गया है और इस पद पर ऐसी अवधि तक के लिये आसीन रहेगा, जिस अवधि तक के लिये वह उस पर ऐसी दशा में पदासीन रहता यदि कक्ष अपरिवर्तित तथा असंशोधित ही रहे होते।

निर्वाचक तथा निर्वाचक नामावली

34—— {xxx}[2]

प्रत्येक कक्ष के लिये निर्वाचक नामावली

{35—— प्रत्येक कक्ष के लिये एक निर्वाचक नामावली होगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन तैयार की जायेगी।}[3]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 27 द्वारा निकाला गया।
3. उपर्युक्त की धारा 28 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 26 वर्ष 1995 के अध्याय—दो की धारा 11 (क—1) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 11 (क—11) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 11 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उपर्युक्त की धारा 12 द्वारा अन्तर्विष्ट।
8. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 04 वर्ष 2008 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

निर्वाचकों की अर्हताएं

{36—— धारा 37 और 38 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति जिसने उस वर्ष की जिसमें निर्वाचक नामावली तैयार या पुनरीक्षित की जाय, पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, और जो कक्ष के क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी हो, कक्ष की निर्वाचक नामावली में पंजीयन का पात्र होगा।

स्पष्टीकरण — (एक) किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण कि कक्ष के क्षेत्र में उसका किसी निवास—गृह पर स्वामित्व या कब्जा है, यह न समझ लिया जायगा कि वह उस कक्ष के क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है।

(दो) अपने मामूलों निवास—स्थान से अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित रखने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण यह न समझा जायेगा कि वह वहां मामूली तौर से निवासी नही रहा।

(तीन) संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्बन्ध में कक्ष के क्षेत्र से अनुपस्थित रहने मात्र के कारण अपनी पदाविधि के दौरान उस क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी होने से परिविरत नहीं समझा जायगां

(चार) यह विनिश्चिय करने के लिए कि किन व्यक्तियों को किसी सुसंगत समय पर किसी विशिष्ट क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी समझा जाय या न समझा जाय किन्हीं अन्य तथ्यों पर, जिन्हें विहित किया जाय, विचार किया जायगा।

(पांच) यदि किसी मामलें में यह प्रश्न उठे कि किसी सुसंगत समय पर कोई व्यक्ति मामूली तौर से कहां का निवासी है तो उस प्रश्न का अवधारण मामले के सभी तथ्यों के निर्देश किया जायगा।}[1]

निर्वाचकों की अनर्हतायें

37—— {(1) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचक नामावलि में पंजीयन के लिए अनर्ह होगा, यदि वह—

(1) भारत का नागरिक न हो, या

(2) विकृत चित हो और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो, या

(3) निर्वाचन सम्बन्धी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मत देने के लिये तत्समय अनर्ह हो।}[2]

(2) किसी व्यक्ति, जो पंजीयन के पश्चात् उपर्युक्त रूप से अनर्ह हो जाता है, का नाम उस कक्ष की उस निर्वाचक नामावली से जिसमें उसका नाम लिखा है, तुरन्त ही काट दिया जायगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपधारा (1) के अधीन अर्न्हता के कारण किसी व्यक्ति का नाम किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली से काट दिया जाता है तो उक्त नामावली के प्रचलित रहने की अवधि में, इस अधिनियम के उपबन्धों, अथवा उक्त अनर्हता निवारण को प्राधिकृत करने वाली किसी अन्य विधि के अधीन उपर्युक्त अनर्हता समाप्त कर दिये जाने पर उसे तुरन्त पुनः दर्ज कर लिया जायगा।

पंजीकरण एक कक्ष तथा एक स्थान में होगा

38—— (1) कोई भी व्यक्ति एक ही नगर में एक से अधिक कक्षों के लिये निर्वाचक नामावली में पंजीकरण का पात्र न होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार पंजीकृत होने का पात्र न होगा।

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 35, 1978 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

{(3) कोई व्यक्ति किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में पंजीयन का पात्र न होगा, यदि उसका नाम किसी अन्य नगर या किसी {लघुतर नगरीय क्षेत्र, संक्रमणशील क्षेत्र, छावनी या ग्राम पंचायत}[3] से संबंधित किसी निर्वाचक नामावली में दर्ज हो जब तक कि वह यह दर्शित न करे कि उसका नाम ऐसी निर्वाचक नामावली से काट दिया गया है।}[1]

निर्वाचक नामावलीं की तैयारी और प्रकाशन

{39—— (1) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, प्रत्येक कक्ष के लिये निर्वाचक नामावली मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) के पर्यवेक्षण के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियमों द्वारा विहित रीति से तैयार और प्रकाशित की जायेगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी होंगे, जिन्हें राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से, इस निमित्त पदाभिहित या नाम—निर्दिष्ट करे।

(3) निर्वाचक नामावली के प्रकाशन पर, इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किये गये किसी परिवर्तन, परिवर्धन या सुधार के अधीन रहते हुए, वह इस अधिनियम के अनुसार तैयार की गयी कक्ष की निर्वाचक नामावली होगी।

(4) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किसी कक्ष के लिये निर्वाचक नामावली तैयार करने के प्रयोजना के लिए तत्समय प्रवृत्त विधान सभा की सूची को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेश के अनुसार अपना सकता है, जहां तक उसका सम्बन्ध उस कक्ष के क्षेत्र से हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे कक्ष के लिये निर्वाचक नामावली में, ऐसे कक्ष के लिए नाम—निर्देशन के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व किसी संशोधन, परिवर्तन या सुधार को सम्मिलित नहीं किया जायगा।

(5) जहा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का, चाहे उसको दिये गये किसी आवेदन—पत्र पर या स्वप्रेरणा से, ऐसी जांच करेन के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, यह समाधान हो जाय कि निर्वाचक नामावली में कोई प्रविष्टि सुधारी या निष्कासित की जानी चाहिये या रजिस्ट्रीकरण के लिये हकदार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में परिवर्धित किया जाना चाहिए, वहां वह इस अधिनियम के और तद्धीन बनाये गये नियमों और आदेशों के अधीन रहते हुए किसी प्रविष्टि का, यथास्थिति, सुधार, निष्कासन और परिवर्धन करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन कक्ष के किसी निर्वाचन के लिए नाम—निर्देशन होने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व, नहीं किया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी व्यक्ति से सम्बन्धित प्रविष्टि का ऐसा कोई सुधार या निष्कासन, जो उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो, उसे उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना नहीं किया जायगा।

(6) निर्वाचक नामावली में किसी नाम को सम्मिलित करने, निष्कासित करने या सुधार करने के सम्बन्ध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी आदेश के विरूद्ध अपील ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय, प्रस्तुत की जायगी।}[4]

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 35, 1978 की धारा 5 द्वारा अन्तर्विष्ट।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 29 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 26 वर्ष 1995 के अध्याय—दो की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित।

निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण

{40–– राज्य निर्वाचन आयोग, यदि वह सामान्य या उप निर्वाचन के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक समझे, सभी कक्षों की या किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली का ऐसी रीति से, जिसे वह उचित समझे, पुनरीक्षण करने का निदेश दे सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कक्ष की निर्वाचक नामावली, जैसा कि वह कोई ऐसा निदेश दिये जाने के समय प्रवृत हो, प्रवृत बनी रहेगी जब तक कि इस प्रकार निदेशित पुनरीक्षण पूरा न हो जाये।}[2]

निर्वाचकों तथा निर्वाचक नामावलियों से सम्बद्ध अन्य विषय

41–– {जहां तक निम्नलिखित विषयों में से किसी के संबंध में इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा उपबन्ध न किया जाय, राज्य निर्वाचन आयोग}[4], निर्वाचक नामावली से सम्बद्ध निम्नलिखित विषयों के सबंध में आज्ञा द्वारा उपबन्ध बना सकती है, अर्थात्:–

(क) दिनांक, जब इस अधिनियम के अधीन प्रथम बार तैयार की गई निर्वाचक नामावलियां और बाद में तैयार की गई निर्वाचक नामावलियां प्रवृत्त होंगी तथा उनके प्रवर्त्तन की अवधि,

(ख) सम्बद्ध निर्वाचक के प्रार्थनापत्र पर निर्वाचक नामावली की किसी वर्तमान प्रविष्टि को ठीक करना,

(ग) निर्वाचक नामावलियों में लिपिक अथवा मुद्रण संबंधी गलतियों का ठीक करना,

(घ) किसी क्षेत्र के संबंध में निर्वाचक नामावलियों में बहुत से नाम छूट जाने की दशा में उनमें सुधार करना,

(ङ) निर्वाचक नामावलियों में किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम दर्ज करना :–

(1) जिसका नाम कक्ष से सम्बद्ध क्षेत्र की विधान सभा की सूचियों में है, परन्तु कक्ष की निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है, अथवा जिसका नाम गलती से किसी अन्य कक्ष की निर्वाचक नामावली में दर्ज कर लिया गया है, अथवा

(2) जिसका नाम विधान सभा की सूचियों में दर्ज नहीं है, परन्तु जो अन्यथा कक्ष की निर्वाचक नामावली में पंजीयन के लिये अर्ह है,

(च) ऐसे व्यक्तियों के नामों का अपवर्जन जो पंजीयन के लिये अनर्ह है,

(छ) ऐसे व्यक्तियों का अभिलेख रखना जो मत देने के लिये अनर्ह है,

(ज) नामों के समावेश तथा अपवर्जन के निमित प्रार्थना–पत्र पर देय शुल्क,

(झ) {xxx}[3]

(ञ) निर्वाचक नामावलियों की अभिरक्षा तथा परिक्षण, तथा

(ट) सामान्यतः निर्वाचक नामावलियां तैयार करने तथा उसे प्रकाशित करने से सम्बद्ध सभी विषय।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 31 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 32 (ख) द्वारा निकाला गया।
4. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 26 वर्ष 1995 के अध्याय–दो की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।

मतदान

42–– (1) कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम तत्समय किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है, उस कक्ष में मत देने का अधिकारी नहीं होगा तथा इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से उपबंधित दशा को छोड़ कर प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम तत्समय किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में दर्ज है उस कक्ष में मत देने का अधिकारी होगा। मत देने का अधिकार

(2) कोई भी व्यक्ति किसी कक्ष के किसी निर्वाचन में मत नहीं दे सकेगा यदि वह धारा 37 में उल्लिखित अनर्हताओं में से किसी के अधीन है।

(3) कोई भी व्यक्ति किसी सामान्य निर्वाचन में {निगम}[1] के एक से अधिक कक्षों में मतदान नहीं करेगा, और यदि वह उक्त किसी एक से अधिक कक्षों में मतदान करता है तो सभी कक्षों में उसके मत शून्य हो जायेंगे।

(4) इस बात के होते हुए भी कि किसी निर्वाचक का नाम किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार दर्ज हो गया है, वह व्यक्ति किसी निर्वाचक में एक से अधिक बार मतदान नहीं करेगा और यदि वह मतदान करता है, तो उस कक्ष में उसके सभी मत शून्य हो जायेंगे।

(5) यदि कोई व्यक्ति कारावास की, निर्वासन की अथवा अन्य किसी प्रकार की दंडाज्ञा के अधीन किसी कारावास में बन्द है अथवा पुलिस की वैध अभिरक्षा में है, तो वह मतदान नहीं करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधार में कोई बात उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगी, जो तत्समय प्रचलित किसी विधि के अन्तर्गत निवारक निरोध के अधीन हो।

43–– {xxx}[2]

44–– किसी कक्ष के प्रत्येक निर्वाचन में, जहां मतदान लिया जाय, मत गूढ़शलाका {अथवा वोटिंग मशीन}[5] द्वारा दिये जायेंगे तथा कोई मत प्रतिनिधिक मतदान द्वारा नहीं लिया जायगा। मतदान की रीति

निर्वाचनों का संचालन

{45–– {(1)}[4] निगम के नगर प्रमुख, उपनगर–प्रमुख और सभासदों के निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।}[3] निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण आदि

{(2) उपधारा (1) के अधीन रहे हुए धारा 39 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) निगम के नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख और सभासदों के निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा।}[4]

{(3) {राज्य निर्वाचन आयोग सभी निर्वाचनों में प्रत्येक प्रत्याशी से नामांकन पत्र के साथ उसकी पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाओं के साथ अन्य सूचनाएं, जैसा आवश्यक समझे, का शपथ–पत्र के साथ घोषणा–पत्र प्राप्त करेगा और मतदाताओं को उसकी जानकारी कराने के लिए खण्ड (ग) तथा (ङ) की सूचनाओं को छोड़कर सार्वजनिक करायेगा :–}[6]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 33 द्वारा निकाला गया।
3. उपर्युक्त की धारा 34 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 26 वर्ष 1995 के अध्याय–दो की धारा 15 द्वारा अन्तर्विष्ट।
5. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 19 वर्ष 2002 की धारा 6 द्वारा अन्तर्विष्ट।
6. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 06 वर्ष 2003 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) क्या वह अतीत में किसी अपराधिक मामले में दोषी पाया गया है? दोष मुक्त हुआ है? आरोप से उन्मोचित हुआ है? या दोषी पाए जाने की स्थिति में उसे दण्ड या अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है?

(ख) नामांकन भरने से छः माह पूर्व क्या अभ्यर्थी किसी ऐसे लम्बित मामले में अभियुक्त रहा है, जिसमें दो वर्ष या अधिक की सजा हो सकती है व मामले में आरोप निर्धारित हो चुके हों या न्यायालय ने संज्ञान लिया हो, का विवरण;

(ग) वह और उसके पति या पत्नी तथा आश्रितों की चल, अचल सम्पत्तियों, बैंक बैलेंस आदि से सम्बन्धित पूर्ण सूचना;

(घ) उस पर देनदारियों विशेषकर उसके द्वारा किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या सरकार की अवशेष राशि का समय से भुगतान न करने की दशा में, उसका पूर्ण विवरण;

(ङ) उसकी आय के साधन तथा वर्तमान मासिक/वार्षिक आय का पूर्ण विवरण;

(च) वह विवाहित अथवा अविवाहित;

(छ) उसके कुल बच्चों की संख्या और उनकी आयु व शिक्षा पर व्यय का विवरण;

(ज) उसकी आयकर तथा भूमि–भवनकर, प्रक्षेपकर/शुल्क के रूप में भुगतान की जाने वाली वार्षिक धनराशि का पूर्ण विवरण;

(झ) उसकी शैक्षिक योग्यता का विवरण।}[5]

निर्वाचनों के संचालन सम्बन्धी आदेश

46–– किसी मामले के संबंध में, जहां तक इस अधिनियम द्वारा उपबन्ध नहीं बनाये गये हैं, {राज्य निर्वाचन आयोग}[3] आदेश द्वारा नगर प्रमुख तथा उपनगर प्रमुख के पदों तथा {xxx}[1] सभासदों के स्थानों के निर्वाचकों से संबंधित मामलों की व्यवस्था कर सकती है, अर्थात्–

(क) {xxx}[4]

(ख) निर्वाचन अधिकारियों, सहायक निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचन अध्यक्षों तथा मतदान अधिकारियों और क्लर्कों की नियुक्ति, उनके अधिकार और कर्तव्य,

(ग) नाम–निर्देशन, परीक्षण, नाम वापस लेने तथा मतदान के लिए दिनांकों को निश्चित् करना,

(घ) वैध नाम निर्देशन–पत्र प्रस्तुत करने की रीति तथा तदर्थ अपेक्षायें, नाम निर्देशनों का परीक्षण तथा उम्मेदवारी से नाम वापस लेना,

(ङ) निर्वाचन अभिकर्त्ताओं, मतदान अभिकर्ताओं तथा गणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति तथा उनके कर्तव्य,

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 12, 1977 की धारा 14 (क) द्वारा निकाला गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 35 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 35 (ख) द्वारा निकाला गया।
5. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 19 वर्ष 2002 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया।

(च) सामान्य निर्वाचनों के विषय में प्रक्रिया, जिसमें मतदान के पूर्व ही किसी उम्मेदवार की मृत्यु हो जाना भी है, सविरोध एवं निर्विरोध निर्वाचनों की प्रक्रिया,

{xxx}[7];

(छ) मतदाताओं की पहचान

(ज) मतदान का समय,

(झ) मतदान का स्थगित किया जाना तथा फिर से मतदान करना,

(ञ) निर्वाचनों में मतदान की रीति

(ट) मतों का परीक्षण तथा उनकी गणना और पुनर्गणना तथा मतों की संख्या की सामानता की दशा में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया और परिणामों की घोषणा,

(ठ) सभासद, {xxx}[1] नगर प्रमुख अथवा उपनगर प्रमुख के रूप में निर्वाचित व्यक्तियों के नामों की विज्ञप्ति,

(ड) जमा की हुई धनराशियों की वापसी तथा जब्ती,

(ढ) निर्वाचन अध्यक्ष, मतदान अभिकर्ता तथा अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान की रीति, जो किसी कक्ष में निर्वाचक होने के कारण मतदान के अधिकारी है, किन्तु जो किसी ऐसे पोलिंग स्टेशन पर कार्य के लिये नियुक्त किया गया है, जहां वह मतदान का अधिकारी नहीं है,

(ण) प्रक्रिया, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान के संबंध में अनुसरित की जायगी जो अपने को ऐसा निर्वाचक बतलाता है, जिसके नाम से कोई अन्य व्यक्ति मत दे चुका है,

(त) मतदान बक्सों, मत–पत्रों तथा निर्वाचन संबंधी अन्य कागज–पत्रों की अभिरक्षा, अवधि, जब तक के लिये उन्हें सुरक्षित रखना है तथा ऐसे कागज पत्रों का निरीक्षण करना तथा उन्हें प्रस्तुत करना,

(थ) {xxx}[6]

(द) निर्वाचन पत्रों की प्रतियों को जारी करना तथा उन प्रतियों के लिये मूल्य निर्धारित करना,

(ध) {{xxx}[8] उप नगर प्रमुख}[4] के निर्वाचन {xxx}[2] के लिये सभासदों {xxx}[2] की सूची रखना और

(न) सामान्यतया निर्वाचनों के संचालन संबंधी अन्य सभी विषय।

निर्वाचकों का न हो पाना

47–– (1) यदि सभासद {xxx}[3] के किसी निर्वाचन में कोई स्थान बिना पूर्ति के रह जाता है, तो उस रिक्ति की पूर्ति के लिये फिर से निर्वाचन होगा।

---

1. उ.प्र. अधि. सं. 12, 1977 की धारा 14 (ख) द्वारा निकाला गया।
2. उपर्युक्त की धारा 14 (ग) द्वारा निकाला गया।
3. उपर्युक्त की धारा 15 (क) द्वारा निकाला गया।
4. उ.प्र. अधिनियम सं. 17, 1982 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 35(ख) द्वारा निकाला गया।
7. उपर्युक्त की धारा 35(ग) द्वारा निकाला गया।
8. उपर्युक्त की धारा 35 (घ) द्वारा निकाला गया।

(2) निर्वाचन के संचालन तथा सभासद {XXX}[2] के कार्य–काल के निर्धारण के लिये उपधारा (1) के अधीन हुए निर्वाचन के विषय में यह समझा जायगा कि वह आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिये हुआ है।

निर्वाचन अपराध

48–– {(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग सात के अध्याय तीन की धारा 125, 126, 127, 127–क, 128, 129, 130, 131, 134, 134–क, 135, {135–क}[10] और 136 के उपबन्ध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानों–

(क) किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में आया हुआ निर्देश इस अधिनियम के अधीन किये गये निर्वाचन का निर्देश हो,

(ख) शब्द ''निर्वाचन क्षेत्र'' के स्थान पर शब्द'' कक्ष'' रख दिया गया हो,

(ख ख) धारा 127–क की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (1) में, शब्द ''मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी'' के स्थान पर शब्द {''मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय)''}[9] रख दिये गये हों,

(ग) धारा 134 और 136 में, शब्द ''इस अधिनियम के द्वारा या अधीन'' के स्थान पर शब्द ''उत्तर प्रदेश {नगर निगम अधिनियम}[7], 1956 के द्वारा या अधीन'' रख दिये गये हों।}[3]

(2) यदि {''मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय)''}[9] को यह विश्वास करने का कारण हो कि {निगम}[6] के किसी निर्वाचन के संबंध में उक्त अध्याय की धारा 129 या 134 {या 134–क}[4] अथवा धारा 136 की उपधारा (2) के खंड (ए) के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है, तो वह ऐसी जांच करा सकता है और ऐसे अभियोजन चला सकता है, जो उसे परिस्थितियों को देखते हुये आवश्यक प्रतीत हो।

(3) धारा 129 अथवा 134 {अथवा 134–क}[5] के अधीन अथवा धारा 136 की उपधारा (2) के खंड (ए) के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध की सुनवाई कोई न्यायालय तब तक न करेगा जब तक कि {''मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय)''}[9] की आज्ञा द्वारा अथवा उसके अधिकार के अधीन कोई शिकायत न की जाय।

सिविल न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक

{49–– किसी सिविल न्यायालय को निम्नलिखित की अधिकारिता न होगी –

(क) इस प्रश्न को ग्रहण करना या उस पर निर्णय देना कि कोई व्यक्ति किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में पंजीयन या पात्र है या नहीं, या

{(ख) निर्वाचक नामावली के तैयार करने और प्रकाशन के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन की गयी किसी कार्यवाही की वैधता पर आपत्ति करना; या}[8]

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 12, 1977 की धारा 15 (क) द्वारा निकाला गया।
2. उपर्युक्त की धारा 15 (ख) द्वारा निकाला गया।
3. उ.प्र. अधिनियम, सं. 35, 1978 की धारा 9 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 9 (ख) द्वारा अन्तर्विष्ट।
5. उपर्युक्त की धारा 9 (ग) द्वारा अन्तर्विष्ट।
6. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उपर्युक्त की धारा 36 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उपर्युक्त की धारा 37 द्वारा प्रतिस्थापित।
9. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 26 वर्ष 1995 के अध्याय–दो की धारा 16(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
10. उपर्युक्त की धारा 16 (ख) द्वारा बढ़ाया गया।

(ग) निर्वाचक अधिकारी द्वारा या किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा की गयी किसी कार्यवाही या किसी विनिश्चय की वैधता पर आपत्ति करना।}[2]

निर्वाचन और रिक्ति के लिए अधिसूचना

{50—– किसी निगम के गठन या पुनर्गठन के प्रयोजन के लिए एक सामान्य निर्वाचन कराया जायगा।

(2) उक्त प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऐसे दिनांक को, जिसकी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सिफारिश की जाय, नगर में सभी कक्षों को, इस अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाये गये नियमों और आदेशों के अनुसार सभासदों और नगर प्रमुख का निर्वाचन करने के लिए, आहूत करेगी।

(3) यदि मृत्यु या त्याग—पत्र या किसी अन्य कारण से नगर प्रमुख, उपनगर प्रमुख या किसी सभासद के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति होती है तो, यथास्थिति ऐसा पद या स्थान राज्य सरकार द्वारा, सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, रिक्त घोषित कर दिया जायेगा।

(4) जब कोई पद या स्थान रिक्त घोषित कर दिया गया हो तो राज्य निर्वाचन आयोग सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा सम्बन्धित कक्ष या, यथास्थिति, सभासदों को इस अधिनियम के उपबनधों और इसके अधीन बनाये गये नियमों या आदेशों के अनुसार ऐसी रिक्ति को भरने के प्रयोजन से, ऐसे दिनांक के पूर्व, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, किसी व्यक्ति का निर्वाचन करने के लिए आहूत करेगा।}[5]

कार्यकारिणी—समिति

कार्यकारिणी समिति का संगठन तथा अवधि

51—– (1) कार्यकारिणी समिति :

(क) {नगर प्रमुख}[1] जो पदेन कार्यकारिणी समिति का सभापति होगा, तथा

(ख) ऐसे 12 व्यक्तियों को, जो {निगम}[4] द्वारा सभासदों {xxx}[3] में से चुने जायेंगे, से मिलकर बनेगी।

{(2) उपनगर प्रमुख कार्यकारिणी समिति का पदेन उपसभापति होगा।}[6]

(3) {***}[7]

(4) उपधारा (1) के खंड (ख) में अभिदिष्ट व्यक्ति {निगम}[4] द्वारा सामान्य निर्वाचन के पश्चात् होने वाले उसके प्रथम अधिवेशन में निर्वाचित किये जायेंगे।

(5) कार्यकारिणी समिति के आधे सदस्य प्रत्येक अनुगामी वर्ष में उस महीने की पहली तारीख के मध्यान्ह में, जिसमें कि उपधारा (4) में उल्लिखित {निगम}[4] का पहला अविधेशन निष्पन्न हुआ था, सेवानिवृत्त हो जाया करेंगे :

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 41, 1976 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ.प्र. अधिनियम सं. 12, 1977 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 17 द्वारा निकाला गया।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 38 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उत्तरांचल अधिनियम सं0 12 वर्ष 2005 की धारा 4 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उपर्युक्त की धारा 4 (ख) द्वारा निकाला गया।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब सामान्य निर्वाचन सम्पन्न हो, जब कार्यकारिणी समिति के समस्त पदासीन सदस्य उपधारा (4) के अधीन नयी समिति के निर्वाचित होने पर सेवा–निवृत्त हो जायेंगे।

(6) वे सदस्य, जो उपधारा (5) के अधीन अपने उपधारा (4) के अन्तर्गत निर्वाचन के एक वर्ष पश्चात् सेवा–निवृत हों, उपधारा (5) में निर्दिष्ट सेवा–निवृत्ति के पूर्व ऐसे समय और रीति से, जिसे कार्यकारिणी समिति का सभापति अवधारित करे, लाटरी डालकर निर्धारित किये जायेंगे तथा अनुगामी वर्षों में वही सदस्य इस धारा के अधीन सेवा–निवृत होंगे, जिनका कार्य काल अधिकतम रहा हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस सदस्य की दशा में, जो पुनर्नियुक्त हुआ हो, उसके इस उपधारा कि प्रयोजनों के निमित्त कार्यकाल का आकलन उसकी पुनर्नियुक्ति के दिनांक से किया जायगा।

(7) {निगम}[2] उपधारा (5) में निर्दिष्ट सेवा–निवृत्ति के दिनांक से ठीक पूर्व पड़ने वाले महीने में निष्पन्न अपने अधिवेशन में कार्यकारिणी समिति के नये सदस्य उन व्यक्तियों के पदों की पूर्ति करने के निर्मित नियुक्त करेगी जिन्हें उक्त दिनांक पर सेवा निवृत्त होना हो।

(8) समिति के किसी सदस्य के स्थान की आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसके शेष कार्यकाल तक के लिए एक सदस्य निर्वाचित करके की जायगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि शेष अवधि दो मास से कम की है, तो उस रिक्ति की पूर्ति नहीं की जायगी जब तक कि {निगम}[2] अन्यथा संकल्प न करे।

(9) सेवा–निवृत्त होने वाला सदस्य पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा।

कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन

52–– कार्यकारिणी समिति के सदस्यों तथा उसके उप–सभापति का निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गढ़शला का द्वारा होगा।

कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का पदत्याग

53–– कार्यकारिणी समिति का कोई भी सदस्य, जो अपना पद त्याग करना चाहे, नगर–प्रमुख को सम्बोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा ऐसा कर सकता है और वह नगर–प्रमुख को प्राप्त होन के साथ ही प्रभावी हो जायगा।

विकास समिति

विकास समिति का संगठन तथा उसका कार्यकाल

54–– (1) विकास समिति–

(क) उपनगर प्रमुख, जो कि इसका पदेन सभापित होगा,

(ख) {XXX}[1] सभासदों में से {निगम}[2] द्वारा निर्वाचित किये जाने वाले दस व्यक्तियों, तथा

(ग) ऐसे दो व्यक्तियों, जो खंड (क) और (ख) में उल्लिखित सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में, से जिन्हें उक्त सदस्यों की राय में {निगम}[2] के प्रशासन अथवा सुधार, विकास या नियोजन संबंधी विषयों का अनुभव हो, संयोजित किये जायेंगे, से मिलकर बनेगी।

---

1. उ.प्र. अधि. सं. 12, 1977 की धारा 18 द्वारा निकाला गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) विकास समिति अपने प्रथम अधिवेशन में तथा तत्पश्चात् उप–सभापति के पद मे रिक्ति होने के कारण जब कभी भी आवश्यक हो अपने निर्वाचित सदस्यों में से एक को अपना उप–सभापति निर्वाचित करेगी।

(3) उप–सभापति सदस्य न रहने पर यथाशीघ्र पद छोड़ देगा।

(4) संयोजित सदस्य को विकास समिति अथवा उसकी किसी उप समिति में, जिसका वह सदस्य हो, भाषण करने तथा उनकी कार्यवाहियों में अन्य प्रकार से भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का अधिकारी न होगा।

(5) संयोजित सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष होगा।

(6) उपधारा (1) के खंड (ख) में अभिदिष्ट व्यक्ति {निगम}[1] द्वारा सामान्य निर्वाचिनों के पश्चात् होने वाले उसके पहले अधिवेशन में निर्वाचित किये जायेंगे।

(7) विकास समिति के आधे सदस्य प्रत्येक अनुगामी वर्ष में उस महीने के पहले दिन के मध्यान्ह में, जिसमें कि उपधारा (6) में उल्लिखित {निगम}[1] का पहला अधिवेशन निष्पन्न हुआ था, सेवा–निवृत्त हो जाया करेंगे;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब सामान्य निर्वाचन सम्पन्न हो तब विकास समिति समस्त पदासीन सदस्य उपधारा (6) के अधीन नयी समिति के निर्वाचित होने पर सेवा निवृत्त होंगे।

(8) वे सदस्य, जो उपधारा (7) के अधीन, अपने उपधारा (6) के अधीन निर्वाचन के एक वर्ष पश्चात् सेवा निवृत्त होंगे, उपधारा (7) में निर्दिष्ट सेवा निवृत्ति के दिनांक के पूर्व ऐसे समय और रीति से, जिसे विकास सिमिति का सभापति अवधारित करे, लाटरी डालकर चुने जायेंगे तथा अनुगामी वर्षों में वे ही सदस्य इस धारा के अधीन सेवा–निवृत्त होंगे, जिनका कार्यकाल अधिकतम रहा हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस सदस्य की दशा में, जो पुनर्नियुक्त हुआ हो, उसके इस उपधारा के प्रयोजनों के निमित्त कार्यकाल का आकलन उसकी पुनर्नियुक्ति के दिनांक से किया जायगा।

(9) {निगम}[2] उपधारा (7) में निर्दिष्ट सेवा–निवृत्ति के दिनांक से ठीक पूर्व पड़ने वाले महीने में निष्पन्न अपने अधिवेशन में विकास समिति के नये सदस्य उन व्यक्तियों के पदों की पूर्ति करने के निमित्त नियुक्त करेगी, जिन्हें उक्त दिनांक पर सेवा–निवृत्त होना हो।

(10) समिति के किसी सदस्य के स्थान की आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति पद से हटने वाले सदस्य के शीर्ष कार्यकाल तक के लिए की जायेगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त शेष अवधि दो मास से कम की है तो उस रिक्ति की पूर्ति नहीं की जायगी जब तक कि {निगम}[1] अन्यथा संकल्प न करे।

(11) सेवा–निवृत्त होने वाला कोई सदस्य, चाहे वह निर्वाचित रहा हो अथवा संयोजित, पुनर्निर्वाचन अथवा पुनसंयोजना का पात्र होगा।

विकास समिति के सदस्यों का निर्वाचन

55–– विकास समिति के सदस्यों तथा उसके उप–सभापति का निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धित के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गढ़ शकाला द्वारा होगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

56–– विकास समिति का कोई भी सदस्य, जो अपना पद त्याग करना चाहे अपने हस्ताक्षर सहित लिखित त्यागपत्र नगर प्रमुख को प्रस्तुत कर सकता है और ऐसा त्यागपत्र नगर प्रमुख को मिल जाने पर प्रभावी हो जायेगा। विकास समिति के सदस्यों का पद–त्याग

धारा 5 के खंड (ङ) के अधीन संगठित समितियां

57–– (1) धारा 5 के खंड (ङ) के अधीन संगठित किसी समिति में उतने ही सदस्य होंग, जितने कि {निगम}[1] निर्धारित करे, किन्तु उनकी संख्या 12 से अधिक न होगी। धारा 5 के खंड (ङ) के अधीन समितियों का संगठन

(2) राज्य सरकार के एतदर्थ किन्हीं ऐसे निदेशों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए उपधारा (1) में उल्लिखित किसी समिति के सदस्य अपने में से एक सभापति तथा एक उप सभापति चुनेंगे तथा सभापति अथवा उपसभापति के पद की आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति नये निर्वाचन द्वारा करेंगे।

(3) कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की पदावधि तथा निर्वाचन की रीति से संबद्ध उपबन्ध धारा 5 के खंड (ङ) के अधीन संगठित किसी समिति पर यथाशक्य लागू होंगे।

[2]{57–क–– (1) सम्पूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए प्रत्येक महानगर क्षेत्र में एक महानगर योजना सिमति संगठित की जायेगी। महानगर योजना समिति

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट महानगर योजना समिति एक अध्यक्ष, जो नियमों द्वारा नियत रीति से चुना जायगा और इक्कीस से अन्यून और तीस से अनधिक इतनी संख्या में सदस्यों से, जो राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, मिलकर बनेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट कुल सदस्यों की सख्या में से–

(क) दो तिहाई सदस्य महानगर क्षेत्र में {नगर निगमों}[3] के निर्वाचित सदसरूों और पंचायतों के अध्यक्षें द्वारा और उस क्षेत्र में {नगर निगमों}[3] की और पंचायतों की जनसंख्या के बीच अनुपात के अनुसार अपने में से निर्वाचित किये जायेंगेः

(ख) एक तिहाई सदस्य राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से नाम–निर्दिष्ट किये जायेंगे :–

(एक) एक अधिकारी, जो केन्द्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय में उपसचिव से अनिम्न स्तर का न हो;

(दो) एक अधिकारी, जो राज्य सरकार के नगर विकास विभाग में संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर का हो;

(तीन) एक अधिकारी, जो राज्य सरकार के वन विभाग में संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर का हो;

(चार) मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश;

(पाँच) निदेशक, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश;

(छः) उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 के अधीन स्थापित जल निगम का प्रबन्ध निदेशक;

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 39 द्वारा अन्तर्विष्ट।
3. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 4 वर्ष 2008 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

(सात) उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 के अधीन स्थापित महानगर क्षेत्र में स्थित जल संस्थान का महाप्रबन्धक;

(आठ) लोक निर्माण विभाग का एक अधीक्षण अभियंता;

(नौ) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का एक अधीक्षण अभियंता।

(4) उपधारा (3) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट महानगर योजना समिति का निर्वाचित सदस्य जिस पद पर होने के आधार पर ऐसा सदस्य बना था, उस पद पर न रहने पर समिति का सदस्य न रह जायेगा।

(5) उपधारा (3) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) में निर्दिष्ट कोई सदस्य शहरी विकास विभाग में भारत सरकार के सचिव की सिफारिश पर नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा।

(6) सदस्यों की कोई रिक्ति महानगर योजना समिति के संगठन या पुनस्संगठन में बाधक नहीं होगी।

(7) महानगर योजना समिति विकास योजना प्रारूप तैयार करने में –

(क) निम्नलिखित का ध्यान रखेगी ––

(एक) महानगर क्षेत्र में नगर पालिकाओं और पंचायतों द्वारा तैयार की गयी योजनाएं;

(दो) नगर पालिकाओं और पंचायतों के बीच सामान्य हित के मामले, जिनके अन्तर्गत उस क्षेत्र की समन्वित स्थानिक योजना, जल और अन्य भौतिक तथा प्राकृतिक साधनों में हिस्सा, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण है;

(तीन) भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा निश्चित समस्त उद्देश्य और प्राथमिकताएं;

(चार) उन विनिधानों की सीमा और प्रकृति, जो भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकारणों द्वारा महानगर क्षेत्र में किए जाने सम्भाव्य हैं तथा अन्य उपलब्ध साधन चाहे वे वित्तीय हों या अन्य;

(ख) ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी, जिन्हें राज्यपाल, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(7) महानगर विकास समिति का अध्यक्ष ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की गई विकास योजना राज्य सरकार को भेजेगा।

स्पष्टीकरण–– इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''नगर पालिका'' का तात्पर्य नगर निगम, नगर पालिका परिषद् और नगर पंचायत से है।}[2]

मुख्य नगराधिकारी

मुख्य नगर अधिकारी और अपर मुख्य नगर अधिकारी की नियुक्ति

{58–– राज्य सरकार प्रत्येक नगर निगम के लिए एक मुख्य नगर अधिकारी और एक या अधिक अपर मुख्य नगर अधिकारी, जैसा वह उचित समझे, नियुक्त करेगी :

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 39 द्वारा अन्तर्विष्ट।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति, जो पहले से {राज्य सरकार की सेवा में नहीं है, तब तक मुख्य नगर अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायगा}[7] जब तक कि राज्य लोक सेवा आयोग उसकी नियुक्ति का अनुमोदन न कर दे :}[5]

{किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी व्यक्ति को अपर मुख नगर अधिकारी के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि वह निगम का ज्येष्ठतम वेतनमान में उप नगर अधिकारी न हो।}[8]

{मुख्य नगर अधिकारी और अपर मुख्य नगर अधिकारी}[6] के वेतन और भत्ते आदि

59–– (1) मुख्य नगर अधिकारी {और अपर मुख्य नगर अधिकारी}[6] {निगम}[4] निधि में उतना मासिक वेतन और ऐसे भत्ते प्राप्त करेगा, जो राज्य सरकार समय–समय पर निर्धारित करे।

(2) नियोजन की अन्य शर्तें, जिनमें छुट्टियां, पेंशन तथा भविष्य–निधि में अंशदान भी सम्मिलित है, वे होंगी, जिन्हें राज्य सरकार विहित करें।

निर्वाचनों से संबंद्ध विवाद

जब तक आपित्त आदि न की जाय निर्वाचन मान्य होगा

60–– इस अधिनियम के अधीन किसी भी निर्वाचन के संबंध में इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन की गयी व्यवस्था के अनुकुल आपत्ति न की जायगी।

{नगर प्रमुख या उप नगर प्रमुख}[3] के निर्वाचन पर आपत्ति करना

61–– (1) किसी व्यक्ति के {नगर–प्रमुख या उप नगर–प्रमुख}[3] के रूप में निर्वाचन पर उक्त निर्वाचन का कोई भी असफल उम्मेदवार अथवा कोई भी व्यक्ति, जिसका निर्वाचन पत्र अस्वीकार कर दिया गया हो अथवा {निगम}[4] का कोई भी सदस्य नगर में क्षेत्राधिकार युक्त जिला जज के समक्ष धारा 71 में उल्लिखित एक या एकाधिक आधारों पर याचिका प्रस्तुत करके आपत्ति कर सकता है।

(2) याचिका निर्वाचन फल घोषित होने के सात दिन के भीतर प्रस्तुत की जायगी।

सभासद के निर्वाचन पर आपत्ति करना

62–– {(1) सभासद के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन पर, निर्वाचन में असफल किसी व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसका निर्वाचन में नाम–निर्देशन–पत्र अस्वीकार कर दिया गया हो या सम्बन्ध कक्ष के निर्वाचक द्वारा आपत्ति की जा सकती है।}[1]

(2) याचिका धारा 71 में उल्लिखित एक या एकाधिक आधारों पर प्रस्तुत की जा सकती है।

(3) किसी व्यक्ति के {XXX}[2] सभासद के रूप में निर्वाचन पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी कि किसी व्यक्ति का नाम, जो मत देने के लिए अर्ह था, निर्वाचन सूची अथवा सूचियों में लुप्त कर दिया गया है अथवा किसी व्यक्ति का नाम, जो मत देने के लिए अर्ह नहीं था, निर्वाचन–सूची अथवा सूचियों में सम्मिलित कर दिया गया है।

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 12, 1977 की धारा 19 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 19(ख) द्वारा निकाला गया।
3. उ. प्र. अधिनियम सं. 17, 1982 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 40 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 41(क) तथा (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 26 वर्ष 1995 के अध्याय–दो की धारा 17(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उपर्युक्त की धारा 17(ख) द्वारा बढ़ाया गया।

{(4) याचिका, निर्वाचन के परिणम की घोषणा के 30 दिन के भीतर नगर में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले जिला जज को प्रस्तुत की जायगी।}[3]

63–– (1) निर्वाचन आवेदन में वह या वे आधार निर्दिष्ट रहेंगे, जिन पर प्रतिवादी के निर्वाचन के सम्बन्ध में आपत्ति की गयी हो और उसमें उन वास्तविक तथ्यों का भी संक्षिप्त उल्लेख होगा जिन पर आवेदन आश्रय करता है। उसमें उस भ्रष्टाचार के, जिसके विषय में आवेदन का कथन है कि उसका व्यवहार हुआ पूरे विवरण उल्लिखित किये जायेंगे और उन पक्षों के नाम, जिनके संबंध में यह कहा गया है कि उन्होंने भ्रष्टाचार का व्यवहार किया है तथा इस प्रकार किये गये भ्रष्टाचार का दिनांक और स्थान आदि के संबंध में यथासंभव पूरा ब्यौरा दिया जायगा। आवेदन का आकार–पत्र तथा उसका विषय

(2) आवेदन पर और यदि उसके साथ कोई अनुसूची अथवा संलग्नक हो तो ऐसी अनुसूची अथवा संलग्नक पर भी आवेदन के हस्ताक्षर होंगे तथा वह ऐसी रीति से प्रमाणीकृत होग, जो कोर्ड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 में पक्ष निवेदनों के प्रमाणीकरण के लिए निर्दिष्ट की गयी है। 1908 का ऐक्ट 5

(3) आवेदन ––

(क) यदि वह धारा 64 {XXX}[1] के अधीन किसी घोषणा का दावा करता है तो अपने से भिन्न अन्य सभी प्रतिद्वन्द्वी उम्मीदवारों को तथा अन्य किसी दशा में सभी निर्वाचित उम्मीदवारों को, और

(ख) अन्य ऐसे उम्मीदवारों को, जिसके विरुद्ध आवेदन में भ्रष्टाचार आरोप किया गया है।

अपने आवेदन में प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित करेगा।

64–– आवेदन यह दावा करने के अतिरिक्त कि समस्त अथवा किसी सफल उम्मीदवारों का निर्वाचन शून्य है, इस घोषणा के लिए भी दावा कर सकता है कि वह स्वयं अथवा अन्य कोई उम्मीदवार यथोचित रूप से निर्वाचित हुआ है। अनुतोष, जिसका आवेदन दावा कर सकता है

65–– (1) यदि किसी निर्वाचन आवेदन में किसी ऐसी घोषणा का दावा किया गया हो कि निर्वाचित उम्मीदवार से भिन्न कोई उम्मीदवार विधिवत् निर्वाचित हुआ है तो निर्वाचित उम्मीदवार अथवा अन्य कोई पक्ष यह सिद्ध करने के लिए साक्ष्य दे सकता है कि यदि उक्त उम्मीदवार निर्वाचित हो गया होता और उसके निर्वाचन के सम्बन्ध में आपत्ति करने वाले प्रस्तुत किया गया होता तो उस उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य हो गया होता : प्रत्यारोपण

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि निर्वाचित उम्मीदवार अथवा उपर्युक्त कोई अन्य पक्ष उक्त साक्ष्य देने का तब तक अधिकारी न होगा जब तक कि उसने–यदि वह निर्वाचन, जिसके संबंध में आपत्ति की गयी हो, {XXX}[2] सभासद का हो तो उस पर निर्वाचन आवेदन के नोटिस तामील होने के 21 दिन के भीतर तथा अन्य सभी दशाओं में 3 दिन के भीतर–निर्वाचन आवेदन की सुनवाई करने वाले जिला जज को अपने उक्त आशय का नोटिस न दे दिया हो और धारा 79 में विहित प्रतिभूति यदि कोई हो, न तो दी हो।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक नोटिस के साथ निर्वाचन याचिका की दशा में धारा 63 द्वारा अपेक्षित विनिर्देशन, विवरण तथा ब्योरे दिये जायेंगे तथा वे उसी रीति से हस्ताक्षरित और सत्यापित किये जायेंगे।

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 21, 1964 की धारा 8 द्वारा निकाला गया।
2. उ.प्र. अधिनियम सं. 12, 1977 की धारा 20 द्वारा निकाला।
3. उपर्युक्त की धारा 19(ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

आवेदन कब खारिज किया जायगा

66—— यदि कोई निर्वाचन याचिका इस अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत न की गयी हो अथा प्रतिभूति जमा करने के संबंध में धारा 79 के अधीन बनाये गये उपबन्धों का पालन न किया गया हो अथवा उस पर निर्दिष्ट समय के भीतर आवश्यक मुद्रांक शुल्क न दिया गया हो तो जिला जज तत्काल उसे अस्वीकार कर देगा।

आवेदन की सुनवाई की प्रक्रिया

67—— (1) जिला जब किसी ऐसे निर्वाचन आवेदन की, जो धारा 66 के अधीन खारिज न किया गया हो, सुनवाई करेगा।

(2) आवेदन की सुनवाई करने वाला जिला जज ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो धारा 79 के अधीन विहित की जाय।

आवेदन का स्थानान्तरण

68—— (1) निर्वाचन आवेदन से सम्बद्ध किसी पक्ष के प्रार्थना—पत्र पर तथा अन्य पक्षों को नोटिस देने के पश्चात् और ऐसे पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात् जो सुनवाई चाहते है, अथवा बिना किसी प्रकार की नोटिस दिये हुये स्वतः किसी भी समय, हाईकोर्ट—

(क) किसी जिला जज के पास विचाराधीन किसी निर्वाचन आवेदन को सुनवाई के लिए किसी अन्य जिला जज को स्थानान्तरित कर सकता है, अथवा

(ख) सुनवाई के लिए ऐसे आवेदन को उस जिला जज को पुनः स्थानांतरित कर सकता है, जिसके यहां से वह आवेदन हटा लिया गया था।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन कोई निर्वाचन आवेदन स्थाना अथवा पुनः स्थानांतरित किया गया हो तो वह जिला जज को तत्पश्चात् उक्त आवेदन की सुनवाई करेगा, स्थानांनतरण की आज्ञा में किसी अनुकूल निर्देश के अधीन रहते हुये, ऐसे अवस्थान से सुनवाई आरम्भ कर सकता है जिस अवस्थान से वह स्थानान्तरित अथवा पुनः स्थानांतरित किया गया था :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि वह उचित समझे जो ऐसे साक्षियें को, जिसको पहले गवाही हो चुकी थी, पुनः बुला सकता है और उनका पुनः परीक्षण कर सकता है।

आवेदन पर निर्णय

69—— यदि सुनवाई के समय आवेदन अन्य प्रकार से अस्वीकृत न हुआ हो तो जिला जज निर्वाचन आवेदन की सुनवाई हो जाने के पश्चात्——

(क) निर्वाचन आवेदन की खारिज करने की, अथवा

(ख) समस्त अथवा किसी निर्वाचित को शून्य घोषित करने की, अथवा

(ग) समस्त अथवा किसी निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन को शून्य घोषित करने तथा आवेदन अथवा अन्य किसी उम्मीदवार को यथाविधि निर्वाचित घोषित करने की आज्ञा देगा।

आवेदन के निस्तारण करते हुये अन्य आज्ञाओं का दिया जाना

70—— धारा 69 के अधीन कोई आज्ञा देते समय जिला जज ऐसी आज्ञा भी देगा, जिसमें—

(क) यदि आवेदन में यह दोषारोपण है कि निर्वाचन में कोई भ्रष्टाचरण किया गया है, तो

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(1) ऐसी आपत्ति को कि निर्वाचन में किसी उम्मीदवार अथवा उसके अभिकर्ता द्वारा अथवा उनकी सहमति से किया गया कोई भ्रष्टाचरण सिद्ध हो गया है या नहीं सिद्ध हुआ है और उस भ्रष्टाचार के प्रकार को, और

(2) ऐसे समस्त व्यक्तियों के नामों को, यदि कोई हो, जिनके बारे में सुनवाई के समय यह सिद्ध हो गया हो कि किसी भ्रष्टाचार के दोषी हैं और ऐसे आचारण के प्रकार को अभिलिखित किया हो, तथा

(ख) देय वाद–व्ययों को निर्दिष्ट किया हो और उन व्यक्तियों को भी निर्दिष्ट किया हो, जिनके द्वारा अथवा जिन्हें वे व्यय अदा किये जायेंगे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खंड (क) के उपखंड (2) के अधीन दी गयी आज्ञा में किसी व्यक्ति का नाम तब तक नही दिया जायगा जब तक कि ———

(क) उसे जिला जज के समक्ष उपस्थित होने तथा यह कारण दिखाने का नोटिस न दिया गया हो कि एतदर्थ उसका नाम क्यों न लिखा जाय, और

(ख) यदि नोटिस के अनुसार वह उपस्थित होता तो जब तक उसे किसी ऐसे गवाह से, जिसका जिला जज ने पहले ही परीक्षण कर लिया हो तथा जिसने उस व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य दिया हो, जिरह करने का और अपनी सफाई में साक्ष्य देने और सुने जाने का अवसर न दिया हो।

निर्वाचन को शून्य घोषित करने के आधार

71—— यदि जिला जज का मत हो कि ———

(क) अपने निर्वाचन के दिनांक पर कोई निर्वाचित उम्मीदवार इस अधिनियम के अधीन उक्त स्थान की पूर्ति के निमित्त चुने जाने के लिये अर्ह नहीं था अथवा अनर्ह था, अथवा

(ख) निर्वाचित उम्मीदवार अथवा उसके अभिकर्ता अथवा निर्वाचित उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारा 78 में निर्दिष्ट कोई भ्रष्टाचार किया गया है, अथवा

(ग) कोई निर्वाचन–पत्र अनुचित रूप से अस्वीकार किया गया है, अथवा

(घ) निर्वाचन फल पर जहां तक उसका सम्बन्ध निर्वाचित उम्मीदवार से है–

(1) कोई निर्वाचन–पत्र अनुचित रूप से स्वीकार किये जाने से, अथवा

(2) निर्वाचित उम्मीदवार के हित में किये गये किसी भ्रष्टाचार से जिसे, निर्वाचित उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता अथवा ऐसे उम्मीदवार या निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति ने किया, अथवा

(3) किसी मत के अनुचित रूप से ग्रहण करने, न लेने अथवा अस्वीकार कर देने या किसी ऐसे मत के ग्रहण करने से जो शून्य हो, अथवा

(4) इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा उसके अधीन बने किन्हीं नियमों अथवा दी गयी किन्हीं आज्ञाओं का अनुपालन करने के कारण, सारवान प्रभाव पड़ा है,

तो जिला जज निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन को शून्य घोषित करेगा।

आधार, जिन पर निर्वाचित उम्मीदवार से भिन्न कोई उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किया जा सकता है।

72–– यदि किसी व्यक्ति ने, जिसने आवेदन प्रस्तुत किया है, निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन पर आपत्ति करने के अलावा इस घोषणा का भी दावा किया है कि वह स्वय अथवा अनय कोई उम्मीदवार विधिवत् निर्वाचित हुआ है और जिला जज का यह मत है कि –––

(क) वस्तुतः आवेदक अथवा उक्त अन्य उम्मीदवार ने वैध मतों का वहुमत प्राप्त किया है, अथवा

(ख) यदि निर्वाचित उम्मीदवार को भ्रष्टाचार के कारण प्राप्त हुए मत न मिले होते तो आवेदक अथवा उक्त अन्य उम्मीदवार ने वैध मतों का बहुमत प्राप्त किया होता,

तो जिला जज निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन को शून्य घोषित करके यथास्थिति आवेदन अथवा उक्त अन्य उम्मीदवार को विधिवत निर्वाचित घोषित करेगा।

मतों की समानता की दशा में प्रकिया

73–– यदि किसी निर्वाचन आवेदन की सुनवाई करते समय यह प्रतीत हो कि निर्वाचन में किन्हीं उम्मीदवारों ने बराबर–बराबर मत प्राप्त किये हैं और उनमें से किसी एक के पक्ष में एक मत के बढ़ जाने से वह शक्ति निर्वाचित घोषित किये जाने का अधिकारी हो जायेगा तो–

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया गया कोई निर्णय, जहां तक वह उक्त उम्मीदवारों के मध्य उपयुक्त प्रश्न को निर्धारित करता है, आवेदन के प्रयोजनों के लिए भी प्रभावी होगा, और

(ख) जहां तक उक्त निर्णय उपर्युक्त प्रश्न को निर्धारित न करता हो, जिला जज उन उम्मीदवारों के बीच लाटरी द्वारा निर्णय करेगा और ऐसी कार्यवाही करेगा मानों जिस उम्मीदवार के पक्ष में लाटरी निकले उसने एक अतिरिक्त मत प्राप्त किया है।

जिला जज की आज्ञा के विरुद्ध अपील

74–– (1) जिला जज द्वारा धारा 69 अथवा 70 के अधीन दी गई प्रत्येक आज्ञा विरुद्ध आज्ञा के दिनांक से तीन दिन के भीतर हाईकोर्ट को अपील हो सकेगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि हाई कोर्ट उपर्युक्त तीन दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाय कि अपीलकर्ता पर्याप्त कारण वश इस अवधि के भीतर अपील नहीं प्रस्तुत कर सका।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अधीन अपील प्रस्तुत करे अपील के स्मृति पत्र के साथ सरकारी खजाने की ऐसी रसीद नत्थी करेगा, जो यह प्रक्ट करती हो कि उसके द्वारा किसी सरकारी खजाने के अथवा स्टेट बैंक आफ इण्डिया में हाईकोर्ट के नाम अपील के वाद–व्यय की प्रतिभूति के रूप में पांच सौ रुपये की धनराशि जमा की गई है।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए हाईकोर्ट को इस अध्याय के अधीन अपील के संबंध में वहीं अधिकार, क्षेत्राधिकार, तथा प्राधिकार होंगे तथा वह उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, मानों कि वह उसके स्थानिक दिवानी अपील संबंधी क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत स्थित किसी दीवानी न्यायालय द्वारा पारित मूल डिक्री से प्रोद्भूत अपील हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील दो से अन्यूज जजों की बेंच द्वारा सुनी जायेगी।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(4) प्रत्येक अपील यथा संभव शीघ्रता से निर्णीत की जायगी और यह प्रयास किया जायेगा कि हाईकोर्ट में अपील का स्मृति–पत्र प्रस्तुत किये जाने के तीन महीने के भीतर अपील अन्तिम रूप से समाप्त हो जाय।

(5) हाईकोर्ट का निबन्धक अपील पर दी गयी हाईकोर्ट की आज्ञा की एक प्रति राज्य सरकार को सूचनार्थ भेजेगा।

(6) जब धारा 69 के खंड (ख) के अधीन आज्ञा के विरूद्व कोई अपील की जाय तो हाईकोर्ट पर्याप्त कारण प्रदर्शित करने पर उस आज्ञा की कार्यान्वित स्थगित कर सकता है, जिसके विरूद्ध अपील की गई हो तथा ऐसी दशा में यह समझा जायेगा कि धारा 77 के अधीन आज्ञा कभी प्रभावी नहीं हई तथा जब तक अपील खारिज न कर दी जाय, आज्ञा प्रभावशाली न हो सकेगी।

आज्ञाओं तथा निर्णयों की अंतिमता

75–– धारा 74 के अधीन अपील होने पर हाईकोर्ट का निर्णय तथ केवल ऐसे निर्णय के अधीन रहते हुए ही धारा 69 अथवा 70 के अधीन दी हुई जिजा जज की आज्ञा अन्तिम एवं निश्चायक होगी।

आज्ञा का प्रभावी होना

76–– धारा 69 तथा 70 के अधीन दी गयी अपनी आज्ञाओं की घोषणा करने के बाद जिला जज उनकी एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा।

77–– धारा 69 तथा 70 के अधीन जिला जज द्वारा दी गयी कोई आज्ञा उस दिन के, जिस पर उसकी घोषणा की गयी हो, बाद वाले दिनांक से प्रभावी होगी।

भ्रष्टाचार

78–– इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये निम्नलिखित भ्रष्टाचार समझे जायेंगे :–

(1) घूस देना, अर्थात् उम्मीदवार या उनके अभिकर्त्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को कोई परितोषण का दान, समुपस्थान अथवा उसके लिये वचन देना जिसका उद्देश्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से –

(क) किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या न होने के लिये अथवा उम्मीदवारी वापस लेने के लिये, अथवा निर्वाचन लड़ने से हट जाने के लिये, अथवा

(ख) किसी निर्वाचक को निर्वाचन में मत देने अथवा न देने के लिये, प्रेरित करना हो, अथवा जो––

(1) किसी व्यक्ति को, जो इस प्रकार उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या न खड़े होने के लिये, अथवा उम्मीदवारी वापस लेने के लिये अथवा चुनाव लड़ने से हट जाने के लिये, अथवा

(2) किसी निर्वाचन को मत देने के लिये अथवा न देने के लिये, पुरस्कार के रूप में हो।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजनों के लिए शब्द ''परितोषण'' ऐसी परितुष्टियों तक ही सीमित नहीं है जो धन के रूप में हों अथवा जिन्हें धन के रूप में व्यक्त किया जा सके अपितु इसके अन्तर्गत सभी प्रकार के मनोरंजन तथा पुरस्कारार्थ सभी प्रकार के नियोजन भी सम्मिलित हैं,

(2) अनुचित प्रभाव डालना अर्थात् किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी निर्वाचन में निर्वाचन संबंधी किसी अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करना अथवा हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करना;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि –

(क) इस खंड के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना उनमें उल्लिखित कोई व्यक्ति, जो –––

(1) किसी उम्मीदवार को अथवा किसी निर्वाचक को अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसमें वह उम्मीदवार अथवा निर्चाचक अभिरूचि रखता हो, किसी जिसमें वह उम्मीदवार अथवा निर्वाचक अभिरुचि रखता हो, किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने की धमकी देता हो, जिसमें सामाजिक बहिष्कार और किसी जाति अथवा सम्प्रदाय से अलग कर देना भी सम्मिलित है, अथवा

(2) किसी उम्मीदवार को अथवा निर्वाचक को ऐसा विश्वास करने के लिये प्रेरित करता है अथवा प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह अथवा अन्य कोई व्यक्ति, जिसमें वह अभिरुचि रखता है, दैवी प्रकोप अथवा आध्यात्मिक अपराज का भागी होगा या बना दिया जायगा,

तो यह समझा जायगा कि वह व्यक्ति इस खण्ड के अर्थ में उक्त उम्मीदवार अथवा निर्वाचक के निर्वाचक सम्बधी अधिकारों के स्वतंत्र प्रयोग में हस्तक्षेप कर रहा है।

(ख) किसी सार्वजनिक नीति की घोषणा अथवा किसी सार्वजनिक कार्यवाही का बचन अथवा किसी ऐसे विधिक अधिकार प्रयोग जिसका उद्देश्य निर्वाचन संबंधी अधिकारों में हस्तक्षेप करना न हो, इस खंड के अर्थ में हस्तक्षेप नहीं समझे जायेंगे।

(3) जाति, मूलवंश समाज अथवा धर्म अथवा प्रथा के आधार पर उम्मीदवार अथवा उसके अभिकर्ता अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा मत देने अथवा मत न देने के लिये क्रमबद्ध अपील अथवा उम्मीदवार के निर्वाचन की सफलता को समुन्नत करने के लक्ष्य से धार्मिक चिन्हों के प्रगति अपील अथवा राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय चिन्हों जैसे कि राष्ट्रध्वज अथवा राष्ट्रप्रतीत का प्रयोग अथवा उनके प्रति अपील।

(4) किसी उम्मीदवार या उसके अभिक्र्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी अथवा उम्मीदवारी की वापसी अथवा चुनाव लड़ने से हटने के संबंध में ऐसे तथ्य के प्रकथन का प्रकाशन जो असत्य हो, और जिन्हें या तो वह असत्य समझा हो, अथवा जिसकी सत्यता में उसे विश्वास न हो ओर जो उस उम्मीदवार के चुनाव के सुयोजनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिये युक्तितः आयोजित हो।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(5) किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्त्ता का किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के नाम में वह चाहे जीवित हो मृत अथवा किसी बनावटी नाम में अथवा अपने ही नाम में वह चाहे जीवित हो या मृत अथवा किसी बनावटी में अथवा अपने ही नाम से, जब कि वह व्यक्ति उसी या दूसरे कक्ष में पहले ही मतदान कर चुकने के फलस्वरूप देने का अधिकारी न हो, शालाका–पत्र के लिए प्रार्थना करवाना अथवा करने में प्रोत्साहन देना अथवा प्रार्थना कराने का प्रयत्न करना।

(6) किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्वयं उम्मीदवार के अथवा उसके परिजनों अथवा अभिकर्त्ता से भिन्न किसी निर्वाचक की धारा 46 के अधीन प्रचारित आज्ञा द्वारा व्यवस्थित मतदान स्थल तक अथवा वापस ले जाने के लिये धनराशि देकर अथवा अन्य या किसी वाहन अथवा यान का किराये पर लेना या अन्यथा प्राप्त करना :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी एक निर्वाचक द्वारा अथवा कई निर्वाचकों द्वारा संयुक्त लागत पर उसे या उन्हें किसी मतदान स्थल तक अथवा मतदान के लिये, निश्चित स्थान तक ओर वापस लाने–ले जाने के प्रयोजन से किसी वाहन या यान का कराये पर लिया जाना इस खंड के प्रयोजन के निमित्त भ्रष्टाचार न होगा, यदि इस प्रकार किराये पर लिया गया वाहन या यान ऐसा वाहन या यान हो, जो यांत्रित शक्ति द्वारा परिचालित न होता हो :

और प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी निर्वाचक द्वारा अपनी लागत पर किसी मतदान स्थल तक अथवा मतदान के लिये निश्चित स्थान तक जाने और वापस आने के लिये किसी सार्वजनिक परिवहन के वाहन तथा यान के अथवा किसी ट्रैम या रेल के डिब्बे का प्रयोग इस खंड के प्रयोजन के निमित्त भ्रष्टाचरण न समझा जायगा।

स्पष्टीकरण – इस खंड में पद "वाहन" से तात्पर्य है कोई ऐसा वाहन, जो सड़क परिवहन में प्रयुक्त किया जाय अथवा प्रयोग किये जाने के योग हो, चाहे वह यांत्रिक शक्ति द्वारा परिचालित होता हो अथवा अन्य किसी प्रकार से अथवा चाहे वह अन्य वाहनों को खींचने के लिये अथवा अन्य किसी प्रकार से प्रयुक्त होता है।

(7) किसी उम्मीदवार अथवा उसके अभिकर्त्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सरकार की सेवा में संलग्न तथा निम्नलिखित वर्गों से संबंद्ध किसी भी व्यक्ति से उस उम्मीदवार के निर्वाचक की सफलता की संभावना को समुन्नत करने के लिये (मत देने से भिन्न) अन्य कोई सहायता प्राप्त करने या प्राप्त करवाने अथवा प्राप्त करने या प्राप्त करवाने के लिये प्रेरित अथवा प्रयास करना–

(क) गजटेड अधिकारी,

(ख) वेतन भोगी जज और मजिस्ट्रेट,

(ग) भारत संघ की सशस्त्र सेनाओं के सदस्य,

(घ) पुलिस दल के सदस्य,

(ङ) आबकारी विभाग के अधिकारी,

(च) माल विभाग के अधिकारीगण, जिनके अन्तर्गत गांव के एकाउन्टेन्ट से पटवारी, लेखपाल, तलती, कारनाम तथा उने समकक्ष अधिकारीगण किन्तु इसके अन्तर्गत अन्य ग्राम्य अधिकारीगण नहीं है, तथा

(छ) राज्य की सेवा में संलग्न अन्य ऐसे व्यक्तियों के वर्ग जो नियत किये जांय।

79–– राज्य सरकार निम्नलिखित विषयों के संबंध में नियत बना सकती है – निर्वाचनों से सम्बद्ध विवादों के निर्णय संबंधी नियम

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) निर्वाचन आवेदनों की सुनवाई करने वाले जिला जजों के लिये कर्मचारियों की नियुक्ति तथा परिश्रमिक,

(ख) निर्वाचक आवेदनों की समाप्ति और वापसी,

(ग) अनुपस्थिति अथवा असंचालन अथवा न्यायालय की आज्ञाओं के तथा इस अधिनियम के उपबन्धों और तदन्तर्गत दी गयी आज्ञाओं के अपालन के फलस्वरूप निर्वाचन आवेदनों को खारिज करना,

(घ) आवेदनों की सुनवाई की प्रक्रिया,

(ङ) निर्वाचन आवेदन की सुनवाई करने वाले जिला जज के अधिकार,

(च) सुनवाई का स्थान,

(छ) प्रतिभूति एवं अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करना।

(ज) जमा की गयी प्रतिभूति की वापसी अथवा जब्ती

(झ) धारा 70 के अधीन प्रदत्त व्यय की प्राप्ति,

(ञ) पक्षों को स्थानापन्न करना

(ट) निर्वाचन आवेदनों के निर्णयाभिलेखों का रखा जाना तथा छांटा जाना,

(ठ) अन्य विषय, जिनकी राज्य सरकार की राज्य में व्यवस्था करना आवश्यक हो।

निर्वाचन अपराधों तथा भ्रष्टाचरणों के कारण अनर्हतायें

80–– (1) इंडियन पीनल कोड, 1860 की धारा 171–ई या 171–एफ के अधीन कारावास से दंड्य अपराध तथा रिप्रेजेंशन आफदि पीपुल एक्ट, 1951, जैसा कि वह इस अधिनियम के अधीन निर्वाचनों पर धारा 48 द्वारा प्रवृत्त किया गयाहो, की धारा 135 अथवा धारा 136 के अधीन दंड्य अपराध {निगम}[2] की सदस्यता के लिये अनर्हता उत्पन्न करेंगे।

(2) धारा 78 में निर्दिष्ट भ्रष्टाचार {निगम}[2] की सदस्यता के लिये अनर्हता उत्पन्न करेंगे।

(3) अनर्हता की अवधि उपधारा (1) के अधीन अनर्हता के संबंध में दोष–सिद्धि के दिनांक के आरम्भ से तथा उपधारा (2) के अधीन अनर्हता के सम्बन्ध में जिला जज द्वारा धारा 70 के अधीन दी गयी उपपति के धारा 77 के अधीन प्रभावी होने के दिनांक से 5 वर्ष की होगी।

कुछ अन्य विषय

शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने से पूर्व अथवा अर्हन होने की दशा में स्थान ग्रहण करने या मत देने पर दंड

81–– यदि कोई व्यक्ति {निगम}[2] के नगर प्रमुख, उप नगर–प्रमुख अथवा सदस्य के रूप में {निगम}[2] के किसी अधिवेशन या उसकी किसी समिति की बैठक में धारा 85 की उपधारा (1) की अपेक्षाओं का अनुपालन किये बिना, अथवा यह जानते हुए कि उपधारा (1) की अपेक्षाओं का अनुपालन किये बिना, अथवा यह जानते हुए कि वह यथास्थिति नगर प्रमुख {xxx}[1] या सभासद होने के लिये अर्ह नहीं है अथवा अनर्ह है, स्थान ग्रहण करता है अथवा मत देता है तो वह प्रत्येक उस दिन के लिये जिस पर वह उक्त प्रकार से स्थान ग्रहण करता है अथवा मत देता है, दंड स्वरूप 50 रु. जुर्माना देने का भागी होगा, जो राज्य को देय ऋण के रूप में वसूल किया जायगा।

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 12, 1977 की धारा 21 द्वारा निकाला गया।

2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

निर्हता से सम्बद्ध प्रश्नों का राज्य सरकार द्वारा निर्णय

82—— यदि यह प्रश्न उठ खड़ा हो कि {निगम}[2] का कोई सदस्य धारा 25 में उल्लिखित किसी अर्न्हता से ग्रस्त है अथवा नहीं, तो वह प्रश्न निर्णयार्थ राज्य सरकार को विहित रीति से निर्दिष्ट कर दिया जायगा और इस संबंध में राजय सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

सदस्यों का हटाया जाना

83—— (1) राज्य सरकार {निगम}[2] अथवा उसकी किसी समिति के किसी सदस्य को निम्नलिखित किसी भी आधार पर हटा सकती है।

(क) कि उसने धारा 25 के खंड (ङ) में निर्दिष्ट विषय से भिन्न किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जिसमें प्रत्यक्षः अथवा अप्रत्यक्षतः उसका कोई निजी स्वार्थ हो अथवा जिसमें वह अपने वाद ग्राहक निर्देप्टा, अथवा अन्य किसी व्यक्ति की ओर से वृत्ति रूप से अभिरूचि रखता हो, यथास्थिति {XXX}[1] सभासद या किसी समिति के सदस्य के रूप में मत देकर अथवा उनकी चर्चाओं में भाग लेकर कार्य किया हो;

(ख) कि वह उक्त सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य पालन में शारीरिक अथवा मानसिक रूप में असमर्थ हो गया हैं;

(ग) कि उक्त सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य के पालन में घोर दुराचार का दोषी रहा है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन हटाये जाने की आज्ञा राज्य सरकार द्वारा न दी जायगी जब तक कि आज्ञा में संबंद्ध {XXX}[1] सभासद अथवा समिति के सदस्य को, इस बात का कारण बताने का उचित अवसर न दे दिया गया हो कि उसे ऐसी आज्ञा क्यों न दी जाय।

(2) किसी व्यक्ति को सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके ही हटाया जायगा तथा यह हटाया जाना विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगा।

(3) राज्य सरकार किसी सदस्य को, जो राज्य सरकार की आज्ञा द्वारा निर्दिष्ट किये गये किसी भयंकर संसर्गजन्य रोगों में किसी से ग्रस्त हो, {निगम}[2] अथवा उसकी किसी समिति, संयुक्त समिति अथवा उप—समिति के अधिवेशन में उपस्थित न होने का निदेश दे सकती है तथा कोई सदस्य जिसे इस प्रकार निदेश दिया गया हो {निगम}[2] या उसकी समिति, संयुक्त समिति अथवा उप—समिति के अधिवेशन में उपस्थति होन का तब तक अधिकारी न होगा जब तक कि राज्य सरकार के संतोषानुसार उसके इस बात का प्रमाण देने पर कि वह उस रोग मुक्त हो गया है, राज्य सरकार निदेश वापस नहीं ले लेती।

(4) कोई भी वह व्यक्ति जो उपधारा (1) के अधीन {निगम}[2] की सदस्यता से हटाया जा चुका हो, हटाये जाने के दिनांक से 4 वर्ष तक के लिए {निगम}[2] के सदस्य के रूप में निर्वाचित होन अथवा सदस्य होने से अनर्ह रहेगा, तथा कोई भी व्यक्ति, जो {निगम}[2] की किसी समिति से हटाया गया हो, हटाये जाने के दिनांक से 4 वर्ष तक के लिये उस समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने अथवा उसका सदस्य होने के लिये अनर्ह रहेगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी भी समय इस अनर्हता को हटाने की आज्ञा दे सकती है।

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 12, 1977 की धारा 22 द्वारा निकाला गया।

2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

84–– {xxx}[10]

85–– {(1) इंडियन ओथ्स ऐक्ट, 1973 में किसी बात के होते हुये भी प्रत्येक व्यक्ति, जो सभासद, {xxx}[3] निर्वाचित हो अथवा विकास समिति के सदस्य के रूप में संयोजित हो तथा प्रत्येक व्यक्ति, जो नगर प्रमुख निर्वाचित हो गया हो अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व निम्नलिखित रूप से शपथ लेगा, अथवा प्रतिज्ञान करेगा, अर्थात् :

सभासदों इत्यादि द्वारा निष्ठा की शपथ लिया जाना

"मैं –––––––––––––– क, ख, जो {निगम}[9] का, सभासद, {xxx}[4] नगर प्रमुख/ निर्वाचित विकास समिति का सदस्य संयोजित हुआ है, ईश्वर की शपथ लेता हूं/ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाये रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्त्तव्यों को श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा।}[1]

{(1–क) {निगम} की धारा 9 के अधीन संगठन या धारा 538 {***}[11] के अधीन पुनरसंगठन हो जाने के सात दिन के भीतर मुख्य नगराधिकारी निर्वाचित घोषित किय गये नगर प्रमुख, {और सभासदों}[5] का एक अधिवेशन बुलाएगा। डिवीजन का कमिश्नर कराएगा और तत्पश्चात् नगर प्रमुख ऐसे सभासदों {xxx}[6] को, जो उपस्थित हों, शपथ दिलाएगा या प्रतिज्ञान कराएगा।}[2]

(2) कोई व्यक्ति सभासद या नगर प्रमुख {xxx}[7] निर्वाचित हो चुका हो अथवा जो विकास समिति का कोई संयोजित सदस्य हो, अपनी पदावधि के प्रारम्भ से तीन महीने के भीतर या उक्त दिनांक के पश्चात् आयोजित {निगम}[9] के प्रथम तीन अधिवेशनों में से किसी एक में, दोनों में से जो भी परवर्ती हो, उपधारा (1) में निर्दिष्ट तथा एतदर्थ अपेक्षित शपथ अथवा, प्रतिज्ञान न करे तो वह अपने पद पर आसीन न रहेगा और उसका पद रिक्त समझा जायगा।

(3) कोई भी व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) के अधीन शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने की अपेक्षा की गई है, {निगम} के किसी अधिवेशन में अथवा विकास समिति का सदस्य संयोजित होने की दशा में उस समिति के किसी अधिवेशन में उस समय तक न तो स्थान ग्रहण करेगा और न यथास्थिति सभासद, {xxx}[8] अथवा नगर–प्रमुख अथवा विकास समिति के सदस्य के रूप में कोई कार्य ही करेगा जब तक उसने उपधारा (1) में निर्दिष्ट शपथ न ली हो अथवा प्रतिज्ञान न किया हो।

86–– (1) किसी नगर की निर्वाचन सूचियों को तैयार करने तथा उनके पुनरीक्षण तथा उस नगर के लिए इस अधिनियम के अधीन संचालित निर्वाचनों के संबंध में किए गए समस्त व्यय, जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा आदेश न दे, राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट रीति से और उसके द्वारा निर्दिष्ट आयति पर्यन्त {निगम}[9] पर भारित होंगे तथा उन्हें {निगम}[9] से वसूल किया जा सकेगा।

निर्वाचन व्यय

---

1. उ.प्र. अधिनियम संख्या 21, 1964 की धारा 9 (1) द्वारा प्रस्थिापित।
2. उपर्युक्त की धारा 9 (2) द्वारा अन्तर्विष्ट।
3. उ.प्र. अधिनियम संख्या 12, 1977 की धारा 23 (क) (1) द्वारा निकाला गया।
4. उपर्युक्त की धारा 23 (क) (2) द्वारा निकाला गया।
5. उपर्युक्त की धारा 23 (ख) (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 23 (ख) (2) द्वारा निकाला गया।
7. उपर्युक्त की धारा 23 (ग) द्वारा निकाला गया।
8. उपर्युक्त की धारा 23 (घ) द्वारा निकाला गया।
9. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

10. उपर्युक्त की धारा 43 द्वारा निकाला गया।
11. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 26 वर्ष 1995 के अध्याय–दो की धारा 18 द्वारा निकाला गया।

(2) निर्वाचन अधिकारी अथवा निर्वाचन का संचालन करने का उत्तरदायी कोई पदाधिकारी {निगम}[3] को यह आदेश दे सकता है, कि वह ऐसी धनराशि दे जो उस निर्वाचन के संचालन के लिए आवश्यक हो और तत्पश्चात् {निगम}[3] निर्वाचन अधिकारी अथवा अन्य संबंद्ध पदाधिकारी को उक्त धनराशि उपलब्ध कराएगा।

नियम बनाने का अधिकार

87–– (1) राज्य सरकार विहित किए जाने वाले विषयों के सम्बन्ध में, किन्तु जो अधिनियम में अथवा आज्ञा द्वारा विहित नहीं किए गए हैं नियत बना सकती है।

(2) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :–

(क) नगर प्रमुख, उप–नगर प्रमुख {xxx}[2] या सभासद के निर्वाचन तथा नगर प्रमुख, उप–नगर प्रमुख {xxx}[2] अथवा सभासद के स्थान की रिक्ति की विज्ञप्ति की रीति,

(ख) कार्यकारिणी समिति, विकास–समिति तथा धारा 5 के खण्ड (ङ) के अधीन संगठित समितियों के सदस्यों के निर्वाचन की तथा विकास समिति के सदस्यों के संयोजन की रीति,

(ग) कार्यकारिणी समिति तथा विकास समिति के उप–सभापति के निर्वाचन की तथा धारा 5 के खंड (ङ) के अधीन संगठित समितियों के सभापति तथा उप सभापति के निर्वाचन की रीति,

(घ) मुख्य नगराधिकारी के अधिकतम वेतन और भत्ते,

(ङ) किसी सदस्य की अनर्हता के सम्बन्ध में धारा 82 के अधीन किसी प्रश्न के प्रतिप्रेषण की रीति,

(च) यह जानने की प्रक्रिया कि धारा 25 तथा 83 के प्रयोजनों के निमित्त कोई सदस्य किसी भयानक रोग से पीड़ित है या नहीं,

(छ) धारा 85 के अधीन शपथ ग्रहण करने से सम्बद्ध विषय।

अध्याय 3

{निगम}[3], कार्यकारिणी समिति, विकास–समिति तथा अन्य समितियों की कार्यवाहियां

{निगम}[2] के अधिवेशन

88–– (1) {निगम}[3] के कार्यों के सम्पादनार्थ प्रतिवर्ष कम से कम उसके 6 अधिवेशन होंगे तथा उसकी अन्तिम बैठक और आगामी अधिवेशन की पहली बैठक के लिए निश्चित दिनांक के बीच दो महीने से अधिक का अन्तर नहीं होने पायेगा।

(2) नगर–प्रमुख और उसकी अनुपस्थिति में उप नगर–प्रमुख जब वह उचित समझे, {निगम}[3] का अधिवेशन बुला सकता है तथा {निगम}[3] के कुल सदस्यों की संख्या के छटे भाग से अन्यून सदस्यों द्वारा लिखित प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर {निगम}[3] का अधिवेशन अवश्य बुलाएगा। यह प्रार्थना–पत्र यथास्थिति नगर–प्रमुख अथवा उप–नगर प्रमुख को उस पर हस्ताक्षर करने वाले किसी भी सदस्य द्वारा दिया अथवा रजिस्ट्री से भेजा जा सकता है। {ऐसे प्रार्थना–पत्र पर अधिवेशन, प्रार्थना, पत्र दे दिये जाने अथवा तामील जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर बुलाया जायगा।}[1]

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 21, 1964 की धारा 10 (1) द्वारा अन्तर्विष्ट।

2. उ.प्र. अधिनियम सं. 12, 1977 की धारा 24 द्वारा निकाला गया।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

{(2–क) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि प्रार्थना–पत्र देने या तामील किए जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर अधिवेशन बुलाया जा चुका है तो, यथास्थिति, नगर प्रमुख या उप–नगर प्रमुख, उक्त प्रार्थना–पत्र पर अलग से अधिवेशन बुलाने के बजाय, धारा 91 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, पहले से ही बुलाए गए अधिवेशन में सम्पादित किये जाने वाले कार्यों की सूची में, ऐसे प्रार्थना–पत्र में उल्लिखित विषयों को सम्मिलित कर सकता है और तदुपरान्त ऐसा अधिवेशन ऐसे प्रार्थना–पत्र पर बुलाया गया अधिवेशन भी समझा जायगा।

(2–ख) नगर प्रमुख या उप–नगर प्रमुख, यथास्थिति उन कारणों से जो अभिलिखित किए जायेगे सदस्यों के प्रार्थना–पत्र पर बुलाए गए अधिवेशन से भिन्न अधिवेशन, को ऐसी सूचना देकर, जिसकी उप–विधियों द्वारा तदर्थ व्यवस्था की जाय, स्थगित कर सकता है।}[1]

(3) {निगम}[2] का प्रत्येक अधिवेशन जनता के लिए खुला रहेगा जब तक कि पीठासीन अधिकारी यय न समझे कि जनता अधिवेशन के समस्त अथवा किसी भाग की अवधि में अपवर्जित कर दी जाय।

कार्यकारिणी समिति आदि के अधिवेशन

89–– (1) कार्य का सम्पादन करने के लिये कार्यकारिणी समिति, {विकास समिति, कक्ष समिति}[3] अथवा धारा 5 के अधीन निर्मित अन्य किसी समिति का अधिवेशन प्रति मास कम से कम एक बार अवश्य होगा।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित किसी समिति का सभापति अथवा उसकी अनुपस्थिति में उप–सभापति जब वह उचित समझे, समिति का अधिवेशन, बुला सकता है और समिति के सदस्यों की कुल संख्या एक–चौथाई से अन्यून सदस्यों द्वारा लिखित रूप में प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर समिति का अधिवेशन संख्या की कम से कम आधी होगी।

गणपूर्ति

90–– (1) यदि किसी विशेष संकल्प द्वारा कोई कार्य सम्पादित करना अपेक्षित है तो ऐसे कार्य के सम्पादनार्थ गणपूर्ति, यथास्थिति, {निगम}[2] अथवा समिति के सदस्यों की संख्या की कम से कम आधी होगी।

(2) उपधारा (3) में उपबन्धित, व्यवस्था को छोड़कर अन्य दशा में {निगम}[2], कार्यकारिणी समिति, {विकास समिति, कक्ष समिति}[3] अथवा धारा 5 के अधीन निर्मित अन्य किसी समिति कि किसी अधिवेशन में तब तक कोई कार्य सम्पादित न किया जायगा जब तक कि सम्पूर्ण अधिवेशन में कुल सदस्यों की कम से कम 1/5 संख्या उपस्थित न रहे।

(3) यदि कोई अधिवेशन नहीं होता अथवा गणपूर्ति के अभाव से अपना कार्य संपादन नहीं रख पाता है तो अधिवेशन का अधिष्ठाता यह आदेश देगा कि ऐसे समय अथवा स्थान पर, जिसे वह उचित अधिवेशन बुलाया जाय और तत्पश्चात् मुख्य नगराधिकारी सभी सदस्यों को ऐसे अधिवेशन के समय और स्थान की सूचना देगा और वह कार्य को मूल अधिवेशन में किए जाने के लिए सूचीकृत था अब इस अधिवेशन में लाया जायगा और सामान्य रीति से सम्पादित किया जायगा, किन्तु इसके लिए किसी गणपूर्ति की आवश्यकता न होगी।

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 21, 1964 की धारा 10 (2) द्वारा अन्तर्विष्ट।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 44 द्वारा प्रतिस्थापित।

91—— (1) स्थगित किए गए अधिवेशन के अतिरिक्त अन्य सभी अधिवेशनों में सम्पादित होने वाले कार्यो की एक सूची यथास्थिति {निगम}[2], कार्यकारिणी समिति, {विकास समिति, कक्ष समिति}[3] अथवा धारा 5 के खंड (ङ) के अधीन निर्मित किसी समिति के प्रत्येक सदस्य के अपने दिए हुए पते पर भेज दी जायगी। यह सूची ऐसे अधिवेशन के लिए निश्चित समय से {निगम}[2] के अधिवेशन की दशा में कम से कम 96 घंटे पूर्व तथा उपर्युक्त अन्य समितियों के अधिवेशन की दशा में कम से कम 72 घंटे पूर्व दी जायगी और उपधारा (2) में उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर, इस अधिवेशन में उस कार्य के अलावा जिसकी सूचना दी गयी है, अन्य कोई भी कार्य न तो लाया जायगा और न सम्पादित किया जायगा;

अधिवेशन और कार्यों की सूचना

किन्तु प्रतिबन्ध यह कि यदि पूर्वोक्त कार्यों की सूची डाक द्वारा भेजी जाय तो वह डाक द्वारा भेजने के प्रमाण–पत्र के अधीन भेजी जायगी

(2) यथास्थिति {निगम}[2] अथवा उपधारा (1) में उल्लिखित किसी समिति का कोई सदस्य किसी ऐसे संकल्प मय उसकी एक प्रतिलिपि के, की नोटिस मुख्य नगराधिकारी को भेजेगा अथवा देगा, जिसे वह किसी ऐसे अधिवेशन में प्रस्तावित करना चाहता है जिसकी नोटिस उपधारा (1) के अधीन दी गयी है। यह नोटिस अधिवेशन के लिए निश्चित दिनांक से {निगम}[2] के अधिवेशन की दशा में कम से कम 48 घंटे पूर्व और किसी समिति के अधिवेशन की दशा में कम 24 घंटे पूर्व दी जायगी और तत्पश्चात् मुख्य नगराधिकारी संकल्प को ऐसी रीति से, जिसे वह उचित समझे, जितना शीघ्र हो सके, प्रत्येक सदस्य के पास घुमवा देगा। इस प्रकार भेजे गए किसी संकल्प पर, जब तक अधिवेशन अन्यथा निश्चित न करे अधिवेशन में विचार किया जायगा और उसका निस्तारण किया जायगा।

92—— (1) {निगम}[2] अथवा उसकी किसी समिति द्वारा निर्णय के लिए अपेक्षित समस्त विषय, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित व्यवस्था को छोड़कर, अधिवेशन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा निर्धारित किए जायंगे। {xxx}[1]

{निगम}[2] के अधिवेशनों में बहुमत द्वारा निर्णय

(2) समस्त अधिवेशन में मत हाथ उठा कर दिये जायेंगे, किन्तु {निगम}[2] द्वारा बनायी जानेवाली उपविधियों में यह व्यवस्था की जा सकती है कि कोई प्रश्न अथवा प्रश्न वर्ग जो, निर्दिष्ट किया जाय, गूढ़ शलाका द्वारा निर्णीत किया जायगा।

(3) किसी अधिवेशन में, जब तक उपस्थिति सदस्यों की कम से कम एक–चौथाई संख्या द्वारा मतदान की मांग नहीं की जाती, ऐसे अधिवेशन में अधिष्ठाता द्वारा की गयी इस आशय की कोई घोषणा कि संकल्प मान लिया गया अथवा गिर गया है और कार्यवाही के विवरण में इसी आशय की प्रविष्टि बिना इस प्रमाण के कि इस संकल्प के पक्ष अथवा विपक्ष में प्राप्त कितने मत अभिलिखित हुए हैं अथवा मतों का कौन–सा अनुपात अधिलिखित हुआ है, इस अधिनियम में प्रयोजनों के लिए एतदर्थ निश्चयात्मक साक्ष्य होगी।

(4) यदि किसी अधिवेशन में उपस्थिति सदस्यों की कम से कम एक–चौथाई संख्या मतदान मांग करे तो अधिष्ठाता के आदेशों के अनुसार उपस्थित सदस्यों के, जो मत देना चाहें, मत लिए जायेंगे और ऐसे मतदान का परिणाम उस अधिवेशन में {निगम}[2] का संकल्प समझा जायगा।

93—— {निगम}[2] अथवा धारा 89 में उल्लिखित किसी समिति के किसी अधिवेशन का, जिसमें गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या उपस्थित हो, अधिष्ठाता उपस्थित सदस्यों के बहुमत की सहमति से समय–समय पर अधिवेशन को स्थगित कर सकता है।

{निगम}[2] तथा कार्यकारिणी समिति आदि के अधिवेशन का स्थगन

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 17, 1982 की धारा 9 द्वारा निकाला गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उपर्युक्त की धारा 44 द्वारा प्रतिस्थापित।

अधिवेशनों के अधिष्ठाता

94–– (1) नगर प्रमुख और उसकी अनुपस्थिति में उपनगर–प्रमुख {निगम}[1] के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा।

(2) किसी समिति के सभापति की अनुपस्थिति में उस समिति का उप–सभापति समिति के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा।

(3) {निगम}[1] की दशा में नगर–प्रमुख तथा उप–नगर प्रमुख और धारा 89 में उल्लिखित किसी समिति की दशा में सभापति और उप–सभापति की अनुपस्थिति में, किसी अधिवेशन में उपस्थित सदस्यगण अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से ही किसी सदस्य का निर्वाचन करेंगे।

(4) धारा 17 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए {निगम}[1] अथवा किसी समिति के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति यथास्थिति {निगम}[1] अथवा समितियों के समक्ष किसी प्रस्ताव पर अपना मत दे सकता है और मतों की समानता की दशा में एक निर्णायक मत भी दे सकता है।

विशेष समितियां तथा संयुक्त समितियां

95–– (1) {निगम}[1] अपने अधिकारों, कर्तव्यों अथवा कृत्यों से ससक्त किसी मामले की जांच करने तथा उस पर प्रतिवेदन देने के लिए विशेष संकल्प द्वारा समय–समय पर एक विशेष समिति का संगठन कर सकती है, जो ऐसे सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों से, यदि कोई भी, यदि कोई हो, मिल कर बनेगी जिन्हें वह एतदर्थ योग्य समझे। विशेष समिति के प्रत्येक सदस्य को समिति में बोलने तथा उसमें अन्य प्रकार से भाग लेने का अधिकार होगा परन्तु किसी भी व्यक्ति को, जो {निगम}[1] का सदस्य नहीं है, समिति के किसी अधिवेशन में मत देने का अधिकार न होगा।

(2) {निगम}[1] धारा 5 में उल्लिखित समितियों से किसी दो अथवा दो अधिक समितियों की ऐसे मामलों के लिए, जिनमें इन समितियों का संयुक्त हित हो, संकल्प द्वारा समय–समय पर एक संयुक्त समिति की स्थापना कर सकती है।

(3) प्रत्येक विशेष समिति अथवा संयुक्त समिति ऐसे समस्त आदेशों का पालन करेगी, जो {निगम} द्वारा समय–समय पर उसे दिए जायं।

(4) {निगम} किसी भी समय किसी विशेष समिति अथवा संयुक्त समिति को विघटित अथवा उसके विधान को परिवर्तित कर सकती है अथवा किसी विशेष समिति को प्रतिनिधित कोई अधिकार, कर्तव्य अथवा कृत्य उससे वापस सकती है।

(5) प्रत्येक विशेष समिति तथा संयुक्त समिति अपने में किसी एक सदस्य को सभापति नियुक्त करेगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि {निगम}[1] का कोई भी सदस्य एक से अधिक विषेश समितियों अथवा संयुक्त समितियों का सभापति न हो सकेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी समिति का सभापति नियुक्त न किया जायगा जो {निगम}[1] का सदस्य न हो।

(6) किसी विशेष समिति अथवा संयुक्त समिति के अधिवेशन में सभापति की अनुपस्थिति में उस समिति के सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुनेंगे किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो {निगम}[1] का सदस्य नहीं होगा इस पद के लिए नहीं चुना जायगा।

(7) किसी विशेष समिति का प्रतिवेदन यथाशक्य शीघ्र {निगम}[1] के समक्ष रखा जायगा और तत्पश्चात् {निगम}[1] उसके सबंध में ऐसी कार्यवाही करेगी जिसे वह उचित समझे अथवा उसे ऐसी अन्य जांच–पड़ताल करने तथा ऐसा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निमित्त, जिसके जिए वह आदेश दे, विशेष समिति को वापस भेज सकती है।

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से कार्य सम्पादन

96–– (1) {निगम}[1] समय–समय पर निम्नलिखित के लिए छावनी के प्राधिकारी अथवा अन्य किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा इन प्राधिकारियों के समवाय के साथ मिल कर कार्य कर सकती है और यदि राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हो तो, ऐसा कार्य अवश्य करेगी ––

(क) किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जिसमें उपर्युक्त सभी प्राधिकारियों का संयुक्त हित हो, उसके अपने–अपने निकायों में से एक संयुक्त समिति की स्थापना तथा ऐसी समिति के सभापति की नियुक्ति,

(ख) उक्त समिति को ऐसे निबन्धनों के, जो किसी संयुक्त कार्य के निर्माण और उसके भावी संधारण के संबंध में ऐसे प्रत्येक निकाय के लिये बन्धनकारी हों, बनाने का अधिकार और अन्य ऐसा अधिकार प्रतिनिधानित करना, जो इन निकायों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, और

(ग) किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जिसके हेतु समिति की नियुक्ति की गयी है, ऐसी किसी समिति की कार्यवाहियों का विनियमन करने के निमित्त उपविधियां बनाना और उसमें संशोधान करना।

(2) यदि किसी मामले के सम्बन्ध में {निगम}[1] ने उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी की सहमति प्राप्त करने की प्रार्थना की हो और उस अन्य स्थानीय प्राधिकारी ने सहमति होने से इन्कार कर दिया हो तो राज्य सरकार पूर्वोक्त मामले में छावनी प्राधिकारी से भिन्न उस अन्य प्राधिकारी की सहमति प्राप्त करने के लिए ऐसी आज्ञा जारी कर सकती है, जिसे वह उचित समझे तथा उक्त अन्य प्राधिकारी उस आज्ञा का पालन करेगा।

(3) यदि {निगम}[1] तथा उक्त किसी अन्य प्राधिकारी के मध्य, जो इस धारा के अधीन {निगम} से मिल गई हो, कोई मतभेद उत्पन्न हो जाय तो उसे राज्य सरकार को भेज दिया जायगा तथा इस संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम और बन्धकारी होगा,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि सम्बद्ध प्राधिकारी कोई छावनी प्राधिकारी हो तो उस पर उक्त निर्णय तब तक बन्धकारी न होगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार उसकी पुष्टि न करे।

(4) {निगम}[1] छावनी प्राधिकारी अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा इन प्राधिकारियों के समवाय के साथ इन प्राधिकारियों की ओर से स्वयं चुंगी अथवा सीमाकर अथवा पथकर लगाने के लिए समय–समय पर करार कर सकती है और ऐसी दशा में लगाए गए करों के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानों नगर का क्षेत्र इतना बढ़ा दिया गया हो कि उसके अन्तर्गत आतें हों, जो ऐसे प्राधिकारी अथवा इन प्राधिकारियों के समवाय के नियंत्रण के अधीन हो।

(5) {निगम}[1] जिन निबन्धों पर उपधारा (1) अथवा उपधारा (4) के अधीन किसी छावनी प्राधिकारी अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा इन प्राधिकारियों के समवाय के साथ सम्मिलित होने का विचार करे वे लिखित रूप में रक्खे जायेंगे तथा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के अधीन होंगे।

(6) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के अधीन उपधारा (5) में उल्लिखित निबन्धतः समस्त सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारियों की सहमति से परिवर्तित अथवा विखण्डित किए जा सकते हैं, और इस प्रकार का कोई परिवर्तन अथवा विखंडन ऐसे दिनांक से प्रभावी होगा जो परस्पर निश्चित कर लिया जाय तथा पूर्वोक्त स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट कर दिया जाय।

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

उप–समितियां

97—— (1) कार्यकारिणी समिति, {विकास समिति, कक्ष समिति}[3], धारा 5 के खण्ड (ङ) के अधीन नियुक्त कोई समिति, अथवा कोई संयुक्त समिति किसी ऐसे प्रयोजन के लिए, जिसके सम्बन्ध में उसे कार्यवाही करने का अधिकार हो और जो उसके मतानुसार अधिक उपयोगी ढंग पर किसी उप–समिति द्वारा पूरा किया जा सकता हो, एक अथवा एकाधिक उपसमितियों की नियुक्त कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई उप समिति ऐसे अधिकारों का उपयोग तथा ऐसे कर्त्तव्यों और कृत्यों का पालन करेगी, जो उस नियुक्त करने वाली समिति समय–समय पर उसे प्रतिनिधानित करे, अथवा दे।

प्रश्न करने का अधिकार

98—— नियमों द्वारा विहित शर्तों के अधीन रहते हुए कोई सभासद {XXX}[1] इस अधिनियम की कार्यान्विति अथवा नगर के {निगम}[3] शासन से सम्बद्ध किसी विषय पर प्रश्न कर सकता है।

नगर प्रमुख तथा उप नगर प्रमुख के पदों की रिक्ति

100—— जब कभी नगर प्रमुख तथा उप–नगर प्रमुख दोनों के पद रिक्त हों तो मुख्य नगराधिकारी ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए, जो विहित अधिकारी एत्दर्थ दे, नगर प्रमुख अथवा उप नगर प्रमुख के निर्वाचित होने तक नगर प्रमुख के नैत्यिक कर्त्तव्यों का पालन करेगा।

अधिवेशन में मुख्य नगरा–धिकारी तथा अन्य पदा–धिकारियों की उपस्थिति

101—— (1) मुख्य नगराधिकारी को {निगम}[3] के अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत संगठित किसी समिति, उप समिति, संयुक्त समिति अथवा विशेष समिति के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने तथा वहां होने वाली चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा तथा वह पीठासीन अधिकारी की अनुमति से किसी भी समय कोई वक्तव्य अथवा वस्तुस्थिति संबंधी कोई स्पष्टीकरण दे सकता है, परन्तु उसे उस अधिवेशन में मत देने अथवा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार न होगा।

(2) {निगम}[3] अथवा उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई समिति, विशेष समिति, संयुक्त समिति अथवा उप समिति {निगम}[3] के किसी भी पदाधिकारी को आदेश दे सकती हे कि वह उसके किसी ऐसे अधिवेशन में उपस्थित हो, जहां किसी ऐसे विषय पर चर्चा हो रही हो, जिस पर उस पदाधिकारी ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कोई कार्यवाही की हो और यदि किसी पदाधिकारी को ऐसे किसी अधिवेशन में उपस्थित होने के आदेश मिलते हैं तो यथास्थिति {निगम}[3] समिति, विशेष समिति, संयुक्त समिति अथवा उपसमिति के अपेक्षानुसार उससे कोई व्यक्तव्य देने का अथवा वस्तुस्थिति का स्पष्टीकरण करने अथवा किसी विषय से, जिस पर उसने कार्यवाही की है, सम्बद्ध किसी ऐसी सूचना को प्रकट करने के लिए जो, उसके पास हो, अनुरोध किया जा सकता है।

(3) किसी भी ऐसे पदाधिकारी को, जिसे राज्य सरकार ने विशेष रूप से एतदर्थ प्राधिकृत किया हो, {निगम}[3] के अधिवेशन में उपस्थित रहने तथा उसमें किसी ऐसे विषय पर भाषण देने का अधिकार होगा, जिसका प्रभाव उसके विभाग पर पड़ता हो अथवा जिसके संबंध में उसे विशेष ज्ञान हो।

(4) {निगम}[3] राज्य सरकार से प्रार्थना कर सकती है कि वह किसी सरकारी विभाग के अध्यक्ष अथवा उस विभाग के किसी अन्य अधिकारी को {निगम}[3] के अधिवेशन में उपस्थित होने का निदेश दे।

---

1. उ.प्र. अधिनियम संख्या 12, 1977 की धारा 25 द्वारा निकाला गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 44 द्वारा प्रतिस्थापित।

{निगम}[1] कार्यकारिणी समिति इत्यादि की कार्यवाहियां

102–– {निगम}[1], कार्यकारिणी समिति, {विकास समिति, कक्ष समिति}[2] तथा अन्य सभी समितियों व उप–समितियों का अधिवेशन तथा उसके समक्ष आये हुए, कार्यों का सम्पादन और निस्तारण {निगम}[1] द्वारा बनायी गयी उपविधियों द्वारा विहित रीति से किया जायगा।

इस अध्याय के अधीन निर्मित उपविधियां

103–– (1) इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत तथा उनके अधीन रहते हुए {निगम}[1] अपने और कार्यकारिणी समिति, {विकास समिति, कक्ष समिति}[2] तथा ऐसी समितियों, जिनका निर्माण धारा 5 के खंड (ङ) के अन्तर्गत हुआ हो, विशेष समितियों, संयुक्त समितियों तथा उपसमितियों के अधिवेशनों का आयोजन तथा उन अधिवेशनों में सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का विनियमन करने के लिये उपविधियां बना सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त अधिकारों की व्यापकता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुए उपविधियों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है।

(1) {निगम}[1], समितियों और उप–समितियों के अधिवेशनों का समय तथा स्थान,

(2) रीति, जिससे ऐसे अधिवेशनों की सूचना दी जायगी,

(3) उक्त अधिवेशनों का प्रबन्ध तथा स्थगन और उनमें व्यवस्थित रूप से कार्य सम्पादन के विनियमन, जिसके अन्तर्गत शांतिभंग करने के दोषी सदस्य को निकाला अथवा उन्हें निलम्बित करना भी है,

(4) {निगम}[1], समिति अथवा उपसमिति के अधिवेशनों की प्रक्रिया,

(5) विवरण पुस्तिका तथा {निगम}[1], समितियों तथा उपसमितियों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखना,

(6) कार्यवाहियों के विवरणों तथा प्रतिवेदनों की जांच और शुल्क अदा करने पर अथवा अन्य प्रकार से उसकी प्रतियां सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों को देना,

(7) समितियों और उप–समितियों का संगठन,

(8) किसी उप–समिति को नियुक्त करने वाली समिति के समक्ष उप–समिति के निर्णय की अपील,

(9) प्रश्न पूछने के अधिकारों से सम्बद्ध शर्तें तथा ऐसे प्रश्नों के उत्तर।

(3) इस धारा के अधीन निर्मित उपविधियां धाराओं 542, 543, 544, 546, 547 तथा 549 के अधीन होंगी।

रिक्ति आदि के कारण कार्यवाहियां अमान्य न समझी जायेंगी

104–– (1) {निगम}[1] अथवा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी समिति अथवा उप–समिति का कोई कार्य अथवा उसकी कार्यवाही इस कारण कि उसमें कोई रिक्ति थी, न तो अमान्य ही होगी और न उस पर आपत्ति ही की जायगी।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 44 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) किसी व्यक्ति के जो सभासद {XXX}[1] अथवा नगर—प्रमुख अथवा उप नगर—प्रमुख अथवा {निगम}[2] के पीठासीन प्राधिकारी अथवा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी समिति अथवा उप समिति के सभापति अथवा उपसभापति अथवा सदस्य के रूप में कार्य कर रहा है, निर्वाचन अथवा उसकी नियुक्ति संबंधी किसी अनर्हता अथवा त्रुटि के कारण यथा—स्थिति {निगम}[2] अथवा किसी समिति अथवा उप—समिति के, जिसमें उक्त व्यक्ति ने भाग लिया है, किसी कार्य अथवा कार्यवाही को दोष—पूर्ण नहीं समझा जायगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जिन व्यक्तियों ने उक्त कार्य अथवा कार्यवाही में भाग लिया हो उनका बहुमत ऐसा करने का अधिकारी रहा हो।

(3) जब तक अन्यथा सिद्ध न हो जाय {निगम}[2] अथवा किसी समिति अथवा उप—समिति का प्रत्येक अधिवेशन, ऐसी कार्यवाहियों के बारे में जिसका विवरण इस अधिनियम अथवा उपविधियों के अधीन तैयार तथा हस्ताक्षरित हो चुका हो, यथाविधि आयोजित और किया गया समझा जायगा तथा अधिवेशन के समस्त सदस्यों के विषय में यह समझा जायगा कि वे यथाविधि अर्ह रहे है, और यदि वे कार्यवाहियां किसी समिति अथवा उपसमिति की हों तो उस समिति अथवा उप—समिति के विषय में यह समझा जायगा कि उसका यथाविधि संगठन हुआ था और उसे विवरण पुस्तिका में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में कार्यवाही करने का अधिकार था।

केवल अनियमितता के आधार पर कार्य और कार्यवाहियों पर आपत्ति करने के संबंध में प्रतिबन्ध

105—— इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी कार्य अथवा कार्यवाही पर, प्रक्रिया में किसी ऐसे दोष अथवा अनियमितता के ही आधार पर, जिससे मूल तत्वों पर कोई प्रभाव न पड़ता हो, किसी न्यायालय में कोई आपत्ति न की जा सकेगी।

अध्याय 4

पदाधिकारी तथा कर्मचारी वर्ग

पदों का सृजन

106—— (1) ऐसी शर्तों के अधीन, जो विहित की जाये, {निगम}[2] अपने कार्यों के संचालन समय—समय पर निम्नलिखित एक या एक से अधिक पदों का, जैसा वह आवश्यक समझे, सृजन कर सकती है :—

(1) उप—नगराधिकारी

(2) सहायक नगराधिकारी

{(3) मुख्य अभियंता,}[3]

(4) नगर स्वास्थ्य अधिकारी,

(5) मुख्य नगर लेखा परीक्षक, और

(6) पदाधिकारियों, कर्मचारी वर्ग तथा अन्य सेवकों के अन्य ऐसे पद, जो उसके कृत्यों के कुशल सम्पादन के निर्मित आवश्यक हों,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार इस आशय का आदेश देती है कि {निगम}[2] किसी पद का सृजन करे तो उसके लिये उस पद का सृजन करना अनिवार्य होगा :

और प्रतिबन्ध यह भी है कि प्रथम प्रतिबन्ध के अधीन सृजित किसी पद की समाप्ति राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना न की जायगी।

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 12, 1977 की धारा 26 द्वारा निकाला गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उपर्युक्त की धारा 45 द्वारा अन्तर्विष्ट।

(2) उपधारा (1) के अधीन सृजित पदों पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हतायें वहीं होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जायें।

पदों पर नियुक्ति

107–– (1) {उप नगराधिकारी, सहायक नगराधिकारी, {मुख्य अभियन्ता, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य नगर लेखा परीक्षक और ऐसे अन्य पदों पर, जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, नियुक्तियां राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् {नगर प्रमुख द्वारा विहित रीति से की जायेगी}[8],}[6] अन्य प्रकार से नहीं;}[3]

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि नगर–स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति जहां तक हो सके सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के उन अधिकारियों मे से जिनको कि राज्य सरकार प्रति नियुक्ति पर भेजना स्वीकार करे, की जायेगी तथा ऐसी दशा में राज्य के लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा।

(2) {{ऐसे पदों पर, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट पदों में सम्मिलित नहीं हैं, पर नियुक्तियां}[7] राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात विहित रीति से की जायेंगी, अन्य प्रकार से नहीं।}[4] {निगम}[5] के ऐसे पदाधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति का अधिकार––

(क) उन पदाधिकारियों एवं सेवकों के संबंध में, जो मुख्य नगर लेखा परीक्षक के तुरन्त अधीनस्थ हो, मुख्य नगर लेखा परीक्षक को, तथा

(ख) अन्य समस्त पदाधिकारियों एवं सेवकों के संबंध में मुख्य नगराधिकारी को, होगा।

(3) उपधारा (1), (2) तथा (5) में उल्लिखित नियुक्तियों को छोड़कर अन्य सब नियुक्तियों (4) के अधीन संगठित चुनाव करने वाली समिति की सिफारिशों के अनुसार की जायेंगी, और ऐसी नियुक्तियों का अधिकार –

(क) उन पदाधिकारियों एवं सेवकों के संबंध में, जो मुख्य नगर लेखा परीक्षक के तुरन्त अधीनस्थ हों मुख्य नगर लेखा परीक्षक को, तथा

(ख) अन्य समस्त पदाधिकारियों एवं सेवकों के संबंध में मुख्य नगराधिकारी को, होगा।

(4) उपधारा (3) में उल्लिखित समिति में मुख्य नगराधिकारी या उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति, {मुख्य नगर लेखा परीक्षक}[2] तथा उस विभाग का अध्यक्ष जिसके लिये नियुक्ति करनी हो, होंगे। मुख्य नगराधिकारी तथा उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा एतदर्थ नामोदृिष्ट किया गया सदस्य, चुनाव करने वाली समिति का सभापति होगा।

{किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगर अधिकारी या मुख्य नगर लेखा परीक्षक के तुरन्त अधीनस्थ पदाधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति के संबंध में जो ऊपर उल्लिखित समिति बनाई जायगी उसमें मुख्य नगर अधिकारी या मुख्य नगर लेखा परीक्षक, जैसी भी दशा हो, सभापति के रूप में होंगे तथा {निगम}[5] के दो और पदाधिकारी जिनको कार्यकारिणी समिति नामोदि्ष्ट करेगी सदस्यों के रूप में होगे।}[1]

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 14, 1959 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ्र.प्र. अधिनियम सं. 22, 1961 की धारा 2 द्वारा अन्तर्विष्ट।
3. उ.प्र. अधिनियम सं. 21, 1964 की धारा 11 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 11 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 46(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उपर्युक्त की धारा 46(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

8. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 26 वर्ष 1995 के अध्याय–दो की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित।

(5) {निगम}[3] के इंजीनिरिंग, {लोक स्वास्थ्य और निगम के अन्य विभागों के ऐसे पदों पर, जिनका वेतनमान उपधारा (3) में निर्दिष्ट पदों के वेतनमान से कम हो,}[4] नियुक्तियां, {निगम}[3] द्वारा एतदर्थ बनायी गयी किन्हीं उपविधियों के अधीन रहते हुए, धारा 112 में उल्लिखित सम्बद्ध विभागाध्यक्षों द्वारा की जायेगी।

(6) नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी तथा राज्य के लोक सेवा आयोग के बीच मत भेद होने की दशा में मुख्य नगराधिकारी सम्बद्ध मामले को राज्य सरकार को भेज देगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

कतिपय पदों पर स्थानापन्न और अस्थायी नियुक्तियां

108–– धारा 107 में किसी बात के होते हुए भी उक्त की उपधारा (1), (2), और (3) में उल्लिखित पदों पर स्थापना तथा अस्थायी नियुक्तियां उन उपधाराओं में निर्दिष्ट नियुक्ति करने वाले प्राधिकारियों द्वारा बिना राज्य के लोक सेवा आयोग के परामर्श के अथवा बिना चुनाव करने वाली समिति की सिफारिश प्राप्त किये, की जा सकती किन्तु यथास्थिति बिना राज्य के लोक सेवा आयोग के परामर्श के अथवा बिना चुनाव करने वाली समिति की सिफारिश के अनुसरण में ऐसी कोई नियुक्ति एक वर्ष से अधिक अवधि तक नहीं चलेगी और न कोई ऐसी नियुक्ति की जायगी, जिसके एक वर्ष से अधिक तक चलते रहने की आशा हो।

महापालिकाओं द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के अध्यापकों की नियुक्ति

{108–क–– धारा 107 और 108 में किसी बात के होते हुये भी, ––

(क) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में यथापरिभाषित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध और किसी {नगर निगम}[3] द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय में किसी अध्यापक की नियुक्ति उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी, और

(ख) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अनुसार मान्यता प्राप्त और किसी {नगर निगम}[3] द्वारा अनुरक्षित किसी संख्या के अध्यापक या प्रधान की नियुक्ति उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी।}[1]

सेवा की शर्तें इत्यादि

109–– महापालिका के पदाधिकारियों, कर्मचारी वर्ग तथा अन्य सेवकों की उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें वहीं होगी, जिन्हें राज्य सरकार विहित करे।

महापालिका के पदाधि–कारियों के दण्ड का व्यवस्था

110–– {(1) {निगम}[3] के किसी पदाधिकारी या सेवक को, जिस प्राधिकारी द्वारा वह नियुक्त किया गया था उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत न किया जायगा न हटाया जायगा न अन्य प्रकार से दण्डित किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि उस पदाधिकारी या सेवक की स्थिति में जिसे धारा 107 के अधीन राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियुक्त किया जाना अपेक्षित है, सम्बद्ध प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह किसी ऐसे पदाधिकारी या सेवक को पदच्युत करने, हटाने या पंक्तिच्युत करने की आज्ञा देने के पूर्व विहित रीति से आयोग से परामर्श करे।}[2]

(2) {निगम}[3] के पदाधिकारियों तथा सेवकों को दंडित होने के बाद अपील करने का वह अधिकार प्राप्त रहेगा जो विहित किया जाय।

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 10, 1978 की धारा 4 द्वारा अन्तर्विष्ट।
2. उपर्युक्त की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

4. उपर्युक्त की धारा 46 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

राज्य सरकार के नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार

111–– यदि धारा 107 में उल्लिखित कोई प्राधिकारी धारा 106 में उल्लिखित अथवा उसके अधीन सृजित किसी पद पर किसी उचित अवधि के भीतर नियुक्ति नहीं करता तो राज्य सरकार उस प्राधिकारी को उचित अवसर देने तथा राज्य के लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के बाद, यदि आवश्यक हो, उस पद पर नियुक्ति कर सकेगी और तत्पश्चात् वह नियुक्ति समस्त प्रयोजनों के लिये संबद्ध प्राधिकारी द्वारा की गयी नियुक्ति समझी जायेगी।

कतिपय पदाधिकारियों के अधिकार तथा कर्त्तव्य

112–– (1) मुख्य नगराधिकारी के नियंत्रण के अधीन रहते हुए {अपर मुख्य नगर अधिकारी, उपनगर अधिकारी}[5] तथा सहायक नगराधिकारी, मुख्य नगराधिकारी के ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेंगे, जिन्हें मुख्य नगराधिकारी एतदर्थ निर्दिष्ट करे।

(2) उपधारा (1) के अधीन उसे प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुसरण में {अपर मुख्य नगर अधिकारी}[6] उपनगराधिकारी अथवा सहायक नगराधिकारी को उनके द्वारा सम्पादित समस्त कार्य तथा प्रयुक्त समस्त क्षेत्राधिकारी सभी प्रयोजनों के लिये मुख्य नगराधिकारी द्वारा संपादित और प्रयुक्त समझे जायेंगे।

(3) {मुख्य अभियंता}[7], नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य नगर लेखा परीक्षक तथा अन्य ऐसे पदाधिकारी, जिन्हें राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, {निगम}[4] के विभागों के अध्यक्ष कहलायेंगे और ऐसे कर्त्तव्य का पालन तथा ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेंगे जो उन पर इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन, अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधायन के अधीन आरोपित किये गये हों।

सेवाओं का केन्द्रीकरण

{112 क–– {(1) धारा 106 से 110 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी भी समय ऐसे पदाधिकारियों और सेवकों की, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, एक अधिक ऐसी सेवायें सृजित करने के लिये नियमों द्वारा व्यवस्था कर सकती है, जो राज्य की {निगमों}[4] के लिये या {निगमों}[4], {नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों}[8] और जल संस्थानों के सामान्य हों, और किसी ऐसी सेवा में भर्ती करने की रीति और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें विहित कर सकती है।}[3]

{(2) जब कोई ऐसी सेवा सृजित की जाय तो सेवा में सम्मिलित पदों पर काम करने वाले पदाधिकारियों और सेवकों तथा धारा 577 के खण्ड (ङङ) के उपखण्ड (1) के अधीन उन पदों के कर्तव्यों का पालन तथा कृत्यों का सम्पादन करने वाले पदाधिकारियों और सेवकों को भी, यदि वे उपर्युक्त पाये जावें, विहित रीति से अस्थायी या अन्तिम रूप से, सेवा में लिया जा सकता है और अन्य व्यक्तियों की सेवायें विहित रीति से समाप्त हो जायेंगे :

{प्रतिबन्ध यह है कि सेवा में ऐसे आमेलन से सेवा के किसी सदस्य के विरुद्ध ऐसे आमेलन के दिनांक के पूर्व किये गये किसी कार्य के संबंध में कोई अनुशासन की कार्यवाही करने या जारी रखने मे कोई रुकावट न होगी।}[2]

(3) उपधारा (1) और (2) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में, उक्त उपधाराओं में अभिदिष्ट किन्हीं विषयों के संबंध में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की भी व्यवस्था की जा सकती है।}[1]

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 29, 1966 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ.प्र. अधिनियम सं. 15, 1983 की धारा 3 (क) द्वारा बढ़ाया गया और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा।
3. उ.प्र. अधिनियम सं. 5, 1984 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थपित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 47 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 47 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

7. उपर्युक्त की धारा 47 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उपर्युक्त की धारा 48(क) द्वारा प्रतिस्थापित।

{(4) पूर्ववर्ती उपधारा (1), (2) और (3) में या अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, विहित दिनांक के पूर्व की गयी अस्थायी और तदर्थ नियुक्तियों को राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किये बिना विनियमित करने के लिये भी नियमों द्वारा उपबन्ध कर सकती है।}[1]

{स्पष्टीकरण–– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य के कुमायूं और गढ़वाल मण्डलों में समाविष्ट जिलों में नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों, नगर निगमों और जल संस्थाअनों के लिए सामान्य सेवाएं सृजित की जा सकेगी।}[3]

आवश्यक सेवायें

112–ख–– महापालिका की निम्नलिखित सेवाएं आवश्यक सेवाएं होंगी :–

(क) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

(ख) जल–कल एवं यांत्रिक अभियन्त्रण सेवायें,

(ग) मेहतर,

(घ) रोशनी विभाग का कर्मचारी वर्ग,

(ङ) परिवहन सेवायें, और

(च) ऐसी अन्य सेवायें जो नियमों में निर्दिष्ट की जायें।

आवश्यक सेवाओं के सदस्य बिना अनुमति के त्यागपत्र आदि न देंगे

112–ग–– आवश्यक सेवा का कोई सदस्य ––

(क) (1) मुख्य नगराधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी पदाधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना, या

(2) बीमारी अथवा ऐसी दुर्घटना के बिना जिससे कि वह अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाय या ऐसे अन्य कारण के बिना जिसे मुख्य नगराधिकारी अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत पदाधिकारी पर्याप्त समझे, या

(3) मुख्य नगराधिकारी को तीन महीने का लिखित नोटिस दिये बिना न तो अपने पद से त्याग–पत्र देगा, न अपने पद के कर्तव्यों से विलग होगा और न अपने काम पर अनुपस्थित रहेगा, और

(ख) न अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करेगा और न उन्हें पालन करने से इन्कार करेगा और न जान–बूझ कर उनका पालन ऐसी रीति से करेगा, जो मुख्य नगराधिकारी या ऐसे अन्य उपर्युक्त पदाधिकारी की राय में अदक्षता पूर्ण हो।

आपात की घोषणा करने का राज्य सरकार का अधिकार

112–घ–– (1) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि आवश्यक सेवाओं में से किसी के कार्यकलाप के रुक जाने या बन्द हो जाने से नगर के जन सुमदाय की सुरक्षा या स्वास्थ्य अथवा ऐसी सेवाओं को, जो जन समुदाय के जीवन के लिये आवश्यक हों, बनाये रखने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो वह सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि नगर में आपात विद्यमान है और ऐसी अवधि निर्दिष्ट करेगी जब तक ऐसी घोषणा लागू रहेगी।

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 15, 1983 की धारा 3 (ख) द्वारा अन्तर्विष्ट।

2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 48 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन आपात की घोषणा लागू हो, तब ऐसी आवश्यक सेवाओं का, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जायें, कोई सदस्य, तत्समय प्रचलित किसी विधि या अनुबन्ध में किसी विपरीत बात के होते हुए भी ––

(क) बीमारी या ऐसी दुर्घटना के बिना, जिससे कि वह अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाय, न तो अपने कर्तव्यों से विलग होगा और न अपने काम पर अनुपस्थित रहेगा, और

(ख) न अपने कर्तव्यों की अपेक्षा करेगा और न उन्हें पालन करने से इन्कार करेगा और न जानबूझ कर उसका पालन ऐसी रीति से करेगा जो ऐसे पदाधिकारी की राय में, जिसे राज्य सरकार तदर्थ निर्दिष्ट करे, अदक्षता पूर्ण हो।}[1]

113–– (1) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों के प्रभावी बनाने के प्रयोजनों के लिये नियम बना सकती है। नियम बनाने का अधिकार

(2) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में निम्नलिखित बातों की व्यवस्था की जा सकती है –––

(क) {निगम}[5] के कार्य संचालनार्थ सृजित पदों पर नियुक्ति किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हतायें तथा भर्ती की रीति,

(ख) धारा 106 की उपधारा (1) के खंड (6) के अधीन सृजित पदाधिकारियों, कर्मचारी वर्ग तथा अन्य सेवकों के पदों के नाम तथा वेतनक्रम

(ग) अस्थायी अथवा स्थापित रूप से व्यक्तियों की नियुक्ति,

(घ) पूर्वोक्त पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के वेतन, उपलब्धियां और अन्य भत्ते,

(ङ) {निगम}[5] के पदाधिकारियों, कर्मचारी वर्ग और अन्य सेवकों की छुट्टी, दंड व्यवस्था, जिसके अन्तर्गत पदच्युति अथवा नौकरी से हटाया जाना भी होगा, अपील, अनुशासन संबंधी अन्य कार्यवाहियां तथा सेवा की शर्तें {***}[2]

(च) पदाधिकारियों को {निगम}[5] के विभागाध्यक्षों के रूप में निर्दिष्ट करना; {और}[3]

{(छ) धारा 112–क के अधीन म्युनिसिपल सेवायें सृजित करना तथा उनमें भर्ती करना, वर्तमान पदाधिकारियों तथा सेवकों को उनमें लेना और ऐसे पदाधिकारियों तथा सेवकों का स्थानान्तरण, छुट्टी, दण्ड, जिसके अन्तर्गत पदच्युति और हटाया जाना भी है, अपील तथा अन्य आनुशासनिक विषय और सेवा की अन्य शर्तें।}[4]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं. 21, 1964 की धारा 12 द्वारा नयी धारायें 112–क से 112–घ बढ़ायी गयी।
2. उपर्युक्त की धारा 13 (1) द्वारा प्रतिस्थापित तथा निकाला गया।

3. उपर्युक्त की धारा 13 (2) द्वारा प्रतिस्थापित तथा जोड़ा गया।
4. उपर्युक्त की धारा 13 (3) द्वारा अन्तर्विष्ट।
5. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

अध्याय 5

{निगम}[1] और उनके प्राधिकारियों के कर्तव्य और अधिकार

114–– {निगम}[1] का यह अनिवार्य कर्तव्य होगा कि वह निम्नांकित विषयों में से प्रत्येक के लिये किसी भी ऐसे साधन या उपाय द्वारा, जिसका प्रयोग करने या जिसे ग्रहण करने के लिये वह विधिक रूप से सक्षम है, समुचित और पर्याप्त व्यवस्था करे ––– महापालिका के अनिवार्य कर्तव्य

(1) उन स्थानों पर, जहां प्राकृतिक सीमा सूचक चिन्ह न हो, इस प्रकार के और उस स्थल पर, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे, पर्याप्त संख्या में ऐसे सीमासूचक चिन्ह खड़े करना, जिनके द्वारा नगर की सीमाओं या उन सीमाओं में किसी परिवर्तन का निर्धारण होना हो,

(2) {निगम}[1] में निहित सड़कों और सार्वजनिक स्थानों के नाम रखना या उनकी संख्या निश्चित करना या भूगृहादि पर संख्या लिखवाना,

(3) मल इत्यादि दुर्गन्धयुक्त पदार्थ और कूडे करकट को एकत्रित कराना और हटावाना तथा उसके उपयोग और निस्तारण की व्यवस्था करना, जिसमें फार्म या फैक्ट्री स्थापित करना और उसका संधारण भी सम्मिलित है,

(4) नगर की समस्त सार्वजनिक सड़कों और स्थानों की पानी से धुलाई बुहारी द्वारा उनकी सफाई तथा उन्हें स्वच्छ रखना और वहां से सारा कूड़ा–करकट हटवाना,

(5) नालियों और जल–निस्सारण निर्माण कार्यों, सार्वजनिक शौचालयों, नाबदानों मूत्रालयों तथा ऐसी ही अन्य सुविधाओं का निर्माण, उसका संधारण और उनकी सफाई,

(6) {निगम}[1] द्वारा अनुमोदित सामान्य व्यवस्था के अनुसार भू–गृहादि के मल इत्यादि को प्राप्त करने और उसे {निगम}[1] के नियंत्रण के अधीन नालियों में पहुचांने के उद्देश्य से भू–गृहादि पर या उसके, प्रयोग के लिये पात्रों संसाधनों, पाइपों तथा अन्य उपकरणों का सम्भरण और उनका निर्माण तथा संधारण,

(7) समस्त {निगम}[1] जलकलों का प्रबन्ध तथा संधारण और ऐसे नये कार्यों का निर्माण या अर्जन जो {घरेलू, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए}[2] पर्याप्त जल–सम्भरण के लिये आवश्यक हों,

(8) मनुष्यों के उपभोग के लिये प्रयुक्त होने वाले जल को दूषित न होने देना और दूषित जल के ऐसे उपभोग को रोकना,

(9) {निगम} में निहित सार्वजनिक सड़कों, {निगम}[1] बाजारों तथा सार्वजनिक भवनों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में रोशनी का प्रबन्ध करना,

{(9–क) पार्किंग स्थलों, बस स्टापों और जन सुविधाओं का निर्माण और उनका संधारण;}[3]

(10) सार्वजनिक चिकित्सालयों तथा औषधालयों की, जिनमें संक्रामक या संसर्गजन्य रोगों से ग्रस्त अथवा इस प्रकार संदिग्ध व्यक्तियों को अलग रख कर उनकी चिकित्सा करने के चिकित्साल भी सम्मिलित हैं, स्थापना, उनका संधारण या उनकी सहायता करना तथा जनता को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें देने के लिये अन्य आवश्यक साधनों की व्यवस्था करना;

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 49 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 49 (ख) द्वारा अन्तर्विष्ट।

(11) संक्रामक, संसर्गजन्य तथा भयानक रोगों की रोकथाम करना और उनके, प्रसार को नियंत्रित करना,

(12) जलान्तक रोगों की चिकित्सा की व्यवस्था करना,

(13) बीमारों को ले जाने वाली गाड़ियों का संधारण,

(14) सार्वजनिक रूप से टीके लगाने की पद्धति की स्थापना तथा उसका संधारण,

(15) प्रमुख आंकड़ों, जिनमें जन्म–मरण के आंकड़े भी है, का पंजीयन,

{(16) मातृत्व केन्द्रों और शिशु–कल्याण एवं सन्तति निग्रह सदनों की स्थापना, उनका संधारण तथा उनकी सहायता करना और जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण और छोटे परिवार के मान का उन्नयन;}[2]

(17) रोगों का या खाद्य–पदार्थों में मिलावट का पता लगाने या सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंद्ध खोज कार्यों के निमित्त पानी, खाद्य पदार्थ या भेषजों की परीक्षा का विश्लेषण के लिये रासायनिक या जीवाणु विज्ञान सम्बन्धी प्रयोगशालाओं की व्यवस्था, उनका संधारण अथवा प्रबन्ध,

(18) अस्वास्थ्यक स्थानों का पुनरुद्वार हानिकार उद्‌भिज का हटाया जाना और सामान्यतः समस्त अपदूषणों का समाप्त किया जाना,

(19) आपत्तिजनक तथा खतरनाक किस्म के व्यापारों, आजीविकाओं तथा कार्यों जिसके अन्तर्गत वेश्यावृत्ति भी है, कि विनियन तथा उनका समाप्त किया जाना,

(20) मृतकों के शव–निस्तारण के स्थानों का सधारण, उन्हें नियत करना तथा उनका विनियमन और उक्त प्रयोजनों के लिए ऐसे शवों का निस्तारण करने के लिए, जिनका कोई न हो, नये स्थानों की व्यवस्था करना या किसी दूसरी संस्था द्वारा उक्त उद्देश्यों के लिए की गई व्यवस्था में यथा–शक्ति सहायता देना,

(21) सार्वजनिक बाजारों अैर {वधशालाओं और चर्मशोधन शालाओं}[3] का निर्माण, तथा संधारण तथा समस्त बाजारों और वधशालाओं का विनियमन;

(22) खतरनाक भवनों तथा स्थानों को निरापद बनाना या हटाना,

(23) पानी निकालने के बम्बों का संधारण तथा आग लगने पर ऐसी सहायता पहुचाना, जिसके लिए राज्य सरकार सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा समय–समय पर आदेश दे। इस सहायता में आग लगने पर उसे बुझाने के लिए दमकलों का संधारण या प्रबंध और जन–धन की रक्षा भी सम्मिलित है,

(24) सड़कों, पुलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में या पर, उपस्थित अवरोधों तथा बाहर निकले हुए अनियमित भोगों को हटाना,

(25) प्रारम्भिक शिक्षा, जिसके अन्तर्गत शिशु शिक्षा भी है, के लिए स्कूलों की स्थापना, उनका संधारण तथा उनकी सहायता करना और उनके लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करना,

(26) शरीर संवर्द्धन सम्बन्धी संस्थाओं की स्थापना और उनका संधारण करना या उन्हें सहायता देना,

(27) पशु–चिकित्सालयों का संधारण या उनके संधारण के लिए अंशदान देना।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 49 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 49 (घ) द्वारा अन्तर्विष्ट।

(28) कांजीहौजों के निर्माण या अर्जन और संधारण,

(29) सार्वजनिक सड़कों, पुलों, उप–मार्गों, पुलियों–पुलों की ऊंची सड़कों तथा अन्य ऐसे ही साधनों का निर्माण, संधारण और उनमें परिवर्तन या सुधार करना,

(30) सड़कों के किनारों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण करना तथा उनका संधारण,

(31) गमनागम का विनियमन तथा गमनागमन चिन्हों की व्यवस्था करना,

(32) {निगम}[1] के सफाई कर्मचारियों तथा सब प्रकार के श्रमिक वर्गों के लोगों की, उनके रहने के लिए क्वार्टरों का निर्माण तथा संधारण करके अथवा ऋण देकर निवास–व्यवस्था में सहायता करना,

(33) नगर नियोजन तथा सुधार, जिसमें गन्दी बस्तियों की सफाई, गृह–निर्माण योजनाओं को तैयार करना तथा उन्हें कार्यान्वित करना और नयी सड़कों का विन्यास भी सम्मिलित है,

{(33–क) नगरीय वानिकी और पारिस्थितिकी पहलुओं की वृद्धि और पर्यावरण का संरक्षण;}[2]

(34) {निगम}[1] में निहित अथवा उसके प्रबन्ध में सौपी गयी सम्पत्ति का संधारण तथा उनके मूल्य में विकास करना,

{(34–क) समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अन्तर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, हितों का संरक्षण;

(34–ख) सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक पहलुओं की अभिवृद्धि;

(34–ग) कांजी हाऊस का निर्माण और संधारण और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण;}[3]

(35) {निगम}[1] कार्यालय, समस्त सार्वजनिक स्मारकों, खुले स्थानों तथा अन्य {निगम}[1] में निहित सम्पत्ति का संधारण,

(36) एक बुलेटिन प्रकाशित करना, जिसमें {निगम}[1] तथा उसकी समितियों की कार्यवाहियों या उन कार्यवाहियों के सार तथा {निगम}[1] के कार्य–कलापों की अन्य सूचनायें दी गयी हों,

(37) सरकारी पत्रों पर तत्काल ध्यान देना और ऐसे विवरण–पत्रों तथा ऐसे विवरण–पत्रों तथा ऐसी रिपोर्टों को तैयार और प्रस्तुत करना, जिन्हें प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार {निगम}[1] को आदेश दे, और

(38) इस अधिनियम या तत्समय प्रचलित किसी विधि द्वारा या उके अधीन आरोपित किसी आभार की पूर्ति करना;

{(39) गन्दी बस्ती का सुधार और उन्नयन;

(40) नगरीय निर्धनता कम करना;

(41) नगरीय सुख–सुविधाओं तथा सुविधाओं जैस कि पार्क, उद्यान और खेल के मैदानों की व्यवस्था करना।}[4]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 49 (ङ) द्वारा अन्तर्विष्ट।

3. उपर्युक्त की धारा 49 (च) द्वारा अन्तर्विष्ट।
4. उपर्युक्त की धारा 49 (छ) द्वारा अन्तर्विष्ट।

महापालिका के स्वविवेकानुसार कर्तव्य

115—— {निगम}[1] निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिए समय–समय पर स्वविवेकानुसार पूर्णतः या अंशतः व्यवस्था कर सकती है :——

(1) नगर के भीतर या बाहर, ऐसे व्यक्तियों की देखभाल के लिए, जो अशक्त रुग्ण या असाध्य रूप से रोगग्रस्त हों या अंधे, बहरे, गूंगे या अन्य रूप से असमर्थ व्यक्तियों या सुविधाहीन बच्चों की देखभाल तथा प्रशिक्षण के लिए संस्थाओं का, जिनमें पागलखाने, कुष्ठाश्रम, अनाथालय तथा महिला–सेवा आश्रम सम्मिलित है, संगठन, संधारण अथवा प्रबन्ध करना,

(2) गर्भवती या दूध पिलाने वाली माताओं या शिशुओं या स्कूली बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करना,

(3) तैरने के जल–कुण्ड कपड़ा धोने के सार्वजनिक घर स्नानगृह तथा अन्य संस्थायें जो नदी के किनारों पर स्नान–घाटों के विकास तथा निर्माण के लिए हों,

(4) नगर–निवासियों के लाभार्थ दूध या दूध से बने पदार्थों का संभरण वितरण और वैज्ञानिक निर्माण–क्रिया के निमित्त नगर में या उसके बाहर दुग्धशालायें या फार्म स्थापित करना,

(5) सार्वजनिक सड़कों या स्थानों में मनुष्यों के लिए पीने के पानी के फौब्बारे अथवा प्याऊ अथवा पानी के बम्बों का तथा पशुओं के लिए चरहियों का निर्माण तथा संधारण,

(6) संगीत तथा अन्य ललित–कलाओं को प्रोत्साहन देना तथा सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक समागम स्थलों पर संगीत की व्यवस्था करना,

(7) नगर के भीतर तथा बाहर स्थित शिक्षा संबंधी तथा सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान देना,

(8) {***}[2] मनोविनोद के मैदानों, मूर्ति स्थापना तथा नगर को सुन्दर बनाने की व्यवस्था करना,

(9) प्रदर्शनी, व्यायाम प्रदर्शन या खेलकूद के समारोहों का आयोजन,

(10) नगर में ठहरने की जगहों, शिविर–सीलों और विश्राम गृहों का विनिमन,

(11) प्रेक्षा–गृहों, विश्राम–गृहों तथा अन्य सार्वजनिक भवनों का निर्माण, उनकी स्थापना तथा उनका संधारण,

(12) वस्तुओं की दुष्प्राप्यता के समय जीवन–धारणा के लिए आवश्यक वस्तुयें बेचने के निमित्त दुकानों और स्आलों का संगठन तथा संधारण,

(13) {निगम}[1] के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए निवास–गृहों का निर्माण, उनकी खरीद तथा उनका संधारण,

(14) {निगम}[1] के कर्मचारियों को निर्माण–कार्य के लिए ऐसे निबन्धों पर और ऐसी शर्तों के अधीन, जो {निगम}[1] द्वारा विहित की जाय, ऋण देना,

(15) {निगम}[1] के कर्मचारियों या उनके किसी वर्ग के कल्याणार्थ कोई अन्य कार्य करना,

(16) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से बिजली या गैस का संभरण करने के लिए किसी संस्थापन को खरीदना या ऐसे किसी संस्थापन को, जो जनता के सामान्य हितों के लिये हो, चलाना या उसे आर्थिक सहायता देना,

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 50 द्वारा निकाला गया।

(17) नगर के भीतर या बाहर व्यक्तियों तथा माल को लाने, ले जाने के लिए राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से ट्राम्बे, बिना पटरी की ट्रामें या मोटर गाड़ियों द्वारा यातायात की सुविधाओं का निर्माण, उनकी खरीद, उनका संगठन, संधारण या प्रबन्ध,

(18) धारा 114 के खंड (25) में उल्लिखित शिक्षा संबंधी उद्देश्यों से भिन्न उद्देश्यों को बढ़ावा देना और नगर के भीतर और बाहर स्थित शिक्षा संस्थाओं को अनुदान देना,

(19) पुस्तकालयों, संग्रहालयों और कलात्मक वस्तुओं के संग्रहालयों, वनस्पति–विज्ञान विषयक या जीव विज्ञान विषयक संग्रहालयों की स्थापना और संधारण या उनको सहायता देना तथा उनके लिए भवनों का खरीदना या बनवाना,

(20) स्नानागारों, स्नानघाटों, कपड़ा धाने के घरों तालाबों, कुओं, बांधों तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य कार्यों का निर्माण, उसकी स्थापना, उनका संधारण या उनके संधारण के लिए अंशदान देना,

(21) अशक्तों के लिये सेवाश्रमों या पशुओं के लिए चिकित्सालयों का निर्माण तथा संधारण,

(22) ऐसे पशु–पक्षियों को, जिनके कारण अपदूषण पैदा होता हो, या हानिकर कीड़–मकोड़े को नष्ट कराना तथा छुट्टे या लावारिस कुत्तों को पकड़कर बन्द करना या उन्हें नष्ट करना,

(23) नगर के भीतर पीड़ित व्यक्तियों के सहायतार्थ अथवा लोक कल्याणार्थ स्थापित किसी सार्वजनिक निधि में अंशदान देना,

(24) अभिनन्दन–पत्र प्रदान करना तथा स्वागत करना,

(25) पशुचर भूमियों का अर्जन तथा संधारण और प्रजनन के लिए पशुओं के बाड़ों की स्थापना तथा उनका संधारण,

(26) निवास–गृहों की व्यवस्था करने में या गृह–निर्माण योजनाओं को कार्यान्वित करने में अभिरूचि रखने वाले किसी व्यक्ति, समिति या संस्था को ऋण या अन्य प्रकार की सुविधायें देना,

(27) गरीबों की सहायता की व्यवस्था करना,

(28) गौशालाओं और किराये की गाड़ियों प्रयुक्त होने वलो घोड़ों, टट्टुओं और पशुओं के लिए आरोग्यकर पशुशालाओं का निर्माण, क्रय तथा संधारण,

(29) भवनों या भूमियों का सर्वेक्षण,

(30) किसी ऐसी आपदा के, जिसका प्रभाव नगर की जनता पर पड़ता हो, निवारणार्थ सहायता कार्यों की व्यवस्था करना,

(31) धारा 114 में या इस धारा के अन्य खंडों में निर्दिष्ट उपायों से भिन्न उपाय करना, जिसने सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य या सुविधाओं में विकास होने की संभावना हों,

(32) बजट में धनराशि की व्यवस्था होने पर नगर में किसी सार्वजनिक समारोह या मनोरंजन के निमित्त अंशदान देना,

(33) पर्यटक–कार्यालय की स्थापना तथा संधारण,

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(34) {निगम}[1] के कार्य के लिए तथा फालतू समय में मूल्य लेकर निजी कामों के लिए प्रेस और कारखाना स्थापित करना तथा उसका संधारण करना,

(35) विष्टा और कूड़ा–करकट से कम्पोस्ट खाद तैयार करने का प्रबन्ध करना,

(36) व्यापार तथा उद्योग की उन्नति के उपायों की व्यवस्था करना तथा {निगम}[1] बैंक की स्थापना करना,

(37) अपने कर्मचारियों के लिए श्रम–हितकारी केन्द्रीय की स्थापना करना और ऐसे कर्मचारियों के किसी संगठन यूनियन या क्लब की सामान्य प्रगति के लिए अनुदान अथवा ऋण देकर उसके कार्य–कलापों में आर्थिक सहायता देना,

(38) {निगम}[1] यूनियनों को संगठित करना और उन्हें अंशदान देना,

(39) अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की समाजिक निर्योग्यताओं को दूर करने की व्यवस्था करना,

(40) भिक्षा–वृत्ति के नियंत्रण तथा निवारण के लिए कार्यवाही करना,

(41) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से पुलिस के ऐसे कर्तव्यों का, जो विहित किये जायं, भार–ग्रहण करने और ऐसी रीति, से विहित की जायं उनका निर्वहन करने के लिए {निगम}[1] के पुलिस दल की स्थापना तथा संधारण,

(42) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से पुलिस के ऐसे कर्तव्यों का, भार ग्रहण करना, जिसका उद्देश्य सुख–सुविधा या रोजगार की व्यवस्था करना या उसमें वृद्धि करना अथवा बेकारी को दूर करना हो,

(43) कोई ऐसा कार्य जिस पर किये गये व्यय के समबन्ध में राज्य सरकार या राज्य सरकार की स्वीकृति से {निगम}[1] यह घोषित करे कि वह {निगम}[1] निधि पर उपयुक्त रूप से पारित है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा किसी एक {निगम}[1] या समस्त {निगमों}[1] के संबंध में यह घोषणा कर सकती है कि इस धारा में उल्लिखित कृत्यों में से कोई कृत्य को सम्पन्न करना संबद्ध {निगम}[1] या {निगमों}[1] का कर्तव्य होगा और तदुपरान्त इस अधिनियम के उपबन्ध उस संबंध में इस प्रकार लागू होंगे मानो वह धारा 114 द्वारा आरोपित कर्तव्य हो।

{निगम}[2] प्राधिकारियों में कृत्यों का विभाजन

116–– (1) विभिन्न {निगम}[1] प्राधिकारियों के कृत्य क्रमशः वे ही होंगे, जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन विशिष्ट रूप से विहित किये जायं।

(2) यदि ऐसा कोई संशय या विवाद उत्पन्न हो कि अमुक कृत्य किस {निगम}[1] प्राधिकारी विशेष का कृत्य है, तो मुख्य नगराधिकारी संशय या विवाद को राज्य सरकार के प्रतिप्रेषित कर सकता है या यदि नगर प्रमुख ऐसा आदेश दे तो वह उसे राज्य सरकार को प्रतिप्रेषित करेगा। इस सबंध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा और उसके बारे में किसी न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी।

{निगम}[1] प्राधिकारियों के कृत्य

117–– (1) उस दशा को छोड़कर जबकि इस अधिनियम में स्पष्टतः अन्यथा व्यवस्था की गयी हो, नगर का {निगम}[1] प्रशासन, {निगम}[1] में निहित होगा।

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

{(1–क) इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर प्रत्येक कक्ष समिति में, उस क्षेत्र के संबंध में जिसके लिए उसको संगठित किया गया है, निगम की ओर से ऐसी शक्तियों और कृत्य निहित होंगे, जिन्हें नियमों द्वारा विहित किया जाय।}[3]

(2) इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर नगर के {निगम}[2] प्रशासन का अधीक्षण {निगम}[2] के लिए और उसकी ओर से कार्यकारिणी समिति में निहित होगा।

(3) विकास समिति अध्याय 14 में उल्लिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी और उसे उक्त अध्याय में उल्लिखित अधिकार प्राप्त होंगे।

(4) धारा 5 के खंड (ङ) के अधीन नियुक्त समिति के कृत्य और अधिकार वही होंगे, जो उसे राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से {निगम}[2] द्वारा सौंपे जायं।

(5) {नगर प्रमुख के सामान्य नियंत्रण और निदेश के, तथा जहां कही भी आगे स्पष्टतः ऐसा निदेश किया गया हो, यथास्थिति, {निगम}[2] या कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के अधीन रहते हुए}[1] तथा इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन आरोपित अन्य समस्त प्रतिबन्धों, परिसीमाओं तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम को कार्यानिवृत करने के प्रयोजनार्थ कार्यपालिका के अधिकार मुख्य नगराधिकारी में निहित होंगे, जो उन समस्त कर्तव्यों का पालन तथा उन समस्त अधिकारों का प्रयोग भी करेगा, जो विशिष्ट रूप से उस पर आरोपित किये गये हों या उसे दिये गये हों।

(6) उपधारा (5) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मुख्य नगराधिकारी ––

(क) इस अधिनियम के तथा इसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए मुख्य नगर लेखापरीक्षक तथा उनके तुरन्त अधीनस्थ {निगम}[2] पदाधिकारियों और सेवकों को छोड़कर समस्त {निगम}[2] पदाधिकारियों तथा सेवकों के कर्तव्य विहित करेगा और उनके कार्यों तथा कार्यवाहियों का निरीक्षण और नियन्त्रण करेगा और उक्त पदाधिकारियों तथा सेवकों की सेवा तथा विशेषाधिकारों और भत्तों से सम्बद्ध समस्त प्रश्नों का निस्तारण करेगा;

(ख) किसी आपातकाल में जनता की सेवा या सुरक्षा के लिए या {निगम}[2] की सम्पत्ति की रक्षा के लिए तात्कालिक कार्यवाही करेगा, जो आपात को देखते हुए अपेक्षित हो, भले ही ऐसी कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य {निगम}[2] प्राधिकारी या राज्य सरकार की स्वीकृति, अनुमोदन या प्राधिकार के बिना न की जा सकती हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति ओर {निगम}[2] को तत्काल उस कार्यवाही की सूचना देगा, जो उसने की है और साथ ही उसे ऐसी कार्यवाही करने के कारण भी बतायेगा। मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति को यह भी सूचित करेगा कि ऐसी कार्यवाही के फलस्वरूप उस पर कितना धन, यदि कोई हो, जिसकी बजट अनुदान में व्यवस्था नहीं है खर्च हुआ है अथवा खर्च होने की संभावना है :

और प्रतिबन्ध यह भी है, कि मुख्य नगराधिकारी इस खंड के अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग न करेगा, यदि उस कार्य विशेष को करने में बजट अनुदान के अतिरिक्त किसी ऐसी धनराशि के व्यय होने की संभावना हो, जो ––

---

1. उ.प्र. अधिनियम संख्या 41, 1976 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 51 द्वारा अन्तर्विष्ट।

(क) 10,000 रु0 से या जब उस कार्य के लिए नगर—प्रमुख की सहमति प्राप्त हो तो 20,000 रु0 से अधिक हो, या

(ख) संबद्ध वित्तीय वर्ष में इस खंड के अधीन बजट अनुदान से अधिक पहिले से ही व्यय हो चुकी किसी धनराशि के सहित 50,000 रु0 से या जब उस कार्यवाही के लिए नगर प्रमुख की सहमति प्राप्त हो, 1, 00,000, रु0 से अधिक हो।

118—— मुख्य नगर लेखा परीक्षक — मुख्य नगर लेखापरीक्षक के अधिकार तथा कर्तव्य

(क) ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जिनके लिए इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन निर्देश हो तथा {निगम}[1] निधि के लेखों के परीक्षण के संबंध में ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन, करेगा, जो {निगम}[1] अथवा कार्यकारिणी समिति द्वारा उससे अपेक्षित हो,

(ख) कार्यकारिणी समिति द्वारा समय—समय पर दिये गये निर्देशों के अधीन रहते हुए अपने तुरन्त अधीनस्थ लेखा—परीक्षक तथा सहायक लेखा—परीक्षक, लिपिक तथा कर्मचारियों के कर्तव्यों को नियत करेगा, तथा

(ग) कार्यकारिणी सिमति की आज्ञाओं के अधीन रहते हुए उक्त लेखा परीक्षकों, सहायक लेखा—परीक्षकों, लिपिकों तथा कर्मचारियों का निरीक्षण तथा नियत्रंण करेगा तथा नियमों के अधीन रहते हुए उक्त लेखा परीक्षकों, सहायक लेखा—परीक्षकों, लिपिकों तथा कर्मचारियों की सेवाओं, प्रतिफलों और विशेषाधिकारों से सम्बद्ध समस्त प्रश्न का निस्तारण करेगा।

119—— (1) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा इसके अधीन बने नियमों के अधीन रहते हुए तथा ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए, जो {निगम}[1] द्वारा निर्दिष्ट किये जायें —— कृत्यों का प्रतिनिधान

(क) {निगम}[1] कार्यकारिणी समिति को या मुख्य नगराधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों में से किन्हीं ऐसे कृत्यों को प्रतिनिधानित कर सकती है जो अनुसूची 1 के भाग (क) में निर्दिष्ट कृत्यों से भिन्न हों,

(ख) कार्यकारिणी समिति मुख्य नगराधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों में से किन्हीं ऐसे कृत्यों को प्रतिनिधानित कर सकेगी जो अनुसूची 1 के भाग (ख) में निर्दिष्ट कृत्यों से भिन्न हो,

(ग) विकास समिति मुख्य नगराधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों में से किन्हीं ऐसे कृत्यों को प्रतिनिधानित कर सकेगी, जो अनुसूची 1 के भाग (ग) में निर्दिष्ट कृत्यों से भिन्न हों,

(घ) मुख्य नगराधिकारी किसी {निगम}[1] कर्मचारी को अपने कृत्यों में से किसी ऐसे कृत्यों को प्रतिनिधानित कर सकेगा जो अनुसूची 1 के भाग (घ) में निर्दिष्ट कृत्यों से भिन्न हो :

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार समय—समय पर सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा अनुसूची—1 के भाग क, भाग ख, भाग ग अथवा भाग घ में उल्लिखित किसी कृत्य को प्रतिनिधान्य कृत्य के रूप में अथवा, ऐसे किसी कृत्य को जिसका उसमें उल्लेख नहीं है, अप्रतिनिधान्य कृत्य के रूप में, अथवा ऐसे किसी कृत्य को जिसका उसमें उल्लेख नहीं है, अप्रतिनिधान्य कृत्य के रूप में घोषित कर सकती है तथा इस प्रकार की घोषणा के उपरान्त वह उपर्युक्त कृत्य, जैसी भा स्थिति हो, प्रतिनिधानित किया जा सकेगा अथवा प्रतिनिधान्य कृत्य के रूप में न रह जायगा मानों अनुसूची 1 में उसका कोई उल्लेख नहीं है अथवा उक्त सूची में उसका उल्लेख है।

(2) यदि मुख्य नगराधिकारी द्वारा कृत्यों को प्रतिनिधानित किया जाय, तो उस आज्ञा की, जिसके द्वारा प्रतिनिधान किया जाय, एक प्रति कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ रखी जायगी।

(3) मुख्य नगराधिकारी द्वारा इस अधिनियम की इस धारा के अधीन उसके किसी कृत्य का प्रतिनिधान होते हुए भी मुख्य नगराधिकारी उक्त कृत्य के यथाविधि सम्पादन के लिये उत्तरदायी बना रहेगा।

मुख्य नगराधिकारी द्वारा अन्य विधियों के अधीन {निगम}[1] के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्य

120—— (1) तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि द्वारा {निगम}[1] को दिये गये, उस पर आरोपित किये गये या उसमें निहित कोई भी अधिकार, कर्त्तव्य और कृत्य ऐसी विधि के उपबन्धों तथा ऐसे प्रतिबन्धों, सीमाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो {निगम}[1] द्वारा आरोपित की जाय, मुख्य नगराधिकारी द्वारा प्रयुक्त, संपादित या निर्वहित किये जायेंगे।

(2) मुख्य नगराधिकारी इस सम्बन्ध में किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, लिखित आज्ञा द्वारा जिसकी एक प्रति सूचनार्थ कार्य—कारणी समिति के समक्ष रखी जायगी, मुख्य नगर लेखा परीक्षक से भिन्न किसी भी {निगम}[1] पदाधिकारी को मुख्य नगराधिकारी के नियंत्रणाधीन किसी अधिकार, कर्तव्य या कृत्य को, अपने पुनरीक्षण तथा ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के यदि कोई हों, अधीन रहते हुए जिन्हें आरोपित करना वह उचित समझे प्रयोग, सम्पादन तथा निर्वहन करने का अधिकार दे सकता है।

{निगम}[1] कार्यकारिणी समिति से कार्यवाहियों आदि के अवतरण मंगा सकती है

121—— {निगम}[1] किसी भी समय इस अधिनियम के अधीन बनी किसी समिति या उप—समिति की कार्यवाहियों के अवतरण मंगा सकती है और वह किसी ऐसे विषय से सम्बद्ध या संसक्त विवरणी, विवरण—पत्र, लेखा या रिपोर्ट मंगा सकेगी, जिसमें कार्यवाही करने के लिये ऐसी समिति या उप—समिति को इस अधिनियम द्वारा ऐसी किसी भी अधियाचना की भूति पूर्ति अनुचित विलम्ब किये बिना की जायगी।

मुख्य नगराधिकारी 73 से लेख्य विवरणी तथा प्रतिवेदन आदि प्रसतुत कराने के सम्बन्ध में {निगम}[1] के अधिकार

122— (1) {निगम}[1] अथवा कार्यकारिणी समिति किसी भी समय मुख्य नगराधिकारी को आदेश दे सकती है कि वह —

(क) किसी ऐसे अभिलेख, पत्र—व्यवहार, योजना या अन्य लेख्य को प्रस्तुत करे जो मुख्य नगराधिकारी के रूप में उसके कब्जे या नियंत्रण में हो या जो उसके कार्यालय अथवा उसके अधीनस्थ किसी {निगम}[1] पदाधिकारी या किसी {निगम}[1] पदाधिकारी या किसी सेवक के कार्यालय की पत्रावलियों में अभिलिखित हो,

(ख) इस अधिनियम के प्रशासन या नगर के स्थानीय प्रशासन विषयक किसी मामले से सम्बद्ध या संसक्त कोई विवरणी, योजना—तखमीना, विवरण—पत्र, लेखा या आंकड़े प्रस्तुत करे,

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ग) इस अधिनियम के प्रशासन या नगर के स्थानीय प्रशासन से सम्बद्ध या संसक्त किसी विषय में स्वयं एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करे या अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी से एक प्रतिवेदन प्राप्त करके उसे अपनी टिप्पणी के साथ प्रस्तुत करें।

(2) मुख्य नगराधिकारी ऐसी प्रत्येक अधियाचना की पूर्ति करेगा जब तक कि उसके मतानुसार उसकी तत्काल पूर्ति करना, {निगम}[1] या जनता के हितों के प्रतिकूल न हो, जिस दशा में वह उक्त आशय की लिखित रूप से घोषणा करेगा और यदि {निगम}[1] या कार्यकारिणी समिति द्वारा आदेश दिया जाय तो वह प्रश्न नगर प्रमुख को भेज देगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

आवश्यक व्यय के सम्बन्ध में अधिकारों का प्रयोग {निगम}[1] की स्वीकृति के अधीन होगा

123—— इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन किसी {निगम}[1] प्राधिकारी को दिये गये किसी अधिकार के प्रयोग या उस पर आरोपित किसी ऐसे कर्त्तव्य का सम्पादन, जिसमें कोई व्यय होना हो, उस दशा को छोड़कर जब कि इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन, स्पष्टतः अन्यथा व्यवस्था हो, निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन होगा ———

(क) ऐसे व्यय के लिए, जहां तक उसे उक्त अधिकार के प्रयोग या कर्त्तव्य का पालन से सम्बद्ध वित्तीय वर्ष में करना हो, बजट अनुदान के अन्तर्गत व्यवस्था करना हो, और

(ख) यदि ऐसे अधिकार का प्रयोग या कर्त्तव्य के पालन में उक्त वित्तीय वर्ष की किसी अवधि के लिये या उसकी समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय कोई व्यय होना हो, या होने की सम्भावना हो तो ऐसे व्यय के लिए दायित्व ग्रहण करने के पूर्व {निगम}[1] की स्वीकृति ले ली गयी हो।

नियम बनाने का अधिकार

124—— (1) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है—

(क) धारा 114 के खंड (1) के अधीन सीमा सूचक चिन्हों के विवरण तथा स्थल के अनुमोदन की रीति,

(ख) उन स्थितियों में जिनके निमित्त उक्त अधिनियम में कोई विशिष्ट व्यवस्था न की गई हो, धारा 114 और 115 में निर्दिष्ट कर्तव्यों के निर्वहन या दायित्वों की पूर्ति से सम्बद्ध रीति तथा प्रक्रिया,

(ग) नगर के स्थानीय प्रशासन की कार्यकारिणी समिति के अधीक्षण के अधिकारों से सम्बद्ध प्रक्रिया,

(घ) वह रीति, जिसके अनुसार मुख्य नगराधिकारी द्वारा कार्यपालिका अधिकारों का प्रयोग किया जाएगा,

(ङ) धारा 117 की उपधारा (6) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट {नगर निगम}[2] के पदाधिकारियों तथा सेवकों के कर्त्तव्य, निरीक्षण और नियंत्रण से सम्बद्ध विषय,

(च) मुख्य नगराधिकारी के अधीनस्थ पदाधिकारियों तथा सेवकों के कृत्यों के विषय में संशयों तथा विवादों का निर्णय,

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 4 वर्ष 2008 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

(छ) धारा 119 तथा 120 की उपधारा (2) के अधीन मुख्य नगराधिकारी के अधिकारों को किसी अन्य पदाधिकारी को प्रतिनिधानित किये जाने से सम्बद्ध विषय,

(ज) धारा 120 की उपधारा (2) के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा अपने अधिकारों के प्रतिनिधानित करने से सम्बद्ध प्रक्रिया,

(झ) रीति, जिसके अनुसार धारा 121 और 122 के अधीन कार्यवाहियों या अन्य लेख्यों या पत्रादि से अवतरण प्रस्तुत किये जाने की अधिसूचना की जाय,

(ञ) ऐसी अधियाचना की पूर्ति विषयक प्रक्रियाः

(ट) रीति, जिसके अनुसार धारा 122 की उपधारा (1) के अधीन लेख्यों तथा अन्य पत्रादि को प्रस्तुत करने का प्रश्न अन्तिम रूप से निर्णय के लिये नगर प्रमुख को भेजा जायगा,

(ठ) रीति, जिसके अनुसार धार 122 की उपधारा (2) के अधीन मुख्य नगराधिकारी की घोषणा {निगम}[2] को प्रेषित की जायगी,

(ड) {निगम}[2] या मुख्य नगराधिकारी का सामान्यतः किसी ऐसे विषय में पथ प्रदर्शन जो इस अध्याय के अधीन उनके कर्त्तव्यों के पालन, कृत्यों के सम्पादन या अधिकारों के प्रयोग से संसक्त हो, और

(ढ) ऐसे विषय जो इस अध्याय के अधीन विहित किये जाने वाले हों, या किये जायं।

अध्याय 6

सम्पत्ति और संविदे

महापालिका के सम्पत्ति अर्जित करने और रखने के अधिकार

125–– (1) {निगम}[2] को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सम्पत्तियों उसमें किसी स्वत्व को अर्जित करने, अपने अधिकार में रखने और उसका निस्तारण करने का अधिकार होगा चाहे वह सम्पत्ति नगर की सीमाओं के भीतर स्थित हो या बाहर।

(2) ऐसी समस्त सम्पत्ति और सम्पत्ति में स्वत्व, जिन्हें {निगम}[2] ने अर्जित किया हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये और उपबन्धों के अधीन, {निगम}[2] में निहित होंगे।

(3) {निगम}[2] ऐसी किसी अचल सम्पत्ति को, जो सरकार द्वारा उसे हस्तान्तरित की जाय, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिनके अन्तर्गत किसी निर्दिष्ट संभावना की स्थिति के उत्पन्न होने पर सरकार द्वारा उसका पुनर्ग्रहण भी है, अपने अधिकार में रखेगा और उसका उपयोग उन प्रयोजनों के लिये किया जायगा जिन्हें राज्य सरकार हस्तान्तरण करते समय आरोपित या निर्दिष्ट करें।

कतिपय दशाओ में सम्पत्ति आस्तियों,अधिकारों, दायित्वों और आभारों का उत्तरा–धिकार

126–– (1) नियत दिनांक से {तथा राज्य सरकार के किन्हीं तदर्थ निदेशों के अधीन रहते हुए ––}[1]

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 14, 1959 की धारा 6 (1) द्वारा अन्तर्विष्ट।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) समस्त सम्पत्ति और सम्पत्ति में स्वत्व और नगदी रोकड़ सहित आस्तियां चाहे वह कहीं भी हो, जो उक्त दिनांक से ठीक पहले किसी {नगरपालिका परिषद्}[4], इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट या अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारी में जो नगर के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के लिये अथवा ऐसे क्षेत्र के किसी भाग के लिए स्थापित हो, अथवा ऐसे क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों ही जगह क्षेत्राधिकार प्राप्त किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित थीं, {***}[1] इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे नगर की {निगम}[3] में निहित हो जायेंगी और उसके अधिकार में रहेंगी; और

(ख) पूर्वोक्त {नगरपालिका परिषद्}[4], इम्प्रूवेमेन्ट ट्रस्ट अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारी के {नगर (city) में सम्मिलित क्षेत्र के सम्बन्ध में}[2] समस्त अधिकार, दायित्व तथा आभार चाहे वे किसी संविदा से या अन्य प्रकार से उत्पन्न हुए हों, और जो उक्त दिनांक से तत्काल पूर्व वर्तमान ऐसे {निगम}[3] के अधिकार, दायित्व तथा आभार हो जायेंगे।

(2) यदि ऐसा कोई संशय या विवाद उत्पन्न हो कि अमुक सम्पत्ति, स्वत्व या आस्ति उपधारा (1) के अधीन {निगम}[3] में निहित हो गयी है या नहीं, अमुक अधिकार, दायित्व या आभार {निगम}[3] के अधिकार, दायित्व या आभार हो गये हैं या नहीं तो ऐसा संशय या विवाद मुख्य नगराधिकारी द्वारा राज्य सरकार का भेज दिया जायगा, जिसका निर्णय, यदि वह किसी न्यायालय के किसी निर्णय से, अवक्रांत, न हो जाय, अंतिम होगा।

सम्पत्ति के अर्जन को नियमित करने वाले कतिपय उपबन्ध

127—— (1) सम्पत्ति के समस्त अर्जन {निगम}[3] की ओर से मुख्य नगराधिकारी द्वारा किये जायेंगे।

(2) जहां कहीं यह व्यवस्था हो कि मुख्य नगराधिकारी किसी नगर के भीतर या बाहर किसी चल या अचल सम्पत्ति या ऐसी सम्पत्ति में किसी स्वत्व को अर्जित कर सकेगा अथवा जहां कहीं इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये यह व्यवस्था आवश्यक या इष्टकर हो तो मुख्य नगराधिकारी ऐसी सम्पत्ति को अनुबन्ध द्वारा या अन्य प्रकार से अर्जित कर सकेगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ———

(क) मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति के किसी ऐसे संकल्प से बाध्य होगा जिसके द्वारा किसी विशेष मामले के लिये या मामलों के किसी वर्ग के लिये निबन्धन, दरें या अधिकतम मूल्य निश्चित किये जायं,

(ख) निम्नलिखित के सम्बन्ध में कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी :———

(1) किसी सम्पत्ति के अनिवार्य रूप से अर्जित करने में,

(2) किसी अचल सम्पत्ति के विनिमय में,

(3) 12 महीने से अधिक की अवधि के लिये किसी सम्पत्ति को पट्टे पर लेने में, या

(4) किसी आभारयुक्त सम्पत्ति का कोई दान अथवा रिक्तदान स्वीकार करने में, और

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 14, 1959 की धारा 6 (2) द्वारा निकाला गया।
2. उपर्युक्त की धारा 6 (3) द्वारा अन्तर्विष्ट।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 52 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ग) निम्नलिखित के सम्बन्ध में {निगम}[1] की स्वीकृति की आवश्यकता होगी:—

(1) किसी अचल सम्पत्ति को स्वीकार करना या उसे अर्जित करना यदि उस सम्पत्ति का, जिसे स्वीकार करने या अर्जित करने या विनिमय में देने का विचार हो, मूल्य 5,000 रुपये से अधिक हो,

(2) किसी सम्पत्ति को तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिये पट्टे पर लेना, या

(3) किसी आभारयुक्त सम्पत्ति का कोई दान या रिक्तदान स्वीकार करना, यदि ऐसा सम्पत्ति का मूल्य 5,000 रुपये से अधिक हो,

सम्पत्ति बेचने का अधिकार

128—— (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये और उसके तथा उसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए {निगम}[1] को यह अधिकार होगा कि वह ऐसी किसी भी सम्पत्ति की या उसमें किसी स्वत्व को, जो इस अधिनियम के अधीन {निगम}[1] द्वारा अर्जित किया गया हो या उसमें निहित हो, बेचे किराये पर दे, पट्टे पर उठाये, उसका विनिमय करे, उसे बन्धक रखे, दान में दे या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण करे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सरकार द्वारा {निगम}[1] को हस्तान्तरित की गई कोई भी सम्पत्ति राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना हस्तान्तरण के निबन्धनों के विपरीत किसी रीति से न तो बेची जायेगी, न किराये पर दी जायेगी, न विनिमय की जायगी, न बंधक रखी जायगी, अथवा न अन्य किसी प्रकार से ही किसी को हस्तान्तरित की जायगी।

सम्पत्ति का निस्तारण सम्बन्धी उपबन्ध

129—— उस सम्पत्ति के निस्तारण के लिये जो कि {निगम}[1] की हो, निम्नलिखित उपबन्ध प्रभावी, होंगे, अर्थात् ——

(1) {निगम}[1] की सम्पत्ति का प्रत्येक निस्तारण {निगम}[1] की ओर से मुख्य नगराधिकारी द्वारा किया जायगा।

(2) मुख्य नगराधिकारी स्वविवेकानुसार {निगम}[1] की किसी ऐसी चल सम्पत्ति को बेच कर, किराये पर देकर या अन्य रूप से व्ययन कर सकता है, जिसका मूल्य प्रत्येक व्ययन में 500 रुपये से अथवा उस मूल्य से अधिक न हो, जिसे {निगम}[1] राज्य सरकार के अनुमोदन से समय—समय पर निर्धारित करे, या {निगम}[1] की अचल सम्पत्ति का पट्टा, जिसमें मछली मारने या फल इक्ट्ठा करने या लेने तथा इसी प्रकार कोई और अधिकार सम्मिलित हो, किसी ऐसी अवधि के लिये दे सकता है जो किसी समय में 12 महीने से अधिक न हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि वह मासिक लगान का संविदा न हो उसका वार्षिक लगान, 3,000 रु. से अधिक न होता हो, मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति को अचल सम्पत्ति के प्रत्येक पट्टे की सूचना उसके दिये जाने के 15 दिन के अन्दर देगा।

(3) मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से {निगम}[1] की किसी ऐसी चल सम्पत्ति को बेच सकता है, किराये पर दे सकता है, या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण कर सकता है, जिसका मूल्य 5,000 रुपये से अधिक न हो और इसी प्रकार की स्वीकृति से {निगम}[1] की किसी अचल सम्पत्ति को जिसके अन्तर्गत कोई ऐसा अधिकार भी है, जिसके बारे में पहले कहा जा चुका है, किसी ऐसी अवधिक के लिये जो एक साल से अधिक हो, पट्टे पर दे सकता है, या {निगम}[1] की किसी भी ऐसी अचल सम्पत्ति को बेच सकता है, या स्थायी रूप से पट्टे पर दे सकता है जिसका मूल्य या नजराना 50,000 रुपये से अधिक न हो या जिसका वार्षिक किराया 3,000 रुपया से अधिक न हो।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(4) मुख्य नगराधिकारी {निगम}[2] की किसी चल या अचल सम्पत्ति को {निगम}[2] की स्वीकृति से पट्टे पर दे सकता है, बेच सकता है किराये पर उठा सकता है या अन्य प्रकार से उसका हस्ताक्षरण कर सकता है।

{(5) उपधारा (5–क) और (5–ख) में यथा व्यवस्थित के सिवाय, {निगम}[2] की कोई अचल सम्पत्ति उस दशा के सिवाय जब निम्नलिखित को भूमि बेची जाय, पट्टे पर दी जाय या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित की जाय, उसके बाजारा मूल्य में कम धनराशि पर, न तो बेची जायेगी, न पट्टे पर दी जायेगी और न अन्य प्रकार से उसका हस्तान्तरण किया जायगा ––

(क) कोई परिनियत निकाय,

(ख) कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसी भूमि (जो कृषि, औद्यानिकी या पशु–पालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य–पालन तथा कुक्कुट–पालन भी है, से सम्बद्ध प्रयोजनों के लिये धृत या अध्यासित न हो) या भवन से, इस अधिनियम के अधीन उसके अनिवार्य रूप से अर्जन किये जाने के कारण निष्पादित हो और जिसके पास नगर में कोई अन्य भूमि या भवन न हो, या

(ग) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी को शैक्षिक, सांस्कृतिक या अन्य पूर्त प्रयोजन के लिये (जिसके अन्तर्गत को शैक्षिक, सांस्कृतिक या अन्य पूर्व प्रयोजन के लिये (जिसके अन्तर्गत कोई धर्म कार्य या उसका प्रचार नहीं है और जिसमें धर्म, जाति या जन्म–स्थान के आधार पर लाभार्थियों के संबंध में विभेद नहीं है) :

प्रतिबन्ध यह है कि सिवाय राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से भूमि को बेचने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करने की दशा में इस प्रकार दी गई किसी रियायत का मूल्य ––

(1) पट्टे की दशा में वार्षिक किराया मूल्य के आधे से,

(2) किसी अन्य हस्तान्तरण की दशा में, बाजार मूल्य के आधे या दस हजार रुपये से, इसमें जो भी कम हो अधिक न होगा।

स्पष्टीकरण– यदि प्रस्तावित रियायती मूल्य के संबंध में अथवा इस संबंध में कोई प्रश्न उठे कि किसी प्रस्तावित हस्तान्तरण का उपर्युक्त के अनुसार कोई शैक्षिक , सांस्कृतिक या अन्य पूर्त प्रयोजन है या नहीं, तो राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

(5–क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किसी ऋण से {निगम}[2] द्वारा बनाया गया कोई गृह या अर्जित भूखण्ड ऐसे ऋण के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार {निगम}[2] द्वारा बेचा जा सकता है, पट्टे पर दिया जा सकता है या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित किया जा सकता है।

(5–ख) राज्य सरकार की तदर्थ किसी सामान्य या विशेष आज्ञा ने अधीन रहते हुए {निगम}[2] का कोई गृह या गृह–स्थान, संघ के सशस्त्र सेनाओं के किसी ऐसे सदस्य के पक्ष में, जिसके संबंध में विहित प्राधिकारी ने इण्डियन सोल्जर्स (लिटिगेशन) ऐक्ट, 1925 के अधीन इस बात का प्रमाण–पत्र दिया हो कि वह शत्रु की कार्यवाही से अंगहीन हुआ है, अथवा विहित प्राधिकारी ने यह प्रमाण–पत्र दिया हो कि शत्रु की कार्यवाही से उसकी मृत्यु हुई है, तो उसके ऐसे दायादों के पक्ष में जो उसकी मृत्यु के समय उस पर आश्रित थे, निःशुल्क अथवा ऐसी रियायती शर्तों पर जैसा कि {निगम}[2] उचित समझे, बेचा जा सकता है, पट्टे पर दिया जा सकता है, या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित किया जा सकता है।}[1]

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 24, 1972 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(6) उपधारा (3) अथवा उपधारा (4) के अधीन कार्यकारिणी समिति की अथवा {निगम}[2] की स्वीकृति सामान्य रूप से मामलों के किसी वर्ग के लिये या किसी विशेष मामले के लिये विशिष्ट रूप से दी जा सकती है।

(7) इस धारा के पूर्वोक्त उपबन्ध तथा नियमों के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन या इसके प्रयोजन के लिये किये गये {निगम}[2] की सम्पत्ति के प्रत्येक निस्तारण पर लागू होंगे।

{निगम}[2] के भू—गृहादि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 1, 1966 के अध्याय 7 का लागू किया जाना

{129—क—— उत्तर प्रदेश आवस एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अध्याय 7 के उपबन्ध किसी ऐसे भू—गृहादि के सम्बन्ध में जो {निगम}[2] के हों या उसमें निहित हों अथवा {निगम}[2] द्वारा पट्टे पर लिये गये हों, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम में यथा परिभाषित 'परिषद के भू—गृहादि' के सम्बन्ध में लागू होते हों और उसमें परिषद तथा उक्त अधिनियम के अधीन नियत विषयों के लिये किये गये अभिदेश क्रमशः {निगम}[2] तथा इस अधिनियम के अधीन विहित विषय के लिये किये गये अभिदेश समझे जायेंगे।}[1]

अचल सम्पत्ति के अनुबन्ध द्वारा अर्जित न होने की दशा में प्रक्रिया

130—— (1) जब कभी मुख्य नगराधिकारी किसी अचल सम्पत्ति को या किसी सुखाधिकार को, जिसका {निगम}[2] में निहित किसी अचल सम्पत्ति से सम्बन्ध हो, धारा 127 के अधीन किसी अनुबंध द्वारा अर्जित करने में असमर्थ हो या जब कभी कोई अचल सम्पत्ति या कोई सुखाधिकार जिसका {निगम}[2] में निहित किसी अचल सम्पत्ति से सम्बन्ध हो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित हो तो राज्य सरकार स्वविवेकानुसार, कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से दिये गये मुख्य नगराधिकारी के प्रार्थना—पत्र पर और इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए यह आज्ञा दे सकता है कि उसे {निगम}[2] की ओर से अर्जित करने के लिय कार्यवाही की जाय मानों वह सम्पत्ति या सुखाधिकार लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 या उस मामले में लागू होने वाली किसी अन्य विधि के आशयान्तर्गत कोई ऐसी भूमि है, जिसकी सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

(2) जब कभी किसी नयी सड़क की व्यवस्था करने के लिये या किसी वर्तमान सड़क को चौड़ी करने अथवा उसमें सुधार करने के लिये भूमि अर्जित करने के निमित्त उपधारा (1) के अधीन कोई प्रार्थना—पत्र दिया जाय तो मुख्य नगराधिकारी के लिये यह वैध होगा कि वह ऐसी नयी सड़क या वर्तमान सड़क की भूमि से मिली हुई ऐसी अतिरिक्त भूमि को, जो सड़क के दोनों किनारों पर बनायी जाने वाली इमारतों के लिये अपेक्षित हो, प्रार्थना—पत्र दे और ऐसी अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह भूमि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित है।

(3) यह धारा अध्याय 14 के अधीन किसी अर्जन पर लागू नहीं होगीं।

संविदे करने का {निगम}[2] का अधिकार

131—— इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए {निगम}[2] को ऐसे संविदे करने का अधिकार प्राप्त होगा, जो इस अधिनियम के अधीन या इसके किन्हीं प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकर हों।

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 22, 1972 की धारा 19 (4) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

संविदों के निष्पादित किये जाने से सम्बद्ध कुछ उपबन्ध

132—— (1) धारा 131 में निर्दिष्ट ऐसे सब संविदे, जिसमें अचल सम्पत्ति या उसमें किसी स्वत्व के अर्जन और निस्तारण से संबद्ध संविदे सम्मिलित हों, जो इस अधिनियम के अधीन {निगम}[1] के कार्यों के सम्बन्ध में किये गये हों, {निगम}[1] के लिए और उसकी ओर से किये गये व्यक्त किये जायेंगे और उक्त अधिकार का प्रयोग करके किये गये एसे सब संविदे तथा संपत्ति सम्बन्धी अधिकार—पत्र मुख्य नगराधिकारी द्वारा या {निगम}[1] के ऐसे अन्य पदाधिकारी द्वारा, जिसे मुख्य नगराधिकारी सामान्यतः या किसी विशेष मामले या मामलों के वर्ग के लिए लिखित रूप में अधिकृत करें, {निगम}[1] के लिये और उसकी ओर से निष्पादित किये जायेंगे।

(2) किसी भी प्रयोजन के लिए ऐसा कोई संविदा जिसे मुख्य नगराधिकारी इस अधिनियम के या इसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों के अनुसार अन्य {निगम}[1] अधिकारी की स्वीकृति के बिना न कर सकता हो, उसके द्वारा तब तक न किया जायगा जब तक कि ऐसी स्वीकृति न दे दी गयी हो।

(3) कोई ऐसा संविदा, जिसमें {एक लाख}[2] रुपये से अधिक और {पांच लाख}[2] रुपये से अनधिक व्यय होना हो, मुख्य नगराधिकारी द्वारा तब तक न किया जायगा जब तक कि वह कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत न हो जाय।

(4) कोई ऐसा संविदा, जिसमें {पांच लाख}[3] रुपये से अधिक का व्यय होना हो, मुख्य नगराधिकारी द्वारा तब तक न किया जायगा जब तक कि वह {निगम}[1] द्वारा स्वीकृत न हो जाय।

(5) ऐसे प्रत्येक संविदा की सूचना जो मुख्य नगराधिकारी द्वारा किया जाय और जिसमें {पचास हजार}[4] रुपये से अधिक तथा {एक लाख}[4] रुपये से अनधिक का व्यय होना हो, संविदे के किये जाने के 15 दिन के भीतर, कार्यकारिणी समिति को दी जायेगी।

(6) इस धारा के पूर्वोक्त उपबन्ध किसी संविदे के प्रत्येक परिवर्तन तथा निर्वहन पर तथा किसी मूल संविदे पर लागू होंगे।

निष्पादन की रीति

133—— (1) प्रत्येक ऐसा संविदा जो मुख्य नगराधिकारी द्वारा {निगम}[1] की ओर से किया जाय, ऐसी रीति से और ऐसे रूप में किया जायगा कि वह उस पर अपनी ओर से किये गए किसी संविदे की भांति ही बन्धनकारी हो, ओर वह उसी भांति ही परिवर्तन या निर्वहन किया जा सकेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ——

(क) {निगम}[1] की सामान्य मुहर ऐसे प्रत्येक संविदे पर लगायी जायगी जिस पर यदि संविदा साधारण व्यक्तियों के बीच किया जाय, तो उस पर मुहर लगाना आवश्यक होगा, और

(ख) किसी कार्य के निष्पादन के लिए या किसी सामान्य या माल के सम्भरण के लिये किया गया प्रत्येक संविदा, जिसमें दो हजार पांच सौ रुपये से अधिक का व्यय होना हो, लिखित रूप में होगा और उस पर {निगम}[1] की मुहर लगायी जायगी और उसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख होगा—

(1) यथास्थिति किया जाने वाला काम या सम्भरित किया जाने वाला सामान या माल,

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 53 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 53 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 53 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) ऐसे काम, माल या सामान के लिए दिया जाने वाला मूल्य, और

(3) अवधि, जिसके भीतर उक्त संविदा या उसका कोई निर्दिष्ट भाग कार्यान्वित किया जायगा।

(2) {निगम}[3] की सामान्य मुहर मुख्य नगराधिकारी की अभिरक्षा में रहेगी, और किसी सभासद {xxx}[1] की उपस्थिति के बिना, किसी संविदे या दूसरे विलेख पर नहीं लगाई जायगी। सभासद {xxx}[1] संविदे या विलेख पर अपने हस्ताक्षर करेगा जो इस बात का प्रतीत होगा की संविदे पर मुहर उसके सामने लगायी गयी है।

(3) उक्त संविदे और विलेख पर उपर्युक्त सभासद {xxx}[2] के हस्ताक्षर उस संविदे या लेख के निष्पादन के समय किए गए किसी गवाह के हस्ताक्षर से भिन्न होंगे।

(4) इस धारा में की गई व्यवस्था के अनुकूल निष्पादित किया गया कोई संविदा {निगम} पर बन्धनकारी न होगा।

निर्माण कार्यों का निष्पादन

134—— महापालिका मामलों के किसी वर्ग के लिये सामान्य रूप से अथवा किसी विशिष्ट मामलें में विशेष रूप से यह निर्णय कर सकती है कि मुख्य नगराधिकारी संविदा द्वारा कार्य का निष्पादन—करेगा अथवा अन्य किसी प्रकार से।

पांच लाख रूपये से अनधिक के तखमीने

{135—— (1) मुख्य नगर अधिकारी किसी तखमीने की, जो कि एक लाख रुपये से अधिक न हो, स्वीकृति दे सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई तखमीना, जिसकी राशि पचास हजार रुपये से अधिक हो उसे मुख्य नगर अधिकारी द्वारा केवल नगर प्रमुख के पूर्व अनुमोदन से स्वीकृत किया जा सकता है।

(2) कार्यकारिणी समिति किसी तखमीने को, जिसकी राशि पांच लाख रूपये से अधिक न हो, स्वीकृत कर सकती है।}[4]

{पांच लाख रुपये}[5] से अनधिक के तखमीने

136—— (1) यदि किसी कार्य के अथवा कार्यों के समूह के निष्पादन के लिए कोई ऐसी योजना बनायी जाय, जिसकी पूरी तखमीनी लागत {पांच लाख रुपये}[6] से अधिक हो, तो

(क) मुख्य नगराधिकारी तत्सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन, जिसके अतर्गत ऐसे तखमीने और नक्शे भी होंगे, जो अपेक्षित हों, तैयार करायेगा और उसे कार्यकारिणी समिति को भेजेगा, कार्यकारिणी समिति अपने सुझावों सहित, यदि कोई हों, इस प्रतिवेदन को {निगम}[3] के समक्ष रखेगी,

(ख) {निगम}[3] उक्त प्रतिवेदन तथा सुझावों पर विचार करेगी और या तो उस योजना को अस्वीकार कर देगी या उसे पूर्णरूप से, अथवा उसमें परिष्कार करने के बाद स्वीकार कर लेगी।

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 12, 1977 की धारा 27 (क) द्वारा निकाला गया।
2. उपर्युक्त की धारा 27 (ख) द्वारा निकाला गया।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 54 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 55(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 55(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) (क) यदि {निगम}[2] उक्त योजना को अनुमोदित कर लेती है और उसकी सम्पूर्ण तखमीनी लागत {दस लाख रुपये}[1] से अधिक बैठती है, तो उपर्युक्त परिष्कारों के अधीन रहते हुए, उसका एक प्रतिवेदन राज्य सरकार को भेजा जायेगा,

(ख) राज्य सरकार या तो उस योजना को अस्वीकार कर देगी अथवा उसे पूर्ण रूप से अथवा उसमें परिष्कार करने के बाद, स्वीकार कर लेगी,

(ग) परिष्कारों सहित अथवा रहित राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा,

(घ) उपर्युक्त प्रकार से स्वीकृत योजना में राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन न किया जायगा।

स्पष्टीकरण :– इस धारा में और धारा 135 में शब्द ''तखमीना'' से तात्पर्य है समस्त योजना के लिये कुल तखमीना, जिसमें समस्त संव्यवहार, जो मिलकर योजना बनाते हैं, सम्मिलित है।

कतिपय परियोजनाओं के समबन्ध में विशेष उपबन्ध

{136–क–– इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित या विश्व बैंक या किसी अन्य विदेशी संगठन से सहायता प्राप्त करने वाली किसी नगर विकास परियोजना के सम्बन्ध में प्रत्येक संविदा या तखमीना राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार तैयार या स्वीकृत किया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा परियोजना के अनुमोदन के दिनांक से एक मास के भीतर ऐसी नगर विकास परियोजनाओ ंके लिए निधियों की स्वीकृति के लिए निधियों की स्वीकृति के लिए निगम की बैठक आयोजित करके विनिश्चय किया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि निगम की बैठक प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में विनिर्दिष्ट समय के भीतर न आयोजित की जाय या विनिश्चिय न किया जाय, तो समझा जायगा कि निगम ने निधि स्वीकृत कर दी है है और यदि स्वीकृत करने से इन्कार कर दिया जाय या उपान्तरों सहित स्वीकृति दी जाय तो मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायगा और राज्य सरकार का विनिश्चिय अन्तिम होगा और निगम पर बाध्यकारी होगा और यह समझा जायगा कि निगम ने तद्नुसार निधि स्वीकृत कर दी है। मुख्य नगर अधिकारी तदुपरानत परियोजना का निष्पादन कर सकता है, निधि व्यय कर सकता है और नियत समय के भीतर परियोजना का पूरा होना सुनिश्चित करेगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि निगम परियोजनाओं का नियमित अनुश्रवण करेगा और अपनी आख्या राज्य सरकार को भेजेगा।}[3]

भूमि के तत्कालीन स्वामी के विरूद्ध समझौते प्रवृत्त करने के {निगम}[2] के अधिकार

137–– इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिऐ किसी अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई ऐसा समझौता जो उस सम्पत्ति के स्वामी किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे {निगम}[2] की वह सम्पत्ति बिक्री अथवा विनिमय द्वारा हस्तांतरित की गई हो, {निगम}[2] के साथ सम्पन्न किया गया हो– इस बात के होते हुए भी कि किसी ऐसी अचल सम्पत्ति पर जिसके लाभार्थ वह समझौता हुआ था, न तो {निगम}[2] का कब्जा ही है और न उसमें उसका कोई हित ही है, उसी प्रकार और उसी सीमा तक {निगम}[2] द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा, जिसे समझौते के अन्तर्गत स्वामित्व के अधिकार मिलते हों, मानों {निगम}[2] का उस पर कब्जा है अथवा उसका उसमें हित है।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3 वर्ष 1987 के अध्याय–चार की धारा 8(दो) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 56 द्वारा अन्तर्विष्ट।

नियम बनाने के अधिकार

138—— (1) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ नियम बना सकती है।

(2) उपर्युक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है—

(क) धारा 126 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन {निगम}[1] में निहित होने वाली सम्पत्ति या आस्तियां निश्चित करने के लिए प्रक्रिया।

(ख) धारा 126 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन {निगम}[1] के अधिकार, दायित्व और आभार निश्चित करने के लिए प्रक्रिया,

(ग) {निगम}[1] के लिए या उसकी और से सम्पत्ति खरीदने या उसे अर्जित करने अथवा {निगम}[1] में निहित उसके द्वारा अर्जित सम्पत्ति की बिक्री, उसका पट्टा करने उसे किराये पर देने, उसका विनिमय या निस्तारण करने के लिए सामान्य प्रक्रिया,

(घ) वे निबन्धन तथा दरें, जिनके अनुसार {निगम}[1] के लिए कोई अचल सम्पत्ति खरीदी अथवा किसी अनुबन्ध द्वारा अर्जित की जाय,

(ङ) {निगम}[1] के लिए तथा उसकी ओर से किसी सम्पत्ति को अनिवार्य रूप से अर्जित करने के सम्बन्ध में हुए खर्चों, उसके लिए दिया गया प्रतिकर तथा तत्सम्बन्धी अन्य परिव्यय का भुगतान,

(च) संविदे करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया,

(छ) रीति जिससे संविदे निष्पादित किये जांाय,

(ज) संविदों के यथावत सम्पादन के लिये मांगी जाने वाली प्रतिभूति,

(झ) निर्माण—कार्यों के लिए विस्तृत नक्शों ओर तखमीनों का तैयार और स्वीतृत किया जाना तथा टेन्डरों का आमंत्रित किया जाना उनकी जांच और उनकी स्वीकार किया जाना,

(ञ) निर्माण—कार्यों का निष्पादन तथा उनकी स्वीकृति की शर्तें,

(ट) वे विषय जो निर्दिष्ट किये जाने वाले हों या किये जायं।

{अध्याय 6—क

वित्त आयोग

वित्त आयोग

138—क—— (1) वित्त आयोग निगमों की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करेगा और राज्यपाल को निम्नलिखित के सम्बन्ध में सिफारिशें करेगा ——

(क) उन सिद्धान्तों के बाबत, जो निम्नलिखित को शासित करेंगे :——

(एक) राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगमों का राज्य और निगमों के बीच वितरण और ऐसे आगमों का निगमों के अंश का आवंटन ;

(दो) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का अवधारण, जो {नगर निगमों}[2] को समनुदिष्ट या उनके द्वारा विनियोजित किये जा सकेंगे,

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 4 वर्ष 2008 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

(तीन) राज्य की संचित निधि में से निगमों के लिए सहायता अनुदान;

(ख) निगमों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय;

(ग) कोई अन्य विषय, जो राज्यपाल द्वारा निगमों की ठोस वित्त व्यवस्था के हित में वित्त आयोग को निर्दिष्ट किया जाय।

(2) राज्यपाल उपधारा (1) के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गयी प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गयी कार्यवाही के स्पष्टीकारक ज्ञापन के साथ राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेंगे।}[3]

अध्याय 7

{निगम}[2] निधि तथा अन्य विधियां

{निगम}[2] निधि तथा अन्य निधियों का संगठन

139—— (1) प्रत्येक {निगम}[2] के लिये एक निधि, जिसे आगे {निगम}[2] निधि कहा जायगा, की स्थापना की जायगी और इस अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बने नियमो के अधीन, इस निधि में सभी धनराशियां जमा की जायंगी जो इस अधिनियम अथवा अन्य किसी विधि संविदा के अधीन {निगम}[2] द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त हों। इन धनराशियों में निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं —

(क) {निगम}[2] की सम्पत्ति से प्राप्त होने वाला धन,

(ख) {निगम}[2] की सम्पत्ति के किराये,

(ग) इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन लगाये गये समस्त करों अथवा शुल्कों और जुरमानों (न्यायालय द्वारा लगाये गये जुरमानों से भिन्न) से प्राप्त धन,

(घ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रतिकर के रूप में अथवा अपराधों को अभिसंधित करने से प्राप्त समस्त धनराशियां,

(ङ) {निगम}[2] के धन के किसी विनिहितकरण से, अथवा इस धन के सिलसिले में किये गये किसी संव्यवहार से प्राप्त समस्त ब्याज और लाभ,

(च) {निगम}[2] द्वारा अथवा उसकी ओर से सरकार अथवा सार्वजनिक संस्थाओं, निजी संस्थाओं, अथवा अन्य व्यक्तियों से अनुदान, दान अथवा जमा की हुई धनराशि के रूप में समस्त प्राप्त धन, {जिसमें राज्य की संचित निधि से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित है}[4] उन शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो ऐसे अनुदान, दान अथवा जमा की हुई राशि पर लगाई जायं।

(2) {निगम}[2] निधि में जमा की जाने वाली समस्त धनराशियां मुख्य नगराधिकारी द्वारा प्राप्त की जायेंगी। मुख्य नगराधिकारी इन धनराशियों को तत्काल स्टेट बैंक आफ इंडिया {अथवा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उत्तर प्रदेश को–आपरेटिव बैंक अथवा अन्य ऐसे अनुसूचित बैंक या बैंको में जिन्हें {निगम}[2] निश्चित कर}[1] एक खाते में जिसे ''—————— की {निगम}[2] निधि का खाता'' कहा जायगा, जमा कर देगा :

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 21, 1964 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 57 द्वारा अन्तर्विष्ट।
4. उपर्युक्त की धारा 58 द्वारा अन्तर्विष्ट।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति द्वारा जारी किये गये किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए इतना नकद रुपया रोक सकता हे जितना चालू भुगतानों के लिये आवश्यक हो।

(3) {निगम}[4] {एक विकास निधि की स्थापना करेगी और}[1] ऐसी विशेष निधियों की जो विहित की जायं, अथवा ऐसे अन्य निधियों को भी जी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यक हों, स्थापना कर सकती है। ऐसी निधियों का संगठन तथा निस्तारण विहित रीति से किया जायगा।

प्रयोजनों जिनके लिए {निगम}[4] निधि का उपयोग किया जायगा।

{140–– {निगम}[4] निधि में समय–समय पर जमा की जाने वाली धनराशियों का उपयोग, सर्वप्रथम सफाई मजदूरों के वेतन और भत्तों का भुगतान करने के लिए और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिमान क्रम में किया जायगा :–}[2]

प्रथम, अध्याय 8 के उपबन्धों (1) के खण्ड (ख) द्वारा {निगम}[4] पर आरोपित समस्त दायित्वों का निर्वहन करने में,

द्वितीय, धारा 126 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा {निगम}[4] पर आरोपित समस्त दायित्वों का निर्वहन करने में,

तृतीय, ऐसी समस्त धनराशियों, परिव्ययों तथा व्ययों के भुगतानों में, जो धारा 114 तथा 115 में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये तथा इस अधिनियम के अन्य किसी प्रकार से कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो अथवा जिन भुगतानों की अदायगी इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन विधिवत् स्वीकृत की जायगी, जिनमें निम्नलिखित भी सम्मिलित होंगे–––

(क) {निगम}[4] लेखों की परीक्षा के व्ययः

(ख) इस अधिनियम के अधीन हुए प्रत्येक निर्वाचन के व्यय,

(ग) मुख्य नगराधिकारी तथा अन्य किसी ऐसे पदाधिकारी के, जिसकी सेवायें राज्य सरकार {निगम}[4] की प्रार्थना पर {निगम}[4] को दे दे, वेतन भत्ते तथा सेवा निवृत्तियों के अंशदान तथा छुट्टियों के वेतन,

{(घ) सफाई मजदूरों से भिन्न {निगम}[4] के पदाधिकारियों और सेवकों के वेतन और भत्ते ओर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन {निगम}[4] के समस्त पदाधिकारियों और सेवकों को देय समस्त (नवृत्ति–वेतन, उपदान, अंशदान और कारुण्य अधिदेय,}[3]

(ङ) {निगम}[4] के प्रशासन अथवा उपक्रम से उत्पन्न होने वाले किसी विषय के सम्बन्ध में की जाने वाली कोई सेवा अथवा दिये जाने वाले किसी परामर्श के लिये विशेषज्ञों के वेतन तथा शुल्क,

(च) इस अधिनियम द्वारा {निगम}[4] अथवा उन {निगम}[4] पदाधिकारियों पर आरोपित किसी कर्त्तव्य के निर्वहन में अथवा प्रदत्त किसी अधिकार के प्रयोग में {निगम}[4] अथवा {निगम}[4] की ओर से {निगम}[4] पदाधिकारियों द्वारा किये गये समस्त व्यय और लगी लागत जिसके अन्तर्गत वह धन भी है जिसे प्रतिकर के रूप में देना {निगम}[4] के लिए अपेक्षित हो अथव उसके अधिकार में हो,

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 22, 1961 की धारा 4 द्वारा अन्तर्विष्ट।
2. उ.प्र. अधिनियम सं. 15, 1983 की धारा 4 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त धारा 4 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(छ) प्रत्येक धनराशि, जो ––

(1) यथास्थिति राज्य सरकार की आज्ञा से अथवा आर्बिट्रेशन, ऐक्ट, 1940 के अधीन दिये गये किसी निर्णय के अनुसार अथवा दीवानी न्यायालय की डिगरी अथवा आज्ञा के अनुसार,

(2) मुख्य नगराधिकारी के विरुद्ध की गई किसी दीवानी अथवा फौजदारी न्यायालय की किसी आज्ञा अथवा डिगरी के अधीन,

(3) किसी वाद अथवा अन्य विधिक कार्यवाही अथवा दावें में हुई सुलह के अनुसार, देय हो,

(ज) सार्वजनिक संस्थाओं को दिये जाने वाले ऐसे चन्दे, जिनके बारे में {निगम}[3] का परामर्श लेने के बाद, राज्य सरकार यह घोषित करे कि वे नगर निवासियों के हित में है।

{स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनार्थ, ऐसे किसी व्यक्ति को सफाई मजदूर समझा जायगा, यदि वह {निगम}[3] की सड़कों, गलियों, रास्तों, नालियों, सीवरों, शौचालयों और मूत्रालयो में झाडू लगाने और उनकी सफाई करने, मृत पशुओं और कूड़ा करकट को ढोने के प्रयोजनों के लिए और इसी प्रकार के अन्य कार्यों के लिए {निगम}[3] द्वारा नियोजित हों।}[2]

कतिपय मुकदमों पर {निगम}[3] निधि से होने वाले व्यय पर निर्बन्ध किया जायगा

{140–क–– राज्य सरकार द्वारा धारा 83, धारा 84, धारा 534, धारा 535, {धारा 537 या धारा 538}[4] के अधीन, जो आदेश दिया गया है या दिया हुआ तात्पर्यित है, उसके सम्बन्ध में किसी {नगर निगम}[3] या नगर प्रमुख या उसके किसी प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से किसी न्यायालय में संस्थित या प्रारम्भ की गई किसी कार्यवाही पर खर्च करने के प्रयोजनार्थ {निगम}[3] निधि से कोई व्यय, निदेशक की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायगा।}[1]

सार्वजनिक सेवाओं के लिये अत्यावश्यक कार्यों के निमित्त {निगम}[3] निधि में से अस्थायी भुगतान

141–– (1) राज्य सरकार अथवा विहित प्राधिकारी की लिखित अधियाचना पर मुख्य नगराधिकारी किसी भी समय ऐसे किसी कार्य का सम्पादन कर सकता है जिसके बारे में यथास्थिति किसी भी समय ऐसे किसी कार्य का सम्पादन कर सकता है जिसके बारे में यथास्थिति राज्य सरकार अथवा उक्त प्राधिकारी यह प्रमाणित करें कि सार्वजनिक उपयोगिता के लिए उस कार्य का करना अत्यधिक आवाश्यक है। मुख्य नगराधिकारी इस प्रयोजन के लिए {निगम}[3] निधि में से कोई भुगतान, जहां तक कि {निगम}[3] प्रशासन के नियमिति कार्यों में असम्यक् रूप से बाधा डाले बिना किया जा सकता हो, कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधियाचना प्राप्त होने पर मुख्य नगराधिकारी की एक प्रति तत्काल {नगर निगम}[3] को भेज देगा। इस प्रति के साथ वह {निगम}[3] की सूचना के लिये उस कार्यवाही का एक प्रतिवेदन भी भेजेगा जो उस अधियाचना के सम्बन्ध में की है।

(3) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन सम्पादित किये गये समस्त कार्यों उन कार्यों में लगे हुए स्थापन के व्यय वहन करेगी और उस व्यय को {निगम}[3] निधि के खाते में डाल दिया जायेगा।

लेखे रखना तथा उनकी परीक्षा

142–– (1) {निगम}[3] की प्राप्तियों तथा व्यय के लेखे ऐसी रीति से रखे जायेंगे जो विहित की जांय।

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 41, 1976 की धारा 18 द्वारा अन्तर्विष्ट।
2. उ.प्र. अधिनियम सं. 15, 1983 की धारा 4 (ग) द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 59 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) मुख्य नगर लेखा परीक्षक प्रतिमास {निगम}[1] के लेखों की जांच एवं परीक्षण करेगा और कार्यकारिणी समिति को एक मास के भीतर उसके सम्बन्ध में प्रतिवेदन देगा जो अन्तिम पूर्वगामी मास की प्राप्तियों और व्यय का सार जिस पर समिति के दो से अन्यून सदस्यों तथा मुख्य नगर लेखा—परीक्षक के हस्ताक्षर होंगे, प्रत्येक मास प्रकाशित करेगी।

(3) कार्यकारिणी समिति भी समय—समय पर और ऐसी अवधि के लिए, जिसे वह उचित समझे, स्वतन्त्र रूप से {निगम}[1] के लेखों की जांच तथा उनकी परीक्षा भी करा सकेगी।

विशेष लेखा—परीक्षा

143—— राज्य सरकार किसी भी समय राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ नियुक्त लेखा परीक्षकों से {निगम}[1] के ऐसी अवधि के, जिसे वह उचित समझे, लेखों की विशेष जांच और परीक्षा करने के आदेश दे सकती है। उपयुक्त लेखा परीक्षक ऐसी जांच तथा परीक्षा का एक प्रतिवेदन राज्य सरकार को देंगे।

लेखा परीक्षकों को समस्त {निगम}[1] लेखा तथा अभिलेखों आदि का प्राप्त होना

144—— (1) धारा 142 अथवा 143 के अधीन लेखों की जांच एवं परीक्षा के प्रयोजनों के लिये मुख्य नगर लेखा परीक्षक तथा धारा 143 के अधीन नियुक्त लेखा परीक्षक को {निगम}[1] के समस्त लेखे तथा उनसे सम्बद्ध समस्त अभिलेख और पत्र—व्यवहार प्राप्त होंगे तथा मुख्य नगराधिकारी उक्त लेखा परीक्षकों अथवा कार्यकारिणी समिति को प्राप्तियों तथा व्यय से सम्बद्ध ऐसा कोई भी स्पष्टीकरण जिसे वे मांगे, तत्काल प्रस्तुत करेगा।

(2) इन धाराओं के अधीन लेखों की जांच एवं परीक्षा के लिए आवश्यक समस्त परिव्यय, शुल्क एवं व्यय {निगम}[1] द्वारा वहन किये जायेंगे।

वार्षिक प्रशासकीय प्रति—वेदन तथा लेखों के विवरणों की तैयारी

145—— (1) मुख्य नगराधिकारी प्रति वर्ष पहली अप्रैल के बाद यशाक्य शीघ्र पूर्वगामी, राजकीय वर्ष में नगर के स्थानीय प्रशासन का एक विस्तृत प्रतिवेदन और साथ ही एक ऐसा विवरण—पत्र तैयार करेगा जिसमें उक्त वर्ष में {निगम}[1] निधि में जमा की गयी धनराशियां तथा उसमें से निकाले गये भुगतान और उक्त वर्ष की समाप्ति पर निधि के खाते में बची पूंजी दिखायी जायेगी। मुख्य नगराधिकारी इस प्रतिवेदन तथा विवरण—पत्र को कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखेगा।

(2) प्रतिवेदन ऐसे आकार मे होगा तथा उसमें ऐसी सूचनाएं दी जायेंगी, जिनका कार्यकारिणी समिति समय—समय पर निर्देश करें।

(3) तत्पश्चात् कार्यकारिणी समिति उक्त प्रतिवेदन तथा विवरण—पत्र की जांच करेगी। उक्त विवरण—पत्र तथा समिति की समीक्षा की एक—एक प्रति राज्य सरकार तथा प्रत्येक सदस्य के पास भेज दी जायेगी। उनकी प्रतियां {निगम}[1] के कार्यालय में बिक्री के लिए भी रखी जायेंगी।

बजट

146—— (1) मुख्य नगराधिकारी ऋणी {निगमों}[1] की दशा में प्रति वर्ष 10 दिसम्बर को या उसके पूर्व तथा अन्य {निगमों}[1] की दशा में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को या उसके पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष के {निगम}[1] की निधि आय और व्यय के तखमीने तैयार करायेगा और उन्हें कार्यकारिणी समिति के समक्ष ऐसे आकार में, जो विहित किया जाय, और ऐसी रीति से रखा जायगा, जिसे कार्यकारिणी समिति अनुमोदन करे।''

(2) ऐसे तखमीने में ———

(क) सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा अनुदानों का ध्यान रखा जायगा,

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) समस्त ऋणों के, जिनके अन्तर्गत सरकार से लिये गये ऐसे ऋण तथा उन पर देय ब्याज भी है, जिन्हें चुकाने का दायित्व {निगम}[1] पर है, चुकाने की व्यवस्था होगी,

(ग) धारा 126 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के द्वारा {निगम}[1] पर आरोपित दायित्वों के विमोचन की व्यवस्था होगी,

(घ) {निगम}[1] निधि में से ऐसी धनराशि को, जो शिक्षा के लिए निर्दिष्ट अनुदान की धनराशि के बराबर होगी, सुविधाजनक किस्तों में अथवा एकमुश्त अदा करने की व्यवस्था होगी,

(ङ) उक्त वर्ष के अन्त में ऐसी धनराशि से अन्यून नगद धनराशि रखने की व्यवस्था होगी, जिसे राज्य सरकार विहित करे,

(च) नगर प्रमुख द्वारा स्वविवेक से धारा 114 अथवा 115 में अभिर्दिष्ट किसी एक अथवा एकाधिक विषयों पर व्यय करने के लिए 5 हजार रुपये से अनधिक धनराशि की व्यवस्था होगी।

(3) कार्यकारिणी समिति मुख्य नगराधिकारी द्वारा तैयार किये गये बजट तखमीनों पर यथास्थिति 10 दिसम्बर अथवा 10 जनवरी को या उसके पश्चात् यथाशीघ्र विचार करेगी और उसमें ऐसे परिष्कार करेगी जिन्हें वह उचित समझे तथा उन्हें ऋणी {निगमों}[1] की दशा में 15 जनवरी तथा अन्य {निगमों}[1] की दशा में 15 फरवरी से पहले {निगम}[1] को प्रस्तुत करेगी।

(4) {निगम}[1] बजट के तखमीनों को, यदि वह ऋणी है तो एक मार्च से पूर्व और यदि ऋणी नहीं है तो तखमीनों से सम्बद्ध वर्ष के प्रारम्भ से पूर्व अन्तिम रूप से अंगीकार करेगा ओर उनकी प्राप्तियां राज्य सरकार को तुरन्त भेजेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी कारणवश {निगम}[1] ने तखमीनों से सम्बद्ध वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से पूर्व बजट के तखमीनों को अन्तिम रूप से अंगीकार नहीं किया है तो मुख्य नगराधिकारी द्वारा तैयार किये गये बजट के तखमीनों अथवा यदि उपधारा (3) के अधीन कार्यकारिणी समिति ने इन तखमीनों को प्रस्तुत कर दिया है तो ऐसे तखमीनों के संबंध में यह समझा जायगा कि वे तब तक {निगम}[1] द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती उस वर्ष के तखमीने है;

और प्रतिबन्ध यह भी है कि ऋणी {निगम}[1] के संबंध में इस उपधारा के अधीन बजट के तखमीनों का अंगीकार किया जाना राज्य सरकार के पुष्टीकरण के अधीन होगा।

बजट के पुनरीक्षित तखमीने

147–– ऋणी {निगम}[1] के संबंध में 1 सितम्बर तथा ऐसे {निगम}[1] के संबंध में जो ऋणी नहीं है, 01 अक्टूबर के पश्चात, यथासंभव शीघ्र उस वर्ष के बजट में पुनरीक्षित तखमीने {निगम}[1] द्वारा अंगीकार किये जायेंगे, जहां तक संभव होगा, किन्तु यहां उल्लिखित परिष्कारों के अधीन रहते हुए, ये पुनरीक्षत तखमीने धारा 46 के समस्त उपबन्धों के अधीन रहेंगे।

परिष्कार –

(1) धारा 146 की उपधारा (1) और (3) में ''10 दिसम्बर'' और 10 जनवरी'' के स्थान पर क्रमशः ''10 अगस्त'' और ''10 सितम्बर'' रखे गये समझे जायेंगे,

(2) धारा 146 की उपधारा (3) में ''15 जनवरी'' और ''15 फरवरी'' के स्थान पर क्रमशः ''15 अगस्त'' और ''15 सितम्बर'' रखे गये समझे जायेंगे,

(3) धारा के अन्त में प्रथम प्रतिबन्धक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धक रक्खा गया समझा जायगा;

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब तक {निगम}[1] बजट के पुनरीक्षित तखमीनों को अंगीकार नहीं करता तब तक इस अधिनियम के अधीन सम्बद्ध वर्ष की 1 अक्टूबर को प्रवृत्त बजट तखमीने, धारा 149 और 151 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस वर्ष के बजट तखमीने रहेंगे।

करों की दरों का निर्धारण

148—— {निगम}[1] यदि वह ऋणी है तो 15 फरवरी को या उसके पूर्व और अन्य दशाओं में 15 मार्च को या उसके पूर्व, कार्यकारिणी समिति की प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात् अध्याय 9 में विहित परिसीमाओं तथा शर्तों के अधीन रहते हुए उन दरों का निर्धारण केगी जिनके हिसाब से धारा 172 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट {निगम}[1] कर आगामी वित्तीय वर्ष में लगाये जायेंगे।

{निगम}[1] बजट अनुदानों की राशि बढ़ा सकती है और अतिरिक्त अनुदान भी दे सकती है

149—— (1) कार्यकारिणी समिति की सिफारिश पर {निगम}[1] किसी वित्तीय वर्ष में समय–समय पर बजट के किसी अनुदान की राशि में वृद्धि कर सकती है अथवा उक्त वर्ष मे ंकिसी विशेष अथवा अप्रत्याशित आवश्यकता की पूर्ति के लिए बजट में कोई अतिरिक्त अनुदान भी कर सकती है, किन्तु इस बात का ध्यान रखा जायगा कि वर्ष के अन्त में अनुमानित नगर रोकड़ जिसमें किसी विशेष निधि को रोकड़ यदि कोई हो, अपवर्जित कर दी जायी, धारा 146 क उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन विहित धनराशि से अथवा {निगम}[1] निधि या अन्य विशेष निधियों के संबंध में {निगम}[1] द्वारा तत्समय एतदर्थ निश्चित की गई किसी और बड़ी धनराशि से कम न हो।

(2) ऐसे बढ़ाये गये अथवा अतिरिक्त बजट अनुदानों के बारे में यह समझा जायगा कि {निगम}[1] द्वारा, उस वर्ष के लिये, जिनमें कि वे किये गये हैं, अनुमोदित बजट तखमीनों में सम्मिलित कर लिये गये हैं।

(3) बजट के एक मद से दूसरे मद में अथवा एक ही मद के भीतर धनराशियों का स्थानान्तरण अथवा उसमें कमी कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार की जायगी।

{निगम}[1] निधि से परिव्यय पर प्रतिबन्ध

150—— उन दशाओ को छोड़कर जिनकी व्यवस्था नियमों द्वारा एतदर्थ की जायं {निगम}[1] निधि में से उस समय तक कोई व्यय अथवा भुगतान न किया जायगा जब तक कि उसकी व्यवस्था किसी चालू बजट के अनुदान में नहीं हो जाती तथा जब तक कि ऐसे बजट अनुदान में ऐसी कमी अथवा स्थानान्तरण के होते हुए भी जो धारा 149 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार किया गया हो उसमें पर्याप्त बचत उपलब्ध न हो।

बजट के तखमीनों में परिवर्तन

151—— {निगम}[1] धारा 146 अथवा धारा 147 के अधीन अंगीकृत बजट तखमीनों को, समय–समय पर जैसा कि परिस्थितियों को देखते हुए वांछनीय हो, बदल अथवा परिवर्तित कर सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऋणी {निगम}[1] की दशा में इस धारा के अधीन प्रत्येक परिवर्तन या तब्दीली राज्य सरकार के पुष्टीकरण के अधीन होगी।

ऋणी {निगम}[1]

152—— यदि राज्य सरकार की राय में किसी {निगम}[1] पर इतना ऋण है कि उसके बजट पर राज्य सरकार का नियंत्रण करना वांछनीय हो जाता हो, तो राज्य सरकार सरकारी गजट में आज्ञा विज्ञापित करके इस स्थिति की घोषणा कर सकती है और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये ऐसी {निगम}[1] ऋणी {निगम}[1] समझी जायेगी।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

अधिभार

{152–क–– (1) {निगम}[4] का नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख तथा प्रत्येक सदस्य, पदाधिकारी और सेवक {निगम}[4] के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, अपव्यय या दुरुपयोग के लिये अधिभार का भागी होगा, यदि ऐसी हानि, अपव्यय या दुरुपयोग ऐसे नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, सदस्स्य, पदाधिकारी या सेवक के इस रूप में कार्य करते समय उसकी उपेक्षा या दुराचरण के सीधे परिणामस्वरूप हुआ हो।

(2) अधिभार की प्रक्रिया और हानि, अपव्यय, या दुरुपयोग में अन्तर्ग्रस्त धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी, जो नियमों द्वारा विहित की जाय।

(3) यदि अधिकार की कार्यवाही न की जाय तो {निगम}[4] राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से ऐसे नगर प्रमुख, उप–नगर प्रमुख, सदस्य पदाधिकारी या सेवक के विरुद्ध प्रतिकर के लिए वाद संस्थित कर सकती है।}[1]

नियम बनाने के अधिकार

153–– राज्य सरकार इस अध्याय के समस्त अथवा किन्हीं उद्देश्यों को कार्यन्वित करने के लिये तथा विशेषतया एतद्द्वारा प्राप्त अधिकारों की व्यापकता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुए निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये नियम बना सकती है–

(क) {निगम}[4] निधि के खाते में मुख्य नगराधिकारी द्वारा भुगतानों को प्राप्त करना तथा प्राप्त धन की किसी बैंक अथवा बैंकों में रखना,

(ख) {निगम}[4] की निधियों का संचालन

(ग) {निगम}[4] निधि के किसी अंश को नगर के बाहर स्थित किसी बैंक अथवा अभिकरण के पास जमा करना,

(घ) बचत के धन को लाभ पर लगाना,

(ड) {निगम}[4] द्वारा रखे जाने वाले लेख, वह रीति, जिससे लेखों का परीक्षण किया था उन्हें प्रकाशित किया जायगा { , }[2] किसी व्यय को न मानते तथा अधिभार के सम्बन्ध में लेख परीक्षकों के अधिकार {और वह रीति जिसके अनुसार अधिभार की कार्यवाहियां की जायंगी,}[3]

(च) बजट की एक मद से दूसरी मद में अथवा एक ही मद के अन्दर धनराशियों का स्थानांतरण अथवा उनमें कमी करना,

(छ) प्रशासन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन और लेखों के विवरण की तैयारी,

(ज) {निगम}[4] के लेखों को रखने की रीति।

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 21, 1964 की धारा 16 द्वारा अन्तर्विष्ट।
2. उपर्युक्त की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 17 द्वारा अन्तर्विष्ट।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

अध्याय 8

ऋण लेने के अधिकार

{निगम}[1] के ऋण लेने का अधिकार

154–– (1) {निगम}[1] , राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से तथा रिजर्व बैंक आफ इडिया ऐक्ट, 1934 की धारा 31 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, समय समय पर, एक या अधिक बार ऋण ले सकती है तथा ऋण–पत्रों को जारी करके या अन्य प्रकार से किसी ऐसी अचल संपत्ति की प्रतिभूति पर, जो {निगम}[1] में निहित हो या जिसे {निगम}[1] द्वारा इस अधिनियम के अधीन अजित किये जाने का प्रस्ताव हो, या समस्त अथवा किन्हीं करों महसूलों पथकरों उपकरों शुल्कों तथा आदेशों जिन्हें {निगम}[1] को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लगाने का प्राधिकार दिया गया हो, की प्रतिभूमि पर अथवा उन समस्त प्रतिभूतियों या उनमें से किन्हीं प्रतिभूतियों पर ब्याज पर ऐसी कोई भी धनराशि ले सकता है, जो निम्नलिखित किसी प्रयोजन के लिये आवश्यक हो।

(क) इस अधिनियम के अनुसार किये गये कार्यों पर {निगम}[1] द्वारा खर्च की गई लागतों, परिव्ययों या व्ययों के भुगतान के लिए,

(खं) इस अधिनियम के अधीन लिये गये किसी उधार के भुगतान के लिए या किसी ऐसे अन्य उधार या ऋण के भुगतान के लिये, जिसकी अदायगी या दायित्व {निगम}[1] पर हो,

(ग) सामान्तया इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये जिसमें इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत ऋण देना भी सम्मिलित है;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि :–

(1) कोई ऋण किसी स्थायी कार्य से भिन्न किसी अन्य कार्य के सम्पादनार्थ नहीं लिया जायगा। स्थायी कार्य के अर्न्गत कोई ऐसा कार्य सम्मिलित होगा, जिस पर होने वाला राज्य सरकार की राय में, कई वर्षों तक होता रहे।

(2) कोई ऋण तब तक नही लिया जायगा, जब तक कि राज्य सरकार ऋण का प्रयोजन, उसकी धनराशि, उस पर देय ब्याज की दर तथा तत्संबंधी अन्य शतें, जिसमें ऋण उगाहने का दिनांक तथा उसके भुगतान की अवधि तथा रीति सम्मिलित है, अनुमोदित न कर दे,

(3) वह अवधि जिसके भीतर ऋण का भुगतान किया जायगा किसी भी दशा में 30 वर्ष से अधिक न होगी।

(2) जब कोई धनराशि उपधारा (1) के अधीन ऋण के रूप में ली गई हो या फिर से ली गई हो तो–

(क) ऋण का कोई भाग, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, उस प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये उपयोग में नहीं लाया जायगा, जिसके लिये ऋण लिया गया था, और

(ख) किसी धनराशि का कोई भाग, जो किसी निर्माणकार्य के सम्पादन के लिये प्रथम बार या पुनः ऋण के रूप में लिया गया हो, {निगम}[1] के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी के वेतन या भत्ते के भुगतान की, सिवाय उनके जो एक मात्र उस निर्माण–कार्य के सम्पादन में लगे हुए हों, जिसके लिये उक्त धनराशि ली गयी थी, अथवा आवर्त्तक प्रकार के व्ययों की, पूर्ति के लिये उपयोग में लाया जायगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि {निगम}[1] के ऐसे पदाधिकरियों या कर्मचारियों के, जो अंशतः नक्शों तथा प्राक्कलन के तैयार करने या उक्त निर्माण–कार्य के सम्पादन या देखरेख या निर्माण–कार्य के लेखे रखने के लिये नियुक्त किये गये हों, वेतनों तथा भत्तों पर होने वाले व्यय का उतना भाग, जो कार्यकारिणी समिति निश्चित करे, ऋण के रूप में ली गई या फिर से ली गयी धनराशि में से अदा की जा सकता है।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

{निगम}[1] का सार्वजनिक प्रतिभूतियों पर बैंकों से ऋण लेने का अधिकार

155—— धारा 154 में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु रिजर्व बैंक आफ इंडिया ऐक्ट, 1934 की धारा 31 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए {निगम}[1] इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये किसी ऐसे बैंक या बैंकों से, जिनमें या जिसमें {निगम}[1] निधि की बचत धनराशियां जमा की गयी हों, किन्हीं सार्वजनिक प्रतिभूतियों पर, जिनमें तत्समय {निगम}[1] का नकदी शेष, लगायी गयी हो, ऋण ले सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऋणी {निगम}[1] की दशा में इस धारा के अधीन ऋण राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से ही लिया जायगा।

कब और कैसे ऋण का भुगतान किया जाय

156—— (1) प्रत्येक ऋण का, जो धारा 154 के अधीन लिया गया हो, उस अवधि के भीतर भुगतान किया जायगा, जो उक्त धारा के अधीन उसके लिये अनुमोदित हो। यह भुगतान निम्नलिखित विधियों में से उस विधि से किया जायगा, जो उक्त उपबन्ध के अधीन अनुमोदित की जाय, अर्थात् ———

(क) किसी ऐसी निक्षेप निधि में से भुगतान करके जो ऋण के संबंध में धारा 157 के अधीन स्थापित की गयी हो,

(ख) मूलधन तथा ब्याज के समीकृत भुगतानों द्वारा,

(ग) किसी ऐसी धनराशि से जो इस प्रयोजन के लिये धारा 154 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन उधार ली गई हो।

(घ) अंशतः उस निक्षेप—निधि से जो ऋण के संबंध में धारा 157 के अधीन स्थापित की गई हो और अंशतः उस धनराशि से जो इस प्रयोजन के लिये धारा 154 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन उधार ली गयी हो।

(ङ) ऐसी अन्य विधि से, जिसमें रुपया निकालना भी सम्मिलित है, जिसे सरकार निर्दिष्ट करें।

(2) ऐसे किसी ऋण का, जो नियत दिन से पहले लिया गया हो, भुगतान सामान्यतः विधि से किया जायेगा जो ऐसे ऋण के भुगतान के लिये प्रवृतत रही हो या यदि ऐसी कोई विधि न रही हो तो भुगतान, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी विधि से किया जायगा।

निक्षेप निधि का संधारण तथा उपयोग

157—— (1) जब कभी धारा 154 की उपधारा (1) के प्रतिबन्ध (1) के अधीन निक्षेप निधि से किसी ऋण के भुगतान की स्वीकृति दी गई हो तो {निगम}[1] ऐसी निधि को स्थापित करेगी और उसमें ऐसे दिनांकों पर जो उक्त प्रतिबन्ध के अधीन अनुमोदित हुए हों, उतनी धनराशि देगी, जो चक्रवृद्धि ब्याज सहित समस्त व्ययों के देने के बाद अनुमोदित अवधि के भीतर ऋण की अदायगी के लिये पर्याप्त हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी समय ऋण के भुगतान के लिये स्थापित निक्षेप निधि में जमा धनराशि इतनी हो यदि उसे चक्रवृद्धि ब्याज पर बढ़ने दिया जाय तो उससे अनमोदित अवधि के भीतर ऋण चुकता हो जायगा, तो राज्य सरकार की अनुज्ञा से ऐसी निधि में और धनराशियों का देना बन्द किया जा सकता है।

(2) {निगम}[1] किसी निक्षेप निधि या उसके किसी भाग को उस ऋण के परिशोध में या उसके निमित्त उपयोग में ला सकती है, जिसके लिये ऐसी निधि स्थापित की गयी हो और जब तक कि ऐसा ऋण या उसका भाग पूर्णतः चुकता न हो जाय तब तक वह उसका उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं करेगी।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

निक्षेप निधि का लगाया जाना

158—— (1) निक्षेप निधि में जमा की गयी समस्त धनराशियां {निगम}[1] द्वारा यथासंभव शीघ्र मुख्य नगराधिकारी के नाम में ———

(क) सरकारी प्रतिभूतियों में, या

(ख) सरकार द्वारा संरक्षित प्रतिभूतियों में, या

(ग) {निगम}[1] के ऋण—पत्रों में,

लगायी जायेंगी और {निगम}[1] द्वारा जारी किये गये ऋण—पत्रों के समय—समय पर भुगतान के प्रयोजन के लिये {निगम}[1] के कब्जे में रहेंगी।

(2) समस्त लाभांश ब्याज तथा अन्य धनराशियां जो इस प्रकार लगाई गई किसी धनराशि के सम्बन्ध में प्राप्त हों, के पश्चात् यथासंभव शीघ्र उपयुक्त निक्षेप—निधि में जमा की जायगी और उपधारा (1) में विहित रीति से लगायी जायंगी।

(3) दो या दो से अधिक निक्षेप—निधियों के नाम में जमा धनराशियां {निगम}[1] के स्वविवेकानुसार किसी एक ही निधि में लगाई जा सकती है और {निगम}[1] के लिये यह आवश्यक नहीं होगा कि वह इस प्रकार लगाई गई प्रतिभूतियों को विभिन्न निक्षेप निधियों में बांट दे।

(4) यदि निक्षेप—निधि का कोई भाग {निगम}[1] के ऋण—पत्रों पर लगाया जाय या भुगतान के लिये निश्चित अवधि से पहले के किसी भाग को चुकता करने के लये उपयोग में लाया जाय तो वह ब्याज, जो अन्यथा ऐसे ऋण—पत्रों या ऋण के ऐसे भाग पर देय होता, निक्षेप—निधि में दिया और उसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट रीति से लगाया जायगा।

(5) इस धारा के अधीन लगाये गये धन में उपधारा (1) के प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए परिवर्तन किया जा सकता है या उसे किसी दूसरी मद में स्थानान्तरित किया जा सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब कभी कोई लगाई गई धनराशि किसी दूसरे मद में स्थानान्तरित की जाय तो उस निक्षेप—निधि में, जिसमें से वह धनराशि दूसरी मद में स्थानान्तरित की गयी हो उतनी ही धनराशि बढ़ा दी जायगी।

(6) उस वर्ष में जिसमें ऋण, जिसके चुकाने के लिए निक्षेप—निधि स्थापित की गयी है, देय हो वह धनराशि जो ऐसी निक्षेप—निधि के मूलधन के भाग के रूप में अलग की जायगी और वह धनराशि जो ऐसी निक्षेप—निधि के मूलधन के भाग के रूप में अलग की जायगी और वह धनराशि, जो ऐसी निक्षेप—निधि के अशभूत भाग पर ब्याज के रूप में प्राप्त हो, {निगम}[1] द्वारा ऐसे रूप में रक्खी जायगी जिसे वह ठीक समझे।

निक्षेप निधि तथा अतिरिक्त धनराशि का {निगम}[1] द्वारा जारी किये गये ऋणपत्रों में लगाया जाना

159—— (1) किन्हीं ऐसे निक्षेप निधियों के संबंध में जिन्हें इस अधिनियम के द्वारा {निगम}[1] को सार्वजनिक प्रतिभूतियों में लगाने का आदेश या अधिकार दिया गया हो और किसी अतिरिक्त धनराशि के संबंध में, जिसे इस अधिनियम के द्वारा {निगम}[1] की ओर से मुख्य नगराधिकारी को प्रतिभूतियों में लगाने का अधिकार दिया गया हो, {निगम}[1] के लिये यह वैद्य होगा कि वह इस प्रकार धनराशि लगाने के प्रयोजन के हेतु किन्हीं ऋण—पत्रों को, जो किसी ऐसे ऋण के निमित्त जिसके लिये राज्य सरकार की यथावत् स्वीकृति ले ली गयी हो, जारी किये गये हों, या किये जाने वाले हों, रक्षित तथा पृथक् कर दें :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार ऋणपत्रों को रक्षित तथा पृथक् करने का आशय राज्य सरकार को ऋण जारी करने की एक शर्त के रूप में विज्ञापित कर दिया हो।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) {निगम}[1] की ओर से सीधे मुख्य नगराधिकारी को और उसके नाम में उक्त किन्हीं ऋण—पत्रों के जारी किये जाने का प्रभाव यह न होगा कि ऋण—पत्र समाप्त या रद्द हो जायेंगे, किन्तु इस प्रकार जारी किया गया प्रत्येक ऋृण—पत्र सभी प्रकार से उसी रूप में वैद्य होगा मानों वह अन्य व्यक्ति को और उसके नाम में जारी किया गया हो।

(3) {निगम}[1] द्वारा जारी किये गये किसी ऋण—पत्र का {निगम}[1] द्वारा क्रय या {निगम}[1] अथवा मुख्य नगराधिकारी को उसका हस्तान्तरण, अभ्यर्पण या पृष्ठांकन का प्रभाव यह नहीं होगा कि वह ऋणपत्र समाप्त या रद्द हो जायगा, किन्तु वह उसी प्रकार और उसी अवधि तक वैध और परक्राम्य होगा मानों वह किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में हो या उसे हस्तान्तरित, अभ्यर्पित या पृष्ठांकित किया गया हो।

निक्षेप निधियों की वार्षिक परीक्षा

160—— (1) इस अधिनियम के अधीन स्थापित या संधारित सम्पूर्ण निक्षेप निधियों की एक्जामिनर लोकल फंड एकाउन्ट्स द्वारा वार्षिक परीक्षा की जायगी, जो इस बात को सुनिश्चित करेगा कि रोकड़ और उससे संबंधित प्रतिभूतियों का मूल्य वास्तव में उस धनराशि के बराबर है या नहीं, जो इस प्रकार की निधियों के नाम में जमा होती, यदि रुपया नियमित रूप से लगाया गया होता और उस पर उस दर से ब्याज मिला होता जो पहले से प्राक्कलित की गयी थी।

(2) निक्षेप—निधि में जमा धनराशि का हिसाब भविष्य में किये जाने वाले ऐसे सम्पूर्ण भुगतानों के, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ऐसी निधि में करना आवश्यक हो, वर्तमान मूल्य के आधार पर यह कल्पना करके लगाया जायेगा कि सम्पूर्ण धनराशियां नियमिति रूप से लगाई जाती हैं और उन पर पहले की प्राक्कलित दर से ब्याज मिलता है।

(3) किसी निक्षेप—निधि की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन इस धारा के प्रयोजनों के लिये उनके चालू बाजार मूल्य पर किया जायगा, किन्तु उन ऋण—पत्रों का मूल्य, जो इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये हों, सहमूल्य पर लगाया जायगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि {निगम}[1] उस हानि को तुरन्त पूरा करेगी, जो ऋण के भुगतान के समय ऐसे ऋण—पत्रों के वास्तविक विक्रय पर हुई हो।

(4) {निगम}[1] किसी निक्षेप—निधि में, जब तक कि राज्य सरकार विशिष्ट रूप से क्रमिक पुनस्संधान की स्वीकृति न दे, किसी ऐसी धनराशि का तुरन्त भुगतान करेगी, जिसके कम होने की इक्जामिनर लोकल फंड एकाउन्ट्स ने प्रमाणित किया हो।

(5) यदि किसी निक्षेप—निधि में जमा रोकड़ तथा प्रतिभूतियों का मूल्य उस धनराशि से अधिक हो, जो उसमें जमा होनी चाहिये, तो एक्जामिनर लोकल फंड एकाउन्ट्स ऐसी अतिरिक्त धनराशि को प्रमाणित करेगा और तत्पश्चात् {निगम}[1] उक्त अतिरिक्त धनराशि को {निगम}[1] निधि में स्थानान्तरित कर सकती है।

(6) यदि उपधारा (4) या (5) के अधीन एक्जामिनर लोकल फंड एकाउन्ट्स द्वारा दिये गये किसी प्रमाण—पत्र की शुद्धता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो, तो {निगम}[1] भुगतान या स्थानान्तरण करने के पश्चात् संबद्ध विषय को राज्य सरकार को भेज सकती है, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

ऋण के भुगतान न करने पर {निगम}[1] निधि का कुर्क किया जाना

161—— (1) यदि {निगम}[1] द्वारा उधार ली गयी किसी धनराशि या उस पर देय ब्याज या किसी व्यय का ऋण की शर्तों के अनुसार भुगतान न किया जाय, तो राज्य सरकार, यदि उक्त ऋण स्वयं उसी के दिया हो, {निगम}[1] निधि या उसके किसी भाग को कुर्क कर सकती है और यदि ऋण उसने नही ंदिया है तो वह ऋणदाता द्वारा प्रार्थना—पत्र दिये जाने पर तथा उसके संबंध में {निगम}[1] के स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् {निगम}[1] निधि या उसके किसी भाग को कुर्क करेगी।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) ऐसी कुर्की के पश्चात् कोई व्यक्ति, सिवाय उस पदाधिकारी के, जिसे राज्य सरकार के एतदर्थ नियुक्त किया हो, कुर्क की गयी निधि या उसके किसी भाग के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही न करेगा, किन्तु वह पदाधिकारी उसके संबंध में ऐसे समस्त कार्य कर सकता है, जो {निगम}[1] के किसी प्राधिकारी, पदाधिकारी या कर्मचारी ने उस दशा में किये होते, यदि ऐसी कुर्की न हुई होती और आगम का उपयोग बकायों, उनके सम्पूर्ण ब्याज तथा उनके संबंध में देय व्यय और कुर्की के तथा परवर्ती कार्यवाहियों के कारण हुए समस्त व्ययों के शोधन के निमित्त कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कुर्की से कोई ऐसा ऋण न तो मारा जायगा और न उसका उप ऋण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ेगा, जिसके लिये कुर्क निधि या उसका कोई भाग विधि के अनुसार पहले बंधक रहा हो और ऐसे समस्त परिव्ययों का भुगतान निधि के आगम या उसके किसी भाग से किया जायगा, इसके पूर्व कि आगम के किसी भाग का उपयोग उस दायित्व के शोधन में किया जाय, जिसके संबंध में कुर्की हुई थी।

ऋण—पत्रों के आकार—पत्र

162—— (1) इस अधिनियम के अधीन जारी किये जाने वाले ऋण—पत्र ऐसे आकार पत्र में होंगे, जिसे {निगम}[1] राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृत से समय—समय पर निर्धारित करे।

(2) किसी ऐसे ऋण—पत्र का, जो उपधारा (1) के अधीन यथावत् प्राधिकृत आकार—पत्र में हो, ग्रहीता ऐसी शर्तों पर, जो {निगम}[1] समय—समय पर निर्धारित करेगी, अपने ऋण—पत्र के विनिमय में कोई ऐसा ऋण—पत्र प्राप्त कर सकता है जो अन्य प्रकार से अधिकृत आकार—पत्र में हो।

(3) {निगम}[1] द्वारा इस अधनियम के अधीन जारी किया गया प्रत्येक ऋण—पत्र पृष्ठांकन द्वारा हस्तांतरणीय होगा।

(4) उक्त किन्हीं ऋण—पत्रों द्वारा सुरक्षित धनराशियों की प्राप्ति का तथा उसके संबंध में वाद प्रस्तुत करने का अधिकार तत्समयक ऋण—पत्र गृहीता में निहित होगा और इस संबंध में इस बात के लिये कोई अधिमान प्राप्त न होगा कि ऐसे ऋण—पत्रों में से कुछ दूसरों से पहले के दिनांकों के हैं।

ऋण—पत्रों के संलग्न कूपनों पर कार्यकारिणी समिति के सभापति और मुख्य नगराधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।

163—— इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये ऋण—पत्रों से संलग्न समस्त कूपनों पर {निगम}[1] की ओर से कार्यकारिणी समिति के सभापति और मुख्य नगराधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और ऐसे हस्ताक्षर किसी यांत्रिक रीति द्वारा चित्रित किये जा सकते हैं, लिथो से लिखे जा सकते हैं या मुद्रांकित किये जा सकते हैं।

दो या दो से अधिक व्यक्तियों को संयुक्त रूप से जारी किए गए ऋण पत्र

164—— इंडियन कंट्रैक्ट ऐक्ट, 1872 की धारा 45 में किसी बात के होते हुये भी —

(1) यदि इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया कोई ऋण—पत्र या प्रतिभूति दो या दो से अधिक व्यक्तियों को संयुक्त रूप से देय हो और उनमें से दोनों की या किसी एक की मृत्यु हो जाये तो उक्त ऋण—पत्र या प्रतिभूति ऐसे व्यक्तियों के उत्तरजीवी को अथवा उत्तरजीवियों को देय होगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में दी हुई किसी बात का मृत व्यक्ति के किसी विधिक प्रतिनिधि द्वारा उक्त उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों के विरुद्ध प्रस्तुत किये गये दावे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये किसी ऋण–पत्र या प्रतिभूति के संयुक्त गृहीता हों, तो जब तक ऐसे व्यक्तियों में से किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा {निगम}[1] को कोई प्रतिकूल नोटिस न दिया गया हो, ऐसे ऋण–पत्र या प्रतिभूति के सम्बन्ध में देय किसी ब्याज या लाभांश के लिए उनमें से कोई भी व्यक्ति प्रभावकारी रसीद दे सकता है।

प्रतिभूतियों की द्वितीय प्रतियों का जारी किया जानाा

165–– (1) यदि इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये किसी ऋण–पत्र के बारे में यह कहा जाय कि वह खो गया है, चुरा लिया गया है, पूर्णतया या अंशतः नष्ट हो गया है, उसका विरुपण हो गया है अथवा वह विकृत कर दिया गया है और कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि मैं वहीं व्यक्ति हूं जिसे खो न जाने चुरा न लिए जाने, नष्ट न हो जाने, विरुपण न होने अथवा विकृत न होने की दशा में ऋण–पत्र देय होता, तो वह मुख्य नगराधिकारी को प्रार्थना–पत्र देकर और ऋण–पत्र के खो जाने, चुराये जाने, विरूपण होने अथवा विकृत किये जाने, नष्ट हो जाने के बारे में तथा अपने दावे के औचित्य का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करके निम्नांकित के लिये आज्ञा प्राप्त कर सकता है :–

(क) यदि वह ऋण–पत्र, जिसे खोया हुआ, चुराया हुआ, नष्ट हुआ, विरूपण हुआ, अथवा विकृत किया हुआ बताया गया हो, उपधारा (2) में निर्दिष्ट विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक के पश्चात् 6 वर्ष से अधिक की अवधि में देय हो, तो –––

(1) उक्त ऋण–पत्र की द्वितीय प्रति जारी होने तक उस ऋण–पत्र से सम्बद्ध ब्याज के भुगतान के लिये, और

(2) प्रार्थी को देय ऋण–पत्र की द्वितीय प्रति जारी की जाने के लिये, या

(ख) यदि वह ऋण–पत्र, जिसे खोया हुआ, चुराया गया, नष्ट हुआ, विरुपण हुआ, अथवा विकृत किया हुआ बताया गया हो, उपधारा (2) में निर्दिष्ट विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक के पश्चात् 6 वर्ष से अनधिक अवधि में देय हो, तो ––

(1) उक्त ऋण–पत्र की द्वितीय प्रति को जारी हुये बिना ही उस ऋण–पत्र से सम्बद्ध ब्याज के भुगतान के लिये, और

(2) प्रार्थी को, उस दिनांक को या उसके पश्चात् जिस पर भुगतान देय होता हो, उक्त ऋण–पत्र पर देय मूल धनराशि का भुगतान किये जाने के लिये।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आज्ञा तब तक न दी जायगी जब तक कि ऋण पत्र के खोने, चुराये जाने, नष्ट हो जाने, विरूपण हो जाने अथवा विकृत किये जाने के बारे में ऐसी विज्ञप्ति जारी न हो जाय जो {निगम}[1] द्वारा विहित की जाय और जब तक कि ऐसी अवधि समाप्त न हो जाय जो {निगम}[1] द्वारा विहित की जाय और यह आज्ञा उस समय तक न दी जायगी जब तक प्रार्थी ऐसी क्षतिनिवारण न दे दे जो खोये हुए, चुराये गये या नष्ट हुए ऋण–पत्र के अन्तर्गत आगम प्राप्त समस्त व्यक्तियों के दावों के संबंध में {निगम}[1] द्वारा अपेक्षित हो।

(3) उन ऋण–पत्रों की एक सूची, जिसके संबंध में उपधारा (1) के अधीन कोई आज्ञा दी जाय, सरकारी गजट में प्रकाशित की जायगी।

(4) यदि किसी ऐसे ऋण–पत्र के संबंध में, जो पूरा–पूरा खोया हुआ, चुराया गया, नष्ट हुआ, विरुपण हुआ या विकृत किया हुआ बताया गया हो, धारा 168 के उपबन्धों के अधीन {निगम}[1] अपने दायित्वों से मुक्त होने के पूर्व किसी भी समय ऐसा ऋण–पत्र मिल जाय तो इस धारा के अधीन उसके संबंध में दी गई आज्ञा रद्द कर दी जायगी, किन्तु इससे मूलधन ब्याज का कोई ऐसा भुगतान, जो पहले किया जा चुका हो, वाधित न होगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

ऋण—पत्रों का नवीकरण

166—— (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये किसी ऋण—पत्र का अधिकारी होने का दावा करे मुख्य नगराधिकारी को प्रार्थना—पत्र देकर और अपने दावे के औचित्य के बारे में उसका समाधान करके तथा प्राप्त ऋण पत्र को ऐसी रीति से देकर और ऐसा शुल्क देकर, जिसे मुख्य नगराधिकारी विहित करें, ऐसा एक नवीकृत ऋण—पत्र प्राप्त कर सकता है जो प्रार्थना—पत्र देने वाले व्यक्ति को देय हो।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये किसी ऐसे ऋण—पत्र के बारे में जिसके नवीकरण के लिये प्रार्थना—पत्र दिया गया हो, आगम विषयक कोई विवाद प्रस्तुत हो तो मुख्य नगराधिकारी —

(क) यदि विवाद से सम्बद्ध किसी पक्ष को सक्षम क्षेत्राधिकारयुक्त न्यायालय से कोई ऐसा अंतिम निर्णय प्राप्त हो गया हो, जिसके द्वारा उसे ऐसे ऋणपत्र का अधिकारी घोषित किया गया हो, ऐसे पक्ष के नाम एक नवीकृत ऋण—पत्र जारी कर सकता है,

(ख) उक्त निर्णय होने तक ऋण—पत्र का नवीकरण अस्वीकार कर सकता है, या

(ग) ऐसी जांच जिसकी व्यवस्था आगे की गयी है, करने तथा उसके परिणाम पर विचार करने के पश्चात् लिखित आज्ञा द्वारा घोषित कर सकता है कि उसके मतानुसार सम्बद्ध पक्षों में से अमुक पक्ष उक्त ऋण—पत्र का अधिकार है और ऐसी घोषणा के तीन मास की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार ऐसे पक्ष के नाम—जब तक कि उस अवधि के भीतर मुख्य नगराधिकारी को इस आशय का नोटिस न प्राप्त हुआ हो कि ऐसे ऋण—पत्र के संबंध में अपने आगम की स्थापित करने के लिये किसी व्यक्ति ने सक्षम क्षेत्राधिकारयुक्त किसी न्यायलय में कार्यवाही कर दी हैं— एक नवीकृत ऋण—पत्र जारी कर सकता है।

स्पष्टीकरण — इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये पद "अन्तिम निर्णय" से तात्पर्य है ऐसा निर्णय, जिसके विरुद्ध अपील न की जा सकती हो या ऐसा निर्णय जिसके विरुद्ध अपील की तो जा सकती है किन्तु विधि द्वारा अनुज्ञात कालावधि के भीतर की न गयी हो।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट जांच के प्रयोजनार्थ मुख्य नगराधिकारी ऐसे संपूर्ण साक्ष्य या उसके किसी भाग को, जैसा कि सम्बद्ध पक्ष प्रस्तुत करे, स्वयं अभिलिखित कर सकता है या जिला मैजिस्ट्रेट से या उसके अधीनस्थ किसी मैजिस्ट्रेट से अभिलिखित कराने का अनुरोध कर सकता है। साक्ष्य अभिलिखित करने वाला मैजिस्ट्रेट ऐसे साक्ष्य का अभिलेख मुख्य नगराधिकारी को प्रेषित करेगा।

(4) मुख्य नगराधिकारी या इस धारा के अधीन कार्य करने वाला कोई मैजिस्ट्रेट, यदि वह उचित समझे, तो शपथ लिवा कर साक्ष्य अभिलिखित कर सकता है।

नवीकृत ऋण—पत्र के सम्बन्ध में दायित्व

167—— (1) यदि धारा 166 के अधीन किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई नवीकृत ऋण—पत्र जारी किया जा चुका हो तो इस प्रकार जारी किये गये ऋण—पत्र के संबंध में यह समझा जायगा कि वह {निगम}[1] तथा ऐसे व्यक्ति और उसके द्वारा तत्पश्चात् आगम प्राप्त करने वाले समस्त व्यक्तियों के मध्य किया गया संविदा है।

(2) ऐसे किसी नवीकरण का उन अधिकारों पर कोई प्रभाव न होगा, जो इस प्रकार नवीकृत ऋण—पत्र के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को {निगम}[1] के विरुद्ध प्राप्त हों।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

कतिपय स्थितियों में मुक्तभार

168—— यदि धारा 165 के अधीन ऋण—पत्र की द्वितीय प्रति जारी की जा चुकी हो या यदि धारा 166 के अधीन कोई नवीकृत ऋण—पत्र पर, जिसके संबंध में ऋण—पत्र की जारी किया जा चुका हो या यदि किसी ऐसे ऋण—पत्र पर, जिसके संबंध में ऋण—पत्र की द्वितीय प्रति जारी किये बिना ही मूल धनराशि लौटाने की आज्ञा धारा 165 के अधीन दी जा चुकी हो, देय मूलधन भुगतान के लिये नियत दिनांक को तत्पश्चात् लौटा दिया गया हो, तो {निगम}[1] ऐसे ऋण के संबंध में, जिसके स्थान पर ऋण—पत्र की द्वितीय प्रति या नवीकृत ऋण—पत्र इस प्रकार जारी किया जा चुका हो या जिसके संबंध में देय धन लौटाया जा चुका हो, जैसी भी स्थिति हो—

(क) ऋण—पत्र की द्वितीय प्रति की दशा में धारा 165 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से या मूल ऋण—पत्र के ब्याज के पिछले भुगतान के दिनांक से 6 वर्ष पश्चात् इनमें से भी जो दिनांक परवर्ती हो,

(ख) नवीकृत ऋण—पत्र की दशा में उसके जारी किये जाने के दिनांक से 6 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात्, और

(ग) ऋण पत्र की द्वितीय प्रति जारी किये बिना ही मूलधन का भुगतान करने की दशा में धारा 165 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से 6 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात्:

समस्त दायित्वों से मुक्त हो जायेगा।

क्षति पूर्ति

169—— धारा 166 में किसी बात के होते हुए भी नगर आयुक्त उस धारा के अन्तर्गत किसी स्थिति के उत्पन्न होने पर —

(1) मूल ऋण—पत्र के अधीन दावा प्रस्तुत करने वाले समस्त व्यक्तियों के दावों से {निगम}[1] तथा नगर आयुक्त के पक्ष में क्षति—निवारण प्राप्त करने के पश्चात् जैसा कि वह उचित समझे, एक नवीकृत ऋण—पत्र जारी कर सकता है, या

(2) जब तक उक्त क्षति—निवारण न हो जाये तब तक ऐसा नवीकृत ऋण—पत्र जारी करना अस्वीकृत कर सकता है।

वार्षिक विवरण—पत्र नगर आयुक्त द्वारा तैयार किया जायेगा

170—— (1) नगर आयुक्त प्रत्येक वर्ष के अन्त में एक विवरण—पत्र तैयार करेगा, जिसमें निम्नांकित दिखाये जायेंगे :—

(क) पिछले वर्षों के लिए गये ऋण, जिनके लिए {निगम}[1] उत्तरदायी हो और जिनका वर्ष आरम्भ होने के पूर्व पूर्णतः भुगतान न किया गया हो, वर्ष के आरम्भ में अदत्त धनराशि का ब्यौरा, ऋण लेने के दिनांक तथा वार्षिक ऋण परिव्यय;

(ख) वर्ष में {निगम}[1] द्वारा लिए गए ऋण तथा ऋण पत्र लेने के दिनांक तथा उसकी धनराशि विषयक ब्यौरे और वार्षिक ऋण परिव्यय;

(ग) ऐसे प्रत्येक ऋण की दशा में, जिसके निमित्त निक्षेप निधि खोली गयी हो, वर्ष के अन्त में निक्षेप—निधि में जमा धनराशि अलग से दिखायी गयी हो;

(घ) वर्ष में चुकाये गये ऋण और किस्तों में या वार्षिक रूप से निकाली गयी धनराशियों द्वारा चुकाये गये ऋणों की दशा में उस वर्ष में चुकायी गयी धनराशियां और वर्ष के अन्त में देय धनराशि;

(ङ) उन प्रतिभूतियों के ब्यौरे, जिनमें निक्षेप निधियां लगायी गयी हों या जिनके लिए वे रक्षित हों।

उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) ऐसा प्रत्येक विवरण–पत्र {निगम}[2] की बैठक के समक्ष रखा जायेगा और सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायेगा और इस विवरण–पत्र की एक–एक प्रति राज्य सरकार तथा एक्जामिनर, लोकल फंड एकाउन्ट्स को भेजी जायेगी।

नियम बनाने के अधिकार

171–– राज्य सरकार इस अध्याय के सभी या किन्हीं प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए और विशेषतः एतद्द्वारा प्रदत्त अधिकारों की व्यापकता पर कोई प्रभाव डाले बिना निम्नांकित प्रयोजनों के लिए नियम बना सकती है :–

(क) इस अध्याय के अधीन सरकारी की स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया;

(ख) निक्षेप की स्थापना;

(ग) निक्षेप निधि में धन लगाना;

(घ) निक्षेप निधि की वार्षिक जांच और लेखा–परीक्षा;

(ङ) {निगम}[2] निधि के कुर्क करने की रीति; और

(च) ऋण–पत्रों का मुद्रण।

अध्याय 9

{निगम}[2] –कर

इस अधिनियम के अधीन कर लगाये जायेंगे

172–– (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए और उसके तथा ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 285 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए {निगम}[2] निम्नलिखित कर लगायेगी–

(क) सम्पत्ति कर,

(ख) यंत्र चालित वाहनों से भिन्न वाहनों तथा किराये पर चलने या नगर के भीतर रखी गयी गाड़ियों या वहां बांधी जाने वाली नावों पर कर,

(ग) सवारी करने, जोतने, गाड़ी खींचने या बोझ ढोने के लिए उपयोग में लाये जाने वाले पशुओं पर, कर जब वे {निगम}[2] के भीतर रखे जायं।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट करों के अतिरिक्त {निगम}[2] इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तथा उसके उपबन्धों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित करों में से कोई भी कर लगा सकती है।

(क) व्यापारों, आजीविकाओं और व्यवसायों तथा सावर्जनिक या निजी नियुक्ति होने पर कर,

(ख) {***}[1]

(ग) {***}[1]

(घ) {***}[1]

(ङ) नगर के भीतर रखे गये कुत्तों पर कर,

(च) परिवृद्धि कर

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1991 के अध्याय–तीन की धारा 8 द्वारा निकाले गये।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(छ) नगर के भीतर स्थित अचल संपत्ति के हस्तान्तरण लेखों पर कर,

(ज) समाचार–पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों पर कर,

(झ) प्रेक्षागृहों पर कर,

(ञ) {***}[1]

{***}[1]

(3) {निगम}[2] कर इस अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाई गई नियमावली और उपविधियों के अनुसार निर्धारित किये जायेंगे और लगाये जायेंगे।

(4) इस धारा की कोई बात कोई ऐसा कर लगाने का प्राधिकार न देगी, जिसे भारत का संविधान के अधीन राज्य विधान मंडल को राज्य में लगाने का अधिकार नहीं है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई कर ''भारत का संविधान'' के प्रारम्भ में ठीक पूर्व नगर में सम्मिलित किसी क्षेत्र में विधितः लगाया जा रहा था तो ऐसा कर का लगाया जाना और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये प्रयुक्त किया जाना जारी रखा जा सकता है जब तक कि संसद इसके विपरीत कोई उपबन्ध न बनाये।

संपत्ति–कर

सम्पत्ति–कर लगाये जा सकेंगे।

173–– (1) धारा 172 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिये संपत्ति–कर में निम्नलिखित कर सम्मिलित होंगे, जो आगे व्यवस्थित अपवादों, परिसीमाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए नगर में भवनों या भूमियों पर लगाये जायेंगे :–

(क) सामान्य–कर, जो यदि {निगम}[2] ऐसा निर्धारित करे, आंनुक्रमिक मद से आरोपित किया जा सकता है,

(ख) जल–कर,

(ग) जल निस्सारण कर जो उन क्षेत्रों में लगाया जा सकेगा जहां {निगम}[2] ने नालों की प्रणाली की व्यवस्था की हो,

(घ) ऐसे क्षेत्रों में स्वच्छता कर जहां {निगम}[2] संडासों, मूत्रालयों और नलकूपों से मलमूत्र और दूषित पदार्थ इकट्टा करने, हटाने तथा उनका निस्तारण करने का कार्य–भार वहन करती है।

(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गयी नियमावली में स्पष्ट रूप से की अन्य वयवस्था को छोड़कर ये कर यथा–स्थिति भवन या भूमि के वार्षिक मूल्य पर लगाये जायेंगे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि संपत्ति–करों का योग किसी भी दशा में भवन या भूमि या दोनों ही, जिसे पर उक्त कर निर्धारित किये गये हों, के वार्षिक मूल्य के 15 प्रतिशत से कम और 25 प्रतिशत से अधिक न होगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1991 के अध्याय–तीन की धारा 8 द्वारा निकाले गये।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

174—— वार्षिक मूल्य से तात्पर्य है—— वार्षिक मूल्य की परिभाषा

{(क) रेलवे स्टेशनों, कालेजों, स्कूलों, छात्रावासों, कारखानों, वाणिज्यिक भवनों और अन्य अनावासिक भवनों की दशा में, नियम द्वारा निश्चित की गयी दर से मूल्यापकर्षण व्यय घटाने के पश्चात् भवन निर्माण की वर्तमान अनुमानित लागत और उससे संलग्न भूमि के अनुमानित मूल्य को जोड़कर निकाली गयी धनराशि का 5 प्रतिशत से अन्यून भाग, जिसे एतदर्थ बनाये गये नियम द्वारा, निश्चित किया जायगा और}[1]

(ख) ऐसे भवन या भूमि की दशा में, जो खंड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आती हो, वह सम्पूर्ण वार्षिक किराया, जिस पर उसमें स्थित उपस्कर या यंत्रादि को छोड़कर ऐसा भवन या ऐसी भूमि वास्तव में उठाई गई हो या यदि भूमि या भवन न उठाया गया हो या कर—निर्धारक प्राधिकारी की राय में उसे ऐसे किराये पर उठाया गया हो, जो उसके उचित किराये की धनराशि से कम हो, तो वह सम्पूर्ण वार्षिक किराया, जिसके संबंध में उचित रूप से यह आशा की जाय कि वह उक्त भवन या भूमि पर वर्ष—प्रतिवर्ष मिल सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपर्युक्त रीति से हिसाब लगाने पर {निगम}[2] की राय में किसी असाधारण परिस्थिति के कारण किसी भवन का वार्षिक मूल्य अत्यधिक होता हो तो {निगम}[2] वार्षिक मूल्य के रूप में कोई ऐसी कम धनराशि भी निश्चित कर सकती है जो उसे न्यायसंगत प्रतीत हो :

और प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि {निगम}[2] ऐसा संकल्प करे तो स्वामी द्वारा अध्यासित भवनों तथा भूमि की दशा में वार्षिक मूल्य सम्पत्ति कर के निर्धारण के प्रयोजननार्थ, इस धारा के अधीन अन्यथा निश्चित मूल्य से 25 प्रतिशत कम समझा जायगा।

{175—— धारा 173 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन कर इस निर्बन्धन के अधीन रहते हुए लगाया जायगा कि निम्नलिखित पर ऐसा कर न लगाया जाय, —— जल—कर लगाने पर प्रतिबन्ध

(1) किसी ऐसी भूमि पर जिसका उपयोग एकमात्र कृषि प्रयोजनों के लिये किया जाता हो, जब तक कि {निगम}[2] द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए जल सम्भरित न किया जाय, या

(2) किसी ऐसे भू—खण्ड या भवन पर जिसका वार्षिक मूल्य तीन सौ साठ रुप्ये से अधिक न हो ओर जिसे {निगम}[2] द्वारा जल सम्भरित न किया जाता हो, या

(3) किसी ऐसे भू—खण्ड या भवन पर जिसका कोई भाग निकटतम बम्बा या अन्य जल—कल से जहां पर जनता को {निगम}[2] द्वारा जल उपलब्ध कराया जाता हो, उस नगर के लिए विहित अर्ध व्यास के भीतर न हो।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये, ———

(क) 'भवन' में उसका अहाता (यदि कोई हो,) और, जहां एक ही सामान्य अहाते में अनेक भवन हों, वहां ऐसे समस्त भवन और सामान्य अहाता भी सम्मिलित है,

(ख) 'भू—खण्ड' का तात्पर्य किसी ऐसे भूमि के खन्ड से है जो किसी एकल अध्यासी द्वारा या अनेक अध्यासियों द्वारा समान्य रूप से घृत हो जिसका कोई भी भाग किसी दूसरे भाग से किसी अन्य अध्यासी या अध्यासियों की भूमि या सार्वजनिक सम्पत्ति के द्वारा पूर्णतया पृथककृत न हो।}[3]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3 वर्ष 1987 के अध्याय—चार की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ.प्र. अधिनियम सं. 10, 1978 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

176–– जल–कर, जल निस्सारण कर और स्वच्छता कर से होने वाली आय तथा ऐसी अन्य समस्त आय को, जो जल–कलों, जलनिस्साण कार्यों, नालियों तथा संडासों, मूत्रालयों और मलकूपों से इक्ट्ठा किये गये मल इत्यादि और दूषित पदार्थों और ऐसे पदार्थों के निस्तारण से तथा ''सलेज फामों'' से होती हो, एकत्र किया जायगा और उसे उक्त जल–कलों और जल–निस्सारण निर्माण कार्यों के निर्माण, संधारण, विस्तार और सुधार के संबंध में और संडासों, मूत्रालयों तथा मलकूपों से मल इत्यादि और दूषित पदार्थ इकट्ठा करने, हटाने और उनका निस्तारण करने के संबंध में, जिसके अन्तर्गत सलेज फार्मों का संधारण भी है, होने वाले व्ययों को पूरा करने के लिए खर्च किया जायगा।

जल–कलों और जल निस्तारण के निर्माण–कार्यों से होने वाली आय को एकत्र करना

177–– सामान्य कर नगर में स्थित सभी भवनों और भूमियों पर लगाया जायगा, सिवाय–

किन भू–गृहादि पर सामान्य कर आरोपित किया जायगा

(क) उन भवनों और भूमियों के, जो एकमात्र मृतकों के निस्तारण से संबद्ध प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होती हों,

(ख) उन भवनों और भूमियों या उनके ऐसे भाग के, जो केवल सार्वजनिक उपासना या दानोदत्त के प्रयोजन के लिये अध्यासन में हों,

{(ग) भवन, जो एकमात्र स्कूल और कालेजों के रूप में प्रयुक्त होते हैं तथा राज्य सरकार के स्वामित्व में हो;}[4]

(घ) एन्शियन्ट मानुमेन्ट प्रिजर्वेशन ऐक्ट, 1904 में पारिभाषित प्राचीन स्मारकों के किन्तु ऐसे किसी स्मारक के संबंध में राज्य सरकार के दिये हुये किसी आदेश के अधीन रहते हुये,

{(ङ) किसी ऐसे भवन या भूमि के, जिसका वार्षिक मूल्य तीन सौ साठ रुपये या इससे कम हो, प्रतिबन्ध यह है कि उसके स्वामी का उसी नगर में कोई अन्य भवन या भूमि न हो {और {निगम}[3] की मुख्य या शाखा सीबर लाइन से तीस मीटर के भीतर स्थित किसी भवन की स्थिति में अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि उसमें फ्लश की व्यवस्था सहित शौचालय हो}[2], और}[1]

(च) ''भारत के संविधान'' के अनुच्छेद 285 के खंड (2) के उपबन्ध जहां लागू होते हों उन्हें छोड़ कर भवन तथा भूमि, जो भारत के संघ में निहित हों।

178–– (1) जब किसी वर्ष कोई भवन या भूमि निरन्तर नब्बे या इससे अधिक दिनों तक खाली रही हो और उससे किराया न मिलता रहा हो तो मुख्य नगराधिकारी उस वर्ष के प्रत्येक संपत्ति कर में उतनी छूट दे देगा या उसे वापस कर देगा, जो उतने दिनों के अनुपात में हो, जितने दिनों तक उक्त भवन या भूमि खाली रही हो और उससे किराया न मिला हो।

अनध्यासन के कारण छूट

(2) यदि किसी भवन में अलग–अलग लघु गृह हों और उनमें से एक या एकाधिक ऊपर उल्लिखित किसी अवधि तक खाली रहा हो, और उससे किराया न मिला हो, तो मुख्य नगराधिकारी प्रत्येक कर या किस्त के ऐसे भाग (यदि कोई हो) को छूट दे सकता है या उसे वापस कर सकता है, जो विहित किया जाय :

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 10, 1978 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ.प्र. अधिनियम सं. 35, 1978 की धारा 12 द्वारा अन्तर्विष्ट और अधिसूचना सं. 4241 बी/11–6–77–391/77 अधि/59 दिनांक 28 फरवरी, 1979 के अन्तर्गत 1 मार्च 1979 से अन्तर्विष्ट समझा जायगा।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 19 वर्ष 2002 की धारा 8 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 8 (ख) द्वारा निकाला गया।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस समय तक कोई छूट न दी जायगी जब तक {निगम}[1] को इस बात का लिखित नोटिस न दे दिया गया हो कि भवन या भूमि खाली है और उससे कोई किराया नहीं मिल रहा है, और ऐसा नोटिस देने के दिन से पूर्व की किसी अवधि के लिए कोई छूट या वापसी प्रभावी न होगी।

(3) उन तथ्यों को, जिनके कारण कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन उपशम प्राप्त करने का अधिकारी हो, प्रमाणित करने का भार स्वयं उसी पर होगा।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई भवन या भूमि खाली न समझी जायेगी यदि वह आमोद–प्रमोद के स्थान या नगर गृह या ग्राम्यगृह के रूप में संधारित की जाती हो अथवा यह न समझा जायेगा कि उससे किराया नहीं मिल रहा है यदि उसे किसी ऐसे किरायेदार या काश्तकार के पास छोड़ दिया गया हो, जिसे उसके निरन्तर अध्यासन का अधिकार हो, चाहे वह उसके वास्तविक अध्यासन में हो या न हो।

वार्षिक मूल्य पर लगाये जाने वाले कतिपय सम्पत्तिकरों के लिए प्राथमिक उत्तरदायित्व

179–– (1) अन्यथा विहित की गई व्यवस्था को छोड़कर, भवनों या भूमियों के वार्षिक मूल्य पर प्रत्येक कर (जो जल–निस्तारण कर या स्वच्छता–कर से भिन्न हो) प्राथमिक रूप से उस सम्पत्ति के, जिस पर उक्त कर निर्धारित किये गये हों, वास्तविक अध्यासी पर लगाया जायगा, यदि वह उक्त भवनों या भूमियों का सवमी हो, या उसने उन्हें केन्दीय या राज्य सरकार या {निगम}[1] से भवन सम्बन्धी पट्टे पर या अन्य पट्टे पर या किसी व्यक्ति से भवन संबंधी पट्टे पर लिया हो।

(2) किसी अन्य दशा में कर प्रथमतः निम्नलिखित रूप से लगाया जायगा, अर्थात्–

(क) यदि सम्पत्ति किराये पर उठाई गई हो तो पट्टा दाता से,

(ख) यदि सम्पत्ति शिकमी पट्टे पर दी गई हो तो वरिष्ठ पट्टादाता से,

(ग) यदि सम्पत्ति किराये पर नहीं उठाई गई हो तो उस व्यक्ति से, जिसमें उसे किराये पर उठाने का अधिकार निहित हो।

(3) प्रथमतः देनदार व्यक्ति से कोई ऐसी धनराशि, जो उसमें उक्त कर के रूप में प्राप्त हो, वसूल न होने पर मुख्य नगराधिकारी उन भवनों या भूमियों के, जिनके संबंध में वह देय हो, किसी भाग के अध्यासी से उस कर का ऐसा भाग वसूल कर सकता है, जो देय कर की सम्पूर्ण धनराशि के उस अनुपात में हो जो उक्त अध्यासी द्वारा देय वार्षिक किराये की धनराशि में तथा उक्त पूरे भवन या भूमि के सम्बन्ध में देय कुल किराये की धनराशि या प्रमाणीकृत कर निर्धारित सूची में उसके किराये के मूल्य की कुल धनराशि में हो।

(4) यदि कोई अध्यासी कोई ऐसा भुगतान करे, जिसके लिए पूर्वाक्त उपबन्धों के अधीन वह प्रथमतः देनदार नहीं है तो किसी विपरीत संविदा के न होने पर प्रथमतः देनदार व्यक्ति से उक्त धनराशि की भरपाई पाने का अधिकारी होगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

ऐसे अन्य करों के भुगतान का दायित्व

180—— (1) भवनों या भूमियों के वार्षिक मूल्य पर जल—निस्तारण कर या स्वच्छता—कर उस सम्पत्ति के, जिस पर वे कर निर्धारित किये गये हों, वास्तविक अध्यासी से वसूल किये जायेंगेः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी सम्पत्ति एक से अधिक अध्यासियों को किराये पर उठाई गई हो तो मुख्य नगराधिकारी को यह विकल्प प्राप्त होगा कि वह वास्तविक अध्यासियों के बजाय पट्टादाता से कर वसूल करे।

(2) कोई पट्टादाता, जिसमें उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन कर वसूल किया गया हो, किसी विपरीत संविदा के न होने पर उक्त कर की धनराशि किन्हीं या सभी वास्तविक अध्यासियों से वसूल कर सकता है।

सम्पत्ति—कर उन भू—गृहादि पर, जिन पर वे निर्धारित किये गये हों, प्रथम भार होगा

181—— (1) राज्य सरकार को किसी भूमि या भवन के सम्बन्ध में देय मालगुजारी, यदि कोई हो, का पहले भुगतान कर दिये जाने के प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन उस भवन या भूमि के संबंध में देय संपत्ति—कर, राज्य सरकार से सीधे लिये गये किसी भवन या भूमि की दशा में, उक्त भवन या भूमि में उन करों के देनदार व्यक्ति के स्वत्व पर तथा उक्त भवन के भीतर या भूमि में स्थित चलसम्पत्ति पर, यदि कोई हो, जिसका वह स्वामी हो और किसी अन्य भवन या भूमि की दशा में उक्त भवन या भूमि पर, जो उस व्यक्ति की हो, जो ऐसे करों का देनदार है, सर्वप्रथम भार होगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा में शब्द ''संपत्ति—कर'' के संबंधों में यह समझा जायगा कि उसके अन्तर्गत ऐसे व्यय को, जो किसी भू—गृहादि को सम्भरण किये गये जल के कारण देय हों और नियमावली में निर्दिष्ट सम्पत्ति—कर की वसूली पर होने वाले व्यय आ जाते हैं।

(2) उपधारा (1) के अधीन उत्पन्न किसी भार को कार्यान्वित करने के लिये प्रस्तुत बाद की किसी डिक्री में न्यायालय यह आज्ञा दे सकता है कि देय धनराशि पर वाद प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से उसकी वसूली के दिनांक तक उस ब्याज की दर से, जो न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हो, {निगम}[1] को ब्याज दिया जाय और ऐसे ब्याज तथा ऐसे भार को कार्यान्वित करने के संबंध में होने वाला व्यय, जिसमें वाद व्यय और उक्त डिग्री के अधीन सम्बद्ध भू—गृहादि या चल सम्पत्ति की बिक्री पर होने वाला व्यय भी सम्मिलित है, उपर्युक्त बातों के अधीन रहते हुये देय धनराशि सहित ऐसे भू—गृहादि और चल सम्पत्ति पर प्रथम भार होगा और न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि बिक्री की आय में से उक्त धनराशियों का भुगतान {निगम}[1] को कर दिया जाय।

वाहनों और नावों तथा पशुओं पर कर

वाहनों और नावों तथा पशुओं पर कर

182—— (1) धारा 172 की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन कोई कर उन दरों से ऊंची दरों पर न लगाया जायगा, जो राज्य सरकार समय—समय पर एतदर्थ, यथास्थिति, वाहनों और नावों अथवा पशुओं के संबंध मे नियमों द्वारा निर्दिष्ट करे।

(2) {निगम}[1] वर्ष—प्रतिवर्ष धारा 148 के अनुसार वह दरें निर्धारित करेगी, जिनके अनुसार उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर लगाया जायगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) किसी ऐसे वाहन नाव या पशु के संबंध में, जो नगर की सीमाओं के बाहर रखा गया हो, किन्तु जो नियमित रूप से उन सीमाओं के भीतर प्रयुक्त होता हो, यह समझा जायगा कि वह नगर में प्रयोग के लिए रखा गया है।

धारा 172 में उल्लिखित कतिपय करों से मुक्ति

183–– (1) धारा 172 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कर निम्नलिखित के संबंध में न लगाया जा सकेगा–

(क) वाहन और नावें, जो {निगम}[1] की हों,

(ख) भारत का संविधान के अनुच्छेद 285 के खंड (2) के उपबन्ध जहां लागू होते हों, उसे छोड़कर वाहन और नावें, जो भारत के संघ में निहित हों।

(ग) भारत के संघ में सम्मिलित किसी राज्य में निहित वाहन और नावें, जो केवल सार्वजनिक प्रयोजनार्थ प्रयुक्त होती हों तथा लाभ के प्रयोजनार्थ न तो वे प्रयुक्त होती हों और न एतदर्थ उनका प्रयोग अभिप्रेत हो,

(घ) वाहन और नावें, जो केवल घायलों, बीमारों या मृतकों को निःशुल्क लाने ले जाने के लिए अभिप्रेत हों,

(ङ) बच्चों के पेराम्बुलेटर और तीन पहिये की साइकिलें,

(च) वाहन या नावें, जिन्हें वाहनों या नावों के वास्तविक व्यापारी केवल विक्रय के प्रयोजनार्थ अपने पास रखते हों और जो प्रयुक्त न होती हों।

(2) धारा 172 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन कर निम्नलिखित के संबंध में न लगाया जा सकेगा –––

(क) पशु, जो {निगम}[1] के हों,

(ख) भारत के संघ में निहित पशु जब ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 285 के खंड (2) के उपबन्ध लागू न होते हों,

(ग) भारत के संघ में सम्मिलित किसी राज्य में निहित पशु जो केवल सार्वजनिक प्रयोजनार्थ प्रयुक्त होते हों तथा लाभ के प्रयोजनार्थ न तो वे प्रयुक्त होते हों और न एतदर्थ उनका प्रयोग अभिप्रेत हो।

(3) यदि उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) या उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन इस आशय का कोई प्रश्न उठ खड़ा हो कि भारत के संघ या उसमें सम्मिलित किसी राज्य में निहित कोई वाहन, नाव या पशु लाभ के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त होता है या नहीं, अथवा एतदर्थ उसका प्रयोग अभिप्रेत है या105नही ंतो उसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

अन्य कर

184—— परिवृद्धि—कर से तात्पर्य वह कर है, जो किसी ऐसी भूमि के मूल्य की वृद्धि पर लिया जाय तो अध्याय 14 के अधीन प्रवृत्त किसी योजना में सम्मिलित हो, किन्तु उसके निष्पादन के लिये वास्तव में अपेक्षित न हो अथवा ऐसी किसी भूमि के मूल्य की वृद्धि पर, जो उक्त योजना की सीमा के पार्श्व में हो और उसके एक चौथाई मील के भीतर हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त पार्श्ववर्ती भूमि नगर के भीतर स्थित हो। परिवृद्धि—कर

185—— परिवृद्धि—कर की धनराशि धारा 187 की उपधारा (2) के अधीन सार्वजनिक नोटिस में निर्दिष्ट दिनांक को उक्त भूमि के बाजार मूल्य और अध्याय 14 के अधीन योजना के अन्तिम रूप से विज्ञापित किये जाने के दिनांक को या उसके ठीक पूर्व के दिनांक पर उक्त भूमि के बाजार मूल्य के अन्तर की धनराशि के आधे के बराबर होगी : परिवृद्धि—कर की धनराशि

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन हिसाब लगाने के प्रयोजनों के लिए भूमि सब भवनों से रहित समझी जायगी।

186—— जहां {निगम}[1] ने धारा 172 की उपधारा (2) के खंड (च) में उल्लिखित कर आरोपित किया है, धारा 184 में उल्लिखित भूमि का प्रत्येक स्वामी या कोई ऐसा व्यक्ति, जिसका उक्त भूमि के मूल्य की वृद्धि के संबंध में र्को स्वत्व हो, आगे व्यवस्थित रीति से {निगम}[1] को उतना परिवृद्धि कर अदा करेगा, जितना मुख्य नगराधिकारी निर्धारित करे। परिवृद्धि—कर की धनराशि

187—— (1) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा वह दिनांक घोषित करेगी, जिस पर योजना पूर्ण हुई समझी जायगी। परिवृद्धि—कर लगाये जाने की नोटिस

(2) उपधारा (1) में घोषित योजना पूर्ण होने के एक वर्ष के भीतर मुख्य नगराधिकारी {निगम}[1] के इस अभिप्राय का एक सार्वजनिक नोटिस देगा कि वह एक निर्दिष्ट दिनांक से परिवृद्धि—कर लगाना चाहता है।

188—— (1) मुख्य नगराधिकारी उक्त नोटिस के प्रकाशन के एक मास के पश्चात् किसी भी समय सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा देय परिवृद्धि—कर की धनराशि निर्धारित करेगा और उस व्यक्ति को लिखित नोटिस देगा, जिसमें कर की धनराशि और किस्तों, यदि कोई हों, तथा दिनांक जब कर का भुगतान किया जायगा और ऐसे अन्य विवरणों का, जो आवश्यक हों, उल्लेख किया जायेगा। परिवृद्धि कर का निर्धारण

(2) कोई व्यक्ति, जिस पर उपधारा (1) के अधीन निर्धारण का नोटिस तामील किया गया हो, ऐसा नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से एक मास के भीतर उक्त निर्धारण के विरुद्ध मुख्य नगराधिकारी, के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी कोई आपत्ति स्वीकार की जा सकता है यदि उपधारा (3) में अभिदिष्ट कार्यकारिणी समिति या उसकी उपसमिति का यह समाधान हो जाय कि आपत्ति ऐसे कारणों से प्रस्तुत न की जा सकी थी, जो आपत्तिकर्ता के वश के बाहर थे।

(3) आपत्तिकर्ता को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् कार्यकारिणी समिति या एतदर्थ नियुक्त उसकी उपसमिति आपत्ति का निर्णय करेगी और तत्पश्चात् वह कर निर्धारण की पृष्टि कर सकती है, उसका परिष्कार कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है।

(4) यदि वह व्यक्ति, जिस पर उपधारा (1) के अधीन निर्धारण का नोटिस तामील किया गया हो, उपधारा (2) के अधीन आपत्ति प्रस्तुत नहीं करता तो कर निर्धारण की आज्ञा निश्चायक होगी और उस पर किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण में कोई आक्षेप नहीं किया जायगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

189–– (1) परिवृद्धि–कर का देनदार कोई व्यक्ति, यदि वह चाहे, तो {निगम}[2] को उसका भुगतान करने के बजाय {निगम}[2] के साथ इस आशय का एक अनुबन्ध निष्पादित कर सकता है कि वह इस शर्त के अधीन रहते हुए कि वह प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत की दर से ब्याज की निरन्तर अदायगी करता रहेगा, भूमि में अपने स्वत्व पर एक भार के रूप में उक्त भुगतान को बकाया रखेगा। परिवृद्धि कर का भुगतान करने के सम्बन्ध में विकल्प

(2) कोई व्यक्ति, जिसने उपधारा (1) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया हो, किसी भी समय धारा 188 के अधीन निर्धारित कर की धनराशि की अदायगी कर सकता है, किन्तु उसे अपने इस अभिप्राय का 6 मास का नोटिस देना होगा।

90–– परिवृद्धि–कर की बकाया की वसूली अध्याय 21 में व्यवस्थित रीति से की जायगी। परिवृद्धि–कर की बकाया धनराशि की वसूली

191–– (1) यदि {निगम}[2] ने धारा 172 के खंड (छ) में निर्दिष्ट कर लगाया हो तो अचल सम्पत्ति के किसी हस्तान्तरण लेख पर इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899 द्वारा लगाया गया शुल्क नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति की दशा में {प्रतिफल की धनराशि या मूल्य पर, जिसके अभिदेश में उक्त अधिनियम के अधीन शुल्क की गणना की जाय}[1], 2 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ा दिया जायगा। अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण के लेखों पर कर

(2) उक्त वृद्धि के फलस्वरूप उगाही गई समस्त धनराशि, प्रासंगिक व्ययों, यदि कोई हों, के घटाने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा {निगम}[2] को उस रीति से अदा की जायगी, जो नियमों द्वारा विहित की जाय।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिये इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899 की धारा 27 इस प्रकार पढ़ी जाएगी तथा उसका अर्थ इस प्रकार लगाया जायगा मानों उसमें निर्दिष्ट ब्योरे निम्नलिखित के संबंध में पृथक–पृथक देना उसके द्वारा विशिष्ट रूप से अपेक्षित हों, ––

(क) नगर के भीतर स्थित संपत्ति, और

(ख) नगर के बाहर स्थित संपत्ति।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899 की धारा 64 को इस प्रकार पढ़ा जायेगा और उसका अर्थ इस प्रकार लगाया जायगा मानों उसमें {निगम}[2] और राज्य सरकार दोनों ही को निर्दिष्ट किया गया हो।

192–– जहां {निगम}[2] ने धारा 172 की उपधारा (2) के खंड (ज) में उल्लिखित कर आरोपित किया है प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भूमि, भवन, दिवाल, तख्ती या ढाचे पर या उसके ऊपर कोई विज्ञापन लगाता, प्रदर्शित करता, चिपकता या रखता है, अथवा जो किसी भी स्थान में चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, किसी भी रीति से सर्वसाधारण के सम्मुख कोई विज्ञापन प्रदर्शित करता है इस प्रकार लगाए गये, प्रदर्शित किये, चिपकाये गये, कायम रखे गये अथवा सार्वजनिक रूप में प्रदर्शित किये गये, प्रत्येक विज्ञापन के लिये ऐसी दरों पर और ऐसी रीति से तथा ऐसी मुक्तियों के अधीन रहते हुये, जिनकी व्यवस्था इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों की कई हो, लगाये गये कर का शोधन करेगा : विज्ञापनों पर कर

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन निम्नलिखित प्रकार के विज्ञापन या नोटिस पर कोई कर नहीं लगाया जायगा–

(क) सार्वजनिक सभाओं का या,
(ख) किसी विधायिका संस्था या {निगम}[2] के निर्वाचन का, या

(ग) उक्त निर्वाचन के संबंध में उम्मीदवारी का,

यह भी प्रतिबन्ध होगा कि यह कर किसी ऐसे विज्ञापन पर न लगाया जायगा जो आकाश चिन्ह न हो और जो ––

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 29, 1966 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किया जाय, या

(ख) उस भूमि या भवन के भीतर किये जाने वाले व्यापार या व्यवसाय के बारे में हो, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो या ऐसी भूमि या भवन या उनके भीतर सामान की किसी बिक्री या उसको किराये पर देने के बारे में हो या उसमें या उसके भीतर होने वाली किसी बिक्री, मनोरंजन या बैठक के बारे में हो, या

(ग) ऐसी भूमि अथवा भवन के नाम के बारे में हो, जिस पर अथवा जिसके ऊपर विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो या उस भूमि या भवन के स्वामी अथवा अध्यायी के नाम के बारे में हो, या

(घ) किसी रेलवे प्रशासन के कारोबार में हो, या

(ङ) किसी रेलवे स्टेशन के भीतर या रेलवे प्रशासन की किसी दीवाल या किसी अन्य सम्पत्ति पर–सिचाय ऐसी दीवाल या सम्पत्ति की सतह के किसी भाग के, जो किसी सड़क के सामने पड़ती हो, प्रदर्शित किया जाता हो।

स्पष्टीकरण 1– इस धारा में शब्द ''ढांचा'' के अन्तर्गत पहियेदार ऐसा सचल बोर्ड भी होगा जिसका प्रयोग विज्ञापन अथवा विज्ञापन के साधन के रूप में किया जाता हो।

स्पष्टीकरण 2–इस धारा के प्रयोजनों के लिये शब्द ''सावर्जनिक स्थान'' का तात्पर्य है कोई ऐसा स्थान, जो जनता के प्रयोग तथा आमोद–प्रमोद के लिये उपलब्ध हो चाहे वह जनता द्वारा वास्तव में प्रयोग या उपयोग में लाया जाता हो या न लाया जाता हो।

मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुमति के बिना विज्ञापनों का प्रतिषेध

193–– (1) {निगम}[2] द्वारा धारा 192 के अधीन कर का लगाया जाना निर्धारित किये जाने के पश्चात् मुख्य नगराधिकारी के लिखित अनुमति बिना नगर के भीतर किसी भूमि, भवन, दीवाल, विज्ञापन–फलन या ढांचे पर कोई भी विज्ञापन न लगाया जायगा, न प्रदर्शित किया जायगा, न चिपकाया या कायम रखा जायगा और न किसी स्थान में, किसी भी ढंग से प्रदर्शित किया जायगा।

(2) मुख्य नगराधिकारी ऐसी अनुमति न देगा यदि :

(क) उक्त विज्ञापन धारा 541 के {खंड (48)}[1] के अधीन महपालिका द्वारा बनायी गयी किसी उपविधि का उल्लंघन करता हो, या

(ख) विज्ञापन के संबंध में देय कर का, यदि कोई हो, भुगतान न किया गया हो।

(3) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी ऐसे विज्ञापन के संबंध में, जिस पर विज्ञापन कर लग सकता हो, मुख्य नगराधिकारी ऐसी अवधि के लिए अनुमति प्रदान करेग, जिससे कर का भुगतान संबंध रखता हो, और ऐसी अनुमति देने के निमित्त कोई शुल्क न लिया जायगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के उपबन्ध किसी रेलवे प्रशासन के कारोबार संबंधी विज्ञापन पर या ऐसे विज्ञापन पर लागू न होंगे, जो किसी रेलवे कम्पनी के भू–गृहादि पर लगाया गया हो, प्रदर्शित किया गया हो, चिपकाया या कायम रखा गया हो।

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 23, 1961 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

194—— धारा 193 के अधीन दी गयी अनुमति निम्नलिखित दशाओं में शून्य होगी, अर्थात् ——

कतिपय दशाओं में मुख्य नगराधिकारी की अनुमति का शून्य होना

(क) यदि विज्ञापन धारा 541 के खंड {(48)}[1] के अधीन {निगम}[2] द्वारा निर्मित किसी उपविधि का उल्लंघन करता हो,

(ख) यदि विज्ञापन में कोई परिवर्द्धन किया गया हो, सिवाय उस दशा में जब मुख्य नगराधिकारी के आदेशनुसार उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन से ऐसा किया जाय।

(ग) यदि विज्ञापन अथवा उसके किसी भाग में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाय,

(घ) यदि विज्ञापन अथवा उसका कोई भाग दुर्घटना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से गिर जाय,

(ङ) यदि उस भवन, दीवाल या ढांचे में, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन लगाया, प्रदर्शित किया, चिपकाया या कायम रखा गया हो, कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन किया जाय और ऐसा परिवर्द्धन या परिवर्तन विज्ञापन अथवा उसके किसी भाग के लिये बाधक सिद्ध होता हो, और

(च) यदि भवन, दीवाल या ढांचा, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन लगाया गया, प्रदर्शित किया गया चिपकाया या कायम रखा गया हो, गिराया या नष्ट कर दिया जाय।

195—— यदि कोई विज्ञापन धारा 192 अथवा 193 का उल्लंघन करके किसी भूमि, भवन, दीवाल, विज्ञापन फलक अथवा ढांचे पर अथवा उसके ऊपर लगाया प्रदर्शित किया, चिपकाया, या कायम रखा जायगा अथवा उसे इस प्रकार किसी अवधि के लिये लगाने, प्रदर्शित करने, चिपकाने या कायम रखने के लिए दी गयी लिखित अनुमति समाप्त या शून्य हो गई हो तो वह व्यक्ति, जिसके लिये अथवा जिसके प्रयोजनार्थ विज्ञापन प्रत्यक्षतः लगाया, प्रदर्शित किया, चिपकाया या कायम रखा गया हो, के विषय में यह समझा जायगा कि वहीं वह व्यक्ति है जिसने उपबन्धों का उल्लंघन करके इस प्रकार के विज्ञापन को लगाया, प्रदर्शित किया, चिपकाया या कायम रखा है, जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि ऐसा उल्लंघन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो उसकी नौकरी अथवा नियंत्रण में नहीं था अथवा वह बिना उसके अज्ञानाभिनय के किया गया था।

विज्ञापन से लाभानुयोगी उत्तरदायी समझा जायगा

196—— यदि धारा 192 अथवा 193 के उपबन्धों के प्रतिकूल कोई विज्ञापन, लगाया, प्रदर्शित किया, चिपकाया या कायम रखा गया हो अथवा उसे इस प्रकार किसी अवधि के लिये लगाये, प्रदर्शित करने, चिपकाने या कायम रखने के लिये दी गयी, अनुमति समाप्त या शून्य हो गई हो, तो मुख्य नगराधिकारी ऐसी भूमि, भवन, दीवाल विज्ञापन—फलक या ढांचे, के जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन लगाया, प्रदर्शित किया, चिपकाया या कायम रख गया हो, स्वामी, या अध्यासी को लिखित नोटिस देकर यह आदेश दे सकता है कि ऐसे विज्ञापन को उतार ले या हटा दे अथवा वह किसी भवन भूमि या सम्पति में प्रवेश कर सकता है और विज्ञापन को हटवा सकता है।

अप्राधिकृत विज्ञापनों का हटाया जाना

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 23, 1961 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

197 –– निम्नलिखित के विषय में प्रेक्षागृह–कर नहीं लगाया जा सकेगा :– प्रेक्षागृह–कर से मुक्ति

(क) कोई मनोरंजन अथवा आमोद–प्रमोद जिसमें प्रवेश के लिये कई शुल्क न लिया जाता हो अथवा केवल नाममात्र शुल्क लिया जाता हो,

(ख) कोई मनोरंजन अथवा आमोद–प्रमोद जो सर्वसाधारण के लिये शुल्क पर उपलब्ध न हो,

(ग) कोई मनोरंजन अथवा आमोद–प्रमोद, जिनकी सम्पूर्ण आय बिना व्यर्य कोट हुए किसी सार्वजनिक दानोत्तर प्रयोजन के लिये व्यय की जाने वली हो।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिये नाममात्र शुल्क वह शुल्क होगा जो नियमों द्वारा निश्चित किया जाय।

198–– {***}[1]

करों का आरोपण

199–– (1) यदि {निगम}[2] धारा 172 की उपधारा (2) मे निर्दिष्ट कोई कर आरोपित करना चाहे वह संकल्प द्वारा कार्यकारिणी समिति को प्रस्थापनायें तैयार करने का आदेश देगी जिसमें निम्नलिखित बातें निर्दिष्ट होंगी– प्रारम्भिक प्रस्थानाओं का तैयार किया जाना

(क) कर, जो धारा 172 की उपधारा (2) में उल्लिखित करों में से हों, जिसे वह आरोपित करना चाहती है,

(ख) व्यक्ति अथवा यक्तियों का वर्ग, जिनको उक्त कर देने के लिये उत्तरदायी ठहराया जाना है तथा सम्पत्त का अथवा अन्य वस्तु अथवा विभव जिस पर कर लगाया जा सकता हो, का विवरण जिनके संबंध में उन्हें उत्तरदायी बनाया जायगा, सिवाय वहां और उस सीमा तक जहां तक इस अधिनियम द्वारा अथवा खंड (क) के अधीन पहले ही किसी वर्ग या विवरण की परिभाषा पर्याप्त रूप से कर दी गई हो,

(ग) धनराशि अथवा दर, जो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग से वसूल की जाने वाली हो,

(घ) धारा 219 में निर्दिष्ट अन्य कोई विषय, जिसे राज्य नियम द्वारा निर्दिष्ट करने का आदेश दे।

(2) उपधारा (1) के अधीन संकल्प के पारित हो जाने पर कार्यकारिणी समिति प्रस्थापनायें तैयार करेगी, और उन नियमों का पांडुलेख भी तैयार करेगी, जिन्हें वह धारा 219 में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा बनवाना चाहती हो।

(3) तत्पश्चात् कार्यकारिणी समिति उपधारा (1) के अधीन तैयार की गयी प्रस्थापनाओं और उपधारा (2) के अधीन तैयार किये गये नियमों के पांडुलेख तथा साथ में नियम द्वारा विहित किये जाने वाले प्रपत्र में एक नोटिस, नियम द्वारा विहित रीत्यानुसार प्रकाशित करायेगी।

200–– (1) उक्त नोटिस के प्रकाशन के दो सप्ताह के भीतर नगर का कोई भी निवासी {निगम}[1] को पूर्ववर्ती धारा के अधीन बनाये गये किसी एक या सभी प्रस्थापनाओं के संबंध में अपनी लिखित आपत्ति भेज सकता है और इस प्रकार भेजी गयी किसी भी आपत्ति पर {निगम}[1] विचार करेगी और विशेष संकल्प द्वारा उस पर आज्ञा देगी। प्रस्थापनायें तैयार करने के पश्चात् की प्रक्रिया

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9, वर्ष 1991 के अध्याय–तीन की धारा 9 द्वारा निकाले गये।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) यदि {निगम}[1] कार्यकारिणी समिति की समस्त या किहीं प्रस्थापनाओं को परिष्कृत करने का निश्चय करे, तो मुख्य नगराधिकारी परिष्कृत प्रस्थानाओं के और यदि आवश्यक हो, नियमों के संशोधित पांडुलेख को प्रकाशित करेगा और उसके साथ ही इस आशय का एक नोटिस भी प्रकाशित करेगा कि उक्त प्रस्थापना और नियम (यदि कोई हो) आपत्ति के निमित्त पूर्व प्रकाशित प्रस्थापनाओं और नियमों के परिष्कृत रूप हैं।

(3) परिष्कृत प्रस्थापनाओं के संबंध में जो आपत्तियां प्राप्त होंगी उन पर उपधारा (1) में विहित रीति के अनुसार कार्यवाही की जायगी।

(4) जब {निगम}[1] अपनी प्रस्थापनाओं को अन्तिम रूप से निश्चित कर ले तो मुख्य नगराधिकारी उन्हें इस संबंध में प्राप्त हुई आपत्तियों (यदि कोई हों,) सहित राज्य सरकार के पास भेज देगी।

प्रस्थापनाओं को स्वीकृत, अस्वीकृत अथवा परिष्कृत करने का राज्य सरकार का अधिकार

201—— पूर्ववर्ती धारा के अधीन प्रस्थापनायें और आपत्तियां प्राप्त होने पर, राज्य सरकार उन पर स्वीकृति देने से इनकार कर सकती है, अथवा उन्हें {निगम}[1] के पास अतिरिक्त विचार के हेतु भेज सकती है अथवा उन्हें बिना किसी परिष्कार के अथवा ऐसे परिष्कार के साथ जिससे आरोपित की जाने वाली धनराशि में वृद्धि न हो, जैसा कि उसे उचित प्रतीत हो, स्वीकार कर सकती है।

कर—आरोपण का आदेश देने के हेतु {निगम}[1] का संकल्प

202—— (1) राज्य सरकार द्वारा प्रस्थापनाए स्वीकृत कर ली जाने पर, राज्य सरकार, {निगम}[1] द्वारा प्रस्तुत नियमों के पांडुलेख पर विचार करने के पश्चात् कर के संबंध में ऐसे नियम बनाने के लिये कार्यवाही करेगी जिसे वह तत्समय आवश्यक समझे।

(2) नियम बन जाने पर स्वीकृति की आज्ञा तथा नियमों की एक प्रतिलिपि {निगम}[1] के पास भेज दी जायगी और तदुपरान्त {निगम}[1] विशेष संकल्प द्वारा उस दिनांक से जो संकल्प में निर्दिष्ट किया जायगा, कर के आरोपण का आदेश देगी।

कर का आरोपण

203—— (1) धारा 202 के अधीन पारित संकल्प की एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जायगी।

(2) संकल्प की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर राज्य सरकार किसी निश्चित दिनांक से कर का अरोपण सरकारी गजट में विज्ञापित करेगी और सभी दशाओं में इस प्रकार विज्ञापित किये जाने की शर्त के अधीन ही कोई कर आरोपित किया जा सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन कर के आरोपण की विज्ञप्ति इस बात की निश्चायक प्रमाण होगी कि कर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आरोपित किया गया है।

करो को परिवर्तन करने की प्रक्रियां

204—— किसी कर को हटाने अथवा धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (ख) तथा (ग) में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में किसी कर को परिवर्तित करने की प्रक्रिया, जहां तक संभव हो, वही होगी, जो धारा 199 से लेकर 202 में कर के आरोपण के लिये विहित है।

राज्य सरकार का किसी कर को कम करने अथवा समाप्त कर देने का अधिकार

205—— (1) जब कभी राज्य सरकार की शिकायत किये जाने पर या अन्यथा यह प्रतीत हो कि किसी कर का उगाहना सार्वजनिक हितों के विरुद्ध है या यह कि कोई कर अपने भार में उचित नहीं है, तो राज्य सरकार सम्बद्ध {निगम}[1] के स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् आज्ञा द्वारा उस {निगम}[1] को यह आदेश दे सकती है कि वह उस अवधि के भीतर, जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट होगी, ऐसी किसी भी त्रुटि को दूर करने का उपाय करे जो, राज्य सरकार के विचार में उस कर में अथवा उसके निर्धारिण या वसूली की पद्धति में विद्यमान है।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) यदि {निगम}[4], राज्य सरकार के सन्तोषानुसार उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश का पालन न कर सके या पालन करने में असमर्थ रहे तो राज्य सरकार विज्ञाप्ति द्वारा कर की अथवा उसके किसी अंश की उगाही उस समय तक निलम्बित कर सकती है, जब तक त्रुटि दूर न कर दी जाय अथवा कर को समाप्त या कम कर सकती है।

{निगम}[4] को कर आरोपण का आदेश देने का राज्य सरकार का अधिकार

206—— (1) राज्य सरकार सरकारी गजट में प्रकाशित सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा {निगम}[4] को आदेश दे सकती है कि वह धारा 172 की उपधारा (2) में उल्लिखित कोई ऐसा कर, जो आरोपित न किया गया हो, ऐसी दर से और ऐसी अवधि के भीतर, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जाय, आरोपित करें और तत्पश्चात् {निगम}[4] तदनुसार कार्य करेगी।

(2) राज्य सरकार {निगम}[4] को किसी आरोपित किये गए कर की दर को बढ़ाने, परिष्कृत करने अथवा परिवर्तित करने का आदेश दे सकती है और तदुपरान्त {निगम}[4] कर को आदेशानुसार बढ़ायेगी, परिष्कृत करेगी अथवा परिवर्तित कर देगी।

(3) यदि {निगम}[4] उपधारा (1) अथवा (2) के अधीन दिए गये आदेश का पालन न कर सके तो राज्य सरकार कर को आरोपित करने, बढ़ाने, परिष्कृत करने अथवा परिवर्तित करने के लिये उपयुक्त आज्ञा दे सकती है और तदुपरान्त राज्य सरकार की आज्ञा उसी प्रकार प्रवर्तन में आयेगी मानों वह {निगम}[4] द्वारा यथावत पारित संकल्प हो।

सम्पत्ति करों का निर्धारण और लगाया जाना

निर्धारण—सूची का तैयार किया जाना

207—— मुख्य नगराधिकारी {समय—समय पर नगर या उसके किसी भाग के}[2] सभी भवनों या भूमियों अथवा दोनों की निर्धारण सूची तैयार करायेगा, जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख होगा—

(क) सड़क या मोहल्ले का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित होगा—

(ख) सम्पति का नाम या तो नाम से अथवा संख्या से, जो पहचान के लिये पर्याप्त हो,

(ग) स्वामी और अध्यासी के, यदि ज्ञात हों, नाम,

(घ) वार्षिक किराये का मूल्य अथवा वार्षिक मूल्य निर्धारित करने वाले अन्य विवरण, तथा

(ङ) उन पर निर्धारित की गई कर की धनराशि।

सूची का प्रकाशन

208—— {जब सम्पूर्ण नगर या {उसके किसी भाग}[3] के लिये निर्धारण सूची, जिसमें धारा 207 के खण्ड (क) से (ङ) तक के ब्योरे दिये हों, तैयार हो जायं, तब}[1] मुख्य नगराधिकारी उस स्थान के संबंध में सार्वजनिक नोटिस देगा जहां पर {उक्त सूची}[1] अथवा उसकी प्रतिलिपि का निरीक्षण किया जा सकेगा और {उक्त सूची}[1] में उल्लिखित सम्पत्ति का स्वामी अथवा अध्यासी होने का दावा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, और उसका अभिकर्ता {उक्त सूची}[1] का निरीक्षण कर सकेगा और बिना कोई शुल्क दिये उससे अवतरण भी ले सकेगा।

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 8, 1970 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3 वर्ष 1987 के अध्याय—चार की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

सूची की प्रविष्टियों पर आपत्तियां

209–– (1) साथ ही मुख्य नगराधिकारी इसके कम से कम एक मास पश्चात् ऐसे दिनांक का सार्वजनिक नोटिस देगा जबकि कार्यकारिणी समिति {धारा 208 में उल्लिखित सूची में दर्ज}[2] मूल्यांकनों तथा निर्धारणों पर विचार प्रारम्भ करेगी और ऐसे सभी मामलों में, जिनमें किसी सम्पत्ति पर प्रथम बार निर्धारण किया गया हो, अथवा उसके निर्धारण में वृद्धि की गई हो, वह ऐसी सम्पत्ति के स्वामी अथवा अध्यासी को भी, यदि ज्ञात हों, उसका नोटिस देगा।

(2) मूल्यांकन तथा निर्धारण के संबंध में सभी आपत्तियां नोटिस में निश्चित किये गये दिनांक से पूर्व, मुख्य नगराधिकारी के पास लिखित प्रार्थना–पत्र के रूप में की जायेंगी, जिसमें उन कारणों का उल्लेख किया जायगा, जिनके आधार पर मूल्यांकन तथा निर्धारण पर आपत्ति की गयी हो और इस प्रकार दिये गये समस्त प्रार्थना–पत्रों का पंजीयन मुख्य नगराधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिये रखी गयी पंजी (book) में किया जायगा।

(3) कार्यकारिणी समिति अथवा कार्यकारिणी समिति द्वारा एतदर्थ नियुक्त की गई उप–समिति प्रार्थी को स्वयं या उसके अभिकर्ता द्वारा सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ––

(क) आपत्तियों का अनुसंधान और निपटारा करेगी,

(ख) उपधारा (2) के अधीन रखी गयी पंजी में उपुर्यक्त जांच का परिणाम लिखवायेगी, और

(ग) ऐसे परिणाम के अनुसार निर्धारण–सूची में आवश्यक संशोधन करायेगी।

सूची का प्रमाणीकरण और उसकी अभिरक्षा

{210–– (1) नगर या {उसके किसी भाग}[4] के लिये, जैसी भी दशा हो, सूची के सम्बन्धित आपत्तियों का निपटारा हो जाने के पश्चात् {कार्यकारिणी}[7] समिति या सम्बन्धित उप–समिति, यदि कोई हो, का सभापति उक्त सूची को और धारा 209 की उपधारा (3) के अधीन उसमें किये गये सभी संशोधन की भी अपने हस्ताक्षर से प्रमाणीकृत करेगा।

(2) इस प्रकार प्रमाणीकृत प्रत्येक सूची {निगम}[6] के कार्यालय में जमा कर दी जायेगी।

(3) जब सम्पूर्ण नगर की सूची इस प्रकार जमा कर दी जाय तब वह सार्वजनिक नोटिस द्वारा निरीक्षण के लिये उपलब्ध घोषित कर दी जायेगी।}[3]

सूची का पुनरीक्षण तथा उसकी अवधि

211–– (1) प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार धारा 207 से 210 तक में विहित रीति के अनुसार साधारणतया एक नयी निर्धारण सूची तैयार की जायगी।

(2) धारा 213 के अधीन किये गये किसी परिवर्तन अथवा संशोधन तथा धारा 472 के अधीन की गई अपील के परिणाम के अधीन रहते हुये। मूल्यांकन सूची में दर्ज प्रत्येक मूल्यांकन तथा निर्धारण {नगर या उसके भाग में उस सूची के प्रभावी होने के दिनांक से और नई सूची के पूर्ण होने के ठीक पश्चात् आगामी मास के प्रथम दिन तक}[5] वैध रहेगी,

{किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी विधि न्यायालय के किसी आदेश या निर्णय के परिणाम स्वरूप नयी निर्धारण सूची या उसका कोई भाग प्रभावी न हो सकता हो तो ऐसे आदेश या निर्णय के अधीन रहते हुए पुरानी निर्धारण सूची या उसका तदनुरूप भाग प्रभावी बना रहा समझा जायेगा।}[1]

---

1. उ. प्र. अधिनियम सं. 21, 1964 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ.प्र. अधिनियम सं. 8, 1970 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3 वर्ष 1987 के अध्याय–चार की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उपर्युक्त की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित।

212–– निर्धारण सूची में की गई कोई प्रविष्टि – सूची की प्रविष्टियों का निश्चायक होना

(क) उक्त सूची से संबंध रखने वाले कर से सम्बद्ध किसी प्रयोजन के निमित्त उस धनराशि के लिये, जो सूची से सम्बद्ध कालावधि में किसी भवन या भूमि के संबंध में लगायी जा सकती हो, और

(ख) किसी अन्य {निगम}[4] कर के निर्धारण के प्रयोजन के निमित्त उक्त कालावधि में किसी भवन अथवा भूमि के वार्षिक मूल्य के लिये निश्चायक प्रमाण होगी।

213–– (1) कार्यकारिणी समिति अथवा एतदर्थ नियुक्त की गई उसकी कोई उप–समिति किसी भी समय निम्न प्रकार से निर्धारण सूची में संशोधन अथवा परिवर्तन कर सकती है – सूची में संशोधन तथा परिवर्तन

(क) उसमें किसी ऐसे व्यक्ति अथवा सम्पत्ति के नाम की, जिसकी प्रविष्टि होनी चाहिये थी अथवा किसी ऐसी सम्पत्ति की, जो निर्धारण, सूची के प्रमाणीकरण के पश्चात् कर–आरोपण के योग्य हो गयी हो प्रविष्टि करके, या

(ख) उसमें किसी सम्पत्ति के स्वामी अथवा अध्यासी के नाम के स्थान पर किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि करके, जिसे हस्तान्तरण अथवा अन्य किसी प्रकार से उस सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा अध्यासन का उत्तराधिकार प्राप्त हो गया हो, या

(ग) किसी ऐसी सम्पत्ति के मूल्यांकन या निर्धारण में वृद्धि करके, जिसका {मूल्यांकन या निर्धारण गलत हो गया है या जिसका मूल्यांकन या निर्धारण छल, भ्रान्तकथन अथवा त्रुटियों के कारण गलत किया गया है}[3], अथवा

(घ) किसी ऐसी सम्पत्ति का फिर से मूल्यांकन अथवा निर्धारण करके, जिसका मूल्य भवन में किये गये परिवर्द्धनों के कारण बढ़ गया हो; अथवा

(ङ) जब {इस अधिनियम के}[1] उपबन्धों के अधीन उस वार्षिक मूल्य का जिस पर कोई कर लगाया जाने वाला हो, प्रतिशत {निगम}[4] द्वारा परिवर्तित कर दिया गया हो, तो प्रत्येक मामले में देय कर की धनराशि में तदनुरूप परिवर्तन करके, या

(च) स्वामी का प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर, या इस बात पर सन्तोषजनक साक्ष्य मिलने पर कि स्वामी का पता नहीं है और साथ ही साथ कमी करने की आवश्यकता सिद्ध हो गयी है, स्वतः किसी ऐसे भवन के मूल्यांकन में कमी करके जो पूर्णतः या अंशतः गिरा दिया गया हो अथवा नष्ट कर दिया गया हो, अथवा

(छ) किसी लिपि संबंधी, गणना की या अन्य प्रत्यक्ष भूल को ठीक करके,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यथास्थिति कार्यकारिणी समिति या उपसमिति स्वतत्व रखने वाले किसी व्यक्ति को उपधारा (1) के खंड (ख), (ग), अथवा (घ) के अधीन कार्यकारिणी समिति या उपसमिति द्वारा प्रस्तावित किसी परिवर्तन {या संशोधन}[2] का और यदि दिनांक का जिस पर परिवर्तन {या संशोधन}[2] किया जायगा, कम से कम एक महीने का नोटिस देगी।

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 23, 1961 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ. प्र. अधिनियम सं. 21, 1964 की धारा 19 (1) द्वारा अन्तर्विष्ट।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3 वर्ष 1987 के अध्याय–चार की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

{(1—क) सन्देहों के निवारणार्थ एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि यह आवश्यक न होगी कि धारा 148 के अधीन कर की दर निर्धारित करने के परिणामस्वरूप उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन किये गये किसी परितर्वन के संबंध में धारा 199 से 203 या धारा 207 से 210 तक में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाय।}[3]

(2) धारा 209 की उपधारा (2) तथा (3) के उपबन्ध, जो उनमें उल्लिखित आपत्तियों पर लागू होते हों, यथासंभव {उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन जारी किए गये किसी नोटिस के अनुसरण में}[1] की गई किसी आपत्ति पर तथा उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन दिये गये किसी प्रार्थना—पत्र पर भी लागू होंगे।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक परिवर्तन {या संशोधन}[2] धारा 210 द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर या हस्ताक्षरों द्वारा प्रमाणीकृत किया जायगा और धारा 472 के अधीन की गई अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए उस दिनांक से प्रभावी होगा, जिस पर अगली किस्त देय हो।

संशोधन के प्रयोजनों के लिये सूचना देने का आभार

214—— जब कोई भवन निर्मित या पुनर्निमित किया जाय अथवा उसका विस्तारण किया जाय तो स्वामी उक्त भवन के निर्माण, पुनर्निर्माण अथवा विस्तार की समाप्ति के दिनांक के अथवा उक्त भवन के अध्यासन के दिनांक से, जो भी दिनांक पहले पड़े, 15 दिन के भीतर उसका नोटिस मुख्य नगराधिकारी को देगा।

पुनः अध्यासन का नोटिस देने का आभार

215—— किसी ऐसी भूमि अथवा भवन का जिसके लिये धारा 178 के अधीन कर में छूट दी जा चुकी हो अथवा कर लौटाया जा चुका हो, स्वामी ऐसे भवन या भूमि में पुनः अध्यासित होने के 15 दिन के भीतर ऐसे पुनः अध्यासन का नोटिस देगा।

करों का संहत किया जाना

216—— धारा 173 में वर्णित सम्पत्ति—करों के निर्धारण, लगाये जाने अथवा उगाही के प्रयोजनों के लिये, किन्तु आरोपण अथवा उगाही के प्रयोजनों के लिये, किन्तु आरोपण अथवा मुक्ति के प्रयोजनों के लिये नहीं, {निगम}[4] ऐसे किन्हीं दो अथवा अधिक करों को संहत कर सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि संहत कर से सम्बद्ध किसी पंजी अथवा निर्धारण सूची में, जो किसी व्यक्ति को निर्धारण सूची के अधीन उसके दायित्व की सूचना देने अथवा धारा 175 अथवा 176 के उपबन्धों का पालन करवाने के लिये प्रयोग में लायी जाती हो, मुख्य नगराधिकारी संहत कर को उसमें समाविष्टि विभिन्न करों में संविभाजित करेगा, जिससे प्रत्येक कर के अधीन निर्धारित की गयी अथवा उगाही गयी आसन्न धनराशि अलग—अलग दिखाई जा सके।

छूट के कारण कमी

217—— (1) किसी संहत कर का निर्धारण करते समय उसमें समाविष्टि किसी एकल कर में अंशतः अथवा पूर्णतः दी गई छूट को कार्यान्वित किया जायगा।

(2) उक्त कार्यान्वय करना निम्न प्रकार से होगा—

(क) आंशिक छूट की दशा में संहत—कर, जो अन्यथा किन्हीं ऐसे भवनों, भूमियों अथवा दोनों, जिस पर छूट लागू होगी हो, के संबंध में लगाये जाने अथवा निर्धारित किये जाने योग्य होता, की कुल धनराशि में से ऐसी धनराशि की, जो एकल कर के कारण अन्यथा निर्धारित की गई होती, छूट के समनुरूप आनुपातिक भाग को कम करके, और

———————————————————————————————————

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 23, 1961 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ. प्र. अधिनियम सं. 21, 1964 की धारा 19 (1) द्वारा अन्तर्विष्ट।
3. उपर्युक्त की धारा 19 (2) द्वारा अन्तर्विष्ट।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) पूर्ण छूट की दशा में उक्त कुल धनराशि में से एकल कर के कारण निर्धारित धनराशि की कम करके।

218–– (1) यदि इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन वसूल करने योग्य कोई धनराशि किसी व्यक्ति से देय हो गई हेा अथवा देय होने वाली हो, और यदि मुख्य नगराधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण हो कि उक्त व्यक्ति नगर की सीमाओं को छोड़ने ही वाला है, तो मुख्य नगराधिकारी ऐसे व्यक्ति को उक्त धनराशि तुरन्त ही अदा करने का आदेश दे सकता है और इसके लिये उसके पास प्राप्यक (bill) भिजवा सकता है। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सरसरी कार्यवाहियां, जो नगर छोड़ कर जाने ही वाले हों

(2) यदि ऐसा प्राप्यक प्रस्तुत किये जाने पर, उक्त व्यक्ति तुरन्त की उक्त धनराशि नहीं अदा कर देता अथवा मुख्य नगराधिकारी के संतोषनुसार प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं करता तो उक्त धनराशि अध्याय 21 में निर्दिष्ट रीति के अनुसार उसकी चल–संपत्ति के अभिहरण और बिक्री द्वारा अथवा उसकी अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा वसूल की जायेगी, परन्तु अपवाद यह है कि उसके ऊपर मांग की नोटिस तामील करना आवश्यक न होगा, और मुख्य नगराधिकारी द्वारा अभिहरण तथा बिक्री का अधिपत्र अविलम्ब जारी और निष्पादित किया जा सकता है।

अन्य विषय

219–– निम्नलिखित विषय नियमों द्वारा विनियमित तथा नियमित होंगे, सिवाय उस सीमा तक जहां तक कि उनके संबंध में इस अधिनियम के व्यवस्था की गई हो –– निर्धारण, उगाही तथा अन्य विषयों के सम्बन्ध में नियम

(क) करों का निर्धारण, उगाही अथवा संधान {***}[1],

(ख) करों से बचने की रोकथाम,

(ग) प्रणाली, जिसके अनुसार धनराशि की वापसी स्वीकृत की जायगी और उसका भुगतान किया जायगा,

(घ) किसी कर के कारण भुगतान मांगने के नोटिस तथा अभिहरण के अधिपत्रों के निष्पादन के लिये शुल्क,

(ङ) अभिहरित पशुधन के संधारण के लिये ली जाने वाली धनराशि की दरें,

(च) करों से सम्बद्ध अन्य कोई विषय, जिसके संबंध में इस अधिनियम में व्यवस्था न की गयी हो अथवा अपर्याप्त व्यवस्था की गयी हो और राज्य सरकार की राय में ऐसी व्यवस्था आवश्यक हो।

220–– (1) किसी नियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए {निगम}[2] राज्य सरकार द्वारा पुष्टीकृत किसी विशेष संकल्प द्वारा यह व्यवस्था कर सकती है कि किन्हीं या सभी व्यक्तियों को किसी कर के निमित्त अभिसंधान करने की अनुज्ञा दी जा सकती है। अभिसन्धान

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी कर के अभिसंधान के कारण देय कोई धनराशि अध्याय 21 में व्यवस्थित रीति के अनुसार वसूल की जा सकेगी।

221–– (1) {निगम}[2] किसी ऐसे व्यक्ति को एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये इस अधिनियम के अधीन लगाये गये किसी कर या उसके किसी अंश की अदायगी से मुक्त कर सकती है, जो उसकी राय में निर्धनता के कारण उसकी अदायगी करने में असमर्थ हो, और ऐसी छूट का, जितनी भी बार वह आवश्यक समझे, नवीकरण कर सकती है। छूट (exemption)

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9, वर्ष 1991 के अध्याय 3 की धारा 10 द्वारा निकाला गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) {निगम}[1] राज्य सरकार द्वारा पुष्टीकृत किसी विशेष संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग को अथवा किसी संपत्ति अथवा संपत्ति के प्रकार को इस अधिनियम के अधीन लगाये गये किसी कर या उसके किसी अंश की अदायगी से मुक्त कर सकती है।

(3) राज्य सरकार आज्ञा द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग को अथवा किसी सम्पत्ति या उसके प्रकार को इस अधिनियम के अधीन लगाये गये किसी कर या उसके अंश की अदायगी से मुक्त कर सकती है।

दायित्व प्रकट करने का आभार

222–– (1) {निगम}[1] लिखित–पत्र द्वारा नगर के किसी निवासी को ऐसी सूचना देने का आदेश दे सकती है जो निम्नलिखित किसी बात को निश्चित रूप से मालूम करने के लिये आवश्यक हो–

(क) क्या उक्त निवासी पर इस अधिनियम के अधीन लगाये गये किसी कर को अदा करने का दायित्व है,

(ख) उस पर कितना कर निर्धारित किया जाना चाहिये।

(ग) उस भवन अथवा भूमि का वार्षिक मूल्य, जो उसके अध्यासन में हो और उसके स्वामी का नाम तथा पता।

(2) यदि कोई निवासी, जिसे इस प्रकार सूचना देने का आदेश दिया गया हो, उक्त सूचना नही देता अथवा ऐसी सूचना देता है, जो असत्य हो तो दोष सिद्ध होने पर उस पर जुर्माना किया जा सकता है जो 500 रु. तक हो सकता है।

खोज करने के अधिकार

223–– मुख्य नगराधिकारी अथवा {निगम}[1] के एतदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी या सेवक मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिये किसी भवन में प्रवेश कर सकता है, उसका निरीक्षण तथा उसकी नाप कर सकता है अथवा किसी अस्तबल या बाहन–गृह अथवा ऐसे अन्य स्थान में, जहां उसको यह विश्वास करने का कारण हो कि वहां कोई ऐसा वाहन अथवा पशु है जिस पर उस अधिनियम के अधीन कर लगाया जा सकता है, प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है और ऐसे निरीक्षणों पर धारा 560, 562 तथा 563 के उपबन्ध लागू होंगे।

अपवाद (savings)

224–– कोई निर्धारण सूची या अन्य सूची, नोटिस प्राप्यक या इसी प्रकार का अन्य कोई लेख्य जिसमें किसी कर, व्यय किराया या शुल्क के संबंध में किसी व्यक्ति, सम्पत्ति, वस्तु या विभव का निर्देश किया गया हो, अथवा जिसमें ऐसा करना अभिप्रेत हो, केवल इसी कारण से अवैध न माना जायगा कि उसमें उक्त व्यक्ति के नाम, निवास–स्थान, व्यापार के स्थान, अथवा धंधे में अथवा सम्पत्ति, वस्तु या विभव के विवरण के संबंध में कोई गलती है, अथवा केवल लिपि संबंध भूल अथवा उसके प्रपत्र में कोई त्रुटि रह गयी है और अभिज्ञान के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति, सम्पत्ति, वस्तु या विभव का पर्याप्त वर्णन कर दिया जाना ही यथेष्ट होगा तथा किसी कर की देनदारी के संबंध में किसी सम्पत्ति के स्वामी अथवा अध्यासी का नाम दिया जाना आवश्यक न होगा।

अनुपूरक कर

अनुपूरक कर लगाने के रूप में इस अधिनियम के अधीन आरोपित किये जा सकने वाले योग्य किसी कर में वृद्धि की जा सकती है अथवा उसे नये रूप में से लगाया जा सकता है।

225–– जब कभी किसी वित्तीय वर्ष में {निगम}[1] अनुपूरक कर लगाने का निश्चय करे तो वह इस अधिनियम में अथवा राज्य सरकार की आज्ञाओं अथवा स्वीकृति में ऐसे कर के लिये विहित सीमा अथवा शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त वर्ष की अव्यतीत अवधि के लिये ऐसे कर की दरों में, जो इस अधिनियम के अधीन आरोपित किया जा सकता हो, वृद्धि करके, अथवा इस अधिनियम के अधीन आरोपित किये जा सकने वाले ऐसे कर को जो तत्समय न लगाया जा रहा हो, यथावत् स्वीकृति से लगाकर, ऐसा कर सकता है।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

कर सम्बन्धी विषयों में दीवानी तथा फौजदारी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का निषेध

226–– इस अधिनियम में व्यवस्थित रीति तथा प्राधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य रीति से तथा अन्य प्राधिकारी के सम्मुख किसी मूल्यांकन अथवा निर्धारण पर कोई आक्षेप न किया जायगा और न उस व्यक्ति की जिस पर निर्धारण किया जाने वाला हो या कर लगाया जाने वाला हो, देनदारी पर कोई प्रश्न किया जायगा।

नियम बनाने का अधिकार

227–– (1) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये नियम बना सकती है।

(2) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है।

(क) धारा 219 में निर्दिष्ट विषय,

(ख) वाहन, नाव तथा पशुओं पर करों से सम्बद्ध पंजी का संधारण तथा निरीक्षण,

(ग) {***}[1]

(घ) {***}[1]

(ङ) करों का अग्रिम भुगतान,

(च) अभिहरण और कुर्की के विरुद्ध की गयी आपित्तयों का सरसरी निस्तारण,

(छ) शर्तें, जिनके अधीन करों की छूट तथा वापसी स्वीकृत की जायगी।

अध्याय 10

नालियां तथा जलोत्सारण {निगम}[2] की नालियां

मुख्य नगराधिकारी द्वारा नालियों का निमार्ण तथा उनकी मरम्मत की व्यवस्था

228–– (1) उन सामान्य आदेशों के अधीन रहते हुए, जो कार्यकारिणी समिति एतदर्थ समय–समय पर दे, मुख्य नगराधिकारी {निगम}[2] की समस्त नालियों का संरक्षण तथा उनकी मरम्मत करायेगा और कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से नगर के भीतर तथा बाहर ऐसी नयी नालियों का निर्माण करायेगा, जो नगर तथा उसके सन्निकट के चतुर्दिक क्षेत्र से यथोद्देश जल–निस्तारण के लिये समय–समय पर आवश्यक प्रतीत हों :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि छावनी की सीमाओं के भीतर किसी भी नाली का निर्माण राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना तथा उस डिवीजन के, जिसमें उक्त छावनी स्थित हो, जनरल आफिसर कमांडिग की सहमति से प्रतिकूल या ऐसी सहमति न दिये जाने की दशा में केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना न किया जायगा।

(2) किसी ऐसी सड़क की दशा में जिसमें {निगम}[2] की नाली हो, मुख्य नगराधिकारी {निगम}[2] की निधि पर भारित व्यय से किसी भू–गृहादि की नाली के जिस उक्त {निगम}[2] की नाली से जोड़ना हो ऐसे भाग को भी निर्मित करायेगा जिसका उक्त सड़क के किसी भाग के नीचे बनवाना आवश्यक हो तथा सड़क के नीचे इस प्रकार बनवाया हुआ जोड़ने वाली नालियों का भाग {निगम}[2] में निहित हो जायेगा और मुख्य नगराधिकारी द्वारा {निगम}[2] की नाली की भांति ही उसको संधारित किया जायगा और उसकी मरम्मत की जाती रहेगी।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9, वर्ष 1991 के अध्याय 3 की धारा 11 द्वारा निकाला गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

निगम द्वारा नालियों तथा नालियों के जल के या मलादि के निस्तारण के निर्माण–कार्यों का अपनाया जाना

229–– (1) इस धारा के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए मुख्य नगराधिकारी किसी भी समय {निगम}[1] के अनुमोदन से घोषणा कर सकता है कि कोई नाली अथवा उसका कोई भाग या नालियों या मलादि के निस्तारण के कोई निर्माण–कार्य, जो नगर के भीतर स्थित हों अथवा नगर अथवा उसके किसी भाग के उपयोग में आ रह हों, उस दिनांक से, जो घोषणा में निर्दिष्ट की जाय, {निगम}[1] में निहित हो जायेंगे।

(2) मुख्य नगराधिकारी, यह निर्णय करने में कि धारा (1) के अधीन घोषणा की जाय या नही, मामले की समस्त परिस्थितियों तथा विशेषकर निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा–

(क) संबद्ध नाली अथवा निर्माण कार्य किसी जलोत्सारण या नालियों के निस्तारण अथवा मल–निस्तारण की किसी ऐसी सामान्य प्रणाली के लिये जिसकी व्यवस्था मुख्य नगराधिकारी ने नगर अथवा उसके किसी भाग के निमित्त की हो अनुकूल है या नहीं अथवा उसके या उनके लिये अपेक्षित है या नहीं,

(ख) नाली सड़क के अथवा उस भूमि के नीचे निर्मित है या नहीं जो इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके उपबन्धों के अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के द्वारा, अथवा अधीन, सड़क के लिये सुरक्षित है,

(ग) भवनों की संख्या जिनके लिये नाली का उपयोग अभिप्रेत है, और अन्य भवनों की निकटता या भावी विकास की संभावना का ध्यान रखते हुए क्या–यह संभव है कि वह अतिरिक्त भवनों के उपयोग के लिये अपेक्षित हो सकती है,

(घ) नाली अथवा निर्माण–कार्यों के बनाये जाने की रीति और उनकी मरम्मत की दशा, तथा

(ङ) क्या प्रस्तावित घोषणा का करना सम्बद्ध नाली या निर्माण–कार्य के स्वामी के लिये अत्यधिक हानिकर होगा।

(3) जब कभी उपधारा (1) के अधीन घोषणा करने का प्रस्ताव हो, तो मुख्य नगराधिकारी सम्बद्ध नाली अथवा निर्माण–कार्य के स्वामी अथवा स्वामियों को प्रस्ताव की लिखित सूचना देगा कि वे तामील के दिनांक से एक मास की अवधि के भीतर उसके विरुद्ध कारण बतायें तथा पूर्वोक्त अवधिक के समाप्त होने तक या जब कोई आपत्ति प्रस्तुत की गयी हो तो उस आपत्ति के निस्तारण तक घोषणा न की जायगी।

(4) जब उपधारा (1) के अधीन घोषणा करने का प्रस्ताव हो, तो मुख्य नगराधिकारी सम्बद्ध नाली अथवा निर्माण–कार्य के स्वामी अथवा स्वामियों को प्रस्ताव की लिखित सूचना देगा कि वे तामील के दिनांक के एक मास की अवधि के भीतर उसके विरुद्ध कारण बताये तथा पूर्वोक्त अवधि के समाप्त होने तक या जब कोई आपत्ति प्रस्तुत की गयी हो तो उस आपत्ति के निस्तारण तक, घोषणा न की जायगी। जब तक या तो उसके लिये उस प्राधिकारी की सहमति न प्राप्त हो गई हो अथवा राज्य सरकार ने चाहे बिना किसी शर्त के अथवा किन्हीं ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें लगाना वह उचित समझे, ऐसी सहमति को कोई आवश्यकता न समझी हो।

(5) उपधारा (1) के अधीन किसी ऐसी नाली अथवा नाली के भाग या किसी निर्माण कार्य के संबंध में जो {निगम}[1] से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा रेलवे प्रशासन में निहित हो या हों, सम्बद्ध प्राधिकारी, सरकार या रेलवे प्रशासन की प्रार्थना के बिना कोई घोषणा न की जायगी।

(6) कोई व्यक्ति, जो उपधरा (1) के अधीन घोषणा होने के तत्काल पूर्व सम्बद्ध नाली को उपयोग में लाने का अधिकारी था, घोषणा के होते हुये भी उसे अथवा उसके स्थान पर बनायी गयी दूसरी नाली को पहले ही आयति तक ही उपयोग में लाने का अधिकारी होगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

230–– (1) मुख्य नगराधिकारी, {निगम}[1] की किसी नाली को किसी सड़क अथवा किसी अन्य स्थान के, जो सड़क के रूप में तैयार की गयी हो या उसके लिये अभिप्रेत हो, बीच में से या उसके आरपार या उसके नीचे अथवा किसी सड़क के नीचे स्थित गोदाम या तहखाने के नीचे से ले जा सकता है तथा सम्बद्ध भूमि के स्वामी या अध्यासी को समुचित लिखित नोटिस देकर नगर के भीतर स्थित किसी भूमि के भीतर से, बीच से या नीचे ले जा सकता है या मल इत्यादि की बाहा गिरावट या वितरण के प्रयोजन के लिये नगर के बाहर स्थित भूमि के संबंध में भी ऐसा कर सकता है। नालियां बनाने का अधिकार

(2) मुख्य नगराधिकारी किसी ऐसी भूमि में, जहां पहले ही से {निगम}[1] की कोई नाली विधितः निर्मित हो , प्रवेश कर सकता है और वर्तमान नाली के स्थान पर कोई नयी नाली बना सकता है या इस प्रकार बनायी गयी {निगम}[1] की किसी नाली की मरम्मत कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है।

231–– (1) मुख्य नगराधिकारी, {निगम}[1] की किसी नाली को बढ़ा सकता है, उसका मार्ग परिवर्तित कर सकता है या उसे गहरा कर सकता है या उसे छोटी कर सकता है, उस पर मेहराब बना सकता है या अन्य प्रकार से उसका सुधार कर सकता है तथा किसी ऐसी नाली को हटा सकता है, बन्द कर सकता है या नष्ट कर सकता है, जो उसके मतानुसार बेकार या अनावश्यक हो गयी हो या किसी ऐसी नाली का उपयोग या तो पूर्णतया या गन्दे पानी के उत्सारण के प्रयोजन के लिए या सतह के जल के उत्सारण के प्रयोग के लिए प्रतिषिद्ध कर सकता है : नालियो मे परिवर्तन और उन्हें बन्द करना

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस धारा में की गयी किसी बात के कारण कोई व्यक्ति किसी नाली के विधिपूर्वक प्रयोग से वंचित होता हो तो मुख्य नगराधिकारी व्यक्ति किसी नाली के विधिपूर्वक प्रयोग से वंचित होता हो, तो मुख्य नगराधिकारी उसके उपयोग के लिये यथाशक्य शीघ्र {निगम}[1] के व्यय से उतनी ही उपयुक्त किसी अन्य नाली की व्यवस्था कर देगा जितनी वह नाली थी, जो हटाई, बन्द की या नष्ट की गयी थी अथवा जिसका प्रयोग प्रतिषिद्ध कर दिया गया था।

232–– (1) {निगम}[1] की नालियां इस प्रकार निर्मित की जायेगी, संधारित एवं बनाये रखी जायेंगी कि उनसे कम से कम व्यवहार्य अपदूषण उत्पन्न हो। इन नालियों को समय–समय पर ठीक ढंग से धोया, साफ किया और खाली किया जायगा। नालियों की सफाई

(2) उक्त नालियों को जल से धोने, उनकी सफाई करने तथा उन्हें खाली करने के लिए मुख्य नगराधिकारी ऐसे हौज, बांध इंजन तथा अन्य निर्माण–कार्य, बना अथवा स्थापित कर सकता है, जिन्हें वह समय–समय पर आवश्यक समझें।

निजी सड़कों की नालियों तथा भू–गृहादि का निस्तारण

233–– किसी निजी सड़क का स्वामी, विहित की जाने वाली शर्तों को पूरा करने पर, ऐसी सड़क की नाली को {निगम}[1] की नाली से जोड़ सकता है। निजी सड़क की नालियों को {निगम}[1] की नाली से जोड़ने का अधिकार

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

234—— (1) इस धारा के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी भू—गृहादि के स्वामी या अध्यासी को यह अधिकार होगा कि वह अपनी नाली को {निगम}[1] की नाली से अथवा अन्य ऐसे स्थान पर खाली करे, जो नालियों के जल का निकास के लिये वैद्य रूप से अलग कर दिया गया हो :

भवनों तथा भूमि के स्वामियों और अध्यासियों को {निगम}[1] की नालियों में जल—निस्सारण का अधिकार

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात किसी व्यक्ति को निम्नलिखित का अधिकार नहीं देगी—

(क) किसी {निगम}[1] की नाली में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिवाय धारा 240 के उपबन्धों के अनुकूल किसी व्यापारिक व्यर्थ द्रव्य पदार्थ अथवा किसी ऐसे द्रव्य या अन्य पदार्थ को गिराना, जिसका गिराना इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के द्वारा या अधीन प्रतिषिद्ध हो,

(ख) जहां गन्दे पानी तथा सतह के पानी के लिए {निगम}[1] की अलग—अलग नालियों की व्यवस्था हो, वहां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ———

(1) गन्दे पानी को ऐसी नाली में गिराना जिसकी व्यवस्था सतह के पानी के लिये की गयी हो, या

(2) मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना सतह के पानी को ऐसी नाली में गिराना जिसकी व्यवस्था गन्दी पानी के लिये की गई हो, या

(ग) अपनी नाली इस प्रकार बनाना कि वह झंझा के पानी को बहा ले जाने वाली से जाकर सीधी मिले।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के लाभ उठाने की इच्छा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा प्राप्त करने और उन शर्तों को पूरा करेगा, जिन्हें मुख्य नगराधिकारी उस रीति तथा अधीक्षण के सम्बन्ध में विहित करे जिसके अनुसार या अधीन नालियां पूर्वोक्त {निगम}[1] की नालियों अथवा पूर्वोक्त अन्य स्थानों से जोड़ी जायेगी।

(3) मुख्य नगराधिकारी, यदि वह उचित समझे तो उपधारा (2) के अधीन पूर्वोक्त अनुज्ञा देने के बदले, सम्बद्ध व्यक्ति को उसके प्रार्थना—पत्र के प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर, नोटिस देने के उपरान्त स्वयं नाली या नाले को उक्त प्रकार से जुड़वा सकता है यदि मुख्य नगराधिकारी ने इस उपधारा के अधीन किसी मामले में कोई कार्यवाही की हो तो इस प्रकार किसी निर्माण—कार्य के लिए किया गया उचित व्यय पूर्वोक्त व्यक्ति द्वारा दिया जायगा।

235—— (1) यदि कोई व्यक्ति किसी नाली के निर्माण का विचार करे तो मुख्य नगराधिकारी, यदि समझता है कि प्रस्तावित नाली की आवश्यकता ऐसी सामान्य जल निस्सारण प्रणाली का भाग बनने के लिये है अथवा पड़ सकती है, जिसकी {निगम}[1] द्वारा व्यवस्था की गयी है अथवा जिसकी व्यवस्था करने का उसका विचार है, उस व्यक्ति से यह मांग कर सता है कि वह उस नाली का निर्माण, पाइपों के धातु, आकार गहराई, गिरावट दिशा या बाहा गिरावट के संबंध में या अन्यथा उस रीति से जिससे निर्माण करने का उसका विचार हो, भिन्न रीति से किराये और तत्पश्चात् उक्त व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जायगा कि वह मुख्य नगराधिकारी की मांग का पालन करें।

मुख्य नगराधिकारी के नालियों अथवा प्रस्तावित नालियों के इस प्रकार निर्मित किये जाने की मांग करने का अधिकार कि वे सामान्य प्रणाली के भाग बन जायं।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) मुख्य नगराधिकारी उपधारा (1) के अनुसार नाली का निर्माण कराने वाले व्यक्ति को {निगम}[1] निधि में से उस अतिरिक्त व्यय को, जो उसने मांग का पालन करने में समुचित रूप से किया हो भरपाई कर देगा तथा जब तक वह नाली {निगम}[1] की नाली नही हो जाती, वह {निगम}[1] निधि में से समय—समय पर उसे उसके द्वारा समुचित रुप से किये गये उतने व्यय की भरपाई कर देगा जितना उसकी मरम्मत तथा उसके संधारण पर उक्त मांग के पालन करने में किया गया समझा जा सके।

धारा 233 तथा 234 के अनुकूल {निगम}[1] की नालियों से अन्य नालियो के जोड़ने का कार्य नहीं किया जायगा।

236—— धारा 233 और 234 में उपबन्धित व्यवस्था अथवा किसी विहित की गई व्यवस्था को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अपनी अथवा किसी अन्य व्यक्ति की नाली को किसी {निगम}[1] की नाली अथवा किसी अन्य स्थान से जो, नालियों के जल के निकास के लिए विधिक रूप से अलग कर दिया गया हो, न तो जोड़ेगा और न जुडवायेगा और मुख्य नगराधिकारी संम्बद्ध व्यक्ति को सूचना देने के उपरान्त इस धारा का उल्लंघन करके बनाये गये किसी ऐसे जोड़ को बन्द करा सकता है, तुड़वा सकता है अथवा उसे परिवर्तित या पुनर्निर्मित कर सकता है तथा ऐसा करने में मुख्य नगराधिकारी द्वारा किये गये व्यय उस सड़क के स्वामी को या उप भू—गृहादि के स्वामी या अध्यासी को, जिसके लाभ के लिए जोड़ बनाया गया था अथवा दोषी व्यक्ति को वहन करना पड़ेगा।

नालियों को अन्य व्यक्तियों की भूमि के बीच से ले जाने के भू—गृहादि के स्वामियों तथा अध्यासियों के अधिकार

237—— (1) यदि मुख्य नगराधिकारी को ऐसा प्रतीत हो कि सर्वाधिक सुविधा जनक साधनों में एक मात्र साधन, जिसके द्वारा किसी भू—गृहादि का स्वामी अथवा अध्यासी अपनी नाली को {निगम}[1] की नाली में अथवा किसी अन्य ऐसे स्थान में, जो नालियों के जल के निकास के लिए विधिक रूप से अलग कर दिया गया हो, खाली कर सकता है, यही है कि वह उसे उक्त स्वामी या अध्यासी से भिन्न किसी व्यक्ति की भूमि के भीतर से बीच से अथवा नीचे से ले जाय तो मुख्य नगराधिकारी लिखित आज्ञा द्वारा उक्त स्वामी को प्राधिकृत, कर सकता है कि वह अपनी नाली उक्त भूमि के भीतर से, बीच से अथवा नीचे से ऐसी रीति से ले जाय जिसकी अनुज्ञा देना वह उचित समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन तब तक कोई प्राधिकार प्रदान नहीं किया जायगा जब तक कि भूमि के स्वामी को नोटिस न दे दी गयी हो तथा उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्ति पर, यदि कोई हो, तो विचार न कर लिया गया हो।

(3) उपधारा (1) के अधीन तब तक कोई प्राधिकार प्रदान नहीं किया जायगा जब तक कि भूमि के पक्ष में वह दी गयी हो अथवा उसके अभिकर्ता या सेवक को इस बात का पूर्ण प्राधिकार देगी कि वह समुचित रूप से नोटिस देने के बाद उक्त भूमि पर सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय अपने सहायकों और श्रमिकों के सहित प्रवेश करे और आवश्यक निर्माण—कार्य सम्पादित करे।

(4) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी भू—गृहादि का स्वामी अथवा अध्यासी अथवा इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नियोजित कोई अभिकर्ता या व्यक्ति, किसी ऐसी भूमि के स्वामी को, जिसमें उसके उक्त भू—गृहादि के जिल—निस्तारण के लिये पहले ही से कोई नाली विधितः निर्मित है, अपने ऐसा करने के आशय का समुचित रूप से लिखित नोटिस देने या प्रस्तुत करने के उपरान्त अपने सहायकों तथा श्रमिकों के सहित उक्त भूमि पर सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच किसी भी समय प्रवेश कर सकता है तथा वर्तमान नाली के स्थान पर नई नाली बना सकता है या इस प्रकार निर्मित किसी नाली की मरम्मत कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है।

(5) इस धारा के अधीन किसी कार्य को सम्पादित करने में यथासंभव कम से कम क्षति पहुंचायी जायगी तथा उस भू—गृहादि का, जिसके लाभ के लिये निर्माण कार्य किया जा रहा है, स्वामी या अध्यासी ——

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) निर्माण–कार्य का सम्पादन इस प्रकार करायेगा कि उसमें कम से कम व्यवहार्य विलम्ब हो,

(ख) उक्त निर्माण कार्य के सम्पादन के प्रयोजन के लिए खुदवाई गयी, तोड़ी गयी अथवा हटायी गयी किसी भूमि अथवा किसी भवन के भाग या अन्य किसी निर्माण को अपने व्यय से तथा इस प्रकार भरवायेगा, पुनः स्थापित करायेगा तथा पूरा करायेगा कि उसमें कम से कम व्यवहार्य विलम्ब हो,

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर देगा जिसे उक्त निर्माण–कार्य के सम्पादन के कारण क्षति उठानी पड़ी हो।

(6) यदि किसी ऐसी भूमि जिसके भीतर से, बीच से या नीचे से इस धारा के अधीन उस समय कोई नाली ले जायी गयी थी जब उस पर कुछ बना नहीं था, का स्वामी बाद में किसी समय उक्त भूमि पर भवन निर्मित करने की इच्छा करे तो मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा उस भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी, जिसके लाभ के लिए उक्त नाली का निर्माण किया गया था, से यह मांग करेगा कि वह उस रीति से, जिसे मुख्य नगराधिकारी, अनुमोदित किया गया था, से यह मांग करेगा कि वह उस रीति से, जिसे मुख्य नगराधिकारी, अनुमोदित करेगा, उसे बन्द करा दे, हटा दे या मोड़ दे तथा भूमि को इस प्रकार भरवाये पुनः स्थापित तथा पूरा कराये मानों उक्त नाली उसके भीतर से, बीच से या नीचे से नहीं ले जायी गयी थी,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कोई मांग तब तक न की जायगी जब तक कि मुख्य नगराधिकारी की राय में यह आवश्यक और इष्टकर न हो कि प्रस्तावित भवन के निर्माण की अनुज्ञा दिये जाने के लिए अथवा उसके सुरक्षित उपयोग के लिए नाली को बन्द कर दिया जाय, हटा दिया जाय, या मोड़ दिया जाय।

मुख्य नगराधिकारी {निगम} नाली से सौ फीट के भीतर स्थित ऐसे भू– गृहादि में जल–निस्सारण व्यवस्था को लागू कर सकता है, जिनमें जल निस्तारण की व्यवस्था न हो

238–– जब मुख्य नगराधिकारी की राय में कोई भू–गृहादि यथोद्देश्य जल–निस्सारण के पर्याप्त साधनों से रहित हो और कोई {निगम}[1] नाली या नालियों के जल के निकास के लिए विधिक रूप से अलग किया गया कोई स्थान उक्त भू–गृहादि के किसी भाग से सौ फीट से अनाधिक दूरी पर स्थित हो तो मुख्य नगराधिकारी लिखीत नोटिस द्वारा, उक्त भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी से मांग कर सकता है कि वह –––

(क) ऐसी सामग्री ऐसे आकार और ऐसे प्रकार की नाली बनाये तथा उसे उस धरातल पर रखे और इस प्रकार पंक्ति बद्ध करे तथा ऐसी {निगम}[1] की नाली में या पूर्वोक्त स्थान में खाली करे जिसे मुख्य नगराधिकारी आवश्यक या उचित समझे,

(ख) ऐसे समस्त उपकरणों तथा संधायनों की व्यवस्था करे और उन्हें स्थापित करे जो मुख्य नगराधिकारी को उक्त भृ–गृहादि से जल–निस्सारण को इकट्ठा करने और प्राप्त करने तथा उसे उसके बाहर पहुंचाने तथा उक्त नाली तथा उससे सम्बद्ध प्रत्येक संलग्न को यथोद्देश्य रूप से जल से धोने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक प्रतीत हो,

(ग) किसी ऐसी वर्तमान नाली या अन्य उपकरणों या वस्तुओं को, जो जल निस्सारण के लिए प्रयुक्त हों या जिनका उसके लिए प्रस्तुत किया जाना अभिप्रेत हो, हटा दे जो मुख्य नगराधिकारी की राय में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों अथवा किसी खुली नाली के स्थान पर बन्द नाली की व्यवस्था करे अथवा उसी प्रकार के अन्य ऐसे उपकरणों या वस्तुओं की व्यवस्था करे, जिन्हें वह आवश्यक समझे,

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(घ) ऐसे समस्त उपकरणों तथा संधायनों की व्यवस्था करे तथा उन्हें लगाये जो भवनों के धोये जाने के समय उनके फर्श तथा दीर्घाओं से आने वाली बेकारपानी को इकट्ठा करने तथा उसे ग्रहण करने और टोटियों से जल नीचे जाने वाले पाइपों द्वारा स्थानान्तरित करने के प्रयोजन के लिए मुख्य नगराधिकारी को आवश्यक प्रतीत हो ताकि उक्त बेकार पानी के सीधे सड़कों या भू—गृहादि के किसी निचले भाग के भीतर जाने से रोका जा सके।

मुख्य नगराधिकारी ऐसे भू—गृहादि पर, जो {निगम}[1] की नाली से सौ फीट के भीतर स्थित न हो और जल—निस्सारण की व्यवस्था से रहित हों, जल निस्सारण की व्यवस्था को लागू कर सकता है

239—— जब कोई भू—गृहादि मुख्य नगराधिकारी की राय में सफल जल निस्सारण के पर्याप्त साधनों से रहित हो, किन्तु उक्त भू—गृहादि के किसी भाग से सौ फीट के भीतर कोई {निगम}[1] नाली स्थित न हो, तो मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा उक्त भू—गृहादि के स्वामी या अध्यासी से मांग कर सकता है कि वह ———

(क) एक नाली उस स्थान तक, जो ऐसे नोटिस में विहित किया जायगा, निर्मित कराये, किन्तु वह स्थान उक्त भू—गृहादि के किसी भाग से सौ फीट की दूरी से अधिक दूरी पर नहीं होना चाहिये, अथवा

(ख) ऐसे बन्द नलकूप का निर्माण कराये, जो ऐसी सामग्री ऐसे आकार और ऐसे प्रकार का हो ऐसी स्थिति में हो, ऐसे धरातल पर हो और उसमें ऐसे गिरावट की गुंजायश हो, जो मुख्य नगराधिकारी आवश्यक समझे और ऐसी नाली या नालियों का भी निर्माण कराये, जो इस मलकूप में खाली होती हों।

व्यापारिक व्यर्थ द्रव पदार्थ से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध

240—— इस अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों और एतदर्थ किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी व्यापारिक भू—गृहादि का अध्यासी उन भू—गृहादि से निकलने वाले किसी व्यापारिक व्यर्थ द्रव—पदार्थ को {निगम}[1] नालियों में गिरा सकता है।

मुख्य नगराधिकारी का भू—गृहादि से संयुक्त रूप से जल—निस्सारण का अधिकार

241—— (1) जब मुख्य नगराधिकारी की यह राय हो कि भू—गृहादि के किसी ऐसे गण या खंड में जिसका कोई भाग किसी {निगम}[1] नाली से अथवा {निगम}[1] द्वारा नालियों के जल—निकास के लिए पृथक किये गये किसी ऐसे स्थान से, चाहे वह पहले से ही वर्तमान हो या जिसका निर्माण होने वाला हो, सौ फीट के भीतर स्थित हो, जल—निस्सारण की व्यवस्था पृथक रूप से जल—निस्तारित किये जाने की अपेक्षा संयुक्त रूप से अधिक मितव्यता अथवा लाभप्रद ढंग से की जा सकती है जो मुख्य नगराधिकारी भू—गृहादि के ऐसे गण या खंड में ऐसी रीति से जल—निस्सारण की व्यवस्था करवा सकता है, जो मुख्य नगराधिकारी को उसके निमित्त सर्वोत्तम प्रतीत हो व्यवस्था करवा सकता है, जो मुख्य नगराधिकारी को उसके निर्मित सर्वोत्तम प्रतीत हो तथा ऐसा करने में मुख्य नगराधिकारी द्वारा किये गये व्यय का भुगतान उन भू—गृहादि के स्वामियों को ऐसे अनुपात में करना पड़ेगा, जिसे मुख्य नगराधिकारी उचित समझे।

(2) इस धारा के अधीन किसी निर्माण—कार्य के प्रारम्भ होने के कम से कम 15 दिन पहले मुख्य नगराधिकारी ऐसे समस्त भू—गृहादि के, जो निस्सारित किये जाने वाले हैं, स्वामियों को निम्नलिखित के संबंध में लिखित रूप से नोटिस देगा ——

(क) अभिप्रेत निर्माण—कार्य का स्वरूप

(ख) उसके ऊपर होने वाला अनुमानित व्यय, तथा

(ग) ऐसे व्ययों का वह अनुपात, जो प्रत्येक स्वामी द्वारा देय हो।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) उन अनेक भू—गृहादि के तत्कालीन स्वामी जो मिल कर कोई ऐसा गण या खंड बनाते हों, जिनका उपधारा (1) के अधीन जल—निस्सारण किया जाता हो निर्मित की गई खड़ी की गयी या लगाई गई या केवल ऐसे भू—गृहादि के विशेष प्रयोग और लाभ के लिए जारी रक्खी गयी प्रत्येक नाली के संयुक्त स्वामी होंगे और यह निर्धारित किये जाने पर कि मुख्य नगराधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन किये गये व्ययों को उक्त भू—गृहादि के स्वामियों को किस अनुपात में बहन करना है, वे स्वामी उसी अनुपात में उन व्ययों के लिए भी उत्तरदायी होंगे, जो प्रत्येक ऐसे नाली को अच्छी मरम्मत कराकर उसे कुशल दशा में संधारित रखने के संबंध में हों :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक ऐसी नाली की समय—समय पर {निगम}[1] निधि से व्यय करके मुख्य नगराधिकारी द्वारा धुलाया जायेगा, साफ किया जायगा तथा खाली किया जायगा।

मुख्य नगराधिकारी वर्तमान निजी नालियों का प्रयोग बन्द अथवा सीमित कर सकता है

242—— (1) यदि किसी भू—गृहादि को किसी {निगम}[1] की नाली या अन्य स्थान से जो नालियों के जल के निकास के लिए विधिक रूप से अलग कर दिया गया हो, जोड़ने वाली नाली चाहे वह उक्त भू—गृहादि के यथोद्देश्य जल—निस्तारण के लिए पर्याप्त हो तथा अन्य किसी प्रकार से भी आपत्तिजनक न हो, मुख्य नगराधिकारी की राय में नगर की या नगर के उस भाग की जिस में वह नाली स्थित हो, सामान्य जलोत्सारण प्रणाली (general drainage system) से अनुकूलित नहीं है, तो मुख्य नगराधिकारी —

(क) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये उक्त नाली को बन्द कर सकता है, रोक सकता है या नष्ट कर सकता है और भू—गृहादि के स्वामी या अध्यासी को नोटिस देने के पश्चात् उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई कार्य करा सकता है,

(ख) आदेश दे सकता है कि ऐसी नाली, उस दिनांक से जो वह एतदर्थ निर्दिष्ट करे, केवल गन्दे पानी और मल इत्यादि के लिए या केवल बरसाती पानी के लिए या केवल अदूषित उपभूमिगत पानी के लिए या केवल अदूषित उपभूमिगत पानी के लिए या केवल बरसाती पानी और अदूषित उपभूमिगत पानी दोनों के लिए प्रयुक्त की जायगी और लिखित नोटिस द्वारा सम्बद्ध भू—गृहादि के स्वामी या अध्यासी से मांग कर सकता है कि वह बरसाती पानी या अदूषित उपभूमिगत पानी या बरसाती पानी और अदूषित उपभूमिगत पानी दोनों के लिये या गन्दे पानी और मल इत्यादि के लिये पूर्णतः भिन्न नाली बनाये।

(2) मुख्य नगराधिकारी उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन किसी नाली को तब तक बन्द, रोक या नष्ट न कर सकेगा जब तक कि वह भू—गृहादि के जल—निस्तारण के लिए वैसी ही प्रभावी और ऐसे महपालिका नाली अथवा उपयुक्त अन्य स्थान, जिसे मुख्य नगराधिकारी ठीक समझे, से संचारित दूसरी पानी की व्यवस्था न कर देगा और मुख्य नगराधिकारी द्वारा इस प्रकार बनवायी गयी नाली और उक्त खंड के अधीन किये गये किसी कार्य के निर्माण के व्यय का भुगतान मुख्य नगराधिकारी द्वारा किया जायगा।

सम्पत्तियों के एक मात्र प्रयोग के लिए नालियों का निहित किया जाना और उनका संधारण

243—— धारा 228 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रत्येक नाली, जो बनायी गयी, लगायी गयी, खडी की गयी था स्थापित की गयी हो, चाहे इसका व्यय {निगम}[1] ने वहन किया हो या नहीं, या जो किसी भू—गृहादि या भू—गृहादि के गण के एक मात्र प्रयोग और लाभ के लिए जारी रक्खी गई हो ——

(क) धारा 244 में किसी बात के होते हुये भी, निश्चित दिन पर और से ऐसे भू—गृहादि या भू—गृहादि के गण के स्वामी में निहित हो जायगी;

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) नाली के लिए अन्य सभी उपकरणों तथा संधायनों की व्यवस्था की जायगी, जो उसके अधिक प्रभाव कर ढंग से काम में लाने के लिये मुख्य नगराधिकारी को आवश्यक प्रतीत हो और ऐसे भू–गृहादि या भू–गृहादि के गण के, स्वामी द्वारा उक्त नाली की समय–समय पर अच्छी प्रकार मरम्मत की जाया करेगी, उसे अच्छी दशा में रखा जायगा और उसे समय–समय पर {निगम}[1] निधि पर भारित व्यय से धोया जायगा साफ किया जायगा और खाली किया जायगा।

ऐसे भू–गृहादि का जो {निगम}[1] के न हों, नालियों आदि पर {निगम}[1] का अधिकार जिनका निम्राण आदि {निगम}[1] निधि से किया गया है।

244–– ऐसे जल–निस्सारण निर्माण–कार्य से सम्बद्ध सभी नालियां, संबीजन–दंडों और पाइप तथा निर्माण–कार्य संबंधी उपकरण, एवं संधायन जो किसी भी समय {निगम}[1]–निधि या किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकारी की निधि से किये गये व्यय से, जिसका {निगम}[1] की स्थापना के दिनांक से पूर्व नगर के किसी भाग में किसी ऐसे भू–गृहादि पर क्षेत्राधिकार हो जो {निगम}[1] का न हो बनाये गये हों, खडे किये हों या स्थापित किये गये हों और उक्त भू–गृहादि या भू–गृहादि के गण के एकमात्र प्रयोग या लाभ के लिए ही न हों {निगम}[1] में निहित हो जायेगे, जब तक कि {निगम}[1] ने अन्यथा निर्धारित न किया हो।

नये भवन बिना नालियों के नहीं बनाये जायेंगे

245–– (1) नये भवन को निर्मित करना या किसी भवन को पुनर्निर्मित करना या किसी न निर्मित या पुनर्निर्मित भवन पर अध्यासीन होना तब तक वैध न होगा, जब तक कि –

(क) किसी ऐसे आकार, सामग्री और प्रकार की तथा ऐसे धरातल पर और ऐसी गिरावट, की कोई नाली न बनायी गयी हो, जो मुख्य नगराधिकारी को उस भवन के यथोद्देश्य जल–निस्सारण के लिए आवश्यक प्रतीत हो,

(ख) ऐसे भवन और उससे सम्बद्ध भू–गृहादि में ऐसे सभी उपकरणों और संधायनों की व्यवस्था न की गई हो और उन्हें स्थापित न किया गया हो जो उक्त भवन और उक्त भू–गृहादि से नालियों के जल का इक्ट्ठा करने और ग्रहण करने तथा बाहर ले जाने के प्रयोजनों के लिए और उक्त भवन और उससे सम्बद्ध प्रत्येक संलग्न की नाली को सफल रूप से धोने के लिए मुख्य नगराधिकारी को आवश्यक प्रतीत हो।

(2) पूर्वोक्त प्रकार से निर्मित की जाने वाली किसी {निगम}[1] नाली में या किसी ऐसे स्थान पर जो नालियों के जल के निकास के लिए विधितः अलग कर दिया गया है और जो उस भू–गृहादि से, जिसमें उक्त भवन स्थित हो, 100 फीट से अधिक दूरी पर न हो, खाली होगी, किन्तु यदि उस दूरी के भीतर कोई नाली या स्थान पर हो तो वह नाली ऐसे नलकूप में खाली होगी, जिसे मुख्य नगराधिकारी निर्दिष्ट करे।

नलियों के स्वामियों का अपनी नालियों का अन्य व्यक्तियों को प्रयोग करने या संयुक्त स्वामित्व की अनुज्ञा देने का आभार

246–– किसी {निगम}[1] नाली या ऐसे अन्य स्थान से, जो नालियों के जल के निकास के लिए विधितः अलग किया गया हो, जुड़ी हुई नाली का प्रत्येक स्वामी अन्य व्यक्तियों को उसके प्रयोग करने की अनुज्ञा देने या उन्हें उनके संयुक्त स्वामी के रूप में ऐसे निबन्धनों पर स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा जो धारा 247 के अधीन विहित किये जायं।

स्वामी से भिन्न व्यक्ति द्वारा किसी नाली के प्रयोग और संयुक्त स्वामित्व का अधिकार कैसे प्राप्त किया जा सकता है।

247–– (1) कोई भी व्यक्ति जो अपने भू–गृहादि को किसी ऐसी नाली द्वारा जिसका वह स्वामी नहीं है, {निगम}[1] नाली में जल–निस्सारित करना चाहे उस स्वामी से नाली का प्रयोग करने की अनुज्ञा के लिये निजी रूप से प्रबन्ध कर सकता है या उस नाली के प्रयोग का प्राधिकार दिये जाने या उनका संयुक्त स्वामी घोषित किये जाने के लिये मुख्य नगराधिकारी को प्रार्थना–पत्र दे सकता है।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) यदि प्रार्थनापत्र प्राप्त होने या अन्यथा मुख्य नगराधिकारी की यह राय हो कि किसी भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी द्वारा उस भू–गृहादि की नाली को किसी {निगम} नाली में या अन्य ऐसे स्थान पर जो नालियों के जल के निकास के लिये विधितः अलग किया गया हो खाली कराने का एकमात्र अथवा सर्वाधिक सुविधाजनक साधन एक ऐसी नाली ही हो सकती है जो उक्त {निगम}[1] नाली से या पूर्वोक्त स्थान से मिलती हो, लेकिन जो उक्त स्वामी या अध्यासी से भिन्न व्यक्ति की हो, तो मुख्य नगराधिकारी नाली के स्वामी को उस संबंध में कोई आपत्ति करने का समुचित अवसर देने के पश्चात् यदि कोई आपत्ति न की जाय या यदि कोई आपत्ति की जाय और वह अस्वीकृत कर दी जाय तो–लिखित आज्ञा द्वारा या तो उक्त स्वामी या अध्यासी को नाली के प्रयोग के लिये प्राधिकृत कर सकता है या उसका संयुक्त स्वामी घोषित कर सकता है किन्तु एतदर्थ किराया या प्रतिकर देने का उक्त भू–गृहादि की नाली के संधारण, मरम्मत, धुलाई सफाई और खाली करने के लिये क्रमशः दोनों पक्षों के उत्तरदायित्व के संबंध में अथवा अन्यथा ऐसी शर्तें लागू की जाय सकती है जो मुख्य नगराधिकारी को न्यायसंगत प्रतीत हों।

(3) प्रत्येक ऐसी आज्ञा द्वारा जिस पर मुख्यनगराधिकारी के हस्ताक्षर हों, उस व्यक्ति को, जिसके पक्ष में वह दी गयी हो या किसी ऐसे अभिकर्ता या व्यक्ति को जो उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिये नियोजित किया गया हो नाली के स्वामी को उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट प्रतिकर या किराया देने या प्रस्तत करने के पश्चात् और जहां तक संभव हो अन्य प्रकार से भी उक्त आज्ञा की शर्तें पूरी करने के पश्चात् और नाली के स्वामी को अपने ऐसा करने के आशय की लिखित रुप से समुचित नोटिस देने के बाद उस भूमि पर, जिस पर उक्त नाली स्थित है सूर्योदय ओर सूर्यास्त के बीच में, सहायकों और श्रमिकों के साथ प्रवेश करने और इस अधिनियम के सभी उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसी सभी बातें करने का, जो निम्नांकित प्रयोजनों के लिये आवश्यक हों, पूर्ण अधिकार होगा,

(क) दो नालियों का जोड़ना, या

(ख) योगों का नवीकरण, उनकी मरम्मत या उन्हें परिवर्तित करना, या

(ग) उस व्यक्ति से सम्बद्ध किसी उत्तरदायित्व का निर्वहन करना जिसके पक्ष में संयुक्त नाली या उसके किसी भाग के संधारण, मरम्मत, धुलाई, सफाई या खाली करने के लिये मुख्य नगराधिकारी ने आज्ञा दी हो।

(4) उपधारा (3) के अधीन किसी निर्माणकार्य के सम्पादन के सम्बन्ध में वह व्यक्ति, जिसके पक्ष में मुख्य नगराधिकारी की आज्ञा दी गयी हो, उन्हें प्रतिबंधों और उत्तरदायित्वों के अधीन रहेगा, जो धारा 237 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट किये गये हैं।

जल इत्यादि और बरसाती पानी की नालियां अलग–अलग होंगी

248–– जब कभी इस अध्याय में इस बात की व्यवस्था की गई हो कि किसी भू–गृहादि के यथोदे्श्य जल निस्सारण के लिये कार्यवाही की जायगी या की जा सकती है तो मुख्य नगराधिकारी आदेश दे सकता है कि एक नाली गन्दे पानी, मल इत्यादि और दूषित पानी के लिये होगी और दूसरी तथा पूर्णतः भिन्न नाली बरसाती पानी और अपदूषित उप भूमिगत पानी के लिये, या बरसाती पानी और अपदूषित उप–भूमिगत पानी दोनों के लिये होगी और प्रत्येक नाली अलग–अलग {निगम}[1] नालियों में या अन्य ऐसे स्थानों पर, जो विधितः नालियों के जल के निकास के लिये अलग किये गये हों, या अन्य उपयुक्त स्थानों पर खाली होंगी।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

249–– (1) किसी नाली या मलकूप को संवीजित करने के प्रयोजन के लिये चाहे वह {निगम}[1] का हो या किसी अन्य व्यक्ति का, मुख्य नगराधिकारी किसी भू–गृहादि पर कोई ऐसे दंड या पाइप खड़ा कर सकता है या उन्हें किसी भवन के बाहर या किसी पेड पर लगा सकता है, जो मुख्य नगराधिकारी को आवश्यक प्रतीत होंगे और किसी भवन के बाहर निकले हुए भाग को जिस में उसकी छत की कार्निस भी सम्मिलित है, काट सकता है, ताकि उक्त दंड या पाइप ऐसे बाहर निकले हुए भाग से होकर ऊपर ले जाया जा सके और उसे किसी भूमि के भीतर, बीच में या उसके नीचे ऐसे उपकरण लगा सकता है जो मुख्य नगराधिकारी की राय में वायु निकालने वाले ऐसे दन्ड या पाइप को उस नाली या नलकूप से, जिसे संवीजीत करने का विचार हो, जोड़ने के लिये आवश्यक है।

नालियों को संवीजित करने इत्यादि के लिये पाइपों का लगाना

(2) ऐसा दण्ड या पाइप उस रीति से खड़ा किया जायगा या लगाया जायगा या हटाया जायगा जो विहित की जाय।

(3) यदि उक्त भू–गृहादि, भवन या पेड़ों के स्वामी के अपेक्षा करने पर मुख्य नगराधिकारी किसी ऐसे दण्ड या पाइप को हटाने से इन्कार करे जो एतदर्थ बने नियमों के अनुसार उन पर या उनके साथ खड़े किये गये हों या लगाये गये हों तो स्वामी मुख्य नगराधिकारी का उत्तर प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर न्यायाधीश को प्रार्थना–पत्र दे सकता है कि उन्हें हटा देने की आज्ञा दे दी जाय।

(4) उपधारा (3) के अधीन दिये गये प्रार्थना–पत्र की सुनवाई और निस्तारण करने में न्यायाधीश द्वारा दी गयी आज्ञा अंतिम होगी और उसमें दोनों पक्ष बाध्य होंगे।

(5) यदि किसी ऐसे भवन या भूमि का, जो उपधारा (1) के अधीन काटी गयी हो, खोली गई हो या अन्यथा व्यवहृत हुई हो, स्वामी उस नाली या नलकूप का स्वामी न हो, जिसे संवीजित करने का विचार हो तो मुख्य नगराधिकारी जहां तक व्यावहारिक होगा, {निगम}[1]–निधि से किये गये व्यय से उस भवन को पुनर्निर्मित करेगा और ठीक करवायेगा और उस भूमि को भरा देगा और उसे ठीक करा देगा।

मल इत्यादि का निस्तारण

250–– मुख्य नगराधिकारी ऐसी रति से, जिसे वह इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त समझे, सभी या किसी {निगम}[1] नाली को किसी स्थान पर चाहे वह नगर के भीतर हो या बाहर खाली कर सकता है और नगर के भीतर या बाहर किसी भी स्थान पर मल निस्तारण करा सकता है :

नालिया खाली करने और मल इत्यादि के निस्तारण के लिये स्थानों का निश्चित किया जाना

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि :–

(क) मुख्य नगराधिकारी बिना {निगम}[1] की स्वीकृति के किसी {निगम}[1] नाली को ऐसे स्थान पर खाली नहीं करायेगा या किसी स्थान का मल निस्तारण ऐसे स्थान पर या ऐसी रीति से नहीं करायेगा जहां और जिस रीति से वह अब तक खाली न की गई हो मल निस्तारण न किया गया हो।

(ख) कोई {निगम}[1] नाली किसे ऐसे स्थान पर खाली नही करायी जायगी और किसी ऐसे स्थान पर और ऐसी रीति से मल इत्यादि का निस्तारण नहीं कराया जायगा, जिसे अस्वीकार कर देना राज्य सरकार उचित समझे।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

मल निस्तारण के लिये साधनों की व्यवस्था

251–– मुख्य नगराधिकारी मलादि को ग्रहण करने व्यवहृत करने उसे इकट्ठा करने, उसे कीटाणु रहित करने, उसका वितरण करने या अन्यथा उसका निस्तारण करने के लिए नगर के भीतर या बाहर कोई निर्माण–कार्य करा सकता है या नगर के भीतर या बाहर किसी भूमि, भवन, इंजिन की सामग्री या स्थिरयंत्र की खरीद कर सकता है या पट्टे पर ले सकता है या किसी व्यक्ति के साथ किसी अवधि के लिये, जो 20 वर्ष से अनधिक हो, नगर के भीतर या बाहर मलादि को हटाने या उसके निस्सारण के लिये कोई प्रबन्ध कर सकता है।

नावदान, संडास, मूत्रालय आदि

नाबदानों और संडासों का निर्माण

252–– (1) मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुमति और ऐसे निबन्धनों के, जो तत्समय प्रचलित किसी नियम या उपविधि से असंगत न हो और जिनकी वह व्यवस्था करे, के अनुकूल किसी भू–गृहादि के लिए नाबदान या संडास का निर्माण करना वैध न होगा।

(2) ऐसे निबन्धों की व्यवस्था करते समय मुख्यनगराधिकारी प्रत्येक दशा में यह निर्धारित कर सकता है कि –

(क) भू–गृहादि में नाबदान प्रणाली की व्यवस्था रहेगी अथवा संडास प्रणाली की अथवा अंशतः एक की और अंशतः दूसरे की, तथा

(ख) प्रत्येक नाबदान या संडास का स्थल या स्थिति क्या होगी।

(3) यदि किसी भू–गृहादि पर कोई नाबदान या संडास उपधारा (1) का उल्लंघन करके बनाया गया हो तो मुख्य नगराधिकारी उस भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी को कम से कम 10 दिन का नोटिस देने के बाद, उस नाबदान या संडास को बन्द कर सकता है, और उसे परिवर्तित कर सकता है अथवा गिरा सकता है और ऐसा करने में मुख्य नगराधिकारी द्वारा किये गये व्यय को भुगतान उक्त स्वामी या अध्यासी या दोषी व्यक्ति द्वारा किया जायगा।

नव निर्मित या पुनर्निर्मित भवनों में नाबदान और अन्य स्थान

253–– (1) किसी ऐसे भवन का, जो मनुष्यों के निवास के लिये हो या उसके लिये अभिप्रेत हो और जिस पर या जिसमें मजदूर और श्रमिक निर्याजित हो और जिस पर या जिसमें मजदूर और श्रमिक नियोजित किये जाने वाले हों, बिना उक्त नाबादान या संडास के स्थान के, और ऐसे मूत्रालय के स्थान तथा स्नान करने या ऐसे मूत्रालय के स्थान तथा स्नान करने या ऐसे भवन के कपड़े और घरेलू बर्तन धोने के स्थान के जिसको मुख्य नगराधिकारी विहित करे धारा 315 के अर्थ में निर्माण, पुननिर्माण या रूपान्तर वैध न होगा।

(2) किसी ऐसे स्थान को विहित करने में मुख्य नगराधिकारी प्रत्येक दशा में यह निर्धारित कर सकता है कि ––

(क) ऐसे भवन या निर्माण– कार्य में नाबदान प्रणाली की व्यवस्था रहेगी या संडास प्रणाली की या अंशतः एक की और अंशतः दूसरी की,

(ख) प्रत्येक नाबदान, संडास, मूत्रालय या स्नान करने और धुलाई के स्थान का स्थल या स्थिति क्या होगी और उनकी संख्या क्या होगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित स्थान निर्धारित करने में मुख्य नगराधिकारी भवन के अध्यासियों द्वारा नियोजित घरेलू नौकरों के लिये पर्याप्त और उपयुक्त नाबदान द्वारा नियोजित घरेलू नौकरों के लिये पर्याप्त और उपयुक्त नाबदान तथा संडास और स्थान करने के स्थानों की व्यवस्था करने की आवश्यकता का ध्यान रक्खेगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

254—— मुख्य नगराधिकारी सर्वसाधारण के लिए उपयुक्त और सुविधाजनक स्थानों में नाबदान, संडास और मूत्रालय तथा ऐसी ही अन्य सुविधाओं की व्यवस्था और उनका संधारण करेगा। सार्वजनिक आवश्यकताएं

निरीक्षण

255—— (1) मुख्य नगराधिकारी सभी नालियों, संवीजन दंडों, और पाइपों, नलकूपों, घर के जल—मार्गों, नाबदानों, संडासों, शौचालयों तथा मूत्रालयों और स्नान करने तथा धुलाई के सीलों, जो {निगम}[1] के न हों अथवा जो ऐसे भू—गृहादि पर जो {निगम}[1] के न हों, {निगम}[1] निधि से किये गये व्यय से उक्त भू—गृहादि के स्वामी या अध्यासी के प्रयोग या लाभ के लिये बनाये, खड़े या स्थापित किये गये हो का निरीक्षण और परीक्षण कर सकेगा। ऐसी नालियों आदि का, जो {निगम}[1] की न हों, निरीक्षण और परीक्षण हो सकेगा।

(2) मुख्य नगराधिकारी उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या परीक्षण करते समय, किसी ऐसे व्यापारिक व्यर्थ द्रव्य पदार्थ का नमूना प्राप्त कर सकता है या ले जा सकता है, जो ऐसे भू—गृहादि से बहकर, जिसका निरीक्षण या परीक्षण किया गया हो, किसी {निगम}[1] नाली में जाता हो, उस नमूने का विश्लेषण विहित रीति से किया जायगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन लिये गये नमूने के विश्लेषण का परिणाम इस अधिनियम के अधीन किसी विधिक कार्यवाही में साक्ष्य रूप में ग्राहय होगा।

256—— उक्त निरीक्षण या परीक्षण के प्रयोजन के लिये मुख्य नगराधिकारी किसी ऐसी भूमि या नाली के किसी भाग या अन्य निर्माण कार्य को, जो भवन के बाहर हों, जिसे वह ठीक समझे, खुलवा, तुड़वा या हटवा सकता है : निरीक्षण या परीक्षण के प्रयोजनों के लिये भूमि आदि को खोलने का अधिकार

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा निरीक्षण और परीक्षण करने में यथासंभव कम से कम क्षति पहुंचायी जायगी।

257—— जब धारा 255 के अधीन किये गये निरीक्षण या परीक्षण के फलस्वरूप मुख्य नगराधिकारी को यह पता चले कि कोई नाली, संवीजन—दंड या पाइप, नलकूप, घर का जलमार्ग नाबदान, संडास, शौचालय, मूत्रालय या स्नान करने या धुलाई का स्थल चालू या अच्छी दशा में नहीं है अथवा सिवाय उस दशा में जब वह मुख्य नगराधिकारी की आज्ञा से या उसके अधीन बनाया गया हो, यदि वह इस अधिनियम, नियमावली या उपविधियों या तत्समय प्रचलित किसी विधायन का उल्लंघन करके बनाया गया हो, तो मुख्य नगराधिकारी स्वामी को लिखित नोटिस देकर मांग कर सकता है कि वह दोष को ऐसी रीति से दूर कर दे, जिसे वह किसी प्रचलित नियमावली या उपविधि के अधीन रहते हुए, आदिष्ट करे। मुख्य नगराधिकारी मरम्मत आदि कराने की मांग कर सकता है ।

सामान्य उपबन्ध

258—— (1) कोई व्यक्ति —— ऐसे कार्यों का प्रतिवेश, जो इस अधिनियम, नियमावली या उपविधियों का उल्लंघन करते हों या जो बिना स्वीकृति किय गये हैं।

(क) इस अधिनियम, नियमावली या उपविधियों के उपबन्धों या इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये किसी नोटिस या दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करके या मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुमति के बिना किसी भी प्रकार से किसी नाली, संवीजन—दंड या पाइप, नलकूप, नाबदान, संडास, शौचालय या मूत्रालय या स्नान करने या धुलाई के स्थल या उससे संबद्ध जाली आवरण या अन्य संधायन या उपकरणों के स्थापन, विन्यास या स्थिति को नहीं बदलेगा, न उनका निर्माण करेगा, न उन्हें खड़ा करेगा न स्थापित करेगा न उनका नवीकरण करेगा, न उन्हें पुनर्निर्मित करेगा, न हटायेगा न अवरुद्ध करेगा, न रुकवायेगा, नष्ट करेगा और न उनमें परिवर्तन करेगा,

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुमति के बिना किसी नाली, संवीजन—दंड या पाइप, मलकूप, नाबदान, संडास, शौचालय, मूत्रालय या स्नान करने या धुलाई के स्थल या किसी संधायन या उपकरण को, जो इस अधिनियम या नियमावली या उपविधियों के उपबन्धों के अधीन रोक दिया गया है, गिरा दिया गया है या बन्द कर दिया गया है या जिन्हें संबंध में ऐसा करने की आज्ञा दे दी गयी है, नवीकृत पुनर्निर्मित या चालू नहीं करेगा।

(ग) मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुमति के बिना किसी नाली, नलकूप घर के जलमार्ग, नाबदान, संडास, शौचालय या मूत्रालय या स्नान करने या धुलाई के स्थल के ऊपर या उस पर अनियिमित रूप से किसी आंगे निकले हुए भाग अथवा अतिक्रमण को निर्मित नहीं करेगा, न किसी भी प्रकार से उन्हें क्षति पहुंचायेगा, न पहुंचाने देगा और न क्षति पहुंचाने की अनुमति देगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस खंड की कोई बात तीन फीट से अनधिक चौड़ाई की किसी ऐसे बरसाती पर लागू न होगी, जो किसी ऐसी खिड़की पर लगी हुई हो, जो पार्श्वर्ती घर की दीवाल या खिड़की के समाने न हों,

(घ) किसी नाली में कोई ईट, पत्थर, मिट्टी, राख, गोबर या ऐसी वस्तु या पदार्थ न गिरायेगा, न डालेगा, न रखेगा, न गिरवायेगा डलवायेगा या रखवायेगा न गिराने, डालने या रखने की अनुमति देगा, जिससे नाली को क्षति पहुंचने या उसमें बहने वाली वस्तुओं को निर्बाध रूप से बहने में बाधा पड़ने की संभावना हो या जिससे उसमें बहने वाली वस्तुओं के व्यवहार या निस्तारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो या जिससे उसमें बहने वाली वस्तुओं के व्यवहार या निस्तारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो,

(ङ) किसी विशेष प्रयोजन के लिये उपबन्धित नाली में कोई ऐसा पदार्थ या तरल पदार्थ न डालेगा, न डलवायेगा, न डालने की अनुमति देगा, जिसके ले जाने के लिये उस नाली की व्यवस्था न की गई हो।

(च) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन की गयी व्यवस्था के अननुकूल किसी नाली में कोई रासायनिक असार वस्तु या बेकार जाने वाला वाष्प या ऐसा तरल पदार्थ, जिसका तापमान 120 डिग्री फारेनहाईट से अधिक हो और जो ऐसी असार वस्तु या वाष्प हो, जो इस प्रकार से व्यवहृत होने पर चाहे स्वतः या नाली में बहने वाली वस्तु से मिलकर खतरनाक हो उठे या अपदूषण का कारण हो या स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो, न डलवायेगा और न डालने देगा।

(छ) किसी नाली में कार्बाइट आफ कैल्शियम या कोई ऐसा कच्चा पेट्रोल, कोई ऐसा तेल जो पेट्रोल से बनाया गया हो, कोयला, शेल, पत्थर या राल मिश्रित वस्तु या कच्चे पेट्रोल से बनी हुई वस्तु या ऐसा पदार्थ या मिश्रण, जिसमें पेट्रोल हो और जिसकी जांच करने पर उसमें 73 डिग्री फारेनहाइट से कम तापमान पर शीघ्र जलने वाली वाष्प निकलती हो, न डलवायेगा और न डालने देगा।

(2) यदि उपधारा (1) के खंडों के प्रतिकूल कोई निर्माण—कार्य सम्पादित करने या अन्य कार्य करने वाला व्यक्ति नोटिस के समय उन भवन या निर्माण—कार्य का स्वामी न हो तो उस भवन या निर्माण—कार्य का स्वामी ऐसे सभी कार्यों को सम्पादित करने के लिये उसी प्रकार उत्तरदायी समझा जायेगा जिस प्रकार ऐसा करने वाला व्यक्ति उत्तरदायी होगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

259—— (1) कोई व्यक्ति, किसी नाबदान, संडास, मूत्रालय या स्नान करने या धुलाई के स्थल या उससे संबद्ध किसी संधायन या उपकरण को, जिसकी व्यवस्था एक या एकाधिक भवनों के निवासियों के संयुक्त प्रयोग के लिये की गई हो, न तो क्षति पहुंचायेगा और न उसे कलुषित करेगा।

नवदान को न क्षति पहुंचायी जायगी और न उसे अनुचित रूप से गन्दा किया जायगा।

(2) यदि ऐसा नाबदान, संडास, मूत्रालय या स्नान करने या धुलाई के स्थल या उनसे सम्बद्ध कोई संधयान या उपकरण या उन तक पहुंचाने के मार्ग या उसकी दीवालें, फर्श या स्थान या उस संबंध में प्रयोग में आने वाली को वस्तु उचित रूप से उसकी सफाई न होने के कारण ऐसी दशा में हो कि उस स्थान के निवासियों या बटोहियों के लिये अपदूषण या उद्वेजन का कारण हों उनका प्रयोग करने वाले ऐसे व्यक्तियों के सबंध में जो दोषी हों, अथवा इस बात के साक्ष्य न होने पर कि उनका संयुक्त प्रयोग करने वालों में से कौन व्यक्ति दोषी है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में यह समझा जायगा कि उसने इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

(3) इस धारा के उपबन्धों के कारण भवन या भवनों का स्वामी किसी ऐसे दंड से मुक्त न होगा, जिसका कि वह अन्यथा भागी होता।

260—— राज्य सरकार आज्ञा द्वारा, जो सरकारी गजट में प्रकाशित की जायगी, किसी क्षेत्र पर, जो आज्ञा में निर्दिष्ट किया जायगा, किन्तु जो नगर सीमाओं से 2 मील से दूरी पर न हो, इस, अध्याय की किसी धारा और उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्ध ऐसे अनुकूलनों चाहे वे संशोधन, परिबर्धन या लोप के रूप में हों—के अधीन रहते हुए जो उसे आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो, लागू कर सकती है और तदुपरान्त इस प्रकार लागू किये गये उपबन्धों और नियमों का उस क्षेत्र पर वही प्रभाव होगा मानों वह नगर के भीतर हो।

राज्य सरकार नगर की सीमा के बाहर अनुच्छेद के उपबन्ध प्रसातिर कर सकती है।

261—— कोई व्यक्ति जो ——

अपीलें

(क) धारा 229 की उपधारा (1) के अधीन की गई घोषणा से क्षुब्ध हो, या

(ख) धारा 230 की उपधारा (1) के अधीन नाला या नाले जोड़ने के नोटिस से क्षुब्ध हो : या,

(ग) धारा 235 की उपधारा (1) के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा किसी नाली को भिन्न प्रकार से बनाने के आदेश से क्षुब्ध हो, या

(घ) मुख्य नगराधिकारी के धारा 236 के अधीन इस आशय के नोटिस से क्षुब्ध हो कि वह किसी जोड़ को बन्द करना, गिराना, बदलना, या फिर से बनवाना चाहता हो, या

(ङ) मुख्य नगराधिकारी की धारा 237 की उपधारा (1) के अधीन ऐसी आज्ञा से क्षुब्ध हो, जिसमें किसी स्वामी या अध्यासी को इस बात का प्राधिकार दिया गया हो कि वह अपनी नाली को किसी अन्य व्यक्ति की भूमि में या भूमि के बीच से या उसके नीचे से ले जाये, या

(च) मुख्य नगराधिकारी के धारा 237 की उपधारा (6) के अधीन इस आशय के नोटिस से क्षुब्ध हो कि उसने किसी भू—गृहादि के स्वामी या अध्यासी को यह आदेश दिया है कि वह नाली को एक विशेष रीति से बन्द करे, हटाए या उसका मार्ग परिवर्तित करें, या

(छ) मुख्य नगराधिकारी के धारा 239 के अधीन नोटिस से क्षुब्ध हो, या

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ज) मुख्य नगराधिकारी के धारा 242 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन नोटिस से या खंड (ख) के अधीन किसी आदेश या नोटिस से क्षुब्ध हो, या

(झ) धारा 252 की उपधारा (3) के अधीन मुख्य नगराधिकारी के इस आशय के नोटिस से क्षुब्ध हो कि उसका विचार किसी नाबदान या संडास को बन्द करने अथवा बदलने या गिरा देने का है, या

(ञ) धारा 257 के अधीन ऐसे नोटिस से क्षुब्ध हो, जिसमें स्वामी को किसी धुलाई स्थल के दोषों को दूर करने का आदेश दिया गया हो;

तो वह विहित अवधि के भीतर और विहित रीति से न्यायाधीश के समक्ष अपील कर सकता है।

नियम बनाने के अधिकार

262–– (1) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकती है।

(2) पूर्वगामी अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है–

(क) धारा 229 की उपधारा (3) के अधीन दिए गए किसी नोटिस के सम्बन्ध में आपत्तियां प्रस्तुत करना और उनका निस्तारण,

(ख) वे शर्तें और निबन्धन जिनका नालियों के सम्बन्ध में पालन किया जायगा,

(ग) नालियों का निर्माण, संधारण, सुधार, परिवर्तन या बन्द कर दिया जाना,

(घ) {निगम}[1] नालियों से अन्य नालियां जोड़ने की शर्तें,

{(ङ) शर्तें जिन पर व्यापारिक भू–गृहादि के अध्यासी किसी व्यापारिक व्यर्थ द्रव पदार्थ को {निगम}[1] नालियों में उत्सर्जित कर सकत हैं,

(च) वह रीति जिससे व्यपारिक व्यर्थ द्रव पदार्थों के नमूनों का विश्लेषण किय जायगा,

(छ) शर्तें जिनकी धारा 249 के अधीन संवीजन–दंडों या पाइपों को खड़ा करने या लगाने में पालन किया जायगा,

(ज) नाबदानों संडानों, मूत्रालयों, स्नान करने या धुलाई के सीलों का निर्माण, स्थित और संधारण,

(झ) वह रीति, जिससे मुख्य नगराधिकारी धारा 255 ओर 256 के अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा,

(ञ) धारा 255 और 256 के अधीन निरीक्षण या परीक्षण करने के ब्यियों का भुगतान,

(ट) धारा 261 के अधीन अपील प्रस्तुत करने और उसके निस्तारण की रीति और अवधि, जिसके भीतर अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

अध्याय 11

जल सम्भरण (Water Supply)

{निगम}[1] की जलकल(waterwork) का निर्माण तथा संधारण

जलकलों के निर्माण, संचालन अथवा बन्द करने के संबंध में {निगम}[1] के अधिकार

263–– नगर में सार्वजनिक तथा निजी प्रयोजनों के लिए अच्छे तथा पर्याप्त जल के सम्भरण की व्यवस्था करने के हेतु मुख्य नगराधिकारी इस अधिनियम के प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए, नगर के भीतर या बाहर जलकलों का निर्माण, संधारण, मरम्मत, परिवर्तन, विकास और विस्तार कर सकता है अथवा ऐसी किसी जलकल को बंद कर सकता है और उसके स्थान पर इसी प्रकार के अन्य कल स्थापित कर सकता है तथा पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए ऐसे सम्पूर्ण कार्य कर सकता है जो प्रासंगिक अथवा आवश्यक हों, जिनमें विशेष रूप से –

(1) किसी सड़क अथवा स्थान के बीच, आर–पार ऊपर या नीचे तथा किसी भवन अथवा भूमि के स्वामी या अध्यासी को लिखित रूप से समुचित नोटिस देने के बाद उस भवन अथवा भूमि में, उस से होकर तथा उसके ऊपर या नीचे उक्त कलों का ले जाना।

(2) {निगम}[1] की सीमाओं के भीतर या बाहर किसी प्रकार की जलकल को अथवा जल संचय करने, उससे ले जाने या स्थानांतरित करने के अधिकारों को क्रय करना या पट्टे पर लेना सम्मिलित है।

जलकलों का निरीक्षण

264–– (1) राज्य सरकार धारा 263 में निर्दिष्ट किसी जलकर या जल संबंध के निरीक्षण के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है और ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार के किसी जल संबंध अथवा जलकल से सम्बद्ध भूमि में प्रवेश या उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(2) मुख्य नगराधिकारी अथवा उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति, किसी जलकर या जल संबंध में, उस पर या उसके संबंध में निरीक्षण, मरम्मत या किसी निर्माण कार्य के संपादन के प्रयोजन से समस्त उचित समयों में :–

(क) नगर के भीतर या बाहर किसी ऐसी भूमि में–चाहे किसी में भी विहित क्यों न हो–प्रवेश कर सकता है अथवा उससे होकर गुजर सकता है जो इस प्रकार के जनकल या जल संबंध से मिली हुई हो या उसके निकट हो,

(ख) उक्त किसी भूमि पर और उस से होकर समस्त आवश्यक व्यक्तियों, सामग्रियों, औजारों तथा उपकरणों को ले जाने की व्यवस्था कर सकता है।

(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार का प्रयोग करने में कम से कम क्षति पहुंचायी जायगी। उक्त अधिकारों में से किसी के प्रयोग करने में यदि कोई क्षति पहुंचे तो उसकी पूर्ति {निगम}[1] की निधियों में से की जायगी।

(4) यदि उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई व्यक्ति नियुक्त किया गया हो वह यथाशक्य शीघ्र मुख्य नगराधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और मुख्य नगराधिकारी अविलम्ब उसे कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखेगा। तत्पश्चात्, कार्यकारिणी समिति उसे अपनी टिप्पणियों सहित राज्य सरकार के पास भेज देगी।

(5) राज्य सरकार कार्यकारिणी समिति की रिपोर्ट टिप्पणियों सहित, यदि कोई हों, प्राप्त होने पर उस पर विचार करेगी और {निगम}[1] को अपने निर्णयों की सूचना देगी तथा {निगम} उक्त प्रयोजन के लिए निधि प्राप्य होने पर राज्य सरकार के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये बाध्य होगी।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

महापालिका द्वारा आग बम्बों की व्यवस्था

265–– आग लग जाने पर उससे बचाव के लिए जल सम्भरण के निमित्त तथा सम्पूर्ण प्रासंगिक कार्यों के लिए मुख्य नगराधिकारी ऐसे समस्त स्थानों पर, जिन्हें आवश्यक समझा जायगा, आग बम्बों की व्यवस्था, संधारण तथा मरम्मत करेगा।

जल प्रणाली आदि को ले जाने का अधिकार

266–– (1) नगर के भीतर या उसके बाहर जलप्रणाल पाइप और प्रणाली ले जाने, उन्हें नयी करने और उनकी मरम्मत करने के प्रयोजनों के लिए मुख्य नगराधिकारी को वही अधिकार प्राप्त होंगे, और वह उन्हें प्रतिबन्धों के अधीन रहेगा, जो उसे नगर के भीतर नालियां ले जाने, उन्हें नही करने और उनकी मरम्मत करने के सम्बन्ध में पहिले दिए हुए उपबन्धों के अधीन प्राप्त है और जिनके वह अधीन हैं।

(2) यह धारा निजी जल–प्रणाली, पाइप तथा प्रणाली के ले जाने, उन्हें नयी करने और उनकी मरम्मत करने के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होगी, जैसे वह {निगम}[1] जल–प्रणाली, पाइप और प्रणाली के ले जाने, उन्हें नयी करने और उनकी मरम्मत करने के संबंध में लागू होती है।

महापालिका के जलकलों पर प्रभाव डालने वाले कुछ कार्यों का प्रतिषेध

267–– (1) मुख्य नगराधिकारी की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना कोई व्यक्ति किसी भवन, दीवाल, या किसी प्रकार के ढांचे का निर्माण अथवा पुनर्निर्माण न करेगा अथवा किसी {निगम}[1] जल–प्रणाली के ऊपर कोई सड़क अथवा छोटी रेलवे का निर्माण न करेगा।

(2) {निगम}[1] की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई भी व्यक्ति ––

(क) उक्त क्षेत्र के किसी ऐसे भाग में किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भवन का निर्माण न करेगा, जो किसी झील, तालाब, कुओं, जलाशय या नदी के निकट, जहां से {निगम}[1] के जलकलों के लिए पानी लिया जाता हो, मुख्य नगराधिकारी द्वारा सीमांकित कर दिया जायगा,

(ख) उपर्युक्त क्षेत्र के सीमांकन निर्माण–कार्यों को न हटायेगा, न परिवर्तित करेगा, न उन्हें हानि या क्षति पहुंचायगा और न उनमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप करेगा,

(ग) किसी ऐसे भवन को, जो उपर्युक्त क्षेत्र में पहले से स्थित हो, न तो विस्तार करेगा, न उसमें परिवर्तन करेगा और न उसे किसी ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयुक्त करेगा जो उस प्रयोजन के लिए भिन्न हो जिसके लिए वह अभी तक प्रयुक्त होता रहा हो, या

(घ) उपर्युक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार से वस्तु–निर्माण व्यापार या कृषि का कोई कार्य नहीं करेगा और न कोई ऐसा कार्य करेगा, जिससे ऐसा किसी झील, तालाब, कुए, जलाशय या नदी या उनके किसी भाग को हानि पहुचे या जिससे ऐसी झील, तालाब, कुआं, जलाशय या नदी का पानी कलुषित या कम स्वास्थ्यप्रद हो जाय,

(3) उस दशा में छोड़कर जिसकी आगे व्यवस्था की गई है, कोई भी व्यक्ति ––

(क) किसी {निगम}[1] जल–कल में अथवा उस पर न तो कोई पदार्थ गिरवायेगा अथवा बहवायेगा और न ऐसा होने देगा अथवा उसमें या उस पर, न कोई ऐसी चीज ही डलवायेगा अथवा कोई ऐसा कार्य ही करवायेगा, जिससे उसका पानी किसी प्रकार कलुषित अथवा दूषित हो जाय, अथवा उसके गुण में कोई परिवर्तन आ जाय,

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) {निगम}[1] की किसी ऐसी भूमि को, जो उक्त जल–कल से मिली हुई हो या उसके किसी भाग के रूप में हो, खोदकर या उस पर कोई वस्तु जमा करके उसके धरातल में कोई परिवर्तन न करेगा।

(ग) उक्त जल–कल के पानी में किसी पशु का प्रवेश न करायेगा और न करने देगा,

(घ) उक्त जल–कल के पानी में या उसके ऊपर न तो कोई वस्तु फेंकेगा और न रखेगा, या

(ङ) उक्त जल–कल में या उसके निकट स्नान नहीं करेगा, या

(च) उक्त जल–कल में या उसके निकट किसी पशु या वस्तु को न तो धोयेगा और न धुलवायेगा।

धारा 267 का उल्लंघन करके किए जाने वाले कार्यों के विरुद्ध कार्यवाही तथा जल–सम्भरण के किसी स्रोत के निकट शौचाल्यों आदि का हटाया जाना

268–– (1) यदि धारा 267 की उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करके कोई भवन, दीवाल या ढांचा निर्मित या पुनर्निमित किया जाय, अथवा यदि धारा 267 की उपधारा (2) के खंड (क) उल्लंघन करके कोई भवन निर्मित किया जाय तो मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से, उसे हटवा सकता है अथवा उसके सम्बन्ध में अन्य ऐसी कार्यवाही कर सकता है, जिसे वह उचित समझे और ऐसा करने में जो व्यय होगा वह दोषी व्यक्ति द्वारा बहन किया जायगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति धारा 267 की उपधारा (2) के खंड (ख) (ग) और (घ) के उपबन्धों का बार–बार उल्लंघन करे तो मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से पूर्वाक्त खंडों के उपबन्धों का और आगे उल्लंघन रोकने के लिए कार्यवाही कर सकता है जिसमें ऐसा न्यूनतम बल प्रयोग भी जो, आवश्यक हो, सम्मिलित है।

(3) मुख्य नगराधिकारी नोटिस द्वारा किसी स्वामी या अध्यासी को जिसकी भूमि पर कोई नाली, संडास, शौचालय, मूत्रालय, मलकूप अथवा कूडा–करकट या मैला रखने को कोई पात्र, किसी सोते, कुएं, तालाब, जलाशय, नदी या किसी अन्य स्रोत से, जहां से सार्वजनिक प्रयोग के लिए पानी लिया जाता हो या लिया जा सकता है, 50 फीट के अन्दर हो, उस नोटिस के तामील होने से एक सप्ताह के भीतर उसे हटाने अथवा बन्द करने के आदेश दे सकता है और यदि निर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त व्यक्ति आदेशानुसार कार्य नहीं करता तो मुख्य नगराधिकारी उसे हटवा अथवा बंद करवा देगा और ऐसा करने में जो व्यय होगा वह दोषी व्यति द्वारा वहन किया जायगा।

जल–कर लगाने वाली {निगम}[1] का आभार

269–– यदि किन्हीं भवनों या भूमि पर जल–कर लगाया जाता है तो मुख्य नगराधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे भवनों या भूमि के स्वामियों या अध्यासियों के लिए जल सम्भरा की व्यवस्था ऐसे उस रीति से, ऐसे समय में और इतनी मात्रायें करें, जो नियमों द्वारा विहित की जाय :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी दुर्घटना असाधारण, सूखा पड़ने के कारण अथवा अन्य किन्हीं अनिवार्य कारणों से {निगम}[1] जल का सम्भरण नहीं कर पाती तो वह एतदर्थ किसी प्रकार की जब्ती दंड या क्षति का उत्तरदायी नही होगी।

जल के सकपट तथा अनधिकृत प्रयोग का प्रतिषेध

270–– (1) कोई भी व्यक्ति उसे {निगम}[1] द्वारा सम्भरित किसी प्रकार के जल का सकपट निस्तारण नहीं करेगा।

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) कोई व्यक्ति, जिसे {निगम}[1] द्वारा निजी काम के लिए जल सम्भरित किया गया हो, सिवाय ऐसी स्थिति के जब जल के सम्भरण के लिए माप के अनुसार शुल्क लिया जाय, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसे भू–गृहादि में नही रहता, जिसके सबंध में जलकर दिया जाता हो, उस भू–गृहादि से जहां जल सम्भरित किया जाता हो, जल ले जाने की अनुमति नहीं देगा।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो किसी ऐसे भू–गृहादि में नहीं रहता, जिसके सम्बन्ध में जल–कर दिया जाता हो, किसी ऐसे भू, गृहादि से, जिसे {निगम}[1] द्वारा निजी काम के लिए जल सम्भरित किया गया हो, तब तक जल नहीं ले जाएगा जब तक कि वह यदि जल सम्भरण का शुल्क माप के अनुसार दिया जाता हो, एतदर्थ उस व्यक्ति की अनुमति न ले ले, जिसे उक्त प्रकार से जल सम्भरित किया गया हो।

नियम बनाने का अधिकार

271–– (1) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकती है।

(2) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस प्रकार के नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है–––

(1) {निगम}[1] की सीमाओं के भीतर किसी निजी जल मार्ग आदि का संधारण, सफाई, कुशल संचालन तथा उसका बन्द किया जाना,

(2) किसी ऐसे कुए, तालाब या अन्य स्थानों के जहां से पीने के लिए जल लिया जा सकता हो, निरीक्षण तथा कीटाणु रहित करने के निमित्त उपयुक्त कार्यवाहियों की व्यवस्था तथा ऐसी कार्यवाहियां जो उन से पानी निकालने को रोकने के लिए आवश्यक समझी जायं,

(3) {निगम}[1] की सीमाओं के भीतर भूमि या भवन के किसी स्वामी या अध्यासी को अनुबन्ध द्वारा पानी का सम्भरण तथा एतदर्थ शर्तें और दरें,

(4) जल–स्म्भरण के प्रयोजन,

(5) अन्य समस्त प्रयोजनों की अपेक्षा घरेलू प्रयोजनों के लिए जल–सम्भरण को प्राथमिकता देना,

(6) पानी के मीटर तथा योजक पाइपों का लगाना,

(7) मीटरों, पाइपों बम्बों, पंपों पानी निकालने के बम्बों का आकार तथा प्रकार और वह रीति, जिससेवे सुचारूप से जल–सम्भरण करने के निमित्त लगाये जायंगे, बनाए जायंगे, नियंत्रित किए जायंगे अथवा संधारित किए जायेंगे,

(8) प्रणाली या पाइप, जिन्में आग डट्टे लगाए जाने वाले हों और वे स्थान जहां इन आग डट्टों की कुंजियों जमा की जाय,

(9) {निगम}[1] द्वारा सम्भरित किए जाने वाले जल का किसी अर्ह विश्लेषक द्वारा आवधिक विश्लेषण,

(10) {निगम}[1] की सीमाओं के भीतर या बाहर स्थित जल–सम्भरण के स्रोतों तथा साधनों और जल वितरण के उपकरणों का संरक्षण और उन्हें हानि पहुंचने अथवा दूषित होने से बचाना,

(11) वह रीति, जिससे जल–कलों से जल के सबंध लगाये जायेंगे या संधारित किए जायेंगे और वह अभिकरण, जो उक्त निर्माण अथवा संधारण के लिए प्रयुक्त किया जायगा या किया जा सकता है,

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(12) जल–सम्भरण व्यवस्था के संबंध में सभी मामलों का विनियम जिसमें टोंटी खोलना या बन्द करना और पानी को नष्ट होने से बचाया भी सम्मिलित है, और

(13) {निगम}[1] की सीमाओं के बाहर जल–सम्भरण की व्यवस्था करना और ऐसे सम्भरण से संबंद्ध जल–करों तथा परिव्यियों की वसूली और करों को न देने से संबंद्ध मामलों की रोकथाम।

अध्याय 12

सड़कें

सड़कों का निर्माण, संधारण और सुधार

सार्वजनिक सड़कों का {निगम} में निहित होना

272–– (1) समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा किये गये किसी विशेष रक्षण के अधीन रहते हुए नगर की सभी सड़कें, जो सार्वजनिक सड़कें हों या हो जायें–सिवाय उन सड़कों के जो निश्चित दिन पर राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई हों या जो उक्त दिन के पश्चात् {निगम}[1] से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा निर्मित और संधारित की जांय–उनकी मिट्टी नीचे से मिट्टी तथा किनारे की नालियों, पगडंडियों, खड़ंजों, पत्थरों और उनके अन्य सामान के सहित {निगम}[1] में निहित हो जायेंगी और मुख्य नगराधिकारी के नियंत्रण में रहेंगी।

(2) राज्य सरकार {निगम}[1] से परामर्श करने के पश्चात् विज्ञाप्ति द्वारा उक्त किसी सड़क को, उसकी मिट्टी, नीचे की मिट्टी तथा किनारे की नालियों, पगडंडियों, खड़ंजों, पत्थरों, तथा उनके अन्य सामान सहित {निगम}[1] के नियंत्रण से वापस ले सकती है।

सार्वजनिक सड़कों के संबंध में मुख्य नगराधिकारी का अधिकार

273–– (1) मुख्य नगराधिकारी समय–समय पर सभी सार्वजनिक सड़कों को जो {निगम}[1] में निहित हों, समतल करायेगा, पक्की या खड़ंजे की करायेगा, उनमें नालियां बनवायेगा, उन्हें परिवर्तित करायेगा और उनकी मरम्मत करायेगा जैसा कि उस समय अपेक्षित हो और समय–समय पर किसी सड़क को चौड़ी अथवा विस्तृत करा सकता है या अन्य प्रकार से भी सुधार करा सकता है या उसकी मिट्टी को ऊंची नीची या परिवर्तित करा सकता है, वह पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिये बाड़े या खंभे भी लगवा सकता है और उसकी मरम्मत करा सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगराधिकारी किसी सार्वजनिक सड़क को चौड़ी करने, विस्तृत करने या उसमें अन्य सुधार करने का ऐसा कार्य जिसकी कुल लागत पांच हजार रुपये से या उससे भी बड़ी ऐसी धनराशि से अधिक हो, जिसे {निगम}[1] समय–समय पर निश्चित करें तब तक नहीं करायेगा, जब तक कि ऐसा किया जाना {निगम}[1] द्वारा प्राधिकृत न किया गया हो।

(2) {निगम}[1] की स्वीकृति से, जो तदर्थ प्रचलित नियमों और उप–विधियों के अनुसार दी गई हो, मुख्य नगराधिकारी {निगम}[1] में निहित किसी सम्पूर्ण सार्वजनिक सड़क को या उसके किसी भाग को मोड़ सकता है, उसका मार्ग बदल सकता है अथवा उसका सार्वजनिक उपयोग रोक सकता है या उसे स्थायी रूप से बन्द कर सकता है और उसके इस प्रकार बन्द किये जाने पर राज्य सरकार और {निगम}[1] की पूर्व स्वीकति से उस सड़क के या उसके उस भाग के, जो बन्द कर दिया गया हो, स्थल का इस प्रकार निस्तारण कर सकता है मानों वह {निगम}[1] में निहित कोई भूमि हो।

नई सार्वजनिक सड़कें बनाने का अधिकार

274–– मुख्य नगराधिकारी जब वह {निगम}[1] द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किया गया हो, किसी भी समय–

(क) नई सार्वजनिक सड़क का विन्यास कर सकता है और उसे बना सकता है,

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) किसी व्यक्ति से उसकी भूमि से होकर सार्वजनिक प्रयोग के लिये या तो पूर्णतः उस व्यक्ति के व्यय से या अंशतः उस व्यक्ति के व्यय से और अंशतः {निगम}[1] के व्यय से सड़क बनाने का करार कर सकता है और यह भी करार कर सकता है कि ऐसी सड़क पूरी हो जाने पर, सार्वजनिक सड़क हो जायगी और {निगम}[1] में निहित हो जायेगी,

(ग) नई सार्वजनिक सड़क बनाने और उसके विन्यास के लिये सहायक सुरंगें, पुल, रपटें, और अन्य निर्माण–कार्य करा सकता है,

(घ) {निगम}[1] में निहित किसी वर्तमान सड़क या उसके किसी भाग को बदल सकता है या उस मोड़ सकता है।

नई सार्वजनिक सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई

275–– (1) {निगम}[1], समय–समय पर सार्वजनिक सड़कों की विभिनन श्रेणियों के लिये यातायात, जिसके उन सड़कों पर होने की संभावना है, के प्रकार स्थान जहां वे स्थिति है, ऊंचाई जहां तक सड़कों से लगे भवन बनाये जा सकते हैं तथा इसी प्रकार की अन्य बातों के अनुसार न्यूनतम चौड़ाई निर्दिष्ट करेगा।

(2) धारा 274 के अधीन बनाई गई किसी नई सड़क की चौड़ाई उस चौड़ाई से कम न होगी, जो उपधारा (1) के अधीन उस श्रेणी के लिये विहित की गई हो, जिसके अन्तर्गत वह आती हो और कोई सीढ़ियां तथा धारा 293 के अधीन मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुमति के बिना अन्य बाहर निकले हुए भाग ऐसी सड़क के ऊपर बाहर न निकले रहेंगे, या सड़क तक आगे न बढ़े रहेंगे।

(3) मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से लिखित नोटिस द्वारा किसी भू–गृहादि के स्वामी अथवा अध्यासी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उपधारा (1) के अधीन नियत किसी सड़क की कम से कम चौड़ाई के भीतर स्थित बाहर निकले हुये भाग को हटावे या उसके संबंध में ऐसी कार्यवाही करे, जिसका वह निदेश दे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहां बाहर निकला हुआ भाग विधितः खड़ा किया गया था या बनाया गया था तो उस दशा में मुख्य नगराधिकारी द्वारा प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसे उसके हटाने या परिवर्तित करने से हानि या क्षति पहुंचे, प्रतिकर दिया जायगा।

किसी उपमार्ग, पुल आदि को अपना लेने, निर्मित करने या परिवर्तित करने का अधिकार

276–– मुख्य नगराधिकारी {निगम}[1] द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किये जाने पर किसी व्यक्ति के साथ '–

(क) किसी वर्तमान या प्रस्तावित उपमार्ग, पुल या मेहराब और उन तक पहुंचने वाले मार्ग को अपनाने और संधारित करने का करार कर सकता है और तद्नुसार ऐसे उपमार्ग, पुल, उत्तार या मेहराब और उन तक पहुंचने वाले मार्गों को सार्वजनिक सड़कों के रूप में या {निगम}1 में निहित सम्पत्ति के रूप में अपना सकता है और संधारित कर सकता है, या

(ख) किसी ऐसे उपमार्ग, पुल, उत्तार या मेहराब के निर्माण या परिवर्तन के लिये या उनके शिलान्यास और मजबूती के लिये या उन तक पहुंचने वाले मार्गों के लिये अपेक्षित किसी पार्श्ववर्ती भूमि को या तो पूर्णतः उस व्यक्ति के व्यय से या अंशतः उसके व्यय से और अंशतः {निगम}[1] के व्यय से क्रय करने या अर्जित करने के लिये करार कर सकता है।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

कुछ प्रकार के यातायात के लिए सार्वजनिक सड़कों का प्रयोग प्रतिषिद्ध करने का अधिकार

277—— (1) मुख्य नगराधिकारी के लिये {निगम}[1] की स्वीकृति होने पर यह बैध होगा कि वह —

(क) किसी सार्वजनिक सड़क विशेष पर, जो {निगम}[1] में नहित हो, उसके या उसके किसी भाग के दोनों सिरों पर खंभे गाड़ कर वाहनों के यातायात का प्रतिषेध करे, जिससे जनता की विपत्ति, अवरोध अथवा असुविधा का निवारण हो सके।

(ख) सभी सार्वजनिक सड़कों या विशेष सार्वजनिक सड़कों के संबंध में, सिवाय, समय संकर्षण या प्रचलन के ढंग पथ—परिवहन की सुरक्षा के लिये उपकरणों के प्रयोग, बत्तियों और सहायकों की संख्या और अन्य सामान्य पूर्वोपायों और विषेश परिव्ययों के भुगतान के संबंध में ऐसी शर्तों के अधीन, जो प्रतयेक मामलें में सामान्य रूप से या विशेष रूप से मुख्य नगराधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की जायं, किसी ऐसे बाहन के आने जाने का प्रतिषेध कर, जिसका रूप, बनावट, भार या आकर ऐसा हो या जिन पर ऐसी भारी या वेसंभाल वस्तुयें लदी हों कि उनसे सड़क—पथों या उन पर बने किसी भवन आदि को क्षति पहुंचना संभव समझा जाय या ऐसी सड़क या सड़कों पर, उनके ऊपर चलने वाले अन्य वाहनों या पैदल चलने वालों को खतरा या अवरोध पहुंचना संभव समझा जाय।

(2) ऐसे प्रतिषेधों के जो उपधारा (1) के अधीन आरोपित किये जायें, नोटिस सम्बद्ध सार्वजनिक सड़कों या उनके भागों के दोनों सिरों पर या उनके समीप प्रमुख स्थानों पर चिपका दिये जायेंगे, जब तक कि वे प्रतिषेध सामान्यता सभी सार्वजनिक सड़कों पर लागू न हों।

सर्वजनिक सड़कों के सुधार के लिए भू—गृहादि को अर्जित करने का अधिकार

278—— (1) इस अधिनियम के उपबन्धों तथा नियमों के अधीन रहते हुये मुख्य नगराधिकारी ——

(क) किसी सार्वजनिक सड़क पुल या उप मार्ग को खोलने, चौड़ा करने बढ़ाने बदलने या उसमें अन्यथा सुधार करने के प्रयोग के लिये या किसी नई सार्वजनिक सड़क, पुल या उप—मार्ग के बनाने के लिये अपेक्षित किसी भूमि और उस पर स्थित भवनों, यदि कोई हों, को अर्जित कर सकता है।

(ख) उक्त भूमि और उस पर स्थित भवन यदि कोई हों, के अतिरिक्त, ऐसी सभी भूमि को, भी उस पर स्थित भवनों, यदि कोई हों, सहित, जिसे ऐसी सड़क की नियमित पंक्ति अथवा अभिप्रेत नियमित पंक्ति के बाहर अर्जित करना, उसे सार्वजनिक हित में इष्टकर प्रतीत हो अर्जित कर सकता है।

(ग) खंड (ख) के अधीन अर्जित किसी भूमि या भवन को पट्टे पर दे सकता है बेच सकता है या अन्यथा निस्तारित कर सकता है।

(2) वाहनों के अड्डों के लिये स्थान की व्यवस्था करने, उसके विस्तार करने या उसमें सुधार करने के लिये भूमि के अर्जन के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह किसी सार्वजनिक सड़क की व्यवस्था करने, उसका विस्तार करने या उसमें सुधार करने के प्रयोजनार्थ किया गया भूमि का अर्जन है।

(3) उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन किसी भूमि या भवन के हस्तान्तरण—पत्र में वर्तमान भवन को हटाने, निर्मित किये जाने वाले नये भवन के विवरण अवधि जिसमें ऐसा नया भवन पूरा किया जायेगा यथा किसी प्रकार के अन्य विषयों के संबंध में ऐसी शर्तें समविष्ट की जा सकती है, जिन्हें मुख्य नगराधिकारी उपयुक्त समझे।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

सड़क की पंक्तियों को विहित करने का अधिकार

279—— (1) मुख्य नगराधिकारी किसी सार्वजनिक सड़क के एक या दोनों ओर पंक्ति विहित कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी सार्वजनिक सड़क को प्रत्येक नियमित पंक्ति जो नगर के किसी भाग में तत्समय प्रचलित किसी विधि के अधीन नियत दिन के ठीक पहले के दिन पर प्रवर्तित हो, के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह इस अधिनियम के अधीन विहित की गई पंक्ति है जब तक कि इस धारा के अधीन मुख्य नगराधिकारी नई पंक्ति विहित न करे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि जब कभी किसी वर्तमान पंक्ति या उसके किसी भाग के स्थान पर नई पंक्ति विहित करने का प्रस्ताव किया जाय तो कार्यकारिणी समिति का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि जब कभी किसी वर्तमान पंक्ति या उसके किसी भाग के स्थान पर नई पंक्ति विहित करने का प्रस्ताव किया जाय तो कार्यकारिणी समिति का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(2) तत्समय विहित पंक्ति सड़क की नियमित पंक्ति कहलायेगी।

(3) मुख्य नगराधिकारी एक पंजी रखेगा, जिसमें नक्शे संलग्न रहेंगे, और उसमें ऐसी सभी सार्वजनिक सड़कें दिखाई जायेंगी जिनके संबंध में सड़क की एक नियमित पंक्ति विहित की गई हो और उस पंजी में ऐसे विवरण रहेंगे जो मुख्य नगराधिकारी को आवश्यक प्रतीत हो और कोई भी व्यक्ति ऐसा शुल्क देने पर, जिसे कार्यकारिणी समिति समय—समय पर विहित करें, उस पंजी का निरीक्षण कर सकेगा।

(4) (क) उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति सिवाय मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा तथा उन शर्तों के अनुकूल, जो उसके संबंध में लगाई गई हों, सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर की भूमि पर किसी भवन के किसी भाग का निर्माण या पुननिर्माण नहीं करेगा और मुख्य नगराधिकारी प्रत्येक ऐसे मामलें में जिसमें वह उक्त अनुज्ञा दे कार्यकारिणी समिति की अपने कारणों का प्रतिवेदन भी लिखित रूप में भेजेंगा,

(ख) मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर कोई सीमा भित्ति या सीमा भित्ति के किसी भाग का निर्माण या पुनर्निर्माण नहीं करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी व्यक्ति से सीमा भित्ति या उसके किसी भाग के निर्माण या पुनर्निर्माण के लिये अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रार्थना—पत्र प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिन के भीतर मुख्य नगराधिकारी धारा 282 के अधीन सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर भूमि अर्जित न कर सके तो उक्त व्यक्ति इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों तथा नियमों और उपविधियों के अधीन रहते हुए उस सीमा भित्ति या उसके किसी भाग का यथास्थिति निर्माण या पुनर्निर्माण करा सकता है।

(5) (क) यदि मुख्य नगराधिकारी उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन सड़क की नियति पंक्ति के भीतर स्थित भूमि पर किसी भवन के निर्माण या पुननिर्माण के लिये अनुज्ञा दे देता है तो वह भवन के स्वामी को इस आशय का एक करार निष्पादित करने का आदेश दे सकता है कि वह और उसके आगम उत्तराधिकारी इस बात के लिये बाध्य होंगे कि यदि मुख्य नगराधिकारी तत्पश्चात् किसी भी समय उससे या उसके किसी आगम उत्तराधिकारी से उक्त अनुज्ञा के अनुसार किये गये किसी निर्माण—कार्य को या उसके किसी भाग को लिखित नोटिस द्वारा हटाने की मांग करे तो वे उसके लिये किसी प्रतिकर का दावा न करेंगे और यदि वे उक्त निर्माण या उसका कोई भाग न हटायें जिनके कारण उसे मुख्य नगराधिकारी को हटाना पड़े तो वे उसे हटाये जाने के व्यय का भुगतान करेंगे।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) मुख्य नगराधिकारी ऐसी अनुज्ञा देने के पूर्व स्वामी को {निगम}[1] कार्यालय में ऐसी धनराशि जमा करने का आदेश दे सकता है जो उसकी राय में हटाये जाने के व्यय को और ऐसे प्रतिकर को, यदि कोई हो, जो उस भवन के आगम उत्तराधिकारी या हस्तान्तरण ग्रहीता को देय हो, पूरा करने के लिये पर्याप्त हो।

भवनों को सड़क की नियमित पंक्ति तक पीछे हटाना

280—— (1) यदि कोई भवन या उसका कोई भाग जो सार्वजनिक सड़क से मिलता हो सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो तो मुख्य नगराधाकरी जब कभी यह प्रस्तावित किया जाय कि ——

(क) उस भवन को फिर से बनाया जाय या उसे उस सीमा तक नीचा किया जाय कि उसका आधे से अधिक भाग भूमि की सतह के ऊपर रह जाये जो आधा भाग घनफुटों में नापा जायगा, या

(ख) ऐसे भवन के जो सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो, किसी भाग को हटा दिया जाय, फिर से निर्मित किया जाय या उसमें कोई परिवर्द्धन न किया जाय, या उसके ढांचे में परिवर्तन किया जाय,

उस भवन को नियमित पंक्ति तक पीछे हटाये जाने का आदेश दे सकता है।

(2) जब कोई भवन या उसका कोई भाग, जो सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो, गिर पड़े या जल जाय, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या अन्यथा गिरा दिया जाय, तो मुख्य नगराधिकारी {निगम}[1] की ओर से सड़क को नियमिति पंक्ति के भीतर की उस भूमि पर तुरन्त कब्जा कर सकता है, जिस पर पहले से उक्त भवन रहा हो और यदि आवश्यक हो तो उसे साफ भी करवा सकता है।

(3) इस धारा के अधीन अर्जित भूमि तत्पश्चात् सार्वजनिक सड़क का भाग समझी जायगी और इस रूप में {निगम}[1] में निहित हो जायेगी।

भवनों को सड़क की नियमित पंक्ति तक पीछे हटाने की आज्ञा देने के सम्बन्ध में मुख्य नगराधिकारी का अतिरिक्त अधिकार

281—— (1) यदि कोई भवन या उसका कोई भाग किसी सार्वजनिक सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो और यदि मुख्य नगराधिकारी की राय में भवन को सड़क की नियमित पंक्ति तक पीछे हटाना आवश्यक हो, तो वह यदि धारा 280 के उपबन्ध लागू न होते हों, लिखित नोटिस द्वारा उस भवन के स्वामी को ऐसी अवधि के भीतर जो निर्दिष्ट हो जाय, यह कारण बताने का आदेश दे सकता है कि वह भवन या उसका कोई भाग, जो सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो, क्यों न गिरा दिया जाय और उक्त पंक्ति के भीतर की भूमि मुख्य नगराधिकारी द्वारा अर्जित क्यों न कर ली जाय।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन दिये गये नोटिस के अनुसार स्वामी ऐसे पर्याप्त कारण न बता सके, जिनसे मुख्य नगराधिकारी का समाधान हो सके, तो मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से स्वामी को लिखित नोटिस द्वारा ऐसे भवन या उसके भाग को, जो सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो, ऐसी अवधि के भीतर गिराने का आदेश दे सकता है, जो नोटिस में निर्दिष्ट की जाय।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन दिये गये नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर भवन का स्वामी ऐसे भवन या उसके किसी भाग को, जो उक्त पंक्ति के भीतर आता हो न गिरा सके, तो मुख्य नगराधिकारी उसे गिरवा सकता है ओर ऐसा करने में हुए सभी व्ययों को स्वामी से वसूल कर सकता है।

(4) मुख्य नगराधिकारी {निगम}[1] की ओर से सड़क की उक्त पंक्ति के भीतर स्थित भूमि के उस भाग पर भी अधिकार कर लेगा जिस पर पहले से उक्त भवन रहा हो और वह भूमि तत्पश्चात् सार्वजनिक सड़क का एक भाग समझी जायेगी और इस रूप में {निगम}[1] में निहित हो जायगी।

(5) इस धारा की कोई बात राज्य में निहित भवनों पर लागू नहीं समझी जायगी।

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

सड़क की पंक्ति के भीतर की खुली भूमि या फैली भूमि को अर्जित करना, जिस पर प्लेटफार्म आदि हो

282–– यदि कोई भूमि जो {निगम}[1] में निहित न हो चाहे वह खुली हुई हो या घिरी हुई किसी सार्वजनिक सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो और उस पर कोई भवन न हो यदि कोई मंच, बरामदा, सीढ़ी घेरे की दीवाल, आड़ या मेड़ या किसी भवन के बाहर की कोई अन्य संरचना जो सार्वजनिक सड़क से लगी हुई हो, या किसी मंच, बरामदा, सीढ़ी, घेरे की दीवाल, आड़, मेड या उक्त अन्य संरचनाओं का कोई भाग उस सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो तो मुख्य नगराधिकारी उक्त भूमि या भवन के स्वामी को कम से कम पूरे चौदह दिन का अपने ऐसा करने के आशय का लिखित नोटिस देने क पश्चात् तथा इस बीच में प्रस्तुत किन्हीं आपत्ति पत्रों की सुनवाई करने के पश्चात् {निगम}[1] की ओर से उक्त भूमि और उसके वाड़े की दीवाले, आड़ या मेड़, यदि कोई हो, या उक्त प्लेटफार्म, बरामदे, सीढ़ी या अन्य ऐसे ढांचे के भाग पर, जैसा कि ऊपर कहा गया है जो सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो, अधिकार कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो उसे साफ भी करवा सकता है और इस प्रकार से अर्जित की गई भूमि तत्पश्चात् सार्वजनिक सड़क का एक भाग समझी जायगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमि या भवन राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार में निहित हो, तो संबद्ध सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना पूर्वोक्त प्रकार से उसे अधिकार में नहीं लिया जायगा और यदि भूमि या भवन किसी ऐसे महापालिका में निहित हो, जो तत्समय प्रचलित किसी विधि के अनुसार संगठित किया गया हो तो राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना पूर्वोक्त प्रकार से उसे अधिकार में नहीं लिया जायगा।

भवन और भूमि के उन भागों को, जो सड़क की किसी नियमित पंक्ति के भीतर हो, अर्जित करने के पश्चात् उनके शेष भागों को अर्जित करना

283–– (1) यदि कोई भवन या भूमि अंशतः सार्वजनिक सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो और यदि मुख्य नगराधिकारी का समाधान हो जाय कि उक्त पंक्ति के भीतर पड़ने वाले भाग को अलग कर देने के बाद शेष भूमि किसी लाभप्रद प्रयोग के लिये उपयुक्त और ठीक न होगी तो वह स्वामी की प्रार्थना पर उक्त पंक्ति के भीतर पड़ने वाली भूमि के अतिरिक्त उक्त भूमि को भी अर्जित कर सकता है और ऐसी अतिरिक्त भूमि {निगम}[1] में निहित सार्वजनिक सड़क का एक भाग समझी जायगी।

(2) तत्पश्चात् ऐसी अतिरिक्त भूमि धारा 284 के अधीन भवनों को आगे बढ़ाने के प्रयोजनार्थ काम में लायी जा सकती है।

भवनों को सड़क की पंक्ति तक आगे बढ़ाना

284–– (1) यदि कोई भवन, जो सार्वजनिक सड़क के लगा हुआ हो उस सड़क की नियमित पंक्ति के पृष्ठ भाग में हो तो जब कभी ––

(क) उस भवन को फिर से बनाने का, या

(ख) उस भवन में ऐसी रीति से परिवर्तन या मरम्मत करने का जिसमें उस भवन का या उसके भाग का जो उक्त सड़क से लगा हुआ हो भूमि की तहत से ऊपर उस भवन या भाग के आधे भाग तक (जो आधा भाग घन फिटों में नापा जायगा) हटाया जाना या पुनर्निर्माण अन्तर्ग्रस्त हो, प्रस्ताव किया जाय, मुख्य नगराधिकारी किसी आज्ञा में, जिसे वह उस भवन के पुनर्निर्माण, परिवर्तन करने या मरम्मत करने के संबंध में जारी करे यह अनुज्ञा दे सकता है या कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से आदेश दे सकता है कि उस भवन को सड़क की नियमित पंक्ति तक आगे बढ़ा दिया जाय।

(2) इस धारा के प्रयोजन के लिये कोई दीवाल, जो किसी भू–गृहादि की सार्वजनिक सड़क से अलग करती हो भवन समझी जायगी और यदि उक्त पंक्ति के साथ–साथ कोई दीवाल ऐसे सामानों से और ऐसे नाप की बना दी जाय, जिसे मुख्य नगराधिकारी अनुमोदित करे, तो ऐसा करना उस अनुज्ञा या अपेक्षा का पर्याप्त अनुपालन समझा जायगा, जो किसी भवन को सडक की नियमित पंक्ति तक पढ़ने के लिये दी गई हो।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

285—— (1) धारा 280, 281, 282 या 283 के अधीन किसी सार्वजनिक सड़क के लिये अपेक्षित किसी भूमि या भवन के स्वामी को , मुख्य नगराधिकारी द्वारा उसके भवन या भूमि को इस प्रकार अर्जित कर लेने के परिणामस्वरूप उसे जो हानि हो और मुख्य नगराधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा के परिणामस्वरूप ऐसे स्वामी द्वारा जो व्यय किया गया हो, उसका प्रतिकर दिया जायगा :

प्रतिकर दिया जायगा और उन्नति के परिव्यय लगाये जायेंगे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ——

(1) ऐसी अवशिष्ट संपत्ति के, जिसका इस प्रकार अर्जित किया गया भवन या भूमि का एक भाग थी, मूल्य में इस संपत्ति को सड़क की नियमित पंक्ति तक पीछे हटाने में, जो वृद्धि या कमी होने की संभावना हो, उस पर उक्त प्रतिकर की धनराशि निर्धारित करने में विचार किया जायगा और उसका संधान किया जायगा,

(2) यदि मूल्य में ऐसी वृद्धि उस क्षति की धनराशि से अधिक हो, जो उक्त स्वामी को हुई हो या जो उसने व्यय के हो, तो मुख्य नगराधिकारी ऐसे स्वामी से ऐसी वृद्धि की आधी धनराशि उन्नति के परिव्यय के रूप में वसूल कर सकता है।

(2) यदि धारा 284 के अधीन किसी भवन को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य नगराधिकारी द्वारा दी गयी आज्ञा के परिणामस्वरूप उस भवन के स्वामी को कोई क्षति या हानि हो, तो उसे मुख्यनगराधिकारी द्वारा ऐसी क्षति या हानि के लिए, भवन को आगे बढ़ाने से उसके मूल्य में किसी संभावित वृद्धि का विचार करने के पश्चात् प्रतिकर दिया जायगा।

(3) यदि अतिरिक्त भूमि, जो किसी ऐसे व्यक्ति के भू—गृहादि में सम्मिलित की जायगी, जिसे धारा 284 के अधीन किसी भवन को आगे बढ़ाने का आदेश या अनुमति दी गई हो, {निगम}[1] की हो, तो भवन को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य नगराधिकारी की आज्ञा या अनुज्ञा उस भूमि के उक्त स्वामी के लिए पर्याप्त हस्तान्तरण होगा और ऐसी अतिरिक्त भूमि के लिए उक्त स्वामी द्वारा {निगम}[1] को दिया जाने वालो मूल्य और हस्तान्तरण के अन्य निबन्धन और शर्तें उक्त आज्ञा या अनुज्ञा में निर्धारित कर दी जायंगी।

(4) यदि मुख्य नगराधिकारी द्वारा किसी भवन को आगे बढ़ाने की अपेक्षा करने पर, भवन का स्वमी {निगम}[1] को दिये जाने के लिए निश्चित किये गये मूल्य या हस्तान्तरण के अन्य निबन्धनों या शर्तों के संबंध में असन्तुष्ट हो, तो मुख्य नगराधिकारी, उक्त स्वामी को उक्त निबन्धन और शर्तें भेजने के पश्चात् 15 दिन के भीतर किसी भी समय स्वामी के प्रार्थना—पत्र भेजने पर, मामले के निर्धारण के लिए न्यायाधीश के पास भेज सकता है।

निजी सड़कों के संबंध में उपबन्ध

286—— यदि किसी भूमि का स्वामी उस भूमि या उसके किसी भाग या भागों का भवनों के निर्माण के लिए स्थलों के रूप में उपयोग करे, या उन्हें बेचे या पट्टे पर दे या अन्यथा उनका निस्तारण करे तो, वह ऐसी दशाओं को छोड़कर जब ऐसा स्थल या ऐसे स्थल किसी वर्तमान सरकारी या निजी सड़क से मिले हुये हों, ऐसी सड़क या सड़कों या मार्ग या मार्गों का विन्यास करेगा और उन्हें बनायेगा जो उक्त स्थल या स्थलों तक पहुंचते हों, और किसी वर्तमान सरकारी या निजी सड़कें से मिलते हों।

भवन के रूप में भूमि का निस्तारण करते समय सड़क के लिये स्वामी का आभार

287—— (1) यदि किसी व्यक्ति का विचार —

भवनों और निजी सड़कों के लिए भूमि का विन्यास करने के लिए नोटिस

(क) किसी भूमि को किसी क्रेता या पट्टा गृहीता को इस प्रतिश्रव या करार के अधीन बेचने या पट्टे पर देने का हो कि वह उस पर भवन बनायेगा,

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) भूमि को चाहे उस पर कोई भी निर्माण न हो, या अंशतः निर्माण हो भवन के लिए गाटों में बांटने का हो, या

(ग) किसी भूमि या उसके किसी भाग को भवन के प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाने या प्रयोग में लाने की अनुज्ञा देने का हो, या

(घ) किसी निजी सड़क को बनाने या उसका विन्यास करने का हो चाहे जनता को उस सड़क पर से आने—जाने या वहां तक पहुंचने की अनुज्ञा देने का विचार हो या न हो,

तो वह नियमों और उपविधियों में उल्लिखित रीति से अपने विचार का लिखित नोटिस मुख्य नगराधिकारी को देगा।

(2) मुख्य नगराधिकारी उपधारा (1) के अधीन दिये गये नोटिस पर उस रीति से कार्यवाही करेगा, जो नियमों और उपविधियों में विहित हो और ऐसे सामान्य आदेशों के अधीन जो कार्यकारिणी समिति एतदर्थ समय—समय पर दें, भवनों के लिए भूमि का विन्यास, प्रत्येक भवन के गाटे की लम्बाई— चौड़ाई और क्षेत्रफल, प्रत्येक सडक का तल, दिशा चौड़ाई और जल—निस्सारण के साधन, ऐसी सड़कों के किनारे लगाये और पोषित किये जाने वाले पेड़ों की किस्म और संख्या, ऐसी भूमि पर या ऐसी सड़क के दोनों किनारों पर बनाये जाने वाले सभी भवनों की ऊंचाई, जल—निस्सारण के साधन और उनका संवीजन और उसमें पहुंचने के मार्ग निर्धारित करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगराधिकारी उपधारा (1) के अधीन प्राप्त नोटिस अथवा नियमों के अधीन मांगे नये नक्शें, खण्ड, ब्योरे, योजनायें या अतिरिक्त सूचनायें, यदि कोई हों, प्राप्त होने के पश्चात् साठ दिन तक उस व्यक्ति को जिसने नोटिस दिया, विषयों में से किसी के सम्बन्ध में अपनी असहमति सूचित करने में उपेक्षा या चूक करता है, तो ऐसा व्यक्ति लिखित संसूचना द्वारा उपेक्षा या चूक की ओर मुख्य नगराधिकारी का ध्यान आकर्षित कर सकता है और यदि यह उपेक्षा या चूक मुख्य नगराधिकारी द्वारा लिखित सूचना की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन की अतिरिक्त अवधि तक जारी रहती है तो यह समझा जायेगा कि उक्त व्यक्ति की प्रस्थापनाएं मुख्य नगराधिकारी द्वारा अनुमोदित कर ली गई है :

और प्रतिबन्ध यह भी है कि यहां अन्तर्विष्ट किसी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जायगा कि उससे किसी व्यक्ति को अधिनियम अथवा किन्हीं उपविधियों के उपबन्धों का उल्लंघन करने का अधिकार मिल जाता है।

(3) यदि मुख्य नगराधिकारी उक्त निर्माण—कार्यों के सम्बन्ध में कुछ शर्तों के अधीन या बिना किसी शर्त के अपना अनुमोदन लिखित रूप में किसी व्यक्ति को सूचित कर दे या यदि उक्त निर्माण—कार्य पूर्वोक्त रूप में मुख्य नगराधिकारी द्वारा अनुमोदित समझा जाय तो उक्त व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन मुख्य नगराधिकारी को नोटिस मिलने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर किसी भी समय नोटिस में या पूर्वोक्त किसी लेख्य में दिये ये आशय के अनुसार और मुख्य नगराधिकारी द्वारा विहित शर्तों के अनुसार, यदि कोई हों, उक्त निर्माण—कार्य के सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकता है, किन्तु इस प्रकार से नहीं कि उससे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या किसी नियम या उपविधि का उल्लंघन हो जाय।

नोटिस की समाप्ति तक भवन निर्माण के लिए भूमि का उपयोग और निजी सड़क का विन्यास नहीं किया जायगा

288—— (1) कोई व्यक्ति तब तक किसी भूमि को, चाहे उसका विकास न हुआ हो या अंशतः हुआ हो, भवन—निर्माण के लिए न बेचेगा, न पट्टे पर देगा, न प्रयोग करेगा या उसके प्रयोग की अनुमति देगा, न ऐसी किसी भूमि को भवन के गाटों में बांटेगा, न किसी निजी सड़क को बनायेगा, न उसका विन्यास करेगा—

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) जब तक कि धारा 286 के उपबन्धों का पालन न किया गया हो।

(ख) जब तक कि उस व्यक्ति ने धारा 287 में की गयी व्यवस्था के अनुसार अपने नोटिस का पहले ही, लिखित नोटिस न दे दिया हो और जब तक कि ऐसा नोटिस दिये जाने के पश्चात् 60 दिन समाप्त न हो गये हों और जब तक उक्त कार्य उन आदेशों के (यदि कोई हों,) जो धारा 287 की उपधारा (2) के अधीन निश्चित और अवधारित किये गये हों अनुकूल न हों,

(ग) जब तक कि धारा 287 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि समाप्त हो गयी हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई व्यक्ति, जिसे धारा 287 की उपधाारा (3) के अधीन किसी निर्माण–कार्य के सम्बन्ध में कार्य करने का अधिकार हो, उसमें निदिष्ट एक वर्ष की अवधि के भीतर ऐसा न कर सके, तो वह किसी भी समय उस निर्माण–कार्य को सम्पादित करने के अपने आशय का नये सिरे से नोटिस दे सकता है और ऐसा नोटिस धारा 287 की उपधारा (1) के अधीन नये सिरे से दिया गया नोटिस समझा जायगा।

(घ) जब तक कि वह व्यक्ति मुख्य नगराधिकारी को उस दिनांक का लिखित नोटिस न दे, जिस पर वह कोई ऐसे निर्माण–कार्य के सम्बन्ध में कार्यवाही करना चाहता है, जिसे कराने का उसे अधिकार है और नोटिस में उल्लिखित दिनांक से सात दिन के भीतर उस निर्माण–कार्य को प्रारम्भ न कर दे।

(2) यदि इस धारा का उल्लंघन करके कोई कार्य किया जाय या उसे करने की अनुज्ञा दी जाय, तो मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा ऐसे कार्य करने वाले या करने की अनुज्ञा देने वाले किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह –––

(क) उस दिन को या उससे पहले, जो उस नोटिस में निर्दिष्ट किया जायगा, ऐसे लिखित कथन द्वारा, जिस पर उसने एतदर्थ हस्ताक्षर किये हों और जो मुख्य नगराधिकारी को सम्बोधित हो, इस बात का कारण बताये कि इस धारा का उल्लंघन करने को जो विन्यास, गाटा, सड़क का भवन बनाया गया है, उसे मुख्य नगराधिकारी के सन्तोषानुसार क्यों न बदल दिया जाय, या यदि ऐसा करना उसकी राय में अव्यवहारित हो तो वह सड़क या भवन क्यों न गिरा या हटा दिया जाय, या भूमि उसी स्थिति में क्यों न कर दी जाय, जैसी कि वह अनधिकृत निर्माण–कार्य के सम्पादित किये जाने के पहले थी, या

(ख) स्वयं या किसी ऐसे अभिकर्ता द्वारा जिसे उसने तदर्थ यथावत् प्राधिकृत किया हो, ऐसे दिन, समय और स्थान पर जो उस नोटिस में निर्दिष्ट किया जायगा, उपस्थित हो और पूर्वोवत रूप से कारण बताये।

(3) यदि वह व्यक्ति मुख्य नगराधिकारी के सन्तोषानुसार यह कारण न बता सके कि वह सड़क या भवन उक्त रूप में क्यों न बदल दिया जाय, गिरा दिया जाय या हटा दिया जाय या वह भूमि उक्त पूर्व स्थिति में क्यों दी जाय, तो मुख्य नगराधिकारी बदलवाने, गिराने, हटाने या भूमि को उक्त स्थिति में करने का कार्य करा सकता है ओर उसका व्यय उक्त व्यक्ति द्वारा अदा किया जायगा।

(4) धारा 286 के उपबन्धों के उल्लंघन की दशा में मुख्य नगराधिकारी उपधारा (3) में वर्णित कार्यवाही करने के बदले कोई सड़क या सड़कों, मार्ग या मार्गों को बना सकता है जो धारा 286 में निर्दिष्ट स्थल या स्थलों तक पहुंच और किसी वर्तमान सरकारी या निजी सड़क से मिल जाय तथा ऐसा करने में किये गये व्यय की धनराशि स्थल अथवा स्थलों के स्वामी या स्वामियों से ऐसे अनुपात तथा ऐसी रीति से वसूल करेगा, जो निर्धारित की जाय।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

निजी सड़कों तथा पहुंचने के साधनों का समतल किया जाना और उनकी जल–निस्सारण व्यवस्था

289–– (1) यदि कोई निजी सड़क या किसी भवन तक पहुंचने का कोई अन्य साधन मुख्य नगराधिकारी के सन्तोषानुसार समतल, पक्का, चौरस, पत्थर का या खड़ंजों का या नालों या नालियों तथा मोरियों सहित न बनाया गया हो, या जिसमें रोशनी या छाया के लिए वृक्षों की व्यवस्था न की गयी हो, तो वह कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से लिखित नोटिस द्वारा उन भू–गृहादि के, जो उक्त सड़क या पहुंच के अन्य साधनों के सामने पड़तें हों या उनसे सटे हों या उनसे लगे हुए हों या जिन तक पहुंचने का मार्ग ऐसी सड़क या पहुंच के अन्य साधनों से होकर बनाया गया हो या जिन्हें इस धारा के अधीन सम्पादित निर्माण–कार्यों से लाभ पहुंचेगा, स्वामी या अनेक स्वामियों की पूर्वोक्त अपेक्षाओं में से किसी एक या एकाधिक को ऐसी रीति से पूरा करने का आदेश दे सकता है जो वह अदिष्ट करे।

(2) यदि नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर और निर्दिष्ट रीति से उपर्युक्त अपेक्षा या अपेक्षाओं को पूरा न किया जाय तो मुख्य नगराधिकारी यदि उचित समझे, उसे पूरा कर सकता है और उसका व्यय चूक करने वाले स्वामी या स्वामियों से अध्याय 21 के अधीन वसूल किया जायेगा।

(3) यदि वसूली चूक करने वाले दो से अधिक स्वामियों से की जानी हो तो वह इस आधार पर कि उनके भू–गृहादि का कितना भाग सामने पडता है ओर ऐसे अनुपात में की जायगी, जो कार्यकारिणी समिति द्वारा निश्चित किया जाय।

निजी सड़कों को सरकारी सड़क घोषित करने का अधिकार

290–– (1) जब कोई निजी सड़क मुख्य नगराधिकारी के संतोषानुसार समतल, पक्की, चौरस पत्थरकी या खडंजों की नालों, नालियों तथा मोरियों सहित बनायी गयी हो और ठीक कर दी गयी हो, तो वह यदि रोशनी के खम्भे और उक्त सड़क पर रोशनी के लिए अन्य आवश्यक स्थिर–यंत्रों की व्यवस्था उसके सन्तोषानुसार की गयी हो–उस सड़क को सरकारी सड़क घोषित कर सकता है और उस सड़क के स्वाामियों या किसी प्रार्थना पर यह घोषित करेगा कि उक्त निजी सड़क, सरकारी सड़क हैं यह घोषणा ऐसी सड़क के किसी भाग पर लिखित नोटिस लगाकर की जायेगी और तत्पश्चात् वह निजी सड़क सार्वजनिक सड़क को जायेगी और उसी रूप में {निगम}[1] में निहित हो जायगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसा नोटिस लगाने के पश्चात् एक मास के भीतर उस सड़क का या उसके बृहत्तर भाग का स्वामी, मुख्य–नगराधिकारी को लिखित नोटिस देकर इस सम्बन्ध में आपत्ति करे तो वह सड़क सार्वजनिक सड़क नहीं होगी।

(2) मुख्य नगराधिकारी किसी ऐसी सड़क के जो सार्वजनिक सड़क न हो और उपधारा (1) के अधीन न आती हो किसी भाग पर लिखित रूप में सार्वजनिक नोटिस लगाकर उसे सार्वजनिक सड़क घोषित करने के अपने आशय की सूचना दे सकता है। ऐसे नोटिस के इस प्रकार लगाये जाने के पश्चात् दो मास के भीतर उस सड़क के स्वामी उक्त नोटिस के विरुद्ध {निगम}[1] के कार्यालय में आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते है। कार्यकारिणी–समिति प्रस्तुत की गयी आपत्तियों पर विचार करेगा और यदि वह उन्हें अस्वीकृत कर दे तो मुख्य नगराधिकारी उस सड़क या उस भाग पर अतिरिक्त नोटिस लगाकर उसे सार्वजनिक सड़क घोषित करेगा।

किसी सड़क के अंशतः सार्वजनिक और अंशतः निजी होने की दशा में धारा 289 और धारा 290 का लागू होना

291–– यदि किसी सड़क का केवल कुछ भाग ही सार्वजनिक सड़क हो तो उस सड़क का शेष भाग धारा 289 और घारा 290 के समस्त प्रयोजनों के लिए निजी सड़क समझा जा सकता है।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

बाहर निकले हुए भाग और अवरोध

सड़कों आदि पर बाहर निकले हुए भागों का प्रतिषेध

292–– (1) धारा 293 में की गयी व्यवस्था के अनुकूल, कोई व्यक्ति किसी भू–गृहादि से सटाकर या उसके सामने कोई ऐसी संरचना या स्थापक न निर्मित करेगा, न लगायेगा, न बढ़ायेगा ओर न रखेगा, जो ––

(क) किसी सड़क से ऊपर लटकता हो, जिसका कोना उसके आगे बढ़ा हुआ हो या उसके ऊपर निकला हो, या जो किसी भी प्रकार से उसका अतिक्रमण करता हो या जो किसी भी प्रकार से सड़क पर जनता के सुरक्षित या सुविधाजनक गमनागमन को अवरुद्ध करता हो, या

(ख) किसी सड़क की किसी नाली या खुली नाली के आगे बढ़ा हो या उसके ऊपर निकला हो, या उनका अतिक्रमण करता हो जिससे ऐसी नाली या खुली नाली के प्रयोग या उसके ठीक से काम करने में किसी प्रकार की बाधा पड़ती हो या उसके निरीक्षण या सफाई के कार्य को अवबाधित करता हो।

(2) मुख्य नगराधिकारी किसी भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी से लिखित नोटिस द्वारा ऐसे किसी ढांचे या संलग्नक को, जो भू–गृहादि से सट कर या उसके सामने इस धारा का या नियत दिन के ठीक पहले दिन नगर में प्रचलित किसी विधि का उल्लंघन करके निर्मित किया गया हो, लगाया गया हो, बढ़ाया गया हो या रखा गया हो, हटाने या उसके संबंध में अन्य ऐसी कार्यवाही करने की, जिसका वह आदेश दे, अपेक्षा कर सकता है।

(3) यदि उक्त भू–गृहादि का अध्यासी उक्त नोटिस के अनुसार किसी ढांचे या संलग्न के हटाये या बदले तो उसे जब तक कि उक्त ढांचा या संलग्न स्वयं उसके द्वारा निर्मित किया गया, लगाया गया या रखा गया न हो, उक्त नोटिस के पालन करने में सभी उचित व्ययों को भू–गृहादि के स्वामी के खाते में डालने का अधिकार होगा।

(4) यदि कोई ऐसा ढांचा या संलग्नक, जिसका उल्लेख उपधारा (1) में किया गया है किसी भू–गृहादि से सटाकर या सामने 01 अप्रैल, 1901 के पहले किसी समय निर्मित किया गया हो, बढ़ाया गया हो, या रखा गया हो तो मुख्य नगराधिकारी उक्त भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी को पूर्वोक्त रूप से नोटिस दे सकता है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी ऐसे मामले में ढांचा या संलग्नक वैध रूप से निर्मित किया गया हो, लगाया गया हो, बढ़ाया गया हो या रखा गया हो, तो मुख्य नगराधिकारी द्वारा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिकर दिया जायगा जिसे उसके हटाने या बदलने से हानि या क्षति पहुंचे।

कुछ दशाओं में सड़कों के ऊपर बाहर निकले हुए भागों की अनुमति दी जा सकती है

293–– (1) मुख्य नगराधिकारी ऐसे निबन्धनों पर, जिन्हें वह प्रत्येक मामलें में उचित समझेगा, सड़क से लगे हुये किसी भवन के स्वामी या अध्यासी को –

(क) उस सड़क या उसके भाग के ऊपर या उसके आरपार बरामदा, छज्जा मेहराब, योग–मार्ग, बरसाती ऋतुसूचक ढांचा छत्र तिरपाल या अन्य ऐसा ही ढांचा या वस्तु जो किसी मंजिल से बाहर निकली हो बनाने की लिखित अनुमति दे सकता है,

(ख) किसी सड़क या उसके भाग के ऊपर या उसके आरपार, बरामदा, छज्जा, मेहराब, योग–मार्ग, बरसाती ऋतुसूचक ढांचा छत्र तिरपाल या अन्य ऐसा ही ढांचा या वस्तु, जो किसी मंजिल से बाहर निकली हो बनाने की लिखित अनुमति दे सकता है :

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगराधिकारी द्वारा किसी ऐसी सार्वजनिक सड़क पर बरसाती, कमाचा बनाने की अनुमति नहीं दी जायगी, जिस पर उसे बनाने की स्वीकृति सामान्यतया {निगम}[1] द्वारा न दी गई हो अथवा जब किनारों के बीच की चौड़ाई 60 फीट से कम हो।

(2) इस धारा के अधीन दी गयी अनुमति के निबन्धनों के अधीन और उनके अनुसार निर्मित किये गये या रखे गये किसी बरसाती कमाचे, बरामदे, छज्जे, मेहराब, योग मार्ग, बरसाती, ऋतुसूचक ढांचा, छत्र, तिरपाल या अन्य ढांचा या वस्तु पर धारा 292 के उपबन्ध लागू नहीं समझे जायेंगे।

(3) मुख्य नगराधिकारी किसी भी समय लिखित नोटिस द्वारा किसी भवन के स्वामी या अध्यासी को उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार बनाये गये बरामदे, छज्जे, बरसाती, ऋतुसूचक ढांचे या ऐसी किसी बस्तु के हटाने का आदेश दे सकता है, और वह स्वामी या अध्यासी तद्नुसार कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगा किन्तु उसे इस प्रकार हटाने के कारण हुई हानि तथा उस पर किये गये व्यय के लिए प्रतिकर पाने का अधिकार होगा।

सबसे नीचे की मंजिल के दरवाजे आदि सड़कों पर बाहर की ओर नहीं खुलने चाहिए।

294—— (1) कोई दरवाजा, फाटक परदा या सबसे नीचे के मजिल की खिड़की मुख्य नगराधिकारी से बिना अनुज्ञप्ति लिये हुये इस प्रकार लटकाई या रखी न जायेगी कि वह किसी सड़क पर बाहर की ओर खुले।

(2) मुख्य नगराधिकारी किसी भी समय लिखित नोटिस द्वारा किसी ऐसे भू—गृहादि के, जिसके सबसे नीचे की मंजिल का कोई दरवाजा, परदा या खिड़की, किसी सड़क पर बाहर की ओर, या ऐसी भूमि पर जो सड़क के सुधार के लिए आवश्यक हो, उस रीति से खुलती हो कि उससे मुख्य नगराधिकारी की राय में उस सड़क के ऊपर जनता के सुरक्षित और सुविधाजनक गमनागमन अवरूद्ध होते हों, स्वामी को आदेश दे सकता है कि वह उस दरवाजे, फाटक, परदे या खिड़की को इस प्रकार बदलवाये कि बाहर की ओर न खुले।

सड़कों के संबंध में अन्य प्रतिषेध

295—— (1) कोई व्यक्ति धारा 293 या 300 के अधीन मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा के अनुकूल किसी सड़क में या उसके ऊपर या किसी सड़क की किसी खुली नाली पनाली, कुंये या तालाब पर या उसके ऊपर कोई दीवाल, मेंड, कठघरा खम्भा, सीढ़ी छप्पर या अन्य ढांचा, चाहे वह स्थिति हो या चल और चाहे स्थायी या अस्थायी प्रकार का हो या कोई संलग्नक न इस प्रकार निर्मित करेगा और न लगायेगा कि उस सड़क, खुली नाली, कुंये या तालाब के लिए कोई अवरोध हो या उसका अतिक्रमण हो या वह उस पर आगे निकला हो, उसके ऊपर बाहर निकला हो या उसके किसी भाग को घेरे हुये हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात ऐसे किसी निर्माण या वस्तु पर लागू नहीं समझी जायेगी, जिस पर धारा 302 की उपधारा (1) का खंड (ग) लागू होता हो।

(2) कोई व्यक्ति, बिना मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुमति के ———

(क) किसी सड़क पर या किसी सड़क की खुली नाली पानाली या कुयें पर या किसी सार्वजनिक स्थान पर, कोई दुकान कुरसी, बेंच, बक्स, सीढ़ी सामान का गट्ठर या कोई भी अन्य वस्तु इस प्रकार न रखेगा या जमा करेगा कि उससे उस पर अवरोध हो या उसका अतिक्रमण हो,

(ख) किसी सड़क के ऊपर, या किसी सड़क की किसी खुली नाली, पनाली, कुंये या तालाब के ऊपर किसी भवन की कुरसी की रेखा के आगे कोई तख्ता या कुरसी सड़क के धरातल से 12 फीट से कम की ऊंचाई पर बाहर नहीं निकालेगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ग) किसी सड़क के लगी हुई दीवाल या भवन के भाग से पूर्वोक्त ऊंचाई से कम ऊंचाई पर कोई भी वस्तु न लगा सकता है और न लटका सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खंड (क) की कोई बात भवन—सामग्री पर लागू नहीं होती।

(3) कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक सड़क पर किसी पशु को न बांधेगा और न अपने परिवार या घर के किसी सदस्य को बांधने देगा और न बांधने की अनुमति देगा। पूर्वोक्त रूप में बांधा गया कोई पशु मुख्य नगराधिकारी या {निगम}[1] के किसी पदाधिकारी या नौकरी द्वारा हटाया जा सकता है और वह उसके संबंध में वहीं कार्यवाही करेगा, जो छूटे हुये पशुओं के संबंध में जाती है।

मुख्य नगराधिकारी किसी ऐसी वस्तु को जो इस अधिनियम का उल्लंघन करके निर्मित की जाय, जमा की जाय या फेरा से बेची जाय या बिक्री से लिए प्रदर्शित की जाय, बिना नोटिस के हटा सकता है

296—— मुख्य नगराधिकारी, बिना नोटिस दिये निम्नलिखित को हटा सकता है ——

(क) कोई ऐसी दीवाल, मेंड, कठघरा, खंभा, सीढ़ी, छप्पर या अन्य ढांचा—चाहे वह स्थित हो या चल और चाहे वह स्थायी प्रकार का हो या अस्थायी या कोई ऐसा स्थायक जो किसी सड़क में या उसके ऊपर या किसी खुली नाली, पनाली, कुंये या तालाब पर या उसके इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल नियत दिन के पश्चात् निर्मित या संस्थापित किया जाय,

(ख) कोई दुकान कुर्सी, बेंच, बक्स, सीढ़ी, सामान का गट्ठर, तख्ता या अलमारी, या अन्य कोई कोई भी वस्तु, तो इस अधिनियम का उल्लंघन करके किसी स्थान पर रखी गई हो, किसी स्थान में जमा की गई हो, किसी स्थान से बाहर निकली हो, किसी स्थान से संलग्न हो या किसी स्थान पर लटका दी गई हो,

(ग) कोई भी वस्तु, जो किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी सार्वजनिक सड़क में, इस अधिनियम का उल्लंघन करके फेरी से बेची जाय या बिक्री के लिए प्रदर्शित की जाय और कोई वाहन, बंडल, बक्स या ऐसी कोई अन्य वस्तु जिसमें या जिन पर ऐसी वस्तु रखी हो।

झाड़ियों और पेड़ों का छॉटने के लिए आदेश देने का अधिकार

297—— मुख्य नगराधिकारी नोटिस द्वारा किसी भूमि के स्वामी या अध्यासी को उस पर उगी हुई और सड़क के पास की झाड़ियों को, या उस पर उगे हुये पेड़ों को ऐसी शाखाओं की जो सड़क के ऊपर लटकती हों ओर उसे अवरुद्ध करती हों या जिनसे संकट उत्पन्न होता हेा, काटने या छांटने का आदेश दे सकता है।

दुर्घटनात्मक अवरोधों को हटाने का अधिकार

298—— जब कोई निजी मकान, दीवाल या अन्य निर्माण या उनसे संबद्ध कोई अन्य वस्तु या कोई पेड़ गिर पड़े और सार्वजनिक नाली को अवरुद्ध करे या सड़क को घेर ले, तो मुख्य नगराधिकारी ऐसे अवरोध या घेरे को उसके स्वामी के व्यय से हटा सकता है और उस व्यय को अध्याय 21 में दी गई रीति से वसूल कर सकता है या नोटिस द्वारा स्वामी को आदेश दे सकता है कि वह नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर उसे हटा दे।

नियत दिल के पहले निर्मित या सस्थापित किसी ढांचे या संलग्नक को हटाने के आदेश देने का अधिकार।

299—— (1) मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा किसी ऐसे भू—गृहादि के स्वामी या अध्यासी को, जिससे सटे हुए या जिसके सामने या जिससे संबद्ध कोई ऐसी दीवाल, मेड़ कठघरा, खंभा, सीढ़ी, छप्पर या अन्य ढांचा या संलग्नक नियत दिन के पूर्व निर्मित या संस्थापित किया गया हो, जिसका निर्मित या संस्थापित किया जाना इस अधिनियम के अधीन अवैध हो, आदेश दे सकता है कि वह उक्त दीवाल, मेड़, कठघरे, खंभे, सीढ़ी दूकान या अन्य ढांचे या वस्तु को हटा दे।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) यदि भू–गृहादि का स्वामी या अध्यासी सिद्ध करे कि ऐसा बाहर निकाल हुआ भाग, अतिक्रमण या अवरोध ऐसी अवधि से अस्तित्व में है जो सीमा विधि के अधीन उसे रूढ़ि प्राप्त आगम देने के लिए पर्याप्त है या यदि ऐसी अवधि 30 वर्ष से कम हो तो तीस वर्ष तक या वह यह सिद्ध करे कि वह एतदर्थ यथावत् अधिकृत किसी महपालिका प्राधिकारी की सहमति से बनााया गया है, और यह सिद्ध करें कि वह अवधि, यदि कोई हो, जिसके लिये सहमति मान्य हो समाप्त नहीं हुई हैं, तो {निगम}[1] ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे उसके हटाये या बलले जाने से क्षति पहुंचे, उचित प्रतिकर देगा।

मुख्य नगराधिकारी त्योहारों के अवसर पर सड़कों पर छप्पर आदि खड़े करने की अनुमति दे सकता है।

300–– जिला मैजिस्ट्रेट या ऐसे अन्य पदाधिकारी की, जिसे जिला मैजिस्ट्रेट समय–समय पर एतर्थ नामनिर्देशित करे, सहमति से मुख्य नगराधिकारी उत्सवों और त्योहारों के अवसरों पर सड़कों पर छप पर और ऐसा ही कोई अन्य ढांचा अस्थायी रूप से निर्मित करने की लिखित अनुमति दे सकता है।

सड़कों पर या उनके निकट निर्माण–कार्यों के सम्पादन के संबंध में उपबन्ध

सड़कों पर या उसके निकट निर्माण–कार्यों पर संपादन

301–– जब कभी किसी सड़क या उसके निकट {निगम}[1] की ओर से किसी निर्माण–कार्य का संपादन हो रहा हो तो मुख्य नगराधिकारी सुरक्षा और सुविधा के संबंध में ऐसी कार्यवाही करेगा, जिसे उसके लिये नियमों के अधीन करना अपेक्षित हो। जब पूर्वोक्त कोई निर्माण–कार्य या कोई ऐसा निर्माण–कार्य, जो विधितः सड़क पर संपादित किया जा सके, किया जा रहा हो तो मुख्य नगराधिकारी नियमों में दी रीति से सड़क को गमनागमन के लिये पूर्णतया या अंशतः या किसी ऐसे गमनागमन के लिये, जिसे वह आवश्यक समझे, बन्द कर सकता है।

बिना अनुमति के सड़क न खोदी जाय, न तोड़ी जाय और न उन पर भवन सामग्री एकत्र की जाय

302–– (1) मुख्य नगराधिकारी या किसी महपालिका के पदाधिकारी या नौकर से भिन्न कोई व्यक्ति मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा या अन्य वैध प्राधिकार के बिना ––

(क) किसी भूमि या खंडंजे या किसी दीवाल, मेंड, खंभे, जंजीर या किसी अन्य सामग्री या वस्तु को , जो {निगम}[1] में निहित किस सड़क का भाग हो या किसी खुली जगह में हो, न खोद, न तोड़े न अपने स्थान से हटाये न उसमें कोई परिवर्तन करना आरम्भ करे, न कोई परिवर्तन करे और न उसे कोई क्षति पहुचायें,

(ख) {निगम}[1] में निहित किसी सड़क या खुली जगह पर कोई भवन सामग्री एकत्र न करें,

(ग) {निगम}[1] में निहित किसी सड़क या किसी खुली जगह पर किसी भी निर्माण–कार्य के प्रयोजन के लिये कोई पाढ या अन्य स्थायी निर्माण या गाना बनाने या ईटें, चूना, कूडाकरकट या अन्य सामग्री एकत्रित करने के लिये बाड़े के रूप में कोई खंभे, छड़, कठघरे, पट्टल या अन्य वस्तुएं न लगायें।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) या (ग) के अधीन दी गयी कोई अनुज्ञा मुख्य नगराधिकारी के विवेकानुसार उसके द्वारा उस व्यक्ति को, जिसे अनुज्ञा दी गई हो, अनुज्ञा को समाप्त करने के संबंध में कम से कम 24 घंटे का लिखित नोटिस देने पर समाप्त की जा सकेगी।

(3) मुख्य नगराधिकारी बिना नोटिस दिये –

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) ऐसी भूमि या खड़जे या किसी दीवाल, मेड़ खंभे, छड़ या अन्य सामग्री या वस्तु को जो सड़क का भाग हो, उसी दशा में करवा सकता है, जैसी कि वह उपधारा (1) के अधीन मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा लिये बिना किसी प्रकार से खोदे जाने, तोड़े जाने, अपने स्थल से हटाये जाने या परिवर्तित किये जाने या क्षति पहुंचाये जाने के पूर्व थी,

(ख) उन दशाओं को छोड़कर, जिनमें उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन किसी सड़क पर भवन–सामग्री एकत्र करने की अनुज्ञा के लिये प्रार्थना–पत्र दिया गया हो और प्रार्थना–पत्र देने के दिनांक से सात दिन के भीतर प्रार्थी को कोई उत्तर न भेजा गया हो, किसी भवन–सामग्री या किसी पाढ या किसी अस्थायी निर्माण या बाड़े के रूप में किन्हीं खंभों, छड़ों, कठघरों, पट्टलों या अन्य वस्तुओं को, जो किसी सड़क पर उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुज्ञा या प्राधिकार के बिना एकत्र की गई हो या लगायी गयी हो या जो ऐसी अनुज्ञा या प्राधिकार से एकत्रित की गई हों या लगायी गई हो परन्तु उपधारा (2) के अधीन दिये गये नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर हटाई न गई हो, हटवा सकता है।

उन व्यक्तियों द्वारा जनसुरक्षा के पूर्वोपायों का किया जाना, जिन्हें धारा 302 के अधीन अनुज्ञा दी जाय

303–– (1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे धारा 302 के अधीन अनुमति दी जाय अपने व्यय से उस स्थान को, जहां भूमि या खडंजा खोदा गया हो या तोड़ा गया हो या जहां उसने भवन–सामग्री एकत्र की हो, या कोई पाढ, निर्माण या अन्य वस्तु लगायी हो, उचित रूप से मेंड द्वारा घिरवायेगा और उसकी रक्षा करवायेगा और ऐसी सभी दशाओं में, जिनमें उसका दुर्घटनायें बचाना आवश्यक हो, रात्रि में उसे स्थान पर प्रकाश की अच्छी व्यवस्था करायेगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे धारा 302 के अधीन किसी सड़क की भूमि या खड़ंजा खोदने या तोड़ने की अनुज्ञा दी गई हो या जो अन्य वैध प्राधिकार के अधीन किसी सड़क भी भूमि या खड़ंजा खोदे या तोड़े, यथाशक्त पूर्णवेग से उस निमार्ण–कार्य को पूरा करेगा, जिसके लिये कि वह खोदे या तोड़ा जायेगा और भूमि को भरेगा और उस खोदी या तोड़ी गई सड़क या खड़ंजे को अविलम्ब मुख्य नगराधिकारी के सन्तोषानुसार फिर पूर्वावस्था में करके ठीक करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त व्यक्ति पूर्वोक्त प्रकार से सड़क या खड़ंजे को फिर पूर्वावस्था में करके ठीक न करे तो मुख्य नगराधिकारी उस सड़क या खड़ंजे को ठीक करवा सकता है और ऐसा करने में मुख्य नगराधिकारी द्वारा किया गया व्यय उक्त व्यक्ति को वहन करना पड़ेगा।

(3) मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे धारा 302 के अधीन किसी सड़क की भूमि या खड़ंजा खोदने या तोड़ने की अनुमति दी गयी हो या जो किसी अन्य वैध प्राधिकार के अधीन किसी निर्माण–कार्य के सम्पादन करके के लिये किसी सड़क की भूमि या खड़ंजा खोदे या तोड़े, यह आज्ञा दे सकता है कि वह उसके सन्तोषानुसार उस सड़क से होकर या भू–गृहादि को जाने वाले मार्ग को सुरक्षित रखने के निर्मित यातायात के लिये मार्ग या उसके परावर्तन को और किसी नाली, जल–सम्भरण या प्रकाश के ऐसे साधनों को, जो उक्त निर्माण कार्य के सम्पादन के कारण बाधित होते हों, व्यवस्था करे।

भवन, जो सड़कों के कोनों पर हों

304–– (1) मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से लिखित आज्ञा द्वारा किसी ऐसे भवन के, जिसका निर्माण हो चुका हो या जिसका निर्माण होने वाला हो या जिसका पुननिर्माण या मरम्मत होनी हो और जो दो या अधिक सड़कों के संगम पर स्थित हो, कोने को ऐसी ऊंचाई पर और ऐसी रीति से, जिसे वह निर्धारित करे, गोल किये जाने या ढालू किये जाने का आदेश दे सकता है ओर, उक्त आज्ञा में चहारदीवारी या मेंड या आड़ या किसी भी प्रकार की अन्य संरचना के संबंध में या उस भवन से सम्बद्ध या भू–गृहादि पर कोई पेड़ लगाने या उसे रहने देने के संबंध में ऐसी शर्तें भी लगा सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गयी आज्ञा के कारण होने वाली किसी हानि या क्षति के लिये मुख्य नगराधिकारी द्वारा प्रतिकर दिया जायगा।

(3) ऐसा प्रतिकर निर्धारित करने में उस लाभ का ध्यान रखा जायगा, जो उस भू–गृहादि को सड़कों के सुधार से प्राप्त हो।

आकाश–चिन्ह और विज्ञापन

आकाश–चिन्ह के संबंध में विनियम

305–– (1) कोई व्यक्ति मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना उस प्रकार का कोई आकाश चिन्ह, जो नियमों के अनुसार विहित किया गया हो, चाहे वह नियत दिन को विद्यमान हो या न हो, न खड़ा करेगा, न लगायेगा और न रहने देगा। ऐसा लिखित अनुज्ञा उक्त प्रत्येक अनुज्ञा या नवीकरण के दिनांक से किसी भी अवधि के लिये, जो दो वर्ष से अधिक न हो दी या नवीकृत की जायगी, पर इस शर्त के अधीन कि ऐसी अनुज्ञा शून्य समझी जायेगी, यदि :–

(क) मुख्य नगराधिकारी के आदेशों के अधीन उस आकाश–चिन्ह को सुरक्षित बनाने के प्रयोजन के सिवाय इसमें अन्य कोई परिवर्धन किया जाय,

(ख) आकाश–चिन्ह या उसके किसी भाग में कोई परिवर्धन किया जाय,

(ग) आकाश–चिन्ह या उसका कोई भाग दुर्घटना से नष्ट हो जाने से या किसी अन्य कारण से गिर जाय,

(घ) उस भवन या ढांचें में, जिस पर जिसके ऊपर आकाश–चिन्ह खड़ा किया गया हो, लगाया गया हों, या रहने दिया गया हो, कोई परिवर्धन या परिवर्तन किया जाय, जिसमें आकाश–चिन्ह या उसके किसी भाग का विस्थापन अन्तर्ग्रस्त हों,

(ङ) वह भवन या ढांचा जिस पर या जिसके ऊपर आकाश–चिन्ह खड़ा किया गया हो, लगाया गया हो या रहने दिया गया हो, खाली हो जाय अथवा गिरा दिया जाय या नष्ट हो जाय।

(2) यदि उस अनुज्ञा से अनुकूल, जिसकी व्यवस्था इसके पूर्व की जा चुकी है, कोई आकाश–चिन्ह नियत दिन के पश्चात् किसी भूमि, भवन या ढांचे पर या उसके ऊपर खड़ा किया जाय, लगाया जाय या रहने दिया जाय, तो उस भूमि, भवन या ढांचे के स्वामी या अध्यासी व्यक्ति के संबंध में यह समझा जायगा कि उसने इस धारा का उल्लंघन करके ऐसे आकाश–चिन्ह को खड़ा किया, लगाया या रहने दिया है, जब तक कि वह यह सिद्ध न करें कि उक्त उल्लंघन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो उसके नियोजन या नियन्त्रण में नहीं था अथवा उसके अज्ञानाभिनय के बिना हुआ है।

(3) यदि कोई आकाश चिन्ह इस धारा के उपबन्धों के प्रतिकूल किसी अवधि के लिये उसके खड़े किये जाने, लगाने या रहने दिये जाने के लिये दी गई आज्ञा समाप्त या शून्य हो जाने के पश्चात् खडा किया जाय, लगाया जाय या रहने दिया जाय, तो मुख्य नगराधिकारी, लिखित नोटिस द्वारा उस भूमि, भवन या ढांचे के स्वमी या अध्यासी को, जिस पर या जिसके ऊपर आकाश–चिन्ह खड़ा किया, लगाया या रहने दिया गया हो, ऐसे आकाश–चिन्ह को उतारने और हटा देने का आदेश दे सकता है।

विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण

306–– (1) मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा किसी भूमि, भवन दीवाल, बाड़ या संरचना के स्वामी या उसमें अध्यासीन व्यक्तियों को उस अवधि के भीतर, जो नोटिस में निर्दिष्ट की गई हो, उसे भूमि, भवन, दीवाल, भोजनालय या ढांचे पर के किसी विज्ञापन के उतारने या हटा देने का आदेश दे सकता है।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) यदि विज्ञापन उस अवधि के भीतर उतारा या हटाया न जाय तो मुख्य नगराधिकारी उसे उतरवा या हटवा सकता है, और उसके उतारने या हटाने में उचित रूप से किया गया व्यय ऐसे स्वामी या व्यक्ति द्वारा वहन किया जायगा।

(3) इस धारा के उपबन्ध किसी ऐसे विज्ञापन पर लागू नहीं होंगे, जो ——

(क) किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किया जाता हो,

(ख) किसी व्यापार या कारबार से संबंध रखता हो जो उस भूमि या भवन के भीतर किया जाता हो या जो उस भूमि या भवन या उनके किसी सामान किसी विक्रय या उसे किराये पर उठाने से संबंध रखता हो या जो उनमें आयोजित किये जाने वाले किसी बिक्रय, मनोरंजन या अधिवेशन से संबंध रखता हो,

(ग) किसी रेल प्रशासन के कारबार के संबंध रखता हो,

(घ) किसी रेलवे स्टेशन के भीतर या रेल प्रशासन की किसी दीवाल या अन्य सम्पत्ति के ऊपर प्रदर्शित किया जाता हो, सिवाय ऐसी दीवाल या सम्पत्ति की सतह के उस भाग के जो किसी सड़क के सामने हो।

खतरनाक स्थान व ऐसे स्थान, जहां कोई ऐसा निर्माण—कार्य किया जा रहा हो, जिससे जनता की सुरक्षा व सुविधा पर प्रभाव पड़ता हो।

सड़क से सटे हुए किसी भवन पर निर्माण—कार्य के समय बाडों का लगाया जाना

307—— (1) कोई व्यक्ति, जो किसी भवन या दीवाल को बनाने, गिराने या फिर से बनाये या किसी भवन या दीवाल के किसी भाग में परिवर्तन करने या उसकी मरम्मत करने या विचार करता हो, ऐसी किसी भी दशा में, जिसमें उससे सटी हुई किसी सड़क की पगडंडी अवरुद्ध या कम सुविधाजनक हो जाय, ऐसा करना तब तक प्रारम्भ नहीं करेगा जब तक कि वह पहले सुविधाजनक मचान और कटेहरा सहित, यदि उसके लिये पर्याप्त स्थान हो, और मुख्य नगराधिकारी उसे वांछनीय समझे, उचित और पर्याप्त बाड़ या मेड़ न लगवा ले, जो ऐसे बाड़ या मेड़ के बाहर यात्रियों के लिये पगडंडी का काम देगा।

(2) कोई बाड या मेड़ मुख्य नगराधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना उक्त प्रकार से लगायी जायगी, और प्रत्येक ऐसा तख्ता या मेड, जो ऐसी अनुज्ञा से पूर्वोक्त मचान और कटेहरा सहित लगायी गई हो, निर्माण—कार्य सम्पादित करने वाले व्यक्ति द्वारा मुख्य नगराधिकारी के सन्तोषानुसार उस समय तक के लिये, जो सार्वजनिक सुरक्षा और सुविधा के लिये आवश्यक हो, खड़ी रहने दी जायगी और ऐसी सभी दशाओं में, जिनमें वह दुर्घटनायें बचाने के लिये आवश्यक हों, उक्त व्यक्ति उस बाड़ या दीवार पर रात्रि में प्रकाश की अच्छी व्यवस्था करेगा।

(3) मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को इस प्रकार लगाये गये किसी बाड़ या मेड़ को हटाने का आदेश दे सकता है।

मुख्य नगराधिकारी खतरनाक या ऐसे स्थानों की, जहां कोई ऐसा निर्माणकार्य किया जा रहा है जिससे सुरक्षा और सुविधा पर प्रभाव पड़ता हो, मरम्मत या उन्हें घेरने की कार्यवाही करेगा।

308—— (1) यदि कोई स्थान मुख्य नगराधिकारी की राय में सड़क के यात्रियों या उसके पास—पड़ोसी के लिये पर्याप्त मरम्मत, संरक्षण या घेरे के न होने के कारण या उस पर कोई निर्माण—कार्य सम्पादित किये जाने के कारण, संकट—प्रद हो या यदि कोई ऐसा निर्माण—कार्य मुख्य नगराधिकारी की राय में उन व्यक्तियों की सुरक्षा या सुविधा पर प्रभाव डालता हो, तो वह लिखित नोटिस द्वारा उसके स्वामी या अध्यासी को उक्त स्थान की मरम्मत करने, उसका संरक्षण करने या उसे घेरने या अन्य ऐसी कार्य वाही करने का, जो मुख्य नगराधिकारी को आवश्यक प्रतीत हो, आदेश दे सकता है, ताकि उससे उत्पन्न होने वाले संकट का निवारण हो सके या उक्त व्यक्तियों की सुरक्षा या सुविधा सुनिश्चित हो जाय।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) मुख्य नगराधिकारी ऐसा कोई नोटिस देने से पूर्व या ऐसे नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व उक्त स्थान से होने वाले संकट के निवारणार्थ या उस निर्माण—कार्य पर सुरक्षा या सुविधा को सुनिश्चत करने के लिये ऐसी अस्थायी कार्यवाही कर सकता है, जिसे वह ठीक समझे और ऐसी अस्थायी कार्यवाही करने में मुख्य नगराधिकारी द्वारा किया गया व्यय उस स्थान के, जिसके संबंध में नोटिस दिया गया हो, स्वामी या अध्यासी को वहन करना पड़ेगा।

गिराने के कार्य के समय संरक्षण की कार्यवाहियां

309—— (1) कोई व्यक्ति, जो किसी भवन या उसके किसी भाग को गिराने का विचार करता हो, ऐसा करना तब तक प्रारम्भ नहीं करेगा जब तक कि वह उक्त बाड़ या मेड़ के अतिरिक्त, जिसकी धारा 307 के अधीन, व्यवस्था करना उसके लिये अपेक्षित हो, उस भवन के चारों ओर उसकी पुरी ऊंचाई तक आवरण की व्यवस्था न कर ले ताकि आस—पास की वायु की धूल से दूषित होने से अथवा मलवे, ईंटों लकड़ी और अन्य सामान के गिरने से होने वाली क्षति या हानि को बचाया जा सके।

(2) यदि कोई निर्माण—कार्य उपधारा (1) का उल्लंघन करने प्रारम्भ किया जाय, तो मुख्य नगराधिकारी उसे तुरन्त बन्द करवा सकता है और ऐसे व्यक्ति जो, उसे करवा रहा हो, पुलिस पदाधिकारी द्वारा भू—गृहादि से हटवा सकता है।

सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना

सार्वजनिक सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था की जायगी

310—— (1) मुख्य नगराधिकारी ———

(क) सार्वजनिक सड़कों, {निगम}[1] उद्यानों और खुले स्थानों तथा {निगम}[1] बाजारों और {निगम}[1] में निहित सभी भवनों पर, उपयुक्त रीति से रोशनी के लिये उपाय करेगा,

(ख) बत्तियों, बत्तियों के खंभों और उनसे सम्बद्ध अन्य ऐसी वस्तुओं को उतनी संख्या में प्राप्त करेगा, लगायेगा और संधारित करेगा, जो उक्त प्रयोजन के आवश्यक हों, और

(ग) उक्त बत्तियों को तेल, गैस बिजली या अन्य ऐसी रोशनी से जलवायेगा, जिसे {निगम}[1] समय—समय पर निर्धारित करे।

(2) मुख्य नगराधिकारी प्रतिकर के किसी दावे या उत्तरायी हुए बिना उक्त बत्तियों को जलाने के लिये किसी अचल संपत्ति के नीचे, ऊपर, साथ—साथ या आर—पार बिजली के तार रख सकता और संसारित कर सकता है और बत्तियों या बिजली के तार को ले जाने, निलंबित करने ओर सहारा देने के लिये खंभे, बल्लियां, ध्वजदंड, रोक, अवलम्ब, ब्रैकेट्स अन्य युक्ति किसी अचल सम्पत्ति में या रख सकता है और धारित हो कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे तार, खंभे, बल्लियां, ध्वजदंड, रोक, अवलम्ब, ब्रेकेट्स और अन्य युक्ति इस प्रकार रखे जायेंगे कि उनके कारण किसी व्यक्ति को न्यूनतम व्यावहारिक असुविधा हो या अप्रदूषण पैदा हो।

सड़कों पर पानी का छिड़काव

सड़कों पर पानी के छिड़काव के लिये उपाय

311—— मुख्य नगराधिकारी ———

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) सार्वजनिक सड़कों पर ऐसे समय और मौसमों में और ऐसी रीति से, जिसे वह ठीक समझे, पानी के छिड़काव के लिये उपाय कर सकता है;

(ख) ऐसे वाहनों, पशुओं और स्थिर–य़न्त्रों को, जिसे वह उक्त प्रयोजन के लिये ठीक समझे, प्राप्त और संधारित कर सकता है।

विविध

सड़कों की बत्तियों या अन्य {निगम}[1] संपत्ति को हटाने आदि का प्रतिबन्ध

312–– (1) कोई व्यक्ति बिना वैध प्राधिकार के–

(क) किसी बत्ती, बत्ती के खंभे या बत्तियों की जाली को, जो किसी सार्वजनिक सड़क पर या {निगम}[1] उद्यान, खुले स्थान या बाजार या {निगम}[1] में निहित भवन में लगाई गई हों,

(ख) किसी बिजली के तार, को, जो उक्त किसी बत्ती को जलाने के लिये हो,

(ग) किसी खंभे, बल्ली, ध्वजदंड, रोक, अवलम्ब, ब्रैकेट या अन्य युक्ति को, जो ऐसे किसी बिजली के तार या बत्ती को ले जाने, निलम्बित करने या सहारा देने के लिए हों,

(घ) किसी सड़क पर {निगम}[1] की किसी संपत्ति को न ले जायेगा, न जान बूझकर तोड़ेगा न नीचे फेंकेगा और न क्षति पहुंचायेगा और कोई व्यक्ति किसी बत्ती को जानबूझकर न बुझायेगा और न किसी बत्ती से सम्बद्ध किसी वस्तु को क्षति पहुंचायेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपेक्षा से या दुर्घटनावश या अन्यथा किसी सार्वजनिक सड़क या महपालिका बजार, उद्यान या सार्वजनिक स्थान या {निगम}[1] में निहित भवन पर लगाई गई किसी बत्ती को तोड़ेगा या किसी सडक पर {निगम}[1] की किसी सम्पत्ति को तोड़ेगा या उसे क्षति पहुंचायेगा, तो उसे इस प्रकार की गई क्षति की मरम्मत कराने के व्यय को वहन करना होगा।

राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को नगर की सीमा के बाहर प्रवृत्त कर सकती है।

313–– राज्य सरकार, सरकारी गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा किसी ऐसे क्षेत्र में जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट किया जायगा, किन्तु जो नगर की सीमाओं से दो मील से अधिक दूर न होगा, इस अध्याय की किसी धारा और तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों को ऐसे अनुकूलों के अधीन चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो, जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक और इष्टकर समझे, प्रवृत्त कर सकती है और तदुपरान्त उपर्युक्त रूप में प्रवृत्त उपबन्ध और नियम उसी प्रकार प्रभावशील होंगे मानों कि वह नगर के भीतर हों,

नियम बनाने का अधिकार

314–– (1) इस अघ्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है।

(2) उपर्युक्त अधिकारों की व्यापकता को बाधित न करते हुए ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है–

(क) रीति, जिससे धारा 237 के अधीन {निगम}[1] किसी सार्वजनिक सड़क को बन्द करने की स्वीकृति देगी और सड़क के स्थल निस्तारण,

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) रीति, जिससे धारा 279 के अधीन किसी वर्तमान पंक्ति के स्थान पर सड़क की नई पंक्ति विहित करने के लिये कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति दी जायगी,

(ग) रीति, जिससे कोई व्यक्ति धारा 287 के अधीन भूमि को भवन के प्रयोजनों के लिये बेचने या पट्टे पर देने आदि या किसी निजी सड़क के विन्यास करने के अपने अभिप्राय, का, नोटिस देगा और वह प्रक्रिया, जिसे मुख्य नगराधिकारी ऐसे नोटिस पर कार्यवाही करने में, जिसके अनतर्गत अतिरिक्त सूचना और प्रमाणीकृत नक्शा मांगना भी है, अपनायेगा,

(घ) धारा 301 के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा और सुविधा के लिये उस समय की जाने वाली कार्यवाही जब सड़कों पर या उनके पास किसी निर्माण–कार्य का संपादन हो रहा हो।

अध्याय 13
निर्माण के विनिमय

भवनों के निर्माण से संबद्ध नोटिस

315–– इस अध्याय में पद 'भवन निर्माण करना' के अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे –– परिभाषा

(क) उस व्यवस्था के अधीन रहते हुए, जो नियमों द्वारा विहित की जाय, किसी वर्तमान भवन के किसी सारभूत भाग का पुनर्निर्माण,

(ख) किसी ऐसे भवन या भवन के भाग को, जो प्रारम्भ में मनुष्यों के रहने के अभिप्राय से न बनवाया गया हो, और जो पहले से मनुष्यों के रहने के लिये प्रयुक्त न हो रहा हो, निवास–गृह में परिवर्तन करना,

(ग) किसी भवन के किसी एक निवास–स्थान या दो अथवा उससे अधिक निवास–स्थानों को संरचनातमक परिवर्तन द्वारा अधिक या कम निवास–गृहों में परिवर्तित करना, जिससे उसके जल–निस्तारण या सफाई की व्यवस्था अथवा उसकी मजबूती पर प्रभाव पड़े,

(घ) किसी भवन को, संरचनात्मक परिवर्तन द्वारा किसी धार्मिक उपासना के स्थल अथवा पवित्र स्थान के रूप में बदलना, जो प्रारम्भ में ऐसे प्रयोजन के लिये अभिप्रेत न रहा हो अथवा निर्मित न किया गया हो,

(ङ) दीवालों अथवा भवनों के बीच के किसी खुले स्थान की आच्छादित करना अथवा उसमें छत डालना जहां तक उस ढांचे का संबंध हो, जो ऐसे खुले स्थान को आच्छादित करने अथवा उसमें छत डालने से तैयार होता हो,

(च) किसी ऐसे भवन को छोटी दूकान, दूकान भंडार अथवा माल गोदाम के रूप में परिवर्तित करना, जो प्रारम्भ में इस प्रकार के प्रयोग के लिये न बनवाया गया हो,

(छ) किसी ऐसी सड़क अथवा भूमि से संलग्न किसी दीवाल में, जो दीवाल के स्वामी में निहित न हो ऐसा दरवाजा बनाना जो ऐसी सड़क अथवा भूमि पर खुलता हो,

(ज) कोई अन्य कार्य, जिसके संबंध में एतदर्थ बनायी गयी किसी उपविधि द्वारा यह घोषित किया जाय कि वह किसी भवन का निर्माण समझा जाय।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

भवन निर्माण का नोटिस

316—— प्रत्येक ऐसे व्यक्त्ति, जो भवन निर्माण करना चाहता हो, मुख्य नगराधिकारी को अपने ऐसा करने के अभिप्राय का लिखित नोटिस ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसी रीति से देगा और उसमें ऐसे ब्योरे उल्लिखित होंगे जो उपविधियों द्वारा विहित किये जायं।

भवन में मरम्मत, परिवर्तन इत्यादि के सम्बन्ध में नोटिस

317—— प्रत्येक व्यक्ति, जिसका अभिप्राय—

(क) किसी भवन में परिवर्द्धन करना,

(ख) किसी ऐसे भवन में जो ढांचे पर बना भवन न हो, कोई परिवर्तन या मरम्मत करना, जिसमें उस भवन की किसी वाह्य दीवाल या पाख अथवा किसी ऐसी दीवाल का, जिसके ऊपर उसकी छत हो उस आयति तक हटाया जाना या पुननिर्माण अन्तर्गसत है, जो कुर्सी की सतह के ऊपर ऐसी दीवाल के आधे से अधिक हो, जो आधा बहिस्पर्शी फुटों में नापा जायगा,

(ग) किसी ढांचे पर बने भवन में कोई परिवर्तन या मारम्मत, करना जिसमें उसकी पूर्वोक्त प्रकार के किसी दीवाल के आधे से अधिक खम्भों या धन्नियों का हटाया जाना या उनका पुननिर्माण अन्तर्ग्रस्त है या जिसमें उसकी पूर्वोक्त प्रकार की किसी दीवाल का उस आयति तक हटाया जाना यचा पुनर्निर्माण अन्तर्ग्रस्त है जो कुर्सी की सतह के ऊपर ऐसी दीवाल के आधे से अधिक हों, जो आधा बहिस्पर्शी फुटों में नापा जायगा,

(घ) भवन में किसी प्रकार का परिवर्तन करना, जिसमें निम्नलिखित बातें अन्तर्ग्रस्त हों—

(1) ऐसे भवन के किसी कमरे को उपभोगों में विभाजित करना, जिससे वह अलग—अलग दो या अधिक कमरों में परिवर्तित हो जाय,

(2) ऐसे भवन में किसी मार्ग या स्थल को कमरा या कमरों के रूप में परिवर्तित करना,

(3) सड़क से लगे हुए और उसकी नियमित पंक्ति के भीतर स्थित भवन के किसी भाग की मरम्मत करना, उसे हटाना उसका, निर्माण करना, पुनर्निर्माण करना अथवा उसमें परिवर्द्धन करना,

(ङ) भवन में किसी प्रकार का कार्य संपादि करना जिसमें निम्नलिखित अन्तर्गस्त हों ——

(1) छत का निर्माण अथवा पुननिर्माण,

(2) छत को चौरस छत के रूप में परिवर्तित करना,

(3) चौरस छत को छत के रूप में परिवर्तित करना, अथवा

(4) ''लिफ्ट शैफ्ट'' का निर्माण,

(च) भवन में किसी भी प्रकार की मरम्मत करना, जिसमें कमरे के फर्श का निर्माण अन्तर्ग्रस्त हो (भूमि वाले फर्श को छोड़कर),

(छ) वाह्य दीवाल के किसी दरवाजे अथवा खिड़की की स्थायी रूप से बन्द करना, अथवा

(ज) मुख्य जीने का हटाया जाना अथवा उसका पुननिर्माण या उसकी स्थिति में परिवर्तन करना हो,

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

वह मुख्य नगराधिकारी को एक लिखित नोटिस ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसी सूचना के साथ देगा, जो तदर्थ बनायी गयी उपविधियों के अनुसार अपेक्षित हो और उसके साथ ऐसे लेख्य तथा नक्शे भेजेगा, जो विहित किये जायं।

योजनाओं आदि का अस्वीकार करना यदि वे विहित रीति से न बनायी गयी हो या जब प्रार्थी मुख्य नगराधिकारी द्वारा मांगे गये ब्योरे प्रस्तुत न करे

318–– कोई नक्शा, खंड विवरण, संरचनात्मक चित्र अथवा संरचनात्मक परिगणना और अन्य कोई नोटिस, जो उसके निमित्त विहित की गयी शर्तों की पूर्ति न करें या जिसके संबंध में अतिरिक्त विवरण तथा ब्योरे मुख्य नगराधिकारी को ऐसी अवधि के भीतर, जो उसके द्वारा नियत की जाय, प्रस्तुत न किये जायं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये पर्याप्त तथा वैध नहीं समझा जायेगा।

अवधि, जिसके भीतर मुख्य नगराधिकारी कार्य संपादन करने के निमित अनुज्ञा देगा अथवा न देगा

319–– धारा 316 या 317 के अधीन दिये गये किसी आवेदन–पत्र अथवा नियमों अथवा उपविधियों के अधीन अपेक्षित किसी सूचना, या लेख्य या अतिरिक्त सूचना या लेख्यों के प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर मुख्य नगराधिकारी लिखित आज्ञा द्वारा या तो ऐसी अनुज्ञा दे देगा या धारा 321 अथवा धारा 322 में दिये हुए एक या एकाधिक कारणों से उसे अस्वीकार कर देगा।

कार्यकारिणी समिति का अभिदेश, यदि मुख्य नगराधिकारी अनुमोदन अथवा अनुज्ञा को स्वीकार करने या अस्वीकार करने या अस्वीकार करने में बिलम्ब करे।

320–– (1) यदि यथास्थिति धारा 318 अथवा 319 में दी हुई अवधि के भीतर मुख्य नगराधिकारी ने भवन के निर्माण करने अथवा धारा 317 में निर्दिष्ट निर्माण–कार्य को संपादित करने के निमित्त, जिसके लिये प्रार्थना–पत्र दिया गया हो, न तो अपनी अनुज्ञा दी हो और न अनुज्ञा देना अस्वीकार ही किया हो तो प्रार्थी के लिखित प्रार्थना–पत्र पर कार्य कारिणी समिति लिखित आज्ञा द्वारा यह निर्धारित करने के लिये बाध्य होगी कि ऐसा अनुमोदन अथवा अनुज्ञा दी जानी चाहिये अथवा नहीं।

(2) यदि कार्यकारिणी समिति उक्त लिखित प्रार्थना के प्राप्त होने के एक मास के भीतर यह निर्धारित नहीं करती कि इस प्रकार की अनुज्ञा दी जानी चाहिये अथवा नहीं तो ऐसी अनुज्ञा दी गई समझी जायेगी अैर प्रार्थी कार्य को सम्पादित करना आरम्भ कर देगा, किन्तु इस प्रकार नहीं कि उससे इस अधिनियम के अथवा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्ही नियमों या उपविधियों का उल्लंघन हो।

आधार, जिन पर भवन के स्थल के निर्मित अनुमोदन अथवा भवन का निम्राण या पुनर्निर्माण करने की अनुज्ञा अस्वीकृत की जा सकती है

321–– (1) वे कारण केवल जिनके आधार पर कोई भवन निर्मित करने या धारा 317 में निर्दिष्ट निर्माण–कार्य संपादित करने की अनुज्ञा अस्वीकृत की जा सकती है, निम्नलिखित है, अर्थात् ––

(क) निर्माण–कार्य या निर्माण–कार्य के लिये स्थल का उपयोग या स्थल के नक्शे भूमि के नक्शे, उच्च स्थल खंड या विशेष विवरण किसी विधि के किसी विशिष्ट उपबन्ध का या किसी विधि के अधीन दी गयी किसी विशिष्ट आज्ञा, बनाये गये नियम, की गयी घोषणा या निर्मित उपविधि का उल्लंघन करते हों,

(ख) उक्त अनुज्ञा के निमित्त दिये गये प्रार्थना–पत्र में वे विवरण नहीं है अथवा वह उस रीति से तैयार नहीं किया गया है, जो नियमों या उपविधियों द्वारा अपेक्षित है, या उस पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं, जैसा कि नियमों अथवा उपविधियों द्वारा अपेक्षित है,

(ग) कोई सूचना अथवा लेख्य जो नियमों या उप–नियमों के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, यथावत प्रस्तुत नहीं किये गये हैं,

(घ) प्रस्तावित भवन के सरकार अथवा {निगम}[1] की भूमि का अतिक्रमण होगा,

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ङ) ऐसे भवन का स्थल किसी सड़क अथवा प्रस्तावित सड़क से लगा हुआ नहीं है और ऐसे भवन में पहुंचने के लिये उस सड़क से कोई ऐसा मार्ग या पगडंडी नहीं है, जो उस स्थल तक जाती हो और जो किसी भी स्थान पर 12 फुट से कम चौड़ी न हो,

(च) प्रस्तावित भवन का स्थल धारा 323 में निर्दिष्ट प्रकार का है,

(छ) निर्माण–कार्य के लिये स्थल उस क्षेत्र का एक भाग है, जिसके विन्यास का नक्शा धारा 287 के अधीन व्यवस्थानुसार स्वीकृत नहीं हुआ है,

(ज) प्रस्तावित भवन या निर्माण–कार्य का प्रयोग धारा 383 के अधीन निर्मित नगर की महायोजना के अनुरूप नहीं है।

(2) जब कभी मुख्य नगराधिकारी अथवा कार्यकारिणी समिति, भवन–निर्माण करने अथवा धारा 317 में निर्दिष्ट निर्माण–कार्य को सम्पादित करने की अनुज्ञा न दे, तो ऐसे अस्वीकरण के कारण आज्ञा में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होंगे।

भवन–निर्माण की अनुज्ञा को निलंबित करने के लिये विशेष अधिकार

322–– धारा 312 में किसी बात के होते हुए भी यदि स्थल के नक्शे में प्रदर्शित कोई सड़क कोई अभिप्रेत निजी सड़क हो तो मुख्य नगराधिकारी अपने विवेकानुसार भवन निर्माण की अनुज्ञा देने से इन्कार कर सकता है, जब तक कि सड़क का बनाना प्रारम्भ अथवा समाप्त न हो जाय।

कुछ दशाओं में मनोरंजन के किसी स्थल के निर्माण के निर्मित्त स्वीकृति प्रदान करने के विशेष अधिकार पर निबन्धन

323–– इस अधिनियम में अथवा उसके धीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि में किसी बात के होते हुए भी, सार्वजनिक मनोरंजन के किसी भवन के निर्माण या उसमें कोई परिवर्द्धन न करने की स्वीकृति मुख्य नगराधिकारी या कार्यकारिणी समिति द्वारा बिना राज्य सरकार पूर्वानुमोदन के न दी जायेगी यदि ऐसे भवन का निर्माण स्थल अथवा प्रस्तावित निर्माण स्थल–

(क) निम्नलिखित से एक फर्लांग के अर्द्धव्यास के भीतर हो–

(1) कोई आवासिक संस्था जो किसी अभिज्ञात शिक्षा संस्था जैसे कालेज, हाई स्कूल या लड़कियों के स्कूल से संलग्न हो, या

(2) कोई सार्वजनिक अस्पताल, जिसमें अस्पताल में भर्ती होकर चिकित्सा कराने वाले रोगियों के लिये एक बड़ा कक्ष हो, अथवा

(3) कोई अनाथालय, जिसमें एक सौ या उससे अधिक व्यक्ति रहते हों,

(ख) किसी धनी आबादी के ऐसे आवासिक क्षेत्र में हो जो या तो केवल आवास के प्रयोजन के लिये हो अथवा व्यापारिक प्रयोजनों से भिन्न आवसिक प्रयोजनों के लिये रक्षित हो या सामान्यतया प्रयुक्त होता हो, या

(ग) किसी ऐसे क्षेत्र में हो, जो किसी विधायन के अन्तर्गत किसी गृह–निर्माण अथवा नियोजन की योजना द्वारा या अन्य प्रकार से आवासिक प्रयोजनों के लिये रक्षित हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि चलचित्रों के प्रदर्शनार्थ प्रयुक्त किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी भवन के निर्माण की अनुज्ञा उस समय तक नहीं दी जायगी जब तक कि कार्यकारिणी समिति को यह समाधान न हो जाय कि नक्शों और उसके विशेष ब्यौरों के संबंध में सिनेमेटोग्राफ ऐक्ट, 1918 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है।

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

कार्य का आरम्भ

324–– प्रत्येक व्यक्ति, जो कोई नया भवन निर्माण करना चाहता हो अथवा धारा 317 में निर्दिष्ट कोई निर्मााण–कार्य संपादित करना चाहता हो, भवन का निर्माण अथवा निर्माण–कार्य का संपादन ऐसी रीति से, ऐसी देख–रेख में, ऐसे अर्हता प्राप्त अभिकरण द्वारा और ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अधीन करेगा, जो ऐतदर्थ उपविधियों द्वारा उपबंधित किये जायं। भवन का निर्माण अथवा निर्माण–कार्य का संपादन कैसे कार्यान्वित किया जायगा

325–– मुख्य नगराधिकारी अथवा {निगम}[1] का एतदर्थ प्राधिकृत कोई पदाधिकारी या कर्मचारी भवन के निर्माण अथवा धारा 317 में निर्दिष्ट किसी निर्माण–कार्य के संपादन के दौरान में या उसके समाप्त होने के तीन मास के भीतर किसी भी समय कोई निरीक्षण कर सकता है और यदि उसके पास ऐसी शंका करने का समुचित कारण है कि किसी ऐसे भवन के निर्माण या किसी ऐसे निर्माण–कार्य के संपादन में इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि के किन्हीं उपबंधों के प्रतिकूल कुछ किया गया है तो वह ऐसे भवन के निर्माण–कार्य का निष्पादन करने वाले व्यक्ति को 15 दिन का पूर्व लिखित नोटिस देने के उपरान्त भवन के ऐसे भाग को, यदि कोई हो, जो ऐसी शंका की पर्याप्त रूप से पुष्टि अथवा निराकरण करने वाले तथ्यों की खोज करने में बाधक हो, काट सकता है, खोल सकता है या गिरा सकता है : भवनों के निर्माण, उनमें परिवर्तन आदि के दोरान मेंम ुख्य नगराधिकारी द्वारा उसका निरीक्षण

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जिस व्यक्ति के भवन अथवा निर्माण–कार्य को खोला गया हो, या काटा गया हो, उस व्यक्ति को मुख्य नगराधिकारी उस क्षति के लिये जो ऐसे भवन या संरचना को ऐसे कार्य से पहुंचा हो प्रतिकर देगा, यदि यह पता चले कि भवन के निर्माण अथवा उक्त निर्माण–कार्य के संपादन में उस व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं किया गया है।

326–– यदि मुख्य नगराधिकारी को उपर्युक्त भवन के निर्माण अथवा निर्माण–कार्य के संपादन के दौरान में किसी भी समय या उसके समाप्त हो जाने के तीन मास के भीतर किसी भी समय, चाहे अपने निरीक्षण के फलस्वरूप या अन्यथा, किसी ऐसे विषय का पता चले जिसके संबंध में ऐसे भवन के निर्माण का ऐसे निर्माण–कार्य के संपादन से इस अधिनियम के अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि के किसी उपबन्ध का उल्लंघन हुआ है, तो वह स्वामी को जा उक्त निर्माण अथवा संपादन कर रहा है, या चुका है, ऐसे उपबन्ध, नियम या उपविधि के प्रतिकूल किये गये किसी कार्य को संशोधित करने अथवा ऐसे कार्य करने के लिये आदेश दे सकता है, जिसका किया जाना ऐसे विधि उपबन्ध नियम या उपविधि के अनुसार अपेक्षित हो, किन्तु जो किया न गया हो। भवनों तथा निर्माण–कार्यों से सम्बद्ध उपबन्धों का प्रवर्तित किया जाना

327–– (1) यदि किसी भवन निर्माण का आरम्भ या धारा 317 में अभिदिष्ट निर्माण–कार्य का संपादन नियमों अथवा उपविधियों के उपबन्धों के प्रतिकूल किया गया हो तो मुख्य नगराधिकारी जब तक कि वह ऐसे भवन अथवा निर्माण–कार्य के संबंध में धारा 328 के अधीन कार्यवाही करना आवश्यक न समझे–––– अधिनियम, नियमों अथवा उपविधियों के प्रतिकूल प्रारमी किये भवन अथवा निर्माण–कार्य के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही

(क) लिखित नोटिस द्वारा उस व्यक्ति से, जो ऐसा भवन निर्माण अथवा ऐसे निर्माण कार्य का संपादन कर रहा हो, अथवा कर चुका हो, यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे दिनांक को या उसे पूर्व जो उक्त नोटिस में निर्दिष्ट किया जायगा, अपने अथवा अपने द्वारा एतदर्थ यथावत प्राधिकृत किसी अभिकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित प्रकथन में, जो मुख्य नगराधिकारी को संबंधित किया गया हो, इस बात का पर्याप्त कारण बताये कि उक्त भवन अथवा निर्माण–कार्य क्यों न हटा दिया जाय, परिवर्तित कर दिया जाय अथवा गिरा दिया जाय, अथवा

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) उपर्युक्त व्यक्ति से ऐसे दिन को, ऐसे समय और ऐसे स्थान पर, जो उक्त नोटिस में निर्दिष्ट होगा, व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने द्वारा तदर्थ यथावत् प्राधिकृत अभिकर्त्ता द्वारा उपस्थिति होने और इस बात का पर्याप्त कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि ऐसा भवन, निर्माण—कार्य क्यों न हटा दिया जा, परिवर्तित कर दिया जाय अथवा गिरा दिया जाय।

(2) यदि उक्त व्यक्ति मुख्य नगराधिकारी के संतोषानुसार इस बात का पर्याप्त कारण न दे सके कि ऐसा भवन या निर्माण—कार्य क्यों न हटा दिया जाय, परिवर्तित किया जाय अथवा गिरा दिया जाय तो मुख्य नगराधिकारी भवन अथवा निर्माण—कार्य को हटा सकता है, परिवर्तित कर सकता है, अथवा गिरा सकता है और ऐसा करने का व्यय उक्त व्यक्ति द्वारा वहन किया जायगा।

प्रार्थी के सारवान भ्रांत कथन के आचार पर मुख्य नगराधिकारी का अनुज्ञा निरस्त करने का अधिकार

328—— इस अधिनियम के अधीन किसी भवन—निर्माण या निर्माण—कार्य के प्राररम्भ करने की अनुज्ञा प्रदान करने के पश्चात् यदि किसी भी समय मुख्य नगराधिकारी का समाधान हो जाय कि ऐसी अनुज्ञा धारा 316 या 317 के अधीन दिये गये नोटिस या दी गयी सूचना में वर्णित किसी सारवान भ्रान्त कथन या प्रतारक प्रकथन या दी गयी किसी अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, के फलस्वरूप दी गयी थी, तो वह उस अनुज्ञा को निरस्त कर सकता है और उसके अधीन किया गया बिना उसकी अनुज्ञा के किया गया समझा जायगा।

समाप्ति के प्रमाण—पत्र कब्जा करने अथवा प्रयोग की अनुज्ञा

329—— (1) प्रत्येक व्यक्ति भवन—निर्माण अथवा धारा 317 में निर्दिष्ट किसी निर्माण—कार्य की समाप्ति के एक महीने के भीतर, मुख्य नगराधिकारी को उसके कार्यालय में ऐसी समाप्ति के सम्बन्ध में एक नोटिस् देगा या भेजेगा, अथवा दिलवायेगा या भिजवायेगा और उसके साथ उपविधियों में विहित प्रपत्र पर एक प्रमाण—पत्र भी होगा, जिस पर विहित रीति से उसके हस्ताक्षर हों और साथ ही मुख्य नगराधिकारी को ऐसे भवन अथवा निर्माण—कार्य के निरीक्षण के निमित्त सभी प्रकार की सुविधायें प्रदान करेगा तथ भवन में कब्जा करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन—पत्र भी देगा।

(2) कोई व्यक्ति उक्त किसी भवन पर न तो कब्जा करेगा और न कब्जा करने की अनुज्ञा देगा, या उस भवन का अथवा उसके किसी भाग का, जिस पर किसी निर्माण—कार्य का प्रभाव पडता हो, न प्रयोग करेगा और न प्रयोग करने की अनुज्ञा देगा, जब तक

(क) एतदर्थ मुख्य नगराधिकरी की अनुज्ञा प्राप्त न हो गयी हो, अथवा

(ख) मुख्य नगराधिकारी ने समाप्ति की नोटिस प्राप्त होने के 21 दिन तक अपनी उपर्युक्त अनुज्ञा अस्वीकृत करने की सूचना न भेजी हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) के अधीन भवन के किसी भाग के लिए भी आवेदन—पत्र दिया जा सकता है और अध्यासित करने के लिए मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा भी दी जा सकती है, जब मुख्य नगराधिकारी का समाधान हो जाय कि वह भाग निवास योग्य हो गया है।

संकटमय संरचनायें

भवनों की नियत—कालीन जांच

330—— (1) प्रत्येक भवन के स्वामी का यह कर्तव्य होगा कि वह भवन के प्रत्येक भाग और उसके संलग्न प्रत्येक वस्तु की मरम्मत करने के उस इस प्रकार संधारित करे कि वह संकटमय होने से बचा रहे।

(2) मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा किसी भी भवन के स्वामी को यह आदेश दे सकता है कि वह उपविधियों में विहित कालान्तरों पर तथा रीति के अनुसार भवन का निरीक्षण करवाये।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) उपधारा (2) के अधीन भवन के निरीक्षण के दो महीने के भीतर स्वामी ऐसी मरम्मत करना आरम्भ कर देगा, जो निरीक्षण के परिणामस्वरूप इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों के सभी उपबन्धों के ऐसी मरम्मत के संबंध में अनुपालन करके के पश्चात् धारा 331 के अर्थ में, संरचना की स्थिति को कायम रखने के अभिप्राय से आवश्यक बताये गये हों, और ऐसी मरम्मतों की समाप्ति के बाद, मुख्य नगराधिकारी को निरीक्षण करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ इस आशय का एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसने (स्वामी ने) मरम्मत सम्बन्धी कार्य संतोषजनक रूप में कर दिये हैं।

(4) उपधारा (2) के अधीन किये गये प्रत्येक निरीक्षण की रिपोर्ट उस व्यक्ति द्वारा, जिसके भवन का निरीक्षण किया हो, तुरन्त मुख्य नगराधिकारी को प्रस्तुत की जायगी और यदि स्वामी उपधारा (3) के आदेशों का अनुपालन न करे तो मुख्य नगराधिकारी इस धारा के अधीन या इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन उस भवन के सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह उचित समझे।

(5) उपधारा (4) के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा किये गये व्यय स्वामी को वहन करने पड़ेगे।

ऐसी संरचनाओं इत्यादि का हटाया जाना जो, खंडहर है अथवा गिरने वाले हों।

331—— (1) यदि मुख्य नगराधिकारी को किसी भी समय यह प्रतीत हो कि कोई संरचना जिसके अन्तर्गत कोई भवन, दीवाल, खंडजा मुंडेर, फर्श, सीढ़ियां, जंगले, दरवाजे अथवा खिड़की की चौखटें, संधारक अथवा छत या अन्य संरचना और कोई चीज जो किसी भवन, दीवाल मुंडेर अथवा अन्य संरचना से लगी हुई हो, उससे बाहर निकली हो या उस पर आश्रित हो, खंडहर है, अथवा गिरने वाली है अथवा किसी भी प्रकार उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है, जो उसमें अथवा उसके पड़ोस की किसी अन्य संरचना या स्थल में रहता है, वहां आता–जाता है, या उसके पास से गुजरता है, तो मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा, उस संरचना के स्वामी अथवा अध्यासी से उस संरचना या चीज को गिराने या उसे दृढ़ करने, हटाने अथवा उसकी मरम्मत करने या ऐसी ही एक या एकाधिक कार्य करने और उससे पैदा होने वाले संकट के समस्त कारणों को दूर करने की अपेक्षा कर सकता है।

(2) यदि मुख्य नगराधिकारी उचित समझे तो वह उपर्युक्त नोटिस द्वारा उक्त भवन के स्वामी अथवा अध्यासी से यह भी अपेक्षा कर सकता है कि वह या तो तुरन्त, या उपर्युक्त संरचना यचा चीज को गिराने, दृढ़ करने, हटाने अथवा उसकी मरम्मत करने से पहले बटोहियों और अन्य व्यक्तियों की रक्षा के लिये और उचित और पर्याप्त बाड़ अथवा घेरा लगाये, ऐसे सुविधाजनक मंच तथा जंगले, यदि उनके लिए पर्याप्त स्थान हो, और उन्हें मुख्य नगराधिकारी वांछनीय समझे, के सहित जो ऐसी बाड़ अथवा घेरा के बाहर आने–जाने वालों के लिए पगडंडी के रूप में प्रयुक्त हो सके।

(3) यदि मुख्य नगराधिकारी को यह प्रतीत हो कि किसी संरचना से, जो खण्डहर है, अथवा गिरने वाला है, शीध्र ही कोई संकट पैदा हो सकता है, तो वह उपर्युक्त नोटिस देने से पूर्व अथवा नोटिस की अवधि समाप्त होने के पूर्व उस संरचना पर घेरा डाल सकता है, उसे गिरा सकता है, उसे दृढ़ कर सकता है अथवा उसकी मरम्मत करा सकता है या ऐसे उपाय कर सकता है या ऐसा निर्माण–कार्य संपादित करवा सकता है, जो उस संकट की रोकथाम कर दे।

(4) उपधारा (3) के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा किये गये व्यय उक्त ढांचे के स्वामी अथवा अध्यासी को वहन करने होंगे।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(5) (क) मुख्य नगराधिकारी कोई प्रार्थना—पत्र प्राप्त होने पर अथवा अन्यथा यदि मुख्य नगराधिकारी की यह राय हो कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी संरचना के स्वामी या अध्यासी के लिए उस संरचना को गिराने दृढ़ करने या उसकी मरम्मत करने का एकमात्र अथव सुविधायुक्त साधन यही है कि उक्त संरचना से लगे हुये किसी अन्य व्यक्ति के किसी भू—गृहादि में प्रवेश किया जाय तो मुख्य नगराधिकारी ऐसे व्यक्ति को आपत्ति प्रस्तुत करने का उचित अवसर देने के पश्चात् यदि कोई आपत्ति न प्रस्तुत की जाय अथवा यदि कोई ऐसी आपत्ति की जाय जो उसे अमान्य अथवा अपर्याप्त प्रतीत हो, लिखित आज्ञा द्वारा उक्त स्वामी अथवा अध्यासी को उस संलग्न भू—गृहादि में प्रवेश करने का अधिकार दे सकता है,

(ख) उक्त प्रत्येक आज्ञा द्वारा जिस पर मुख्य नगराधिकारी के हस्ताक्षर होंगे उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में वह दी जाय, या किसी ऐसे अभिकर्त्ता या व्यक्ति को जिसे उसने एतदर्थ नियोजित किया हो, भू—गृहादि के स्वामी का `अपने अभिप्राय का उचित लिखित नोटिस देने के बाद इस बात का पर्याप्त प्राधिकार होगा कि वह उक्त भू—गृहादि में सहायकों तथा श्रमिकों के साथ सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच किसी भी समय प्रवेश करे और आवश्यक निर्माण—कार्यों का सम्पादन करे,

(ग) इस धारा के अधीन कोई निर्माण—कार्य सम्पादित करते समय संलग्न संपत्ति के स्वामी को सम्पत्ति की यथासंभव कम से कम क्षति पहुंचायी जायेगी तथ उस भू—गृहादि का स्वामी या अध्यासी, जिसके लाभ के लिए निर्माण—कार्य सम्पादित किया जा रहा हो————

(1) निर्माण—कार्य को कम से कम व्यावहारिक बिलम्ब से सम्पादित करवायेगा,

(2) किसी ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर देगा, जिसे उक्त निर्माण—कार्य के सम्पादन के फलस्वरूप क्षति पहुंची हो।

भवनों में संकटमय छिद्र

332—— यदि मुख्य नगराधिकारी की किसी भी समय यह प्रतीत हो कि किसी भवन के किसी भी भाग में कोई ऐसा छिद्र है, जो मानव जीवन के लिए संकटमय है, तो वह लिखित नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकता है कि ऐसा छिद्र उसके सन्तोषानुसार छड़ों झंझरीदार तवों अथवा ऐसी ही अन्य युक्तियों द्वारा घेर दिया जाय अथवा सुरक्षित कर दिया जाय।

अवैध रूप से किये गये निर्माण—कार्य

अवैध रूप से निर्माण—कार्य करने का आदेश देने वाले व्यक्ति को हटाने के सम्बन्ध में मुख्य नगराधिकारी के अधिकार

333—— (1) यदि मुख्य नगराधिकारी का समाधान हो जाय कि किसी भवन का निर्माण अथवा धारा 317 में निर्दिष्ट किसी निर्माण—कार्य का सम्पादन किसी भू—गृहादि में अवैध रूप से आरम्भ किया गया है अथवा अवैध रूप से किया जा रहा है तो वह लिखित नोटिस द्वारा निर्माण अथवा सम्पादन को आदिष्ट अथवा कार्यान्वित करने वाले व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है कि वह उसे तुरन्त बन्द कर दे।

(2) यदि उक्त निर्माण अथवा सम्पादन तुरन्त बन्द न किया जाय तो मुख्य नगराधिकारी आदेश दे सकता है कि उस निर्माण अथवा संपादन को आदिष्ट अथवा कार्यान्वित करने वलो किसी व्यक्ति को पुलिस पदाधिकारी द्वारा उस भू—गृहादि से हटा दिया जाय और ऐसी कार्यवाही कर सकता है, जिसे वह उक्त व्यक्ति को, बिना अपनी अनुज्ञा के, उस भू—गृहादि में पुनः प्रवेश करने से रोकने के लिए उचित समझें।

(3) उपधारा (2) के अधीन की गयी किसी कार्यवाही का व्यय उस व्यक्ति द्वारा वहन किया जायगा।

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

भू—गृहादि को खाली कराने का अधिकार

कतिपय परिस्थितियों में किसी भवन को खाली कराने के लिये मुख्य नगराधिकारी का अधिकार

334—— (1) किसी अन्य विधि के उपबन्धों में कोई विपरीत बात के होते हुये भी, मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा जिसमें ऐसा करने के कारण निर्दिष्ट हों, किसी भवन अथवा उसके किसी भाग को तुरन्त अथवा ऐसे समय के भीतर, जो उक्त नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय, खाली कराने की आज्ञा दे सकता है :——

(क) यदि उस भवन या उसके भाग में धारा 329 का उल्लंघन करके अवैध रूप से कब्जा किया गया हो,

(ख) यदि उस भवन या उसके भाग के संबंध में नोटिस जारी किया गया हो, जिसमें किसी वर्तमान जीने, दीर्घा, मार्ग अथवा उतरने के स्थान को परिवर्तित करने या पुनर्निर्मित करने की अपेक्षा की गयी हो और उस नोटिस में निर्दिष्ट निर्माण—कार्य आरम्भ अथवा समाप्त न किये गये हों,

(ग) यदि भवन अथवा उसका भाग धारा 331 के अर्थ में खंडहर अथवा संकटमय स्थिति में हों।

(2) उक्त भू—गृहादि के किसी भाग में पूर्वोक्त लिखित नोटिस के लगाये जाने से समझा जायगा कि ऐसे भवन अथवा उसके भाग के अध्यासियों को पर्याप्त सूचना दे दी गई है।

(3) उपधारा (1) के अधीन नोटिस जारी होने के बाद ऐसे भवन अथवा उसके भाग का अध्यासी प्रत्येक व्यक्ति, जिससे नोटिस का संबंध हो, ऐसे भवन या उसके भाग या नोटिस के आदेश के अनुसार खाली करेगा और जब तक नोटिस वापिस नहीं लिया जाता तब तक कोई व्यक्ति उस भवन अथवा उसके भाग में प्रवेश नहीं करेगा, किन्तु वह किसी ऐसे निर्माण—कार्य को कार्यान्वित करने के लिये उसमें प्रवेश कर सकता है, जिसे उसको विधितः कार्यान्वित करना हो।

(4) मुख्य नगराधिकारी आदेश दे सकता है कि किसी व्यक्ति को, जो उपधारा (3) का उल्लंघन करे, किसी पुलिस पदाधिकारी द्वारा उक्त भवन अथवा उस भवन के भाग के हटा दिया जाय।

(5) मुख्य नगराधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति के आवेदन—पत्र पर, जिसने उपधारा (1) के अधीन दिये गये नोटिस के अनुसार किसी भू—गृहादि को खाली किया हो, ऐसे नोटिस की वापसी पर उसे उक्त भू—गृहादि में फिर से रखेगा जब तक उसकी राय में संरचना में किसी परविर्तन अथवा उसे गिरा दिये जाने के कारण, वस्तुः अध्यासन के उन्हें निबन्धनों पर फिर से रखना अव्यावहारिक न हो।

(6) मुख्य नगराधिकारी, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उपधारा (5) के अधीन की गई किसी कार्यवाही में उसे बाधा पहुंचाता हो पुलिस पदाधिकारी द्वारा, उक्त भू—गृहादि से हटा दिये जाने का आदेश दे सकता है और ऐसी शक्ति का प्रयोग की कर सकता है, जो उपर्युक्त भू—गृहादि में प्रवेश करने के लिए यथोचित रूप से आवश्यक हो।

विशेष सड़कों या स्थानों में कुछ श्रेणियों के भवनों का विनियमन

विशेष सड़कों या स्थानों में कतिपय श्रेणी के भवनों के भावी निर्माण को विनियमित निर्माण को विनियमित करने का अधिकार

335—— (1) मुख्य नगराधिकारी निम्नलिखित को घोषित करने के अपने अभिप्राय का किसी ऐसी वैध आपत्ति के अधीन रहते हुये, जो तीन मास के भीतर की जा सकती है, सार्वजनिक नोटिस दे सकता है —

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) कि ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट किसी सड़क या सड़क के भाग में नोटिस के पश्चात् निर्मित या पुनर्निर्मित सभी भवनों या किन्हीं श्रेणियों के भवनों के सामने के भाग की ऊंचाई या निर्माण जहां तक कि उनकी वास्तु विषयक विशिष्टताओं का संबंध है, वैसा ही होगा, जैसा {निगम}[1] उस स्थान के लिए उपयुक्त समझे,

(ख) नोटिस में निर्दिष्ट किन्हीं स्थानों में केवल असंलग्न अथवा अर्द्धसंलग्न अथवा दोनों प्रकार के भवनों के निर्माण की अनुमति दी जायगी ओर ऐसे प्रत्येक भवन से संलग्न भूमि का क्षेत्रफल उस क्षेत्रफल से कम नहीं होगा, जो ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट किया गया हो,

(ग) विशेष स्थानों में भवन के गाटों का न्यूनतम आकार एक निर्दिष्ट क्षेत्रफल का होगा।

(घ) नोटिस में निर्दिष्ट किन्हीं स्थानों में प्रत्येक एकड़ भूमि पर निर्दिष्ट संख्या से अधिक भवनों के निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जायगी, अथवा

(ऊ) ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट किन्हीं सड़कों, सड़कों के भागों या स्थानों में—मुख्य नगराधिकारी की ऐसी विशेष अनुज्ञा के बिना, जो कार्यकारिणी समिति द्वारा एतदर्थ निर्मित सामान्य विनियमनों के अनुसार दी गयी हो और केवल ऐसी ही अनुज्ञा के निबन्धनों के अधीन रहते हुये—दुकान, गोदानों कारखानों, कुटियों, अथवा भवनों को जो विशेष प्रयोग के लिए अभिप्रेत हों, न बनाने दिया जायगा।

(2) ऐसे नोटिस के प्रकाशन के तीन महीने की अवधि के भीतर प्राप्त हुई सभी आपत्तियों पर कार्यकारिणी समिति विचार करेगी और तब नोटिस को, मय अन आपत्तियों के विवरण के, जो उसे प्राप्त हुई हों और उन पर अपनी राय को {निगम}[1] को भेज देगा।

(3) उक्त तीन महीने की अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायगा।

(4) {निगम}[1] उपधारा (2) में निर्दिष्ट सभी लेख्यों को, उनके प्राप्त होने के दो महीने की अवधि के भीतर उन पर अपनी राय सहित राज्य सरकार को भेज देगी।

(5) उक्त घोषणा के संबंध में राज्य सरकार ऐसी आज्ञा दे सकती है, जो वह ठीक समझे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त घोषणा एतद्द्वारा किसी ऐसी सड़क, सड़क के भाग अथवा स्थान पर लागू न की जायगी, जो उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये नोटिस में निर्दिष्ट न हो।

(6) घोषणा, जैसी कि वह राज्य सरकार द्वारा पुष्टीकृत परिष्कृत हुई हो, सरकारी गजट में प्रकाशित की जायगी और ऐसे प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी।

(7) कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी घोषणा का उल्लंघन करके कोई भवन निर्मित अथवा पुनर्निर्मित नहीं करेगा।

धारा 335 के उपबन्धों का उल्लंघन किये जाने के मामलों में मुख्य नगराधिकारी का अधिकार

336—— मुख्य नगराधिकारी को धारा 335 के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त होगा, जो उपविधियों या नियमों द्वारा विहित की जाय।

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

337—— यदि मुख्य नगराधिकारी को यह प्रतीत हो कि कोई भवन या संरचना परित्यक्त कर दी गई है या अनध्यासित है और यह शांति भंग करने वलो व्यक्तिों का अड्डा बन गयी है, अथवा अपनी दशा के कारण पड़ोसियों की सुख—सुविधा के लिए अत्यन्त बाधक हो गयी है, तो मुख्य नगराधिकारी उक्त भवन या संरचना के स्वामी को, यदि उसका पता ज्ञात हो और वह {निगम}[1] की सीमाओं के भीतर निवास करता हो, अथवा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जो उसका स्वामी माना जाता हो, या जिसके सम्बन्ध में यह विश्वास किया जाता हो की सीमाओं के भीतर निवास करता है, लिखित नोटिस देगा और उक्त भवन या संरचना के किसी प्रमुख भाग पर उस नोटिस की एक प्रतिलिपि भी चिपकायेगा, जिसमें उक्त भवन या संरचना में काई अधिकार या स्वत्व रखने वाले सभी व्यक्तियों के लिए यह आदेश होगा कि वे उक्त भवन या संरचना के संबंध में ऐसी आज्ञा प्राप्त करे, जो मुख्य नगराधिकारी की राय में उपर्युक्त रूप में अड्डा बनाये जाने अथवा पड़ोसियों की सुखसुविधा के लिए अत्यन्त बाधक होने को रोकने के लिये आवश्यक हो।

अगम्य स्थानों पर भवन के पुन—निर्माण को प्रतिषिद्ध करने का अधिकार

338—— (1) यदि कोई भवन, जो इस प्रकार स्थित हो कि वह आग बुझाने वाले इंजिन के लिये अगम्य हो अथवा आग बुझाने वाले इंजिन का अन्य भवनों तक जाना अवरुद्ध करता हो, आग जगजाने के अथवा किसी अन्य प्रकार से गिर जाय या नष्ट हो जाय, तो मुख्य नगराधिकारी एक लिखित नोटिस द्वारा, जो उपर्युक्त गिरे हुये अथवा नष्ट हुये भवन के स्वामी को संबोधित किया गया हो, आदेश दे सकता है कि कोई ऐसा भवन न बनाया जाय जो आग बुझाने वाले इंजन के लिए अगम्य हो या जो आग बुझाने वाले इंजिन का अन्य भवनों तक जाना अवरुद्ध करे।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिये गये नोटिस का उल्लंघन करके कोई व्यक्ति किसी भवन को निर्मित अथवा पुननिर्मित नहीं करेगा।

कतिपय दशाओं में किसी भू—गृहादि से भवन—निर्माण सामग्री का हटाया जाना

339—— यदि मुख्य नगराधिकारी को यह प्रतीत हो कि पत्थरों, बल्ले भवन—निर्माण सामग्री अथवा भवन—निर्माण सामग्री का मलवा किसी भू—गृहादि में अथवा पर, इतनी मात्रा अथवा परिमाण में इस प्रकार जमा अथवा एकत्र किया गया है कि वह चूहों या अन्य कीड़ों—मकोड़ों को आश्रय स्थल अथ्वा प्रजनन केन्द्र बन गया है, या अन्य प्रकार से उपर्युक्त भू—गृहादि के अध्यासियों या उसके पड़ोस में रहने वाले लोगों के लिए खतरे या अपदूषण का कारण हो गया है, जो मुख्य नगराधिकारी ऐसे भू—गृहादि के या उसमें जमा अथवा अपदूषण का कारण हो गया है, तो मुख्य नगराधिकारी ऐसे भू—गृहादि के या उसमें जमा अथवा एकत्रित किये हुये मलवे के स्वामी से लिखित नोटिस द्वारा अपेक्षा कर सकता है कि वह उसे ऐसे उचित समय के भीतर, जो नोटिस में नियत हो, हटवा दे या बेंच डाले या उनके सम्बन्ध में ऐसी आज्ञा प्राप्त करें जो मुख्य नगराधिकारी की राय में उपर्युक्त अपदूषण कम करने या उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यकता या इष्टकर हो।

आवास के संबंध में विविरण—पत्र मांगने का मुख्य नगराधिकारी का अधिकार

340—— (1) किसी भवन का स्वामी मुख्य नगराधिकारी से लिखित नोटिस प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर ऐसे भवन या उसके अध्यासियों के सम्बन्ध में ऐसी सूचना देगा, जो {निगम}[1] विहित करे।

(2) किसी ऐसे भवन का, जो एक अलग निवास—स्थान के रूप में कब्जे में हो, अध्यासी वैसी ही नोटिस मिलने पर और उसी अवधि के भीतर उपर्युक्त भवन के संबंध में, जो कि उसके कब्जे में हो, ऐसी सूचना देगा, जो विहित की जाय।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को नगर की सीमा के बाहर लागू न कर सकती है।

341—— राज्य सरकार, सरकारी गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा ऐसी आज्ञा में निदिष्ट किये जाने वाले किसी क्षेत्र में, किन्तु जो नगर की सीमाओं के बाहर दो मील से अधिक दूरी पर न हो इस अध्याय की किसी धारा अथवा तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों को ऐसे अनुकूलनों के अधीन, चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक और इष्टकर समझे, प्रयुक्त कर सकती है और तदुपरान्त इस प्रकार प्रवृत्त उपबन्ध तथा नियम उस क्षेत्र में उसी प्रकार प्रभावी होंगे मानों वह क्षेत्र नगर के भीतर स्थित हो।

नियम बनाने का अधिकार

342—— (1) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :——

(क) भवनों के निर्माण के लिए अनुज्ञा देने की रीति,

(ख) संकटमय भवनों की मरम्मत, करने, उनहें गिराने, ढूढ़ करने और हटाने की रीति, तथा ऐसी मरम्मत करने, गिराये जाने, दृढ़ किये जाने, या हटाये जाने के व्यय की वसूली।

(ग) निर्बन्धन, जिनके अधीन भवनों के प्रयोग में परिवर्तन किये जा सकते हैं,

(घ) नवनिर्मित भवनों का निरीक्षण,

(ङ) शर्तें, जिन पर भवन—निर्माण के लिए {निगम}[1] निधि में से ऋण दिए जा सकते हैं, तथा ऐसे ऋणों के लिए आवेदन—पत्र देने का प्रपत्र।

अध्याय 14

विकास योजनाएं

विकास योजनाओं के प्रकार

343—— नगर में विकास करने के प्रयोजनार्थ कोई विकास योजना नीचे लिखे प्रकार में से किसी भी प्रकार की हो सकती हे, अथवा ऐसे दो या दो से अधिक प्रकारों अथवा उसकी विशेषताओं से युक्त हो सकती है, अर्थात्——

(क) सामान्य विकास योजना,

(ख) बस्ती सुधार योजना,

(ग) गृह पुनर्निर्माण योजना

(घ) सड़क योजना

(ङ) भावी सड़क योजना,

(च) गृह—स्थान योजना, और

(छ) नगर प्रसार योजना।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

344—— विकास समिति को जब कभी यह प्रतीत हो कि —— सामान्य विकास योजना

(क) किसी क्षेत्र में कोई भवन, जो रहने के लिये प्रयोग में लाये जा रहे हों, अथवा अभिप्रेत हों, अथवा प्रयोग में लाये जाने की संभावना हो, मनुष्यों के रहने योग्य नहीं है, या

(ख) किसी क्षेत्र में स्थित भवनों अथवा पास—पड़ोंस के भवनों के निवासियों के स्वास्थ्य के लिये ऐसे क्षेत्र में ———

(1) सड़कों या भवनों के समूहों के संकरे होने, बहुत पास—पास होने अथवा उनकी दशा और प्रबंध खराब होने,

(2) प्रकाश, वायु संवीजन तथा उपर्युक्त सुविधाओं का अभाव होने, अथवा

(3) अन्य कोई स्वच्छता त्रुटि के कारण संकट पैदा हो गया है,

तो विकास समिति यह संकल्प पारित कर सकती है कि उक्त क्षेत्र अस्वास्थ्यकर क्षेत्र है तथा उसे क्षेत्र की विकास योजना तैयार की जाय।

345—— (1) यदि विकास समिति को यह प्रतीत हो कि कोई क्षेत्र पूर्वगत धारा के अर्थों में अस्वास्थ्यकर क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में स्थित भवनों तथा जहां पर वे निर्मित हैं, उन स्थलों के तुलनात्मक मूल्य का ध्यान रखते हुए उस क्षेत्र अथवा उसके किसी अंश के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का सर्वाधिक संतोषजनक ढंग यह है कि अस्वास्थ्यकर क्षेत्र में वर्तमान भवनों को हटाकर उनके स्थान पर नये भवनों का निर्माण किया जाय तो वह संकल्प द्वारा यह निर्देश कर सकती है कि इस धारा के अनुसार बस्ती सुधार की एक योजना तैयार की जाय। बस्ती सुधार योजना

(2) बस्ती सुधार योजना में निम्नलिखित व्यवस्था की जा सकती है—

(क) सड़कों, पीछे की गलियों तथा खुले स्थानों का रक्षण तथा वर्तमान सड़कों पीछे की गलियों और खुले स्थानों का उस आयति तक विस्तार करना जो योजना के प्रयोजनों के लिये आवश्यक हो,

(ख) इस प्रकार रक्षित अथवा विस्तृत सड़कों, पीछे की गलियों, अथवा खुले स्थानों के क्षेत्र के स्थलों का पुनर्विन्यास,

(ग) ऐसे किसी भी रक्षण या विस्तार के सम्बन्ध में प्रतिकर का भुगतान तथा इस प्रकार रक्षित या विस्तृत सड़कों, पीछे की गलियों तथा खुले स्थानों का निर्माण,

(घ) वर्तमान भवनों तथा उनके उपाभूत भागों का उनके स्वामियों द्वारा गिराया जाना, अथवा स्वामी द्वारा ऐसा न करने पर {निगम}[1] द्वारा गिराया जाना तथा योजना के अनुसार उन स्थलों पर जिनकी परिभाषा योजना में की गई है, स्वामियों द्वारा भवनों का निर्माण अथवा स्वामियों के ऐसा न करने पर {निगम}[1] द्वारा भवनों का निर्माण,

(ङ) स्वामियों को सूद तथा निक्षेप निधि से सम्बद्ध ऐसे निबन्धों तथा शर्तों पर और अन्यथा जो इस योजना के अन्तर्गत विहित की जाय, ऐसी अग्रिम धनराशि का दिया जाना जो योजनानुसार नये भवनों के निर्माणार्थ उन्हें सहायता देने के लिये आवश्यक हो,

(च) योजना में सम्मिलित किसी क्षेत्र में समाविष्ट किसी स्थल या भवन का {निगम}[1] द्वारा अर्जन :

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि {निगम}[1] किसी भी भवन को गिराने से अपवर्जित कर सकती है, यदि उसका समाधान हो जाय कि वह भवन मनुष्यों के रहने के अयोग्य नहीं है, या संकटमय नहीं है, या स्वास्थ्य के लिय हानिकार नहीं है अथवा उसमें सुधार करके उसे स्वास्थ्यकर तथा मनुष्यों के रहने के योग्य बनाया जा सकता है और उससे उस क्षेत्र के गन्दी बस्ती हटाने के कार्य में अथवा उस क्षेत्र के पुनर्विकास में बाधा नहीं पहुंचती।

गृह पुनर्निर्माण योजना

346—— विकास समिति जब वह ऐसी विकास योजना तैयार करने का निश्चय करती है जिसमें व्यक्तियों के विस्थापित होने की संभावना है, तो संकल्प द्वारा मुख्य नगराधिकारी से यह भी अपेक्षा करेगी कि वह ऐसे और उतने निवास गृहों तथा दुकानों के निर्माण, संधारण और प्रबन्ध के लिये, जिनकी उसके विचार में ऐसे व्यक्तियों के लिये व्यवस्था की जानी चाहिए :—

(क) जो इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत किसी विकास योजना के कार्यान्वित किये जाने के कारण विस्थापित हो, जायं, या

(घ) जिनके इस अधिनियम के अधीन कोई विकास योजना जिसे तैयार करने का विचार हो अथवा जिसे राज्य सरकार के पास स्वीकति के लिये भेजा गया हो, के कार्यान्वित किये जाने के कारण विस्थापित हो जाने की संभावना हो,

एक योजना (जिसे यहां गृह पुनर्निर्माण योजना कहा गया है) तैयार करें,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी विकास समिति को, ऐसे कारणों से जो लेख्य किये जायेंगे इस धारा के अधीन दायित्व से मुक्त कर सकती है।

गृह पुनर्निर्माण योजना

347—— यदि विकास समिति का मत हो कि ——

(क) भवन के लिये स्थलों की व्यवस्था करने, अथवा

(ख) दोषपूर्ण संवीजन दोष रहित करने, या

(ग) यातायात की सुविधाओं एवं संचार के नये साधनों के सृजन अथवा वर्तमान साधनों में विकास करने, या

(घ) सफाई संरक्षण के लिये अधिक सुविधायें उपलबध कराने, के प्रयोजनार्थ यह इष्टकर है कि नई सड़कों का विन्यास किया जाय, अथवा वर्तमान सड़कों में परिवर्तन किया जाय, तथा यह उद्देश्य अध्याय 12 के अन्तर्गत कार्यवाही करने से पूरा न हो सकता हो तो विकास समिति संकल्प द्वारा मुख्य नगराधिकारी को एक योजना तैयार करने का आदेश दे सकती है, जो ''सड़क योजना' कहलायेगी।

(2) सड़क योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाओं के भीतर निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :——

(क) किसी भूमि का अर्जन , जो योजना के कार्यान्वित किये जाने के लिये विकास समिति की राय में आवश्यक हो;

(ख) इस प्रकार अर्जित सभी या किसी भूमि का पुनर्विन्यास, जिसके अन्तर्गत {निगम}[1] अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा भवनों का निर्माण भी है तथा सड़कों का विन्यास, निर्माण एवं परिवर्तन;

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ग) इस प्रकार निर्मित अथवा परिवर्तित सड़कों का जलोत्सारण जल सम्भरण अथवा उनके लिए रोशनी की व्यवस्था;

(घ) इस योजना के प्रयोजनों के लिये {निगम}[3] में निहित अथवा उसके द्वारा अर्जित की जाने वाली किसी भूमि को ऊँचा करना, नीचा करना अथवा उसका पुनरुद्धार करना;

(ङ) योजना में समाविष्ट क्षेत्रों के अधिक अच्छे संवीजन के लिये खुले स्थानों की व्यवस्था;

(च) योजना के अन्तर्गत किसी खुले स्थान अथवा सड़क से संलग्न किसी भूमि का अर्जन।

गृह पुनर्निर्माण योजना

348–– यदि विकास समिति का यह मत हो कि धारा 347 में वर्णित प्रयोजनों में से किन्हीं के लिये यह इष्टकर है कि किसी वर्तमान सड़क के वर्तमान रेखाकरण को परिवर्तित करके, उसे अन्ततः चौड़ा करने की व्यवस्था की जाय, ताकि मुख्य नगराधिकारी द्वारा विहित किये जाने वाले ढंग से रेखाकरण का विकास हो सके, किन्तु प्रस्तावित विकसित रेखाकरण के भीतर स्थित सभी या किसी सम्पत्ति का तुरन्त अर्जित किया जाना इष्टकर नहीं है तो विकास समिति, यदि उसका समाधान हो जाय कि {निगम}[3] के पास पर्याप्त साधन है, संकल्प द्वारा मुख्य नगराधिकारी से अपेक्षा कर सकती है कि वह सड़क के प्रत्येक ओर रेखाकरण को विहित करते हए् एक योजना तैयार करे, जो ''भावी सड़क योजना'' कहलायेगी।

{(कक) उक्त संकल्प में योजना के निष्पादन के लिए समय–सीमा निर्दिष्ट की जायगी, जिसे विकास समिति, समय–समय पर, संकल्प द्वारा बढ़ा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश {नगर निगम}[3] (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ में होने के पूर्व अधिसूचित किसी योजना की दशा में, ऐसी समय–सीमा, यदि पहले ही निर्दिष्ट न की गयी हो, उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर ही विकास समिति के एक नये संकल्प द्वारा निर्दिष्ट की जायगी :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समय–सीमा जिसके अन्तर्गत उसकी वृद्धि भी है, यदि कोई हो, धारा 363 की अधीन योजना अधिसूचना किये जाने के दिनांक से किसी भी दशा में बीस वर्ष से अधिक न होगी;}[1]

(ख) {धारा 63 के अधीन योजना अधिसूचित किये जाने के पश्चात् कोई भी व्यक्ति, उसके निष्पादन की समय–सीमा के भीतर}[2] {निगम}[3] की लिखित अनुज्ञा के अननुकूल किसी भवन या दीवाल में कोई ऐसा निर्माण, पुनर्निर्माण अथवा परिवर्द्धन या परिवर्तन नहीं करायेगा, जिससे कि वह सड़क के लिए वहित रेखाकरण के बाहर तक निकल आये।

(2) भावी सड़क योजना में निम्नलिखित की व्यवस्था होगी–

(क) विहित सड़क रेखाकरण के भीतर स्थित किसी सम्पूर्ण सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग का अर्जन,

(ख) ऐसी सभी या किसी सम्पत्ति का पुनर्विन्यास, जिसके अन्तर्गत {निगम}[3] अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा भवनों का निर्माण तथा पुनर्निर्माण भी है, तथा सड़क तैयार किया जाना और उसमें परिवर्तन,

---

1. उ.प्र. अधिनियम संख्या 24, 1972 की धारा 4 (1) (क) द्वारा अन्तर्विष्ट।
2. उपर्युक्त की धारा 4 (1) (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ग) इस प्रकार तैयार की गयी तथा परिवर्तित सड़क का जलोत्सारण तथा उसके लिये रोशनी की व्यवस्था।

{(3) भावी सड़क योजना के अन्तर्गत आने वाली किसी सम्पत्ति का स्वामी धारा 363 के अधीन योजना के अधिसूचित किये जाने के पश्चात् किसी भी समय किन्तु उसके लिए निष्पादन की समय–सीमा के भीतर अथवा तत्पश्चात् तीन वर्ष के भीतर {निगम}[5] को नोटिस दे सकता है कि वह नोटिस के दिनांक के 6 महीने के भीतर ऐसी सम्पत्ति अर्जित न कर ले। तदुपरान्त {निगम}[5] तद्नुसार सम्पत्ति अर्जित करेगी, और यदि वह ऐसा न कर सके तो ऐसे प्रतिकर का भुगतान करेगी जो धारा 372 में अभिदिष्ट न्यायाधिकरण द्वारा अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अनुसार अवधारित किया जाय।}[1]

(4) उस सम्पत्ति के अतिरिक्त, जिसके सम्बन्ध में उपधारा (3) के अधीन {निगम}[5] को नोटिस मिल चुका हो, अन्य किसी संम्पत्ति को अर्जित करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने से पहिले महपालिका उसके स्वामी को उस सम्पत्ति को अर्जित करने के अपील अभिप्राय के सम्बन्ध में 6 महीने का नोटिस देगा।

गृह स्थान योजना

349–– यदि विकास समिति का मत हो कि नगर के किसी वर्ग के निवासियों के लिए स्थान की व्यवस्था करना सार्वजनिक लाभ के लिये है और इष्टकर है {तो वह संकल्प द्वारा मुख्य नगराधिकारी से अपेक्षा कर सकती है}[2] कि वह पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए एक योजना तैयार करे, जो गृह स्थान योजना कहलायेगी।

गृह स्थान योजना

350–– (1) यदि विकास समिति का यह मत है कि नगर के भावी प्रसार को नियंत्रित एवं व्यवस्थित करना सार्वजनिक लाभ के लिए है इष्टकर है {तो वह संकल्प द्वारा मुख्य नगराधिकारी से एक योजना तैयार करने की अपेक्षा कर सकती है}[3] जो नगर प्रसार योजना कहलायेगी।

{(1–क) उक्त संकल्प में योजना के निष्पादन के लिए समय–समय निर्दिष्ट की जायगी जिसे विकास समिति, समय–समय पर, संकल्प द्वारा बढ़ा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश {नगर निगम}[5] (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के पूर्व अधिसूचति किसी योजना की दशा में समय–सीमा, यदि पहले ही निर्दिष्ट न की गयी हो, उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर ही विकास समिति के एक नये संकल्प द्वारा निर्दिष्ट की जायगी :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समय–सीमा, जिसके अन्तर्गत उसकी वृद्धि भी है, यदि कोई हो, धारा 363 के अधीन योजना अधिसूचित किये जाने के दिनांक से किसी भी दशा में बीस वर्ष से अधिक न होगी।}[4]

(2) ऐसी योजना में वे तरीके जिनके अनुसार विकसित किये जाने वाले क्षेत्र का विन्यास करने का प्रस्ताव है तथा प्रयोजन, जिनके लिये किसी क्षेत्र विशेष का उपयोग किया जायेगा, दिखलाये जायेंगे।

(3) नगर प्रसार योजना के प्रयोजनार्थ धारा 360 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के उपबन्ध लागू नहीं होंगे, किन्तु {निगम}[5] से ऐसे विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायगी, जो राज्य सरकार उचित समझे।

---

1. उ.प्र. अधिनियम संख्या 24, 1972 की धारा 4 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 6 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 6 (2) द्वारा अन्तर्विष्ट।
5. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(4) {धारा 363 के अधीन ऐसी योजना अधिसूचित किये जाने के पश्चात् किसी भी समय, किन्तु उसके निष्पादन की समय–सीमा के भीतर}[1] यदि कोई व्यक्ति उक्त योजना में समाविष्ट क्षेत्र के भीतर किसी भवन अथवा दीवार का निर्माण, पुननिर्माण, परिवर्द्धन अथवा परिवर्तन करना चाहे तो उसे ऐसे करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये {निगम}[2] को प्रार्थना–पत्र देना होगा।

(5) यदि {निगम}[2] किसी व्यक्ति को पूर्वाकत क्षेत्र में स्थित उसकी भूमि पर किसी भवन अथवा दीवाल के निर्माण, पुननिर्माण, परिवर्द्धन अथवा परिवर्तन की अनुज्ञा देना अस्वीकार कर दे, और ऐसी अस्वीकृति से एक वर्ष के भीतर वह उक्त भूमि को अर्जित करने के लिये कार्यवाही न करे, तो वह उक्त अस्वीकृति के फलस्वरूप हुई उस व्यक्ति की किसी भी क्षति के लिये उसे उचित प्रतिकर देगा।

योजना तैयार करना

351–– (1) जब कभी पूर्ववर्ती किसी भी धारा के अधीन कोई विकास योजना तैयार करने की अपेक्षा की जाय तो मुख्य नगराधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह योजना का पाण्डुलेख तैयार करे, और उसे विकास समिति के समक्ष विचरार्थ प्रस्तुत करे।

(2) विकास समिति के पूर्वानुमोदन से मुख्य नगराधिकारी बनायी जाने वाले विकास योजना तैयार करने के प्रयोजन से समाविष्ट क्षेत्र अथवा क्षेत्र की सीमा के भीतर अथवा बाहर के क्षेत्रों का परिमापन करवा सकता है।

विकास योजना का संयोजन

352–– ऐसे कितने ही क्षेत्र जिनके समबन्ध में विकास योजनायें तैयार की जा चुकी है अथवा प्रस्तावित हैं, किसी भी समय किसी एक संयोजित योजना के अन्तर्गत जा सकते हैं।

वे विषय जिनकी व्यवस्था विकास योजना द्वारा की जायगी

353–– (1) योजना के स्वरूप के अनुसार किसी भी विकास योजना में नीचे लिखे किन्हीं अथवा सभी विषयों की व्यवस्था की जा सकती है ––

(क) खरीद, विनिमय अथवा अन्य प्रकार से किसी सम्पत्ति का अर्जन, जो योजना को कार्यन्वित करने के लिये आवश्यक हो अथवा जिस पर येाजना कार्यान्वित करने से प्रभाव पड़ता हो,

(ख) योजना में समाविष्ट किसी भूमि का पुनर्विन्यास,

(ग) योजना में समाविष्ट किसी भूमि का पुनर्वितरण,

(घ) मनुष्यों के रहने के लिये अयोग्य निवास–गृहों अथवा उनके भागों का बन्द किया जाना अथवा गिराया जाना,

(ड़) अवरोध उपस्थित करने वाले भवनों अथवा उनके भागों का गिराया जाना,

(च) भवनों का निर्माण तथा पुनर्निर्माण,

(छ) योजना में समाविष्ट किसी सम्पत्ति का विक्रय, किराये पर उठाया जाना अथवा उसका विनिमय,

(ज) सड़कों तथा पीछे की गलियों का निर्माण तथा परिवर्तन और पैदल चलने वालों के लिये पार्श्व पथों की व्यवस्था,

(झ) इस प्रकार निर्मित अथवा परिवर्तित सड़कों का जलोत्सारण, जल–सम्भरण तथा रोशनी की व्यवस्था,

---

1. उ.प्र. अधिनियम संख्या 24, 1972 की धारा 6 (3) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ञ) योजना में समाविष्ट किसी क्षेत्र अथवा उससे संलग्न क्षेत्र के लाभ के लिए खुले स्थानों की व्यवस्था तथा वर्तमान खुले स्थानों तथा उन तक पहुंचने के मार्गों का विस्तार,

(ट) योजना में समाविष्ट क्षेत्र के लिए अपेक्षित स्वस्थता सम्बन्धी प्रबंध, जिसके अनतर्गत सफाई संरक्षण तथा नदियों और जल—सम्भरण के अन्य स्रोतों तथा साधनों को हानि पहुंचाने अथवा दूषित किये जाने को रोकना तथा उससे बचाना भी है।

(ठ) निवासियों के किसी भी वर्ग के लिये स्थान की व्यवस्था,

(ड) योजना के प्रयोजनों के लिये अग्रिम धनराशि का दिया जाना,

(ढ) संचार की सुविधाओं की व्यवस्था,

(ण) बाजार, उद्यानों वनरोपण के लिये भूमि का पुनरुद्वार या रक्षण, ईधन, घास के सम्भरण और जनता की अन्य आवश्यताओं के लिए व्यवस्था,

(त) योजना के समाविष्ट क्षेत्र में अधिक भीड़ को रोकने की व्यवस्था,

(थ) अन्य कोई विषय जिनके लिए राज्य सरकार की राय में किसी संबंध क्षेत्र के विकास अथवा योजना की सामान्य सक्षमता के दृष्टिकोण से व्यवस्था करना इष्टकर हो।

(2) {निगम}[1] समय—समय पर संकल्प द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है कि इस धारा के प्रयोजनार्थ किसे अधिक भीड़ समझा जायगा और ऐसे संकल्प में यह निर्दिष्ट कर सकती है कि उस भू—गृहादि में, जो केवल निवास—गृह के लिए ही प्रयोग किये जाये और उन भू—गृहादि में जो निवास—गृह तथा अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाये जायं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आयु के अनुसार निम्नतम स्थान कितना होगा।

कतिपय विकास योजनाओं में नगर के बाहर के क्षेत्रों को सम्मिलित करना

354—— धारा 343 के खंड (क) या (ख) या (छ) में उल्लिखित विकास योजना अपने अन्तर्गत नगर की सीमा के बाहर दो मील तक किसी ऐसे समस्त क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग को सम्मिलित कर सकती है जिसे राज्य सरकार सरकारी बजट में विज्ञपित द्वारा निर्दिष्ट करे और ऐसा क्षेत्र इस अध्याय के प्रयोजनों के निमित्त नगर के भीतर स्थित क्षेत्र समझा जायगा।

विकास योजनायें तैयार करते समय विचारणीय विषय

355—— किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई विकास योजना तैयार करते समय निम्नलिखित का ध्यान रखा जायगा।

(क) पड़ोसी क्षेत्रों तथा सम्पूर्ण नगर की प्रकृति और दशायें

(ख) विभिन्न क्षेत्रों तथा सम्पूर्ण नगर की प्रकृति और दशायें

(ग) नगर के अन्य भागों के लिए विकास योजनाओं के अपेक्षित होने की संभावना।

विकास समिति द्वारा विचार किया जाना

356—— (1) विकास समिति मुख्य नगराधिकारी द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत की गयी योजना पर विचार करेगी और उसे परिष्कार सहित अथवा बिना परिष्कार के स्वीकृति कर लेगी अथवा मुख्य नगराधिकारी से अपेक्षा करेगी कि वह उसमें परिवर्तन करके उसे समिति के विचारार्थ पुनः प्रस्तुत करे।

(2) विकास समिति लिखित रूप से योजना पर स्वीकृति प्रदान करेगी और आदेश देगी कि योजना विज्ञाप्ति की जाय।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

357—— (1) विकास योजना का पांडुलेख विकास समिति द्वारा अनुमोदित हो जाने के पश्चात् मुख्य नगराधिकारी एक नोटिस तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख होगा। विकास योजना की नोटिस

(क) यह तथ्य कि योजना तैयार की जा चुकी है

(ख) योजना में समाविष्ट क्षेत्र की चौहद्दी,

(ग) स्थान, जहां योजना का विवरण, योजना में समाविष्ट क्षेत्र का नक्शा और उस भूमि का उल्लेख जिसके अर्जित किये जाने का प्रस्ताव है, देखा जा सकता है।

(2) मुख्य नगराधिकारी उक्त नोटिस लगातार तीन सप्ताह तक सरकारी गजट तथा {निगम}[1] के बुलेटिन, यदि काई हो, में प्रकाशित करायेगा तथा उसे एक या एकाधिक स्थानीय समाचार पत्र या समाचार पत्रों में जिन्हें मुख्य नगराधिकारी ठीक समझें प्रकाशित करायेगा, और उसमें ऐसी अवधि का उल्लेख करेगा, जिसके भीतर इस सम्बन्ध में आपत्तियां ली जायेंगी। यदि नगर से संलग्न कोई कन्टूनमेन्ट बोर्ड हो तो उक्त नोटिस की एक प्रति उसके सभापति के पास भी भेज दी जाएगी।

(3) मुख्य नगराधिकारी उपधारा (1) के खंड (ग) में उल्लिखित सभी लेख्यों की प्रतिलिपियां किसी भी प्रार्थी को, उनके लिए विहित शुल्क प्राप्त होने पर दिलायेगा।

358—— (1) किसी विकास योजना के सम्बन्ध में धारा 357 के अधीन किसी नोटिस के प्रकाशन के प्रथम दिन के पश्चात् से 30 दिनों तक की अवधि में मुख्य नगराधिकारी निम्नलिखित पर नोटिस तामील करायेगा —— भूमि के प्रस्तावित अर्जन की नोटिस

(क) योजना की कार्यान्वित के निमित अर्जन के लिए प्रस्तावित किसी भूमि या भवन के वार्षिक मूल्य पर निर्धारित किसी कर को अदा करने का प्रथम दायित्व रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर, जिसका नाम {निगम}[1] की सूची में दिखलाया गया हो, तथा

(ख) प्रत्येक भू—गृहादि, जिसे योजना को कार्यान्वित करने के लिए {निगम}[1] ने अर्जित करने का प्रस्ताव किया हो और जो {निगम}[1] की निर्धारण सूची में दर्ज हो के अध्यासी पर (जिसका नाम देना आवश्यक नहीं है)।

(2) उक्त नोटिस द्वारा ——

(क) यह बतलाया जायगा कि {निगम}[1] किसी विकास योजना को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से उक्त भूमि अर्जित करना चाहती है, और

(ख) किसी व्यक्ति से, यह वह उक्त अर्जन से असहमत हो, नोटिस तामील होने के 60 दिन के भीतर लिखित रूप से अपनी असहमति का कारण बताने की अपेक्षा की जायगी।

359—— किसी विकास योजना के सम्बन्ध में क्रमशः धारा 357 तथा 358 के अधीन विहित अवधियों के व्यतीत हो जाने के पश्चात् विकास समिति तदन्तर्गत प्राप्त किसी आपत्ति या निवेदन—पत्र पर विचार करेगी तथा उक्त आपत्तियां करने वाले व्यक्तियों अथवा ऐसे निवेदकों की जो सुनवाई चाहते हों, सुनवाई कर लेने तथा योजना में ऐसे परिष्कार, यदि कोई हों, करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे उस योजना को उसके सम्बन्ध में प्राप्त हुई किसी आपत्ति का निवेदन—पत्र सहित, {निगम}[1] का अपनी इस सिफारिश के साथ प्रस्तुत करेगी कि योजना स्वीकृत की जानी चाहिये अथवा उसका परित्याग कर देना चाहिये। {निगम}[1] द्वारा योजना पर विचार

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

महापालिका द्वारा योजना की स्वीकृति अथवा परित्याग

360—— (1) विकास समिति द्वारा योजना और उसके साथ धारा 357 तथा 358 के अधीन प्राप्त आपत्तियां या निवेदन—पत्र तथा धारा 359 के अधीन विकास समिति की सिफारिश प्राप्त होने पर {निगम}[1] उस पर विचार करना आरम्भ करेगी, और या तो उस योजना का परित्याग कर देगी अथवा उसे ऐसे परिष्कारों, यदि कोई हों, के साथ स्वीकृत कर लेगी जिसे वह आवश्यक समझें :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि योजना की अनुमानित लागत 10,00,000 रुपये से अधिक हो तो राज्य सरकार की स्वीकृति भी ली जायगी।

(2) उपधारा (1) के प्रतिबन्ध के अधीन राज्य सरकार को प्रस्तुत की गयी प्रत्येक योजना में निम्नलिखित बातें होगी—

(क) योजना का वर्णन और उसके सम्बन्ध में पूरा विवरण तथा उसकी पूर्ण रूप रेख और योजना की कार्यान्वित में लगने वाली लागत के तखमीने,

(ख) मूलतः निर्मित योजना में किये गये किन्हीं परिष्कारों के कारणों का विवरण,

(ग) धारा 357 के अधीन प्राप्त आपित्तयों का (यदि कोई हों) विवरण,

(घ) उन सभी व्यक्तियों के (यदि कोई हों) नामों की सूची, जिन्होंने धारा 358 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन अपनी भूमियों के प्रस्तावित अर्जन से असहमति प्रकट की हो और ऐसी असहमति के लिये दिये गये कारणों का विवरण, तथा

(ङ) ऐसी योजना की जिसमें लोगों को फिर से घरों में बसाने की व्यवस्था करना अपेक्षित हो, कार्यान्वित के फलस्वरूप जिन व्यक्तियों के विस्थापित हो जाने की संभावना हो, उन्हें फिर से घरों में बसाने के लिये {निगम}[1] द्वारा किए गए अथवा प्रस्तावित प्रबन्धों का विवरण।

(3) उपधारा (1) के प्रतिबन्ध के अधीन राज्य सरकार को योजना प्रस्तुत करने के पश्चात् मुख्य नगराधिकारी इस बात का नोटिस धारा 357 में उपबंधित रीति के अनुसार सरकारी गजट में तथा {निगम}[1] के बुलेटिन, यदि कोई हों, में लगातार दो सप्ताह तक प्रकाशित करायेगा।

(4) {निगम}[1] द्वारा योजना अनुमोदित न किये जाने पर मुख्य नगराधिकारी तुरन्त ही धारा 357 में उपबंधित रीति के अनुसार एक नोटिस तैयार करके उसे प्रकाशित करायेगा, और उस नोटिस में यह उल्लेख करेगा कि {निगम}[1] ने योजना को आगे न बढाने का संकल्प कर लिय है तथा उक्त प्रकाशन के उपरान्त धारा 357 के अधीन प्रकाशित योजना से संबंद्ध विज्ञप्ति निरस्त समझी जायगी।

योजना के संबंध में राज्य सरकार के अधिकार

361—— (1) राज्य सरकार धारा 360 के अधीन प्रस्तुत किसी योजना को परिष्कारों सहित अथवा बिना किसी परिष्कार के स्वीकृत कर सकती है अथवा अस्वीकृत कर सकती है, अथवा उसे पुनर्विचार के लिये वापस भेज सकती है।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन पुनर्विचार के लिये वापस की गई योजना {निगम}[1] द्वारा परिष्कृत कर ली जाय तो उसे निम्नलिखित दशा में धारा 357 के अनुसार पुनः प्रकाशित किया जायगा :——

(क) प्रत्येक ऐसी दशा में, जिसमें परिष्कार के कारण योजना में समाविष्ट क्षेत्र की चौहद्दी पर प्रभाव पड़ता हो, अथवा जिसमें पूर्व प्रस्तावित अर्जन से भिन्न किसी भूमि को अर्जित करने का प्रस्ताव किया गया हो, और

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) अन्य प्रत्येक दशा में जब तक कि परिष्कार राज्य सरकार की राय में इतने महत्व का न हो कि उसका पुनः प्रकाशन अपेक्षित हो।

{निगम}[1] द्वारा परिष्कृत की जाने वाले योजना के संबंध में प्रक्रिया

362—— यदि धारा 360 के अधीन आपत्तियों तथा निवेदन—पत्रों पर विचार करने के पश्चात् मूल योजना में कोई ऐसा परिष्कार किया गया हो, जिससे धारा 361 की उपधारा (2) में वर्णित दशायें उत्पन्न हों, तो किसी योजना के संबंध में, जिसे {निगम}[3] स्वयं अपने अधिकार से स्वीकृत कर सकती हो, धारा 357 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

विकास योजना की स्वीकृति की विज्ञप्ति

363—— जब कभी {निगम}[3] कोई योजना स्वयं अपने अधिकार से अथवा धारा 360 की उपधारा (1) के प्रतिबन्ध के अधीन राज्य सरकार की सहमति से स्वीकृत करे तो यह तथ्य सरकारी गजट में विज्ञप्ति के प्रकाशन द्वारा प्रख्यापित किया जायगा, और {निगम}[3] के लिये यह आवश्यक होगा कि स्वयं अपने अधिकार से योजना स्वीकृत करने की दशा में तुरन्त ही इसकी सूचना राज्य सरकार को भेज दे, और राज्य सरकार को सूचनार्थ धारा 360 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित विवरण भी प्रस्तुत करे।

स्वीकृति के पश्चात् विकास योजना में परिवर्तन

364—— राज्य सरकार द्वारा, अथवा स्वयं अपने अधिकार से {निगम}[3] द्वारा किसी योजना के स्वीकतृ कर लिये जाने के पश्चात्, किसी समय, किन्तु उसके पूर्ण जो जाने के पूर्व, {निगम}[3] उसमें परिवर्तन कर सकती है :

किन्त प्रतिबन्ध यह है कि———

(क) योजना के राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाने की दशा में यदि किसी परिवर्तन के कारण योजना की कार्यान्वित के संबंध में अनुमानित लागत एक लाख रुपये से अधिक बढ़ जाने का तखमीना हो तो बिना राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के उक्त परिवर्तन नहीं किया जायगा,

(ख) {निगम}[3] द्वारा स्वयं अपने अधिकार से स्वीकृत की गई किसी योजना की दशा में उक्त परिवर्तन राज्य सरकार के सूचनार्थ भेजा जायगा,

(ग) यदि किसी परिवर्तन के कारण किसी भूमि के अनुबन्ध द्वारा अर्जन से भिन्न अर्जन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो, जिसके अर्जन के लिये राज्य सरकार की स्वीकृति न मिली हो, तो उसके संबंध में इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में विहित प्रक्रिया का ही, जहां तक वह लागू हो सकती हो, इस प्रकार अनुसरण किया जायगा मानों उक्त परिवर्तन एक अलग योजना ही हो।

विकास योजना के लिये अपेक्षित भूमि का अर्जन

365—— (1) {इस अध्याय के अधीन}[1] किसी योजना के स्वीकृत किये जाने पर मुख्य नगराधिकारी किसी भी व्यक्ति से किसी ऐसी भूमि को जिसे विकास योजना के संबंध में अर्जित करने के लिये वह प्राधिकृत हो, अथवा उस भूमि से संबद्ध किसी स्वत्व को खरीदने, पट्टे पर लेने अथवा विनियम के लिये अनुबन्ध कर सकता है।

(2) {इस अध्याय के अधीन}[2] स्वीकृत किसी विकास योजना के प्रयोजनार्थ {निगम}[3] इस अध्याय द्वारा संशोधित लैन्ड एक्वीजिशन ऐक्ट, 1894 के उपबन्धों के अधीन भूमि अथवा भूमिगत कोई स्वत्व अर्जित कर सकती है।

(3) मुख्य नगराधिकारी किसी विकास योजना के प्रयोजनों के लिये धारा 273 की उपधारा (2) तथा धारा 290 के अधीन प्राप्त अधिकारों को काम में ला सकता है।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 20, 1964 की धारा 21 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 20 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(4) इस अध्याय के अधीन {किसी भावी सड़क योजना या किसी नगर प्रसार योजना से भिन्न}[1] अधिकृत विकास योजना के निमित्त भूमि तथा भूमि में स्वत्व का समस्त अर्जन धारा 363 के अधीन योजना के विज्ञापित किये जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर कम से कम निर्णय देने के स्तर तक पूरा कर दिया जायगा और कोई भी भूमि, जिसके संबद्ध में अर्जन इस प्रकार पूरा नहीं किया गया है तथा उसका स्वामी और अध्यासी इस अध्याय के अधीन किसी दायित्व के अधीन नहीं रह जायेगे :

{प्रतिबन्ध यह है कि ---

(क) यूनाइटेड प्राविन्सेज टाउन इम्प्रवमेंट ऐक्ट, 1919 की धारा 42 या कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945 की धारा 60 के अधीन अधिसूचित (भावी सड़क योजना या नगर प्रसार योजना के भिन्न) किसी ऐसी विकास योजना के सम्बन्ध में, जिसे धारा 577 के खंड (ग) के प्रभाव से इस प्रकार जारी रखा जा सकता है मानों वह इस अधिनियम के अधीन प्रारम्भ की गयी हो, इस उपधारा का ऐसा अर्थ लगाया जायगा मानों शब्द तथा अंक ''धारा 363 के अधीन योजना के विज्ञाप्ति किये जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर'' के स्थान पर शब्द तथा अंक ''31 दिसम्बर, 1973 को या इसके पूर्व'' रखे गये हों,

(ख) उत्तर प्रदेश {नगर निगम}[3] संशोधन अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के पूर्व धारा 363 के अधीन अधिसूचित किसी विकास योजना के सम्बन्ध में इस उपधारा का ऐसा अर्थ लगाया जायगा मानों शब्द ''पांच वर्ष'' के स्थान पर शब्द ''दस वर्ष'' रखे गये हों :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, पांच वर्ष या दस वर्ष की उक्त अवधि या, जैसी भी दशा में हो, 31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त होने वाली उक्त अवधि व्यतीत होने के पूर्व सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा, उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, उक्त अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।}[2]

भवन इत्यादि के संबंध में निबर्न्धन

366-- जब कि बस्ती सुधार योजना के विषय मे धारा 357 के अधीन कोई नोटिस प्रकाशित हो जाय तो कोई व्यक्त अस्वास्थ्यकर तथा पुनर्निर्माण क्षेत्रों में समाविष्ट किसी भवन को निर्मित, पुनर्निर्मित, परिवर्द्धित अथवा परिवर्तित नहीं करेगा या किसी भूमि का अन्यथा विकास नहीं करेगा, सिवाय उक्त कार्य योजना के क्षेत्र के लिये निर्दिष्ट पुननिर्माण नियोजन के अनुसार तथा ऐसे निर्बन्धनों एवं शर्तों के अधीन रहते हुए किये जायें जिन्हें लगाना मुख्य नगराधिकारी उचित समझें :

किन्तु प्रतिबन्ध यह कि स्वामी, जो अपनी भूमि के प्रयोग पर इस प्रकार लगाई गई शर्तों तथा निर्बन्धनों के कारण अथवा मुख्य नगराधिकारी द्वारा बाद में ऐसी किसी शर्त अथवा निर्बन्धन को रद्द अथवा परिष्कृत करना अस्वीकार कर दिये जाने के कारण क्षुब्ध हो, तो वह तीस दिन के भीतर न्यायाधीश को अपील कर सकता है। न्यायाधीश इस विषय में, जो वह उचित समझेगा आज्ञा दे देगा तथा न्यायाधीश की आज्ञा अंतिम होगी।

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 24, 1972 की धारा 7 (1) द्वारा अन्तर्विष्ट।
2. उपर्युक्त की धारा 7 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

367–– मुख्य नगराधिकारी विकास समिति की स्वीकृति से स्वीकृति को विज्ञप्ति की धारा 363 के अधीन प्रकाशित होने के पश्चात् किसी भी समय, अस्वास्थ्यकर क्षेत्र में समाविष्ट किसी भवन अथवा भवनों के अध्यासियों से अपेक्षा कर सकता है कि वे उन्हें गिराये जाने के प्रयोजन के लिये, नोटिस से तीन मास के भीतर खाली कर दे, तथा ऐसे भवन अथवा भवनों के स्वामी या स्वामियों से अपेक्षा कर सकता है कि उन्हें एक मास की अतिरिक्त अवधि के भीतर गिरा दे, तथा यदि उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व भवन गिरा नहीं दिया जाता ता मुख्य नगराधिकारी स्वामी के जोखिम तथा व्यय पर उक्त भवन अथवा भवनों को गिराने की कार्यवाही करेगा, उसके मलवे को बेचेगा तथा उस स्थान को साफ करायेगा : — भवनों को गिराने के आदेश

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि भवनों को खाली किये जाने तथा गिराये जाने का कार्य एक ही समय में किया जा सकता है।

{367–क–– {निगम}[2], राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी भी समय और ऐसी शर्तों के अनुसार, जो वह आरोपित करे, यू.पी. टाउन इम्प्रवमेंट ऐक्ट, 1919 की धारा 42, कानपुर, अरबन एरिया डेवलमेंट ऐक्ट, 1945 की धारा 60 या इस अधिनियम की धारा 363 के अधीन विज्ञापित किसी योजना का परित्याग कर सकती है, और इस प्रकार परित्याग करने पर कोई भूमि जिसके सबंध में अभिनिर्णय देने के प्रकम तक अर्जन पूरा न हुआ हो, और ऐसी भूमि का स्वामी तथा अध्यासी, इस अध्याय के अधीन किन्हीं दायित्वों के अधीन न रह जायेंगे।}[1] — भवनों को गिराने के आदेश

368–– इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के आधीन रहते हुए {निगम}[2] इस अध्याय के अधीन अपने द्वारा अर्जित अथवा अपने में निहित किसी भूमि को बनाये रख सकती है, पट्टे पर दे सकती है, बेच सकती है, विनिमय कर सकती है अथवा उसे अन्यथा निस्तारित कर सकती है : — भूमि निस्तारित करने के अधिकार

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अध्याय के अधीन किसी योजना के निमित्त अर्जित भूमि को पट्टे पर देने, बेचने, विनिमय करने अथवा उसे अन्यथा निस्तारित करने में प्राथमिकता उस आयति तक तथा उस रीति, से जो विहित की जाय, उन व्यक्तियों को दी जायगी, जिनकी भूमि ऐसी योजना के निमित्त अर्जित की गयी हो।

369–– मुख्य नगराधिकारी, जब कभी वह समझे कि इस अध्याय के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए किसी भूमि का परिमापन आवश्यक है, उस भूमि का सर्वेक्षण करवा सकता है। — परिमापन करने के अधिकार

370–– (1) मुख्य नगराधिकारी, धारा 562 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अपने सहायकों तथा श्रमिकों के साथ उसके बिना ही किसी भूमि में अथवा पर ––– — प्रविष्टि के अधिकार

(क) कोई निरीक्षण, परिमापन, पैमाइश, मूल्यांकन, अथवा जांच करने,

(ख) सतह लेने ,

(ग) भूमिगत मिट्टी खोदने अथवा भेदने,

(घ) चौहद्दियां तथा अभिप्रेत कार्यरेखाएं निर्धारित करने,

(ङ) ऐसी सतहों चौहद्दियों तथा रेखाओं को चिन्हों द्वारा तथा खाई खोद कर चिन्हित करने, या

(च) अन्य कोई कार्यवाही करने,

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 21, 1964 की धारा 20 द्वारा जोड़ी गयी।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

के लिये जब कभी इस अध्याय अथाव उसके अधीन बनाये गये किसी नियम, उपविधि या स्वीकृत योजना के किसी प्रयोजन के लिये ऐसा करना आवश्यक हो, प्रवेश कर सकता है।

(2) यदि उपधारा (1) के अनुसरण में मुख्य–नगराधिकारी के किसी भूमि में अथवा पर प्रवेश के कारण कोई क्षति पहुंचे तो {निगम}[2] उसे पूरा करेगी।

(3) मुख्य नगराधिकारी निरीक्षण अथवा छानबीन के प्रयोजन के प्रवेश कर सकता है, तथा वह कोई दरवाजा, फाटक अथवा अन्य कोई अवरोध खोल अथवा खुलवा सकता है, यदि–

(क) वह यह समझे कि उसका खोला जाना उक्त, प्रवेश, निरीक्षण, अथवा छानबीन आवश्यक है, और

(ख) उसका स्वामी अथवा अध्यासी अनुपस्थित हो, अथवा उपस्थित होने पर भी उक्त दरवाजा, फाटक अथवा अवरोध खोलने के इन्कार करे।

न्यायाधिकरण का संगठन

371–– (1) राज्य सरकार एक न्यायधिकरण संगठित करेगी, जिसके अधिकार तथा कर्तव्य वे होंगे, जो आगे निर्दिष्ट किये गये हैं।

(2) यथास्थिति यूनाइटेड प्राविंसेज टाउन इम्प्रवमेंट करेगी, जिसके अधिकार तथा कर्तव्य वे होंगे जो आगे निर्दिष्ट किये गये हैं।

(3) यथास्थिति यूनाइटेड प्राविंसेज टाउन इम्प्रवमेंट ऐक्ट 1919 की धारा 57 अथवा कानपुर अर्बन एरिया डेवलपमेंट ऐक्अ, 1945 के अधीन संगठित न्यायाधिकरण नियत दिन से विघटित हो जायगा।

(3) यथास्थिति यूनाइर्टड प्राविसेज टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 अथवा कानपुर अर्बन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945 के अधीन संगठित न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन सभी वाद अथवा कार्यवाहियों की सुनवाई अथवा संचालन उपधारा (1) के अधीन संगठित न्यायाधिकरण उसी भांति करेगा मानों कि वे उक्त न्यायाधिकरण के समक्ष ही प्रस्तुत की गई हों, तथा इस अधिनियम के उपबण्ध तथा तदन्तर्गत निर्मित कोई नियम उक्त सभी वादों तथा कार्यवाहियों पर प्रवृत्त होंगे।

न्यायाधिकरण के कर्तव्य

372–– {(1)}[1] लैन्ड एक्वीजिशन ऐक्ट, 1894 के अधीन इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त {निगम} के लिये भूमि अर्जन संबंधी समस्त विषयों के संबंध में न्यायाधिकरण न्यायालय के कृत्यों का निवर्हन करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि न्यायाधिकरण तब तक ऐसे किसी दावे की सुनवाई नहीं करेगा जब तक कि दावा करने वाला व्यक्ति न्यायालय में प्रतिभूति के रूप में वाद व्यय के लिये 7,000 रु0 से अनधिक की ऐसी धनराशि, जिसे न्यायाधिकरण निश्चित करे, और जो दावा करने वाले व्यक्ति के असफल होने पर उसके विरोधी पक्ष को दी जा सके, न जमा कर दे।

{(2) न्यायाधिकरण उत्तर प्रदेश आवास एंव विकास परिषद अधिनियम, 1965 के अध्याय 7 जैसा कि वह धारा 129–क के अन्तर्गत {निगम}[2] के भू–गृहादि पर लागू है, में अभिदिष्ट कृत्यों का भी सम्पादन करेगा।}[1]

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 30, 1970 की धारा 29 द्वारा उपधारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित और नयी उपधारा (2) अन्तर्विष्ट।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

373–– (1) न्यायाधिकरण {एक सदस्य को होगा, जिसे पीठासीन अधिकारी कहा जायगा}[1] से मिलकर बनेगा। — न्यायाधिकरण के सदस्यगण

(2) {उक्त सदस्य}[2] जिला जज से अन्यून पद का एक व्यवहार न्यायिक पदाधिकारी होगा,

{xxx}[3]

(3) {उक्त सदस्य}[4] राज्य सरकार द्वारा नियुक्त {किया जायगा।}[1]

{(4) यदि किसी कारण से न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हो जाय तो राज्य सरकार उस रिक्ति की पूर्ति के लिए इस धारा के अनुसार दूसरा व्यक्ति नियुक्त करेगा, और न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां उसी प्रक्रम से जिस पर रिक्ति की पूर्ति की जाय, जारी रखी जा सकती है।

(5) उत्तर प्रदेश {नगर निगम}[9] (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व (सभापति और दो असेसरों से मिलकर बने) न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन कोई कार्यवाही, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् न्यायाधिकरण के समक्ष, जिसमें उसके पीठासीन अधिकारी के रूप में उक्त सभापति हो, उस प्रक्रम से जिस पर न्यायाधिकरण के संगठन में इस प्रकार परिवर्तन किया जाय, जारी रखी जा सकती है।}[5]

374–– न्यायाधिकरण के {पीठासीन अधिकारी}[6] को {निगम}[9] द्वारा ऐसा निश्चित पारिश्रमिक, यदि कोई हो, दिया जायगा जो राज्य सरकार विहित करे। — पारिश्रमिक

375 –– (1) {न्यायाधिकरण}[7] समय–समय पर एक विवरण तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित दिखलाये जायेंगे :–– — न्यायाधिकरण के कर्मचारी

(क) न्यायाधिकरण के लिये आवश्यक कर्मचारियों की संख्या तथा उनकी कोटि;

(ख) वेतन, जो प्रत्येक कर्मचारी को दिया जायगा।

(2) न्यायाधिकरण के कर्मचारी की सेवा के निबन्धन तथा शर्तें {राज्य सरकार द्वारा}[8] निर्धारित की जायगी।

376–– लैण्ड एक्वीजिशन ऐक्ट, 1894 के अधीन {निगम}[9] के निर्मित्त भूमि अर्जित करने के प्रयोजन के लिये, चाहे वह इस अधिनियम के इस अध्याय के अधीन हो अथवा अन्य किसी अध्याय के– — लैंड एक्वीजिशन ऐक्ट, 1894 का परिष्कार

(क) उक्त ऐक्ट इस अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट परिष्कारों के अधीन रहेगा,

(ख) न्यायाधिकरण का निर्णय, लैन्ड एक्वीजिशन ऐक्ट, 1894 के अधीन न्यायालय का निर्णय माना जायगा।

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 24, 1972 की धारा 8 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 8 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 8 (2) द्वारा निकाला गया।
4. उपर्युक्त की धारा 8 (3) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 8 (4) द्वारा निकाला गया।
6. उपर्युक्त की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उपर्युक्त की धारा 10 (1) द्वारा निकाला गया।
8. उपर्युक्त की धारा 10 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
9. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

377 –– कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 तथा इण्डियन एवीडेन्स ऐक्ट, 1872 के उपबन्ध, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों न्यायाधिकरण के समक्ष की जाने वाली सभी कार्यवाहियों पर प्रवृत्त होंगे। न्यायाधिकरण पर प्रवृत्त विधि

378–– {xxx}[1]

379–– धारा 381 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा, तथा इस पर किसी विधिक न्यायालय में आपति नहीं की जायगी। न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा

380 –– धन की अदायगी के सम्बन्ध में न्यायाधिकरण की प्रत्येक आज्ञा प्रार्थना–पत्र दिये जाने पर नगर के लघुवाद न्यायालय द्वारा इसी प्रकार प्रवर्तित की जायगी, मानों कि वह उस न्यायालय की कोई डिक्री हो। न्यायाधिकरण की आज्ञा का प्रवर्तित किया जाना

381–– (1) न्यायाधिकरण के किसी निर्णय की अपील हाईकोर्ट में की जा सकेगी यदि–– अपीलें

(क) {न्यायाधिकरण}[2] इस आशय का प्रमाण–पत्र दे कि उक्त मामाला अपील किये जाने योग्य है, अथवा

(ख) हाईकोर्ट अपील के लिये विशेष अनुमति दे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि हाईकोर्ट ऐसी विशेष अनुमति तब तक न देगा, जब तक कि न्यायाधिकरण ने खण्ड (क) के अधीन प्रमाण–पत्र देना अस्वीकृत न कर दिया हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील केवल निम्नलिखित एक या एकाधिक आधारों पर की जा सकेगी, अर्थात् ––

(क) निर्णय किसी विधि अथवा विधि का प्रभाव रखने वाली किसी प्रथा को प्रतिकूल है,

(ख) निर्णय में विधि अथवा विधि का प्रभाव रखने वाली किसी प्रथा से संबद्ध किसी सारवान विषय का निर्धारण नहीं किया गया है,

(ग) कोई ऐसी सारवान भूल अथवा त्रुटि रह गयी है, जिसके कारण गुण–दोष के आधार पर किसी मामले के निर्णय में तथ्य या विधि संबंधी कोई भूल अथवा त्रुटि हो गई है।

(3) पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी भी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन कोई अपील नहीं की जा सकेगी, जब तक कि अपीलकर्ता ने वह धनराशि न जमा कर दी हो, उस आज्ञा के अधीन जमा करना उसका दायित्व हो, जिसके विरुद्ध अपील दायर की गई है।

(4) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, मूल डिग्रियों की अपीलों के विषय में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 के उपबन्ध, यथासंभव इस अधिनियम के अधीन अपीलों पर लागू होंगे।

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 24, 1972 की धारा 11 द्वारा निकाला गया।
2. उपर्युक्त की धारा 12 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

{(5) (1) उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रमाण–पत्र दिये जाने के लिए प्रार्थना–पत्र न्यायाधिकरण के निर्णय के दिनांक से तीस दिन के भीतर दिया जा सकता है।

(2) न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील उक्त प्रमाण–पत्र दिये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है।

(3) उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन अपील के लिए विशेष अनुमति के निमित्त कोर्ट को प्रार्थना–पत्र उक्त प्रमाण–पत्र अस्वीकार करने की आज्ञा के दिनांक से साठ दिन के भीतर दिया जा सकता है।

(5–क) उपधारा (5) के अधीन अपील या प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 और 12 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।}[1]

(6) इस अधिनियम के आधेन किसी अपील पर हाईकोर्ट की आज्ञा, प्रार्थना–पत्र देने पर, नगर के लघुवाद न्ययालय द्वारा उसी प्रकार प्रवर्तित की जायगी मानों वह उसी न्यायालय की कोई डिग्री हो।

वृक्षों तथा वनभूमियों का परिरक्षण

382–– (1) यदि विकास समिति को प्रतीत हो कि सुख–सुविधा के हित में नगर की किसी वनभूमि अथवा वृक्षों का परिरक्षण इष्टकर है, तो वह मुख्य नगराधिकारी को निम्नलिखित की आज्ञा देने के लिये प्राधिकृत कर सकती है–

(क) मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा के बिना आज्ञा में निर्दिष्ट किसी वृक्ष अथवा वृक्ष–समूहों को काट कर गिराने, उसकी ऊंचाई छाटने, डाले काटने अथवा जानबूझ कर उन्हें नष्ट करने का प्रतिषेध,

(ख) वनभूमि के किसी ऐसे भाग में, जहां के वृक्ष, वन प्रबन्ध सबन्धी क्रियाओं के दौरान में मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा से अथवा बिना उसकी अुनज्ञा के गिरा दिये गये हों आज्ञा में उल्लिखित रीति के अनुसर फिर से पौधे लगवाना।

(2) उपधारा (1) के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, उस पर उक्त आज्ञा की तामील के दिनांक से 30 दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकता है तथा राज्य सरकार ऐसी किसी आज्ञा की पुष्टि बिना किसी परिष्कार के अथवा ऐसे परिष्कारों के अधीन, जिन्हें वह उचित समझे, कर सकती है अथवा उसे प्रतिसंहृत कर सकती है।

नगर के लिये महायोजना

383–– (1) {निगम}[2] इस सम्बन्ध में बनाए गए नियमों द्वारा विहित रीति से तथा शर्तों के अधीन रहते हुए नगर के लिए एक महायोजना तैयार कर सकती है तथा राज्य सरकार द्वारा ऐसा अपेक्षित होने पर वह ऐसा अवश्य करेगी।

स्पष्टीकरण – इस धारा में ''महायोजना'' से तात्पर्य है वह विस्तृत योजना, जिसमें निम्नलिखित की वर्तमान तथा प्रस्तावित स्थिति एवं उनका सामान्य विन्यास दिखलाया गया हो–

(क) मुख्य सड़कें तथा यातायात के रास्ते,

(ख) आवासिक खंड,

(ग) व्यवसाय क्षेत्र,

(घ) औद्योगिक क्षेत्र,

(ङ) शिक्षा संस्थाएं,

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 24, 1972 की धारा 12 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(च) सार्वजनिक उद्यान, खेल के मैदान तथा मनोरंजन की अन्य सुविधाएं,

(छ) सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक भवन,

(ज) भूमि के अन्य प्रयोग, जो आवश्यक हों।

(2) महायोजना प्रत्येक 10 वर्ष के अन्त में पुनरीक्षित की जायगी तथा यदि {निगम}[1] उचित समझे तो उससे पहले भी पुनरीक्षित की जा सकती है।

(3) इस अधिनियम में किसी भी बात के होते हुए भी विकास योजनाएं, नयी सड़कों, नालियों, उद्यानों, फैक्ट्रियों तथा भवनों का विन्यास यथासंभव महायोजना के अनुरूप होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात यू.पी. टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 अथवा कानपुर अरबन एरिया डवेलपमेंट ऐक्ट, 1945 के अधीन पहले से ही स्वीकृत विकास योजनाओं पर लागू न होगी।

नगर के लिए विकास योजना तैयार करना

{383–क–– (1) निगम नगर के लिये प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट योजना को नियमों द्वारा विहित रीति से निगम की विकास समिति द्वारा तैयार किया जायेगा।

(3) योजना को निगम के समक्ष रखा जायेगा, जो उसे उपान्तरों सहित या बिना किसी उपान्तर के ऐसे रूप में अनुमोदित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे और मुख्य नगर अधिकारी इसे संविधान के अनुच्छेद 243–यघ में उल्लिखित जिला योजना समिति को उस दिनांक तक, जो नियमों द्वारा विहित किया जाय, प्रस्तुत करेगा।}[2]

नियम बनाने का अधिकार

384–– (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :––

(क) न्यायाधिकरणों के कार्यों का संचालन, जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर के प्रतिकूल न हो,

(ख) विकास योजनाओं के सम्बन्ध में सरकारी तथा वैयक्तिक नोटिसें देने की रीति;

(ग) विकास योजनाओं की प्रगति के सम्बन्धित में {निगम}[1] द्वारा राज्य सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना,

(घ) नगर की महायोजना को तैयार करने तथा उसके पुनरीक्षण से सम्बन्धित सभी विषय, तथा

(ङ) भूमि प्रयोग सम्बन्धी परिवर्तनों का विनियमन।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 62 द्वारा अन्तर्विष्ट।

अध्याय 15

सफाई व्यवस्था

सड़क की सफाई तथा स्वच्छता

मुख्य नगराधिकारी द्वारा सड़क की सफाई और कूड़ा–करकट हटाने के संबंध में की जाने वाली व्यवस्था

385–– समस्त सड़कों और भू–गृहादि की उत्तम सफाई एवं स्वच्छता के प्रयोजनार्थ मुख्य नगराधिकारी निम्नलिखित की व्यवस्था करेगा :––

(1) शहर की सभी सड़कों की सफाई और उन पर ढेर किये गए कूड़े–करकट को हटाना,

(2) निम्नलिखित को अस्थायी रूप से रखने के लिए उचित और सुविधाजनक स्थानों में, सार्वजनिक पात्रों, संग्रहागारों और जगहों की व्यवस्था या निर्धारण :––

(क) धूल, राख, कूड़ा, करकट तथा गन्दी,

(ख) व्यापारिक कड़ा– करकट,

(ग) मृत पशुओं के शव,

(घ) मलमूत्र और दूषित वस्तुयें

(3) समस्त पात्रों तथा संग्रहागारों के भीतर की वस्तुओं और धूल, राख, कूड़ा–करकट, गन्दगी, व्यापारिक कूड़ा–करकट, मृत पशुओं के शव और मलमूत्रादि तथा दूषित वस्तुओं को अस्थायी रूप से जमा करने के लिए, उसके द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन व्यवस्थित या निर्धारित समस्त स्थानों पर जमा वस्तुओं का हटाना :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (2) के खंड (क) से (घ) तक में उल्लिखित कूड़े–करकट आदि का अन्तिम रुप से निस्तारण निगम या राज्य सरकार के किन्ही सामान्य या विशेष निदेशों के अधीन होगा।

गैर सरकारी अभिकरण द्वारा हटाये गये कूड़ा करकट आदि के निस्तारण का विनियमन

386–– (1) मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति की पूर्व स्वीकृति से सार्वजनिक नोटिस द्वारा, जो नियमों में विहित रीति से दिया जायगा, ऐसे समय, ऐसी रीति और शर्तों आदि के सम्बन्ध में, जिनके अनुसार या जिनके अधीन धारा 385 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कूड़ा–करकट आदि सड़क पर से हटाया, वहां जमा किया या अन्यथा निस्तारित किया जा सकता है, आदेश जारी कर सकता है।

(2) उपर्युक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, बिना, उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये किसी आदेश द्वारा इस बात की अपेक्षा की जा सकती है कि निजी तौर पर सफाई करते समय मेहतरों द्वारा जमा किया गया ऐसा सारा कूड़ा–करकट, जो धारा 385 की उपधारा (2) में उल्लिखित है, उक्त खंड के अधीन व्यवस्थित या निश्चित सार्वजनिक पात्रों, संग्रहागारों और स्थानों में जमा किया जायगा।

(3) जब उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश जारी किया गया हो, तो कोई भी व्यक्ति धारा 385 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कूड़े–करकट आदि को ऐसे आदेश का उल्लंघन करते हुए सड़क पर से न हटाएगा, न जमा करेगा और न अन्य किसी प्रकार से उसका निस्तारण ही करेगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

387—— धारा 385 के अधीन व्यवस्थित अथवा निश्चित सार्वजनिक पात्रों, संग्रहागारों और स्थानों में जमा सभी चीजें और उक्त धारा तथा 386 के अनुसार {निगम}[1] कर्मचारियों अथवा ठेकेदारों द्वारा इकट्ठी की गयी सभी चीजें {निगम}[1] की सम्पत्ति होगी। कूड़ा—करकट आदि {निगम}[1] की सम्पत्ति होगी।

388—— (1) मुख्य नगराधिकारी अपने इस आशय का एक सार्वजनिक नोटिस दे सकता है कि वह नगर के किसी ऐसे भाग में, जिसे वह निर्दिष्ट करें, संडासों, मूत्रालयों तथा नलकूपों से सभी मल—मूत्र और दूषित वस्तुओं को किसी {निगम}[1] अभिकरण द्वारा इक्ट्ठा कराने, हटाने और निस्तारण करने के निमित्त व्यवस्था करना चाहता है और ऐसा करने पर मुख्य नगराधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह नगर के उक्त भाग में स्थित सभी भू—गृहादि से उक्त वस्तुओं के प्रतिदिन इकटठा करने, हटाने और निस्तारण की व्यवस्था करे। मुख्य नगराधिकारी मलमूत्र आदि तथा दूषित वस्तुओं को जमा करने इत्यादि के संबंध में व्यवस्था कर सकता है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भाग में और किन्हीं भू—गृहादि में, वे चाहे जहां भी स्थित हों, जहां किसी {निगम}[1] नाली से जुड़ा हुआ कोई नाबदान अथवा संडास हो किसी भी व्यक्ति के लिये, जो मुख्य नगराधिकारी द्वारा अथवा उसकी ओर से नियोजित न किया गया हो, बिना मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा के, यह वैध न होगा कि वह मेहतरों के किन्हीं कर्तव्यों का निर्वहन करे।

389—— (1) मुख्य नगराधिकारी किसी मन्दिर, मठ, मस्जिद, कब्र अथवा धर्मिक उपासना या धर्मोपदेश अथवा मनोरंजन के किसी स्थान के, जहां विशेष अवसरों पर अधिक संख्या में जनता एकत्र होती हो आसपास अथवा किसी ऐसे स्थान में जो मेलों, त्योहारों अथवा सार्वजनिक समारोहों के आयोजन के निर्मित प्रयुक्त होता हो, सफाई बनाए रखने के निमित्त ऐसे विशेष प्रबन्ध कर सकता है जिन्हें वह पर्याप्त समझे। कतिपय स्थानों पर विशेष सफाई का प्रबन्ध

(2) मुख्य नगराधिकारी ऐसे व्यक्ति को, जिसके नियंत्रण में उपर्युक्त कोई स्थान हो, यह आदेश दे सकता है कि वह उपधारा (1) के अधीन किए गए विशेष कार्यों पर हुए व्यय का वह अंश {निगम}[1] को अदा करे, जिसे कार्यकारिणी समिति समय—समय पर निश्चित करे, और ऐसा व्यक्ति उस स्थान से सम्बद्ध निधियों में से उक्त अंश अदा करने के लिए बाध्य होगा।

भू—गृहादि के निरीक्षण और सफाई सम्बन्धी विनियमन

390—— (1) मुख्य नगराधिकारी किसी भी भवन अथवा दूसरे भू—गृहादि की सफाई की दशा जानने के प्रयोजन से उनका निरीक्षण कर सकता है। सफाई के प्रयोजनों से भू—गृहादि के निरीक्षण का अधिकार

(2) यदि सफाई बनाये रखने के लिए मुख्य नगराधिकारी को ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो तो वह लिखित नोटिस द्वारा किसी भवन के स्वामी या अध्यासी को उस भवन या उसके किसी भाग को चूने द्वारा सफाई कराने, वहां कीटाणुनाशक द्रव का छिडकाव कराने अथवा अन्य प्रकार से उसे साफ कराने के आदेश दे सकता है।

391—— (1) यदि मुख्य नगराधिकारी का यह मत हो कि कोई भवन या भवन को कोई भाग, जो निवास के लिऐ अभिप्रेत हो अथवा प्रयुक्त होता हो, मनुष्यों के रहने के लिए आयोग है तो वह कार्यकारिणी समिति के पूर्वानुमोदन से और जब तक उसकी राय में अध्यासी के लिए तात्कालिक खतरा न हो, ऐसे भवन के स्वामी या अध्यासी को कारणबताने का विहित रीति से अवसर देने के पश्चात् लिखित आज्ञा द्वारा उक्त भवन या उसके भाग को रहने के प्रयोजनार्थ उस समय तक उपयोग में लाने का प्रतिशेध कर सकता है जब तक वह निवास के योग्य न बना दिया जाय। मनुष्यों के रहने के लिए अयोग्य भवन अथवा भवनों के कमरे

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

स्पष्टीकरण – इस धारा में पदावलि ''मनुष्यों के रहने के लिए अयोग्य'' से तात्पर्य है स्वच्छता की त्रुटि के कारण अर्थात् वायु के लिए स्थान अथवा संवीजन स्थान का अभाव अंधेरा, सीलन, समुचित तथा शीघ्र प्राप्त जल या स्वच्छावास या अन्य विधाओं के अभाव तथा आंगन या मार्गों में जल निस्तारण की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण मनुष्यों के रहने के लिए अयोग्य।

(2) जब उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई आज्ञा दे दी गयी तो भवन का स्वामी अथवा अध्यासी उस भवन को मनुष्यों के रहने के लिए तब तक प्रयुक्त नहीं करेगा और न करने देगा, जब तक मुख्य नगराधिकारी यह प्रमाणित न कर दे कि वह भवन, रहने के योग्य हो गया है।

(3) जब मुख्य नगराधिकारी के उपधारा (1) के अधीन कोई आज्ञा दी है तो वह भवन के स्वामी अथवा अध्यासी को लिखित रूप से ऐसे अनुदेश देगा कि उक्त भवन अथवा भवन के भाग को मनुष्यों के रहने योग्य बनाने के निमित्त कौन–कौन से सुधार अथवा परिवर्तन किए जाने अपेक्षित हैं।

(4) मुख्य नगराधिकारी उपधारा (1) का उल्लंघन करके किसी भवन अथवा कमरे को प्रयुक्त करने वाले किसी व्यक्ति को पुलिस के किसी पदाधिकारी अथवा {निगम}[1] के किसी कर्मचारी द्वारा उस भवन अथवा कमरे से निकलवा सकता है।

(5) धारा 334 की उपधारा (5) और (6) के उपबन्ध, मुख्य नगराधिकारी द्वारा जारी किए गये इस आशय के प्रमाण–पत्र पर कि यथास्थिति, भवन अथवा भवन का भाग मनुष्यों के रहने के योग्य हो गया है उसी प्रकार लागू होंगे, मानों ऐसा प्रमाण–पत्र उपर्युक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए नोटिस का वापस लेना हो।

अस्वास्थ्यकर भवनों को मरम्मत कराने का आदेश देने का अधिकार

392–– (1) यदि मुख्य नगराधिकारी को यह प्रतीत हो कि रहने के लिए अभिप्रेत अथवा प्रयुक्त कोई भवन किसी प्रकार से मनुष्यों के रहने के योग्य नहीं है, तो यह लिखित नोटिस द्वारा उस भवन के स्वामी को यह आदेश दे सकता है कि वह ऐसे कारण बताये कि उस भवन में ऐस कार्य सम्पादित करने अथवा ऐसे परिवर्तन करने की आज्ञा क्यों न दी जाय कि वह मनुष्यों के रहने के योग्य हो जाय।

(2) इस धारा के अधीन भवन के स्वामी पर नोटिस तामील करने के साथ ही मुख्य नगराधिकारी उस नोटिस की एक प्रतिलिपि किसी ऐसे अन्य व्यक्ति पर तामील कर सकता है जो उक्त भवन में या उस भूमि में जिस पर यह भवन निर्मित किया गया हो, चाहे बन्धकी पट्टेदार अथवा अन्य किसी रूप में कोई स्वत्व रखता हो।

(3) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट स्वामी अथवा अन्य व्यक्ति कोई आपत्ति प्रस्तुत न करे अथवा आपत्तियों पर सुनवाई करने के पश्चात् मुख्य नगराधिकारी का समाधान हो जाय कि उस भवन को मनुष्यों के रहने के योग्य बनाने के लिये उसमें निर्माण कार्यों का सम्पादन अथवा परिवर्तन करना आवश्यक है तो वह लिखित नोटिस द्वारा भवन के स्वामी को यह आदेश देगा कि वह 21 दिन से अन्यून किसी ऐसी उचित अवधि के भीतर, जो नोटिस में निदिष्ट की जाय, उक्त कार्य का सम्पादन अथवा उक्त परिवर्तन करे।

(4) यदि मुख्य नगराधिकारी को यह प्रतीत हो कि किसी आवास को मनुष्यों के हरने के आयोग्य दशा में बनाये रखने से किसी व्यक्ति अथवा सम्पत्ति को हो सकने वाले आसन्न संकट को रोकने के प्रयोजनों के लिए तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है, तो वह उपधारा (1) के अधीन नोटिस जारी करने का परित्याग कर सकता है, तथा उपधारा (3) में निर्दिष्ट नोटिस तत्काल जारी कर सकता है और उसकी एक प्रति उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति पर तामील कर सकता है।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

अस्वास्थ्यकर भवनों की मरम्मत कराने का आदेश देने का अधिकार

393–– (1) यदि मुख्य नगराधिकारी को यह प्रतीत हो कि कोई भवन जो रहने के लिए अभिप्रेत हो अथवा एतदर्थ प्रयुक्त होता हो, मनुष्यों के रहने योग्य नहीं है, और उचित व्यय करने के बाद भी उसे रहने के योग्य नहीं बनाया जा सकता है तो वह भवन के अध्यासी और भवन के स्वामी पर एक नोटिस तामील करेगा जिसमें उस दिनांक को, जो नोटिस तामील होने के बाद 21 दिन से अन्यून होगा और उस स्थान को उल्लिखित कर दिया जायगा जहां कार्यकारिणी समिति द्वारा भवन के भावी उपयोग के संबंध में विचार किया जायगा और प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे उक्त नोटिस दिया गया होगा, मामले पर विचार होने के समय अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति जिस पर उपधारा (1) के अधीन कोई नोटिस तामील किया गया हो नोटिस तामील होने के दिनांक से 21 दिन के भीतर कार्य के सम्पादन के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव रखना चाहता हो, तो वह अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आशय का एक लिखित नोटिस मुख्य नगराधिकारी पर तामील करेगा और ऐसी उचित अवधि के भीतर जो मुख्य नगराधिकारी निर्धारित करे वह उन निर्माण कार्यों की एक विवरण सूची उसके समक्ष रखेगा जिन्हें वह सम्पन्न करना चाहता है।

(3) मुख्य नगराधिकारी कार्यकारणी समिति के पुर्वानुमोदन से किसी भवन के स्वामी या उसमें स्वत्व रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति से इस प्रकार का वचन ले सकता है, कि या तो वह निर्दिष्ट अवधि के भीतर उसमें ऐसे निर्माणकार्य करवायेगा, जिनसे वह भवन मुख्य नगराधिकारी की राय में मनुष्यों के रहने के योग्य हो जाय या वह भवन मनुष्यों के रहने के लिए तब तक उपयोग में नहीं लाया जायगा जब तक कि मुख्य नगराधिकारी हा यह समाधान न हो जाय कि वह भवन रहने के योग्य हो गया और जब तक कि वह कार्यकारिणी समिति के पूर्वानुमोदन से उक्त वचन को रद्द न कर दे।

(4) यदि मुख्य नगराधिकारी उपधारा (3) में उल्लिखित वचन स्वीकार नहीं करता, अथवा यदि किसी मामले में मुख्य नगराधिकारी ने उक्त वचन स्वीकार कर लिया हो किन्तु उस वचन से संबद्ध निर्माण–कार्य निर्दिष्ट अवधि में किए न गए हों अथवा यदि किसी समय भवन वचन की शर्तों के प्रतिकूल उपयोग में लाया गया हो तो मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति के पूर्वानुमोदन से भवन को गिरवाने के निमित्त आज्ञा दे सकता है जिसमें यह आदेश भी होगा कि भवन को आज्ञा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो नोटिस के प्रभावी होने के दिनांक से 28 दिन से कम न होगी, खाली कर दिया जायगा और उतनी अतिरिक्त अवधि के भीतर गिरवा दिया जायगा, जिसे मुख्य नगराधिकारी उचित समझे। मुख्य नगराधिकारी उस आज्ञा की एक प्रतिलिपि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर तामील करेगा जिस पर उपधारा (1) के अधीन नोटिस तामील किया गया था।

(5) यदि मुख्य नगराधिकारी को यह प्रतीत हो कि किसी व्यक्ति या सम्पत्ति अथवा उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकार के किसी भवन को आसन्न सकट से बचाने के लिए तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है और उक्त उपधारा के अधीन नोटिस देने में विलम्ब होने से उस धारा के अधीन कार्यवाही करने का उद्देश्य विफल हो जायेगा तो वह कार्यकारिणी समिति के पूर्वानुमोदन से यथाशक्य उस रीति से जिसकी व्यवस्था उपधारा (4) में की गयी है, किन्तु आज्ञा का पालन करने की कम से कम अवधि घटाकर 7 दिन करते हुए, उक्त भवन को गिरवाने की आज्ञा दे सकता है।

भवन गिराने की आज्ञा की कार्यान्वित करने की प्रक्रिया

394–– (1) धारा 393 के अधीन भवन गिराने के आज्ञा प्रभावी होने पर उस भवन का स्वामी आज्ञा में एतदर्थ निर्दिष्ट अवधि के भीतर भवन को गिरवा देगा और यदि भवन निर्दिष्ट समय के भीतर न गिराया जाय तो मुख्य नगराधिकारी उसे गिरवाने और उसके मलवे को बेच देने की व्यवस्था कर सकता है।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) उपधारा (1) के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा किए गये व्यय, मलवा बेचने से वसूल हुये रुपये का संधान करने के पश्चात् भवन के स्वामी द्वारा देय होंगे और व्यय चुकाने के पश्चात् मुख्य नगराधिकारी अपने पास बचे हुए शेष धन को भवन के स्वामी को वापस करेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (2) के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा किए गए निर्णय से क्षुब्ध हो, 1 महीने की अवधि के भीतर जज को अपील कर सकता है।

भवनों के गिराने की आज्ञा के विरुद्ध अपील

395–– कोई व्यक्ति जो –––

(1) धारा 391 की उपधारा (1) के अधीन दी गयी किसी आज्ञा से, अथवा

(2) धारा 392 की उपधारा (3) अथवा उपधारा (4) के अधीन दी गयी आज्ञा से, अथवा

(3) भवन गिराने के संबंध में धारा 393 के अधीन दी गयी आज्ञा, किन्तु जो उस धारा की उपधारा (5) के अधीन दी गयी आज्ञा न हो, से, क्षुब्ध हो तो वह आज्ञा की प्रतिलिपि तामील होने के दिनांक के पश्चात् 21 दिन के भीतर न्यायाधीश को अपील कर सकता है और जब तक उस अपील का अंतिम रूप से निर्णय न हो जाय तब तक मुख्य नगराधिकारी उस आज्ञा को जिसके संबंध में अपील की गई है, कार्यान्वित करने के बारे में कोई कार्यवाही नहीं करेगा।

पशुओं की लाशों का निस्तारण

पशुओं के शवों का निस्तारण

396–– (1) मुख्य नगराधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह नगर के भीतर मरे हुए सभी पशुओं के शवों को हटाने की व्यवस्था करे।

(2) किसी भू–गृहादि जिसमें अथवा जिस पर कोई जानवर मरे अथवा जिसमें अथवा जिस पर किसी जानवर का शव पाया जायगा, का अध्यासी और वह व्यक्ति, जो किसी ऐसे पशु का अवधायक हो जो किसी सड़क पर अथवा किसी खुले स्थान पर मरता है, उस जानवर के मरने के पश्चात् तीन घंटे के भीतर अथवा यदि वह पशु रात में मरता है तो सूर्योदय के पश्चात् 3 घंटे के भीतर, उसके मरने की रिर्पाट निकटतम {निगम}[1] स्वास्थ्य विभाग को करेगा।

(3) {निगम}[1] अभिकरण द्वारा हटाए गए प्रत्येक शव को–चाहे वह किसी निजी भू–गृहादि से हटाया जाय या किसी सार्वजनिक सड़क या स्थान से–हटाने के निमित्त पशु के स्वामी को अथवा यदि स्वामी अज्ञात हो तो उस भू–गृहादि के अध्यासी को, जिसमें अथवा जिस पर उक्त जानवर मरा हो या उस व्यक्ति को जिसके अवधायन में उक्त पशु मरा हो, ऐसा शुल्क देना होगा, जो मुख्य नगराधिकारी निर्दिष्ट करे।

स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खेती बाड़ी, खाद के उपयोग अथवा सिंचाई का निषेध

397–– यदि {चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश के निदेशक या मुख्य चिकित्सा अधिकारी}[2] या नगर स्वास्थ्य अधिकारी यह प्रमाणित करे कि किसी निर्दिष्ट रीति से फसलों की किसी प्रकार की खेती–बाड़ी अथवा किसी प्रकार के खाद का उपयोग या किसी भूमि की सिंचाई–

(क) जो नगर की सीमाओं के भीतर किसी स्थान में की जाती हो, हानिकार है या उससे ऐसी प्रक्रियायें उद्‌भूत होती हों जो पास–पड़ोस में रहने वालों के स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, अथवा

(ख) जो उक्त नगर की सीमाओं के भीतर अथवा बाहर स्थित किस स्थान में की जाती है, से ऐसे नगर के जल सम्भरण के दूषित हो जाने अथवा अन्यथा पीने के प्रयोजनों के लिए जल के अनुपयुक्त हो जाने की संभावना है,

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 63 द्वारा प्रतिस्थापित।

तो मुख्य नगराधिकारी सार्वजनिक नोटिस द्वारा उस फसल की खेती–बाड़ी, उक्त खादों का उपयोग अथवा सिंचाई के उक्त साधनों के प्रयोग हो हानिकारक कहे जाते हों का प्रतिषेध कर सकता है अथवा उनके संबंध में ऐसी शर्तें आरोपित कर सकता है जो उक्त हानि अथवा दूषण को रोकें :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी ऐसी भूमि पर जिसके सम्बन्ध में नोटिस जारी किया जा चुका हो, प्रतिषिद्ध कार्य प्रतिषेध के दिनांक से निरन्तर 5 वर्ष पूर्व तक साधारणतः खेती–बाड़ी के दौरान में किया जाता रहा हो तो उस भूमि में स्वत्व रखने वाले सभी व्यक्तियों को, जिन्हें उक्त प्रतिषेध द्वारा क्षति पहुंचेगी, {निगम}[1] निधि में से प्रतिकर दिया जायगा।

हानिकर वनस्पतियों को साफ करने के लिये स्वामियों से अपेक्षा करने का अधिकार

398–– मुख्य नगराधिकारी नोटिस द्वारा किसी भूमि के स्वामी या अध्यासी को किसी ऐसी वनस्पति या झाड़ी को साफ करने या हटाने का आदेश दे सकता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर या पड़ोसियों के लिए कष्टदायक हो।

सार्वजनिक स्नान, धुलाई आदि का विनियमन

सार्वजनिक स्नान आदि के स्थान मुख्य नगराधिकारी द्वारा निश्चित किए जायेंगे और ऐसे स्थानों के उपयोग का विनियमन

399–– (1) मुख्य नगराधिकारी सार्वजनिक नोटिस द्वारा समय–समय पर ––

(क) जनता के लिए स्नान करने, पशुओं को धोने अथवा कपड़े धोने या सुखाने के प्रयोजनार्थ किसी नदी के भागों को या अन्य उपयुक्त स्थानों को, जो {निगम}[1] में निहित हो, अलग कर देगा,

(ख) ऐसे समय निर्दिष्ट करेगा जब उन स्थानों का उपयोग किया जाएगा और यह भी निर्दिष्ट करेगा कि वे स्थान स्त्रियों द्वारा उपयोग में लाए जायेंगे अथवा पुरुषों द्वारा,

(ग) जनता द्वारा पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये किसी भी ऐसे स्थान का उपयोग प्रतिषिद्ध करेगा, जो उन प्रयोजनों के लिये अलग न कर दिया गया हो,

(घ) उपर्युक्त किसी भी प्रयोजन के लिये जनता द्वारा नदी के किसी भी भाग के अथवा ऐसे स्थान के जो {निगम}[1] में निहित न हो, उपयोग का प्रतिषेध करेगा,

(ङ) नदी के किसी भाग अथवा किसी अन्य स्थान का, जो {निगम}[1] में निहित हो तथा मुख्य नगराधिकारी द्वारा पूर्वोक्त किन्हीं प्रयोजनों के लिये अलग कर दिया गया हो, जनता द्वारा उपयोग विनियमित करेगा, और

(च) जनता द्वारा उपर्युक्त किसी भी प्रयोजन के लिये नदी के किसी भाग या अन्य किसी स्थान को, जो {निगम}[1] में निहित न हो तथा किसी निर्माणकार्य और किसी निर्माण–कार्य के जल को जो इस अधिनियम के अधीन किसी विशेष प्रयोजन के निमित्त विनिर्दिष्ट तथा अलग कर दिया गया हो प्रयोग विनियमित कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अलग किये गये किसी स्थान के किसी निर्दिष्ट वर्ग अथवा वर्गों के व्यक्तियों द्वारा या सामान्य जनता द्वारा प्रयोग के लिये मुख्य नगराधिकारी ऐसा शुल्क ले सकता है, जिसे कार्यकारिणी समिति निश्चित करे।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

400—— सिवाय जैसा कि मुख्य नगराधिकारी द्वारा दी गयी किसी आज्ञा में अनुमति हो, कोई भी व्यक्ति—

आज्ञा के विपरीत स्नान करने का प्रतिषेध

(क) किसी झील, तालाब, जलाशय, फौब्वारे, जल—कुण्ड, प्रणाली, बम्बे, सोते या कुएं या नदी के किसी भाग में अथवा {निगम}[1] में निहित किये अन्य स्थल में न नहायेगा,

(ख) किसी तालाब, जलाशय, सोते, कुएं अथवा खाई में कोई ऐसा पशु, वनस्पति या खजिन पदार्थ न डालेगा जिससे उसका जल दूषित अथवा स्वास्थ्य के लिये भयप्रद हो जाय,

(ग) किसी संक्रामक, संसर्गजन्य अथवा घृणित रोग से ग्रस्त अवस्था में किसी स्नान के प्लेट फार्म, झील, तालाब, जलाशय, फौव्वारे, जलकुण्ड प्रणाली, बम्बे, सोते या कुयें पर उसमें या उसके पास नहीं नहायेगा।

(घ) उक्त किसी स्थान या निर्माण—कार्य में या उसके पास कोई पशु, वस्त्र या अन्य वस्तुएं न धोयेगा और न धुलवायेगा,

(ङ) उक्त किसी स्थान या निर्माण—कार्य के जल में किसी पशु या वस्तु को न फेंकेगा, न वहां रखेगा और न प्रविष्ट होने देगा,

(च) उक्त किसी स्थान या निर्माण—कार्य के जल में किसी पशु या वस्तु को प्रवाहित करायेगा, न कराने देगा और न उसमे ंया उन पर कार्य करायेगा न कराने देगा, जिससे किसी भी अंश में जल गन्दा या दूषित हो जाय,

(छ) उक्त किसी स्थान में, या पर, कपड़े नहीं सुखायेगा,

(ज) मुख्य नगराधिकारी द्वारा धारा 399 के अधीन दी गयी किसी आज्ञा का उल्लंघन करते हुए नदी के किसी भाग को अथवा किसी स्थान को, जो {निगम}[1] में निहित न हो, उक्त धारा में उल्लिखित किसी भी प्रयोजन के लिये प्रयोग में नहीं लायेगा,

(झ) मुख्य नगराधिकारी द्वारा धारा 399 के अधीन पूर्वोक्त किसी प्रयोजन के लिये नदी के उक्त किसी भाग अथवा स्थान के प्रयोग के संबंध में दिये गये किसी नोटिस के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं करेगा।

फैक्ट्रियों, व्यापारों इत्यादि का विनियमन

401—— मुख्य नगराधिकारी की पूर्व प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति कोई फैक्ट्री, कारखाना या कार्यस्थान, जिसमें भाप, पानी बिजली या किसी क्षेत्र अन्य यंत्र चालित शक्ति का प्रयोग अभिप्रेत हो या ननबाई की दुकान——

बिना मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा के नई फैक्ट्री इत्यादि स्थापित न की जायेगी

(1) किसी भू—गृहादि में नये सिरे से स्थापित न करेगा।

(2) एक स्थान से दूसरे स्थान को न हटायेगा,

(3) तीन साल से अन्यून किसी अवधि तब बन्द रखने के पश्चात् न फिर से खोलेगा और न उसका नवीकरण करेगा, या

(4) का क्षेत्र या उनकी सीमाओं को न बढ़ायेगा न विस्तुत करेगा और न कोई व्यति ऐसी किसी फैक्ट्री, कारखाने, कार्यस्थान या नानबाई की दुकान को बिना उक्त अनुज्ञा के चलायेगा या चलाने देगा :

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि बन्द रहने की अवधि में उस स्थान से, जहां आरम्भ में कोई फैक्ट्री, कारखाना, कार्यस्थान अथवा नानबाई की दुकान स्थापित की गयी थी, मशीनें आदि न हटायी गई हों तो खंड (3) के प्रयोजनों के निमित्त ऐसी किसी अनुज्ञा की आवश्यकता न होगी।

रासायनिक द्रव्यों आदि द्वारा जल के गन्दे या दूषित किये जाने का प्रतिषेध

402—— धारा 438 या नियमावली में निर्दिष्ट किसी व्यापार या उत्पादन में संलग्न कोई व्यक्ति—

(क) {निगम}[2] की किसी झील, तालाब, जलाशय, जलकुंड, कुआं, प्रणाली या अन्य जल स्थान के या उनसे संचरित किसी नाली या पाइप में जानबूझ कर उपर्युक्त व्यापार या उत्पादन के दौरान में उद्भूत किसी धोवन या अन्य पदार्थ को न तो प्रवाहित करवायेगा और न ऐसा करने देगा,

(ख) उपर्युक्त व्यापार या उत्पादन से संबंद्ध कोई कार्य जानबूझ कर न करेगा, जिससे उक्त झील, तालाब, जलाशय, जलकुण्ड, कुआँ या प्रणााली या अन्य जलस्थान का जल खराब, दूषित या गन्दा हो जाय।

निजी जल प्रणाली इत्यादि की सफाई करने या उसे बन्द कर देने की आज्ञा देने का अधिकार

403—— (1) मुख्य नगराधिकारी किसी निजी जल—प्रणाली, सातों, तालाब, कुएं या अन्य स्थान , के जिसका पानी पीने के कार्य में लाया जाता हो, स्वामी या उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को नोटिस द्वारा यह आदेश दे सकता है कि वह उस मरम्मत करवा कर अच्छी हालत में रखे और समय—समय पर उसमें से तलछट, कूड़ा— करकट या सड़ी—गली वनस्पति हटा कर उसकी सफाई करे तथा उसे दूषित होने से इस रीति से बचाये, जिसे {निगम}[2] उचित समझे।

(2) जब किसी ऐसी जल—प्रणाली, सोतों, तालाब, कुएं या अन्य स्थान का जल मुख्य नगराधिकारी के संतोषानुसार पीने के लिये अनुपयुक्त सिद्ध हो गया हो तो वह उसके स्वामी या उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को नोटिस द्वारा यह आदेश दे सकता है कि वह उस पानी का प्रयोग न करे और न दूसरों को उसका प्रयोग करने दे और यदि ऐसे नोटिस के पश्चात् कोई व्यक्ति उस पानी को पीने के काम में लाये तो मुख्य नगराधिकारी उसके स्वामी या उस पर नियन्त्रण रखने वाले व्यक्ति को नोटिस द्वारा उस कुएं को स्थायी या अस्थायी रूप में बन्द करने की या ऐसी जल—प्रणाली, सोते, तालाब, कुंए या अन्य स्थान को ऐसी रीति से घेर देने या उसके चारों ओर बाड़ा बना देने की आज्ञा दे सकता है, जिसे वह आदिष्ट करें, ताकि उसका पानी इस प्रकार प्रयुक्त न हो सके।

फैक्ट्रियों, स्कूलों तथा अन्य सार्वजनिक समागन के स्थानों के निर्मित शौचालय

404—— मुख्य नगराधिकारी ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसने बीस से अधिक श्रमिक या मजदूर नियोजित किये हों या जो किसी बाजार, स्कूल या प्रेक्षागृह या अन्य सार्वजनिक समागम स्थान का स्वामी हो, उसका प्रबन्ध करता हो या उस पर नियंत्रण रखता हो, नोटिस द्वारा यह आदेश दे सकता है कि वह इनते शौचालय और मूत्रालयों की व्यवस्था करे, जिन्हें वह उचित समझे, उन्हें ठीक ढंग से बनाये रखे और प्रतिदिन उनकी सफाई कराये :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि {फैक्ट्रीज ऐक्ट, 1948}[1] द्वारा विनियमित फैक्ट पर इस धारा की कोई भी बात लागू न होगी।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं. 14, 1959 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

405–– मुख्य नगराधिकारी किसी भूमि या भवन के स्वामी या अध्यासी को नोटिस द्वारा यह आदेश दे सकता है कि वह किसी निजी कुएं, तालाब या जलाशय, पोखरे गड्‌ढे या उतवात को, जो मुख्य नगराधिकारी को स्वास्थ्य के निमित्त हानिप्रद या पास–पड़ोस वालों के लिये दोषकर प्रतीत हो साफ कराये, उसकी मरम्मत कराये और उसे आच्छादित कराये, भरवाये या उसकी जल निकासी की व्यवस्था करे :

तालाब इत्यादि से होने वाले अप्रदूषणों को हटाने का आदेश दने का अधिकार

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त स्वामी या अध्यासी इस धारा के अधीन आदेशित जल–निकासी को कार्यन्वित करने के प्रयोजनार्थ {निगम}[1] के व्यय से ऐसी जल–निकासी के लिये आवश्यक कोई भूमि अथवा भूम्याधिकार अर्जित कराने या अन्यथा उसकी व्यवस्था करने की मुख्य नगराधिकारी से अपेक्षा कर सकता है।

भयानक रोगों का निवारण और उनकी रोकथाम

406–– यदि किसी भयानक रोग से पीड़ित या ग्रस्त कोई व्यक्ति –

भयानक रोगों के संबंध में मुख्य नगराधिकारी और स्वास्थ्य चिकित्साधिकारी इत्यादि के अधिकार

(क) किसी वाहन या सार्वजनिक स्थान पर लेटा हुआ पाया जाय, या

(ख) बिना किसी उपयुक्त निवास या स्थान के हो, या

(ग) किसी एक कमरे के मकान में रहता हो, जिसका न वह स्वामी हो और न जिसके अध्यासन का अन्य रूप से ही उसे अधिकार हो, या

(घ) ऐसे कमरे में या कक्षों के समूह में रहता हो जो एक से अधिक परिवार के अध्यासन में हो और उसमें से कोई भी अध्यासी उसके रहने पर आपत्ति करे –

तो मुख्य नगराधिकारी चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से, जो असिस्टेन्ट सर्जन से न्यून न हो, उस रोगी को अस्पताल में या ऐसे अन्य स्थान में भिजवा सकता है, जहां ऐसे रोग से ग्रस्त व्यक्ति चिकित्सा के लिये प्रविष्ट किये जाते हों तथा उसको इस प्रकार हटाये के निर्मित्त कोई भी आवश्यक कार्यवाही कर सकता है।

407–– मुख्य नगराधिकारी किसी भी समय दिन में अथवा रात में बिना नोटिस दिये या अपने निरीक्षण की इच्छा का ऐसा नोटिस देने के पश्चात् जो उसे यथारिथति उचित जान पड़े ऐसे किसी स्थान का निरीक्षण कर सकता है, जिसके संबंध में यह कहा जाता हो कि वहां भयंकर रोग व्याप्त है अथवा जहां ऐसे रोग के विद्यमान होने की आशंका हो और ऐसे उपाय कर सकता है, जिन्हें यह उक्त रोग को उस स्थान से बाहर फैलने से रोकने के लिये उचित समझे।

भयानक रोग को फेलने से रोकने के निमित्त किसी भी स्थान का किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकता है।

408–– प्रत्येक व्यक्ति

भयानक रोगों की सूचना दी जायेगी

(क) जो चिकित्सक हो तथा जिसे चिकित्सा के दौरान में यह ज्ञात हो कि नगर के सार्वजनिक अस्पताल से भिन्न किसी निवास–स्थान में कोई भयानक रोग विद्यमान है या

(ख) जो उस निवास–स्थान का स्वामी या अध्यासी हो, जिसे यह पता चले कि वहां कोई भयंकर रोग विद्यमान है, ऐसे चिकित्सक के चूक करने पर,

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ग) जो ऐसे निवास—स्थान में उक्त भयानक रोग से ग्रस्त व्यक्ति का अवधायक हो या उसकी परिचर्या करता हो और जिसे यह पता हो कि वहां भयानक रोग विद्यमान है, उक्त स्वामी या अध्यासी के चूक करने पर,

ऐसे किसी पदाधिकारी को, जिसे मुख्य नगराधिकारी इस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, उक्त रोग के संबंध में सूचना देगा।

वास—गृहों अथवा भोजनालयों का बन्द किया जाना

409—— यदि मुख्य नगराधिकारी का समाधान हो जाय कि कोई भी निवास—गृह या अन्य स्थान, जहां भोजन और पेय पदार्थ बेचे जा तैयार किये जा बिक्री के लिये संगृहीत या प्रदर्शित किये जाते हैं ऐसा निवास—गृह या स्थान है, जहां भयानक रोग फैला हे, या जहां हाल ही में फैल चुका है और उस स्थान का बन्द किया जाना सार्वजनिक हित में होगा तो वह लिखित नोटिस द्वारा आदेश दे सकता है कि उक्त स्थान आदेश में निर्दिष्ट अवधि तक के लिये बन्द कर दिया जाय :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि नगर स्वास्थ्य अधिकारी यह प्रमाणित कर दे कि उक्त निवास—गृह अथवा स्थान विसंक्रमित कर दिया गया है या संक्रमण से मुक्त है तो उस स्थान के खोले जाने की घोषणा की जा सकती है।

भयानक रोग को फैलने से रोकने के निमित्त किसी भी स्थान का किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकता है।

410—— कोई भी व्यक्ति जब तक वह किसी भयानक रोग या घूणित दुर्व्यव्यस्था से ग्रसत है, जब तक ——

(क) मानव उपयोग के लिये कोई भोजय या पेय पदार्थ अथवा औषधि या भेषज बिक्री के लिये न तैयार करेगा और न प्रस्तुत करेगा, या

(ख) यदि उक्त कोई पदार्थ, औषधिक या भेषज दूसरे व्यक्तियों द्वारा बिक्री के लिये खुला रखा गया हो तो उसे जानबूझ कर न छुयेगा, या

(ग) गन्दे कपड़े धोने या उन्हें लाद कर ले जाने के किसी कारोबार में भाग न लेगा।

भयानक रोगों की सूचना दी जायगी

411—— (1) यदि किसी समय नगर में कोई भयानक रोग फेले या उसके फैलने की आशंका हो या यदि नगर में काई संसर्गजन्य रोग फेले अथवा उसके फैलने की आशंका हो तो मुख्य नगराधिकारी यदि वह यह समझता है कि इस अधिनियम के या तदन्तर्गत बने नियमों के या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के सामान्य उपबन्ध इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त नहीं है तो वह राज्य सरकार की स्वीकृति से ———

(क) ऐसे विशेष उपाय कर सकता है, तथा

(ख) सार्वजनिक नोटिस देकर जनता द्वारा या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के विशेष वर्ग द्वारा अनुपालनार्थ ऐसी अस्थायी आज्ञाएं विहित कर सकता है जो तत्सम्बन्धी, किसी नियमावली में निर्दिष्ट हों तथा जिन्हें वह ऐसे रोग के आविर्भाव या प्रसार को रोकने के लिये आवश्यक समझे।

(2) मुख्य नगराधिकारी तुरन्त ही उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा किये गये किन्हीं उपायों तथा दी गयी किन्हीं आज्ञाओं का प्रतिवेदन {निगम}[1] को देगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

मृतकों का निस्तारण

मृतकों के निस्तारण के स्थानों का पंजीयन किया जायेगा

412–– (1) यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे स्थान का स्वामी है या ऐसा स्थान उसके नियंत्रण में है जो पहले से ही मृतकों के दफनाने, अग्निदाह या किसी अन्य विधि से निस्तारित करने के लिये प्रयुक्त होता रहा हो, तो वह नियत दिन से 6 महीने के भीतर मुख्य नगराधिकारी के पास उसकी रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना–पत्र देगा, और मुख्य नगराधिकारी उसकी रजिस्ट्री करायेगा।

(2) ऐसे प्रार्थना–पत्रों के साथ एक नक्शा भी होगा जिस पर अनुज्ञप्त भूमापक के इस बात के उपलक्ष्य में हस्ताक्षर होंगे कि वह उसके द्वारा अथवा उसके निर्देशन में तैयार किया गया है तथा उसमें पंजीकृत होने वाला स्थान, उसकी स्थिति, उसकी आयति और चौहद्दी दिखायी जायेगी। प्रार्थना–पत्र में स्वत्वधारी, स्वामी या व्यक्ति या जाति का नाम तथा प्रबन्ध की पद्धति तथा अन्य ऐसे ब्योरे भी होंगे, जिनकी मुख्य नगराधिकारी अपेक्षा करे।

(3) ऐसे प्रार्थना–पत्र और नक्शे की प्राप्ति पर मुख्य नगराधिकारी उस स्थान की एक रजिस्टर में, जो इसी प्रयोजन के निमित्त रखा जायगा, पंजीकृत करेगा।

(4) मुख्य नगराधिकारी पंजीयन के समय {निगम}[1] के कार्यालय में उपधारा (2) में निर्दिष्ट नक्शा जमा करवा लेगा।

(5) यदि उस नक्शे से या उसके ब्योरे से मुख्य नगराधिकारी का समाधान न हुआ हो तो वह पंजीयन करने से इकार कर सकता है या उसे ऐसे समय तक के लिये स्थगित कर सकता है जब तक कि उसकी आपत्तियां दूर न कर दी जायं।

(6) मृतकों के दफनाने, अग्निदाह या किसी रीति से निस्तारित करने का प्रत्येक ऐसा स्थान, जो {निगम}[1] में निहित हो, उपधारा (3) के अधीन रखे गये रजिस्टर में पंजीकृत किया जायगा, तथा उस स्थान की स्थिति, आयति एवं सीमाओं का नक्शा, जिस पर मुख्य नगराधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, {निगम}[1] कार्यालय में जमा कर दिया जायगा।

मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा के बिना मृतकों को निस्तारित करने के नये स्थान न खोले जायेंगे

413–– ऐसा कोई स्थान, जो विधितः मृतकों के निस्तारणार्थ पहले कभी भी प्रयुक्त न हुआ हो और न इस प्रकार पंजीकृत हुआ हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा उक्त प्रयोजन के लिये, बिना मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा के, जो {निगम}[1] के अनुमोदन से ऐसी अनुज्ञा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता है, न खोला जायगा।

मृतकों के निस्तारणार्थ नये स्थानों की व्यवस्था

414–– (1) यदि किसी भी समय मृतकों के निस्तारणार्थ विद्यमान कोई स्थान अपर्याप्त प्रतीत हो या धारा 415 के उपबनधें के अधीन कोई स्थान बन्द कर दिया गया हो तो मुख्य नगराधिकारी {निगम}[1] की स्वीकृति से नगर के भीतर अथवा बाहर उन प्रयोजनों के लिये अन्य उपयुक्त और सुविधाजनक स्थानों की व्यवस्था कर सकता है तथा उन्हें धारा 412 के अधीन रखे गये रजिस्टर में पंजीकृत करेगा और ऐसे प्रत्येक स्थान, के जिसकी उक्त प्रकार से व्यवस्था की गई हो, पंजीयन के समय उसका एक नक्शा जिसमें उसकी स्थिति, आयति तथा सीमायें दिखाई गयी हों, {निगम}[1] के कार्यालय में जमा करेगा।

(2) इस अधिनियम, नियम तथा उपविधियों के समस्त उपबन्ध ऐसे स्थान के संबंध में जिसकी उपधारा (1) के अधीन व्यवस्था की गयी हो तथा जो नगर के बाहर स्थित हो, किन्तु {निगम}[1] में निहित हो, उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानों वह स्थान नगर के भीतर स्थित हो।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

मृतकों को दफनाने के स्थान का बन्द किया जाना

415– (1) यदि व्यक्तिगत निरीक्षण के पश्चात् कभी भी मुख्य नगराधिकारी का यह मत हो कि ––

(क) सार्वजनिक उपासना का कोई स्थान अपने धरातल के नीचे या दीवालों के भीतर तहखानों और कब्रों की दशा के कारण या पास–पड़ोस में कोई कब्रिस्तान या दफनाने के स्थान के कारण जनस्वास्थ्य के लिये हानिकार हो गया है अथवा उसके हानिकारक हो जाने की संभावना है,

(ख) मृतकों के निस्तारण के लिये अन्य कोई स्थान सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये हानिकर हो गया है या उसके हानिकर हो जाने की संभावना है,

तो वह अपना इस आशय का निश्चित मत तथा उसके कारण {निगम}[2] के समक्ष रखेगा ओर {निगम}[2] उसे और उसके संबंध में स्वयं अपना मत राज्य सरकार के पास विचारार्थ अग्रसारित करेगी।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित मत प्राप्त होने पर राज्य सरकार ऐसी अतिरिक्त जांच के पश्चात् जिसे वह उपयुक्त समझे, सरकारी गजट में तथा ऐसे पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, जिसें वह आवश्यक समझे, यह आदेश दे सकती है कि सार्वजनिक उपासना का उक्त स्थान या अन्य स्थान भविष्य में मृतकों के निस्तारणार्थ प्रयुक्त नहीं किया जायगा।

(3) उक्त किसी विज्ञप्ति के दिनांक से तीन महीने के समाप्ति पर वह स्थान, जिससे वह विज्ञपित सम्बद्ध हो, मृतकों के निस्तारणार्थ प्रयुक्त न किया जायगा।

(4) मृतकों के दफनाने के लिये अलग किया गया निजी स्थान ऐसे निर्बन्धनों के अधीन , जिन्हें मुख्य नगराधिकारी एतदर्थ आरोपित करे, उक्त किसी आदेश से मुक्त किया जा सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे स्थान की सीमायें पर्याप्त रूप से पारिभाषित हों तथा वह स्थान केवल अपने स्वामियों के परिवार के सदस्यों को दफनाने के लिये ही प्रयुक्त किया जाय।

मृतकों के दफनाने की स्थान का फिर से चालू किया जाना

416–– (1) यदि व्यक्तिगत निरीक्षण के पश्चात् मुख्य नगराधिकारी का यह मत हो कि ऐसा कोई भी स्थान जो, धारा 415 के उपबन्धों के अधीन बन्द कर दिया गया हो, समय बीतने के कारण अब वह बिना किसी जोखिम अथवा भय के उक्त प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त किया जा सकता है तो वह सकारण अपना मत {निगम}[2] के पास प्रस्तुत करेगा और {निगम}[2] अपने मत सहित उसे राज्य सरकार के पास विचारार्थ अग्रसारित करेगी।

(2) ऐसे मत की प्राप्ति पर राज्य सरकार ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उपयुक्त समझे, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके आदेश दे सकती हे उक्त स्थान मृतकों के निस्तारणार्थ पुनः चालू कर दिया जाय।

मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा के बिना मुर्दे खोले न जायेंगे तथा उपाासना के स्थानों के भीतर दफनाएं न जायेंगे

417–– (1) कोई भी व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना–

{(क) किसी उपासना स्थान की किसी दीवाल के भीतर या किसी ऐसे स्थान के किसी उपमार्ग ड्योढ़ी या बरामदे के नीचे कोई तहखाना या क्ब्र या मजार न बनायेगा;}[1]

(ख) किसी ऐसे स्थान में, जो धारा 415 के अधीन मृतकों के लिए बन्द कर दिया गया हो, कोई मजार न बनायेगा अथवा किसी अन्य रीति से कोर्ठ शव निस्तारित न करेगा,

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 21, 1964 की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ग) किसी ऐसे स्थान में, जो धारा 412 के अधीन एतदर्थ रखे गये रजिस्टर में पंजीकृत न हो, कोई कब्र या तहखाना न निर्मित करेगा, न खोदेगा, न निर्मित करवायेगा न खुदवायेगा, अथा किसी भी रीति से किसी शव को न तो निसतारित करेगा ओर न निस्तारित होने देगा,

(घ) सिवाय कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 की धारा 176 के या तत्समय प्रचलित अन्य किसी विधि के उपबन्धों के अधीन शवों के निस्तारण के किसी भी स्थान से शवों को नहीं खोदेगा।

(2) मुख्य नगराधिकारी ऐसी सामान्य या विशेष आज्ञाओं के अधीन रहते हुए, जिन्हें सरकार एतदर्थ समय–समय पर दे, विशेष दशाओं में उपर्युक्त प्रयोजनों में किसी के निमित्त अनुज्ञा दे सकता है।

मृतकों के निस्तारण के संबंध में प्रतिषिद्ध कार्य

418—— कोई भी व्यक्ति ——

(क) किसी शव को मृत्यु की इतनी देर बाद तक कि वह अपदूषण का कारण बन जाय बिना अग्निदाह किये हुए, गाड़े हुए या अन्य किसी रीति से विधितः निस्तााारित किये हुए किसी भू–गृहादि में रोक न रखेगा,

(ख) किसी शव या शव के भाग को बिना अच्छी तरह से ढके हुए या संक्रमण का जोखिम अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य की हानि को रोकने के लिये बिना ऐसे पूर्वावधान के, जिनकी मुख्य नगराधिकारी सार्वजनिक नोटिस द्वारा समय–समय पर अपेक्षा करना उचित समझे, किसी भी मार्ग पर न ले जायगा।

(ग) सिवाय ऐसी दशा में जब दूसरा मार्ग उपलबन्ध न हो, किसी भी शव या शव के भाग को उस मार्ग से न ले जाएगा, जिस पर शवों का ले जाना मुख्य नगराधिकारी ने एतदर्थ दिये गये किसी सार्वजनिक नोटिस द्वारा प्रतिषिद्ध कर दिया हैं

(घ) किसी भी ऐसे शव अथवा ऐसे शव के भाग को, जिसे चीर–फाड़ के प्रयोजनार्थ रखा गया हो या प्रयुक्त किया गया हो, बिना किसी बन्द पा़त्र या वाहन में रखे हुए न हटायेगा,

(ड) **किसी** शव या शव के किसी भाग को ले जाते समय उसे बिना किसी अत्यावश्यक प्रयोजन के किसी सडक पर या उसके निकट न रखेगा और न छोडेगा;

(च) किसी शव या शव के भाग को किसी कब्र या तहखाने में या अन्यत्र किसी रीति से न तो दफनायेगा और न दफनाने देगा, जिससे कफन की ऊपरी सतह या, यदि कफन न प्रयुक्त किया गया हो, तो शव का भाग भूमि के धरातल से 6 फुट से कम की गहराई में रहे,

(छ) किसी कब्रिस्तान में, किसी कब्र या तहखाने को किसी दूसरी कब्र या तहखाने के पार्श्व से 2 फुट से कम की दूरी पर न तो निर्मित करेगा, न खोदेगा और निर्मित करवायेगा, न खुदवायेगा,

(ज) किसी कब्रिस्तान में, किसी पंक्ति में, जो मुख्य नगराधिकारी की आज्ञा द्वारा अथवा उसके अधीन इस प्रयोजन के निमित्त अंकित न हो, कोई कब्र या तहखाना न निर्मित करायेगा, और न खोदेगा, और न निर्मित करवायेगा न खुदवायेगा,

(झ) मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी शव या शव के भाग का मजार बनाने के लिय किसी ऐसी कब्र या तहखाने को, जिसमें पहले से ही कोई शव रखा हो, दुबारा नहीं खोलेगा,

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ञ) किसी शव या शव के भाग को किसी श्मशान में लाने या लिवा लाने के पश्चात् उसे उस स्थान पर लाने के छः घंटे के भीतर उसका अग्न्दिाह करने या कराने में न चूकेगा।

(ट) किसी शव या शव के भाग को जलाते या जलवाते समय उसको या उसके किसी अंश को श्मशान अथवा उसके निकट बिना पूर्णतः भस्मीभूत हुए न रहने देगा अथवा ऐसे शव या शव के ले जाने अथवा अग्निदाह के लिये प्रयुक्त किसी वस्त्र या अन्य वस्तु को न तो वहा से हटाने देगा और न बिना पूर्णरूप से भस्मीभूत हुए वहां रहने देगा।

राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को नगर की सीमाओं के बाहर लागू कर सकती है

419—— राज्य सरकार सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके उस आज्ञा में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र पर, जो नगर की सीमाओं के बाहर दो मील से अधिक दूरी पर न हो, इस अध्याय की किसी धारा तथा तदन्तर्गत निर्मित नियमावली के उपबन्ध, ऐसे अनूकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में किये जायं, जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक और इष्टकर समझे, प्रवृत्त कर सकते है और तदुपरान्त इस प्रकार प्रवृत्त उपबन्ध और नियम उस क्षेत्र में उसी प्रकार प्रभावी होंगे मानों वह क्षेत्र नगर के भीतर हो।

नियम बनाने का अधिकार

420—— (1) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के निमित्त नियम बना सकती है।

(2) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :——

(क) धूल इत्यादि को जमा करने और एकत्र करने के लिय स्वामियों और अध्यासियों का उत्तरदायित्व,

(ख) उन क्षेत्रों के, जो धारा 388 के अन्तर्गत न आते हों, अध्यासियों के ऐसे मल—मूत्र तथा दूषित वस्तुए, जो उनके भू—गृहादि में जमा हो जाया करती हों, ऐसे पात्रों आदि में, जिनकी व्यवस्था धारा 385 के अधीन की गई हो, एकत्र करने तथा हटाने का उत्तरदायित्व,

(ग) भू—गृहादि पर बहुत अधिक मात्रा में एकत्र हो जाने वाले कूड़े—करकट और गन्दगी को हटाना,

(घ) (अ) भू—गृहादि पर भवन निर्माण संबंधी सामग्री एकत्र करने,

(ब) भू—गृहादि की दोषपूर्ण छतों पर अन्य अस्वास्थ्यकर वस्तुओं,

(स) निवास—स्थानों में पाकशाला के धुयें तथा अन्य धुये और धूल इत्यादि,

(द) पोखरे, दलदल, खाई, तालाब, कुएं, तड़ाग, पत्थर की खानों के गड्ढे, नाली, जल—प्रणाली तथा किसी जल—संग्रह,

(य) खतरनाक तालाब, कुएं, गड्ढे इत्यादि,

(र) पत्थरों की खतरनाक खाने खोदे जाने, तथा

(ल) भू—गृहादि में दुर्गन्ध—युक्त वस्तुएं एकत्र करने के उत्पन्न अपदूषणों को हटाना,

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ङ) अस्वास्थ्यकर निजी जल—प्रणालियों , सोतों, तालाबों, कुओं इत्यादि का, जिनका जल पीने के काम में आता हो, साफ किया जाना,

(च) नगर में पशुओं के रखने और उनके बांधे जाने का विनियमन,

(छ) इंडियन व्यायलर्स ऐक्ट, 1923 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए फैक्ट्रियों, कारखानों या कार्य—स्थानों इत्यादि का सफाई सम्बन्धी विनियमन तथा तत्संबंधी सूचनायें देना।

(ज) धोबियों द्वारा कपड़ा धोने का विनियमन तथा कपड़ा धोने के स्थानों की व्यवस्था,

(झ) संक्रामक तथा संसर्गजन्य रोगों से ग्रस्त पशुओं के बारे में सूचनायें देना,

(ञ) भयानक रोगों के प्रसार को रोकने के लिये घरों तथा सार्वजनक और निजी स्थानों का विसंक्रमण,

(ट) सीटियों, तुरहियों और लाउडस्पीकरों तथा अन्य यन्त्र चालित शोर मचाने वाले उपकरणों का प्रतिषेध और विनियमन,

(ठ) वृक्षों और झाड़ियों का हटाना, छांटना तथा काटना

अध्याय 16

बाजारों वध—शालाओं, कतिपय व्यापारों और कार्यों आदि का विनियम

किसे निजी बाजार और वधशाला समझा जायगा

421—— इस अध्याय के प्रयोजनार्थ {निगम}[1] बाजारों और वधशालाओं से भिन्न समस्त बाजारो और वधशालाओं को निजी बाजार और वधशालाएं समझा जायेगा।

बजारी और वधशालाओं आदि के संबंध में मुख्य नगराधिकारी के अधिकार

422—— इस अधिनियम और उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों और उपविधियों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, मुख्य नगराधिकारी को निम्नलिखित अधिकार होगा—

(क) {निगम}[1] द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किये जाने पर उसे {निगम}[1] की सीमा के भतर और राज्य सरकारकी पूर्व स्वीकृति से उसकी सीमा के बाहर किसी {निगम}[1] —बाजार या {निगम}[1] वधशाला या बधार्थ पशुस्थान की स्थापन के प्रयोजनार्थ कोई भवन या भूमि निर्मित करना, खरीदना, पट्टे पर लेना या किसी अन्य प्रकार से अर्जित करना और किसी वर्तमान {निगम}[1] —बाजार या वधाशाला का विस्तार या सुधार करना,

(ख) समय—समय पर, ऐसे {निगम} —बाजारों, वधालाओं और वधार्थ पशुस्थानों ओर ऐसी छोटी दूकानों, दूकानों आश्रम स्थानों वाड़ों तथा अन्य भवनों और सुख—सुविधा के स्थानों को, जो उक्त {निगम}[1] —बाजारों, वधशालाओं या वधार्थ पशु—स्थानों में व्यापार या व्यवसाय करने वाले या वहां पर प्रायः आने वाले व्यक्तियों के प्रयोग के लिए आवश्यक समझे जायं, बनवाना और उनका संधारण करना,

(ग) ऐसे किसी {निगम}[1]—बाजार में ऐसे भवनों, स्थानो, मशीनों, बाटों तराजुओं और मापों के जिन्हें वह वहां बिकने वाली वस्तुओं को तौलने और मापने के प्रयोजनार्थ उचित समझे के सधारण की व्यवस्था करना,

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(घ) {निगम}[1] द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किये जाने पर, किसी {निगम}[1] बाजार या वध–शाला या वधार्थ पशु–स्थान या उसके किसी भाग को बन्द करना और इस प्रकार बन्द किये गये किसी बाजार, वधशाला या वधार्थ पशु–स्थान या उसके भाग के लिये अध्यासित भू–गृहादि को {निगम}[1] की सम्पत्ति के रूप में निस्तारित करना,

(ङ) {निगम}[1] की पूर्व–स्वीकृति के समय–समय पर, सार्वजनिक नोटिस द्वारा किसी {निगम}[1] –बाजार के पचास गज की दूरी के भीतर उक्त {निगम}[1] –बाजार में में साधारणतया बेची जाने वली ऐसी वस्तुओं को, जो नोटिस में निर्दिष्ट हों या उनमें से किसी वस्तु को बेचने या बेचने के लिये प्रदर्शित करने का प्रतिषेध करना और इसी प्रकार {निगम}[1] की पूर्व–स्वीकृति से ऐसे नोटिस के किसी भी समय निरस्त या परिष्कृत करना,

(च) {निगम}[1] –बाजार, बधशाला या वधार्थ पशु–स्थान में किसी छोटी दूकान, दूकान, खडा होने का स्थान, आश्रय–स्थान या बाड़ा या अन्य भवन के अध्यासन या प्रयोग के लिये, और किसी {निगम}[1] –बाजार में विक्रय के प्रयोजनार्थ वस्तुएं प्रदर्शित करने और ऐसे किसी बाजार में बेचे जाने वाले सामान को तौलने और मापने का अधिकार प्रदान करना तथा ऐसी किसी {निगम}[1] –वधशाला में पशुओं के वध का अधिकार प्रदान करने के संबंध में ऐसा भाड़ा किराया और शुल्क लेना, जो कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से, एतदर्थ समय–समय पर उसके द्वारा नियम किया जाय,

(छ) कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से उपर्युक्त प्रकार से लगाये जाने वाले भाड़े किराये और शुल्क का उसके किसी भाग को एक समय में किसी ऐसी अवधिक के लिये, जो एक वर्ष से अधिक न हो, निर्धारित करना।

(ज) एसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन, जिन्हें वह ठीक समझे किसी निगम–बाजार, वधशाला या वधार्थ पशुस्थान में किसी छोटी दुकान, दुकान, खड़े होनें के स्थान, आश्रय स्थान या बाड़े अथवा अन्य भवन के अध्यासन या उपयोग के विशेष अधिकार का सार्वजनिक नीलाम करनें या कार्यकारणी समिति की स्वीकृति से निजि बिक्री द्वारा उसे निस्तारित करना।

निजी बाजारों तथा निजि वधाशालाओं का खोला जाना

423–– (1) {निगम}[1] समय–समय पर यह निर्धारित करेगी कि नगर में अथवा नगर के किसी निर्दिष्ट भाग में नये निजी बाजारों की स्थापना की अथवा निजी वध–शालाओं की स्थापना या उनके संधारण की अनुज्ञा दी जाय या नहीं

(2) बिना मुख्य नगराधिकारी की स्वीकृति के ओर उसके अनुज्ञाज्ञप्ति प्राप्त किये हुए, जो ऐसी स्वीकृति तथा अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में उपधारा (1) के अधीन {निगम}[1] के तत्सामायिक निर्णयों द्वारा निर्देशित होगा, कोई भी व्यक्ति मानव भोजन के लिये अभिप्रेत पशुओं या मानव भोजन की कोइ वस्तु या पशुधन या पशुधन के निर्मित्त खाद्य सामग्रियों की विक्री के लिये न तो किसी निजी बाजार की स्थापना करेगा और न किसी निजी वधशाला की स्थापना या उसका संधारण करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगराकिीर नियत दिन पर पहले से ही विधितः स्थापित किसी निजी बाजार या वधशाला को चलाने की स्वीकृति देने या उसके लिये अनुापित प्रदान करने से इंकार न करेगा, यदि ऐसी स्वीकृति तथा अनुज्ञप्ति के लिये नियत दिनांक से दो महीने की भीतर आवेदन–पत्र दिया गया हो, सिवाय इस आधार पर कि उस स्थान में जहां बाजार या वधशाला की स्थापना की गई है, इस अधिनियम की या तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियम या उपविधि की अपेक्षाओं का पालन नहीं होता है।

(3) जब इस प्रकार किसी निजी बाजार या वधाशाला की स्थापना की स्वीकृति दे दी गई हो, तो मुख्य नगराधिकारी ऐसी स्वीकृति का नोटिस हिन्दी या किसी ऐसी अन्य भाषा या भाषाओं में, जिन्हें {निगम}[1] समय–समय पर निर्दिष्ट करे, उस भवन या स्थान पर या उसके निकट, जहां ऐसा बाजार लगाया जाता है, किसी प्रमुख स्थल पर लगवा देगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

स्पष्टीकरण –उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ किसी ऐसे स्थान के स्वामी या अध्यासी के बारे में जहां किसी निजी बाजार या वधशाला की स्थापना की गई हो, यह समझा जायेगा कि उसने ही ऐसे बाजार की स्थापना की है।

(4) मुख्य नगराधिकारी किसी कारण से किसी निजी बाजार को खुला रखने के संबंध में किसी अनुाप्ति को निरस्त या निलम्ब्ति या उसके नवीकरण को अस्वीकार न करेगा सिवाय उस दशा के जब उसके स्वामी ने इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या किसी विनियम अथवा किसी उपविधि का अनुपालन न किया हो।

(5) मुख्य नगराधिकारी उस दशा में किसी अनुज्ञप्ति को निरस्त या निलम्बित कर सकता है जब किसी बाजार का कोई स्वामी, अपनी अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार, किसी ऐसे भाड़े, किराया शुल्क या अन्य भुगतान की, जो किसी छोटी दूकान, दूकान, खडे होने के स्थान, आश्रय स्थान, बाड़े या उसमें किसी अन्य स्थान के अध्यासन या प्रयोग के संबंध में किसी व्यक्ति से उसे या उसके अभिकर्ता को प्राप्त हुआ हो, लिखित रसीद न दे।

(6) जब मुख्य नगराधाकरी ने निजी बाजार को खुला रखने के निमित किसी अनुज्ञप्ति को अस्वीकार, निरस्त या निलम्बित किया हो तो वह अपने द्वारा ऐसे किये जाने का नोटिस, ऐसी भाषा या भाषाओं में, जिसे {निगम}[1] समय–समय पर निर्दिष्ट करे, उस भवन या स्थान के जहां पर ऐसा बाजार लगता हो, ऊपर या निकट किसी प्रमुख स्थान पर चिपकवा देगा।

किसी {निगम} वध– शाला, वधार्थ–पशु स्थान बाजार या भू–गृहादि से जीवित ढौर, भेड़, बकरी या सुअरों को हटाना

424–– मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुमति के बिना अथवा ऐसे शुल्क का भुगतान किये बिना, जो वह विहित करे कोई व्यक्ति किसी {निगम}[1] वधशाला या वधार्थ पशु–स्थान से या किसी ऐसे {निगम}[1] बाजार या भू–गृहादि से जो वधशाला या वधार्थ पशु–स्थान के निमित्त या संबंध में प्रयोग में लाया जाता हो या प्रयोग में लाये जाने के लिये अभिप्रेत हो, कोई जीवित ढोर, भेड, बकरी या सुअर न हटायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे पशु को हटाने के लिये किसी अनुज्ञा की आवश्यकता न होगी जो ऐसी वधशला, वधार्थ पशु–स्थान, बाजार या भू–गृहादि के भीतर न बेचा गया हो और जो मुख्य नगराधिकारी द्वारा एतदर्थ दी गई आज्ञा में विहित अवधि से अधिक अवधि तक ऐसी वधशाला, वधार्थ पशु–स्थान, बाजार या भू–गृहादि में न रहा हो या जिसे किसी किन्हीं उपविधियों के अनुसार ऐसी वधशाला बाजार या भू–गृहादि में बध के लिये अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया हो।

नियमों, उपविधियों या विनियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को निष्कासित करने का अधिकार

425–– (1) मुख्य नगराधिकारी किसी {निगम}[1] बाजार, वधाशाला, वधार्थ पशु–स्थान से किसी ऐसे व्यक्ति को निष्कासित कर सकता है जो स्वयं अथवा जिसका नौकर ऐसे बाजार, वधशाला या वधार्थ पशु–स्थान में प्रचलित किसी नियम, उपविधि या विनियम का उल्लंघन करने के कारण अपराधी ठहराया गया हो और ऐसे व्यक्ति या उसके नौकरों को उस बाजार, वधशाला या वधार्थ पशु–स्थान में भविष्य के कोई व्यापार या व्यवसाय करने अवि उसमें किसी छोटी दूकान, दूकान, खड़ा होने के स्थान, आश्रय स्थान, बाड़ा यो अन्य स्थान को अध्यासित करने से रोक सकता है, तथा किसी ऐसे पट्टे या भोगावधि को समाप्त कर सकता हे, जो व्यक्ति, ऐसी छोटी दूकान, दूकान, खड़े होने के स्थान, आश्रय स्थान, बाड़े या अन्य स्थान के संबंध में रखता हो।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त किसी निजी बजार या वधशाला का स्वामी या ऐसे बाजार या वधशाला या उसमें किसी छोटी दूकान का पट्टेदार या ऐसे स्वामी या पट्टेदार का कोई अभिकर्ता या नौकर, किसी नियम उपविधि या विनियम का उल्लंघन करने के कारण अपराधी ठहराया गया हो, तो मुख्य नगराधिकारी ऐसे स्वामी, पट्टेदार, अभिकर्ता या नौकर को किसी ऐसे बाजार या वधशाला से ऐसे स्वामी, पट्टेदार, अभिकर्ता या नौकर को किसी ऐसे बाजार या वधशाला से ऐसे समय के भीतर, जो आदेश में दिया हुआ हो, चले जाने का आदेश दे सकता है, और यदि वह उस आदेश का अनुपालन न करे तो वह किसी ऐसे दंड के अतिरिक्त जो उस पर इस अधिनियम के अधीन आरोपित किया जाय, ऐसे भू—गृहादि से तुरन्त हटाया जा सकता है।

(3) यदि मुख्य नगराधिकारी को यह प्रतीत हो कि किसी भी ऐसे मामले में स्वामी या पट्टेदार उपर्युक्त ऐसे दोषी ठहराये नौकर या अभिकर्ता के साथ अभिसंधि से कार्य कर रहा है, जो उपधारा (2) के अधीन आदेश का अनुपालन नहीं करता, तो मुख्य नगराधिकारी, यदि वह उपयुक्त समझे, ऐसे भू—गृहादि के संबंध में उस स्वामी या पट्टेदार की अनुज्ञप्ति को निरस्त कर सकता है।

बिना अनुज्ञप्ति के {निगम}[1] बाजारो में बिक्री का प्रतिषेध

426—— (1) कोई व्यक्ति मुख्य नगराधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना किसी {निगम}[1] बाजार में किसी पशु या वस्तु को न बेचेगा और न बचेने के लिये प्रदर्शित करेगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को, जो इस धारा का उल्लंघन करे, किसी {निगम}[1] पदाधिकारी या नौकरी द्वारा तुरन्त हटाया जा सकता है।

अनधिकृत निजी बाजारों में बिक्री का प्रतिषेध

427—— यदि किसी व्यक्ति को यह मालूम हो कि कोई बाजार मुख्य नगराधिकारी की स्वीकृति के बिना स्थापित किया गया हो या उसे खुला रखने की अनुज्ञप्ति मुख्य नगरधिकारी द्वारा अस्वमीकृत, निरस्त या निलंबित हो जाने के पश्चात् भी उसे खुला रखा गया है तो वह उसमें किसी पशु या मानव भोजन के किसी वस्तु या पशुधन या पशुधन की भोजन सामग्री को न बेचेगा ओर न बेचने के लिये प्रदर्शित करेगा।

बाजारों से अन्यत्र पशुओं आदि की बिक्री का प्रतिषेध

428—— मुख्य नगराधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति निम्न लिखित को न बेचेगा ओर न बेचने के लिये प्रदर्शित करेगा —

(क) {निगम}[1] या निजी बाजार से भिन्न किसी स्थान में मानव भोजन के लिये अभिप्रेत कोई चौपाई या किसी प्रकार का मांस या मछली,

(ख) {निगम}[1] बजारया निजी बाजार या अनुज्ञप्त, भोजनालय या मिठाई की दुकान से भिन्न किसी स्थान में बर्फ और शर्बत या सोडावाटर, कुल्फी, गन्ने का रस, कुटा या छिला हुआ फल और सब्जी, किसी भी प्रकार के बिस्कुट, पेस्ट्री इत्यादि या मिठाइयां अथवा ऐसा अन्य पका हुआ भोजन या मानव उपभोग के लिये अभिप्रेत अन्य वस्तुएं जिन्हें समय—समय पर मुख्य नगराधिकारी सार्वजनिक नोटिस द्वारा निर्दिष्ट करे।

बिक्री के निर्मित्त रक्खे गये पशुओं के वध पर निर्बन्धन

429—— कोई व्यक्ति, मुख्य नगराधिकारी की अुनज्ञा के बिना, नगर में बिक्री के लिये रक्खे गये किसी पशु का, {निगम}[1] वधशाला या अनुज्ञप्त निजी वधशाला के अतिरिक्त किसी ओर स्थान में न वध रकेगा और न वध करवायेगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

ऐसे पशुओं के जो बिक्री के लिये अभिप्रेत न हों या जिनका वध धार्मिक प्रयोजन के लिये किया जाना हो, वध के लिये स्थान

430—— मुख्य नगराधिकारी सार्वजनिक नोटिस द्वारा और {निगम}[1] की पूर्व स्वीकृति से, नगर के भीतर ऐसे भू—गृहादि निश्चित कर सकता है, जिसमें किसी विशेष प्रकार के पशु का वध करने, जो बिक्री के लिये न हो, या उस पशु के शव को काटने की अनुज्ञा दी जायगी और सिवाय उस दशा के जब आवश्यकता पड़े नगर में किसी अन्य स्थान पर इस प्रकार के वध का प्रतिषेध कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के उपबन्ध ऐसे पशुओ पर लागू न होंगे, जिनका किसी धार्मिक प्रयोजनार्थ वध किया जाता हो।

ऐसे पशुओं के संबंध में जिनका बिक्री के प्रयोजनार्थ वध नहीं किया जाता हो, जिला मजिस्ट्रेट के अधिकार

431—— जब कभी शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मैजिस्ट्रेट को यह आवश्यक प्रतीत हो तो वह विहित प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन रहते हुये सार्वजनिक नोटिस द्वारा, किसी नगर की सीमा के भीतर, बिक्री से भिन्न से किसी प्रयोजन के लिए पशुओं या किसी निर्दिष्ट प्रकार से पशुओं के वध का प्रतिषेध या विनियमन कर सकता है तथा वह रीति जिससे और वह मार्ग जिसके द्वारा ऐसे पशु वध स्थान में लाये जायेंगे तथा वहां से मांस बाहर ले जाया जायगा, विहित कर सकता है।

432—— (1) मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति मानव भोजन के लिए अभिप्रेत किसी पशु, भेड़, बकरी या सुअर को या ऐसे किसी पशु के मांस को नगर में न लायेगा जिसका किसी ऐसी बधशाला में बध किया गया हो, जिसका संधारण इस अधिनियम के अधीन न किया जाता हो या जो इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त न हो।

(2) कोई पुलिस पदाधिकारी बिना वारेन्ट के किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, जो उपधारा (1) का उल्लंघन करके नगर के भीतर किसी पशु या उसके मांस को ला रहा हो।

(3) इस धारा के उल्लंघन करके नगर में लाये गये किसी पशु का मुख्य नगराधिकारी या {निगम} का कोई पदाधिकारी या नौकर या पुलिस का कोई पदाधिकारी या रेलवे के भू—गृहादि के भीतर या उस पर, रेलवे का कोई सेवक अभिग्रहण कर सकता हे और इस प्रकार अभिग्रहण किये गये किसी पशु या मांस को मुख्य नगराधिकारी के आदेशानुसार बेचा या अन्य प्रकार से निस्तारित किया जा सकता है और इस प्रकार प्राप्त धन, यदि कोई हो, {निगम} का होगा।

(4) इस धारा की कोई बात उपचारित या संरक्षित मांस के संबंध में लागू न समझी जायगी।

मुख्य नगराधिकारी किसी ऐसे स्थान में प्रवेश कर कसता है, जहां इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल पशु—वध या मांस की बिक्री किये जाने का सन्देह हो

433—— (1) यदि मुख्य नगराधिकरी को यह विश्वास करने का कारण हो कि मानव भोजन के लिए अभिप्रेत किसी पशु का वध किया गया है, किया जा रहा है या किये जाने की संभावना है अथवा किसी ऐसे पशु का मांस किसी ऐसे स्थान में या ऐसी रीति से बेचा जा रहा है या बेचने के प्रयोजनार्थ प्रदर्शित किया जा रहा है जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन यथावत् प्राधिकृत नहीं है तो मुख्य नगराधिकारी किसी भी समय, दिन को या रात को, बिना नोटिस दिये, इस संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ कि वहां इस अधिनियम या किसी उपविधि के किसी उपबन्ध का उल्लंघन तो नही ंकिया जा रहा है, उस स्थान में प्रवेश कर सकता है और ऐसे पशु या एसे पशु के शव या मांस का जो वहा पाया जाय, अभिग्रहण कर सकता है।

(2) मुख्य नगराधिकारी उपधारा (1) के अधीन अभिग्रहण किये गये किसी पशु या पशु के शव या किसी मांस को हटा सकता है और उसे नीलाम द्वारा बेच सकता या अन्य प्रकार से निस्तारित कर सकता है।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) यदि इस प्रकार अभिग्रहण किये जाने के एक महीने के भीतर पशु, पशु के शव या मांस का स्वामी मुख्य नगराधिकारी के सामने उपस्थित होकर उसके सन्तोषानुसार अपने दावे को प्रमाणित न कर सके अथवा यदि ऐसा स्वामी ऐसे पशु या शव या मांस के संबंध में इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो तो उपधारा (1) के अधीन किसी बिक्री से प्राप्त होने वाला धन {निगम}[1] में निहित हो जायगा।

(4) किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसी क्षति के लिए, जो उपधारा (1) के अधीन किये गये किसी प्रवेश के कारण या ऐसा प्रवेश करने के लिए आवश्यक किसी बल प्रयोग के कारण अनिवार्यतः पहुंची हो, कोई प्रतिकार का दावा न किया जा सकेगा।

मुख्य नगराधिकारी मानव भोजनार्थ बिक्री के लिए प्रदर्शित की गई वस्तुओं के निरीक्षण की व्यवस्था करेगा

434–– मुख्य नगराधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसे पशुओं, उनके शवों, गोश्त, मुर्ग–मुर्गियां, आखेट पशु, मांस, मछली, फल, सब्जी, अनाज, रोटी आटा, दुग्धाशाला के पदार्थों या अन्य वस्तुओं की निरन्तर एवं सतर्क निरीक्षण की व्यवस्था करे, जो बिक्री के लिऐ प्रदर्षित की गई हों या जिन्हें फेरी लगाकर बेचा जाता हो, या जा बिक्री के लिए तैयार करने के प्रयोजनार्थ किसी स्थान में जमा की गई या लायी गयी हो तथा जो मानव भोजन या औषधि के लिए अभिप्रेत हों यह प्रमाणित करने का भार दोषारोपित पक्ष पर होगा कि उक्त वस्तुयें न प्रदर्शित की गयी थीं, न फेरी लगाकर बेची गई थीं, न उन्हें उक्त प्रयोजनार्थ जमा किया या लाया गया था और न वे मानव भोजन या औषधि के लिए अभिप्रेत थीं।

अस्वास्थ्य कर वस्तुओं आदि का अभिग्रहण

435–– (1) मुख्य नगराधिकारी सभी उचित समयों पर पूर्वोक्त किसी पशु या वस्तु का और उन्हें तैयार करने, बनाने या रखने के लिए प्रयोग में लाने जाने वाले वर्तन या भाड़े का निरीक्षण तथा परीक्षण कर सकता है।

(2) मुख्य नगराधिकारी को कोई ऐसा पशु या ऐसी कोई वस्तु मानव भोजन के लिए, यथास्थिति, रोगग्रस्त या विकृत या अस्वास्थ्यकर अथवा अनुपयुक्त प्रतीत हो या यह वैसी न हो जैसी कि बताई गई हो या यदि कोई बर्तन या भाड़ा इस प्रकार का या ऐसी दशा में हो कि उसमें तैयार की गई, बनाई गई या रखी गयी हो वस्तुयें मानव भोजन के लिए अस्वास्थ्यकर या अनुपयुक्त हो जायं तो वह ऐसे पशु, वस्तु, बर्तन या भाड़े का अभिग्रहण कर सकता है और उसे उठा ले जा सकता है, जिससे उसके सम्बन्ध में और उपबन्धित ढंग से कार्यवाही की जा सके और वह ऐसे किसी पशु या वस्तु के अवधायक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और उसे निकटतम थाने में ले जा सकता है।

धारा 435 के अधीन अभिग्रहण की गई खराब होने वाली वस्तुओं का निस्तारण

436–– यदि किसी गोश्त, मछली, सब्जी या अन्य खराब होने योग्य वस्तु का धारा 435 के अधीन अभिग्रहण किया जाय और वह मुख्य नगराधिकारी की राय में, यथास्थिति, रोगग्रस्त विकृत, अस्वास्थ्यकर या मानव भोजन के लिए अनुपयुक्त हो, तो मुख्य नगराधिकारी तुरन्त ही उसे उस रीति से नष्ट करवा देगा कि वह फिर बिक्री के लिए प्रदर्शित किये जाने अथवा मानव भोजन के लिए प्रयोग के किये जाने के योग्य न रह जाय और उसका व्यय उस व्यक्ति द्वारा वहन किया जायगा।

हानिकर व्यापार का विनियमन

437–– (1) यदि मुख्य नगराधिकारी के सन्तोषानुसार यह बताया जाय कि नगर की सीमा के भीतर स्थित किसी भवन या भूमि को कोई व्यक्ति किसी वस्तु के निर्माण, संग या निस्तारण के प्रयोजनार्थ फैक्ट्री के रूप में या अन्य व्यापारिक स्थान के रूप में प्रयोग करता है या प्रयोग करना चाहता है और ऐसे प्रयोग के कारण अथव अभिप्रेत प्रयोग के कारण कोई सार्वजनिक अपदूषण पैदा होता हो या पैदा होने की संभावना हो, तो मुख्य नगराधिकारी विकल्प का प्रयोग करके ऐसे भवन या स्थान के स्वामी या अध्यासी को सार्वजनिक नोटिस द्वारा आदेश दे सकता है कि वह ––

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) उक्त भवन या भूमि का यथास्थिति पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए प्रयोग करने या प्रयोग किये जाने की अनुमति देने से रोके या मना करे, या

(ख) उक्त भवन या स्थान को केवल ऐसे प्रयोजन के लिए, ऐसी दशाओं में या ढांचे संबंधी ऐसे परिवर्तनों के पश्चात् जिन्हें {निगम}[1] आरोपित करे या जो उक्त प्रयोजनार्थ उक्त भवन या स्थान के प्रयोग को आपत्ति मुक्त करने के उद्देश्य से नोटिस में विहित करे, प्रयोग करे या प्रयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करे।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन दिये गये नोटिस को प्राप्त करने के पश्चात् कोई व्यक्ति् ऐसे नोटिस का उल्लंघन करके, किसी भवन या स्थान का प्रयोग करे या करने की अनुमति दे तो अपराधी ठहराये जाने पर, जुर्माना किया जायगा, जो दो सौ रुपये तक हो सकता है और उसे इसके अतिरिक्त भी जुर्माना किया जा सकता है जो प्रथम बार अपराधी ठहराये जाने के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब वह उस स्थान या भवन का प्रयोग करता है या प्रयोग करने की अनुज्ञा देता है, चालिस रुपये तक हो सकता है।

बिना अनुज्ञप्ति के कतिपय वस्तुयें न रखी जायगी और कतिपय व्यापार और कार्य सम्पादित नहीं किये जायेंगे

438—— (1) सिवाय मुख्य नगराधिकारी द्वारा दी गयी अनुज्ञप्ति के अधीन तथा उसके निर्बन्धनों और शर्तों के अनुकूल कोई भी व्यक्ति –

(क) किसी भू–गृहादि में या उसके ऊपर, उपविधियों में निर्दिष्ट कोई वस्तु किसी परिणाम में अथवा उपविधियों में उस वस्तु के लिये निर्दिष्ट ऐसे अधिकतम परिणाम से अधिक परिणाम में न रखेगा जो किसी एक समय में बिना अनुज्ञप्ति के उस भू–गृहादि में, या उसके ऊपर, रखा जा सकता हो,

(ख) किसी ऐसे भवन में या उसके ऊपर जो निवास के लिये अभिप्रेत हो या प्रयोग में लाया जा रहा हो, अथवा ऐसे भवन के 15 फीट के भीतर, 4 हंडरवेट से अधिक परिणाम में कपास की दबी हुई गांठों में या बोरों में या खुली हुई रुई या कपास न रखेगा,

(ग) किसी भू–गृहादि में या उसके ऊपर निम्नलिखित किसी प्रयोजन के लिए घोड़े, पशु या अन्य चौपाये न रखेगा और न रखने की अनुज्ञा देगा–

(1) बिक्री के लिये,

(2) किराये पर देने के लिये,

(3) ऐसे किसी प्रयोजन के लिये जिसके लिये कोई शुल्क लिया जाता हो या कोई पारिश्रमिक मिलता हो, अथवा

(4) उसके किसी उत्पादन की बिक्री के लिये;

(घ) किसी भू–गृहादि में या उसके ऊपर, निम्नलिखित कोई कार्य न सम्पादित करेगा और न संपादित करने की अनुज्ञा देगा –

(1) उप विधियों में निदिष्ट किसी व्यापार से संसक्त कोई व्यापार या कार्य,

(2) कोई ऐसा व्यापार या कार्य, जो जीवन, स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिये खतरनाक हो, या जिसके उसके प्रकार के कारण या ऐसी रीतियां उन शर्तो के कारण जिससे या जिनके अधीन उसे सम्पादित किया जाता हो या सम्पादित करने का विचार हो, कोई अपदूषण पैदा होने की संभावना हो,

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ङ) नगर के भीतर अश्व चिकित्सक का व्यापार या कार्य न करेगा और न किसी भू–गृहादि का उक्त प्रयोजन के लिये प्रयोग करेगा।

(2) उपधारा (1) के खंड (घ) के अनुच्छेद (2) के अर्थ में कोई भी व्यक्ति इस बात से अभिज्ञ समझा जायगा कि अमुक व्यापार खतरनाक है या उससे अपदूषण पैदा होने की संभावना है यदि मुख्य नगराधिकीर द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ इस आशय का लिखित नोटिस उक्त व्यक्ति पर तामील कर दिया गया हो या उस भू–गृहादि पर चिपका दिया गया हो, जिससे उस नोटिस का सम्बन्ध हो।

(3) उपधारा (1) के खन्ड (घ) के अर्थ में किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह कोई व्यापार, या कार्य सम्पादित कर रहा है या उसने व्यापार, या कार्य करने की अनुज्ञा प्रदान की है, यदि वह ऐसे व्यापार के बढ़ाने के लिये कोई कार्य करता है या वह प्रधान अभिकर्त्ता, लिपिक, स्वामी, नौकर, श्रमिक, दस्तकार के रूप में या अन्य प्रकार से उसमें किसी तरह संलग्न है या उससे सम्बन्ध रखता है।

(4) यदि उपधारा (1) के खण्ड (ग) या (घ) में वर्णित रीति से किसी भू–गृहादि का प्रयोग किया जा रहा हो जब तक कि उसे प्रतिकूल प्रमाणित न कर दिया जाय, यह उपधारणा की जायगी कि ऐसे भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी ने या दोनों ने उक्त प्रयोग की अनुमति दी है।

(5) मुख्य नगराधिकारी के लिये यह वैध होगा कि –

(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अनुज्ञप्ति को ऐसे अतिरिक्त निर्बन्धनों या शर्तों के (यदि कोई हो) अधीन रखते हुए दे, जो मामले की परिस्थिति को देखते हुए उसे उपयुक्त जान पड़े ;

(ख) किसी ऐसे अनुज्ञप्ति को रोक ले।

(6) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति दी गई हो, ऐसी अनुज्ञप्ति को उस भू–गृहादि यदि कोई हों, में या उसके ऊपर रक्खेगा, जिससे उसका सम्बन्ध हो।

(7) मुख्य नगराधिकारी दिन अथवा रात में किसी भी समय ऐसे भू–गृहादि में प्रवेश कर सकता है अथवा उसका निरीक्षण कर सकता है, जिसके प्रयोग के लिये इस धारा के अधीन अनुज्ञप्ति दी गई हो।

(8) उपधारा (6) और (7) की कोई बात रुई, जूट, ऊन या रेशम की कताई या बुनाई की मिलों या ऐसी/किसी अन्य बड़ी मिल या फैक्ट्री पर लागू न होगी जिसे मुख्य नगराधिकारी समय–समय पर कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से उक्त धारा के प्रवर्तन से विशेष रूप से मुक्त कर दे।

(9) किसी व्यक्ति के विरुद्ध उस क्षति के लिये कोई प्रतिकर का दावा न किया जा सकेगा जो ऐसे प्रवेश के कारण अथवा ऐसा प्रवेश करने के संबंध में आवश्यक बल प्रयोग करने के कारण अनिवार्यतः पहुंची हो किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रवेश करने के लिये तब तक बल प्रयोग न किया जायगा, जब तक कि यह विश्वास करने का कारण न हो कि इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अथवा उसके अधीन बनाई गई किसी उपविधि के विरुद्ध कोई अपराध किया जा रहा है।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

439–– कोई व्यक्ति मुख्य नगराधिकारी द्वारा एतदर्थ दी गई अनुज्ञप्ति के बिना या उसके निबन्धों के अनुकूल–

कसाइयों और एसे व्यक्तियों को जो पशुओं का मांस बेचते हों, अनुज्ञप्ति लेनी होगी

(क) नगर के भीतर या किसी {निगम}[1] वधशाला में कसाई का व्यापार न करेगा ;

(ख) नगर के भीतर किसी स्थान का प्रयोग मानव–भोजन के लिये अभिप्रेत किसी पशु के मांस की बिक्री के लिये न करेगा, और न नगर में उपभोग के प्रयोजनार्थ ऐसे मांस की बिक्री के लिये नगर के वाहर किसी स्थान का प्रयोग करेगा।

440–– कोई व्यक्ति मुख्य नगराधिकारी द्वारा एतदर्थ दी गई अनुज्ञप्ति के बिना या उसके निबन्धनों के अनुकूल ––

दुग्धशाला जन्य पदार्थों के व्यापार करने के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित होगी

(क) नगर के भीतर दुग्धशाला का व्यापार या कारबार न करेगा।

(ख) नगर के भीतर किसी स्थान का प्रयोग दुग्धाशाला के रूप में या दुग्धशाला जन्य पदार्थों की बिक्री के लिए न करेगा।

441–– (1) प्रत्येक वास्तुशास्त्री अभियन्ता, ढांचा निर्माण भू–मापक या नल मिस्त्री, जो नगर में अपना व्यवसाय करता हो, तदर्थ मुख्य नगराधिकारी से अनुज्ञप्ति लेगा,

शर्तें शास्त्री, अभियंता, ढांचा निर्माता, भू–मापक या नल मिस्त्री नगर के भीतर अपना–अपना व्यापार कर सकते है।

(2) अनुज्ञप्ति, उपविधियों द्वारा नियत की जाने वाली अवधि के लिए होगी, किन्तु विहित शुल्क अदा करने पर अतिरिक्त अवधियों के लिए उतनी बार उसका नवीकरण किया जा सकेगा, जितनी बार आवश्यक हो।

(3) धारा (1) के अधीन तब तक कोई अनुज्ञप्ति न दी जायगी जब तक कि उसके लिए आवेदन–पत्र देने वाले व्यक्ति में वे अर्हतायें न हों, जो तदर्थ विहित की गई हों, और अनुज्ञप्ति के लिए कोई आवेदन–पत्र अस्वीकृत न किया जायगा यदि प्रार्थी में उपर्युक्त अर्हतायें वर्तमान हो सिवाय उस दशा के जब इस बात की समुचित आशंका हो कि वह व्यक्ति अक्षम है या वह, यथास्थिति, वास्तुशास्त्री, अभियन्ता, ढांचा निर्माता, भू–मापक अथवा नल मिस्त्री के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने में गम्भीर दुर्व्यवहार का दोषी पाया गया है।

442–– कोई अनुज्ञप्त नल मिस्त्री इस अधिनियम के अधीन किसी कार्य को असावधानी या उपेक्षा से सम्पादित न करेगा या ऐसे कार्य के प्रयोजन के लिए खराब सामग्री, उपकरण या संधायन का प्रयोग न करेगा।

अनुज्ञप्त नल मिस्त्री उचित रूप में कार्य सम्पादन करने के लिए बाध्य होंगें

443–– कार्यकारिणी समिति वह शुल्क या व्यय निश्चित करेगी जो इस अधिनियम के अधीन, किसी या सभी प्रयोजनों के लिए अनुज्ञप्त नल मिस्त्रियों को उनके द्वारा किये कार्यों के लिए दी जायगी और कोई अनुज्ञप्त नल मिस्त्री ऐसे कार्य के लिए अनिश्चित शुल्क या व्यय से अधिक न मांगेगा और न प्राप्त करेगा।

कार्यकारिणी समिति नल मिस्त्रियों के लिए शुल्क निश्चित करेगी

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

अनैतिक प्रयोजनों के लिए इधर उधर घूमता ओर चायना करना

444–– यदि कोई व्यक्ति नगर की सीमा के भीतर किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान में वेश्यागमन प्रयोजनार्थ घूमता है या लैंगिक अनैतिकता करने के लिए किसी व्यक्ति को संकेत करता है तो वह अपराधी ठहराये जाने पर जुर्माने का भागी होगा, जो पचास रुपये तक हो सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन कोई न्यायालय किसी अपराध का निग्रहण न करेगा सिवाय प्रेरित व्यक्ति की शिकायत पर अथवा एतदर्थ क्रमशः {निगम}[1] और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किये गये किसी {निगम}[1] प्राधिकारी या पुलिस प्राधिकारी, जो सब–इन्स्पेक्टर के पद से निम्न पद का न हो, की शिकायत पर।

वैश्यागृह आदि

445–– (1) जब प्रथम श्रेणी के किसी मैजिस्ट्रेट को यह सूचना मिले कि –––

(क) किसी उपासना स्थल, शिक्षा संस्था के या किसी बोर्डिंग हाउस, छात्रावास या भोजनालय के निकट जिसका छात्र प्रयोग करते हों या जिसमें वे अध्यासित हों, कोई मकान वेश्यागृह के रूप में या आभ्यासिक वेश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ अथवा किसी भी प्रकार के उच्छृंखल व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है, या

(ख) कोई मकान उपर्युक्त रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जो पास–पड़ोस के प्रतिष्ठित निवासियों के परिभव का कारण है, या

(ग) छावनी के ठीक पड़ोस में कोई मकान वेश्यागृह या आभ्यासिक वेश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ प्रयोग में लाया जा रहा है,

तो वह उस मकान के स्वामी, किरायेदार प्रबन्धक अध्यासी को स्वयं या अभिकर्ता द्वारा अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलवा सकता है, और यदि उसका यह समाधान हो जाय कि उक्त मकान खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) में उल्लिखित रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो वह ऐसे स्वामी, किरायेदार, प्रबन्धक या अध्यासी को लिखित आदेश दे सकता है कि वह ऐसी आज्ञा में लिखित अवधि के भीतर, जो उस आज्ञा के दिनांक से पांच दिन से कम की न होगी, ऐसी प्रयोग को बन्द कर दें :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कार्यवाही केवल–

(एक) जिला मैजिस्ट्रेट की स्वीकृति या आज्ञा से, या

(दो) जिस मकान के संबंध में शिकायत हो, उसके ठीक पास–पड़ोस में रहने वाले तीन या तीस से अधिक व्यक्तियों की शिकायत पर, या

(तीन) {निगम}[1] की शिकायत पर, की जायेगी।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जिसके व़िरुद्ध उपधारा (1) के अधीन किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा आज्ञा दी गई है, ऐसी आज्ञा में दी गई अवधि के भीतर, उक्त आज्ञा का अनुपालन न कर सके तो मजिस्ट्रेट उस पर जुर्माना कर सकता है जो उक्त अवधि के व्यतीत होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें उस मकान के उपर्युक्त प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जाए, एक सौ रुपये तक हो सकता है।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

भिक्षावृत्ति आदि

446—— यदि कोई व्यक्ति नगर के भीतर किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान में लोगों को तंग करके भिक्षा मांगता है अथवा दान की भावना जागृत करने के उद्देश्य से किसी कुरूपता या रोग या दुर्गन्धयुक्त घाव या ब्रण को खुला रहता है या प्रदर्शित करता है तो अपराधी ठहराये जाने पर उसे कारावास का दण्ड दिया जा सकता है जो एक महीने तक हो सकता है या जुर्माना किया जा सकता है, जो पचास रुपये तक हो सकता है या दोनों ही दंड दिये जा सकते हैं।

दुग्धशाला के प्रयोजनार्थ रखे गये अथवा भोजन के लिये प्रयोग किये जाने वाले पशुओं को अनुचित भोजन देना

447—— कोई भी व्यक्ति, उस पशु को आने वाले संकट के निवारणार्थ रखा गया हो या जो भोजन के लिये प्रयोग में लाया जा सकता हो, गन्दे या हानिकारक पदार्थ न तो खिलायेगा और न खिलाने की अनुमति देगा।

448—— जब जीवन या सम्पत्ति पर आने वाले संकट के निवारणार्थ आवश्यक प्रतीत हो तो मुख्य नगराधिकारी सार्वजनिक नोटिस द्वारा सभी व्यक्तियों को किसी भी स्थान में या नोटिस में निर्दिष्ट सीमा के भीतर लकड़ी, सूखी घास, पुआल या अन्य ज्वलनशील वस्तुओं का ढेर लगाने या उन्हें संग्रह करने अथवा चटाईयां या फूस की झोपड़ी रखने या आग जलाने का प्रतिषेध कर सकता है।

खड़ंजों आदि स्थानच्युत करना

449—— (1) कोई व्यक्ति सार्वजनिक सड़क के खड़ंजे, गन्दी मोरी, झण्डे या अन्य सामग्री, या उसकी मेंड, दीवाल या खम्भों या {निगम}[1] की बत्ती, बत्ती का खम्भा, ब्रेकेट, मार्ग निर्देशन सतम्भ, पानी का बम्बा पानी निकालने का बम्बा या उसके भीतर की {निगम}[1] की ऐसी ही अन्य सम्पत्ति को मख्य नगराधिकारी या अन्य विधिपूर्ण प्राधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना न स्थानच्युत करेगा, न लेगा और न उसमें परिवर्तन करेगा और न अन्य किसी प्रकार से उसमें हस्तक्षेप ही करेगा तथा कोई भी व्यक्ति {निगम}[1] की बत्ती को नहीं बुझायेगा।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित किसी काम के किये जाने के कारण निगम द्वारा जो व्यय किया जायेगा वह अपराधी से अध्याय 21 में उपबन्धित रीति से वसूल किया जा सकता है।

अग्नेयास्त्र चलाना आदि

450—— कोई व्यक्ति उस रीति से आग्नेयास्त्र न चलायेगा अथवा आतिशबाजी या आग के गुब्बारे न छोड़ेगा, या खेल न करेगा, जिससे राह चलने वाले या पास–पड़ोस में रहने या कार्य करने वाले व्यक्तियों के जीवन को संकट पहुंचे या पहुंचने की संभावना हो या जिससे सम्पत्ति को क्षति पहुंचने का डर हो।

अनुज्ञप्तियां और लिखित अनुज्ञायें देने, उन्हें निलम्बित करने या उनका प्रतिसंहरण करने तथा शुल्क आदि के लगायेग जाने के संबंध में सामान्य उपबन्ध

451—— (1) जब इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन किसी प्रयोजनार्थ कोई अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा देने की व्यवस्था हो तो ऐसी अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा में वह अवधि जिसके लिए और वह निर्बन्धन और शर्ते, जिनके अधीन रहते हुए वह दी गई हों और वह दिनांक भी दिया होगा, जिस तक उसके नवीकरण के लिये आवेदन–पत्र देना होगा और वह अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा मुख्य नगराधिकारी के हस्ताक्षर से या धारा 119 के अधीन उसे देने के लिए अधिकृत किये गये किसी {निगम}[1] पदाधिकारी के हस्ताक्षर से दी जायेगी।

(2) सिवाय उस दशा के जब इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई अन्य व्यवस्था की जाय, ऐसी प्रत्येक अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा के लिए ऐसी दर से शुल्क दिया जा सकता है, जिसे {निगम}[1] की स्वीकृति से मुख्य नगराधिकारी समय–समय पर निश्चित करे।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) धारा 423 की उपधारा (2) के प्रतिबन्ध के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन दी गई कोई अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा मुख्य नगराधिकारी द्वारा किसी भी समय निलम्बित या प्रतिसंहृत की जा सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि उसे गृहीता ने भ्रान्त कथन या कपट से प्राप्त किया है या वह व्यक्ति, जिसे वह दी गई है, उसके किसी निर्बन्धन या शर्तों का अतिलंघन या अपवन्चन करता है या यदि उक्त व्यक्ति किसी ऐसे मामले में, जिससे उक्त अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा सम्बन्ध रखती हो, इस अधिनियम या किसी नियम, उपविधि या विनियम के किसी उपबन्ध का अतिलंघन करने के कारण अपराधी ठहराया गया है।

(4) यदि उक्त कोई अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा निलम्बित या प्रतिसंहत की जाय या जब वह अवधि जिसके लिये वह अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा दी गई थी, समाप्त हो गई हो, तो वह व्यक्ति जिसे वह अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा दी गई हो, इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए, उस समय तक बिना अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा के समझा जायेगा, जब तक कि मुख्य नगराधिकारी, यथास्थिति, अपने द्वारा अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा को निलम्बित या प्रतिसंहत करने के निमित्त दी गई आज्ञा को निरस्त न कर दे या जब तक कि अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा का नवीकरण न कर दिया जाय :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा में निर्दिष्ट दिनांक तक उसके नवीकरण के लिये कोई आवेदन–पत्र दे दिया गया हो तो आज्ञा प्राप्त होने तक प्रार्थी को इस प्रकार कार्य करने का अधिकार होगा, मानों कि उसका नवीकरण हो गया है।

(5) प्रत्येक व्यक्ति जिसे ऐसी अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा दी गई हो, सभी समुचित समयों पर, जब तक कि उक्त लिखित अनुमति या अनुज्ञप्ति प्रचलित हो, मुख्य नगराधिकारी द्वारा ऐसा आदेश दिये जाने पर, उस अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा को प्रस्तुत करेगा।

(6) अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के लिए प्रत्येक आवेदन–पत्र मुख्य नगराधिकारी को संबोधित किया जायगा।

(7) मुख्य नगराधिकारी द्वारा या उसकी ओर से अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के लिए शुल्क स्वीकार किया जाना ही शुल्क देने वाले व्यक्ति को अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा का अधिकार नहीं बना देगा।

अनुज्ञप्ति शुल्क इत्यादि

452–– मुख्य नगराधिकारी किसी ऐसी अनुज्ञप्ति, स्वीकृति या अनुज्ञा के लिये जिसका उसके द्वारा दिया जाना इस अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन अधिकृत अथवा अपेक्षित है, उपविधि द्वारा निश्चित शुल्क ले सकता है।

नियम बनाने का अधिकार

453–– (1) इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है।

(2) उपर्युक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखिता की व्यवस्था की जा सकती है :–

(क) {निगम}[1] या किसी बाजारों के भीतर या बाहर बिक्री का विनियमन,

(ख) निजी बाजारों की सीमा निश्चित या निर्धारित करना,

(ग) निजी बाजारों के लिए पहुंच के उचित रास्ते आस–पास के स्थान एवं संवीजन,

---

उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(घ) निजी बाजारों तथा वधशालाओं के लिये उचित खड़ंजे तथा जल–निस्सारण का प्रबन्ध,

(ङ) अनुज्ञप्त भू–मापकों, वास्तुशास्त्रियों, अभियंताओं, ढांचों निर्माताओं, निर्माण लिपिकों तथा नल मिस्त्रियों के पथ–प्रदर्शनार्थ क्रमशः आज्ञायें जारी करना।

अध्याय 17

जन्म मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े

454–– मुख्य नगराधिकारी जन्त तथा मृत्यु का एक रजिस्टर रखवायेगा, जिसमें नगर में होने वाले प्रत्येक जन्म तथा मृत्यु को विहित रीति से दर्ज किया जायगा। जन्म तथ मृत्यु का पंजीयन

455–– राज्य सरकार निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिये नियम बना सकती है– नियम बनाने का अधिकार

(क) नगर में होने वाले जन्म और मृत्यु के बारे में सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया,

(ख) जन्म तथा मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज किये जाने वाले विवरण,

(ग) जन्म तथा मृत्यु के बारे में सूचना संग्रह करने के लिये {निगम}[1] के पदाधिकारियों और सेवकों द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले अधिकार,

(घ) नगर में होने वाले प्रत्येक जन्म तथा मृत्यु के सम्बन्ध में यथास्थिति नवजात अथवा मृत व्यक्ति के माता–पिता अथवा अन्य किसी सम्बन्धी अथवा अन्य किसी व्यक्ति का, {निगम}[1] के पदाधिकारियों और सेवकों को सूचना देना तथा जन्म और मृत्यु के रजिस्टरों में गल्तियां ठीक किया जाना,

(ङ) बच्चे के नाम का अथवा नामों में परिवर्तन का पंजीयन,

(च) अन्य ऐसे प्रासंगित तथा अनुषंगिक विषय जो इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से आवश्यक हों।

अध्याय 18

प्रतिकर

456–– किसी ऐसे मामले में, जिसको इस अधिनियम में अथवा इसके अन्तर्गत बने किसी नियम अथवा उपविधि में स्पष्टतः अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो, मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति के पूर्वानुमोदन से किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर अदा कर सकता है, जिसे इस अधिनियम द्वारा अथवा उक्त किसी नियम या उपविधि द्वारा मुख्य नगराधिकारी अथवा किसी {निगम}[1] पदाधिकारी अथवा सेवक में निहित अधिकार का प्रयोग करने के कारण कोई क्षति हुई हो। प्रतिकर अदा करने का मुख्य नगराधिकारी का सामान्य अधिकार

457–– (1) किसी ऐसे मामले में, जिसमे धारा 231, 232, 249, 250, 251 और 284 द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार का उपयोग करने के कारण किसी अचल सम्पत्ति के मूल्य में अपकर्ष हो गया हो {निगम}[1] उस सम्पत्ति के स्वामी को उचित प्रतिकर दे सकती है। मूल्यापकर्षित अचल संपत्ति के मूल्य के लिये स्वामी को दिया जाने वाला प्रतिकर

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) यदि उस संपत्ति का, जिससे मूल्य में अपकर्ष हुआ हो, स्वामी प्रतिकर स्वीकार कर लेता है, तो यह समझा जायगा कि उसने {निगम}[1] को उपर्युक्त किन्हीं भी धाराओं के अधीन ऐसी रीति से अपने अधिकारों का प्रयोग जारी रखने का सतत अधिकार दे दिया है कि उस अपदूषण अथवा उस क्षति की अपेक्षा जो उस समय, जब प्रतिकर प्राप्त हुआ था, की जा रही थी या पहुंचायी जा रही थी, अधिक अपदूषण अथवा क्षति न की जायगी और न पहुंचाई जायगी।

सिद्धान्त, जिनपर और रीति जिनसे प्रतिकर निर्धारित किया जायगा

458–– (1) धारा 457 की उपधारा (1) के अधीन अदा किये जाने वाले प्रतिकर की राशि का निर्धारण करते समय यथास्थिति मुख्य नगराधिकारी अथवा {निगम}[1] यथासंभव लैन्ड एक्वीजिशन ऐक्ट, 1894, जैसा कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित हुआ है, की धारा 23 तथा 24 के उपबन्धों से तथा उन विषयों के सम्बन्ध में जिन पर इस उपबन्धों के अधीन विचार नहीं किया जा सकता, ऐसे उपबन्धों से निर्देशित होगा, जो नियमों द्वारा विहित किये जायं।

(2) यदि कोई व्यक्ति धारा 456 अथवा धारा 457 के अधीन दिये गये प्रतिकर के सम्बन्धें में मुख्य नगराधिकारी अथवा {निगम}[1] के निर्णय से क्षुब्ध हो तो वह एक महीने की अवधि के भीतर अध्याय 20 के उपबन्धों के अनुसार न्यायाधीश के समक्ष अपील कर सकता है।

नियम बनाने का अधिकार

459–– (1) राज्य सरकार इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :–

(क) वे सिद्धांत, जिनके आधार पर प्रतिकर का निर्धारण किया जायगा,

(ख) मुख्य नगराधिकारी द्वारा प्रतिकर का निर्धारण,

(ग) अस्थायी निर्धारणों के सम्बन्ध में आपत्तियां प्रस्तुत करना और उनका निस्तारण।

अध्याय 19

शास्तियां

कुछ अपराध, जिनमें जुर्माने का दंड दिया जा सकता है

460–– (1) जो भी व्यक्ति ––

(क) अनुसूची 3 की सारिणी के भाग 1 के पहले स्तम्भ में उल्लिखित किन्हीं धाराओं, उपधाराओं या खंडों या उनके अन्तर्गत दी गई किसी आज्ञा के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करे, या

(ख) उक्त किन्हीं धाराओं, उपधाराओं या खंडों के अधीन उसे विधितः दिये गये किसी आदेश का अनुपालन न करे,

तो उसे ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए अर्थदंड दिया जायगा, जो उस सम्बन्ध में उक्त भाग के दूसरे स्तम्भ में उल्लिखित धनराशि तक हो सकता है।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) जो भी व्यक्ति –

(क) अनुसूची 3 की सारिणी के भाग 2 के पहले स्तम्भ में उल्लिखित किन्हीं धाराओं, उपधाराओं या खंडों या उनके अन्तर्गत दी गयी किसी आज्ञा के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने, या

(ख) उक्त किन्हीं धाराओं, उपधाराओं या खंडों के अधीन उसे विधितः दिये गये किसी आज्ञा का अनुपालन न करने कारण सिद्धदोष हो जाने के पश्चात् भी बराबर उक्त उपबन्ध का उल्लंघन अथवा उक्त आदेश का अनुपालन करने में अपेक्षा करता रहे या उक्त उपबन्ध के उल्लंघन में किये गये किसी निर्माण–कार्य या वस्तु को न हटाये या ठीक न करे, जैसी भी स्थिति हो, या किसी भू–गृहादि को रिक्त न करे, तो उसे प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जब तक वह उक्त अपराध करता रहे अर्थदंड दिया जायगा, जो उस सम्बन्ध में उक्त भाग के दूसरे स्तम्भ में उल्लिखित धनराशि तक हो सकता है।

पीनल कोड के अधीन दंडनीय अपराध

461–– (1) जो भी व्यक्ति निम्नलिखित सारिणी के पहिले स्तम्भ में उल्लिखित इस अधिनियम की किन्हीं धाराओं, उपधाराओं या खंडों या उनके अन्तर्गत दी गई किसी आज्ञा के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करे और जो भी व्यक्ति उक्त किन्हीं धाराओं, उप धाराओं या खंडों के अधीन उसे विधितः दिये गये उसी आदेश का अनुपालन न करे, तो उसके सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसने ऐसा अपराध किया है जो इंडियन पीनल कोड की उस धारा के अधीन दंडनीय है, जो क्रमशः उक्त सारिणी के दूसरे स्तम्भ में उस कोड की ऐसी धारा के रूप में निर्दिष्ट की गयी है, जिसके अधीन उस व्यक्ति को दंड दिया जायगा, अर्थात् :–

इस अधिनियम की धारायें	इंडियन पीनल कोड की वे धाराये जिनके अधीन अपराधी दंडनीय है
{267 (3)}[1], 400, खंड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) और (च)	277
411	188
556	177

(2) जो भी व्यक्ति मुख्य नगराधिकारी द्वारा विधितः दिये गये किसी ऐसे आदेश, नोटिस अथवा आज्ञा का अनुपालन नहीं करता, जो किसी भवन के वार्षिक मूल्य को निर्धारित करने के सम्बन्ध में सूचना देने अथवा लिखित विवरणी के सम्बन्ध में हो या किसी {निगम}[2] कर के लगाये जाने या निर्धारण के सम्बन्ध में हो, या जो भी व्यक्ति ऐसी सूचना दे या ऐस विवरणीय तैयार करे, जिसके विषय में वह यह जानता हो कि वह असत्य, अशुद्ध या भ्रामक है, तो यह समझा जायगा कि उसने इण्डियन पीनल कोड की, यथास्थिति, धारा 176 या 177 के अधीन दंडनीय अपराध किया है।

झूठी निर्वाचक नामावलियां तैयार करने के अपराधों के लिये दंड

462–– {***}[3]

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 23, 1961 की धारा 2 (6) द्वारा प्रतिस्थपित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 64 द्वारा निकाला गया।

संविदा आदि में स्वत्व अर्जित करने वाले सदस्य या नगर प्रमुख को दंड

463–– {निगम}[1] का कोई सदस्य या नगर–प्रमुख जो विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के अननुकूल जानबूझ कर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने साझीदार द्वारा, {निगम}[1] के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर किसी संविदे या नियोजन में कोई अंश या स्वत्व अर्जित करे, उसे बराबर बनाये रखे तो यह समझा जायगा कि इण्डियन पीनल कोड की धारा 168 के अधीन अपराध किया है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिये किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह नहीं समझा जायेगा कि उसने किसी संविदे या नियोजन में कोई अंश या स्वत्व अर्जित किया है या उसे बराबर बनाये रखा है, यदि वह केवल :––

(क) भूमि अथवा भवनों के किसी पट्टे, विक्रय अथवा क्रय में अथवा उसके लिये किसी अनुबन्ध में, कोई अंश अथवा स्वत्व रखता हो, परन्तु ऐसा अंश अथवा स्वत्व उसके सदस्य अथवा नगर–प्रमुख बनने के पूर्व ही अर्जित किया गया हो, अथवा

(ख) किसी ऐसे संयुक्त सम्भार समवाय में कोई अंश रखता हो जो {निगम}[1] के साथ संविदा करेगा अथवा {निगम}[1] द्वारा या उसकी ओर से नियोजित होगा, अथवा

(ग) किसी ऐसे समाचार–पत्र में अंश अथवा स्वत्व रखता हो, जिसमें {निगम}[1] के कार्यों से सम्बद्ध कोई विज्ञापन दिया जाता हो, अथवा

(घ) कोई ऋण–पत्र रखता हो अथवा {निगम}[1] द्वारा अथवा उसकी ओर से उगाहे गये ऋण में अन्यथा कोई स्वत्व रखता हो, अथवा

(ङ) {निगम}[1] द्वारा विधिक व्यवसायी के रूप में बनाये रखा गया हो, अथवा

(च) किसी ऐसी वस्तु के प्रायिक विक्रय में कोई अंश अथवा स्वत्व रखता हो, जिसका वह {निगम}[1] के साथ नियमित रूप से किसी एक वर्ष के ऐसी धनराशि से अनिधक का व्यवसाय करता हो, जिसे {निगम}[1] राज्य सरकार की स्वीकृति से एतदर्थ निश्चित करे अथवा

(छ) जल संभरण के लिये, जिसका शुल्क लिया जाता हो, {निगम}[1] के साथ किये गये किसी अनुबन्ध में कोई पक्ष हो।

संविदा आदि में कर्मचारियों के स्वत्व रखने के विरूद्ध उपबन्ध

464–– (1) ऐसा कोई व्यक्ति जो {निगम}[1] कर्मचारी से भिन्न किसी रूप में स्वयं, या अपने साझीदार द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में {निगम}[1] के साथ उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी संविदे में अथवा {निगम}[1] के साथ उसके द्वारा उसके अधीन अथवा उसकी ओर से किसी नियोजन में, कोई अंश या स्वतत्व रखे, उक्त {निगम}[1] का कर्मचारी बना रहने के लिए अनर्ह होगा।

(2) ऐसा {निगम}[1] कर्मचारी जो स्वयं अथवा अपने साझीदार द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उपर्युक्त किसी संविदे अथवा नियोजन में कोई अंश या स्वत्व अर्जित करे अथवा बनाये रखे तो वह {निगम} कर्मचारी न रहेगा और उसका पद रिक्त हो जायगा।

(3) ऐसा {निगम}[1] सेवक, जो किसी {निगम}[1] जिसका यह कर्मचारी है, के साथ अधीन अथवा उसकी ओर से किसी संविदे में अथवा उस दशा में छोड़कर जब संविदे का संबंध किसी नियोजन में जानबूझकर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कोई अंश या स्वत्व अर्जित करता है अथवा बनाये रखता है, के संबन्ध में यह समझा जायगा कि उसने इंडियन पीनल कोड की धारा 168 के अधीन अपराध किया है।

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(4) इस धारा की कोई भी बात {निगम}[4] के साथ, उसके अधीन, उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से किये गये किसी ऐसे संविदे अथवा नियोजन में, जो धारा 463 के प्रतिबन्ध के खंड (ख), (घ), तथा (छ) में निर्दिष्ट हो, किसी अंश तथा स्वत्व के संबंध में अथवा विहित प्राधिकारी की अनुज्ञा से भूमि अथवा भवनों के किसी पट्टे, क्रय या विक्रय में अर्जित किये अथवा बनाये रखे गये किसी अंश अथवा स्वत्व, के अथवा तदर्थ किये गये किसी अनुबन्ध के संबंध में लागू न होगी।

धारा 112–ग और 112–घ का उल्लंघन करने के लिये दण्ड

{464–क–– जो भी व्यक्ति धारा 112–ग या धारा 112–घ का उल्लंघन करके कोई कार्य करता है अथवा करने के लिये अनुत्तेजित करता है, तो सिद्ध–दोष हो जाने पर उसे या तो कारावास का दंड दिया जायगा जो छः मास तक का हो सकता है अथाव अर्थ–दंड दिया जायगा, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकता है अथवा दोनों दंड दिये जायेंगे।}[2]

धारा 267 क प्रतिकूल किये गये अपराधों के लिये दंड

465–– (1) जो भी व्यक्ति धारा 267 की {उपधारा (2)}[1] के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करे, उसे दोष सिद्ध होने पर, एक मास तक का कारावास दन्ड अथवा 100 रुपये तक का अर्थदंड अथवा दोनों ही दंड दिये जा सकते है।

(2) जब कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन सिद्ध–दोष होता है तो दोष–सिद्ध करने वाला मैजिस्ट्रेट ऐसे किसी भवन को तुरन्त हटाये जाने अथवा ऐसी किसी भूमि पर होने वाली क्रियाओं अथवा उस भूमि के प्रयोग को तुरन्त बन्द किये जाने की आज्ञा दे सकता है, जिसके संबन्ध में उक्त दोष–सिद्धि की गयी हो।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन की गयी किसी आज्ञा का पालन न किय जाय अथवा उसके संपादन का विरोध किया जाय तो अपराधी व्यक्ति को दोष सिद्ध होने पर, एक महीने का कारावास दण्ड अथवा 100 रुपये तक का अर्थ–दंड अथवा दोनों ही दन्ड दिये जा सकते हैं।

466–– {***}[3]

सामान्य शास्ति

467–– जो भी व्यक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों के अथवा तदन्तर्गत प्रचारित किसी नियम, उपविधि, विनियम, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा या नोटिस का उल्लंघन करे अथा ऐसे किसी उपवन्ध के अधीन विधितः दी गयी किस आज्ञा का पालन करने में असफल रहे, तो यदि इस अधिनियम के अन्य किसी उपबन्ध में ऐसे उल्लंघन अथवा असफलता के लिए किसी शास्ति की व्यवस्था न की गयी हो, उसे ऐसे प्रत्येक अपराध के लिये 100 रुपये का अर्थ दंड दिया जा सकता है तथा प्रथम दोष–सिद्धि के उपरान्त ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जब तक कि उक्त उल्लंघन अथवा असफलता जारी रहे, 25 रुपये तक का अर्थ–दंड दिया जा सकता है।

स्वामियों के अभिकर्त्ताओं तथा न्यासियों के उत्तर दायित्व के संबंध में शास्ति की आयति

468–– कोई भी व्यक्ति जो धारा 2 के खंड (52) के उपखंड (क) की कंडिया (1), (2) तथा (3) में वर्णित किसी भी रूप में भू–गृहादि का किराया प्राप्त करता है, उक्त भू–गृहादि के स्वामी के रूप में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्य के न करने के लिये किसी शास्ति का भागी न होगा, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि चूक इसी कारण हुई है कि अपेक्षित कार्य पर होने वाले व्यक्ति को पूरा करने के लिये, उसके पास स्वामी की अथवा स्वामी की देय पर्याप्त धनराशि न थी।

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 23, 1961 की धारा 2 (7) द्वारा प्रतिस्थिापित।
2. उ. प्र. अधिनियम सं. 21, 1964 की धारा 23 द्वारा जोड़ा गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, वर्ष 1991 के अध्याय 3 धारा 12 द्वारा निकाला गया।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

469–– इस अधिनियम अथवा किसी नियम, उपविधि या विनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति, यदि कोई समवाय, निगमित संस्था अथवा व्यक्तियों का संघ (चाहे वह निगमित हो अथवा न हो) या फर्म हो तो उसके प्रत्येक संचालक, प्रबन्धक, मंत्री, अभिकर्ता या अन्य किसी पदाधिकारी अथवा उसे प्रबन्ध से सम्बद्ध किसी व्यक्ति तथा फर्म के प्रत्येक हिस्सेदार जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि उक्त अपराध बिना उसकी जानकारी अथवा सहमति के किया गया है, के संबंध में यह समझा जायगा कि वह उक्त अपराध का दोषी है। समवाय आदि द्वारा किये गये अपराध

470–– (1) यदि कोई कार्य करने या न करने के कारण कोई व्यक्ति इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम या उपविधि के प्रतिकूल किसी अपराध में सिद्ध–दोष हुआ हो ओरउस व्यक्ति के उक्त कार्य करने अथवा न करने के कारण {निगम}[1] की किसी सम्पत्ति को कोई खति पहुंची हो, तो उक्त अपराध के लिए उस व्यक्ति को दंड दिये जा चुकने पर भी उसे उस क्षति के लिये प्रतिकर देना होगा। इस अधिनियम के प्रतिकूल दोषी व्यक्तियों द्वारा की गयी क्षति के लिये उनके द्वारा देय प्रतिकर

(2) कोई विवाद उठ खड़ा होने पर उक्त व्यक्ति द्वारा देय प्रतिकर की धनराशि उस मैजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित की जायगी, जिससे समक्ष उक्त अपराध के संबंध में वह सिद्ध–दोष हुआ हो और इस प्रकार निर्धारित प्रतिकर की धनराशि अदा न किये जाने पर वह उक्त मैजिस्ट्रेट के वारन्ट द्वारा इस प्रकार वसूल की जायगी मानों वह धनराशि मैजिस्ट्रेट द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति पर किया गया कोई जुर्माना हो, जिस पर उसे अदा करने का दायित्व हो।

अध्याय 20

न्यायाधीश, जिला जज और मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाहियां

471–– निम्नलिखित मामलों में न्यायाधीश को अभिदेय किया जायगा–– न्यायाधीश का अभिदेश

(1) इस संबंध में कि धारा 249 के अधीन भवन अथवा कुटी के स्वामी के आवेदन–पत्र देने पर मुख्य नगराधिकारी को दंड या पाइप हटाने के लिये आदेश दिया जा सकता है या नही।

(2) धारा 284 की अधीन किसी भवन को आगे बढ़ाने के लिये अपेक्षित भूमि के मूल्य की धनराशि के संबंध में,

(3) धारा 522 के अधीन मुख्य नगराधिकारी या किसी {निगम}[1] पदाधिकारी की आज्ञा के अधीन संपादित कोई निर्माण–कार्य अथवा किया गया कोई कार्य या की गई बातों के लिये व्यय की धनराशि अथवा उसके भुगतान के संबंध में,

(4) इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा उप–विधि के अधीन होने वाले व्यय या प्रतिकर की धनराशि या उसके भुगतान और उसके संविभाजन के संबंध में जिनके लिये अन्यथा विशिष्ट रुप से व्यवस्था न की गयी हो।

मूल्यांकनों और करों के विरुद्ध अपील

472–– (1) आगे दिये हुये उपबन्धों के अधीन रहते हुये इस अधिनियम के अधीन निश्चित अथवा भारित किसी वार्षिक मूल्य या कर के विरुद्ध अपीले न्यायाधीश द्वारा सुनी और निर्धरित की जायेंगी : अपीलें कब और किसकों की जायेगी

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

{प्रतिबन्ध यह है कि न्यायाधीश के समक्ष किसी प्रक्रम पर लम्बित कोई ऐसी अपील सुनवाई और निस्तारण के लिए जिला जज द्वारा लघुवाद न्यायालय के किसी अपर न्यायाधीश या विलिव न्यायाधीश या अपर सिविल न्यायाधीश को, जिसकी नगर में अधिकारिता हो, अन्तिम की जा सकती है।}[6]

(2) ऐसी कोई अपील उस समय तक न सुनी जायगी जब तक कि ———

(क) वह शिकायत का कारण प्रोद्भूत होने के पश्चात् 15 दिन के भीतर न की गई हो,

(ख) वार्षिक मूल्य के विरुद्ध की गई किसी अपील की दशा में पहिले आपत्ति न की गई हो और {धारा 209 के अधीन उसका}[1] निपटारा न किया जा चुका हो,

(ग) किसी ऐसे कर के विरुद्ध अपील की दशा में, जिसके संबंध में मांग के विरुद्ध मुख्य नगराधिकारी को आपत्ति किये जाने के लिये इस अधिनियम के अधीन व्यवस्था हो ऐसी आपत्ति पहले न की गई हो और उसका निपटारा न किया जा चुका हो,

{(घ) धारा, 213 की उपधारा (1) के अधीन सम्पत्ति करों की निर्धारण सूची में किये गये किसी संशोधन या परिवर्तन के विरुद्ध की गयी किसी अपील की दशा में, उक्त उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन जारी किये गये नोटिस के अनुसरण में आपत्ति न की गयी हो और ऐसी आपत्ति का निपटारा न किया जा चुका हो,}[2]

(ङ) किसी कर के विरुद्ध अपील की दशा में अथवा वार्षिक मूल्यांकन के विरुद्ध अपील की दशा में, जब ऐसे मूल्यांकन पर निर्धारित कोई सम्पत्ति कर का बिल अपीलकर्त्ता को प्रस्तुत किया जा चुका हो, अपीलकर्ता से अभियाचित धनराशि उसके द्वारा मुख्य नगराधिकारी के पास जमा न कर दी गई हो।

शिकायत का कारण प्रोदभूत समझा जायगा

473—— धारा 472 के प्रयोजनों के लिये शिकायत का कारण निम्नलिखित प्रकार से प्रोद्भूत हुआ समझा, जायगा, अर्थात्—

(क) {धारा 209 के अधीन ऐसे मूल्यांकन के विरुद्ध}[3] अपील की दशा में, उस दिन जब ऐसे मूल्यांकन के विरुद्ध मुख्य नगराधिकारी को की गई आपत्ति का निपटारा किया जाय,

(ख) {धारा 472}[4] की उपधारा (2) के खंड (ग) में निर्दिष्ट कर के विरुद्ध अपील की दशा में, उस दिन जब ऐसे कर के विरुद्ध की गयी आपत्ति का संबंधित प्राधिकारी द्वारा निपटारा कर दिया जाय,

{(ग) धारा 213 की उपधारा (1) के अधीन सम्पत्ति करों की निर्धारण सूची में किये गये किसी संशोधन या परिवर्तन के विरुद्ध की गयी किसी अपील की दशा में, उस दिन जब उक्त उपधारा के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन जारी किये गये नोटिस के अनुसरण में आपत्ति का निपटारा कर दिया जाय,}[5]

---

1. उ. प्र. अधिनियम सं. 21, 1964 की धारा 24 (1) द्वारा प्रतिस्थपित।
2. उपर्युक्त की धारा 24 (2) द्वारा प्रतिस्थपित।
3. उपर्युक्त की धारा 25 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 25 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 25 (3) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ. प्र. अधिनियम सं. 35, 1978 की धारा 13 द्वारा अन्तर्विष्ट।
7. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(घ) किसी ऐसे कर के विरुद्ध अपील की दशा में जो उपर्युक्त खंड (ख) के अन्तर्गत न आता हो उस दिन जब उसका भुगतान मांगा जाय अथवा तदर्थ बिल तामील किया जाय।

मध्यस्थ निर्णय

474–– जब इस अधिनियम के अधीन निश्चित या भारित किसी वार्षिक मूल्यांकन या कर के विरुद्ध कोई अपील विचाराधीन हो तथा उसमें स्वत्व रखने वाले सभी पक्ष इस बात से सहमत हों कि उनके बीच मतभेद का कोई भी विषय मध्यस्थ निर्णय के लिये निर्दिष्ट किया जाय तो वे ऐसी अपील में निर्णय होने से पूर्व किसी भी समय न्यायाधीश को ऐसे विषय में अभिदेश की आज्ञा के निर्मित लिखित प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और ऐसा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर वादों में मध्यस्थ निर्णयन संबंधी आबिट्रेशन ऐक्ट, 1940 के उपबन्ध जहां तक कि वे लागू किये जा सकते हों, उस प्रार्थना पत्र और उस पर आगे होने वाली कार्यवाही पर उसी प्रकार लागू होंगे मानों उक्त न्यायाधीश उस अधिनियम के अर्थ में कोई कोर्ट (न्यायालय) हो और वह प्रार्थना–पत्र किसी वाद में प्रस्तुत किया गया कोई प्रार्थना–पत्र हो।

कुशल मूल्यांकन करने वाले की नियुक्ति

475–– (1) यदि वार्षिक मूल्यांकन के विरुद्ध की गई किसी अपील का कोई पक्ष अपील की सुनवाई से पूर्व अपील की सुनवाई के दौरान में किसी भी समय, किन्तु मूल्यांकन से सम्बद्ध साक्ष्य प्रस्तुत होने से पूर्व, न्यायाधीश को प्रार्थना–पत्र देता है कि उस भू–गृहादि के निर्मित, जिसके बारे में अपील की गई हो, मूल्यांकन के लिये आदेश दिया जाय तो न्यायाधीश स्वविवेक से किसी भी समक्ष व्यक्ति को मूल्यांकन करने के लिये नियुक्त कर सकता है तथा इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उस भू–गृहादि में प्रवेश करने, उसकी परिमाप करने तथा उसका मूल्यांकन करने का अधिकार प्राप्त होगा जिसके संबंध मे आदेश दिया गया हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस दशा को छोड़कर जब ऐसा प्रार्थना–पत्र मुख्य नगराधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाय, न्यायाधीश तब तक ऐसा आदेश नहीं देगा जब तक प्रार्थी मुख्य नगराधिकारी को ऐसी प्रतिभूति न दे दे, जिसे न्यायाधीश इस उपधारा के अधीन मूल्यांकन की लागत के भुगतान के लिये उचित समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन मूल्यांकन के लिये किया गया व्यय अपील का व्यय होगा, किन्तु वह पहले पहल प्रार्थी द्वारा देय होगा।

(3) न्यायाधीश को अधिकार होगा, और अपील के किसी पक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र दिये जाने पर उसके लिये आवश्यक होगा कि उपधारा (1) के अधीन मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति को साक्षी के रूप मे बुलाया जाय तो अपील के किसी भी पक्ष को उससे जिरह करने का अधिकार होगा।

जिला जल को अपीलें

476–– जिला जज को निम्नलिखित मामलों में अपील हो सकेगी––

(क) धारा 472 के अधीन किसी अपील में न्यायाधीश के उस निर्णय के विरुद्ध, जिसके द्वारा वार्षिक मूल्यांकन बारह हजार रुपये से अधिक निश्चित किया जाय, और

(ख) उक्त धारा के अधीन विधि संबंधी अथव विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा संबंध अथवा किसी लेख्य के अन्वय संबंधी किसी अपील में न्यायाधीश के किसी अन्य निर्णय के विरुद्ध :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कोई भी अपील जिला जज द्वारा तब तक न सुनी जायगी, जब तक कि वह उक्त न्यायाधीश के निर्णय के दिनांक से एक महीने के भीतर निर्दिष्ट न की जाय।

उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

अपील में कार्यवाहियों का व्यय

477—— न्यायाधीश के समक्ष धारा 472 के अधीन अपील की कार्यवाहियों का, जिसके अन्तर्गत धारा 474 के अधीन मध्यस्थ निर्णय की कार्यवाहियां तथा धारा 475 के अधीन मूल्यांकन की कार्यवाहियां भी है, व्यय उन पक्षों द्वारा और ऐसे अनुपात में देय होगा जिसे न्यायाधीश आदिष्ट करें और वह धनराशि, यदि आवश्यक हो इस प्रकार वसूल की जा सकेगी मानों वह प्राविन्शियल स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट, 1887 के अधीन किसी स्माल काजेज कोर्ट द्वारा पारित डिक्री के अधीन देय हो।

ऐसे मूल्यांकन और कर, जिसके विरुद्ध अपील न की गई हो, तथा अपील में किये निर्णय अन्तिम होंगे।

478—— (1) इस अधिनियम के अधीन निश्चित प्रत्येक ऐसा वार्षिक मूल्यांकन जिसके विरुद्ध पहले की गई व्यवस्था के अनुसार कोई शिकायत न की गयी हो तथा इस अधिनियम के अधीन किसी कर के निर्मित्त किसी व्यक्ति से अभियाचित प्रत्येक धनराशि, यदि पहले दी हुई व्यवस्था के अनुसार उसके विरुद्ध कोई अपील न की गई हो, तथा ऐसे किसी मूल्यांकन अथवा कर के विरुद्ध की गई अपील में उपर्युक्त न्यायाधीश का निर्णय, यदि धारा 476 के अधीन ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील न की जाय, और यदि ऐसी अपील की जाय तो ऐसी अपील पर जिला जज का निर्णय, अंतिम होगा।

(2) किसी ऐसे मूल्यांकन अथवा कर के विरुद्ध अपील होने पर, मुख्य नगराधिकारी द्वारा उक्त न्यायाधीश अथवा जिला जज का निर्णय कार्यान्वित किया जायेगा।

न्यायाधीश तथा जिला जल के समक्ष अपीलें

न्यायाधीश के समक्ष अपील

479—— न्यायाधीश के समक्ष की जाने वाली ऐसी किसी अन्य अपील के अतिरिक्त, जिसकी इस अधिनयम के अधीन व्यवस्था की गई हो, निम्नलिखित मामलों में मुख्य नगराधिकारी की आज्ञा के विरुद्ध न्यायाधीश के समक्ष अपील की जा सकेगी; अर्थात् ——

(1) धारा 249 के अधीन दंड या पाइप को न हटाने की आज्ञा,

(2) धारा 284 के अधीन किसी भवन को आगे बढ़ाने की आज्ञा,

(3) धारा 308 के अधीन किसी स्थान के खतरनाक पाये जाने पर उसके स्वामी या अध्यासी को उसकी मरम्मत करने, उसे सुरक्षित करने अथवा घेरने के लिये दी गई आज्ञा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसी अपील तक न की जा सकेगी, जब तक कि वह मुख्य नगराधिकारी की आज्ञा के दिनांक से एक महीने के भीतर निर्दिष्ट न की जाय।

भवन गिराने की आज्ञा के विरूद्ध अपील

480—— (1) धारा 393 के अधीन भवन गिराने की आज्ञा के विरुद्ध धारा 395 के अधीन अपील की जाने पर न्यायाधीश उस आज्ञा को पुष्ट करने अथवा निरस्त करने अथवा परिवर्तित करने की ऐसी आज्ञा दे सकता है जो वह उचित समझे और यदि वह उचित समझे तो अपील करने वाले व्यक्ति से ऐसा कोई वचन स्वीकार कर सकता है, जिसे मुख्य नगराधिकारी ने स्वीकार किया होता तथा न्यायाधीश द्वारा इस प्रकार स्वीकार किया गया कोई वचन उसी प्रकार प्रभावी होगा मानों वह धारा 393 के अधीन मुख्य नगराधिकारी को दिया गया हो और उसके द्वारा स्वीकृत किया गया हो :

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि न्यायाधीश अपील करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से, जिस पर धारा 393 की उपधारा (1) में वर्णित नोटिस तामील किया गया हो, कोई निर्माण–कार्य संपादित करने का वचन तब तक स्वीकार न करेगा, जब तक कि अपील करने वाले व्यक्ति ने उपधारा (2) के आदेश का अनुपालन न किया हो।

(2) इस धारा के अधीन किसी अपील के संबंध में न्ययाधीश द्वारा किये गये निर्णय के विरुद्ध ऐसे निर्णय के एक महीने के भीतर जिला जज को अपील हो सकेगी, यदि मुख्य नगराधिकारी की निर्धारण पंजी में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसर दर्ज उस भू–गृहादि का वार्षिक मूल्यांकन जिन से गिराये जाने की आज्ञा, जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, पूर्णतः अथवा अंशतः सम्बद्ध हो, 2, 000 रु. से अधिक दर्ज की गई हो।

(3) इस धारा के अधीन न्यायाधीश द्वारा किया गया निर्णय, यदि उपधारा (2) के अधीन उसके विरुद्ध अपील न हो सकती हो अथवा यदि अपील न की जाय तथ यदि अपील निविष्ट की जाय तो जिला जज द्वारा अपील में किया गया निर्णय अंतिम होगा।

(4) ऐसी कोई आज्ञा, जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन अपील की जा सकती हो यदि ऐसी अपील न की जाय तो धारा 395 में उल्लिखित 21 दिन की अवधि समाप्त होने पर प्रभावी हो जायेगी तथा उन विषयों के संबंध में जो उक्त अपील में उठाये जा सकते थे, अन्तिम और निश्चायक होगी ओर ऐसी कोई आज्ञा, जिसके विरुद्ध अपील की जाय– यदि ओर जहां तक न्यायाधीश अथवा जिला जज उसे पुष्ट करे– अपील के अन्तिम निर्णय के दिनांक से प्रभावी हो जायगी।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिये किसी अपील की वापसी उसका अन्तिम निर्णय समझा जायगा तथा उसका वैसा ही प्रभाव होगा, जैसा उस आज्ञा को पुष्ट करने वाले निर्णय का हो, जिसके विरुद्ध अपील की गई हो तथा उपर्युक्त बातों के अधीन रहते हुये, कोई भी अपील अन्तिम रूप से उस दिन निर्णीत समझी जायगी, जिस दिन जिला जज निर्णय दे, अथवा जिला जज को अपील न की जाने की दशा में उस अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात् जिसके भीतर अपील की जा सकती थी अथवा उस दशा में जबकि जिला जज को अपील न हो सके, तो उस दिनांक को, जिस पर न्यायाधीश निर्णय दे, अंतिम रूप से निर्णीत समझी जायगी।

संपादित कार्यों के व्यय के भुगतान के संबंध में न्यायाघीश के निर्णय के विरुद्ध अपील

481–– (1) किसी निर्माण–कार्य के संपादन के व्यय की धनराशि अथवा उसकी अदायगी के संबंध में, जबकि उस दावे की धनराशि जिसमें निर्णय दिया गया हो, 2,000 रु0 से अधिक हो, न्यायाघीश के निर्णय के विरुद्ध जिला जल को अपील हो सकेगीं :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जिला जज द्वारा ऐसी कोई अपील तब तक न सुनी जायगी जब कि वह न्यायाधीश के निर्णय के दिनांक से एक महीने के भीतर निविष्ट न की जाय।

(2) सम्पादित किये गये किसी निर्माण–कार्य के व्यय की धनराशि अथवा उसकी अदायगी के सम्बन्ध में न्यायाधीश का निर्णय, यदि इस धारा के अधीन अपील निविष्ट न की जाय तथा यदि अपील निविष्ट की जाय, तो ऐसी अपील में जिला जज का निर्णय अन्तिम होगा।

(3) जब सम्पादित किये गये किसी निमार्ण–कार्य के व्यय की धनराशि अथवा उसकी अदायगी के संबंध में किसी निर्णय के विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन कोई अपील निविष्ट की जाय, तो मुख्य नगराधिकारी उक्त धारा के अधीन देय निर्धारित की गई धनराशि की वसूली की कार्यवाही तब तक के लिये स्थगित कर देगा, जब तक कि जिला जज का निर्णय न हो जाय तथा निर्णय के पश्चात् उसी धनराशि की, यदि कोई वसूली करेगा, जो एतदद्वारा देय निर्धारित की जाय।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाहियां

482—— (1) यदि किसी भवन अथवा भूमि का स्वामी उसके अध्यासी द्वारा इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम अथवा उपविधि के किन्हीं उपबन्धों के अथवा ऐसे भवन या भूमि के संबंध में इस अधिनियम या किसी ऐसे नियम, विनियम अथवा उपविधि के अधीन दिये गये किसी आदेश के अनुपालन से रोका जाय, तो स्वामी न्यायाधीश को प्रार्थना—पत्र दे सकता है। भवन या भूमि के स्वामी का ऐसे अध्यासी के विरुद्ध उपशमाधिकार, जो ऐसे स्वामी को इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अनुपालन से रोके

(2) न्यायाधीश ऐसे किसी प्रार्थना—पत्र की प्राप्ति पर लिखित आज्ञा द्वारा अथवा भूमि के अध्यासी को आदेश दे सकता है कि वह उक्त उपबन्ध अथवा आदेश के अनुपालनार्थ स्वामी को सभी उचित सुविधायें दे अथवा यदि उक्त उपबन्ध या आदेश धारा 331 के अन्तर्गत की जाने वाली किसी ऐसी कार्यवाही से संबंध रखता है, जिसमें उक्त अध्यासी की सुरक्षा और सुविधा अन्तर्गत हो तो भू—गृहादि को अस्थायी रूप से खाली कर दे तथा यदि वह उचित समझे तो यह भी आदेश दे सकता है कि उक्त प्रार्थना—पत्र एवं आज्ञा का व्यय अध्यासी द्वारा वहन किया जाय।

(3) उक्त आज्ञा के दिनांक से आठ दिन के पश्चात् उक्त अध्यासी इसके लिए बाध्य होगा कि वह उपर्युक्त प्रयोजन के निर्मित उक्त आज्ञा में विहित रीति के अनुसार स्वामी को समस्त यथोचित सुविधायें प्रदान करे या उक्त भू—गृहादि को अस्थायी रूप से खाली कर दे तथा दिय वह लगातार ऐसा करने से इन्कार करे तो उस समय तक जब तक वह इस प्रकार इन्कार करता रहे स्वामी किसी ऐसे दायित्व से मुक्त रहेगा, जो उक्त व्यवस्था या आदेश के अनुपालन न करने के कारण उस पर अन्यथा होता।

(4) इस धारा को कोई भी बात इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन मुख्य नगराधिकारी के किसी भू—गृहादि को खाली कराने के अधिकार पर प्रभाव न डालेगी।

483—— इस अध्याय के प्रयोजनों के निमित्त निम्नलिखित विषयों से सम्बद्ध किसी वाद की सुनवाई करते समय न्यायाधीश को वही अधिकार प्राप्त होंगे, जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 ई0 की अधीन न्ययालय में निहित हैं, अर्थात् :— साक्षियों को बुलाने ओर लेख्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने का अधिकार

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा शपथ अथवा प्रतिज्ञान पर उसकी परीक्षा करना,

(ख) किसी भी पक्ष को लेख्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना, तथा

(ग) साक्षियों की परीक्षा के लिए आयोग जारी करना, ओर इस अध्याय के अधीन न्यायाधीश के समक्ष कोई भी कार्यवाही इंडियन पीनल कोड की धारा 193 तथा 228 के अर्थों में तथा धारा 196 के प्रयोजनों के निर्मित ''जुडीशियल प्रोसीडिंग'' समझी जायगी।

484—— (1) राज्य सरकार समय—समय पर सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निम्नलिखित के निमित्त देय शुल्क, यदि कोई हो, विहित कर सकती है— न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाहियों का शुल्क

(क) इस अधिनियम के अधीन न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किसी प्रार्थना—पत्र, अपील अथवा अभिदेश पर, तथा

(ख) इस अधिनियम के अधीन न्यायाधीश की किसी जांच अथवा कार्यवाही में कोई आह्वान अथवा अन्य आदेशिका जारी होने से पूर्व :

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खंड (क) के अधीन विहित शुल्क, यदि कोई हो, उन दशाओं में जबकि दावे अथवा वाद–विषय का मूल्य रुपयों में आंका जा सकता हो, {कोर्ट फीस ऐक्ट 1870}[1] के उपबन्धों के अधीन ऐसे मामलों में तत्समय लगाए गए शुल्क से अधिक न होगा, जिसमें दावे अथवा वाद–विषय का मूल्य समान धनराशि का हो।

(2) राज्य सरकार समय–समय उक्त प्रकार की विज्ञप्ति द्वारा यह निर्धारित कर सकती है कि उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन विहित शुल्क किस व्यक्ति द्वारा देय होगा।

(3) न्यायाधीश द्वारा कोई भी प्रार्थना–पत्र, अपील अथवा अभिदेश तब तक नहीं लिया जायगा, जब तक कि तदर्थ उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन विहित शुल्क, यदि कोई हो, न दे दिया गया हो।

निर्धन व्यक्तियों की शुल्क से मुक्ति

485–– न्यायाधीश जब भी वह उचित समझे, इस अधिनियम के अधीन किसी निर्धन व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से दिए गए किसी प्रार्थना–पत्र, अपील अथवा अभिदेश को ले सकता है और धारा 484 के अधीन विहित शुल्क की अदायगी के बिना अथवा उसकी आंशिक अदायगी पर किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से आदेशिका जारी कर सकता है।

सुनवाई के पूर्व समझौता हो जाने पर आधे शुल्क की वापसी

486––जब कभी इस अधिनियम के अधीन न्यायाधीश को दिया कोई प्रार्थना–पत्र, अपील अथवा अभिदेश सुनवाई से पूर्व पक्षों में अनुबन्ध द्वारा तय हो जाय तो उस समय तक अदा गिए गए समस्त शुल्कों की आधी धनराशि न्यायाधीश द्वारा क्रमशः उन्हीं पक्षों को वापस कर दी जायगी, जिन्होंने उसे अदा किया हो।

मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति

प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति

487–– (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के विरुद्ध किए गए अपराधों पर विचारार्थ महपालिका की सहमति से ऐ या एकाधिक प्रमि श्रेणी के मैजिस्ट्रेटों के पदों का सृजन कर सकती है अथवा किसी भी व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्ति कर सकती है, या ऐसे मेजिस्ट्रेट के न्यायालय के निमत्त ऐसे प्रशासी पदाधिकारी नियुक्त सकती है, जिन्हें वह आवश्यक समझे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन प्रथम श्रेणी के या एकाधिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति होते हुए भी जिला मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में कार्य–वितरण का विनियम करने वाले कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 ई. की धारा 17 के अधीन तत्समय प्रचलित नियमों के अधीन रहते हुए इस बात के लिए स्वाधीन होगा कि वह ऐसे अपराधों की सुनवाई के कार्य का तथा मैजिस्ट्रटों के, जिनके अन्तर्गत इस धारा के अधीन नियुक्ति मैजिस्ट्रेट भी है, न्यायालयों के अन्य समस्त कार्यों का ऐसा वितरण करे जो कार्य कुशलता के हित में उसे सर्वश्रेष्ठ प्रतीत हों।

(2) ऐसा मैजिस्ट्रेट अथवा ऐसे मजिस्ट्रेट तथा उनके स्थापनों को ऐसा वेतन, निवृत्ति–वेतन, अवकाश भत्ते तथा अन्य भत्ते दिये जायेंगे, जिन्हें समय–समय पर राज्य सरकार निश्चित करे।

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 22, 1961 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) उपधारा (2) के अधीन निश्चित किए गए वेतन तथा भत्तों की धनराशि की भरपाई अन्य समस्त प्रासंगिक परिव्ययों सहित, {निगम}[1] द्वारा राज्य सरकार को की जायगी और {निगम} राज्य सरकार को ऐसे मैजिस्ट्रेट या मैजिस्ट्रेटों के तथा उनके स्थान के निवृत्ति–वेतनों, अवकाश भत्तों तथा अन्य भत्तों के लिए भी ऐसा अंशदान देगा, जिसे राज्य सरकार समय–समय पर निश्चित करे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार {निगम}[1] की सहमति से यह आदेश दे सकती है कि इस धारा के अधीन देय धनराशियों के बदले {निगम}[1] प्रतिवर्ष ऐसे दिनांक पर, जिसे राज्य सरकार एतदर्थ निश्चित करे, राज्य सरकार को ऐसी नियत धनराशि अदा करेगी जो राज्य सरकार एतदर्थ निर्धारित करे।

मैजिस्ट्रेटों को अभिदेश

488–– नगर की सीमा के अधिकार क्षेत्र युक्त प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट को किसी भयानक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को नियमों के अधीन सार्वजनिक अस्पताल में निरुद्ध किए जाने के सम्बन्ध में, अभिदेश किया जायेगा।

मैजिस्ट्रेटों को अभिदेश

489–– (1) धारा 435 के अधीन अभिगृहीत कोई पशु तथा शीघ्र खराब न होने वाली कोई वस्तु अथवा कोई बर्तन या पात्र प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के पास ले जाया जायेगा ।

ऐसे पशुओं तथा शीघ्र खराब न होने वाले वस्तुओं का निस्तारण, जिनका धारा 435 के अधीन अभिग्रहण किया जाय

(2) यदि ऐसे मैजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि ऐसा कोई अथवा वस्तु यथास्थिति, रोग–ग्रस्त, विकृत अथवा मानव उपभोग के लिए अस्वास्थ्यक अथवा अनुपयुक्त है, अथवा वह उस प्रकार की नहीं है जैसी कि वह बताई गई थी, अथवा ऐसा बर्तन या पात्र इस प्रकार का हे, अथवा ऐसी दशा में है, जिससे उसमें तैयार किया गया, निर्मित अथवा रखा गया पदार्थ मानव उपभोग के लिए अस्वास्थ्यकर अथवा अनुपयुक्त हो जायगा उसे अधिकार होगा कि– और यदि वह रोगग्रस्त, विकृत, अस्वास्थ्यकर अथवा मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है, तो उसके लिए आवश्यक होगा कि वह उसे उस व्यक्ति के व्यय पर, जिसके कब्जे में वह अभिग्रहण के समय रहा हो, ऐसी रीति से नष्ट कर दे, जिससे कि वह फिर प्रदर्शित या फेरी लगकार बेची न जा सके या मानव उपभोग के लिए अथवा उपर्युक्त किसी वस्तु के तैयार या निर्मित करने या उसमें रखने के लिए प्रयुक्त न हो सके।

490–– ऐसी प्रत्येक दशा में जब धारा 489 के अधीन भोजन सामग्री के संबंध में कार्यवाही किए जाने पर मैजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि वह रोगग्रस्त, विकृत, अस्वास्थ्यकर अथव मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है, तो उसका स्वामी अथवा वह व्यक्ति ,जिसके कब्जे में वह पाया गया हो, किन्तु जो उसका केवल उपनिहिती अथवा वाहक न हो, सिद्ध–दोष होने पर, यदि ऐसी दशा में इंण्डियन पीनल कोड की धारा 273 के उपबन्ध न लागू होते हों, जुर्माने से दंडित किया जायगा, जो 500 रु. तक हो सकता है।

ऐसा भोजन रखने के सम्बन्ध में दंड, जो रोग्रस्त, विकृत अथवा अस्वास्थ्यकर अथवा मानव भोजन के लिए अनुपयुक्त प्रतीत हो

491–– धारा 490 के अधीन सभी अभियोजनों में मैजिस्ट्रेट उक्त धारा के विरुद्ध अपराध करने वाले किसी अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति के लिए आह्वान जारी करने से इन्कार कर देगा जब तक कि उस अपराध का, जिसका कि उक्त व्यक्ति पर अभियोग लगाया जाता है, उस कथित दिनांक से उचित समय के भीतर आह्वान सम्बन्धी प्रार्थना–पत्र न दिया जाय।

उचित समय के भीतर न दिए जाने पर आहवान संबंधी प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जायगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

मैजिस्ट्रेट तथा सत्र न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियां

हस्तक्षेप योग्य अपराध

492—— (1) धारा {112—ग, धारा 112—घ या धारा}[1] 417 का उल्लंघन करने के अपराध हस्तक्षेप योग्य होगा।

(2) कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अथवा किसी नियम, विनियम अथवा उपविधि के विरुद्ध किए गए समस्त अपराध, चाहे वह नगर के भीतर किए गए हों अथवा नगर के बाहर, अभिक्षेत्र युक्त प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट द्वारा हस्तक्षेप योग्य होंगे, तथा कोई भी ऐसा मैजिस्ट्रेट केवल इसी कारण से किसी ऐसे अपराध अथवा एतद्द्वारा निरस्त किसी विधायन के विरुद्ध किए गए अपराध में हस्तक्षेप करने के निमित्त अक्षम न होगा कि वह किसी {निगम}[2] —कर का देनदार है अथवा उसे {निगम}[2] निधि से लाभ पहुंचता है।

(3) उक्त कोड की धारा 200 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत बनाए गए किसी नियम, विनियम अथवा उपविधि के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के विषय में परिवादी की परीक्षा करना आवश्यक न होगा यदि परिवाद लिखित रुप में प्रस्तुत किया जाय।

कालावधि, जिसके भीतर इस अधिनियम के दंडनीय अपराधों के परिवाद लिए जायेंगे, का परिसीमन

493—— कोई भी मैजिस्ट्रेट इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम अथवा उपविधि के अधीन दंडनीय किसी अपराध में तब तक हस्तक्षेप न करेगा जब तक कि उसके समक्ष ऐसे अपराध के सम्बन्ध में परिवाद निम्नलखिा अवधि के भीतर प्रस्तुत न किया जाय—

(क) ऐसा अपराध करने के दिनांक पश्चात् 6 महीनों के भीतर, अथवा

(ख) यदि ऐसा दिनांक ज्ञात न हो या अपराध लगातार किया जाता हो तो उस अपराध के किये जाने अथवा उसकी जानकारी होने के 6 महीने के भीतर।

मैजिस्ट्रेट का अभियुक्त की अनुपस्थिति में वाद की सुनवाई करने का अधिकार

494—— यदि इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम अथवा उपविधि के अधीन दंडनीय किसी अपराध के आरोप का प्रत्युत्तर देने के लिए किसी मैजिस्ट्रेट के समक्ष आहूत कोई व्यक्ति, आह्वान में वर्णित समय और स्थान पर उपस्थित न हो सके तथा यदि आह्वान की तामील मैजिस्ट्रेट के सन्तोषानुसार सिद्ध हो जाती है और ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति का कोई पर्याप्त कारण नहीं प्रदर्शित किया जाता तो मैजिस्ट्रेट उसकी अनुपस्थिति में वाद की सुनवाई कर सकता है और उसमें निर्णय दे सकता है।

सरकार के लोक विश्लेषक का प्रतिवेदन

495—— उत्तर प्रदेश सरकार के लोक विश्लेषक के विश्लेषण के लिए यथोचित रूप से प्रेषित किसी भी पदार्थ के सम्बन्ध में उसके हस्ताक्षर सहित किसी लेख्य को, जो प्रतिवेदन के रूप में अभिप्रेत हो, उसमें उल्लिखित तथ्यों के साक्ष्य के रूप में इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या अभियोजन में बिना किसी प्रमाण के प्रयुक्त किया जा सकता है।

अपदूषणों सम्बन्धी परिवाद

496—— (1) नगर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, उसमें अधिकार क्षेत्रयुक्त प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट से, नगर में किसी अपदूषण के विद्यमान होने के सम्बन्ध में अथवा इस सम्बन्ध में शिकायत कर सकता है कि धारा 231, 232, 249, 250, 251, 310 या 385 द्वारा प्राप्त किसी अधिकार के प्रयोग करने में न्यूनतम व्यावहारिक अपदूषण से अधिक अपदूषण उत्पन्न हुआ है।

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 21, 1964 की धारा 26 द्वारा अन्तर्विष्ट।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) किसी ऐसी शिकायत की प्राप्ति पर मैजिस्ट्रेट ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, मुख्य नगराधिकारी को निम्नलिखित आदेश दे सकता है यदि वह ऐसा करना उपयुक्त समझे–

(क) इस अधिनियम या किसी नियम, विनियम या उप–विधि के किन्हीं उपबन्धों को प्रवर्तित करे या ऐसे उपाय करे जो उस मैजिस्ट्रेट को उस अपदूषण को रोकने, हटाने, कम करने या दूर करने के निमित्त व्यावहारिक और उचित जान पड़े,

(ख) परिवादी को उक्त शिकायत तथा आज्ञा के या से सम्बद्ध ऐसे उचित व्यय अदा करे, जिसे उक्त मैजिस्ट्रेट निर्धारित करे, जिन व्ययों में उस शिकायत के सम्बन्ध में परिवादी के समय का जो अपव्यय हुआ है उसका प्रतिकार भी सम्मिलित है।

(3) धारा 497 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, मुख्य नगराधिकारी उक्त प्रत्येक आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

(4) इस अधिनियम में वर्णित कोई भी बात, किसी ऐसे व्यक्ति के प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकार पर प्रभाव न डालेगी, जिसे अथवा सम्पत्ति को, धारा 231, 232, 249, 250, 251, 310 अथवा 385 द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके किए गए किसी कार्य के कारण हानि पहुंची हो।

धारा 496 के अधीन पारित आज्ञा के विरुद्ध सत्र न्यायालय में अपील

497–– (1) धारा 496 के अधीन मैजिस्ट्रेट द्वारा पारित आज्ञा के विरुद्ध उस आज्ञा के दिनांक से एक महीने के भीतर सत्र–न्यायालय में अपील हो सकेगी।

(2) सत्र–न्यायालय, उपधारा (1) के अधीन अपील निस्तारित करते समय, यह आदेश दे सकता है कि अपील का व्यय किसके द्वारा और किस अनुपात में, यदि कोई हो, अदा किया जाएगा और इस प्रकार अदा किए जाने के लिए आदिष्ट व्यय, नगर में अधिकार क्षेत्र युक्त प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट को प्रार्थना–पत्र दिए जाने पर सत्र–न्यायालय के आदेशानुसार उसके द्वारा उसी प्रकार वसूल किया जा सकेगा मानों वह उसके द्वारा किया गया कोई जुर्माना हो।

(3) यदि इस धारा के अधीन सत्र–न्यायालय में अपील निविष्ट की जाय तो मुख्य नगराधिकारी मैजिस्ट्रेट की आज्ञा पर तब तक के लिये कार्यवाही स्थगित कर देगा जब तक वह अपील निस्तारित न हो जाय और तदुपरान्त सत्र–न्यायालय द्वारा उस अपील में पारित आज्ञा को अथवा यदि सत्र–न्यायालय मैजिस्ट्रेट की आज्ञा को बहाल रखे तो मैजिस्ट्रेट की आज्ञा को तुरन्त कार्यान्वित करेगा।

(4) राज्य सरकार हाईकोर्ट से परामर्श के पश्चात् समय–समय पर उपधारा (1) के अधीन अपीलों के प्रवेश तथा उन पर न्यायिक विचार करने की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है।

अपराधियों की गिरफ्तारी

इस अधिनियम के विरुद्ध आचरण करने वाले अपराधी कुछ दशाओं में पुलिस पदाधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकते हैं

498–– (1) कोई पुलिस पदाधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने उसके विचार से इस अधिनियम के अथवा किसी नियम, विनियम अथवा उपविधि के अविरुद्ध कोई अपराध किया हो, गिरफ्तार कर सकता है, यदि उस व्यक्ति का नाम और पता उसे ज्ञात न हो तथा यदि वह व्यक्ति पूछने पर अपना नाम और पता न बताए अथवा ऐसा नाम और पता बताए जिसे ऐसा पदाधिकारी सकारण मिथ्या समझा है।

(2) इस प्रकार गिरफ्तार किया गया कोई व्यक्ति, उसका ठीक नाम व पता ज्ञात हो जाने के पश्चात् या मैजिस्ट्रेट की आज्ञा के बिना, गिरफ्तारी से 24 घन्टे से अनधिक की ऐसी अवधि से अधिक के लिए, अभिरक्षा में न रख जायगा, जो उसे उक्त अपराध में हस्तक्षेप करने के लिए समक्ष मैजिस्ट्रेट के समक्ष लाने के लिए आवश्यक हो।

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

प्रकीर्ण

499—— (1) इस अध्याय में स्पष्टरूप से की गई व्यवस्था को छोड़कर मूल डिक्रियों पर की गई अपीलों से सम्बद्ध कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित, जिला जज को की जाने वाली अपीलों पर लागू होंगे। कोड आफ सिविल प्रोसीजर का लागू होना

(2) अन्य समस्त विषय, जिनके लिए इस अधिनियम में स्पष्ट व्यवस्था नहीं कर गई है, ऐसे नियमों द्वारा नियमित होंगे, जिन्हें राज्य सरकार समय—समय पर हाईकोट से परामर्श करने के पश्चात् बनावे।

500—— (1) इस अध्याय में निर्दिष्ट अपील अथवा प्रार्थना—पत्र के लिए विहित कालावधि की संगणना करते समय इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 ई. की धारा 5, 12 तथा 14 के उपबन्ध यथाशक्य लागू होंगे। कालावधि

(2) यदि किसी अपील, प्रार्थना—पत्र अथवा अभिदेश को प्रस्तुत करने के निमित्त इस अधिनियम में कोई समय विहित न हो तो ऐसे अपील, प्रार्थना—पत्र अथवा अभिदेश उस आज्ञा के, जिसके सम्बन्ध में अथवा जिसके विरुद्ध उक्त अपील, प्रार्थना—पत्र अथवा अभिदेश प्रस्तुत किया गया हो, दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जायगा।

501—— (1) न्यायाधीश (Judge) की सभी आज्ञायें उसी रीति से सम्पादित की जायेंगी मानों वे प्राविन्शियल स्माल कॉजेज कोर्ट ऐक्ट, 1887 ई0 के अधीन स्माल काजेज कोर्ट द्वारा पारित डिक्रियां हों। न्यायधीश(Judge) और जिला जज की आज्ञा का सम्पादन

(2) जिला जल की सभी आज्ञायें उसी प्रकार सम्पादित होंगी मानों वे उसी के न्यायालय की डिक्रियां हों।

502—— कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 ई0 के उपबन्ध यथाशक्य इस अधिनियम के अधीन मैजिस्ट्रेट के समक्ष सभी जांचों और कार्यवाहियों पर लागू होंगे। मैजिस्ट्रेट के समक्ष समस्त जाचों और कार्यवाहियों में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू होगा

अध्याय 21

करो तथा अन्य {निगम}[2] देयों(dues) की वसूली

503—— कोई भी {निगम}[2] कर नियमों द्वारा विहित रीति से निम्नलिखित ढंगों से वसूल किया जा सकता है। निगम करों की वसूली की रीति

(1) बिल प्रस्तुत करके;
(2) मांग का लिखित नोटिस तामील करके;
(3) बाकीदार की चल सम्पत्ति के अभिहरण(distraint) तथा बिक्री से;
(4) बाकीदार की अचल सम्पत्ति की कुर्की(attachment) तथा बिक्री से;
(5) {***}[1],

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, वर्ष 1991 के अध्याय 3 की धारा 13 द्वारा निकाला गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(6) सम्पत्ति कर की दशा में सम्पत्ति पर देय किराये को कुर्क करके;

(7) वाद द्वारा।

504–– (1) जैसे ही कोई व्यक्ति {तात्कालिक मांग पर देय किसी कर}[1] से भिन्न किसी कर के रूप में किसी धनराशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी हो जाय, मुख्य नगराधिकारी यथाशीघ्र ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों को बिल प्रस्तुत करवायेगा। बिल प्रस्तुत करना

(2) जब तक नियम द्वारा अन्यथा व्यवस्था न हो, कोई भी व्यक्ति प्रत्येक कर तथा अनुज्ञप्ति शुल्क (licence fee) के भुगतान के लिए उस अवधि के आरम्भ होते ही उत्तरदायी हो जायगा, जिसके संबंध में ऐसा कर या शुल्क देय हो।

505–– उक्त प्रत्येक बिल में निम्नलिखित का उल्लेख होगा– बिल में समाविष्ट होने वाले विषय

(क) अवधि जिसके निमित्त्त तथा सम्पत्ति, पेशा (occupation) हैसियत (circumstances) या कोई बात, जिसके संबंध में किसी धनराशि की मांग की गयी हो, तथा

(ख) भुगतान न करने की दशा में लागू किये जाने वाले (enforceable) दायित्व या शास्ति (penalty); तथा

(ग) समय, यदि कोई हो, जिसके भीतर धारा 472 में उप बंधित अपील की जा सकती हो।

506–– यदि कोई धनराशि, जिसके निमित्त उपर्युक्त बिल प्रस्तुत किया जाय, {निगम}[1] के कार्यालय में या उस व्यक्ति को, जो किसी विनियम द्वारा ऐसा भुगतान लेने के लिये अधिकृत किया गया हो बिल प्रस्तुत करने के 15 दिन के भीतर न दे दी जाय, तो मुख्य नगराधिकारी उत्तरदायी व्यक्ति पर नियम द्वारा विहित प्रपत्र (form) में उक्त धनराशि के भुगतान के मांग पर नोटिस तामील करा सकता है। मांग का नोटिस

507–– (1) यदि उक्त धनराशि के भुगतान के लिये उत्तरदायी व्यक्ति मांग के ऐसे नोटिस के तामील होने के 15 दिन के भीतर– वारन्ट कार्यान्वित करने की रीति

(क) नोटिस से मांग गई धनराशि का भुगतान न करे, या

(ख) मुख्य नगराधिकारी अथवा ऐसे पदाधिकारी की जिसे {निगम}[2] विनियम द्वारा एतदर्थ नियुक्त करे, उसके संतोषानुसर उक्त धनराशि के भुगतान ने किये जाने के कारण न बताये,

तो ऐसी धनराशि वसूली संबंधी समस्त व्ययों (costs) सहित नियमों में विहित प्रपत्र में {निगम}[2] द्वारा जारी कराये गए वारन्ट द्वारा अथवा बाकीदार की चल संपत्ति की तत्समान प्रभावी अभिहरण (distress) या बिक्री द्वारा वसूल की जा सकती है।

(2) इस धारा के अधीन जारी किये गये उक्त प्रत्येक वारन्ट पर मुख्य नगराधिकारी के या उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट पदाधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, वर्ष 1991 के अध्याय 3 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

508—— उस {निगम}[1] पदाधिकारी के लिये, जिसे धारा 507 के अधीन जारी किया गया वारन्ट सम्बोधित किया जाय, यह वैध होगा कि वह सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय निम्नलिखित परिस्थितियों में, और अन्यथा नहीं, वारन्ट में आदिष्ट अभिहरण को कार्यान्वित करने के लिये भवन के किसी बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को तोड़कर उसमें प्रवेश करे— *वारन्ट की कार्यान्वित के लिए बलपूर्वक प्रवेश*

(क) यदि वारन्ट में ऐसी कोई विशेष आज्ञा हो जिसमें उसे एतदर्थ प्राधिकृत किया गया हो;

(ख) यदि उसे यह विश्वास करने के उचित कारण हों कि भवन में ऐसी सम्पत्ति है, जिसे वारन्ट के अधीन अभिगृहीत किया जा सकता है; तथा

(ग) यदि, अपना प्राधिकार (Authority) और प्रयोजन बताने ओर यथावत् प्रवेश मांगने के पश्चात् उसे अन्यथा प्रवेश न मिल सकता हो ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त पदाधिकारी महिलाओं के किसी कक्ष में तब तक न प्रवेश करेगा अथवा उसके दरवाजे को तब तक न तोड़ेगा जब तक कि उसने किसी भी महिला को, जो वहां हो, वहां से हट जाने का अवसर न दे दिया हो।

509—— (1) उपधारा (2) तथा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उक्त पदाधिकारी के लिये उस व्यक्ति को जिसका नाम बाकीदार के रूप में दर्ज किया गया हो, चल संपत्ति को, जहां कहीं भी हो अभिहरण (distress) करना वैध होगा। *वारन्ट कार्यान्वित करने की रीति*

(2) निम्नलिखित सम्पत्ति अभिहृत न की जायगी ———

(क) बाकीदार उसकी पत्नी तथा बच्चों के पहनने के आवश्यक वस्त्र तथा बिस्तरे,

(ख) कारीगरों (artisans) के औजार,

(ग) लेखा—पुस्तकें (books of account),

(घ) यदि बाकीदार खेतिहर (agriculturist) हो, तो खेती के औजार बीज और ऐसे पशु जो उसके जीविकोपार्जन के लिये आवश्यक हों।

(3) अभिहरण (distress) अतिशय (excessive) न होगा, अर्थात् अभिहृत सम्पत्ति मूल्य में यथासंभव उस धनराशि के बराबर होगी, जिसे वारन्ट के अधीन वसूल किया जाना और यदि किसी ऐसे व्यक्ति की राय में, जिससे धारा 507 की उपधारा (2) के अधीन वारन्ट पर हस्ताक्षर करने का प्राधिकार दिया गया हो, कोई ऐसी वस्तुयें अभिहृत हो गयी हों, जो अभिहृत न होनी चाहिये थी, तो वे तुरन्त वापस कर दी जायेंगी।

(4) उक्त पदाधिकारी सम्पत्त का अभिग्रहण करने के पश्चात् तुरन्त उसकी सूची (inventory) बनायेगा तथा उसे हटाने से पहले उस व्यक्ति को जिसके कब्जे में वह सम्पत्ति अभिग्रहण के समय रही हो, नियम द्वारा विहित प्रपत्र मे ंइस आशय का एक लिखित नोटिस देगा कि वह सम्पत्ति नोटिस में दी गयी व्यवस्था के अनुसार बेच दी जायगी।

510—— (1) यदि अभिग्रहीत सम्पत्ति जल्द और स्वाभाविक रूप से खराब हो जाने वाली हो अथवा यदि उसे अभिरक्षा (custody) में रखने का व्यय मय उस धनराशि के जिसे वसूल किया जाना है, सम्पत्ति के मूल्य के बढ़ जाने की आशंका हो, तो मुख्य नगराधिकारी या अन्य ऐसा पदाधिकारी, जिसने वारन्ट पर हस्ताक्षर किये हों, उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे से सम्पत्ति अभिग्रहीत की गयी थी, इस आशय का तुरन्त एक नोटिस देगा कि उसे फौरन बेच दिया जायगा और यदि वारन्ट में उल्लिखित धनराशि का तरन्तु भुगतान नहीं कर दिया जाता तो वह उसे तदनुसार बेच देगा। *वारन्ट के अधीन सामानों की बक्री ओर उससे प्राप्त धन का उपयोग*

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन सम्पत्ति तुरन्त बेच नहीं दी जाती तो अभिग्रहीत सम्पत्ति अथवा उसका पर्याप्त भाग, वारन्ट को कार्यान्वित करने वाले पदाधिकारी द्वारा तामील किये गए नोटिस में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर, {निगम}[1] की आज्ञा के अधीन सार्वजनिक नीलम द्वारा बेच दिया जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति द्वारा जिसके वारन्ट पर हस्ताक्षर किये हों, वारन्ट निलम्बित न कर दिया जाय या बाकीदार देय धन ओर नोटिस, वारन्ट, अभिहरण और सम्पत्ति के निरोध (detention) के संबंध में हुए समस्त व्ययों का भुगतान न कर दे ।

(3) अधि–धन (surplus), यदि कोई हो, तुरन्त ही {निगम}[1] निधि में जमा कर दिया जायगा तथा उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे से सम्पत्ति ली गयी थी, जमा किये गये उक्त धन के संबंध में फौरन नोटिस दिया जायगा और यदि नोटिस के दिनांक से एक वर्ष के भीतर मुख्य नगराधिकारी को दिये गये लिखित प्रार्थना–पत्र द्वारा उसके संबंध में कोई दावा किया जाय तो वह उस व्यक्ति को वापस कर दिया जायगा। यदि नोटिस के दिनांक से एक वर्ष के भीतर उक्त धन के संबंध में कोई दावा न किया जाय तो वह {निगम}[1] की सम्पत्ति हो जायगी।

नगर के बाहर स्थित सम्पत्ति के संबंध में कार्यवाही की प्रकिया

511–– (1) यदि किसी बाकीदार की पर्याप्त चल सम्पत्ति या ऐसी सम्पत्ति जो उस भू–गृहादि पर हो जिसके संबंध में उस पर कर निर्धारित किया गया हो, नगर के भीतर प्राप्त न हो तो {निगम}[1] के प्रार्थना–पत्र देने पर जिला मैजिस्ट्रेट अपने न्यायालय के किसी पदाधिकारी को –––

(क) बाकीदार की किसी ऐसी चल सम्पत्ति अथवा सामानों (effects) के अभिहरण और बिक्री के लिये जो जिला मैजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्रस्थ किसी अन्य भाग में हो, या

(ख) बाकीदार की किसी ऐसी चल सम्पत्ति अथवा सामानों के अभिहरण और बिक्री के लिये जो किसी अन्य ऐसे जिला मैजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में हो, जो उत्तर प्रदेश में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता हो,

अपना वारन्ट जारी कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कार्यवाही होने की दशा में, अन्य जिला मैजिस्ट्रेट इस प्रकार जारी किये गये वारन्ट को अनुलिखित (endorse) करेगा तथा उसे कार्यान्वित करवायेगा और वसूल हुई किसी धनराशि को वारन्ट जारी करने वाले जिला मैजिस्ट्रेट को प्रेषित करा देगा और वह उसे {निगम}[1] को भेज देगा।

बाकीदार की अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा वसूली

512–– धारा 507 के उपधारा (1) में वर्णित परिस्थितियों में मुख्य नगराधिकारी या धारा 507 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट पदाधिकारी के चल संपत्ति के अभिहरण और बिक्री का वारन्ट जारी करने के स्थान पर या जब ऐसा वारन्ट जारी हो चुका हो किन्तु वसूल की जाने वाली धनराशि पूर्णतः अथवा अंशतः वसूल न हुई हो, बाकीदार की अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री के लिये वारन्ट जारी कर सकता है।

चल सम्पत्ति की दशा में वारन्ट किस प्रकार कार्यान्वित होगा

513–– (1) जब किसी अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री का वारन्ट धारा 512 के अधीन जारी किये जायें तो कुर्की ऐसी आज्ञा द्वारा की जायेगी जो बाकीदार को उक्त सम्पत्ति को किसी प्रकार से हस्तान्तरित अथवा भारित करने से तथा समस्त व्यक्तियों को ऐसे किसी हस्तान्तरण अथवा भार (charge) से लाभ उठाने से प्रतिषिद्धि करे तथा इस बात की घोषणा करे कि यदि 5 दिन के भीतर उक्त देय धन तथ वसूली का व्यय {निगम}[1] के कार्यालय में जमा न किया गया तो सम्पत्ति बेच डाली जायगी।

---

1 उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) ऐसी आज्ञा सम्पत्ति पर या उसके सन्निकट किसी स्थान पर डुग्गी पीट कर या अन्य रूढ़िगत ढंग (customary mode) से घोषित की जायगी, तथा आज्ञा की एक प्रति सम्पत्ति के किसी प्रमुख स्थान पर तथा {निगम}[2] के कार्यालय के प्रमुख स्थान पर ओर यदि सम्पत्ति ऐसी हो जिससे राज्य सरकार को मालगुजारी मिलती हो तो उस जिले के कलेक्टर के कार्यालय में भी, जहां वह भूमि स्थित हो, चिपका दी जायगी।

(3) मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा से बिना किया हुआ अभिहृत सम्पत्ति के किसी भार (charge) का या तदन्तर्गत स्वत्व (interest) का हस्तान्तरण, कुर्की के अधीन प्रवर्तनीय (enforceable) {निगम}[2] से सभी दावों के विरुद्ध शून्य होगा।

अचल सम्पत्ति की बिक्री

514—— (1) यदि देय धनराशि धारा 513 की उपधारा (1) में उल्लिखित अवधि के भीतर अदा न कर दी जाय, तो मुख्य नगराधिकारी की आज्ञा से अचल सम्पत्ति अथवा उसका पर्याप्तांश आम नीलाम द्वारा बेचा जा सकता है, जब तक कि वह वारन्ट को निलम्बित न कर दे या बाकीदार वसूली सहित देय धनराशि अदा न कर दे। मुख्य नगराधिकारी बिक्री से प्राप्त धनराशियां या उसके ऐसे अंश को, जो आवश्यक हो उक्त देय धनराशि तथा वसूली के व्ययों की अदायगी में लगायेगा।

(2) अधि—धन (surplus), यदि कोई हो, तुरन्त ही निगम निधि में जमा कर दिया जायगा, किन्तु यदि विक्रय के दिनांक से 6 महीने के भीतर मुख्य नगराधिकारी को लिखित प्रार्थना—पत्र देकर अधि—धन के लिये दावा प्रस्तुत किया जाय तो वह बाकीदार को वापस कर दिया जायगा और यदि किसी अधि—धन का पूर्वोक्तानुसार 6 महीने के भीतर दावा न किया जाय तो वह {निगम}[2] की सम्पत्ति हो जायगी।

(3) यदि बाकीदार विक्रय होने से पूर्व देय धनराशि तथा वसूली की लागत का भुगतान कर दे तो अचल संपत्ति की कुर्की के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह उठा ली गयी है।

(4) इस धारा के अधीन अचल सम्पत्ति के विक्रय नियमों में विहित रीति से संचालित होंगे।

(5) पूर्वोक्तानुसार अचल सम्पत्ति के विक्रय के पश्चात् मुख्य नगराधिकारी उसका कब्जा ऐसे व्यक्ति को दे देगा, जिसे खरीदार घोषित किया गया हो तथा उसे इस आशय का एक प्रमाण—पत्र देगा कि उसने वह सम्पत्ति खरीद ली है, जिसका प्रमाण—पत्र में निदेश है।

(6) मुख्य नगराधिकारी के लिये वह वैध होगा कि वह विक्रयार्थ प्रदर्शित अचल सम्पत्ति के लिये {निगम}[2] की ओर से नाममात्रिक बोली बोले, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी बोली के संबंध में कार्यकारिणी समिति के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली गई हो।

(7) मुख्य नगराधिकारी किसी पुलिस पदाधिकारी की किसी अचल सम्पत्ति पर से किसी ऐसे व्यक्ति को हटाने का आदेश दे सकता है, जो उपधारा (5) के अनुसार की गयी उसकी किसी कार्यवाही में बाधा डालता हो, तथा वह ऐसा बल भी प्रयोग कर सकता है, जो ऐसी सम्पत्ति में प्रवेश के लिये समुचित रूप से आवश्यक हो।

515—— {***}[1]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, वर्ष 1991 के अध्याय 3 की धारा 15 द्वारा निकाला गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

516—— (1) यदि सम्पत्ति कर के रूप में देय किसी धनराशि के निमित्त किसी भू–गृहादि अध्यासी को धारा 504 की उपधारा (1) के अनुसार कोई बिल दिया जाय तो मुख्य नगराधिकारी उसके दिये जाने के समय या तत्पश्चातृ किसी समय अध्यासी पर नोटिस तामील करोके यह आदेश दे सकता है कि वह ऐसे व्यक्ति को, जो उक्त कर के भुगतान के लिये प्रथमतः उत्तरदायी हो, देय अथवा देय होने वलो किराये में से {निगम}[1] को इतनी धनराशि दे जिससे उक्त देय धनराशि का भुगतान किया जा सके।

देय किराये की कुर्की

(2) ऐसा नोटिस उत किराये की कुर्की के समान प्रभावी होगा जब तक कि सम्पत्ति कर के रूप में दये धनराशि की अदायगी और भरपाई न हो जाय तथा अध्यासी को यह अधिकार होगा कि वह उक्त नोटिस के अनुसार अपने द्वारा महपालिका को दी गयी धनराशि उस व्यक्ति के किराये के हिसाब में से काट ले, जिसे वह देय हो।

(3) पूर्वोक्त रूप से तामील किए गये नोटिस के अनुसार यदि किसी अध्यासी को यह आदेश दिये गये हों कि वह देय अथवा देय होने वाला किराया {निगम}[1] को अदा करे और वह अध्यासी उक्त किराये की धनराशि {निगम}[1] को न दे तो मुख्य नगराधिकारी उस धनराशि को उसी प्रकार वसूल कर सकता है मानों वह धारा 504 के अधीन समपत्ति कर की कोई बकाया हो।

517—— किसी बाकीदार के विरुद्ध अभिहरण, कुर्की और विक्रय, जिनकी इसके पूर्व व्यवस्था की गयी है, द्वारा कार्यवाही करने के बजाय अथवा यदि बाकीदार के विरुद्ध, ऐसी कार्यवाही में कोई सफलता न मिली हो अथवा आंशिक सफलता मिली हो, तो कर के रूप में किसी बाकीदार द्वारा देय कोई धनराशि अथवा उसका कोई शेष भाग, जैसी भी स्थिति हो, समक्ष अधिकार क्षेत्र वाले किसी न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके उसके वसूल किया जा सकता है।

यदि आवश्यक हो तो बाकीदारों पर बकाये के लिये वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।

518—— (क) धारा 506 के अधीन जारी किये गये प्रत्येक नोटिस का शुल्क,

(ख) धारा 507 के अधीन किया गया प्रत्येक अभिहरण का शुल्क, तथा

(ग) उक्त धारा के अधीन अभिगृहीत पशु–धन के रख–रखाव के व्यय,

शुल्क व व्यय

राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ बनाये गये नियमों में क्रमशः निर्दिष्ट दरों से वसूल किये जा सकेंगे तथा उन्हें धारा 507 के अधीन आदेश वसूली के व्ययों में सम्मिलित किया जायगा।

519—— इस अधिनियम के अधीन कोई भी अभिहरण, कुर्की या विक्रय अवेध नहीं समझा जायगा और न उसके अनुसार कार्य करने वाल व्यक्ति बिल, नोटिस, अभिहरण के वारन्ट सूची या तत्संबंधी कार्य–वाही में कोई त्रुटि या कमी होने के कारण अनधिकार प्रवेश करने वाला ही समझा जायगा।

अपवाद

520—— कोई {निगम}[1] देय धनराशियां जिनके संबंध में इस अधिनियम या नियमावली या उपविधियों द्वारा यह घोषणा की जा चुकी हो कि वह इस अध्याय में उपबन्धित रीति से वसूल किये जा सकते है, मुख्य नगराधिकारी द्वारा यथासंभव धारा 502 से 514 तथा 516 से 519 तक के उपबन्धों के अनुसार उसी प्रकार वसूल की जायगी मानों वे कोई कर हों।

ऐसे देयों की वसूली, जिनके संबंध में घोषणा की जा चुकी हो कि है कि वे कर के रूप में वसूल किये जा सकते हैं।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

कुछ धाराओं के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा सामानों के हटाये जाने के संबंध में व्ययों की वसूली

521—— (1) मुख्य नगराधिकारी द्वारा जो, धारा 296 या धारा 302 की उपधारा (3) के अधीन कोई सामान हटवाने में या धारा 292 की उपधारा (2) या धारा 293 की उपधारा (3) या धारा 303, या धारा 305 की उपधारा (3) या धारा 306 की उपधारा (1) या धारा 331 के अधीन जारी किये गये लिखित नोटिस का अनुपालन न होने की दशा में, धरा 558 के अधीन किये गये व्यय तथा उपधारा (2) में निर्दिष्ट अन्य सभी व्यय और परिव्यय यदि कोई हो, उपधारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए हटाये गए समान की बिक्री के वसूल किये जा सकेंगे, तथा यदि ऐसे सामान की बिक्री से प्राप्त धन यथेष्ट न हो तो उक्त सामान का स्वामी शेष धन का भुगतान करेगा।

(2) यदि सामान हटाने का व्यय किसी भी दशा में सामान की बिक्री से पहिले अदा कर दिया जाय तो मुख्य नगराधिकारी सामान को उसके मालिक को वापस कर देगा यदि उस सामान का स्वामी उसके बिकने अथवा अन्य रूप से निस्तारित होने के पूर्व, तथा मुख्य नगराधिकारी द्वारा तदर्थ अथवा उसके अभिप्रेत विक्रय अथवा निस्तारण के संबंध में किये गये अन्य समस्त व्यय, यदि कोई हों, तथा अन्य ऐसे समस्त परिव्यय यदि कोई हों, जिन्हें मुख्य नगराधिकारी सामान को जमा रखने के कारण निश्चित करे, अदा करने के पश्चात् उस सामान को वापस लेने के संबंध में दावा करे।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन सामान स्वामी को वापस न किया जाय तो मुख्य नगराधिकारी, उसे नीलाम द्वारा बेच देगा या अन्य किसी रीति एसे निस्तारित करेगा, जो वह उचित समझे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि सामान शीघ्र नष्ट होने वाला है तो उसे तुरन्त बेचा या निस्तारित किया जा सकता है और यदि शीघ्र नष्ट होने वाला नहीं है तो उसके हटाये जाने के दिनांक से एक महीने के भीतर यथा सुविधा बेचा या निस्तारित किया जायगा, चाहे सामान को हटाने का व्यय तथा उसे जमा रखने के परिव्यय, यदि कोई हो, इसी बीच में अदाकर दिये गये हों या नहीं तथा विक्रय के निस्तारण के व्यय और यदि आवश्यक हो, सामान हटाने का व्यय तथा उसे जमा रखने से सम्बद्ध परिव्यय काट लेने के बाद {निगम}[1] निधि में जमा किया जायेगा तथा {निगम}[1] की संपत्ति होगी।

इस अधिनियम के अधीन वसूलने योग्य व्यय मांग करने पर देय होंगे और यदि मांग करने पर आद न किये जायं तो वे सम्पत्ति कर की बकाया भी भांति वसूल किये जायंगे

522—— (1) यदि इस अधिनियम, किसी नियम, विनियम अथवा उपविधि के अधीन मुख्य नगराधिकारी अथवा धारा 119 में एतदर्थ अधिकृत किसी {निगम}[1] पदाधिकारी द्वारा अथवा उसकी आज्ञा के अधीन कोई निर्माण—कार्य कार्य या बात सम्पादित की गयी हो और उसके व्ययों का भुगतान किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना हो तो मांग करने पर ऐसे व्यय देय होंगे।

(2) यदि उक्त व्यय मांग करने पर अदा न किये जायं तो इस धारा की उपधारा (4) धारा 481 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, मुख्य नगराधिकारी द्वारा बाकीदार की चल सम्पत्ति अभिहरण तथा बिक्री द्वारा या अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा उसी प्रकार वसूल किये जा सकेंगे, मानों वे बाकीदार द्वारा दये सम्पत्ति कर हो।

(3) मुख्य नगराधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन व्ययों के भुगतान की मांग करने पर यदि उनके इस प्रकार मांग प्रस्तुत करने के अधिकार या मांगी हुई धनराशि के सम्बन्ध में अथवा मुख्य नगराधिकारी द्वारा धारा 308 की उपधारा (2) के अधीन कोई अस्थायी कार्य सम्पादित करने की दशा में इस अस्थायी कार्य की आवश्यकता के समबन्ध में कोई विवाद खड़ा कर दिया जाय, तो मुख्य नगराधिकारी निर्धारण के लिये उसे न्यायाधीश के पास भेज देगा।

(4) मुख्य नगराधिकारी न्यायाधीश का निर्णय होने तक अपने द्वारा अभियाचित धनराशि की वसूली के संबंध आगे की कार्यवाहियों को रोक देगा, तथ निर्णय के पश्चात् धारा 481 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, केवल ऐसी धनराशि, यदि कोई हो, वसूल करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा, जो निर्णय द्वारा देय धनराशि निर्धारित की जाय।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

यदि बाकीदार उस भूमि गृहादि का स्वामी हो, जिसके संबंध में व्यय देय हो, तो अध्यासी भी उस व्यय का देनदार होगा।

523–– यदि धारा 522 में निर्दिष्ट व्यय किसी भवन या भूमि में अथवा पर, या उसके सम्बन्ध में सम्पादित किये गये किसी निर्माण–कार्य, या की गयी किसी बात के संबंध में या किसी निजी सड़क से सम्बद्ध किसी भवन या भूमि के संबंध में किये गये किसी कार्य के फलस्वरूप देय हो और बाकीदार ऐसे भवन, भूमि या उस भू–गृहादि का, जो सड़क के सामने, उसके पार्श्व में, या उससे संलग्न हो, जैसी भी स्थिति हो, स्वामी है तो सम्बद्ध धनराशि की किसी ऐसे व्यक्ति से मांग की जा सकती है जो उक्त व्ययों के भुगतान से पूर्व किसी भी समय उक्त स्वामी के अधिकाराधीन उस भवन, भूमि या भू–गृहादि पर अध्यासित रहा हो, तथा यदि ऐसा व्यक्ति उस धनराशि का भुगतान न करे तो वह उसकी चल सम्पत्ति के अभिहरण तथा विक्रय से अथवा अचल संपत्ति की कुर्की और विक्रय से उसी प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह धनराशि उसके द्वारा देय सम्पत्ति कर हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि :–

(क) जब तक उक्त व्यक्ति, मुख्य नगराधिकारी द्वारा मांग करने पर, यह बात कि वह व्यक्ति उक्त भवन या भू–गृहादि के लिये कितना किराया देता है तथा उस व्यक्ति का नाम और पता, जिसे किराया देय होता है, सच–सच बताने की उपेक्षा अथवा उससे इनकार न करे तब वह व्यक्ति उक्त व्ययों के रूप में उस धनराशि से अधिक का देनदार न होगा, जो मांग करने के समय तक उसके द्वारा उस भवन, भूमि या भू–गृहादि के किराये के रूप में उसके स्वामी को देय हो, किन्तु इस बात को सिद्ध करने का भार उक्त व्यक्ति पर ही होगा कि उससे मांगी गई धनराशि उसके द्वारा स्वामी को देय धनराशि से अधिक है;

(ख) उक्त व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि यदि उक्त व्ययों के कारण कोई धनराशि दी है अथवा कोई धनराशि उससे वसूल की गयी है तो वह उसे स्वामी के हिसाब में से काट ले;

(ग) इस धारा की कोई बात उक्त किसी निर्माण–कार्य, बात या कार्य के व्ययों के बारे में उक्त व्यक्ति तथा भवन, भूमि या भू–गृहादि के, जो उसके अध्यासन में है, स्वामी के बीच हुये किसी अनुबंध पर प्रभाव न डालेगी।

मुख्य नगराधिकारी व्यय को किस्तों में लेने के लिये अनुबन्ध कर सकता है।

524–– उपर्युक्त व्ययों को पूर्वोक्तानुसार किसी रीति से वसूल करने के बजाय मुख्य नगराधिकारी, यदि वह उचित समझे और कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से, उन व्ययों के देनदार व्यक्ति से अनुबन्ध कर सकता है कि वह व्यक्ति उस धनराशि को ऐसी किस्तों में तथा ऐसे कालान्तरों में अदा करे, जिससे पूरी देय धनराशि उस ब्याज सहित जो उस पर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अनधिक ऐसी दर से लगाया जाएगा, जिसे कार्यकारिणी समिति समय–समय पर निश्चित करे, 5 वर्ष से अनधिक की अवधि के भीतर वसूल हो जाय।

कुछ व्यय विकास व्यय घोषित किये जा सकते हैं।

525–– (1) इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अधीन किसी भवन या भूमि के सम्बन्ध में दिये गये किसी सामान या संधायन या उनमें, उन पर अथवा उनके सम्बन्ध में सम्पादित किये गये किये गये किसी निर्माण–कार्य अथवा की गई किसी बात में सम्बन्ध में हुए व्यय, जो उस भवन या भूमि के स्वामी या अध्यासी से वसूल किये जा सकते हों, विनियमों के अधीन रहते हुए विकास व्यय घोषित किये जा सकते है, यदि मुख्य नगराधिकारी निगम की स्वीकृति से उन्हें इस प्रकार घोषित करना उचित समझे और ऐसी घोषणा होने पर उक्त व्यय तथा उपधारा (2) के अधीन उन पर देय ब्याज उन भू–गृहादि पर भार होनें जिनके सम्बन्ध में अथवा जिनके लाभ के लिए वे व्यय किये गये हों ।

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) विकास व्यय किस्तों में वसूल किये जा सकेंगे, जो किसी भी भू–गृहादि के लिए 12 रुपये प्रतिवर्ष से कम की न होगी। ये व्यय ऐसे कालान्तरों में वसूल किए जायेंगे, जिनसे वे उस ब्याज सहित, जो उन पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अनधिक की ऐसी दर से लगाया जायगा, जिसे कार्यकारिणी समिति समय–समय पर निश्चित करे, 30 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि में अदा किए जा सकेंगे, जिसे प्रत्येक मामले में मुख्य नगराधिकारी {निगम}[1] के अनुमोदन से निर्धारित करे।

(3) ऐसी किस्तें उस भू–गृहादि के, जिस पर व्यय और उसका ब्याज भारित हो, अध्यासी, द्वारा देय होंगी अथवा ऐसी व्ययों के भुगतान कि निश्चित अवधि व्यतीत होने से पूर्व या ब्याज सहित उक्त धनराशि पूर्णरूप से अदा किए जाने के पूर्व उक्त भू–गृहादि के किसी भी समय अनध्यासित हो जाने की दशा में, उक्त किस्तें, भू–गृहादि अनध्यासित रहने की अवधि तक उक्त भू–गृहादि के स्वामी द्वारा देय होंगी।

विकास व्ययों का निश्चित अनुपात किराये में से काटा जा सकता है।

526—– (1) यदि कोई ऐसा अध्यासी, जिसके द्वारा कोई विकास व्यय अदा किए जाते हैं, ब्याज सहित भारित व्यय वाले किसी भू–गृहादि में किराये पर रहता हो तो उसे यह अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा भू–गृहादि के स्वामी को देय किराये में से पूर्वोक्त व्यय तथा ब्याज के रूप में किए गये भुगतानों के निमित्त किराये का तीन चौथाई भाग काट ले।

(2) यदि वह भू–गृहादि का स्वामी, जिसके किराये में से ऐसी कटौती की जाय, स्वयं ही उस भू–गृहादि के लिए, जिसके सम्बन्ध में कटौती की जाती हो, किराये का देनदार हो तथा वह भू–गृहादि उसके अधिकार में ऐसी अवधि के लिए हो, जिसके 20 से कम वर्ष अव्यतीत हों (किन्तु अन्यथा नही) तो वह अपने द्वारा देय किराये में ऐसे अनुपात में कटौती कर सकता है, जो अपने द्वारा देय और अपने को प्राप्य किराये में होता हो ओर यही क्रम एक ही भू–गृहादि के प्रत्येक स्वामी (जिसके अधिकार में वह भू–गृहादि 20 वर्ष से अनधिक अव्यतीत अवधि के लिऐ हो) के सम्बन्ध में लागू होगा, जो किराया प्राप्त न कर रहा हो और किराये का देनदार भी हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा में किसी भी बात का ऐसा अर्थ न लगाया जायगा कि किसी व्यक्ति को उसके द्वारा देय किराये में से उसे प्राप्त किराये से काटी गई कुल धनराशि से अधिक काट लेने का अधिकार मिल गया है।

विकास व्यय के निर्मित भार विमोचन

527—– ब्याज सहित विकास व्यय के भुगतान की अवधि व्यतीत होने से पूर्व किसी भी समय, उस भू–गृहादि का, जिस पर ऐसे व्यय भारित हो, स्वामी या अध्यासी, मुख्य नगराधिकारी को उक्त व्यय का ऐसा भाग तथा ऐसा देय ब्याज, यदि कोई हो, अदा करके, जो पहले से अदा न किया गया हो अथवा सूचना वसूल न हुआ हो, उक्त भार का विमोचन कर सकता है।

धारा 524 व 525 के अधीन देय किस्तों की वसूली

528—– धारा 524 अथवा 525 के अधीन देय कोई भी किस्त या वह किस्त, जो देय हो जाने पर भी अदा न की जाय, मुख्य नगराधिकारी द्वारा उस व्यक्ति की, जिसके द्वारा यह देय हो, चल सम्पत्ति के अभिहरण और बिक्री अथवा अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री करके उसी प्रकार वसूल की जा सकती है, मानों वह उक्त व्यक्ति द्वारा देय कोई सम्पत्ति कर हो।

किसी–भू–गृहादि के स्वामी द्वारा चूक करने पर अध्यासी कार्य सम्पन्न कर सकता है तथा स्वाामी से व्यय वसूल कर सकता है।

529—– जब किसी भवन या भूमि का स्वामी कोई ऐसा कार्य सम्पादित नहीं करता जिसकी उससे इस अधिनियम या किसी नियम, विनियम या उपविधि के अधीन अपेक्षा की जाती हो तो ऐसी भूमि या भवन का अध्यासी, यदि कोई हो, मुख्य नगराधिकारी की स्वीकृति से उक्त कार्य सम्पन्न कर सकता है तथा उस प्रकार सम्पन्न किये गये कार्य का उचित व्यय स्वामी से वसूल करने का अधिकार होगा और वसूली के अन्य किसी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह उसे स्वामी को समय–समय पर अपने द्वारा देय किराये में से काट सकता है।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

530—— किसी व्यय या प्रतिकर की, जिसकी देय धनराशि यहां पर पहले वर्णित रीति से निश्चित की जा चुकी हो, वसूली के सम्बन्ध में पूर्वोक्त रूप से कार्यवाही करने के बजाय या जब ऐसी कार्यवाही असफल या अशतः सफल रही हो, तो देय धनराशि अथवा शेष धनराशि, जैसी भी स्थिति हो, सक्षम अधिकार क्षेत्र युक्त न्यायालय में उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करके बसूल की जा सकेगी।

व्यय अथवा प्रतिकर के जिले उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध उनकी वसूली का वाद प्रस्तुत किया जा सकता है।

अध्याय 22

नियंत्रण

531—— (1) राज्य सरकार किसी भी समय {निगम}[1] को यह आदेश दे सकती है कि वह उसे {निगम}[1], कार्यकारिणी समिति अथवा इस अधिनियम के अधीन निर्मित किसी अन्य समिति की किसी कार्यवाही से या {निगम}[1] के नियंत्रणाधीन किसी अभिलेख से कोई अवतरण और इस अधिनियम के प्रशासन से सम्बद्ध या संसक्त कोई आंकड़े प्रस्तुत करे ओर {निगम}[1] उसे बिना अनुचित विलम्ब के प्रस्तुत करेगीं।

राज्य सरकार का कार्यवाहियों इत्यादि से अवतरण मांगने का अधिकार

(2) राज्य सरकार किसी भी समय मुख्य नगराधिकारी को यह आदेश दे सकती है कि वह इस अधिनियम के कार्यपालिका प्रशासन से सम्बद्ध या संसक्त कोई सूचना, प्रतिवेदन, स्पष्टीकरण या आंकड़े प्रस्तुत करे और मुख्य नगराधिकारी यथास्थिति बिना अनुचित विलम्ब के उन्हें प्रस्तुत करेगा।

532—— राज्य सरकार {निगम}[1] के किसी विभाग, कार्यालय, सेवा—कार्य अथवा वस्तु का निरीक्षण अथवा परीक्षण करने और उस पर प्रतिवेदन देने के लिये किसी पदाधिकारी की प्रतिनियुक्त कर सकती है और इस प्रकार प्रतिनियुक्त पदाधिकारी ऐसे निरीक्षण अथवा परीक्षण के प्रयोजनों के लिये उन समस्त अधिकारो ंका प्रयोग कर सकता है जो धारा 531 के अधीन सरकार को प्राप्त है।

राज्य सरकार का निरीक्षण कराने का अधिकार

533—— यदि धारा 531 अथवा 532 के अधीन कोई सूचना अथवा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अथवा अन्यथा राज्य सरकार की यह राय हो कि—

राज्य सरकार के कार्यवाही करने के सम्बन्ध में निदेश देने के अधिकार

(क) इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अन्तर्गत किसी {निगम}[1] प्राधिकारी पर आरोपित किसी कर्त्तव्य का पालन नहीं किया गया है या पूर्ण, अकुशल अथवा अनुपयुक्त रीति से उसका पालन किया गया है, या

(ख) उक्त किसी कर्त्तव्य के पालन के लिये पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था नहीं की गयी है,

तो राज्य सरकार आज्ञा द्वारा {निगम}[1] अथवा मुख्य नगराधिकारी को आदेश दे सकती है कि वह उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर यथा स्थिति कर्तव्य का उचित प्रकार से पालन करने के लिये उसके संतोषानुसार प्रबन्ध करे अथवा कर्तव्य पालन करने के लिये उसके संतोषानुसार वित्तीय व्यवस्था करे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब तक ऐसे कारणों के आधार पर, जो अभिलिखित किये जायेंगे, राज्य सरकार की राय में ऐसी आज्ञा का तात्कालिक निष्पादन आवश्यक न हो, राज्य सरकार इस धारा के अधीन कोई आज्ञा देने के पूर्व {निगम}[1] को यह कारण बताने का अवसर देगी कि ऐसी आज्ञा क्यों न दी जाय।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

राज्य सरकार के चूक करने पर कार्यवाही करने के लिये किसी व्यक्ति को {निगम}[1] के खर्च से नियुक्ति करने का अधिकार

534—— (1) यदि धारा 533 के अधीन प्रसारित किसी आज्ञा द्वारा निश्चित अवधि के भीतर उस धारा के अधीन आदिष्ट कोई कार्यवाही यथावत् नहीं की गई है तो राज्य सरकार आज्ञा द्वारा—

(क) इस प्रकार आदिष्ट कार्यवाही करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है

(ख) उसे दिये जाने के लिए पारिश्रमिक निश्चित कर सकती है, और

(ग) यह आदेश दे सकती है कि ऐसा पारिश्रमिक और ऐसी कार्यवाही करने में होने वाला व्यय {निगम}[1] निधि से पूरा किया जायेगा और यदि आवश्यक हो, तो अध्याय 9 के अधीन प्राधिकृत कोई एक या एकाधिक कर लगाये जायेंगे, अथवा बढाये जायेंगे, किन्तु इस प्रकार नहीं कि वे उस भाग द्वारा विहित अधिकतम सीमा से बढ़ जायं।

(2) उपर्युक्त रूप से आदिष्ट कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिये उपधारा (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति को ऐसे संविदाओं को जो आवश्यक हो, करने का अधिकार होगा और वह इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन किसी {निगम}[1] प्राधिकारी को प्रदत्त और उपधारा (1) के अधीन प्रचारित आज्ञा में एतदर्थ निदिष्ट किसी अधिकार का प्रयोग कर सकता है तथा उसे इस अधिनियम के अधीन उसे प्रकार संरक्षण का अधिकार प्राप्त होगा मानों वह {निगम}[1] का प्राधिकारी हो।

(3) राज्य सरकार, उक्त करों में किसी कर को लगाने अथवा बढ़ाने का आदेश देने के अतिरिक्त या उसके बदले में विज्ञप्ति द्वारा यह आदेश दे सकता है कि कोई धनराशि जो उसकी राय में उसकी आज्ञाओं को प्रभावी बनाने के लिये अपेक्षित हो, ब्याज की ऐसी दर से और उक्त करों में से सभी अथवा किसी कर की प्रतिभूति पर ऋण—पत्र द्वारा भुगतान की अवधि और अन्य प्रकार की ऐसी शर्तों पर, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जाय, उधार ली जाय।

(4) धारा 156 से लेकर 170 तक के उपबन्ध जहां तक संभव होगा, इस धारा के अनुसार लिये गये ऋण पर लागू होंगे।

आपात के समय राज्य सरकार के अधिकार

535—— (1) आपात की दशा में राज्य सरकार किसी ऐसे निर्माण—कार्य के ऐसे अभिकरण द्वारा तथा ऐसी रीति से जो वह अपनी आज्ञा में नियत करे, निष्पादन की अथवा ऐसे कार्य के करने की व्यवस्था कर सकती है, जो {निगम}[1] अथवा मुख्य नगराधिकारी, {निगम}[1] या कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से अथवा उसके बिना निष्पादित करने या उस कार्य के करने का अधिकार रखती हो और उसकी राय में जिसका तात्कालिक निष्पादन अथवा किया जाना, जनता की सुरक्षा अथवा संरक्षण के लिये आवश्यक हो और यह आदेश दे सकती है कि निर्माण—कार्य को निष्पादित करने अथवा उसक कार्य को करने का व्यय तुरन्त {निगम}[1] द्वारा अदा किया जायगा।

(2) यदि उक्त व्यय उपर्युक्त प्रकार से अदा न किया जाय तो राज्य सरकार एक आज्ञा दे सकती है, जिसमें {निगम}[1] निधि को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति को ऐसी निधि में से उक्त व्यय अदा करने का आदेश दिया जायगा।

राज्य सरकार के संकल्पों की प्रतियां का प्रस्तुत किया जाना

536—— मुख्य नगराधिकारी राज्य सरकार की और राज्य सरकार यदि ऐसा आदेश दे तो विहित प्राधिकारी को {निगम}[1], कार्यकारिणी समिति, विकास समिति के और {निगम}[1] की समितियों, और संयुक्त समितियों तथा उपसमितियों के सभी संकल्पों की प्रतियां प्रस्तुत करेगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

राज्य सरकार का इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही को निलम्बित करने का अधिकार

537—— (1) यदि राज्य सरकार की यह राय है कि {निगम}[1] के अथवा {निगम}[1] के किसी अन्य प्राधिकारी अथवा किसी अन्य समिति अथवा संयुक्त समिति अथवा उपसमिति अथवा {निगम}[1] के किसी पदाधिकारी अथवा कर्मचारी के किसी संकल्प या आज्ञा के निष्पादन अथवा किसी ऐसे कार्य के करने से जो {निगम}[1] द्वारा या उसकी ओर से किया जाने वाला हो या किया जा रहा हो, इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकारों अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि का उल्लंघन होगा या उनका अतिक्रमण होगा या वह ऐसे किसी अधिकार का दुरुपयोग करके पारित किया या दिया गया है या उससे शांति भंग होने या जनता अथवा व्यक्तियों के किसी वर्ग अथवा संस्था को बाधा, क्षति अथवा परिभव पहुंचने या मानव—जीवन, स्वास्थ्य अथवा सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो या वह जनहित के प्रतिकूल हो तो राज्य सरकार लिखित आज्ञा द्वारा ऐसे संकल्प अथवा आज्ञा के निष्पादन को निलम्बित कर सकती है या ऐसे किसी कार्य किये जाने का प्रतिषेध कर सकती है।

(2) उक्त आज्ञा की एक प्रति राज्य सरकार द्वारा तुरन्त {निगम}[1] को भेज दी जायगी।

(3) राज्य सरकार किसी भी समय {निगम}[1] द्वारा अभ्यावेदन किये जाने पर अथवा अन्यथा उपधारा (1) के अधीन पारित किसी आज्ञा को पुनरीक्षित, परिष्कृत अथवा प्रतिसंहत कर सकती है।

अक्षमता, सतत चूक या अधिकारों के अतिक्रमण या दुरुप्योग की दशा में राज्य सरकार का महपालिका को विघटित करने का अधिकार

538—— (1) यदि किसी समय अभ्यावेदन किये जाने पर राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि {निगम}[1] इस अधिनियम अथवा तत्सयम प्रचलित किसी अन्य विधि द्वारा अथवा उसके अधीन उस पर आरोपित कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं है अथवा उनके पालन करने में सतत चूक करती है अथवा अपने अधिकारों का एक बार से अधिक अतिक्रमण या दुरुपयोग करती है तो राज्य सरकार {निगम}[1] को यह कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् कि क्या ऐसी आज्ञा न दी जाय, सरकारी गजट में उसके कारणों के सहित एक आज्ञा प्रकाशित करके {निगम}[1] को विघटित कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन आज्ञा की एक प्रति यथासम्भव शीघ्र उत्तर प्रदेश विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी दी जायगी।

{(3) यदि निगम उपधारा (1) के अधीन भंग कर दिया जाय तो निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न होंगे :—

(क) नगर प्रमुख, उप—नगर प्रमुख और समस्त सभासद आदेश में विनिर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक को पुनर्निर्वाचन की पात्रता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले अपने—अपने पदों को रिक्त कर देगें;

(ख) धारा 8 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन निगम के संगठन पर मुख्य नगर अधिकारी निगम और धारा 5 में उल्लिखित समितियों के भी कार्य चलाता रहेगा।}[2]

539—— (1) {***}[3]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 65 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 66 द्वारा निकाला गया।

अध्याय 23

नियम, उपविधियां तथा विनियमन

राज्य सरकार द्वारा नियमों का बनाया जाना

540—— (1) इस अधिनियम के पूर्व अध्यायों के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्रदत्त नियम बनाने के अधिकार के अतिरिक्त राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के निमित्त नियम बना सकती है तथा {निगम}[1] के पथ—प्रदर्शनार्थ इस अथवा अन्य किसी विधायन के उपबन्धों के कार्यान्वित करने से सम्बन्धित विषयों के निमित्त आदर्श नियम भी बना सकती है।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा द्वारा प्रदत्त अधिकारों में {निगम}[1] तथा उसकी समितियों के अधिवेशनों के आयेाजन को तथा ऐसे अधिवेशनों में सम्पादित किये जाने वाले कार्यों को विनियमित करने के सम्बन्ध में, जब तक कि इस अधिनियम के अन्तर्गत उस प्रयोजन के निमित्त उपविधियां न बन जायें, नियम बनाने का अधिकार भी सम्मिलित है।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य को नियम बनाने का अधिकार इस शर्त के अधीन रहते हुए होगा कि पूर्व प्रकाशन के पश्चात् ही निमय बनाये जायेंगे और जब तक वे सरकारी गजट में प्रकाशित न हो जायें तब तक प्रभावी न होंगें।

(3) राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कोई नियम सामान्यतः सभी {निगमों}[1] के लिये या विशेषतः ऐसे किसी एक या एगाधिक {निगमों}[1] के लिये हो सकता है, जो निर्दिष्ट किये जायें।

(4) {***}[2]

किन प्रयोजनों के लिये उपविधियां बनायी जायेगी

541—— {निगम}[1] समय—समय पर निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में ऐसी उपविधियां बना सकती है, जो इस अधिनियम और नियमों से असंगत न हों, अर्थात् ———

(1) ऐसे किसी विवरण के सम्बन्ध में जिसके लिये इस अधिनियम या नियमों में विशेष रूप से व्यवस्था न की गई हो, नालियों, संबीजन छड़ों या पाइपों, नलकूपों, नाबदानों, संडासों, शौचालयों, मूत्रालयों, धुलाई—गृहों, प्रत्येक प्रकार के जलोत्सारण निर्माण—कार्यों चाहे वे {निगम}[1] के हों अथवा अन्य व्यक्तियों के, {निगम}[1] जलकलों, निजी संचार पाइपों, निजी सड़कों ओर सार्वजनिक सड़कों का निर्माण, संधारण रक्षा, धुलाई, सफाई और नियंत्रण को विनियमित करना,

(2) जल—संभरण और उसके उपयोग से सम्बद्ध सभी विषयों को निनियमित करना,

(3) सार्वजनिक तथा निजी गाड़ी के अड्डों के संधारण, निरीक्षण और प्रयोग को तथा उनमें से ऐसे अड्डों के प्रयोग के लिये, जो {निगम}[1] की हों, शुल्क लाने का कार्य विनियमित करना,

(4) धारा 316 ओर 317 के अधीन नोटिस का प्रपत्र और विभिन्न श्रेणी के निर्माण— कार्यों के ढांचों के संबंध में प्रस्तुत किये जाने वाला सूचना आलेख्यों तथा नक्शों एवं ऐसी रीति, जिससे वे व्यक्ति, जिनके द्वारा नोटिसों पर हस्ताक्षर किये जायेंगे तथा वह रीति जिससे नक्शा, खंड—विवरण, संरचना संबंधी रेखाचित्र या संरचना संरचना संबंधी गणनायें क्रमशः बनाये, दिये, तैयार किये और हस्ताक्षरित किये जायेंगे, विहित करना,

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 67 द्वारा निकाला गया।

(5) वह रीति, निरीक्षण, अभिकरण, शर्तें एवं निर्बन्धन विनियमित करना, क्रमशः जिससे, जिसके अन्तर्गत, जिसके द्वारा और उनके अधीन विशेष श्रेणियों के भवनों के निर्माण अथवा पुनर्निर्माण का कार्य अथवा धारा 317 में वर्णित कोई कार्य किया जायगा,

(6) सुदृढ़ बनाने और अग्निकांड से बचाव तथा आग लगने की दशा में गृहवासियों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के प्रयोजनार्थ या तो समाान्यतः या निर्माण–कार्य के प्रकार और उसके अभिप्रेत प्रयोग की दृष्टि से दीवालों, नीवों, छतों और चिमनियों का ढांचा, जीनो की संख्या, चौड़ाई और स्थिति, बरामदों और रास्तों की चौड़ाई, फर्श, सीढ़ियों और छोटे–छोटे सभी दुकड़ों, गार्डरों, खम्भों तथा भवन स्तम्भों की सामग्री, आकार और मजबूती,

(7) कार्य करने वालों और सामान्य जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के निमित भवन–निर्माण के प्रयोजनार्थ पाढ़ों का निर्माण,

(8) भवनों के पर्याप्त संजीवन के लिये वायु के निर्वाध संचार तथा अन्य साधनों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भवनों के निकट पर्याप्त खुली जगह– चाहे वह बाहर जो या भीतर–की व्यवस्था करना तथा उसका संधारण,

(9) भवनों में पहुंचने के लिये उपयुक्त साधनों की व्यवस्था और उनका संधारण तथा उनमें अतिक्रमण का निवारण :

(10) हपथों और सेवा मार्गों की व्यवस्था और उनका संधारण,

(11) उन शर्तों को विनियमित करना, जिनके अधीन ढांचे के भवन बनाये जा सकते हैं,

(12) भवन–निर्माण स्थल के रूप में भूमि के प्रयोग को विनियमित करना, ऐसे स्थलों का न्यूनतम आकार– सामान्यतः अथवा निर्दिष्ट क्षेत्रों के लिये विहित करना–और निर्दिष्ट स्थानों में, निर्दिष्ट सड़कों या सड़कों की श्रेणियों पर सभी या विशेष श्रेणियों के भवनों के लिये यह विहित करना कि सड़क के पार्श्व से वे कितने पीछे रहेंगे,

(13) सामान्यतः अथवा उन सामानों की दृष्टि से, जिससे वे बनाये जायं या उन सड़कों की चौडाई की दृष्टि से, जिनकी ओर उनका सामने का भाग पड़ता हो, अथवा उन क्षेत्रों की दृष्टि से, जिनमें वे स्थित हों या उस प्रयोजन की दृष्टि से, जिसके लिये उनका प्रयोग अभिप्रेत हो, ढांचों की ऊंचाई को विनियमित करना,

(14) भूमि के ऊपर, या अगली निचली मंजिल के ऊपर भवन में बनाये जाने वाले मंजिलों की संख्या और ऊंचाई को विनियमित करना,

(15) धारा 329 के अधीन अपेक्षित समाप्ति के प्रमाण–पत्रों का प्रपत्र, वह रीति जिससे तथा वह व्यक्ति जिसके द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जायगा, विहित करना,

(16) कालान्तरों, जिन पर, रीति जिससे तथा व्यक्ति जिनके द्वारा धारा 330 के अधीन भवन का समय–समय पर निरीक्षण किया जायगा, विनियमित करना,

(17) {निगम}[1] में निहित तथा समाज के निर्धन वर्गों के लिए अभिप्रेत निवास गृहों के प्रबन्ध, संधारण, नियंत्रण तथा प्रयोग को विनियमित करना,

(18) अनुज्ञप्त भू–मापकों, वास्तुशास्त्रियों, अभियंताओं, ढांचा–निर्माताओं, निर्माण– लिपिकों और नल–मिस्त्रियों के लिए अर्हतायें और अनुभव विहित करना,

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(19) किसी ऐसे विवरण की दृष्टि से जिसकी इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से व्यवस्था न की गई हो, सफाई–संरक्षण और स्वच्छता का और कृन्तकों तथा अन्न को नुकसान पहुंचाने वाले अन्य कीड़े–मकोड़ों के विनाश मच्छरों, मक्खियों तथा अन्य कृमियों के विरुद्ध रोकथाम तथा औपचारिक उपायों को विनियमन,

(20) धारा 438 में उल्लिखित किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त सभी भू–गृहादि और उस पर किये जाने वाले सभी व्यापारों और उत्पादनों का नियंत्रण तथा निरीक्षण तथा ऐसे किसी भू–गृहादि के निर्माण, आकार, संवीजन, प्रकाश, सफाई, जलोत्सारण तथा जल–संभरण को विहित तथा विनियमित करना,

(21) दूध देने वाले पशुओं का निरीक्षण तथा पशुशालाओं और दुग्धशालाओं के निर्माण, आकार, संजीवन, प्रकाश, सफाई जलोत्सारण तथा जल–सम्भरण को विहित और विनियमित करना,

(22) दूध के भण्डारों, दूध की दुकानों तथा ग्वालों या दूध बेचने वालों द्वारा दूध रखने के प्रयोजनार्थ प्रयोग किये जाने वाले दुग्ध–भांडों की स्वच्छता को सुनिश्चित करना,

(23) नगर में दूध की बिक्री को विनियमित करना, दूध को दूषित होने से बचाना और दूषित दूध की बिक्री की रोक–थाम करना,

(24) जब दूध देने वाला कोई पशु किसी सांसर्गिक रोग से ग्रसत हो जाय तो उस दशा में नोटिस दिये जाने का आदेश देना तथा दूध देने वाले पशुओं और दूध को संक्रमित या दूषित होने से बचाने के लिये पूर्वोपाय विहित करना,

(25) पशुओं में ऐसी बीमारी के फैलने की दशा में, मनुष्यों को भी लग सकती है, किये जाने वाले उपायों तथा ऐसी सूचनायें देने के कार्यों को विनियमित करना, जो उन उपायों के सम्पन्न करने में सुविधा प्रदान करें,

(26) बाजारों, वधशालाओं और ऐसी दुकानों के कुशल निरीक्षण को सुनिश्चित करना, जिसमें मानव–भोजन के लिए अभिप्रेत वस्तुयें रखी या बेची जाती हों,

(27) नगर के भीतर या नगर के बाहर किसी {निगम}[1] वधशाला में कारबार करने वलो कसाइयों का नियंत्रण और पर्यवेक्षण,

(28) {निगम}[1] बाजार के किसी भवन, बाजार–स्थल या वधशाला या उसके किसी भाग के प्रयोग को विनियमित करना,

(29) बाजारों और बधशालाओं की सफाई की स्थिति को नियंत्रित ओश्र विनियमित करना और उसमें निर्दयता के प्रयोग का निवारण करना,

(30) धारा 183 के अधीन कर–निर्धारण से मुक्त ठेलों से भिन्न हाथ से चलाये जाने वाले ठेलों को अनुज्ञप्त करना और ऐसे किसी ठेले का अभिग्रहण करना और उसे निरुद्ध करना, जो यथावत् अनुज्ञप्त न हो,

(31) किसी ऐसे संक्रामक रोग, महामारी या स्थानिक प्रकार के ऐसे रोगों की घटनाओं के संबंध में जो भयानक न हों, ऐसा नोटिस दिये जाने का आदेश देना जो निर्दिष्ट किया जाय तथा किसी ऐसे रोग से ग्रस्त व्यक्ति या उस व्यक्ति द्वारा जिसे ऐसे रोग के संक्रमण की आशंका हो सकती हो, किये जाने वाले पूर्वोपायों को विहित करना,

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(32) समाज के विभिन्न वर्गों की धार्मिक प्रथाओं का उचित ध्यान रखते हुए मृतों के निस्तारण को तथा मृतकों के निस्तारण के समस्त स्थानों का अच्छी, स्वच्छ तथा सुरक्षित दशा में संधारित किया जाना, विनियमित करना,

(33) मृत पशुओं के शरीरों से चमड़ा निकालने और उन्हें काटने के निमित्त किसी स्थान के प्रयोग को विनियमित करना,

(34) जन्म और मरण के पूर्ण और यथार्थ पंजीयन को सुविधाजनक बनाना और सुनिश्चित करना,

(35) विवाहों का पंजीयन,

(36) {निगम}[1] में निहित या उसके नियंत्रण के अधीनस्थ सार्वजनिक बाजारों, उद्यानों, मोटर गाड़ी इत्यादि खडा करने के सार्वजनिक स्थानों तथा खुले मैदानों की क्षति या दुरुपयोग से रक्षा करना उनके प्रबन्ध ओर उस रीति को विनियमित करना, जिससे वे जनता द्वारा प्रयुक्त किये जा सकते हों तथा वहां के लोगों के उचित व्यवहार की व्यवस्था करना,

(38) चिथड़ों हड़ियों या पुराने कपड़ों, बिस्तरों तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं के व्यापार को विनियमित करना, जिसके अन्तर्गत किसी ऐसी वस्तु के आयात के समय या उसके अन्तर्गत किसी ऐसी वस्तु के आयात के समय या उसके हटाये जाने, बिक्री या बिक्री के लिये प्रदर्शित किये जाने या किसी उत्पादन–क्रिया में प्रयोग किये जाने के पूर्व उसे कीट शोधित करने के उपाय भी सम्मिलित हैं,

(39) नगर में मेलों के आयोजन और औद्योगिक प्रदर्शनियों को विनियमित करना,

(40) नगर के किसी निर्दिष्ट भाग में ज्वलन–शील वस्तुए एकत्रित करना और आग जलाने को विनियमित और प्रतिषद्ध करना,

(41) इस अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन अनुज्ञप्ति, स्वीकृति अथवा अनुज्ञा प्रदान करने के लिये शुल्क निश्चित करना,

(42) किसी {निगम}[1] प्राधिकारी द्वारा की गई सेवाओं के लिए शुल्क विनियमित करना,

(43) {निगम}[1] के अस्पतालों, औषधालयों, आरोग्यशालाओं गृहों और इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं मे ंजनता के प्रवेश और जनता द्वारा उनके प्रयोग को और उसके संबंध में लिये जाने वाले शुल्क को विनियमित करना,

(44) {निगम}[1] की सम्पत्ति की रक्षा,

(45) {निगम}[1] –अभिलेखों का जनता द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण और ऐसे निरीक्षण की अनुमति देने के पूर्व लिये जाने शुल्कों का विनियम,

(46) {निगम}[1] –अभिलेखों से उद्धरणों की प्रमाणित प्रतिलिपियों या उ़द्धरण दिये जाने और उनके लिये लिये जाने वाले शुल्कों को विनियमित करना,

(47) नगर में भवनों ओर भूमियों के ऐसे स्वामियों द्वारा जो, उस नगर में निवास करते हों इस अधिनियम या नियमों, विनियामें या उपविधियों के सभी या किसी प्रयेाजन के लिए स्वामी की ओर से कार्य करने के निर्मित उक्त नगर में या उसके निकट रहने वाले अभिकर्ताओं की नियुक्ति को विनियमित करना,

(48) विज्ञापनों का प्रतिषेध तथा विनियमन, और

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

{(48—क) मिट्टी के बर्तन बनाने के व्यवसाय में परम्परागत रूप से जुड़े हुये व्यक्तियों को भूमि के आवंटन के लिये व्यवस्था और रीति,

स्पष्टीकरण— किसी व्यक्ति को ऐसे व्यवसाय में परम्परागत रूप से जुड़ा हुआ समझा जायगा यदि वह व्यक्तियों के ऐसे वर्ग का हो, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किया जाय।}[2]

प

(49) सामान्यता इस अधिनियम के उपबन्धों और अभिप्रायों को कार्यान्वित करना।

542—— मुख्य नगराधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह समय—समय पर {निगम}[1] के समक्ष विचारार्थ किसी ऐसी उपविधि का पांडुलेख रखे, जिसे वह इस अधिनियम के किसी प्रयोजनों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक और वांछनीय समझे।

मुख्य नगराधिकारी उप—विधियों के पांडुलेख को {निगम}[1] के समक्ष विचारार्थ रखेगा

543—— {निगम}[1] द्वारा कोई भी उपविधि न बनायी जायगी, जब तक कि ——

प्रस्तावित उपविधियों के संबंध में की गई आपत्तियों की {निगम}[1] द्वारा सुनवाई

(क) नोटिस में निर्दिष्ट किए जाने वाले दिनांक को या उसके पश्चात् ऐसी उपविधि पर विचार किये जाने के {निगम}[1] के अभिप्रयाय का नोटिस, उक्त दिनांक के पूर्व, सरकारी गजट और {निगम}[1] की बुलेटिन, यदि कोई हो, में न दे दिया गया हो,

(ख) ऐसी उपविधि की एक मुद्रित प्रति {निगम}[1] के मुख्य कार्यालय में न रख दी गई हो ओर किसी व्यक्ति द्वारा जो खण्ड (क) के अधीन दिये गये नोटिस के दिनांक के बाद किसी उचित समय में उसे पढ़ना चाहता हो, सार्वजनिक रूप से निःशुल्क निरीक्षण किये जाने लिए उपलब्ध न करा दी गई हो।

(ग) ऐसी उपविधि की मुद्रित प्रतियां किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे उसकी आवश्यकता हो, प्रत्येक प्रति के लिए ऐसा शुल्क भुगतान करने पर, जो मुख्य नगराधिकारी द्वारा निश्चित किया जायगा, न दे दी गई हो।

(घ) खण्ड (क) के अधीन दिये गये नोटिस के दिनांक के पूर्व उस उपविधि के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा की गयी सभी लिखित आपत्तियों और सुझावों के संबंध में {निगम}[1] ने विचार न कर लिया हो।

{544—— धारा 541 के अधीन बनाई गई किसी उपविधियां सरकारी गजट में प्रकाशित की जायेगी।}[3]

उपविधियों को प्रकाशित किया जाना

545—— (1) मुख्य नगराधिकारी समय—समय पर प्रचलित सभी उपविधियों को मुद्रित करायेगा और उनकी मुद्रित प्रतियां किसी भी व्यक्ति को जिसे उनकी आवश्यकता हो, प्रत्येक प्रति के लिये ऐसा शुल्क देने पर, जिसे मुख्य नगराधिकारी निश्चित करे, दिलायेगा।

उपविधि की मुद्रित प्रतियां बिक्री के लिये रखी जायगी।

(2) तत्समय प्रचलित उपविधियों की मुद्रित प्रतियां सर्वसाधारण के निरीक्षणार्थ {निगम}[1] के कार्यालय के ऐसे भाग में, जहां सर्वसाधारण को आने—जाने का अधिकार हो तथा सार्वजनिक आश्रय—स्थान, बाजार, वधशालायें या उससे प्रभावित होने वाले अन्य निर्माण—कार्य या स्थान जैसे अन्य स्थानों में, यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे, रखी जायेंगी और मुख्य नगराधिकारी उक्त प्रतियों के स्थान पर समय—समय पर नई प्रतियां रखेगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 26 वर्ष 1995 के अध्याय—दो की धारा 20 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उपर्युक्त की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित।

{निगम}[1] द्वारा उप विधियों का परिष्कार और खंडन

546—— (1) {निगम}[1] अपनी बनाई हुई किसी उपविधि को परिष्कृत या खंडित कर सकती है।

(2) धारा 542, 543 और 544 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित उपधारा (1) के अधीन उपविधि के परिष्कार या खंडन पर लागू होंगे।

राज्य सरकार उपविधियों को परिष्कृत या निरस्त कर सकती है।

547—— (1) यदि राज्य सरकार को किसी भी समय यह प्रतीत हो कि किसी उपविधि को पूर्णतः या अंशतः परिष्कृत या निरस्त किया जाना चाहिये, तो वह अपने ऐसे मत के कारण {निगम}[1] को सूचित करेगा और एक उपयुक्त अवधि विहित करेगी।

(2) ऐसे किसी अभ्यावेदन के प्रापत होने और उस पर विचार करने के पश्चात् या यदि उस समय के भीतर कोई अभ्यावेदन प्राप्त न हुआ हो तो विहित अवधि के समाप्त होने के पश्चात् राज्य सरकार किसी भी समय सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा उक्त उपविधि को पूर्णतः या अंशतः परिष्कृत या निरस्त कर सकती है।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी उपविधि का परिष्कार या निरसन उस दिनांक से, जिसे राज्य सरकार उक्त विज्ञप्ति में निर्दिष्ट करे या यदि कोई ऐसा दिनांक निर्दिष्ट न किया जाय तो विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने दिनांक से प्रभावी होगा, सिवाय किसी ऐसी बात के संबंध में, जो उक्त दिनांक के पूर्व की गयी हो, करने दी गयी हो, या न की गयी हो।

(4) उक्त विज्ञप्ति {निगम}[1] की बुलेटिन में भी, यदि कोई हो, प्रकाशित की जायगी।

विनियम

548—— (1) कार्यकारणी समिति समय—समय पर निम्नलिखित विनियम के संबंध में ऐसे विनियम बनायेगी, जो इस आधिनियम और नियमों तथा उपविधियों से असंगत न हो, किन्तु जो {निगम}[1] द्वारा पारित किसी संकल्प के अनुकूल हों—

(क) किसी ऐसे {निगम}[1] पदाधिकारी या कर्मचारी द्वारा, जिससे प्रतिभूत मांगना इष्टकर समझा जाय, दी जाने वली प्रतिभूमि की धनराशि और उसका प्रकार निश्चित करना,

(ख) {निगम}[1] पदाधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी का दिया जाना विनियमित करना,

(ग) उक्त किन्हीं पदाधिकारियों और कर्मचारियों के छुट्टी पर अनुपस्थित रहने की अवधि में उनके स्थान पर कार्य के लिये नियुक्त किये गये व्यक्तियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक निर्धारित करना,

(घ) उक्त पदाधिकारियों और कर्मचारियों को यात्रा का सवारी भत्ते के भुगतान को प्राधिकृत करना,

(ङ) उक्त सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की अवधि विनियमित करना,

(च) उन शर्तों को, जिनके अधीन उक्त पदाधिकारी और कर्मचारी या उनमें से कोई भी पदाधिकारी या कर्मचारी सेवा—निवृत्त या सेवा—मुक्त होने पर, निवृत्ति—वेतन, उपदान या कारुण्य अधिदेय प्राप्त करेगा और जिसके अधीन उत्तरजीवी पति/पत्नी और बच्चे तथा उत्तरजीवी पति/पत्नी और बच्चों की अनुपस्थिति में, उक्त पदाधिकारियों और कर्मचारियों में से किसी पदाधिकारी या कर्मचारी पर आश्रित उनके माता—पिता, भाई और बहन, यदि कोई हों, उनकी मुत्यु के पश्चात् कारुण्य अधिदेय प्राप्त करेंगे ओर ऐसे निवृत्ति—वेतन, उपदान या कारुण्य अधिदेय की धनराशि निर्धारित करना,

---

1 उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(छ) कतिपय विहित दरों से तथा कतिपय विहित शर्तों के अधीन रहते हुए किसी ऐसे निवृत्ति—वेतन या भविष्य—निधि में, जो कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से उक्त पदाधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा स्थापित की जाय या ऐसी भविष्य—निधि में, यदि कोई हो, जो {निगम}[1] द्वारा उक्त पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लाभार्थ स्थापित की जाय, अंशदानों के भुगतान को प्राधिकृत करना,

(ज) वे शर्तें जिनके अधीन और वह प्राधिकारी, जिसके द्वारा किसी पदाधिकारी या कर्मचारी को जब वह कर्तव्यरत हो या छुट्टी पर हो, किसी व्यक्ति या निजी संस्था या किसी सार्वजनिक संस्था, जिसके अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकारी भी सम्मिलित हैं, के लिये या सरकार के लिये कोई निर्दिष्ट सेवा या श्रेणीबद्ध सेवायें सम्पादित करने और उसके लिये पारिश्रमिक प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है, विहित करना,

(झ) सामान्यतया उक्त पदाधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की किन्हीं अन्य शर्तों को विहित करना,

(2) कार्यकारिणी समिति, समय—समय पर निम्नलिखित के संबंध में ऐसे विनियम भी बना सकती है, जो इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों से असंगत न हो—

(क) मनुष्यों के रहने के प्रयोजनार्थ भवनों की उपयुक्तता के स्तरों को निर्धारित करना,

(ख) उन व्ययों की घोषणा को विनियमित करना, जो किसी भवन या भूमि के लिये संभरित किये गये सामानों या संधायनों, अथवा उसमें, उस पर या उसके संबंध में संपादित किये गये निर्माण—कार्य या किये गये काम के सम्बन्ध में मुख्य नगराधिकारी द्वारा इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अधीन किये गये हों और जो विकास व्यय के रूप में उसके स्वामी या अध्यासी से वसूल किये जा सकते हों,

(ग) धारा 335 के अधीन प्रचलित घोषणा—पत्र में निर्दिष्ट किन्हीं सड़कों, सड़कों के भाग या स्थानों में विशेष प्रयोजनों के हेतु अभिप्रेत दुकानों, गोदामों, फैक्टरियों, कुटियों, अथवा भवनों के निर्माण के लिये मुख्य नगराधिकारी द्वारा दी जाने वाली अनुमति को विनियमित करना,

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन कोई भी विनियम तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि उसकी पुष्टि {निगम}[1] द्वारा न कर दी गई हो और यदि वह उपधारा (1) में खंड (ज) के अधीन बनाया गया हो तो जब तक कि उसकी पुष्टि राज्य सरकार द्वारा भी न कर दी गई हो और दोनों दशाओं में जब तक कि वह सरकारी गजट में प्रकाशित न कर दिया गया हो।

(4) {निगम}[1] या राज्य सरकार उपधारा (3) के अधीन उसके समक्ष रखे गए किसी विनियम को पुष्ट करने से इन्कार कर सकती है या उसे परिष्कार रहित अथवा ऐसे परिष्कार के साथ, जिसे वह उचित समझे, पुष्ट कर सकती है।

राज्य सरकार का उपविधियां तथा विनियम बनाने का अधिकार

549—— (1) यदि धारा 541 में निर्दिष्ट किन्हीं विषयों के संबंध में {निगम}[1] ने कोई उपविधियां न बनाई हो या यदि {निगम}[1] द्वारा बनाई गई उपविधियां, राज्य सरकार की राय में, पर्याप्त न हों तो राज्य सरकार ऐसे विषय की व्यवस्था करने के लिए उसी सीमा तक उपविधियां बना सकती है, जिसे वह उपयुक्त समझे।

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) शब्द "{निगम}[1]" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार" रख कर धारा 543 के उपबन्ध इस धारा के अधीन उपविधियां बनाने के संबंध में लागू होंगे और उपविधियों के सरकारी गजट में प्रकाशित होने पर उनका विधि का सा प्रभाव होगा।

(3) यदि इस धारा के अधीन बनाई गई किसी उपविधि का कोई उपबन्ध, {निगम}[1] द्वारा बनाई गई उपविधि के किसी उपबन्ध के प्रतिकूल हो तो इस धारा के अधीन बनाई गई उपविधि प्रभावी होगी और धारा 541 के अधीन बनाई गई उपविधि, उसकी प्रतिकूलता की सीमा तक शून्य होगी।

(4) राज्य सरकार, यदि वह उचित समझे, सरकारी गजट में प्रकाशन द्वारा धारा 548 की उपधारा (1) के खंड (च) में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में इस अधिनियम और नियमों तथा उपविधियों के अनुकूल विनियम बना सकती है।

नियमो उपविधियां अथवा विनियमों की अवहेलना करने का दंड

550—— नियम, उपविधियां अथवा विनियम बनाते समय यथास्थिति {निगम}[1] अथवा कार्यकारिणी समिति या राज्य सरकार इस बात की व्यवस्था कर सकती है कि उसकी अवहेलना करने के लिये सिद्धदोष होने पर अपराधी पर ——

(क) जुर्माना किया जायेगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है और निरन्तर अवहेलना की दशा में ऐसा जुर्माना किया जायेगा जो प्रथम अवहेलना की दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसमें अवहेलना जारी रखी गयी हो, बीस रुपये तक हो सकता है,

(ख) मुख्य नगराधिकारी अथवा अवहेलना को रोकने के लिये तदर्थ यथावत् प्राधिकृत किसी {निगम}[1] पदाधिकारी से लिखित नोटिस प्राप्त होने पर जुर्माना किया जायगा, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसमें अवहेलना जारी रखी गयी हो, बीस रुपये तक हो सकता है,

(ग) उक्त जुर्माना किये जाने के साथ—साथ उसे यह भी आदेश दिया जायाग कि वह दूषण का यथाशक्ति परिहार करे।

अध्याय 24
विविध

सार्वजनिक नोटिस तथा विज्ञापन

सार्वजनक नोटियों का प्रचार कैसे किया जायगा

551—— जब कभी इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन यह व्यवस्था हो कि किसी बात के संबंध में सार्वजनिक नोटिस दिया जाय अथवा दिया जा सकता हो, तो ऐसी सार्वजनिक नोटिस, जब तक इसके प्रतिकूल कोई विशेष उपबन्ध न हो, लिखित रूप में होगा और उस पर मुख्य नगराधिकारी अथवा उसे देने के लिये इस अधिनियम के अधीन अधिकृत किसी मुख्य नगराधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, तथा उससे प्रभावित होने वाले स्थानों में उसका व्यापक प्रचार कि जायगा। यह प्रचार उक्त स्थान की प्रमुख सार्वजनिक जगहों पर नोटिस की प्रतियां चिपकाकर अथवा डुग्गी पिटवाकर, अथवा स्थानीय सामाचार—पत्रों में उसका विज्ञापन देकर अथवा {निगम}[1] के बुलेटिन में उसे प्रकाशित करा कर, अथवा इनमें से किन्हीं दो या दो से अधिक साधनों द्वारा अथवा अन्य किन्हीं साधनों द्वारा जिन्हें मुख्य नगराधिकारी उचित समझे, किया जायगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

552—— जब कभी इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन यह व्यवस्था हो कि नोटिस स्थानीय समाचार—पत्रों में विज्ञापन द्वारा दिया जायगा अथवा कि कोई विज्ञप्ति अथवा सूचना स्थानीय समाचार—पत्रों में प्रकाशित की जायगी, तो यदि व्यावहारिक हो, ऐसी नोटिस विज्ञप्ति अथवा सूचना नगर में प्रकाशित की जायगी, तो यदि व्यावहारिक हो, ऐसी नोटिस, विज्ञप्ति अथवा सूचना नगर में प्रकाशित होने वाले अथवा नगर में आने वाले कम से कम दो समाचार—पत्रों में ऐसी भाषा अथवा भाषाओं में विज्ञप्ति की जायेगी, जिन्हें {निगम}[1] समय—समय पर एतदर्थ निर्दिष्ट करें : विज्ञापन किस प्रकार किया जायगा

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि {निगम}[1] अथवा कोई बुलेटिन निकालती है, तो {निगम}[1] के बुलेटिन के दो लगातार प्रकाशित अंकों में उक्त नोटिस का प्रकाशन इस धारा के प्रयोजनों के लिये प्रर्याप्त समझा जायेगा।

553—— (1) जब कभी इस अधिनियम, किसी नियम, उपनियम विनियम अथवा आज्ञा के अधीन किसी कार्य का करना, न करना अथवा किसी कार्य की वैधता —— {निगम}[1] आदि द्वारा लिखित लेख्यों में सहमति आदि का दिया जाना

(क) {निगम}[1], कार्यकारिणी समिति अथवा अन्य किसी समिति, या

(ख) मुख्य नगराधिकारी अथवा किसी {निगम}[1] पदाधिकारी, की सम्मति, स्वीकृति, अनुमोदन, सहमति, पुष्टीकरण, घोषणा, राय अथवा समाधान पर निर्भर करती हो तो उपधारा (2) में उपबंधित रीति से हस्ताक्षर किया हुआ कोई लिखित लेख्य जिसका उद्देश्य ऐसी सम्मति, स्वीकृति, अनुमोदन, सहमति, पुष्टीकरण, घोषणा, राय या समाधान को ज्ञापित करना अथवा उसकी सूचना देना हो, ऐसी सम्मति, स्वीकृति, अनुमोदन, सहमति, पुष्टीकरण, घोषणा, राय या समाधान का पर्याप्त साक्ष्य होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट लिखित पर जब तक कि इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन अन्यथा व्यवस्था न की गई हो।

(क) यदि सम्बद्ध प्राधिकारी, {निगम}[1] , कार्यकारिणी समिति अथवा अन्य कोई समिति हो तो, ऐसे प्राधिकारी की ओर से मुख्य नगराधिकारी,

(ख) यदि संबद्ध प्राधिकारी, मुख्य नगराधिकारी अथवा कोई {निगम}[1] पदाधिकारी हो तो, यथास्थिति, मुख्य नगराधिकारी अथवा ऐसा {निगम} पदाधिकारी, हस्ताक्षर करेंगे।

नोटिसों आदि की तामील

554—— (1) नोटिस, बिल, अनुसूचियां आंह्वान तथा अन्य ऐसे ही लेख्य, जिन्हें इस अधिनियम अथवा अन्य किसी विनियम या उपविधि द्वारा किसी व्यक्ति पर तामील करना, उसके लिये जारी करना, उसे प्रस्तुत करना अथवा देना अपेक्षित हो, {निगम}[1] पदाधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा अथवा ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा जिन्हें मुख्य नगराधिकारी एतदर्थ प्राधिकृत करें, तामील किये जायेंगे, जारी किये जायेंगे, प्रस्तुत किये जायेंगे अथवा दिये जायेंगे। नोटिस और उनकी तामील

(2) यदि इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम या उपविधि द्वारा किसी नोटिस, बिल, अनुसूची, आह्मान अथवा ऐसे अन्य लेख्य का किसी व्यक्ति पर तामील किया जाना, जारी किया जाना, उसे प्रस्तुत किया जाना अथवा दिया जाना अपेक्षित हो, तो ऐसी तामील, जारी किया जाना, उसे प्रस्तुत किया जाना अथवा दिया जाना उन दशाओं को छोड़ कर जिनके लिये उपधारा (3) में अन्यथा स्पष्ट व्यवस्था की गई हो, निम्नलिखित प्रकार से कार्यान्वित किया जायगा —

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) उक्त नोटिस, बिल, अनुसूची आह्मान अथवा अन्य लेख्य उक्त व्यक्ति को देकर अथवा प्रस्तुत करके,

(ख) उक्त व्यक्ति के न मिलने पर, उक्त नोटिस, बिल, अनुसूची, आह्ान अथवा अन्य लेख्य को नगर में उस व्यक्ति के अंतिम ज्ञात निवास–स्थान पर छोड़ कर, अथवा उसके परिवार के किसी व्यस्क सदस्य अथवा नौकर को देकर अथवा प्रस्तुत करके, अथवा उसके कारबार के समाान्य स्थान पर, यदि कोई हो, छोड़कर अथवा ऐसे स्थान में उसके किसी व्यस्क कर्मचारी, यदि कोई हो, को देकर अथवा प्रस्तुत करके, अथवा,

(ग) यदि उक्त व्यक्ति नगर में निवास न करता हो और यदि उसके अन्य स्थान का पता मुख्य नगराधिकारी को ज्ञात हो, तो उक्त नोटिस, बिल, अनुसूची आह्ान अथव अन्य लेख्य ऐसे लिफाफे में रख कर जिस पर उसका उक्त पता लिखा हो, डाक द्वारा भेज कर, अथवा

(घ) यदि उपर्युक्त कोई भी साधन उपलब्ध न हों तो उक्त नोटिस, बिल, अनुसूची आह्ान अथवा अन्य लेख्य को उससे सम्बद्ध भवन अथवा भूमि, यदि कोई हो, के किसी प्रमुख स्थान पर चिपकवा कर।

(3) यदि इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम या उपविधि द्वारा किसी नोटिस, बिल, अनुसूची आहान अथवा अन्य ऐसे ही लेख्य को किसी भवन अथवा भूमि के स्वामी अथवा अध्यासी पर तामील करना, जारी करना अथवा उसे प्रस्तुत करना अपेक्षित हो तो उसमें स्वामी अथवा अध्यासी का नाम लिखना आवश्यक न होगा तथा उसकी तामील, उसका जारी किया जाना अथवा उसका प्रस्तुत किया जाना अंतिम पूर्ववर्ती उपधारा के अनुसार कार्यान्वित न किया जाकर निम्नलिखित प्रकार से कार्यान्वित किया जायेगा, अर्थात्–

(क) उक्त नोटिस, बिल, अनुसूची, आहान अथवा अन्य लेख्य को स्वामी अथवा अध्यासी को देकर अथवा उसे प्रस्तुत करके अथवा यदि स्वामी अथवा अध्यासी एक से अधिक हों तो ऐसे भवन अथवा भूमि के किसी भी एक स्वामी अथवा अध्यासी को देकर अथवा प्रस्तुत करके, अथवा

(ख) यदि स्वामी अथवा अध्यासी अथवा स्वामियों या अध्यासियों में से कोई भी स्वामी अथवा अध्यासी न मिले तो उक्त नोटिस, बिल, अनुसूची आहान अथवा अन्य लेख्य को स्वामी या अध्यासी के परिवार के अथवा स्वामियों या अध्यासियों में से किसी स्वामी या अध्यासी के परिवार के किसी वयस्क सदस्य अथवा नौकर को देकर या उसे प्रस्तुत करके, अथवा

(गं) यदि पूर्वोक्त कोई भी साधन उपलब्ध न हो तो उक्त नोटिस, बिल, अनूसूची आहान अथवा अन्य कोई ऐसा ही लेख्य तामील किया जाना हो, अवयस्क हो तो उसके अभिभावक अथवा उसके परिवार के किसी प्रमुख स्थान पर चिपकवा कर।

(4) यदि वह शक्ति, जिस पर कोई नोटिस, बिल, अनुसूची आहान अथवा अन्य कोई ऐसा ही लेख्य तामील किया जाना हो, अवयस्क हो तो उसके अभिभावक अथवा उसके परिवार के किसी व्यस्क पुरुष सदस्य अथवा नौकर पर उसका तामील किया जाना ही उस अवयस्क पर उसकी तामील समझी जायगी।

(5) इस धारा की कोई बात इस अधिनियम के अधीन किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये गये आहान पर लागू न होगी।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

555—— (1) प्रत्येक अनुज्ञप्ति, लिखित अनुमति, नोटिस, बिल, अनुसूची आह्‌वान या अन्य लेख्य, जिन पर इस अधिनियम आर्थिक किसी नियम, विनियम, उपविधि द्वारा मुख्य नगराधिकारी अथवा अन्य किसी {निगम}[1] पदाधिकारी के हस्ताक्षर होने आवश्यक हो, यथोचित रूप से हस्ताक्षरित समझा जायगा, यदि उस पर यथास्थिति मुख्य नगराधिकारी अथवा ऐसे {निगम}[1] पदाधिकारी के हस्ताक्षर की अनुलिपि मुद्रांकित हो। नोटिस आदि पर हस्ताक्षर मुद्रांकित किये जा सकते हैं

(2) इस धारा की कोई बात इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन {निगम}[1] निधि के नाम काटे गये चैक अथवा किसी संविदापत्र पर लागू नहीं समझी जायगी।

556—— (1) किसी नोटिस, बिल, अनुसूची, आह्‌वान अथवा अन्य ऐसे लेख्य को किसी व्यक्ति पर तामिल करने, जारी किये जाने, प्रस्तुत करने या दिये जाने के कार्य को सुगम बनाने के लिए मुख्य नगराधिकारी किसी भी भू—गृहादि अथवा उसके किसी भाग के स्वामी अथवा अध्यासी को लिखित नोटिस द्वारा लिखित रूप में यह प्राक्कथन करने का आदेश दे सकता है कि वह ऐसी अवधि के भीतर जिसे मुख्य नगराधिकारी नोटिस में निर्दिष्ट करे यह बताये कि उसमें उसके स्वत्तव का क्या स्वरूप है, तथा उसमें स्वत्व रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति का, चाहे वह माफीदार बंधकी, पट्टेदार अथवा किसी अन्य रूप में हो, नाम ओर पता, जहां तक कि ऐसा नाम और पता उसे ज्ञात हो, क्या है। मुख्य नगराधिकारी का भू—गृहादि के स्वामित्व के संबंध में सूचना माँगने का अधिकार

(2) कोई व्यक्ति, जिसे मुख्य नगराधिकारी ने उपधारा (1) के अनुसार कोई सूचना देने के लिए आदेश दिया हो उक्त आदेश का पालन करने और ऐसी सूचना जिसे वह अपनी जानकारी तथा विश्वास के आधार पर ठीक समझता हो, देने के लिए बाध्य होगा।

अनधिकृत कार्य

557—— (1) यदि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा निर्माण या कार्य जिसके लिए इस अधनियम अथवा किसी नियम, विनियम या उपविधि के अधीन मुख्य नगराधिकारी लिखित अनुज्ञा प्राप्त किया हो, अथवा यदि ऐसी अनुज्ञा बाद में मुख्य नगराधिकारी द्वारा किसी कारण से निलम्बित अथवा प्रतिसंहृत कर दी गई हो, तो किया गया ऐसा निर्माण अथवा कार्य अनधिकृत समझा जायेगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए मुख्य नगराधिकारी किसी समय लिखित नोटिस द्वारा आदेश दे सकता है कि उक्त निर्माण अथवा कार्य करने वाला व्यक्ति, ऐसे निर्माण को यथास्थिति हटा दे, गिरा दे अथवा अकारथ कर दे। यदि ऐसे निर्माण को सम्पादित अथवा कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसा नोटिस दिये जाने के समय स्वामी न हो, तो उक्त नोटिस दिये जाने के समय जो भी व्यक्ति हो वह मुख्य नगराधिकारी के आदेशों का पलान करने के लिए उत्तरदायी होगा। मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना किये गये निर्माण अथवा कार्य अनधिकृत समझे जायेंगे

(2) यदि उक्त लिखित नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर यथास्थिति उक्त व्यक्ति या स्वामी द्वारा नोटिस में वर्णित आदेशों को कार्यान्वित नहीं किया जाता, तो मुख्य नगराधिकारी उस निर्माण को हटा सकता है, परिवर्तित कर सकता है अथवा अकारथ कर सकता है तथा ऐसा करने में जो व्यय होगा वह यथास्थिति उक्त व्यक्ति अथवा स्वामी द्वारा वहन किया जायगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

निर्माण आदि के सम्बन्ध में आज्ञाओं का प्रवर्त्तन

निर्माण आदि, जिन्हें किसी व्यक्ति, से सम्पादित करने की अपेक्षा की गयी हो, कुछ दशाओं में उक्त व्यक्ति की लागत पर मुख्य नगराधिकारी द्वारा सम्पादित किये जा सकते हैं

558 (1) इस अधिनियम तथा नियमों, उपविधियों एवं विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, यदि इस अधिनियम अथव किसी नियम, उपविधि या विनियम के किसी उपबन्ध के अधीन मुख्य नगराधिकारी अथवा एतदर्थ यथावत् अधिकृत किसी {निगम}[1] पदाधिकारी द्वारा लिखित नोटिस देकर कोई आदेश दिया जाय तो ऐसे नोटिस में उक्त आदेश अथवा आज्ञा को कार्यान्वित किये जाने के लिए एक उचित अवधि विहित की जायगी और यदि इस प्रकार विहित की गई अवधि के भीतर, उक्त आदेश अथवा आज्ञा के किसी अंश का अनुपालन न किया गया हो तो मुख्य नगराधिकारी ऐसी कार्यवाही कर सकता है, अथवा ऐसा निर्माण सम्पादित करा सकता है, अथवा ऐसा कार्य करा सकता है जो उसकी राय में इस प्रकार दिये गये आदेश अथवा दी गई आज्ञा को यथोचित रूप से प्रभाव पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक हो और न जब तक कि इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा व्यवस्था न की गई हो उस पर होने वाला व्यय उस व्यक्ति द्वारा अथवा उनमें से किसी व्यक्ति द्वारा वहन किया जायगा, जिसे या जिन्हें उक्त आदेश आज्ञा संबोधित की गई थी।

(2) मुख्य नगराधिकारी इस धारा के अधीन, कोई कार्यवाही कर सकता है, कोई निर्माण सम्पादित करा सकता है अथवा अन्य कोई कार्य करा सकता है चाहे उक्त आदेश अथवा आज्ञा का अनुपालन न करने वाला व्यक्ति, आज्ञा का अनुपालन न करने के लिए दंड का भागी हो या अभियोजित किया गया हो या तदर्थ उसे किसी दंड का आदेश दिया जा चुका हो अथवा नहीं।

सामग्री का सम्भरण

559–– किसी ऐसे व्यक्ति की लिखित प्रार्थना पर जिसे इस अधिनियम के अथवा किसी नियम, विनियम या उपविधि के किसी उपबन्ध के अधीन कोई सामग्री अथवा संधायनों के संभरण का आदेश दिया गया हो, मुख्य नगराधिकारी ऐसे व्यक्ति की ओर से आवश्यक सामग्री अथवा संधायनों का सम्भरण करके निर्माण करवा सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि धारा 524 या 525 के उपबन्ध लागू न होते हों, तो उक्त व्यक्ति द्वारा सर्वप्रथम ऐसी धनराशि जमा की जायगी जो मुख्य नगराधिकारी की राय में उक्त सामग्री, संधायनों तथा निर्माण के व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त हो।

प्रवेश तथा निरीक्षण के अधिकार

प्रवेश तथा निरीक्षण के अधिकार

560–– (1) मुख्य नगराधिकारी अथवा उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत कोई {निगम}[1] पदाधिकारी अथवा सेवक किसी ऐसे भू–गृहादि में, या पर जहां इस अधिनियम अथवा नियमों के उपबन्धों के द्वारा या अधीन उसे प्रवेश अथवा निरीक्षण करने का अधिकार हो अथवा कोई ऐसी निरीक्षण, तलाशी, भूमापन, माप, मूल्यांकन अथवा जांच करने का कोई ऐसा निर्माण संपादित करने के निमित्त, जिसके लिये वह इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन प्राधिकृत किया गया हो अथवा जिसे करना इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बनाये गये किन्हीं नियमों, उपविधियों, अथवा विनियमों के प्रयोजनार्थ, अथवा अनुसार, आवश्यक हो, अपने सहायकों सहित या रहित, प्रवेश कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, मुख्य नगराधिकारी अथवा उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किसी पदाधिकारी अथवा सेवक को निम्नलिखित दशाओं में किसी स्थान में प्रवेश करने और किसी वस्तु का निरीक्षण करने का अधिकार होगा, अर्थात् :–

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) कोई अस्तबल, मोटरखाना, वाहन–गृह अथवा अन्य कोई स्थान जहां कर लगाये जाने योग्य कोई वाहन, नाव या पशु रखा जाता हो,

(ख) कोई भूमि, जहां {निगम}[1] की कोई नाली रही हो अथवा जहां नाली बनाने का प्रस्ताव हो – धारा 230 के अधीन,

(ग) कोई भूमि, जो किसी व्यक्ति के कब्जे में स्वयं अपनी नाली {निगम}[1] की नालियों में गिराने के उद्देश्य से हो– धारा 234, 236, 241 तथा 242 के अधीन,

(घ) कोई भूमि जिससे नालियों के संवीजन के निमित्त दंड और पाइप लगाने की आवश्यकता हो–धारा 249 के अधीन,

(ङ) नालियां, संजीवन, दंड, पाइप, नलकूप, शौचालय, मूत्रालय, स्नान और धुलाई के स्थल– धारा 255 के अधीन,

(च) कोई, भूमि जिससे होकर {निगम}[1] की जल–कल में जाने का मार्ग हो– धारा 264 के अधीन,

(छ) कोई भू–गृहादि जिनके बारे में यह संशय हो कि उनमें धारा 438 का उल्लंघन करके कोई व्यापार किया जाता है या कोई वस्तु रखी जाती है,

(ज) कोई भू–गृहादि, जिसके प्रयोग के लिये अनुज्ञप्ति की आवश्यता हो तथा जिसके लिये इस अधिनियम के उपबनधों के अधीन अनुज्ञप्ति दी गयी हो,

(झ) निर्माण–काल में कोई भवन अथवा संपादन के समय कोई निर्माण–कार्य,

(ञ) कोई भू–गृहादि, जिनकी व्यवस्था {निगम}[1] ने {निगम}[1] पदाधिकारियों और सेवकों के रहने के लिये की हो।

(3) मुख्य नगराधिकारी अथवा उक्त प्राधिकृत व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन प्रवेश करने के लिये तब तक बल प्रयोग न करेगा जब तक कि ––

(क) ऐसा प्रवेश अन्यथा न किया जा सकता हो,

(ख) ऐसा विश्वास करने का कारण न हो कि इस आधिनियम अथवा तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियम अथवा उपविधि के किसी उपबन्ध के अधीन कोई अपराध किया जा रहा है अथवा किया जा चुका है।

निर्माण–कार्यों से संलग्न भूमियों पर मुख्य नगराधिकारी का प्रवेशाधिकार

561–– (1) मुख्य नगराधिकारी इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियम अथवा उपविधि द्वारा प्राधिकृत किसी निर्माण–कार्य से संलग्न अथवा उसके 100 गज के भीतर स्थित भूमि में, उसमें मिट्टी बजरी, बालू ईंटें, पत्थर अथवा अन्य पदार्थ डालने या ऐसे निर्माण–कार्य में प्रवेश पाने के प्रयोजनार्थ अथवा ऐसे निर्माण–कार्यों को संपादित करने से समबद्ध किसी अन्य प्रयोजन के निमित्त प्रवेश कर सकता है।

(2) मुख्य नगराधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी भूमि में प्रवेश करने से पूर्व जब तक कि इस अधिनियम में अथवा तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियम या उपविधि में अन्यथा व्यवस्था न की गई हो, भूमि के स्वामी अथवा अध्यासी को (यदि कोई हो) अपने ऐसे प्रवेश के अभिप्राय का तथा तत्संबंधी प्रयोजन का तीन दिन पूर्व लिखित नोटिस देगा और यदि स्वामी अथवा अध्यासी ऐसी अपेक्षा करे तो पर्याप्त मेड़ों के द्वारा उतनी भूमि को पृथक् कर देगा जो उक्त उपधारा में उल्लिखित प्रयोजनार्थ अपेक्षित हो।

1 उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) मुख्य नगराधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी भूमि में प्रवेश से पूर्व कोई भी भुगतान करने अथवा कोई धन प्रस्तुत या जमा करने के लिये बाध्य नहीं होगा, किन्तु यथाशक्य कम से कम क्षति पहुंचायेगा तथा भूमि के स्वामी तथा अध्यासी को (यदि कोई हो), ऐसे प्रवेश के लिये तथा उसके फलस्वरूप हुई किसी अस्थायी क्षति के लिये प्रतिकर देगा तथा उक्त स्वामी को तज्जन्य किसी स्थायी क्षति के लिये भी प्रतिकर देगा।

प्रवेश करने का समय

562—— (1) सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व ऐसा प्रवेश नहीं किया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसी दशा में, जिसमें इस अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन इसकी स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गयी हो, ऐसा प्रवेश दिन में या रात में किया जा सकता है।

(2) उस दशा को छोड़कर जब इस अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन अन्यथा स्पष्ट व्यवस्था की गई हो, किसी भवन में, जो मनुष्यों के निवास के लिये प्रयुक्त होता हो, उसके अध्यासी की सहमति के बिना अथवा उसे अभिप्रेत प्रवेश तथा सिवाय उस दशा के जब तत्समबन्धी प्रयोजन बताना अनुपयुक्त समझा जाय, ऐसे प्रयोजन की 6 घंटे पूर्व लिखित सूचना दिये बिना प्रवेश न किया जायगा।

(3) जब ऐसे भू–गृहादि में अन्यथा बिना नोटिस दिये प्रवेश किया जा सकता हो, तो प्रत्येक मामले में पर्याप्त नोटिस दिया जायगा जिससे उस कक्ष के जो महिलाओं के प्रयोग के लिये अलग कर दिया गया हो, रहने वाले वहां से हट सकें।

(4) जहां तक प्रवेश के प्रयोजन की आवश्यकतानुसार सुसंगत हो, उस भू–गृहादि के अध्यासियों की समाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं की ओर सर्वदा समुचित ध्यान दिया जायगा जहां प्रवेश किया जाय।

(5) धारा 438 की उपधारा (7) के अधीन प्रवेश से अथवा ऐसा प्रवेश करने के लिये प्रयुक्त आवश्यक बल प्रयोग से अनिवार्यतः हुई किसी क्षति के लिये किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकर दावा नहीं किया जायगा।

धारा 560 या 561 के अधीन प्रवेश अवरुद्ध करने का प्रतिषेध

563—— कोई व्यक्ति, किसी भी प्रकार से, मुख्य नगराधिकारी के अधारा 560 या 561 के अधीन प्रवेश करने में या किसी {निगम}[1] पदाधिकारी या अन्य ऐसे व्यक्ति के प्रवेश करने में बाधक न होगा, जो ऐसे प्रवेश के प्रयोजन के लिये मुख्य नगराधिकारी की प्रार्थना से उसके साथ हो, जो उसकी आज्ञा से कार्य कर रहा हो।

वैधिक कार्यवाहियां

दीवानी तथा फौजदारी कार्यवाहियों के निवेशन आदि तथा विधि परामर्श प्राप्त करने के सम्बन्ध में उपबन्ध

564—— मुख्य नगराधिकारी –

(क) किसी व्यक्ति के विरुद्ध जिस पर निम्नलिखित किसी अपराध के सम्बन्ध में दोषारोपण किया गया हो कार्यवाही कर सकता है अथवा कार्यवाही वापस ले सकता है–

(एक) इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम अथवा उपविधि के अधीन कोई अपराध,

(दो) कोई ऐसा अपराध जिससे {निगम}[1] की सम्पत्ति अथवा स्वत्व पर अथवा इस अधिनियम के उचित प्रशासन पर, प्रभाव पड़ता हो या पड़ने की आशंका हो,

(तीन) कोई भी अपदूषण करना;

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

{(ख) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों, उपविधियों या विनियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का शमन, चाहे अभियोजन निवेशित किये जाने के पूर्व या पश्चात् राज्य सरकार की इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आज्ञा के अधीन रहते हुए, अपराध के लिए नियत अर्थ–दंड की अधिकतम धनराशि से अनधिक शमन फीस की ऐसी धनराशि, जिसे वह उचित समझे, वसूल करने पर कर सकता है और जहां अपराध का इस प्रकार शमन : –––

(एक) अभियोजन निवेशित किये जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायेगा,

(दो) अभियोजन निवेशित किए जाने के पश्चात् किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्त का होगा।}[1]

(ग) इस अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किसी निर्वाचन याचिका में अथवा इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन से सम्बद्ध किसी अन्य कार्यवाही में, यदि स्वयं उस पर अथाव {निगम}[2] अथवा अन्य किसी {निगम}[2] पदाधिकारी पर वाद चलाया गया हो, प्रतिवाद कर सकता है,

(घ) वार्षिक मूल्यांकन या कर के विरुद्ध धारा 472 के अधीन की गई किसी अपील का प्रतिवाद कर सकता है, उसे स्वीकार कर सकता है अथवा उसमें समझौता कर सकता है,

(ङ) धारा 470 की उपधारा (2) धारा 522 की उपधारा (3) व (4) तथा धारा 481 के अधीन तथ ऐसे प्रतिकर या व्यय की वसूली के निमित्त, जिनके सम्बन्ध में यह दाव किया गया हो कि वे {निगम}[2] को प्राप्य हैं, कार्यवाही कर सकता है, कार्यवाही वापस ले सकता है अथवा उसमें समझौता कर सकता है,

(च) मुख्य नगराधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के साथ किये गये किसी संविदे के अधीन देय अर्थ–दण्ड के सम्बन्ध में उस व्यक्ति के विरुद्ध 500 रु0 से अनधिक के तथा कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से 500 रु0 से अधिक की धन राशि के किसी दावे को वापस ले सकता है या उसमें समझौता कर सकता है,

(छ) {निगम}[2] के विरुद्ध लाये गये या मुख्य नगराधिकारी या किसी {निगम}[2] पदाधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध, उनके द्वारा अपने अधिकारी रूप में क्रमशः किये गये अथवा न किये गये किसी कार्य के समबन्ध में लाये गये किसी वाद अथवा विधिक कार्यवाही का प्रतिवाद कर सकता है,

(ज) {निगम}[2] के विरुद्ध या मुख्य नगराधिकारी या किसी {निगम}[2] पदाधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध उपर्युक्त प्रकार से कृताकृत किसी कार्य के सम्बन्ध में लाये गये किसी दावे, वाद अथवा विधिक कार्यवाही को कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से स्वीकृत कर सकता है अथवा उसमें समझौता कर सकता है।

(झ) उपर्युक्त प्रकार के अनुमोदन से किसी वाद को निविष्ट तथा अभियोजित कर सकता है अथवा किसी वाद या खंड (च) में वर्णित दावे से भिन्न किसी दावे को, जो {निगम}[2] अथवा मुख्य नगराधिकारी के नाम से निविष्ट किया गया हो या किया गया हो वापस ले सकता है या उसमें समझौता कर सकता है,

---

1. उ.प्र. अधिनियम संख्या 35, 1979 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ञ) ऐसा विधिक परामर्श या सहायता का, जिसे वह समय–समय पर, इस उपधारा के पूर्वागामी खंडों में वर्णित किसी प्रयोजन के लिये अथवा किसी {निगम}[2] प्राधिकारी, या पदाधिकारी या कर्मचारी में निहित या उस पर आरोपित किसी अधिकार का कर्त्तव्य के प्रयोग अथवा पालन को सुनिश्चित करने के निमित्तय, प्राप्त करना आवश्यक या इष्टकर समझे, या जिसे {निगम}[2] या कार्यकारिणी समिति उसके द्वारा प्राप्त करवाना चाहे, प्राप्त कर सकता है तथा उसके लिये भुगतान कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगराधिकारी खंड (छ) के अधीन किसी वाद अथवा विधिक कार्यवाही का प्रतिवाद सर्वप्रथम तत्समबन्धी विधिक परामर्श प्राप्त किये बिना न करेगा, तथा वह किसी भी ऐसे वाद को निवेशित एवं अभियोजित करेगा, जिसके समबन्ध में {निगम}[2] यह निर्धारित करे कि वह निवेशित एवं अभियोजित किया जाय।

सामान्य

सभासद इत्यादि जन–सेवक समझे जायेंगे

565–– (1) मुख्य नगराधिकारी तथा प्रत्येक सभासद {***}[1] और प्रत्येक {निगम}[2] पदाधिकारी या कर्मचारी, जो इस अधिनियम के अधीन नियुक्त हुआ हो तथा {निगम}[2] को प्राप्य किसी कर, शुल्क या अन्य धनराशि की उमाही के निमित प्रत्येक ठेकेदार या अभिकर्ता तथा ऐसे किसी ठेकेदार या अभिकर्ता द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, इंडियन पीनल कोड की धारा 21 के अर्थ में जन–सेवक समझे जायेंगे।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के निमित्त इंडियन पीनल कोड की धारा 161 में ''लीगल रेम्युनरेशन'' की परिभाषा के अन्तर्गत शब्द ''गवर्नमेन्ट'' में {निगम}[2] का अन्तर्भाव भी समझा जायेगा।

पुलिस पदाधिकारी के कर्तव्य

566–– प्रत्येक पुलिस पदाधिकारी के कर्त्तव्य निम्नलिखित होंगे :–––

(क) इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियम, उपविधि या विनियम के अधीन कोई अपराध किये जाने के षडयंत्र की या इस बात की कि अपराध किया जा चुका है कोई सूचना प्राप्त होने पर अविलम्ब उसे उपयुक्त {निगम}[2] पदाधिकारी को ज्ञाप्ति करना,

(ख) मुख्य नगराधिकारी को या किसी {निगम}[2] पदाधिकारी या कर्मचारी को या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति, को जिसे मुख्य नगराधिकारी ने विधितः अधिकारों का प्रतिनिधायन किया हो, जो इस अधिनियम अथवा किसी ऐसे नियम, उपविधि या विनियम के अधीन उक्त मुख्य नगराधिकारी में या ऐसे पदाधिकारी या कर्मचारी या व्यक्ति में निहित किसी अधिकार के वैध प्रयोग के लिये उचित रूप से उसकी सहायता मांगता हो, सहायता देना,

तथा ऐसे समस्त प्रयोजनों के लिये उसे वही अधिकार प्राप्त होने जो उसे अपने सामान्य पुलिस कर्तव्यों के पालन करने में प्राप्त है।

पुलिस पदाधिकारियों का लोगों को गिरफ्तार करने का अधिकार

567–– (1) यदि काई पुलिस पदाधिकारी किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बनाये गये किस नियम, उपविधि अथवा विनियम के किसी उपबन्ध के विरुद्ध कोई अपराध करता हुआ पाये तो वह यदि उस ऐसे व्यक्ति का नाम या पता ज्ञात न हो तथा यदि पूंछने पर वह अपना नाम और पता बताने से इन्कार करे या ऐसा नाम या पता बताये जिसके सम्बन्ध में उक्त पदाधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि वह असत्य है, उसे गिरफ्तार कर सकता है।

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 12, 1977 की धारा 30 द्वारा निकाला गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तार किये गये किसी व्यक्ति को–

(क) उसका ठीक–ठीक नाम और पता ज्ञात होने के पश्चात्, या

(ख) बिना मैजिस्ट्रेट की आज्ञा के गिरफ्तारी के समय से चौबीस घंटों से अनधिक की ऐसी अवधि के अधिक के लिये, जो उसे किसी मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये आवश्यक हो, अभिरक्षा मे ंनिरुद्ध न किया जायेगा।

{निगम}[2] कर्मचारियों द्वारा पुलिस के अधिकारों का प्रयोग

568–– राज्य सरकार, किसी {निगम}[2] पदाधिकारी या कर्मचारी को या {निगम}[2] पदाधिकारी या कर्मचारियों के किसी वर्ग को इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त पुलिस पदाधिकारी के अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार दे सकता है।

निर्धारण इत्यादि में अनौप–चारिकताएं तथा त्रुटियां ऐसे निर्धारण आदि को अवैध करने वालीन समझी जायेगी

569–– (1) इस अधिनियम या किसी नियम, विनियम या उपविधि के अधीन किये गये किसी निर्धारण या किया गया अभिहरण या की गयी कुर्की या जारी किये गये किसी नोटिस, बिल, अनुसूची, आह्‌न या लेख्य में कोई अनौपचारिकता लिपिक त्रुटि, अकर्म या अन्य दोष किसी भी समय यथाशक्य ठीक किये जा सकते हैं।

(2) उक्त कोई भी ऐसी अनौपचारिकता, लिपिक त्रुटि, अकार्य या अन्य दोश उपर्युक्त निर्धारण, अधिहरण, कुर्की नोटिस, बिल अनुसूची, आहवान या अन्य लेख्य को अमान्य अथा अवैध करने वाली ने समझी जायगी, यदि इस अधिनियम के तथा नियमों, विनियमों ओर उपविधियों के उपबन्ध सारतः तथा प्रभावतः अनुपालित किये गये हों किन्तु किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे अनौपचारिक्ता, लिपिक–त्रुटियां आकर्य या अन्य दोष के कारण कोई विशेष क्षति पहुंची हो, किसी अधिकार–क्षेत्रयुक्त सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके उसके लिये प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार होगा।

सद्‌भावना से किये गये कार्यों के लिये क्षति–पूति

570–– इस अधिनियम के अधीन सद्‌भावना से किये गये या किये गये समझे गये या अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में राज्य सरकार, किसी सभासद् {***}[1] नगर प्रमुख या नगराधिकारी या किसी {निगम}[2] पदाधिकारी या कर्मचारी या इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार के {निगम}[2] पदाधिकारी या कर्मचारी या इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार के, महपालिका के या इस अधिनियम के अधीन संगठित किसी समिति के, मुख्य नगराधिकारी के या किसी {निगम}[2] पदाधिकारी या कर्मचारी के या मैजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन और अनुसार कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही न की जा सकेगी।

इस अधिनियम के अधीन काम करने वाले व्यक्तियों का वादों से संरक्षण

571–– (1) इस अधिनियम के अनुसार अथवा इस अधिनियम की कार्यान्वित अथवा अभिप्रेत कार्यान्विति के सम्बन्ध में किये गये या किये गये समझे गये किसी कार्य के सम्बन्ध में या इस अधिनियम की कार्यान्विति के सम्बन्ध में तथा कथित किसी असावधानी या चूक के कारण, {निगम}[2] के या मुख्य नगराधिकारी के, या किसी {निगम}[2] पदाधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद तब तक निविष्ट नहीं किया जायगा–

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 12, 1977 की धारा 31 द्वारा निकाला गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) जब तक ऐसी लिखित नोटिस के छोड़े या दिये जाने के पश्चात् दो मास की अवधि व्यतीत न हो जाये तो {निगम}[2] की दशा में {निगम}[2] के कार्यालय में छोड़ी जाये तथा मुख्य नगराधिकारी या {निगम}[2] के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी की दशा में उसे दी जाये या उसके पास छोड़ी जाय और जिसमे वाद का कारण, प्रार्थित उपशम का प्रकार, अभियाचित प्रतिकर,यदि कोई हो, की धनराशि और ऐस वाद के प्रयोजन के लिये वादेच्छुवादी, उसके मुख्तयार, एड्वोकेट, वकील या अभिकर्ता का नाम तथा निवासस्थान समुचित ब्यौरों के साथ लिखा जायगा, तथा

(ख) जब तक कि वह वाद का कारण प्रोद्भूत होने के पश्चात् 6 मास के भीतर प्रारम्भ न किया जाय :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ न लगाया जायगा कि वह किसी ऐसे वाद पर लागू होती है जिसमें प्रार्थित उपशम केवल व्यादेश हो जिसका उद्देश्य नोटिस देने अथवा वाद या कार्यवाही का आरम्भ स्थगित कर किये जाने के फलस्वरूप विफल हो जायगा।

(2) ऐसे किसी वाद पर विचार के समय ––

(क) प्रतिवादी को उपर्युक्त प्रकार छोड़े गये नोटिस में वर्णित वाद कारण के अतिरिक्त अन्य किसी वाद कारण का साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति न दी जायगी,

(ख) वाद, यदि क्षति के लिये हो, अपास्त कर दिया जायगा, यदि वाद निवेशित किये जाने वाली क्षति की पर्याप्त रूप से पूर्व कर दी गयी हो या यदि वाद के निवेशित किये जाने के पश्चात् न्यायालय में व्यय सहित पर्याप्त धनराशि जा कर दी गयी हो।

(3) यदि किसी ऐसे वाद में प्रतिवादी कोई {निगम}[2] पदाधिकारी या कर्मचारी हो तो वाद में, या उसके फलस्वरूप लगात, परिव्यय, व्यय, क्षति के लिये प्रतिकर के रूप में या अन्यथा उसके द्वारा देय धनराशि या उसके किसी भाग की अदायगी, कार्यकारिणी समिति की पूर्व स्वीकृति से {निगम}[2] निधि में से की जा सकती है।

{निगम}[2] के अभिलेखों को प्रमाणित करने की रीति

{571–क–– {निगम}[2] के कब्जे की किसी रसीद, प्रार्थना–पत्र, नक्शे, नोटिस आदेश, किसी रजिस्टर की प्रविष्टि या अन्य लेख्य की प्रतिलिपि, यदि वह उसके विधिवत् रखने वाले या मुख्य नगराधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथाविधि प्रमाणित की गयी हो, ऐसी प्रविष्टि या लेख्य के विद्यमान होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रुप में ग्रहण की जायगी और उसमें अभिलिखित विषयों तथा व्यवहारों के लिये ऐसे प्रतयेक वाद में तथा उस आयति तक साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायगी, जिस आयति तक मूल प्रविष्टि या लेख्य, यदि वह प्रस्तुत किया गया होता ऐसे विषयों को प्रमाणित करने के लिए ग्राहा होता।

लेख्यों को प्रस्तुत करने के लिए {निगम}[2] के पदाधि–कारियों या सेवकों को आहूत करने पर निर्बन्धन

571–ख–– {निगम}[2] के किसी पदाधिकारी या सेवक से किसी विधिक कार्यवाही में, जिसमें {निगम}[2] एक पक्ष न हो, कोई ऐसा रजिस्टर या लेख्य प्रस्तुत करने की, जिसके तथ्य पिछली धारा के अधीन प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा सिद्ध किये जा सकते हों, अथवा उसमें अभिलिखित विषयों या व्यवहारों को सिद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा न की जायगी, जब तक कि न्यायालय विशेष कारण से ऐसा आदेश न दे।}[1]

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 21, 1964 की धारा 27 द्वारा जोड़ा गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

572–– किसी वाद के दौरान में कोई दीवानी न्यायालय–

कुछ दशाओं में दीवानी न्यायालय अल्पकालिक निषेधाज्ञा न दे सकेगा

(क) किसी व्यक्ति को, {निगम}[2] या {निगम}[2] की किसी समिति या उपसमिति के किसी सभासद, {***}[1] पदाधिकारी या कर्मचारी के अधिकारों का प्रयोग करने या कृत्यों अथवा कर्तव्यों का पालन करने से इस आधार पर कि वह व्यक्ति यथास्थिति यथोचित रूप में निर्वाचित या नियुक्त नहीं हुआ है, निरुद्ध करने के लिये या,

(ख) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को या किसी {निगम}[2], {निगम}[2] की किसी समिति अथवा उप–समिति को कोई निर्वाचन करने या किसी विशिष्ट रीति से निर्वाचन आयोजित करने से निरुद्ध करने के लिये;

कोई अल्पकालिक निषेधाज्ञा या अन्तरिम आज्ञा न देगा।

573–– (1) कोई भी व्यक्ति, जो धारा 2 के खंड (52) के उपखंड (क) के पैरा (1), (2) या (3) में वर्णित किसी रूप में किसी भी भू–गृहादि का किराया ग्रहण करता है, कोई ऐसा कार्य करने के लिये उत्तरदायी न होगा जिसका इस अधिनियम के अधीन स्वामी द्वारा किया जाना अपेक्षित हो, जब तक कि उसके पास उस कार्य के व्यय को पूरा करने के लिये स्वामी की, या स्वामी को देय पर्याप्त धनराशि न हो या अपने द्वारा अनुचित कार्य या चूक न किये जाने की दशा में, जो उसके पास रही होती, न हो।

स्वामी के अभिकर्ता या न्यासी के दायित्व की सीमा

(2) उन तथ्यों को सिद्ध करने का भार, जिनके कारण किसी व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन उपशम प्राप्त करने का अधिकार हो, स्वयं उसी व्यक्ति पर होगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन उपशम प्राप्त कर ले तो मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा ऐसे व्यक्ति को स्वामी की ओर से या स्वामी के प्रयोगार्थ सर्वप्रथम प्राप्त होने वाली धनराशियों से वह आभार उत्सर्जित करने का आदेश दे सकता है, जिसे वह उस उपशम के न मिलने की दशा में उत्सर्जित करता तथा यदि कोई व्यक्ति इस नोटिस का अनुपालन न करे, तो वह ऐसे आभार में उत्र्सजन के निमित्त व्यक्तिगत रूप में उत्तरदायी समझा जायगा।

(4) इस धारा की किसी बात से न समझा जायगा कि वह मुख्य नगराधिकारी को आवश्यक निर्माण–कार्य संपादित करने और उसका व्यय वास्तविक स्वामी से वसूल करने से रोकती है।

अध्याय 25

संकांतिकालीन उपबन्ध, निरसन तथा संशोधन

574–– {(1)}[3] यू.पी. म्युनिसिपैलिटीज, ऐक्ट, 1916, यू.पी. टाउन इम्प्रूमेट ऐक्ट, 1919 तथा कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट 1945 से भिन्न किसी विधायन में, जो किसी नगर में, नियत दिन से ठीक पूर्व दिनांक पर प्रवृत्त हो या तदन्तर्गत निर्मित या प्रचारित किसी नियम, आज्ञा या विज्ञप्ति में, जो उक्त दिनांक पर उक्त नगर में प्रवृत्त हो, जब तक कि यह न प्रतीत हो कि उससे कुछ और आशय है –

अन्य विधायनों में निर्देशों का अर्थ

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 12, 1977 की धारा 32 द्वारा निकाला गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 68 द्वारा पुनर्संख्यांकित।

(क) यू.पी. म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन संगठित {यथास्थिति, {नगर निगम}[6] या {नगर निगम}[6] क्षेत्र और म्युनिसिपल बोर्ड या {नगर निगम}[6] परिषद्}[3] के प्रति किये गये निर्देशों का अर्थ यह लगाया जायगा कि वे यथास्थिति {नगर और उक्त नगर के निगम}[3] के प्रति किये गये निर्देश हैं और ऐसा विधायन, नियम, आज्ञा अथवा विज्ञप्ति उक्त नगर अथवा {निगम}[1] के समबन्ध में लागू होगी,

(ख) यू.पी. म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन संगठित {यथास्थिति {नगर निगम}[6] परिषद्}[4] के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के प्रति किये गये निदेशों का अर्थ नगर के सम्बन्ध में यह लगाया जायगा कि वे इस अधिनियम के अधीन नियुक्त मुख्य नगराधिकारी का प्रति किये गये निर्देश है,

(ग) यू.पी. टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 अथवा कानपुर अरबन एरिया तथा ऐसे ट्रस्ट या डेवलपमेंट बोर्ड तथा ऐसे ट्रस्ट या बोर्ड के चेयरमैन या अध्यक्ष के प्रति किये गये निर्देशों का अर्थ नगर के सम्बन्ध में यह लगाया जायगा कि वे क्रमशः इस अधिनियम के अधीन संगठित विकास समितियों तथा मुख्य नगराधिकारी के प्रति किये गये निर्देश है,

(घ) यू.पी. म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन संगठित {या, यथास्थिति {नगर निगम}[6] परिषद्}[4] के सदस्यों के प्रति किये गये निर्देशों का अर्थ नगर के सम्बन्ध में यह लगाया जायगा कि इस अधिनियम के अधीन नगर के लिये संगठित {निगम}[1] के सदस्यों के प्रति किये गये निर्देश हैं, तथा

(ङ) यू.पी. म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 यू.पी. टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 तथा यू. पी. कानुपर अरबन एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ऐक्ट, 1945 के किसी अध्याय अथवा किसी धारा के प्रति किये गये निदेशों का अर्थ किसी नगर के सम्बन्ध में यथाशक्य यह लगाया जायगा कि वे इस अधिनियम, या इसके तत्स्थानी अध्याय या धारा के प्रति किये गये निदेश है।

{(2) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक को और से, किन्हीं नियमों, विनियमों, उपविधियों, परिनियम लिखतों में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, या किसी लेखा या कार्यवाही में {नगर निगम}[1] या {निगम}[1] के प्रति किये गये निर्देशों का अर्थ यह लगाया जायेगा कि वह क्रमशः नगर निगम या निगम के प्रति किये गये निर्देश हैं।}[2]

575—— चाहे वह किसी कर के चाहे अन्य किसी लेख के सम्बन्ध में देय हों किसी ऐसे क्षेत्र के, जो अब नगर बना दिया गया हो, {नगर निगम}[6] अथवा स्थानीय प्राधिकारी को देय सभी धनराशियां नगर के मुख्य नगराधिकारी द्वारा वसूल की जायेगी और ऐसी वसूली के प्रयोजनार्थ वह कोई ऐसा कार्य करने अथवा कोई ऐसी कार्यवाही निवेशित करने के लिये सक्षम होगा, जिसे इस अधिनियम के प्रवृत्त न होने, तथा उक्त क्षेत्र के नगर के रूप में संगठित न किये जाने की दशा में {यथास्थिति, म्युनिसिपल बोर्ड अथवा {नगर निगम}[6] परिषद्}[5] अथवा स्थानीय प्राधिकारी सम्पन्न कर सकता है। देय धनराशियां

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 68 द्वारा अन्तर्विष्ट।
3. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 26 वर्ष 1995 के अध्याय—दो की धारा 22 (क) (एक) तथा (दो) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 22 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 4 वर्ष 2008 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

ऋण, आभार, संविदे तथा विचाराधीन कार्यवाहियां

576—— (1) {यथास्थिति, म्युनिसिपल बोर्ड अथवा {नगर निगम}[3] परिषद्}[2] अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से नियत दिन से ठीक पूर्व उपगत सभी ऋण तथा आभार और किये गये सभी संविदों के संबंध में जो उक्त दिन पर विद्यमान हों, यह समझा जायगा कि वे इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उक्त नगर के मुख्य नगराधिकारी द्वारा उपगत हुए हैं अथवा किये गये है और तदनुसार वे प्रवर्तन में बने रहेंगे।

(2) उक्त दिन पर {यथास्थिति, म्युनिसिपल बोर्ड अथवा {नगर निगम}[3] परिषद्}[2] या स्थानीय प्राधिकारी के किसी अधिकारी के समक्ष समस्त विचाराधीन कार्यवाहियां जिन्हें इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन मुख्य नगराधिकारी के समक्ष निवेशित किया जाना अथवा उसके द्वारा सम्पन्न किया जाना अपेक्षित हो, उसे हस्तान्तरित कर दी जायेंगे, और उसके द्वारा जारी रखी जायेंगे और ऐसी अन्य समस्त कार्यवाहियां यथाशक्य ऐसे प्राधिकारी को हस्तान्तरित कर दी जायेंगी और उसके द्वारा जारी रखी जायेंगी, जिसके समक्ष अथवा जिसके द्वारा वे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निवेशित की जाती अथवा सम्पन्न की जाती।

(3) उक्त दिनांक पर {यथास्थिति, म्युनिसिपल बोर्ड अथवा {नगर निगम}[3] परिषद्}[2] या स्थानीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन समस्त अपीलें, यथाव्यवहार्य इस प्रकार निस्तारित की जायेंगी मानों उन्हें प्रस्तुत करने के समय वह क्षेत्र नगर के रूप में संगठित किया जा चुका हो।

(4) {यथास्थिति, म्युनिसिपल बोर्ड अथवा {नगर निगम}[3] परिषद्}[2] अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अथवा उसकी ओर से निवेशित सभी अभियोजन तथा {यथास्थिति, म्युनिसिपल बोर्ड अथवा {नगर निगम}[3] परिषद्}[2], स्थानीय प्राधिकारी अथवा उस {नगर निगम}[3] या स्थानीय प्राधिकारी के किसी पदाधिकारी द्वारा अथवा उसके विरुद्ध निवेशित सभी वाद तथा अन्य विधिक कार्यवाहियों, जो उक्त दिनांक पर विचाराधीन हों, यथास्थिति मुख्य नगराधिकारी अथवा उक्त नगर की {निगम}[1] द्वारा अथवा उसके विरुद्ध इस प्रकार जारी रहेंगी मानों ऐसे अभियोजन, वाद अथवा कार्यवाही के निवेशित किये जाने के समय वह क्षेत्र नगर के रूप में संगठित किया जा चुका हो।

नियुक्तियों, करों, वजट के तखमीनों तथा निर्धारणों का जारी रहना

577—— इस अध्याय के उपबन्धों अथवा धारा 579 के अधीन प्रचारित किसी विज्ञप्ति द्वारा की गयी स्पष्ट व्यवस्था को छोड़ कर –

(क) यू.पी. म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 या कानुपर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945 या यू.पी. टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 या नियत दिन से तुरन्त पूर्व नगर के रू॰ में संगठित किये गये किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन की गई, प्रचारित आरोपित या स्वीकृत कोई नियुक्ति, प्रतिनिधायन, विज्ञप्ति, नोटिस, कर, आज्ञा निदेश योजना, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पंजीयन नियम, उपविधि, विनियम तथा प्रपत्र जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि वह यथास्थिति, इस अधिनियम अथवा पूर्वोक्त अन्य किसी विधि के अधीन की गई, प्रसारित, आरोपित अथवा स्वीकृत किसी नियुक्ति, प्रतिनिधायन, विज्ञप्ति, नोटिस, कर, आज्ञा, निदेश, योजना, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा, पंजीयन, नियम, उपविधि, विनियम या प्रपत्र द्वारा अवक्रांत न कर दिया जाय,

(ख) नगर के अन्तर्गत किसी क्षेत्र की किसी विकास योजना के संबंध में यू.पी. टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 या कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945 के अधीन प्रसारित किसी नोटिस, विज्ञप्ति या स्वीकृति के विषय में यह समझा जायगा कि वह इस अधिनियम के अधीन प्रसारित की गयी है, तथा ऐसी योजना को बढ़ाने के हेतु आगे की कार्यवाहियां तदनुसार की जायंगी,

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 26 वर्ष 1995 के अध्याय–दो की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 4 वर्ष 2008 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ग) यू.पी. टाउन इम्प्रवमेंट ऐक्ट, 1919, कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945, यू पी. म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 या नगर के अन्तर्गत क्षेत्र पर लागू होने वाले अन्य किसी विधायन के अधीन किसी भूमि के अर्जन से सम्बद्ध सभी कार्यवाहियां, चाहे वे किसी विकास योजना के अनुसरण में अथवा अन्यथा आरब्ध की गयी हों, उसी प्रकार जारी रखी जायंगी मानों वे इस अधिनियम के अधीन आरब्ध हों,

(घ) यू.पी. म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 या यू.पी. टाउन इम्प्रवमेंट ऐक्ट, 1919 या कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945 या नियत दिनांक से तुरन्त पूर्व नगर के रूप में संगठित किये गये किसी क्षेत्र में प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किये गये बजट के सभी तखमीने, निर्धारण, मूल्यांकन, माप तथा विभाजन जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत हों, इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे,

(ङ) नियत दिन से ठीक पूर्व {यथास्थिति, म्युनिसिपल बोर्ड अथवा {नगर निगम}[4] परिषद्}[3], इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, डेवेलपमेंट बोर्ड या स्थानीय प्राधिकारी के नियोजन में होने वाले सभी पदाधिकारी तथा कर्मचारी धारा 106 और 107 में किसी बात के होते हुये भी इस अधिनियम के अधीन अस्थायी रूप से नियोजित {निगम}[2] के पदाधिकारी तथा कर्मचारी हो जायेंगे और {जब तक वे इस अधिनियम के अधीन सृजित पदों पर नियुक्त न किये जायें या धारा 112–क के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा सृजित किसी केन्द्रीय सेवा में अन्तिम रूप से ले न लिये जायें अथवा उनकी सेवाये ऐसी नियमावली के अनुसार समाप्त न हो जायें, वे वही वेतन और भत्ते पायेंगे और, ऐसी नियमावली में अन्यथा की गयी व्यवस्था को छोड़ कर, सेवा की उन्हें शर्तों के अधीन रहेंगे जिनके कि वे नियत दिन के ठीक पूर्व अधिकारी अथवा अधीन थे,}[1]

{(ङङ) जब तक कि धारा 106 में उल्लिखित पदों का {निगम}[2] द्वारा सृजन नहीं किया जाता है और उन पर इस अधिनियम में की गयी व्यवस्था के अनुसार औपचारिक नियुक्तियां नहीं की जाती–

(1) मुख्य नगराधिकारी खंड (ङ) में उल्लिखित वर्तमान पदाधिकारियों और सेवकों के पदनामों में ऐसे परिवर्तन करने के लिये समक्ष होगा, जो इस अधिनियम के और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हों, ओर इस प्रकार नामोदिष्ट पदाधिकारी और सेवक ऐसे अधिकारों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन यथा कृत्यों का संपादन करने के लिये समक्ष होंगे, जो उन्हें अधिनियम और उक्त नियमों के अधीन सौंपे गये हों :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपखंड के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा दिये गये प्रत्येक आदेश की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को भेजी जायगी, जो उसमें ऐसे परिवर्तन कर सकती है, जो आवश्यक या वांछनीय हों।

(2) राज्य स्वास्थ्य सेवा का ऐसा पदाधिकारी अथवा ऐसे पदाधिकारी जिसे/जिन्हें राज्य सरकार तदर्थ नाम–निर्दिष्ट अथवा नामोदिष्ट करे, अधिनियम के अधीन नगर स्वास्थ्य अधिकारी या नगर स्वास्थ्य अधिकारियों के रूप में कार्य करेंगे।

(3) राज्य सरकार के ऐसे सेवक जो नियत दिन से ठीक पूर्व {यथास्थिति, म्युनिसिपल बोर्ड अथवा {नगर निगम}[4] परिषद्}[3], इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, डेवलपमेंट बोर्ड या स्थानीय प्राधिकारी के यहां प्रतिनियुक्त हों, धारा 106 और 107 में किसी बात के होते हुए भी {नगर निगम}[2] के यहां प्रतिनियुक्त समझे जायेंगेः

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 29, 1966 की धारा 8 (क) की द्वारा अन्तर्विष्ट।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 26 वर्ष 1995 के अध्याय–दो की धारा 25 द्वारा प्रतिस्थापित।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, किसी भी समय, स्वतः अथवा {निगम}[3] द्वारा अनुरोध किये जाने पर किसी ऐसे पदाधिकारी को वापस बुला सकती है अथवा किसी ऐसे पदाधिकारी के स्थान पर नया पदाधिकारी भेज सकती है।}[1]

(च) खण्ड (ङ) में उल्लिखित पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को {निगम}[3] द्वारा धारा 106 के अधीन निर्मित पदों पर {नियुक्ति करने में धारा 112–क के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा}[2] :––

(1) उन पदों पर नियुक्ति का कार्य, जिनके संबंध में धारा 107 के अनुसार राज्य के लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक है, उक्त धारा के अनुसार किया जायेगा।

(2) अन्य पदों पर नियुक्तियां मुख्य नगराधिकारी, नगर–प्रमुख के परामर्श और इस सबंध में राज्य सरकार के सामान्य या विशेष निदेशों के अनुसार करेगा।

(3) यदि किसी पद के लिए उपुर्यक्त अस्थायी पदाधिकारियों या कर्मचारियों में से कोई उपयुक्त व्यक्ति नियुक्ति के लिये न मिले तो ऐसे पद के लिये अन्यथा इस अधिनियम के अधीन नियुक्ति कर ली जायेगी।

(4) यदि कोई उपर्युक्त अस्थायी पदाधिकारी या कर्मचारी {निगम}[3] द्वारा निर्मित किसी पद के लिए उपयुक्त न समझा जाये अथवा जिस पद पर उसकी नियुक्ति की जाये उस पद को ग्रहण करना वह इस कारण स्वीकार न करे कि उसका वेतन या वेतन का समय–मान उसके वर्तमान वेतन अथवा वेतन के समयमान से कम है तो उसकी सेवा को नियोजन की शर्तों की अपेक्षानुसार आवश्यक नोटिस देकर समाप्त कर दिया जायेगा परन्तु ऐसा प्रत्येक पदाधिकारी तथा कर्मचारी, जिसकी सेवायें इस प्रकार समाप्त कर दी गई हों, ऐसे अवकाश, निवृत्त–वेतन या उपदान का अधिकारी होगा जिसे वह इस अधिनियम के पारित न होने की दशा में सेवा से पृथक किये जाने पर ग्रहण करने या प्राप्त करने का अधिकार होता।

(छ) खण्ड (ङ) में उल्लिखित पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों ने नियत दिन से पूर्व, जितनी भी सेवा की होगी वह {निगम}[3] के अधीन की गई सेवा समझी जायेगी।

सेवा की निरन्तरता

{577–क–– उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी नगर निगम के नियोजन में समस्त अधिकारी और कर्मचारी, ऐसे प्रारम्भ पर, इस अधिनियम के अधीन निगम के अधिकारी और कर्मचारी हो जायेंगे और वे वही वेतन और भत्ते पायेंगे और सेवा की उन्हीं शर्तों के अधीन रहेंगे, जिनके कि वे ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व हकदार या अधीन थे।}[4]

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 21, 1964 की धारा 28 द्वारा अन्तर्विष्ट।
2. उ.प्र. अधिनियम सं. 29, 1966 की धारा 8 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 26 वर्ष 1995 के अध्याय–दो की धारा 26 द्वारा बढ़ाया गया।

{***}[2] विघटित {नगर निगम}[7] पालिका अथवा स्थानीय प्राधिकारी के लिये व्यवस्था

578–– पूर्ववर्ती धाराओं में किसी {नगर निगम}[7] या स्थानीय प्राधिकारी के प्रति किया गया कोई निर्देश तदर्थ निर्मित किसी विधायन के अधीन किसी ऐसी {नगर निगम}[7] या स्थानीय प्राधिकारी के {***}[2] विघटित होने अथवा किसी प्रशासक के अवधायन में रख दिये जाने की दशा में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रति किया गया निदेश सझा जायेगा, जो ऐसी {नगर निगम}[7] या स्थानीय प्राधिकारी से सम्बद्ध किसी विधि के अधीन उक्त {नगर निगम}[7] या स्थानीय प्राधिकारी के अधिकारों का प्रयोग करने अथवा कृत्यों का संपादन करने के लिए नियुक्त किया गया अथवा किये गये हों।

विशेष उपबन्ध

579–– (1) {जब कोई क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 243–घ के खण्ड (2) के अधीन वृहत्तर नगरीय क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया जाये तो}[3] इस अधिनियम अथवा ऐसे क्षेत्र में तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधायन में किसी बात के रहते हुये राज्य सरकार–

(क) ऐसे नगर में {***}[4] इस अधिनियम के अधीन मुख्य नगराधिकारी के अधिकारों का प्रयोग एवं कृत्यों का संपादन करने के लिये सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करने किसी अन्त कालीन मुख्य नगराधिकारी की नियुक्त कर सकती है,

(ख) ऐसे नगर में {निगम}[1] की स्थापना से सम्बद्ध समस्त कार्यों के प्रयोजनार्थ ऐसे नगर के अन्तर्गत स्थित क्षेत्र के संबंध में कार्य करने वाले {{नगर निगम}[7] परिषद्}[5], इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या विकास बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी की सेवायें अभियाचित कर सकती है,

(ग) आज्ञा देकर अन्य ऐसे विषयों की व्यवस्था कर सकती है, जो ऐसे नगर में {निगम}[1] की स्थापना को सुगम बनाने के लिये आवश्यक हो।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का भुगतान उस स्थानीय प्राधिकारी की निधियों में से किया जायेगा, जिसके कि वे सेवाओं की अभिचायना के समय पदाधिकारी या कर्मचारी रहे हो तथा अन्तः कालीन मुख्य नगराधिकारी के वेतन और भत्तों का भुगतान ऐसे स्थानीय प्राधिकारी की निधि से किया जायेगा जिसे राज्य सरकार आदिष्ट करें।

{नगर निगम}[1] के संगठन तक के लिए व्यवस्था

{579–क–– (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक को और से, {उक्त अधिनियम द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के अधीन नगर निगम के पहले संगठन तक}[6] की अवधि के दौरान {नगर निगम}[1] और उसके नगर प्रमुख, उपनगर प्रमुख, और सदस्य क्रमशः नगर निगम और उसके नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख और सदस्यों के अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और नगर निगम के नगर प्रमुख, उपनगर प्रमुख और सदस्य समझे जायेंगे।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 26 वर्ष 1995 के अध्याय–दो की धारा 27 द्वारा निकाला गया।
3. उपर्युक्त की धारा 28(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 28 (ख) द्वारा निकाला गया।
5. उपर्युक्त की धारा 28 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 29 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 4 वर्ष 2008 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) {जहां {निगम}[1], जैसी कि वह उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी, का कार्यकाल या बढ़ाया गया कार्यकाल {ऐसे प्रारम्भ के पूर्व समाप्त हो गया है और राज्य सरकार द्वारा कोई अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है (जिसे आगे प्रशासक कहा गया है) तो निगम के प्रथम संगठन तक}[4] }[3] ——

(क) {***}[5]

(ख) निगम, उसके नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, कार्यकारिणी समिति, विकास समिति तथा धारा 5 के खण्ड (ङ) के अधीन नियुक्त अन्य समितियों की तथा मुख्य नगर अधिकारी की समस्त शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य {उसमें निरन्तर निहित रहेंगे और उनका प्रयोग, पालन तथा निर्वहन प्रशासक द्वारा किया जायगा, जो}[6] विधि की दृष्टि से निगम नगर प्रमुख, उपनगर प्रमुख, कार्यकारिणी समिति, विकास समिति या अन्य समितियां अथवा मुख्य निगर अधिकारी, जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, समझा जायेगा;

(ग) प्रशासक, राज्य सरकार के किन्हीं साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, खण्ड (ख) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों में से सभी या किन्हीं के बारे में ——

(1) उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट रीति से संगठित समिति या अन्य निकास से, यदि कोई हो, परामर्श कर सकेगा, अथवा

(2) इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो अधिरोपित करना वह उचित समझे, उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किये जाने वाले किसी व्यक्ति अथवा उपखण्ड (1) के अधीन संगठित किसी समिति या अन्य निकाय को प्रत्यायोजित कर सकेगा,

(घ) प्रशासक का वेतन और भत्ते, जो उस निमित्त राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेशों द्वारा नियत किए जाएं, निगम की निधि से दिए जायेंगे। }[2]

{(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, निगम के संगठन के लिये निर्वाचन, उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994, के प्रारम्भ के दिनांक से डेढ़ वर्ष की अवधि के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कराये जायेंगे और निगम का संगठन हो जाने पर उपधारा (2) के खण्ड (ख), (ग) और (घ) के उपबन्ध प्रभावी नहीं रह जायेंगे।}[7]

(4) {***}[8]

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

580—— (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को या इस अधिनियम में किसी बात के होने के कारण, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावी बनाने में कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, जैसा अवसर विशेष पर अपेक्षित हो, अधिसूचित आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, प्रभावी होगा, जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 69 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 26 वर्ष 1995 के अध्याय—दो की धारा 29(ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 29 (ख) (एक—क) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 29 (ख)(दो) द्वारा निकाला गया।
6. उपर्युक्त की धारा (ख) (तीन) द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उपर्युक्त की धारा 29 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उपर्युक्त की धारा 29 (घ) द्वारा निकाला गया।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी कोई आदेश उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा बनाए गए उपबन्ध प्रभावी होंगे मानो वे इस अधिनियम में अधिनियमित किये गए हैं और ऐसा कोई आदेश किसी भूतलक्षी दिनांक से किन्तु, जो उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994, के प्रारम्भ के पूर्व का दिनांक न होगा, दिया जा सकता है।

(4) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र, राज्य सरकार मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–की की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

कुछ दशाओं में सम्पत्ति, आस्तियों, अधिकारों दायित्वों तथा आभारों का उत्तराधिकार

580–क–– उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994, के प्रारम्भ को और से, और धारा 140 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ––

(क) समस्त सम्पत्ति, सम्पत्ति में हित और आस्तियां, जिनके अन्तर्गत रोकड़ बाकी भी है, जहां कहीं भी वे स्थित हों, जो उक्त दिनांक के ठीक पहले {नगर निगम}[1] में निहित थी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, निगम में निहित हो जायेंगी और इसके अधिकार में रहेंगी, तथा

(ख) पूर्वोक्त {नगर निगम}[1] के ऐसे समस्त अधिकार, दायित्व और आभार चाहे वे किसी संविदा से उत्पन्न हुए हों या अन्यथा, जो पहले उक्त दिनांक से ठीक पहले विद्यमान हों, उस निगम के अधिकार, दायित्व और आभार हो जायेंगे।

(2) यदि कोई संदेह या विवाद उत्पन्न हो कि कोई सम्पत्ति, हित या आस्ति उपधारा (1) के अधीन निगम में निहित हो गयी है, या नहीं, अथवा कोई अधिकार, दायित्व या आभार निगम का अधिकार, दायित्व या आभार हो गया है या नहीं, तो ऐसा संदेह या विवाद, यथास्थिति, मुख्य नगर अधिकारी द्वारा राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्णय, जब तक कि वह किसी विधि न्यायालय के किसी निर्णय से अवक्रान्त न हो जाय, अन्तिम होगा।

{{निगम}[1] की देय धनराशियाँ}[2]

580–ख–– किसी {नगर निगम}[1] को देय समस्त धनराशियां, चाहे वे किसी कर के मद में देय हों या किसी अन्य खाते में निगम द्वारा वसूल की जायेंगी और निगम ऐसी वसूली के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा कार्य करने के लिये सक्षम होगा या कोई ऐसी कार्यवाही करने के लिये सक्षम होगा, जिसके उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994, के प्रवृत्त न होने की दशा में उक्त {नगर निगम}[1] करने या प्रारम्भ करने का अधिकारी होती।

{{निगम}[1] के ऋण आभार, संविदाये तथा विचाराधीन कार्यवाहियां}[3]

580–ग–– किसी {नगर निगम}[1] द्वारा या उसकी ओर से धारा 580–क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट दिनांक के पूर्व उपगत सभी ऋणों और आभारों और की गयी सभी संविदाओं के सम्बन्ध में, जो उक्त दिनांक को विद्यमान हों, यह समझा जायेगा कि वे इस अधिनियम द्वारा उसे प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके निगम द्वारा हुए अथवा किये गये और तद्नुसार वे प्रवर्तन में बने रहेंगे।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 26 वर्ष 1995 के अध्याय–दो की धारा 30 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 31 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) उक्त {नगर निगम}[1] के किसी प्राधिकारी के समक्ष उक्त दिनांक को विचाराधीन ऐसी समस्त कार्यवाहियां, जिनका इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निगम के समक्ष प्रारम्भ किया जाना अथवा उसके द्वारा सम्पन्न किया जाना अपेक्षित हो, निगम को संक्रमित कर दी जायेंगी और उसके द्वारा जारी रखी जायेंगी, और ऐसी अन्य समस्त कार्यवाहियां भी, यथासम्भव, उस प्राधिकारी को संक्रमित कर दी जायेंगी और उसके द्वारा जारी रखी जायेंगी, जिसके समक्ष अथवा जिसके द्वारा, वे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, प्रारम्भ या सम्पन्न की जाती।

(3) उक्त {नगर निगम}[1] के प्राधिकारी के समक्ष उक्त दिनांक को विचाराधीन समस्त अपीलें, यथा व्यवहार्य इस प्रकार निस्तारित की जायेंगी मानो उसके प्रारम्भ किये जाने के समय निगम विद्यमान था।

(4) उक्त {नगर निगम}[1] द्वारा या उसकी ओर से चलाये गये सभी अभियोजन और उक्त {नगर निगम}[1] द्वारा या उसके विरूद्ध या उक्त {नगर निगम}[1] के किसी अधिकारी द्वारा या उसके विरूद्ध चलाये गये सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां, जो उक्त दिनांक को विचाराधीन हों, निगम या अधिकारी द्वारा या उसके विरूद्ध उसी प्रकार जारी रहेंगी मानो ऐसे अभियोजन, वाद या कार्यवाही चलाये जाने के समय निगम संगठित किया जा चुका हो।}[2]

निरसन

581–– यू.पी. म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916, यू.पी. टाउन एरियाज ऐक्ट, 1914, यू.पी टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919, यू.पी. टाउन इम्प्रूवमेंट (अपील्स) ऐक्ट, 1920 यू.पी. टाउन इप्रूवमेंट (एडाप्टेशन) ऐक्ट, 1948, {यू.पी. डिस्ट्रिक बोर्ड्स ऐक्ट 1922, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासकों की नियुक्ति) अधिनियम, 1953}[2] तथा कानपुर अरबन एरिया डेवलमेंट ऐक्ट, 1945, नियत दिन से जहां तक वे नगर में किसी क्षेत्र में प्रवृत्त हो, निरस्त हो जायेंगे।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 70 द्वारा प्रतिस्थापित तथा धारा 580 (क) से 580 (ग) तक बढ़ाया गया।

अनुसूची 1

(धारा 119)

{निगम}[1] प्राधिकारियों के अप्रत्यनिधान्य कृत्य

भाग (क)

{निगम}[1] के कृत्य जो प्रतिनिधानित न किये जायेंगे

अध्याय	धारा	कृत्य
3	95	(1) विशेष समितियां अथवा संयुक्त समितियों का संगठन करना।
	96	(1) किसी छावनी प्राधिकारी अथवा अन्य किसी विधिक प्राधिकारी अथवा ऐसे प्राधिकारी के समवाय में मिलना।
6	127	किसी अचल संपत्ति को मंजूदर करने अथवा अर्जन करने की स्वीकृति देना यदि उस संपत्ति का मूल्य, जिसे मंजूर करने अर्जित करने अथवा विनियम में देने का प्रस्ताव हे, पांच हजार रुपये से अधिक हो।
		तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिये किसी संपत्ति को पट्टे पर लेने की मंजूरी देना।
		किसी आभारग्रस्त संपत्ति का दान अथवा दित्सा मंजूर करने की स्वीकृति देना, यदि उसका मूल्य पांच हजार रुपये से अधिक हो।
7	139	विशेष निधि का निर्माण करना।
	146	(4) बजट अंगीकार करना।
	148	करों की दरें निर्धारित करना।
	151	अंगीकृत बजट प्राक्कलनों में परिवर्तन करना।
	154 155	} रुपया उधार लेना।
	157	निक्षेप निधि का संगठन करना।
	172	कर लगाना।
	204	करों को हटाना या उसमें परिवर्तन करना।
	216	करों को संहत करना
	225	अनुपूरक करों का आश्रय लेना।
	360	विकास समिति द्वारा प्रस्तुत योजना का संशोधनों सहित अथवा सहित परित्याग करना अथवा उसे स्वीकृत करना।
	364	महापालिका अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी योजना को पारित करने के पश्चात् उसमें परिवर्तन करना।
	423	यह निर्धारित करना कि नगर में अथवा नगर के किसी निर्दिष्ट भाग में निजी बाजारों की स्थापना अथवा निजी वधशालाओं के संधारण की अनुज्ञा दी जाय या नहीं।

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

भाग (ख)

कार्यकारिणी समिति के कृत्य, जो प्रतिनिधानित न किये जायेंगे

अध्याय	धारा	कृत्य
6	127	(1) संपत्ति अर्जित करने के लिए निबन्धन, दरें अथा अधिकतम मूल्य निश्चित करना,
		(2) किसी संपत्ति के अनिवार्य रूप से अर्जित करने की और किसी अचल संपत्ति के विनियम की स्वीकृति देना, और
		(3) किसी संपत्ति का 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर लेने की मंजूरी देना।
	135	दस हजार रुपये से अधिक की लागत की योजनाओं के तखमीनों की मंजूरी देना।
9	213	निर्धारण–सूची को परिवर्तित अथवा संशोधित करना।
16	443	नल–मिस्त्रियों के लिये शुल्क निर्धारित करना।

भाग (ग)

विकास समिति के कृत्य, जो प्रतिनिधानित न किये जायेंगे

14	344	किसी क्षेत्र को अस्वास्थ्यकर क्षेत्र घोषित करना।
	345	गन्दी बस्तियों को साफ करने तथा पुनर्निर्माण की योजना बनाने के आदेश देना।
	351	परिमापन करने की आज्ञा देना।
	356	मुख्य नगराधिकारी द्वारा तैयार की गयी कोई योजना संशोधनों सहित अथवा रहित स्वीकार करना।
	359	किसी विकास योजना के संबंध में आपत्तियों अथवा अभ्यावेदनों पर विचार करना।

भाग (घ)

मुख्य नगराधिकारी के वे कृत्यु जो अन्य पदाधिकारियों अथवा सेवकों को प्रतिनिधानित न किये जायेंगे।

4	107	(2) {ऐसे पदों पर, जो धारा 107 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट पदों में सम्मिलित नहीं है;}[2] नियुक्तियां करना।
6	127	नगर के बाहर या भीतर किसी चल अथवा अचल संपत्ति अथवा ऐसी सम्पत्ति में कोई स्वत्व अर्जित करना।
	129	{निगम}[1] की ओर से किसी सम्पत्ति का निस्तारण करना।
10	229	यह घोषित करना कि कोई नाली अथवा उसका कोई भाग अथवा जल निस्सारण अथवा मल निस्तारण के निर्माण–कार्य {निगम}[1] में निहित होंगे।

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 71 द्वारा प्रतिस्थापित।

अध्याय	धारा	कृत्य
	250	नालियां खाली करने अथवा मल आदि निस्तारण के लिये स्थान निश्चित करना।
12	277	कुछ प्रकार के यातायात के लिये सार्वजनिक सड़कों के प्रयोग का प्रतिषेध करना।
	278	सार्वजनिक सड़कों के सुधार के लिये भू–गृहादि अर्जित करना।
	279	सड़क की पंक्ति विहित करना।
	280 281	भवनों को सड़क की नियमित पंक्ति तक पीछे हटाने और किसी भवन के गिराने के आदेश न माने जाने पर उसको या उसके किसी भाग को गिराने की आज्ञा देना।
	282 283	सड़क की बिनियमित पंक्ति के भीतर की खुली भूमि, अथा चबूतरों द्वारा घिरी हुई भूमि अर्जित करना।
	284	भवनों को आगे बढ़ाने की आज्ञा देना।
	290	किसी निजी सड़क को सार्वजनिक सड़क घोषित करना।
	293	सड़कों पर निकले हुए भागों को बनाने की अनुज्ञा देना।
	299	नियत दिन के पहले निर्मित या संस्थापित किसी ढांचे अथवा संलग्नक को हटाने के आदेश देना।
	305	आकाश चिन्हों आदि के निर्माण की अनुज्ञा देना।
13	322	उस समय तक के लिये भवन को बनाने की अनुज्ञा न देना जब तक कि सड़क प्रारम्भ न कर दी जाय अथवा पूरी न कर ली जाय।
	328	प्रार्थी द्वारा सारवान भ्रान्त कथन के आधार पर किसी भवन अथवा निर्माण–कार्य आरम्भ करने की अनुज्ञा रद्द करना।
13	333	अवैध कार्यों का निदेशन करने वाले व्यक्तियों को हटाने की आदेश देना।
	334	कुछ परिस्थितियों में किसी भवन को खाली कराने की नोटिस जारी करना।
	335	विशेष सड़कों अथवा स्थानीय क्षेत्रों में भवनों का भावी निर्माण विनियमित करना।
	338	ऐसे स्थानों पर भवनों के पुनर्निर्माण का प्रतिषेध करना जहां तक पहुंचा न जा सके।
	340	आवास संबंधी विवरण मांगना।
16	430	पशुओं के वध के लिये {निगम}[1] की अनुज्ञा से नगर के भीतर भू–गृहादि निश्चित करना।
20	525	{निगम}[1] के अनुमोदन से कुछ व्ययों को विकास व्यय घोषित करना।

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

अनुसूची 2

(धारा 376)

लैंड एक्वीजिशन ऐक्ट, 1894 (जिसे आगे उक्त ऐक्ट कहा गया है) में संशोधन

1–– उक्त ऐक्ट की धारा 3 के खंड (ई) के पश्चात् निम्नलिखित रखा गया समझा जाय, अर्थात्– धारा 3 का संशोधन

"(ee) the expression 'local authority' includes a Mahapalika constituted under the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959."

2–– (1) इस अधिनियम की धारा 357 के अधीन किसी विकास योजना का प्रथम प्रकाशित नोटिस, उक्त ऐक्ट की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन सम्बद्ध स्थान तथा सरकारी गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति का स्थान ले लेगा, ओर उसी के समान प्रभावी होगा, सिवाय उस दशा के जब उक्त ऐक्ट की धारा 4 या 6 के अधीन पहले घोषणा की जा चुकी हो और वह अब भी प्रचलित हो। विकास योजनाओं की दशा में धारा 4 तथा धारा 6 के अधीन विज्ञाप्ति का स्थान इस अधिनियम की धारा 357 तथा 363 के अधीन प्रचारित विज्ञप्तियां लेंगी।

(2) इस अनुसूची की कंडिकाओं 10 तथा 11 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम की धारा 348 की उपधारा (4) के अधीन अर्जित भूमि की दशा में उक्त उपधारा के अधीन तथा इस अधिनियम की किसी अन्य विकास योजना के अधीन अर्जित भूमि की दशा में इस अधिनियम की धारा 363 के अधीन प्रकाशित विज्ञप्ति उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गयी घोषणा का स्थान ले लेगी, तथा उसी के समान प्रभावी होग, जब तक कि उक्त धारा 6 के अधीन घोषणा पहले ही न की जा चुकी हेा और वह अब भी प्रचलित न हो।

3– उक्त ऐक्ट की धारा 11 के अन्त में फुलस्टाप, सेमीकोलन में परिवर्तित समझा जाय तथा निम्नलिखित बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्– धारा 11 का संशोधन

"and

(iv) the cost which] in his opnion, should be allowed to person who is found to be entitled to compensation [***][1] as having been actually and reasonably incurred by such person in preparing his claim and putting his case before the Collector.

The Collector may disallows, wholly or in part, coasts incurred by any person, if he considers that the calim made by such person for compensation is extravagant."

4– उक्त ऐक्ट की धारा 15 में शब्द तथा संख्या "and 24" के स्थान पर संख्या शब्द संख्या, तथा वर्ण "24 and 24-A" जिनके पहले एक कामा भी होगा, रखे गये समझे जायं। धारा 15 का संशोधन

5– (1) उक्त ऐक्ट की धारा 17 की उपधारा (3) में संख्या ''24'' के पश्चात् शब्द, संख्या तथा वर्ण "or section 24-A" रखे गये समझे जायं। धारा 17 का संशोधन

(2) उक्त धारा 17 में निम्नलिखित बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्–

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 23, 1961 की धारा 2 द्वारा निकाला गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

"(5)[1] Sub-sections (1) and (3) shall apply also in the case of any area which is stated in a certificate granted by the District Magistrate or a Magistrate of the first class to be unhealthy.

(6)[1] Before granting any such certificate, the Magistrate shall cause notice to be served as promptly as may be on the persons referred to in sub-section (3) of section 9, and shall hear without any avoid able delay any objection which may be urged by them.

(7)[1] When proceedings have been taken under this section, for the acquisition of any land, and any person sustains damage in consequence of being suddenly dispossessed of such land, compensation shall be paid to such person for such dispossession.

{निगम}[2] को भूमि हस्तान्तरण

6–– उक्त ऐक्ट की धारा 17 के पश्चात् निम्नलिखित रखा गया समझा जा, अर्थात्–

"17-A. In every case referred to in section 16 or section 17, the Collector shall, upon payment of the cost of acquisition, make over charge of the land to the Mukhya Nagar Adhikari; and the land shall thereupon vest in the Mahapalika, subject to the liability of the Mahapalika to pay any further costs which may be incurred on account of the acquisition."

धारा 18 का संशोधन

7–– उक्त ऐक्ट की धारा 18 की उपधारा (1) के अन्त का फुलस्टाप कामा में परिवर्तित समझा जाय तथा शब्द "or the amount of the costs allowed" बढ़ाये गये समझे जांय।

धारा 19 का संशोधन

8–– उक्त ऐक्ट की धारा 19 के खण्ड (सी) में शब्द "amount of compensation" के पश्चात् शब्द "and of costs (if any)" रखे गये समझे जायं।

धारा 20 का संशोधन

9–– उक्त ऐक्ट की धारा 20 के खण्ड (सी) में शब्द "amount of compensation" के पश्चात शब्द "or costs" रखे गये समझे जायं।

धारा 23 का संशोधन

10–– (1) उक्त ऐक्ट की धारा 23 की उपधारा (1) के पहले तथा छठें खण्ड में शब्द "publication of the notification under section 4, sub-section (1)" तथा शब्द "publication of declaration, under section 6" के पश्चात् –

(क) इस अधिनियम की धारा 348 की उपधारा (3) के अधीन भूमि अर्जित किये जाने की दशा में शब्द "or in the case of acquisition under sub- section (3) of section 348 of the U. P. Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959 of the issue of the notice under sub-section (3) of section 348 of that Act" and

(ख) अन्य किसी दशा में शब्द "or in the case of acquisition of land under any' improvement scheme other than a deferred street scheme under Chapter XIV of the U. P. Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, of the first publication of the notification under section 357 of that Act." बढ़ाये गये समझे जायं।

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 23, 1961 की धारा 2 द्वारा पुनः संख्याकित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) {***}[2]

{(3)}[1] उक्त ऐक्ट की धारा 23 के अन्त में निम्नलिखित बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्–

"(2) for the purposes of clause first of sub-section (I) of this section-

(a) the market-value of the land shall be the market-value according to the use to which the land was put at the date with reference to which the market-value is to be determined under that clause;

(b) if it be shown that before such date the owner of the land had in good faith taken active steps and incurred expenditure to secure a more profitable use of the same, further compensation based on his actual loss may be paid to him;

(c) if any person, without the permission of the Mukhya Nagar Adhikari required by clause (b) of sub-section (1) of section 348 or by sub-section (4) of section 350 of the Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, bas erected, re-erected, added or altered any building or wall so as to make the same project beyond the street alignment prescribed under the said section 348 or within the area specified in sub-section (4) of the said section 350, as the case may be, then any increase in the market-value resulting from such erection, re-erection, addition or alteration shall be disregarded.

(d) if the market-value has been increased by means of any improvement made by the owner or his predecessor-in interest within two years before the aforesaid date, such increase shall be disregarded unless it be proved that the improvement so made was made in good faith and not in contemplation of proceedings for the acquisition of the land being taken under this Act;

(e) if the market-value is specially high in consequence of the land being put to a use which is unlawful or contrary to public policy, that use shall be disregarded and the market-value shall be deemed to be the market-value of the land if Put to ordinary uses;

(f) if the market-value of any building is specially high in consequence of the building being so overcrowded as to be dangerous to the health of the inmates such overcrowding shall be disregarded, and the market-value shall be deemed to be the market-value of the building if occupied by such number of persons only as could be accommodated in it without risk of danger from overcrowding;

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 14, 1959 की धारा 10 द्वारा पुनः संख्यांकित।
2. उ.प्र. अधिनियम सं. 23, 1961 की धारा 2 द्वारा निकाली गयी।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(g) when the owner of the land or building has after the passing of the U. P. Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, and within two years preceding the date with reference to which the market value is to be determined, made a return under section 158 of the United Provinces Municipalities Act, 1916, of the rent of the land or building, the rent of the land or building shall not, in any case, be deemed to be greater than the rent shown in the latest return so made, save as the court may otherwise direct, and the market-value may be determined, on the basis of such rent :

Provided that where any addition to, or improvement of, the land or building has been made after the date of such latest return and previous to the date with reference to which the market-value is to be determined, the Court may take into consideration any increase in the letting value of the land due to such addition or improvement.

11–– उक्त ऐक्ट की धारा 24 के खन्ड सातवें के स्थान पर निम्नलिखित रखा गया समझा, जाय, अर्थात्– धारा 24 का संशोधन

"Seventhly, any outlay on additions or improvements to land acquired, which was incurred after the date with reference to which the market-value is to be determined, unless such additions or improvements, were necessary for the maintenance of any building in a proper state of repair."

12–– उक्त ऐक्ट की धारा 24 के पश्चात् निम्नलिखित रखा गया समझा जाय, अर्थात्–– नयी धारा 24–ए

"24-A. In determining the amount of compensation to be awarded for any land acquired under this Act for a Mahapalika established under U. P. Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, the Court shall also have regard to the following provisions, namely---

(1) when any interest in any land acquired under this Act has been acquired after the date with reference to which the market- value is to be determined, no separate estimate of such interest shall be made so as to increase the amount of compensation to be paid for such land;

(2) if, in the opinion of the Court any building is in a defective state, from: a sanitary point of view, or is not in a reasonably good state of repair, the amount of compensation, for such building shall not exceed the sum which the Court considers the building would be worth if it were put into a sanitary condition, or into reasonably good state of repair, as the case may be, minus the estimated cost of putting it into such condition or state;

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) if, in the opinion of the Court, any building which is uses or is intended or likely to be used for human habitation, is not reasonably capable of being made fit for human habitation, the amount of compensation for such building shall not exceed the value of the materials of the building, minus the cost of demolishing the budding."

धारा 31 का संशोधन

13–– (1) उक्त ऐक्ट की धारा 31 की उपधारा (1) में शब्द "the compensation" के पश्चात् तथा उसी धारा की उपधारा (2) में शब्द "the amount of compensation" के पश्चात् शब्द "and costs (if any)" रखे गये समझे जायं।

(2) उक्त ऐक्ट की धारा 31 की उपधारा (2) के अन्तिम प्रतिबन्ध (proviso) में शब्द "compensation" के पश्चात् शब्द "or costs" रख गये समझे जायं।

नयी धारा 48 –ए

14–– उक्त ऐक्ट की धारा 48 के पश्चात् निम्नलिखित रखा गया समझा जाय, अर्थात्–

"48-A. (1) If within a period of two years from the date of the publication of the declaration under section 6 in respect of .any land, the Collector has not made an award under section 11, with respect to such land, the owner of the land shall, unless he has been to a material extent responsible for the delay, be entitled to receive compensation for the damage suffered by him in consequence of the delay.

(2) The provisions of Part III of this Act shall apply, so far as may be, to the determination of the compensation payable under this section."

धारा 49 का संशोधन

15–– उक्त ऐक्ट की धारा 49 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित रखा गया समझा जाय, अर्थात्––

"(1) For the purposes of sub-section (I) land which is held with: and attached to a house and is reasonably required for the enjoyment and use of the house shall be deemed to be part of the house."

उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

अनुसूची 3

(देखिये–धारा 460)

दंड सारिणी

भाग–1

धारायें , उपधारायें तथा खंड	जुर्माना जो किया जा सकता है
396 (2), 397, 398, 400 (छ), 400 (ज), 400 (झ), 403, 404, 405	दस रुपये
388 (2) 408, 425 (2), 438 (6) 442, 443, 447, 448, 449	बीस रुपये
246, 277 {***}[1] 294, 303 (1), 307, 422 (ड.), 424, 426 (1), 428, 451 (5)	पचास रुपये
238, 239, 242 (1) (ख), 243 (ख) 248, 257, 258, 259 (1), 259 (2), 270, 281, (2), 289, 293, (3) 295, (1) , 295 (2), 299 (1), 302 (1), 303 (2) 304 (1), 305 (3), 309 (1), 312, 330 (4), 332, 409, 410 411, 418, 427, 430, 432 (1), 439	सौ रुपये
236, 252 (1), 253, 267 (1), 292 (1), (2) (4) 303 (3), 3608 (1), 330 (2) 330 (3), 333 (1), 334 (3), 392 (3), 423 (2), 440, {482, (3)}[2]	दो सौ रुपये
245 (1), 288 (1), 324, {***}[3], 329, 331 (1), 331 (2), 391 (2), 394 (1), 413, 417 (1), 438 (1)	पांच सौ रुपये
279 (4), 326, 335 (7), 401, 402	एक हजार रुपये

---

1. उ.प्र. अधिनियम संख्या 23, 1961 की धारा 2 द्वारा निकाला गया।
2. उपर्युक्त की धारा 2 द्वारा प्रस्थिापित।
3. उपर्युक्त की धारा 2 द्वारा निकाला गया।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

भाग 2

धारायें, उपधारायें तथा खंड	जुर्माना जो प्रतिदिन किया जा सकता है
293 (3), 284, 427, 428, 438, (6)	पांच रुपये
236, 238, 239, 242 (1) (ख), 243 (ख), 246, 248, 257, 258, 259 (1), 259 (2), 267 (1), 270, 289, 292 (2), (4), 295 (1), 295 (2), 299, 303 (2), 305 (1), 305 (3), 308 (1), 309 (1) 330 (4), 422 (ड.), 439, 451 (5)	दस रुपये
304 (1), 307, 330 (2), 330 (3), 333 (1), 334 (3), 440	बीस रुपये
245 (1), 281 (2), 302 (1), 303 (1), 332, 391 (2), 392 (3), 394 (1), 423 (2), 438 (1), {(482 (3)}[1]	पचास रुपये
279 (4), 324, 329, 331 (1), 331 (2), 335 (7)	सौ रुपये
401, 402	पांच सौ रुपये

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 23, 1961 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 वर्ष 1994 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

THE UTTAR PRADESH [MUNICIPAL CORPORATION][2] ACT, 1959[1]

[U. P. Act No. II of 1959]

Amended by the U. P. Act XIV of 1959
U. P. Act No. XXII of 1961
U. P. Act No. XXIII of 1961
U. P. Act No. XVII of 1963
U. P. Act No. XXI of 1964
U. P. Act No. XXIX of 1966
U. P. Act No. VIII of 1970
U. P. Act No. XXX of 1970
U. P. Act No. XXII of 1972
U. P. Act No. XXIV of 1972
U. P. Act No. XXV of 1974
U. P. Act. No. XIII of 1975
U. P. Act. No. XLI of 1976
U. P. Act. No. IX of 1977
U. P. Act. No. XII of 1977
U.P. Act. No. X of 1978
U.P. Act. No. XXXV of 1978
U. P. Act. No. XXXV of 1979
U.P. Act. No. VII of 1982
U. P. Act. No. XVII of 1982
U.P. Act No. XV of 1983
U.P. Act No. XXV of 1983
U.P. Act No. V of 1984
U.P. Act No. XXVII of 1985
U.P. Act No. III of 1987

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on September 15, 1958 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on December 17, 1958.

Received the assent of the President on January 22, 1959 under article 20l of the Constitution of India and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extra-ordinary dated January 24, 1959.]

AN
ACT

to provide for the establishment of [Municipal Corporation][2] for certain cities in Uttar Pradesh.

Whereas it is expedient to provide for the establishment of [Municipal Corporation][2] in certain Cities with a view to ensure better municipal Government of the said Cities; it is hereby enacted as follows :-

---

1. For statement of objects and reasons see U. P. Gazette Extraordinary, dated April 16, 1957.
2. substituted by section 2 of U.P. Act No. 12 of 1994.

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title, extent and commencement

1. [(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959.][3]

(2) It extends to the whole of the State of Uttar Pradesh.

(3) This Chapter shall come into operation at once, and the remaining provisions of this Act shall in relations to a City come into operation from such day as the State Government may by notification in the official Gazette appoint in that behalf [and different dates may be appointed for different provisions:][1]

Provided that for the limited purpose of constituting a [Corporation][2] for a City under this Act, the provisions of Chapter II including-

(a) the delimitation of wards in the City;

(b) the preparation and publication of electoral rolls;

(c) the qualifications and disqualifications for being chosen as Nagar Pramukh, [***][4] or Sabhasad of a [Corporation][2] and for nomination as candidate for election as Nagar Pramukh, [***][4] or Sabhasad: and

(d) generally, the conduct of election and all other matters necessary for the due constitution of the [Corporation][2] ;

shall come into operation in and in respect of such City from the date of notification under section 3 and notwithstanding anything in any other enactments all acts may be, done and all proceedings taken as may be necessary for holding the elections in accordance with the provisions of the said Chapter and rules made thereunder for the due constitution of the [Corporation][2].

Definitions

2. In this Act unless there be something repugnant in the subject or context-

(1) "advertisement" means any word, letter, model, sign, placard board, notice, device or representation whether illuminated or not, in the nature of and employed wholly or in part for the purpose of advertisement, announcement or direction and includes any hoarding or similar structures used or adapted to be used for the display of advertisement;

(2) "appointed day" with reference to a City means the day on which the due constitution of the [Corporation][2] for the City is notified in the official Gazette;

(3) "Assembly Rolls" mean the electoral rolls prepared for the Assembly constituencies under and in accordance with the provisions of the Representation of the People Act, 1950 ;

---

1. Ins. by Sect. 2 as U. P. Act No. 14 of 1959.
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
3. Substituted by section 4(a).
4. Omitted by section 4(b).

(4) "bakery or bake-house" means any place in which bread, biscuits or confectionery are baked, cooked or prepared in any manner whatsoever for the purposes of sale or profit;

(5) "budget grant" means the total sum entered on the expenditure side of a budget estimate under a major head as prescribed by rules and adopted by the [Corporation][2] and includes any sum by which such budget grant may be increased or reduced by a transfer from or to other heads in accordance with the provisions of this Act and rules ;

(6) "building" includes a house, out-house, stable, shed, hut and other enclosure or structure whether of masonry, bricks, wood, mud, metal or any other material whatever, whether used as a human dwelling or otherwise, and also includes verandahs, fixed' platforms, plinths, door-steps, walls including compound walls and fencing and the like but does not include a tent or other such portable temporary structures;

(7) "building-line" means a line which is in rear of the street-alignment and to which the main wall of a building abutting on a street may lawfully extend and beyond which, no portion of the building may extend except as prescribed in the building rules ;

(8) “bye-law" means a bye-law made under the provisions of this Act;

(9) "cesspool" includes a settlement tank or other tank for the reception or disposal of foul matter from building ;

[(10) "City" means a larger urban area as notified under clause (2) puff article 243-Q of the Constitution;][3]

[(10-A) “Commercial building” means any building not being a factory which is used or occupied for carrying on any trade or commerce or any work connected therewith or incidental or ancillary thereto.][1]

(11) "Commissioner of Division" with reference to a City means the Commissioner of the Division in which the City is situated and includes any Additional Commissioner to whom the Commissioner of the Division has delegated his functions under this Act ;

[(11-A) ‘Corporation’ or ‘Municipal Corporation’ means the Municipal Corporation constituted for a city under sub-clause (c) of clause (1) of article 243-Q of the constitution;][4]

(12) "cubical contents" when used with reference to the measurement of a building means the space contained, within the, external surfaces of its walls and roof and the upper surface of the floor, of its lowest storey or, when the building consists of one storey only, the upper surface of its floor;

---

1. Chapter-4 of insertion by section 5 as U. P. Act No. 03 of 1987.
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
3. subs. by section 2 (a) Chapter 2 of U.P. Act No. 26 of 1995.
4. Insertion of section 2(b) ibid.

(13) "dairy" includes any farm, cattle-shed, milk-store, milk-shop or other place from which milk is supplied for sale or in which milk is kept for the purposes of sale or manufactured into butter; ghee, cheese, curds or dried or condensed milk for sale and, in the case of a dairyman who does. not occupy any place for the sale of milk, includes the place where he keeps, the vessels used by him for the sale of milk but does not include a shop of other place in which milk is sold for consumption on the premises only;

(14) "dairyman" includes the keeper of a cow, buffalo, goat, ass or other animal, the milk of which is offered or intended to be offered for sale for human consumption and any purveyor of milk and any occupier of a dairy;

(15) "dairy produce" includes milk, butter, ghee, curd, butter-milk, cheese and every product of milk;

(16) "dangerous disease" means cholera, plague, smallpox, or any other epidemic or infectious disease by which the life of human beings is, endangered and which the [Corporation][4] may from time to time by public notice declare to be a dangerous disease ;

(17) [***][3]

[(17-A) 'Director' means the Director of Local Bodies, Uttar Pradesh appointed by the State Government under Section 5-A;][1]

(18) "District Judge" includes an Additional District judge to whom. any function of the District Judge has been transferred under this Act;

(19) "drain" includes a sewer, tunnel, pipe, ditch, gutter-or channel and cistern, flush-tank, septic-tank, or other devices for carrying off or treating sewage offensive matter, polluted water, sullage, waste water, drain water, or sub-soil water and any culvert, ventilation shaft or pipe or other appliance or fitting connected therewith, and any ejectors) compressed air mains, sealed sewage mains and special machinery or apparatus for raising collecting, expelling or removing sewage offensive matter from any place ;

(20) "eating house" means any premises to which the public or any section of the public are admitted and where any kind of food is prepared or supplied for consumption on the premises or elsewhere for the-profit or gains of any person owning or having an interest in or managing such premises;

(21) "elector" in relation to a ward means a person whose name is for the time being entered in the electoral roll of that ward;

[(22) "essential services" means a service referred to in section 112-B][2];

(23) "factory" means a factory as defined in the [***][1] Factories Act, 1948;

(24) "filth" includes sewage, night-soil and all offensive matter;

---

1. Deleted by Sect. 3 (I) of U.P. Act No. 14 of 1959
2. Subs. by Sect. 2 of U.P. Act No. 21 of 1964.
3. Ins. by sect, 2 of U. P. Act No. 41 of 1976.
4. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

[(24-A) 'Finance Commission' means the Finance Commission [constituted under]3 article 243-I of the Constitution;][2]

(25) "financial year" means the year commencing on the first day of April;

(26) "food" includes every article used for food or drink by man other than drugs or water, and any article which ordinarily enters into or is used in the composition or preparation of human food, and also includes confectionery, flavoring and colouring matters and spices and condiments;

(27) "frame building" means a building the external walls of which are constructed of timber framing or iron framing, and the stability of which depends on such framing;

(28) "house-drain" means, any drain of, and used for the drainage of, one or more buildings or premises and made merely for the purpose of communicating there from with a [Corporation][1] drain;

(29) "house-gully" or "service passage" means a passage or strip of land constructed, set apart or utilized for the purpose of serving as a drain or of affording access to a privy, urinal, cesspool or other receptacle for filthy or polluted matter, to [Corporation][1] servants or to persons employed in the clean-sing thereof or in the removal of such matter therefrom ;

(30) "hut" means any building which is constructed principally of wood, mud, leaves, grass, cloth, or thatch and includes any temporary structure of whatever size or any small building of whatever material made which the [Corporation][1] may declare to be a hut for the purpose of this Act;

(31) "inhabitant" used with reference to a local area means any person ordinarily residing or carrying on business or owing or occupying immovable property therein ;

(32) "the judge" means the Judge of the Court Of Small Causes having jurisdiction in the City under the Provincial Small Cause Court Act, 1887;

(33) "land" includes land which is being built upon or is built upon or is covered with water, benefits to arise out of land, things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth and rights created by legislative enactment over any street:

(34) "licensed plumber", "licensed surveyor", "licensed architect", licensed engineer", "licensed structural designer" and "licensed clerk of works" respectively, mean a person licensed by the [Corporation][1] as a plumber, surveyor, architect, engineer; structural designer or a clerk of works under this Act;

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
2. Inser. of section 5(b) ibid.
3. subs. by section 2 (c) of U.P. Act No. 26 of 1995.

(35) "lodging house" means a building or part of a building where lodging with or without board or other service is provided for a monetary consideration and includes a collection of building or a building, or part of a building used foe the accommodation of pilgrims and travelers whether on payment or otherwise;

(36) "market" includes anyplace where persons assemble for the sale of, or for the purpose of exposing for sale, live-stock or food for live-stock or meat, fish fruit, vegetables, animals intended for human food or any other articles of human food whatsoever with or without the consent of the owner of such place, notwithstanding that there may be no common regulation of the concourse of buyers and sellers and whether or not any control is exercised over the business of or the persons frequenting the market by the owner of the place or any other person;

(37) "masonry' building" means any building other than a frame building or a hut and includes any structure a substantial part of which is made of masonry or of steel, iron or other metal ;

[(38) “member of a Corporation” means a Sabhasad, a Paden Sadasya, a Nam-Nirdishta Sadasya or a Chairperson of a Committee, if any, established under clause (e) of section 5, if he is not member of the Corporation and, unless the contrary is indicated, includes a Nagar Pramukh;][2]

[(39) "Mukhya Nagar Adhikari" means the Mukhya Nagar Adhikari appointed under section 58 and includes an Apar Mukhya Nagar Adhikari appointed under the said section, an Upa Nagar Adhikari and a Sahayak Nagar Adhikari appointed under section 107 while exercising powers and performing duties under section 112;][3]

(40) [Corporation][1] drain" means a drain vested in the [Corporation][1] ;

(41) “[Corporation][1] market" means a market vested in or managed by the [Corporation][1] ;

(42) “[Corporation][1] slaughter-house" means a slaughter-house vested in or managed by the [Corporation][1] ;

(43) "[Corporation][1] office" means office of the [Municipal Corporation][1];

(44) "[Corporation][1] tax" means any impost levied under the provisions of this Act;

(45) "[Corporation][1] waterworks" means water work belonging to or vesting in the [Corporation][1] ;

[(45-A) ‘Metropolitan area’ means an area as defined in clause (c) of of Article 243-P of the Constitution;

(45-B) ‘[Municipal Corporation][1]’ means an institution of self government constituted under section 4;

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
2. subs. by section 2 (d) of U.P. Act No. 26 of 1995.
3. Subs. by section 2 (e) ibid.

(45-C) ‘municipal area’ means the territorial area of a Corporation;][2]

(46) "nuisance" includes any act, omission, place or thing which causes or is likely to came injury, danger, annoyance or offence to the sense of sight, smell or hearing or which is or may be dangerous to life or injurious, to health or property;

(47) "occupier" includes-

(a) any person who for the time being is paying or is liable to pay the owner the rent or any portion of the rent of the land or building in respect of which such rent is paid or is payable;

(b) an owner living in or otherwise using his land or building ;

(c) a rent- free tenant ;

(d) a licensee in occupation of any land of building ;and

(e) any-person who is liable to pay to the 'owner damages for' the use and occupation of any land or building;

(48) "offensive, matter includes animal carcasses, dung, dirt and putrid or putrefying substances other than sewage ;

(49) "Officer of the [Corporation][1] means a person holding for the time being an office created or continued by or under this Act but shall not include a member of the [Corporation][1] or of a Committee as such;

(50) "Official Gazette" means the Gazette issued under the authority of the State Government;

(51) "Order" means an order published in the Official Gazette or in the manner prescribed;

[(51-A) ‘backward classes’ means the backward classes of citizens specified in Scheduled I of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994;][3]

(52) "owner" means-

(a) when used with reference to any premises the person, who receives the rent of the said premises or who would be entitled to receive the rent thereof if the premises were let and includes;

(i) an agent or trustee who receives such rent on account of the owner;

---

1. substituted by section 3 of U.P. Act No. 12 of 1994.
2. Substituted by section 5 (e) ibid.
3. Substituted by section 5 (f) ibid

(ii) an agent or trustee who receives the rent of or is entrusted with, or concerned for any premises devoted to religious or charitable purposes.

(iii) a receiver, sequestrate or manager appointed by any Court of competent jurisdiction to have the charge of, or to exercise the rights of an owner of, the said premises, and

(iv) a mortgagee-in-possession ;

(b) when used with reference to any animal, vehicle or boat, includes the person for the time being in charge of the animal, vehicle or boat;

[(52-A) 'Panchayat' means a Panchayat referred to in clause (f) of Article 243-P of the Constitution;][4]

(53) "part of a building" includes any wall, underground room or passage, verandah, fixed platform, plinth" staircase or door step attached to or within the compound of an existing building or constructed on ground which is to be the site or compound of a projected building;

[(53-A) 'population' means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published;][5]

(54) ["premises" means any land or building][1];

(55) "prescribed" means prescribed by this Act or by rule or order made thereunder or by or under any other enactment ;

(56) "prescribed authority" means an officer or a body corporate, appointed by the State Government in this behalf by notification in the official Gazette, and if no such officer or body corporate is appointed, the Commissioner of the Division in which the City is situate;

(57) "petroleum" means petroleum as defined in the [Petroleum Act, 1934][2] ;

(58) "private street" means a street which is not a public street ;

(59) "privy" means a place set apart for defecating or urinating or both, together with the structure comprising such place, the receptacle therein for human excreta and the fittings and apparatus, if any, connected therewith, and includes a closet of the dry type, aqua privy, a latrine and a urinal ;

(60) "public place" includes any public park or garden or any ground to which the public have or are permitted to have access;

---

1. Subs. by sect. 2 of U. P. Act No. 24 of 1972.
2. Substituted by section 3(2) of U.P. Act No. 14 of 1959.
3. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
4. Substituted by section 5(g) ibid.
5. Substituted by section 5(h) ibid.

(61) "public securities" means-

(a) securities, of the Central Government or any State Government;

(b) securities, stocks debentures or shares the interest whereon has been guaranteed by the Central or the State Government;

(c) debentures or other securities for money issued by or on behalf of any local authority in exercise of the powers conferred by any enactment for the time being in force in any part of the Republic of India;

(d) securities expressly authorized by any order which the State Government makes in this behalf;

(62) "public street", means any street-

(a) heretofore leveled, paved, metal led, channeled, skewered or repaired out of [Corporation][1] or other public funds; or

(b) which under the provisions of section 290 is declared to be, or under any other provision of this Act becomes, a public street;

(63) (a) A person is deemed to "reside" in any dwelling which, or some portion of which, he sometimes uses, whether interruptedly or not, as a sleeping apartment; and

(b) A person is not deemed to cease, to "reside" in any such dwelling merely because he is absent from it or has else-where another dwelling in which he resides, if there is the liberty of returning to it at any time and no abandonment of the intention of returning to it;

(64) "rubbish" includes dust, ashes, broken bricks, mortar, broken glass, garden or stable refuse and refuse of any kind which is not offensive matter of sewage;

(65) "rules" means rules made under powers conferred by this Act;

(66) "Schedule" means the schedule appended to this Act;

(67) [***][2]

(68) The expression "Scheduled Bank" shall have the meaning assigned to it in the Reserve Bank of India Act, 1934 ;

(69) "Servant of the [Corporation][1] means any person in the pay and service of the [Corporation][1] ;

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
2. Substituted by section 5(I) ibid.

(70) "sewage" means night-soil, and other contents of water-closets, latrines, privies, urinals, cesspools, or drains and polluted' water from sinks, bath-rooms, stables, cattle-sheds, and other like places and includes trade effluent and discharges from manufactories of all kinds;

(71) "sky-sign" means any word, letter, model, sign, device or other representation, in the nature of an advertisement, announcement or direction, which is supported on or attached to any post, pole, standard, framework or other support wholly or in part upon over or above any building or structure, and which is wholly or in part visible against the sky from any point in any street or public place, and includes-

(a) every part of such support, and

(b) any balloon, parachute or similar device employed wholly or in part for the purposes of any advertisement or announcement, on over or above any building, structure or erection of any kind or on or over any street or public place;

but shall not be deemed to include--

(i) any flagstaff, pole, vane or weathercock unless adapted or used wholly or in part for the purposes of any advertisement or announcement;

(ii) any sign on any board, frame or other contrivance securely fixed to or on the top of the wall or parapet of any building, on the cornice or blocking course or any wall, or to the ridge of a roof, if such contrivance be of one continuous face and not open work and does not extend in height more than three feet above any part of such wall, parapet or ridge, or

(iii) any representation which relates exclusively to the business of a railway administration as defined in the Indian Railways Act, 1890, and which, is placed wholly upon or over any railway station yard, platform or station approach, or premises belonging to such railway administration, and which, is also so placed that it could not fall into any street or public place;

(72) "special fund" means a fund constituted under section 139 ;

(73) "State Government "means the Government of Uttar Pradesh;

[(73-A) ‘State Election Commission’ means the State Election Commission referred to in Article 243-K of the Constitution appointed by the Governor;][2]

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
2. Omitted by section 5(j) ibid.

(74) "street" includes any highway and any causeway, bridge, viaduct, arch, road, lane, foot-way, sub-way court, alley or riding path or passage, whether a thorough fare or riot, over which the public have a right of passage or access or have passed and had access uninterruptedly for a period of twenty years; and when there is a foot-way as well a carriage way in any street, the said term includes both;

(75) "street alignment" means the line dividing the land comprised in and forming part of a street from the adjoining land;

(76) "sweetmeat shop" means any premises or part of any premises used for manufacture, treatment or storage for sale or for the sale, wholesale or retail, of any ice-cream, confections or sweetmeats, whatsoever, for whomsoever intended and by whatsoever name the same may be known and whether the same be for consumption on or outside the premises ;

(77) "theatre tax" means a tax on amusements or entertainments :

(78) "trade effluent" means any liquid either with or without particles of matter in suspension therein, which is so wholly or in part produced in the course of any trade or industry carried on at trade premises and in relation to any trade premises, means any such liquid as aforesaid which is so produced in the course of any trade or industry carried on at those premises, but does not include domestic sewage;

(79) "trade premises" means any premises used or intended to be used for carrying on any trade or industry;

(80) “trade premises” means and includes the refuse of any trade, manufacture or business;

(81) "'vehicle" includes a carriage, cart, van, dray, truck, hand-cart, bicycle, tricycle, motorcar and every wheeled conveyance which is used or is capable of being used on a street;

[(82) "ward" means the territorial constituency of a Corporation;][3]

[(82-A) ‘ward Committees’ means the Ward Committees [referred to in article 243-S of the Constitution][4] ;][2]

(83) "water closet" means a closet which has a separate fixed receptacle connected to a drainage system and separate provision for flushing from a supply of clean water either by the operation of mechanism or by automatic action;

(84) "water connection" includes-

(a) any tank, cistern, hydrant, stand-pipe, meter or, tap, situated on a private property and connected with a water-main or pipe belonging to the [Corporation][1], and

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
2. Substituted by section 5 (k) ibid.
3. Subs. by section 2 (f) of U.P. Act No. 26 of 1995.
4. Subs. by section 2 (g) ibid.

(b) the water-pipe connecting such a tank, cistern, hydrant, stand-pipe, meter or tap, with such water-main or pipe;

(85) "water-course" includes any river, stream, or channel whether natural or artificial;

(86) "water for domestic purposes" shall not include water for cattle or for horses, or for washing vehicles, when the cattle, horses or vehicles are kept for sale or hire, or by a common carrier, and shall not include water for any trade, manufacture or business, or for building purposes, for watering gardens, or streets or for fountains or for any ornamental or mechanical purposes ;

(87) "waterworks" includes a lake, stream, spring, well, pump, reservoir, cistern tank, duct, whether covered or open sluice, main-pipe, culvert, engine, water-truck, hydrant, stand-pipe, conduit and machinery, land building or thing for supplying or used for supplying water or for protecting sources of water-supply;

(88) "workshop" means any building, place or premises, or any part thereof, not being a factory, to or over which the employer or the persons working therein have the right of access or control and in which or within the compound or precincts of which, any manual labor is employed or utilized in aid of or incidental to any process for the following purposes :

(a) the making of any article or part thereof, or

(b) the altering, repairing, ornamenting or finishing of any article, or

(c) the adopting for sale of any article.

[(89) The expressions ‘transitional area’ and ‘smaller urban area’ shall have the meanings respectively assigned to them in the U.P. [Municipal corporation][4] Act, 1916.][2]

[Declaration of larger urban area

[3- (1) Any area specified by the Governor in a notification under clause (2) of article 243-Q of the Constitution with such limits as are specified therein to be a larger urban area, shall be known as a City, by such name as he may specify:

[5][Provided that the Governor may, by subsequent notification under Clause (2) of Article 243-Q of the Constitution, include or exclude any area in or from any larger urban area referred in this sub-section.]

(2) Where, by a subsequent notification under clause (2) of article 243-Q of the Constitution the Governor includes any area in a city, such area shall thereby become subject to all notifications, rules, regulations, bye-laws, orders and directions issued or made under this or any other enactment and in force in the City at the time immediately preceding the inclusion of such area and all taxes, fees and charges imposed under this Act, shall be and continue to be levied and collected in the aforesaid area.][3]

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
2. Substituted by section 5 (l) ibid.
3. Subs. by section 3 of U.P. Act No. 26 of 1995.
4. Substituted by section 6 of Uttarakhand Act No. 04 of 2008.
5. Ins. by Section 2 of UK Act no 32 of 2018.

CHAPTER II

Constitution and Governance of [Corporation][3]

[Municipal Corporation to be a body corporate

4- A Municipal Corporation constituted under sub-clause (c) of clause (1) of Article 243-Q of the Constitution in accordance with part IX-A thereof shall be known as the Municipal Corporation of .... (name of the City) and be a body corporate.][6]

[Corporation][3] authorities

5- The [Corporation][3] authorities charged with carrying out the provisions of this Act for each City shall be-

(a) the [Corporation][3];

[(aa) the Ward Committees;][4]

(b) an Executive Committee of the [Corporation][3] ;

[(bb) the Nagar Pramukh;][1]

(c) a Development Committee of the [Corporation][3] ;

(d) a Mukhya Nagar Adhikari [and an Apar Mukhya Nagar Adhikari][5] appointed for the [Corporation][3] under this Act, and

(e) in the event of the [Corporation][3] establishing or acquiring electricity supply or public transport undertaking or other public utility services, such other committees of the [Corporation][3] as the [Corporation][3] may with the previous sanction of the State Government establish with respect thereto.

[Director of Local Bodies

[5-A (1) The State Government shall appoint an officer to be the Director of Local Bodies, Uttar Pradesh.

(2) In addition to the functions expressly assigned to him by or under this Act, the Director shall exercise such powers of the State Government in relation to the affairs of the [Corporation][3] (not being powers under sections 538 and 539), as the State Government may, by notification in the Gazette, and subject to such conditions and restrictions (including the condition of review by itself) as may be specified in such notification, delegate to him.][2]

[Constitution of the Corporation

6- (1) The Corporation shall consist of a Nagar Prarnukh, and-

---

1. Ins. by section 3 of U.P. Act No, 41of 1976.
2. Subs. by section 4 ibid.
3. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
4. Substituted by section 8 (a) ibid.
5. Substituted by section 8 (b) ibid.
6. subs. by section 4 of U.P. Act No. 26 of 1995.

(a) Sabhasads whose number shall be such as the State Government may, by notification in the official Gazette, fix but which shall not be less than [forty][3] and not more than [one hundred][3], which number shall be in addition to the members nominated under clause (b);

[(b) Nirdishta Sadasya, who shall be nominated by the State Government by a like notification from amongst persons having special knowledge or experience in municipal administration and whose number shall not be more than one fifth of the total number of corporator determined under clause (a) by the State Governmet;

Provided that in nomination, the representation to the Schedule Castes, Scheduled Tribes, Women, Other Backward Castes and Minority Community shall be given as per necessity.][5]

(c) Paden Sadasyas comprising the members of the House of the People and the State Legislative Assembly representing constituencies comprising the whole or part of the City;

(d) Paden Sadasyas comprising the members of the Council of States and the State Legislative Council who are registered as electors in the City;

(e) the Chairpersons of the Committees, if any, established under clause (e) of section 5, if they are not members of the Corporation:

Provided that the persons referred to in clause (b) shall not have the right to vote in the meetings of the Corporation :

Provided further that any vacancy in any category of members referred to in clauses (a) to (e) shall b eno bar to the constitution or reconstitution of a corporation.

(2) The Subheads shall be chosen by direct elections from the wards.][2]

Constitution and composition of Wards Committees

6-A (1) Each Wards Committee, constituted under clause (1) of article 243 S of the constitution within the territorial area of a Corporation having a population of three lakh or more, shall consist of ten wards.

(2) The territorial area of a Ward Committee shall consist of the territorial areas of the wards comprised in such Committee.

(3) Each Wards Committee shall consist of –

(a) all the Sabhasads representing the wards within the territorial areas of the Wards Committee;

(b) such other members, not exceeding five, as may be nominated by the State Government from amongst persons registered as electors within the territorial area of the concerned Wards Committee who have special knowledge or experience in [municipal corporation][4] administration.

(4) The Ward Committee shall, at its first meeting after its constitution and at its first meeting in the same month in each succeeding year, elect one of the members, mentioned in clause (a) of sub-section (3) as the chairperson of that Committee.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
2. Subs. by section 9 ibid.
3. Substituted by section 2 (i) of Uttarakhand Act No. 10 of 2018.
4. Substituted by section 6 of Uttarakhand Act No. 04 of 2008.
5. Substituted by section 2 (ii) of Uttarakhand Act No. 10 of 2018.

(5) The duration of the office of the Chairperson shall be one year but he shall hold office until his successor is elected and shall be eligible for re-election.

(6) The Chairperson shall vacate office as soon as he ceases to be a Sabhasad.

(7) In the event of the office of the Chairperson falling vacant, due to resignation or otherwise, before the expiry of his term, the Ward Committee shall, as soon as may be, on the occurrence of the vacancy elect a new Chairperson in accordance with sub-section (4) :

Provided that a Chairperson so elected shall hold office only for the remainder of the period for which the person in whose place he is elected would have held it if such vacancy had not occurred.

(8) The duration of the Wards Committee shall be co-terminous with the term of the Corporation.

(9) Subject to the provisions of this Act, the Wards, Committee shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed by rules.][2]

[Reservation of seats

7- (1) In every Corporations, seats shall be reserved for the [Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes][3] and the number of seats so reserved shall as nearly as may be, bear the same perportion to the total number of seats to be fueled by direct election in the Corporation, as the population of the Scheduled Castes in the [municipal area][9] or of the Scheduled Tribes in the [municipal area][9] [or of the backward classes in the [municipal area][9]][4] bears to the total population of such area and such seats may be allotted by rotation to different wards in a Corporation in such order as may be prescribed by rules :

[Provided that the reservation for the Backward Classes shall not exceed [fourteen][8] percent of the total number of seats in a Corporation :

Provided further that if the figures of population of the Backward Classes are not available, their population may be determined by carrying out a survey in the manner prescribed by rules.][5]

(2) [***][6]

(3) Not less than one-third of the seats reserved under [sub-section (1)][7] shall be reserved for the women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or the Backward Classes, as the case may be.

(4) Not less than one-third of the total number of seats to be filled by direct election in a Corporation, including the number of seats reserved under sub-section (3), shall be reserved for women and such seats may be allotted by rotation to different wards in the Corporation in such order as may be prescribed by rules.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
2. subs. by section 5 of U.P. Act No. 26 of 1995.
3. Added proviso by section 6 (a) (i) ibid.
4. Omitted by section 6 (a) (ii) ibid.
5. Subs. by section 6 (a) (iii) ibid.
6. Omitted by section 6 (b) ibid.
7. Subs. by section 6 (c) ibid.
8. Subs. by section 3 of Uttarakhand Act No. 19 of 2002.
9. Subs. by section 6 of Uttarakhand Act No. 4 of 2008.

(5) The offices of the [Nagar Pramukhs and the Upa-Nagar Pramukh][4] of the Corporations in the State shall be reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the backward classes and women in such manner as may be prescribed by rules;

[Provided that if the office of the Nagar Pramukh of a Corporation is reserved the office of Upa Nagar Pramukh of that Corporation shall not be reserved.][5]

(6) The reservation of the seats and the offices under this section for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall cease to have effect on the expiry of the period specified in Article 334 of the Constitution.

Explanation— It is clarified that nothing in this section shall prevent the persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the backward classes and the women from contesting elections to unreserved sears and offices.][2]

[Duration of Corporation 8-

(1) A Corporation, unless sooner dissolved under section 538, shall contuse for five years from the date appointed for its first meting and no longer.

(2) An election to constitute a Corporation shall be completed—

(a) before the expiry of its duration specified in sub-section (1);

(b) before the expiration of a period of six months from the date of its dissolution under section 538;

Provided that where the remainder of the period for which the dissolved Corporate would have continued is les than six months, it shall not be necessary to hold any election for constituting the Corporation for such period.

(3) A Corporation constituted upon its dissolution before the expiration of its duration shall continue only for the reminder of the period for which the dissolved Corporation would have contused under sub-section (1), had it not been so dissolved.][3]

[(4) Where the terms of a Nagar Nigam has expired or a new Nagar Nigam Board has not been constituted, then until the due constitution of the new Board—

(a) all powers, functions and duties of the Nagar Nigam, its Mayor, Deputy Mayor, Ward Committee, Executive committee, Development committee and Other Committees, constituted under sub-section (e) of section 5, shall be vested in and be exercised, performed and discharged by an officer appointed in this behalf by the State Government (hereinafter referred to as the Administrator) and he/she shall be deemed in law to be the Administrator, Nagar Nigam or the Committees, as the occasion may require;

(b) such salary and allowances of the Administrator, as the State Government may, by general or special order in that behalf, fix shall be paid out of Nagar Nigam Fund;

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
2. Substituted by section 10 ibid.
3. Subs. by section 11 ibid.
4. Inserted by section 2 of U.P. Act No. 3 of 1996.
5. Ins. by section 2 (b) ibid.

(c) the State Government may, from time to time by Notification in the Gazette, make such incidental or consequential provisions, which include provisions for adapting, altering or modifying any provision of this Act, without affecting the substance, as may appear to it to be necessary or expedient for carrying out the purpose of this section :

Provided that the term of Administrator, appointed under this section shall not exceed six months or till the constitution of new Nagar Nigam Board, whichever is earlier.][7]

8-A [***][2]

[Temporary provisions for the constitution of [Corporation][1] and administration of the area notified as city

8-AA (1) [Where any area has been specified to be a larger urban area under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution][5] and the State Government is of opinion that until the due constitution of [Corporation][1] for such area [under this Constitution][6], it is expedient so to do, then the State Government may, notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, by order direct that-

(a) [the Municipal Council][3] or any other local authority constituted for exercising jurisdiction in such area shall, with effect from such date as may be specified in the said order, hereinafter in this section referred to as specified date stand dissolved or, as the ease may be, cease to exercise jurisdiction in such area;

(b) all powers, functions and duties of the [Corporation][1], its Nagar Pramukh, [Wards Committee][4], Executive Committee, Development Committee and other Committees established under clause (e) of section 5 and of the Mukhya Nagar Adhikari shall as from the specified date, be vested in and be exercised; performed and discharged by an officer appointed in that behalf by the State Government (hereinafter referred to as the Administrator) and the Administrator shall be deemed in law to be the [Corporation][1], the Nagar Pramukh, [Wards Committee][4], Executive Committee, Development Committee or other Committees, or the Mukhya Nagar Adhikari as the occasion may require;

(c) such salary and allowances of the Administrator as may be, fixed by general or special orders of the State Government in that behalf, shall be paid out of the [Corporation][1] fund.

(2) Subject to any general or special orders of the State Government, the Administrator may, in respect of all or any of the powers conferred on him by clause (b)-

(i) consult such committee or other body, if any, constituted in such manner as may be specified in that behalf; or

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
2. Omitted by section 12 of ibid.
3. Substituted by section 13 (b) ibid.
4. Substituted by section 13 (c) ibid.
5. subs. by section 7 (a) of U.P. Act No. 26 of 1995.
6. Substituted by section 7 (b) ibid.
7. Added by section 2 of Uttarakhand Act No. 04 of 2008.

(ii) delegate, subject to such conditions as he may think fit to impose, the power so conferred to any person or Committee or other body constituted under sub-clause (i), to be specified by him in that behalf.

(3) The provisions of this section shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions contained in section 579 and section 580.][1]

Notification of constitution of [Corporation][5]

9- As soon as may be after the election of the Sabhasads, [xxx][2] and the Nagar Pramukh of a [Corporation][5] for any City has been completed, the State Government shall notify by publication in the official Gazette that the [Corporation][5] for that City has been duly constituted.

Nagar Pramukh and Upa Nagar Pramukh

Upa Nagar Pramukh

10. (1) There shall be an Upa Nagar Pramukh for each [Corporation][5].

(2) While the Nagar Pramukh is for any reason unable to act, or the office of Nagar Pramukh his vacant, all the duties of the office shall be performed by the Upa Nagar Pramukh until the Nagar Pramukh resumes his duties or, as the case may be, the vacancy is filled.

Qualification for election as Nagar Pramukh and Upa Nagar Pramukh

11. (1) No person shall be qualified for election as Nagar Pramukh-

(a) if he is not an elector in the City;

(b) if he has not attained the age of 30 years;

(c) if he is disqualified under sub-section (1) of section 25 for election as a Sabhasad [XXX][3] or

(d) if he was defeated at the poll at an election to any seat of [XXX][4] Sabhasad unless at least six months have elapsed since the date of declaration of the result of that election.

(2) [***][6]

(3) No person who is not a [Sabhashad][7] shall be eligible for election as Upa Nagar Pramukh.

[Election of Nagar Pramukh

[11-A (1) The Nagar Pramukh shall be elected on the basis of adult suffrage by electors in the City.

---

1. Ins. by section 2 of U.P. Act No. 25 of 1974.
2. Omitted bys. 4 of U.P. Act No. 12 of 1977:
3. Del. by s. 5 (a) ibid.
4. Del. by s. 5 (b) ibid.
5. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
6. Omitted by section 14 (a) ibid.
7. Substituted by section 14 (b) ibid.

(2) An outgoing Nagar Pramukh shall except as provided in section 16, be eligible for re-election.

(3) The provisions of this Act and the rules framed thereunder in relation of elections (including disputes relating to elections and electoral offences) of a Sabhasad shall, mutatis mutandis, apply in relation of the election of the Nagar pramukh.

(4) If in a general election, a person is elected both as a Nagar Pramukh and as a Sabhasad or being a Sabhashad is elected Nagar Pramukh, in any bye-election, he shall cease to be a sabhashad from the date of his election as Nagar Pramukh.][7]

Election of [***][8] Upa Nagar Prarnukh

12- (1) [The [***][8] Upa Nagar Pramukh][4] shall be elected as soon as may be after the election of sabhasad has been completed.][1]

(2) [xxx][2]

(3) The [[***][8] Upa Nagar Pramukh][4] shall be elected by the members in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot.

(4) If an [***][8] Nagar Pramukh is elected Nagar Pramukh the office of the Upa Nagar Pramukh shall become vacant from the date Upa Nagar Pramukh holds the office of Nagar Pramukh.

(5) The provisions of section 47 shall, as far as may be, be applied to the election of [the [***][8] Upa Nagar Pramukh.][4]

When election of Sabhasads to be deemed completed

13- For the purposes of [the election of][5] [***][3] Upa Nagar-Pramukh][5] the election of [***][9] the Sabhasads shall, notwithstanding any scat remaining unfilled, be deemed to be completed if at least four-fifths of the total number of Sabhasads fixed under section 6 have been elected.

Casual vacancy in the office of Nagar Pramukh or Upa Nagar Pramukh

14- If a casual vacancy occurs in the office of Nagar Pramukh or Upa NagarPramukh owing to death or resignation or any other cause a Nagar Pramukh or Upa Nagar Pramukh, as the case may be, shall be elected as soon as may be thereafter in the manner provided [in section 11-A or section 12:][10]

Provided that where the remainder of the term is two months or less the vacancy shall remain unfilled unless the [Corporation][5] resolves otherwise.

---

1. Substituted by section 8 (b) of V.P. Act No. 41 of 1976.
2. Deleted by section 8(c) ibid.
3. Deleted by section 7 of U.P. Act No. 12 of 1977.
4. Subs. by section 3 of U.P Act No. 17 of 1982.
5. Substituted by section 4 ibid.
6. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
7. Insertion by section 15 ibid.
8. Deleted by section 16 ibid.
9. Deleted by section 17 ibid.
10. Substituted by section 18 ibid.

Term of Nagar Pramukh and

15- (1) Except as otherwise provided in this Act, --

(a) the term of office of a Nagar Pramukh shall be co-terminus with the term of the Corporation;

Upa Nagar Pramkhh

[(b) the term of office of Deputy Mayor shall be for period of two years and six months from the date of his election or the residue of his term as a Corporate, whichever is less;

(c) the provisions of clause (b) shall also apply to a Deputy Mayor, who is declared elected in his last election.][3]

(2) The term of office, of a Nagar Pramukh or an Upa Nagar Pramukh elected to fill a casual vacancy shall be the remainder of the term of office of his predecessor.

(3) A Nagar Pramukh or an Upa Nagar Pramukh shall, unless he resigns or ceases to be qualified or becomes disqualified, continue in office until his successor assumes office as Nagar Pramukh or Upa Nagar Pramukh, as the case may be.

[15-A [***][2]

Removal of Mayor and Deputy Mayor

[4][16- (1) Where the State Government has reason to believe that-

(a) There has been any default on the part of the Mayor or Deputy Mayor in the discharge of his duties;

(b) The Mayor or Deputy Mayor has-

(i) Acquired any disqualification mentioned in section 11 and 25; or

(ii) intentionally earned any share or interest, whether financial or other-wise, directly or indirectly by him or o n his behalf or by any partner in any contract with the Nagar Nigam or any employment in the Nagar Nigam under section 463; or

(iii) As a Mayor or Deputy Mayor or corporate intentionally worked in any such matter in which he or his partner has directly or indirectly has any share or interest, whether financial or otherwise or had professional interest on behalf of any client, owner or any other person; or

(iv) Against the Nagar Nigam or the State Government attended as a Lawyer and worked on behalf of any individual in any suit or other legal proceedings in connection with any nasal land under the management of the Nagar Nigam, worked or attended any criminal proceeding on behalf of any such person against whom any criminal proceeding has been instituted by him or the Nagar Nigam; or

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
2. Deleted by section 20 ibid.
3. Chapter 2 of subs. by section 2 of U.P. Act No. 26 of 2005.
4. Subs. by section 3 ibid.

(v) Has vacated his usual place of residence under

[municipal corporation][3] area of the Nagar Nigam, or

(v) Has been guilty of misconduct in discharge of his duties; or

(vii) Has grossly misused his office as Mayor or Deputy Mayor during the current or earlier term of the Nagar Nigam acting as chairman or Corporator or in any other capacity whatsoever, during any period or intentionally acted in contravention of any provision of this Act, or any rule, regulation or bylaw or caused such damage or loss to the fund or the property of the Nagar Nigam which disqualifies him to continue as Mayor or Deputy Mayor; or

(viii) He is guilty of any other misconduct whether such act has been done as a Mayor or Deputy Mayor or Corporator; or

(ix) Has acted against the interest of the Nagar Nigam; or

(x) Has obstructed any meeting of the Nagar Nigam in such manner that the conduct of the meeting becomes impossible or abetted any one to do so; or

(xi) has intentionally acted in contravention of any order or direction of the State Government issued under this Act; or

(xii) misbehaved with the officers or employees of the Nagar Nigam without any valid reason; or

(xiii) Disposed of any property of the Nagar Nigam for a price less than its market value; or

(xiv) Encroached upon any land, building or any other immovable property of the Nagar Nigam or assisted or abetted any other person for such an encroachment.

The State Government any require him to show cause within the period specified in the notice that why he should not be removed from his post.

(2) The state Government after considering the explanation submitted by the mayor or Deputy Mayor or after such inquiry as may be deemed necessary recording the reason may remove the mayor Deputy Mayor from such post.

(3) Any order issued by the state Government under sub-section (2) shall be final and no objection shall be raised against it in any court of law.

(4) The Mayor or Deputy Mayor removed under sub-section (2) shall not remain even as Corporator and shall not be eligible for re-election a Mayor or Deputy Mayor for a period of 5 years from the date of his removal on any ground under clause (a) and (b) of sub-section (1).][2]

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
2. Subs. by section 3 of Uttarakhand Act No. 12 of 2005.

3. Subs. by section 6 of Uttarakhand Act No. 04 of 2008.

Nagar Pramukh to be member

17- [(1) A Nagar Pramukh shall be *ex-officio* member of the Corporation.][6]

(2) A Nagar Pramukh shall have only a casting vole in the event of equality of votes when presiding at meetings of the [Corporation][3] or any Committee thereof and not vote as a member.

Allowance of Nagar Pramukh

[18- The Nagar Pramukh and the Upa Nagar Pramukh may be given such allowances or facilities, as the [Corporation][3] may, with the previous approval of the State Government, fix.][1]

Resignation of Nagar Pramukh and Upa Nagar Pramukh

19- (1) A Nagar Pramukh wishing to resign his office may do so by writing under his hand addressed to the State Government and it shall take effect from the date of the information to the Mukhya Nagar Adhikari that it has been accepted by the State Government.

(2) An Upa Nagar Pramukh may at any time resign his office by writing under his hand addressed to the Nagar Pramukh and it shall take effect as soon as it is received by the Nagar Pramukh.

Members of [Corporation][3]

20- [X X X][2]

21- [X X X][2]

22- [X X X][2]

Certain provisions applicable to Sabhasads to apply to Nam-Nirdishta Sadasyas

[23- The provisions of sections 24, 25, 26, 28, 29, 30-A, 81, 82, 83, 85, 87, 538, 565, 570 and 572 as they apply to Sabhasads shall, *mutatis mutandis* apply to Nam- Nirdishta Sadasyas.][4]

Qualifications for election as Sabhasad

[24- A person shall not be qualified for being chosen as, and for being a Sabhasad unless he --

(a) is an elector in the City,

(b) has attained the age of a twenty one years; and

(c) belongs in respect of a seat reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Backward Classes or women, to such category, at the case may be.][5]

(d) [***][7]

---

1. Subs. by section 4 of U. P. Act No. 21 of 1964.
2. Deleted by section 8 of U. P. Act No. 12 of 1977.
3. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
4. Substituted by section 22 ibid.
5. Substituted by section 23 ibid.
6. of subs. by section 8 of Chapter 2 U.P. Act No. 26 of 1995.
7. Deleted by section 3 of Uttarakhand Act No. 04 of 2008.

Disqualifications for [***][5] Sabhasad

25- (1) A person shall, notwithstanding that he is otherwise qualified, be disqualified for being chosen as, and for being a [Sabhasad][2], if he-

[(a) whether before or after the commencement of this Act has been convicted by a Court in India of any offence and sentenced to imprisonment for not less than two years unless a period of five years or, such less period as tile State Government may allow in any particular case, has elapsed since his release;][1]

(b) is an undercharged insolvent;

(c) holds any place of profit In the gift or disposal of the [Corporation][4];

(d) is in the service of a State Government or the Central Government or any local authority or is a District Government Counsel or an Additional or Assistant District Government Counsel or an Honorary Magistrate, or an Honorary Munif or an Honorary Assistant Collector ;

(e) has whether by himself or by any person in trust for him or for his benefit or to his account, any share or interest in a contract for supply of goods to, or for the execution of any works or the performance of any services undertaken by the [Corporation][4];

(f) is in arrears in excess of one year's demand, of any tax payable to the [Corporation][4], to which section 504 applies or of any charges for water supplied by the [Corporation][4];

(g) having held any, office under the Government of India or the Government of any State he has been dismissed for corruption, or disloyalty to the State, unless a, period of [six years][3] has elapsed since, his dismissal;

(h) is debarred from practicing as a legal practitioner by order of any competent authority ;

(i) is disqualified under section 80 or 83 of this Act from being a member of a [Corporation][4];

(j) [***][6] is suffering from any of the infectious diseases to be specified by the State Government by order and has been declared by a medical officer not below the rank of a [Chief Medical Officer][7] to be incurable of such disease:

[(k) is so qualified by or under any law for the time being in force for the purposes of elections to the Legislature of the State :

Provided that no person shall be disqualified on the ground that he is less than twenty-five years of age, if he has attained the age of twenty-one years;][8]

---

1. Subs by section 4 of U.P. Act No, 14 of 1959.
2. Subs. by section 10 (a) of U.P. Act No. 12 of 1977.
3. Subs. by section 2 of U.P. Act No. 15 of 1983.
4. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
5. Deleted by section 24 (a) ibid.
6. Deleted by section 24 (b)(i) (a) ibid.
7. Substituted by section 24 (b)(i) (b) ibid.
8. Ins. by section 24 (b)(ii) ibid.

Provided further that arrears of any tax or water charges due to the [[Municipal Corporation][8] Council][4] or any other local authority, exercising jurisdiction within the area which has since been [notified a City][5] shall for the purposes of clause (1) be deemed to be arrears of tax or water charges payable to the [Corporation][3];

[(l) He has more than two children of whom one is born after expiry of 300 days from the date of notification of this part; or

(m) has been convicted of any offence against a woman; or,

(n) has an interest or share, in a publication where in advertisement regarding activities of the [Municipal Corporation][8] can be published; or,

(o) is a paid employee of any institution, receiving financial aid from the [Municipal Corporation][8] or,

(p) the person or any member of his/her family or his/her legal heir is in unauthorized occupation of any land or building owned or managed by the [Municipal Corporation][8] / Government or a public road or pavement, canal, drain, or is a beneficiary of such unauthorized occupation; or,

(q) is a representative or office bearer of any federation or union of any cadre or class of employees of the [Municipal Corporation][8]; or

(r) has been convicted of any offence involving violation of any Act, Rules, Sub-rules, regulations and Govt. orders relating to [Municipal Corporation][8] and has been found guilty or working against the interest of the [Municipal Corporation][8].][6]

[(s) is a candidate from more than one ward.][7]

(2) [x x x][1]

(3) [x x x][1]

(4) Having been elected as [xxx][2] a Sabhasad a person shall be disqualified for continuing as [xxx][2] a Sabhasad if he-

(i) is retained or employed in any professional capacity either personally or in the name of a firm in which he is a partner or with which he is engaged in a professional capacity in connexion with any cause or proceeding in which the [Corporation][5] or the Mukhya Nagar Adhikari is interested or concerned, or

(ii) absents himself for six consecutive months from the meetings of the [Corporation][5], except on account of illness or any other cause accepted by the [Corporation][5].

---

1. Del. by section 10 (b) and 10 (c) of U.P. Act No. 12 of 1977.
2. Del. by s. 10 (d) ibid.
3. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
4. Substituted by section 24 (b) (iii) ibid.
5. Subs. by section 9 of U.P. Act No. 26 of 1995.
6. Added by section 5 of U.P. Act No. 19 of 2002.

7. Ins. by section 4 of Uttarakhand Act No. 04 of 2008.
8. Subs. by section 6 ibid.

(5) A person shall not be deemed to have incurred any disqualification under clause (c) of sub-section (I) by reason only of his receiving-

(i) any pension,

(ii) any allowance or facility for serving as the Nagar, Pramukh or Upa Nagar Pramukh or as a Sabhasad [x x x][1] ;

(6) A person shall not be deemed to have incurred disqualification under clause (e) of sub-section (1) by reason merely of his having any share or interest in-

(i) any joint stock company or any society registered or deemed to be registered under the [Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965,][5] which shall contract with, or be employed by it he Mukhya Nagar Adhikari on behalf of the [Corporation][4];

(ii) the occasional sale to the Mukhya Nagar Adhikari on behalf of the [Corporation][4] of any article in which he regularly trades to a value not exceeding in the aggregate in any one calendar year two thousand rupees.

[(7) Any person who, after being elected as Shabhasad, becomes disqualified under this section shall not remain a Sabhasad and his seat shall become vacant with effect from the date of incurring such disqualification.][2]

Term of office of Sabhasad

26- (1)The term of a Sabhasad [xxx][3] other than Sabhasad [xxx][3] chosen to fill a casual vacancy shall be co-terminus with the term of the [Corporation][4].

(2) The term of a Sabhasad [xxx][3] chosen to fill a casual vacancy shall be the remainder of his predecessor's term.

Election of sabhasads

27- (1) The Sabhasad shall be elected on the basis of adult suffrage in accordance with the provisions of this Act and the rules framed there-under.

(2) An outgoing Sabhasad shall be eligible for re-election,

Casual vacancy in the office of Sabhasad

28- Where before the expiration of the term of office of a Sabhasad his seat becomes vacant owing to death or resignation or any other, cause a Sabhasad shall be elected as soon as may be after the occurrence of the vacancy in the same manner as far as may be, but subject to any other provisions of the Act in that behalf, as is provided for the election of Sabhasads at a general election by, and under this Act:

Provided that where the term of an outgoing Sabhasad would in the ordinary course expire within four months of the occurrence of the vacancy, the vacancy shall be left unfilled unless the [Corporation][4] resolves otherwise.

---

1. Deleted by section 10 (e) of U.P. Act No. 12 of 1977.
2. Substituted by section 10 (f) ibid.
3. Deleted by section 11 ibid.

4. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
5. Ins. by section 24 (c) ibid.

Resignation of sabhasads — 29- A Sabhasad may at any time resign his office by writing under his hand addressed to the Nagar Pramukh, and his resignation shall take effect upon the receipt of the same by the Nagar Pramukh.

30- [***][8]

Conveyance allowance or facilities for members — [30-A The Sabhasads [xxx][2] may be paid such conveyance allowance, or be given such facilities in lieu of conveyance allowance, for attendance at meetings of the [Corporation][3] and its committees as may be provided by rules][1]

DELIMITATION OF WARDS

Provision of wards — 31- (1) For the purpose of the election of Sabhasads [each [municipal corporation][9] area][7] shall be divided into [territorial constituencies to be known as][4] wards in the manner provided in section 32 and there shall be a separate electoral roll for each ward.

[(2) Each ward shall be represented by one Sabhasad in tee Corporation;][5]

(3) [***][6]

Delimitation order — *32- (1) The State Government shall by order --

---

1. Ins. by section 5 of U.P. Act 21 of 1964.
2. Omitted by section 12 of U.P. Act No. 12 of 1977.
3. Substituted by section 3 of U.P. Act No. 12 of 1994.
4. Substituted by section 25 (a) ibid.
5. Substituted by section 25 (b) ibid.
6. Deleted by section 25 (c) ibid.
7. Substituted by section 10 of U.P. Act No. 26 of 1995.
8. Omitted by section 5 of Uttarakhand Act No. 04 of 2008.
9. Subs. by section 6 ibid.

* According to section 33 of the Uttar Pradesh [Municipal Corporation][9] (Amendment) Act1977 (U. P. Act. No. 12 of 1977) notwithstanding anything contained in the principal Act, or in the delimination orders already issued under section 32 of the principal Act, but without prejudice to the powers of the State government under section 33 of that Act, all such delimination orders shall continue to remain in operation with the modification that for each ward there shall be two seats of Sabhasads instead of one as mentioned in such orders :

Provided that the State Government may by notified order redistribute the total number of seats reserved for members of Scheduled Castes among different wards, and it shall not be necessary to publish any draft proposals in this regard for objections before making such notified order.

(a) devide a [[municipal corporation][8] area][5] into wards in such manner that the population in each ward shall, so for as practicable, be the dame throughout the [[municipal corporation][8] area;

(b) determine the number of wards into which a [[municipal corporation][8] area][5] shall be devided;

(c) determine the extent of each ward;

(d) determine the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Backward Classes or the women.][4]

(2) The draft of the Order under sub-section (1) shall be published in the official Gazette for objections for a period of less than [seven days][6].

(3) The State Government shall consider any objections filed under sub-section (2) and the draft Order shall, if necessary, be amended, altered or modified accordingly and thereupon it shall become final.

Alteration or amendment of Delimitation order and ets effect

33- (1) The State Government may by a subsequent Order, alter or amend any final Order under sub-section (3) of section 32.

[(1-A) For the alteration or amendment of any order under sub-section (1), the provisions of sub-sections (2) and (3) of section 32 shall mutatis mutandis apply.][7]

(2) Upon alteration or amendment of any final Order tinder this section the State Government shall apportion the existing Sabhasads to the altered or amended wards so as to provide so far as is reasonably practicable tor their continuing to represent as large a number as possible of their former constituents.

(3) An existing Sabhasad shall hold his office in the ward to which he is assigned for the same period that he would have' held it had the wards, remained unaltered and unamended.

Electors and Electoral Rolls

34- [***][2]

Electoral Roll for each ward

[35- There shall be an electoral roll for each ward which shall be prepared in accordance with the provisions of this Act, under the Superintendence, direction and control of the State Election Commission.][3]

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
2. Omitted by section 27 ibid.
3. Substituted by section 28 ibid.
4. Subs. by section 11 (a-1) of U.P. Act No. 26 of 1995.
5. Subs. by section 11 (a-ii) ibid.
6. Subst. by section 11(b) ibid.
7. Ins. by section 12 ibid.
8. Omitted by section 6 of Uttarakhand Act No. 04 of 2008.

Qualifications

36- [Subject to the provisions of sections 37 and 38, every person who

of electors

has attained the age of 18 years on the first day of January of the year in which the electoral roll is prepaid or revised and who is ordinarily resident in the area of the ward shall be entitled to be registered in the electoral roll for the ward.

Explanation- (i) A person shall not be deemed to be ordinarily resident in the area of a ward on the ground only that he owns, or is in possession of, a dwelling house therein;

(ii) A person absenting himself temporarily from his place of ordinary residence shall not by reason thereof cease to be ordinarily resident therein.

(iii) A member of Parliament or of the Legislature of the State shall not, during the term of his office, cease to be ordinarily resident in the area of a ward merely by reason of his absence from that area in connection with the duties as such member.

(iv) Any other factors that may be prescribed shall be taken in to consideration for deciding as to what persons mayor may not be deemed to be ordinarily residents of a particular area at any relevant time.

(v) If in any case a question arises as to where as to where a person is ordinarily resident at any relevant time, the question shall be determined, with reference to all the facts of the case.][1]

Disqualifications for electors

37--- [(1) A person shall be disqualified for registration in an electoral roll, if he-

(i) is not a citizen of India; or

(ii) is of unsound mind and stands so declared by a competent court ; or

(iii) is for the time being disqualified from voting under the provisions, of any law relating to corrupt practices and other offences in connection with elections.][2]

(2) The name of any person who becomes so disqualified after registration shall forthwith be struck off the electoral roll of the ward in which it is included :

Provided that the name of any person struck off the electoral roll of a ward by reason of disqualification under sub-section (I) shall fourth with be reinstated in that roll if such disqualification is, during the period such roll is in force, removed under the provisions of this Act or under any other' law authorizing such removal.

Registration to be in one ward and in one place

38- (1) No person shall be entitled to be registered ill the electoral roll for more than one ward in the same city.

(2) No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for any ward more than once.

1. Substituted by section 3 of U.P. Act no. 35 of 1978.
2. Substituted by section 4 ibid.
3. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

[(3) No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for any ward; if his name is entered in any electoral roll pertaining to any other city, or to any [smaller urban area, transitional areas, cantonment or Gram Panchayat][3] unless he shows that his name has been struck, off such, electoral roll.][1]

Preparation and publication of electoral rolls

[39- (1) [Subjects to the Superintendence, direction and control of the State Election Commission the electoral roll for each ward shall be prepared and published in the manner prescribed by rules by an Electoral Registration Officer under the supervision of the Chief Election Officer (Urban Local Bodies).

(2) The Chief Election Officer (Urban Local Bodies) and the Electoral Registration Officer, referred to in sub-section (1) shall be such officers of the State Government as the State Election Commission may, in consultation with the State Government, designate or nominate in this behalf.

(3) Upon the publication of the electoral roll it shall, subject to any alteration, addition or correction made in accordance with this Act or the rules made thereunder, bhe the electoral roll for the ward prepared in accordance with this Act.

(4) The Electoral Registration Officer may, for the purpose of preparation of electoral roll for a ward, adopt, in accordance with the directin of the State Election Commission, the Assembly roll for the time being in force so far as it relates to the area of that ward:

Provided that the electoral roll for that ward shall not include any amendment, alteration or correction made after the last date for making nomination for the election of such ward and before the completion of such election.

(5) Where the Electoral Registration Officer is satisfied after making such enquiry as it he think fit, whether on an application made to him or on his own motion, that any entry in the electoral roll should be corrected or deleted or that the name of any person entitled to be registered should be added in the electoral roll, he shall subject to the provisions of this Act and rules and orders made there under, delete or correct or add the entry, as the case may be :

Provided that no such deletion, correction or addition shall be made after the last date for making nomination for an election in the ward and before the completion of that election :

Provided further that no deletion or correction affecting the interest of any person adversely shall be made without giving him reasonable opportunity of being heard in respect of the action proposed to be taken in relation to him.

(6) An appeal shall lie within such time and manner and to such officer or authority as may be prescribed by rules against any order of the Electoral Registration officer in regard to the inclusion, deletion or correcting of a name in the electoral roll.][4]

---

1. Insertion by section 5 of U.P. Act no. 35 of 1978.
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
3. Substituted by section 29 ibid.
4. Chapter 2 of subs. by section 13 of U.P. Act No. 26 of 1995.

[Revision of electoral rolls

40- The State Election Commission may, if it thinks it necessary so to do, for the purposes of general or bye-election, direct a revision of the electoral roll for all or any of the wards in such manner as it may think fit :

Provided that subject to the other provisions of this Act, the electoral roll for the ward as enforce at the time of issue of any such direction, shall continue

to be in force until the completion of revision so directed.][2]

Other matters relating to electors and electoral rolls

41- [In so far as provision with respect to any of the following matters is not made by this Act or the rules made there under, the State Election Commission may][4], by order make provisions in respect of the following matters concerning the electoral rolls, namely-

(a) the date on which the electoral rolls first prepared and subsequently prepared under this Act shall come into force and their period of operation;

(b) the correction of any existing entry in the electoral rolls on the application of the elector concerned.

(c) the correction of clerical or printing errors in the electoral rolls;

(d) correction of electoral rolls in case of large omissions of names there from in respect of any area;

(e) the inclusion in the electoral rolls of the name of any person---

(i) whose name is included in the Assembly Rolls for the area relatable to the ward but is not included in the electoral roll of the ward or whose name has been wrongly included in the electoral roll of some other ward, or

(ii) whose name is not included in the Assembly Rolls and who is otherwise qualified to be registered in the electoral roll of the ward;

(f) exclusion of the names of persons who are disqualified for registration;

(g) the maintenance of the record of persons disqualified for voting;

(h) fees payable on application for inclusion and exclusion of names;

(I) [XXX][3]

(j) custody and preservation of the electoral rolls; and

(k) generally for at matters relating to the preparation and publication of the electoral rolls.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
2. Substituted by section 31 ibid.
3. Omitted by section 32 (b) ibid.
4. Subs. by section 14 of U.P. Act No. 26 of 1995.

Voting

Right of vote

42- (1) No person who is not and, except as expressly provided by this Act, every person who is, for the time being entered in the electoral roll of any ward shall be entitled to vote in that ward.

(2) No person shall vote at any election in any ward if he is subject to any of the disqualifications referred to in section 37.

(3) No person shall vote at a general election in .more than one ward of a

[Corporation][1] and if a person votes in more than one such ward, his votes in all such wards shall be void.

(4) No person shall at any election vote in the same ward more than once, notwithstanding that his name may have been registered in the electoral roll for that ward more than once, and if he does so vote, all his votes in that ward shall be void.

(5) No person shall vote at any election if he is confined in a prison whether under a sentence of imprisonment or transportation or otherwise or in the lawful custody of the police:

Provided that nothing in this sub-section shall apply to a person subjected to preventive detention under any law for the time being in force.

43- [***][2]

Manner of voting

44- At every election in a ward where a poll is taken votes shall be given by secret ballot [or voting machine][5] and no vote shall be received by proxy.

Conduct of Elections

Superintendence etc. of the conduct of elections

[45- [(1)][4] The Superintendence, direction and control of the conduct of elections of the Nagar Pramukh, Upa Nagar Pramukh and Sabhasads of the Corporation shall be vested in the State Election Commission.][3]

[(2) Subject to sub-section (1) the Chief Election Officer (Urban Local Bodies), referred to in sub-section (2) of section 39, shall supervise the conduct of the elections of the Nagar Pramukh, Upa-Nagar Pramukh and Sabhasads of the Corporation.][4]

[(3) State Election Commission shall obtain from all the candidates a declaration in the form of an affidavit containing the following information and any other information it deems necessary and shall, except information contained in clause (c) and (e), make public the same for the information of the electorate :-][6]

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
2. Omitted by section 33 ibid.
3. Substituted by section 34 ibid.
4. Insertion by section 15 of U.P. Act No. 26 of 1995.
5. Insertion by section 6 of Uttarakhand Act No. 19 of 2002.
6. Substituted by section 2 of Uttarakhand Act No. 06 of 2003.

(a) Whether the candidate has been convicted/ acquitted/ discharged of any criminal offence in the past and, if convicted, whether he was punished with imprisonment of fine ?

(b) prior to six months of filing of nomination, whether the candidate is accused in any pending case, of any offence punishable with imprisonment for two years or more, and in which charge is framed or cognizance is taken by the court of law, if so, the details thereof;

(c) The assets (immovable, movable, bank balances etc.) of a candidate and of his/her spouse and, that of dependants;

(d) Liabilities, if any, particularly whether there are any over dues of any public Financial Institutions or Government dues;

(e) His/her source of income and full details of present Monthly/ Annual income;

(f) Whether he/she is married/ unmarried;

(g) Number of Children, their ages, and their educational expenses;

(h) Details of his/her income tax; projections tax/fees payable annually;

(i) The educational qualifications of candidate.][5]

Order regarding conduct of election

46- In so far as provision with respect to any matter is not made by this Act, [the State Commission][3] may, by order, provide for matters concerning conduct of elections to the offices of Nagar Pramukh and Upa Nagar Pramukh and to the seats of [XXX][1] Sabhasads, that is to say- --

(a) [XXX][4]

(b) the appointment, powers and duties of Nirvachan Adhikaris (Returning Officers), Sahayak Nirvachan Adhikaris (Assistant Returning Officers), Nirvachan Adhykshas (Presiding Officers) and Matdan Adhikaris (Polling Officers) and clerks;

(c) appointment of dates for nomination, scrutiny, withdrawal and polling;

(d) the manner of presentation and the requirements for a valid nomination, scrutiny of nominations and withdrawal of candidatures;

(e) appointment and duties of election agents, polling agents and counting agents;

---

1. Del. by section 14 (a) of U.P. Act No. 12 of 1977.
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
3. Substituted by section 35 (a) ibid.
4. Omitted by section 35(b) ibid.
5. Added by section 7 of Uttarakhand Act No. 19 of 2002.

(f) procedure at general elections including death of candidate before poll, procedure in contested and uncontested elections,

[xxx][7];

(g) identification of voters;

(h) hours of polling;

(i) adjournment of poll and fresh poll ;

(j) manner of voting at elections;

(k) scrutiny and counting of votes including recount of votes and procedure to be followed in case of equality of votes and declaration of results-;

(l) the notification of the names of the persons elected as Sabhasads, [xxx][1] Nagar Pramukh and Upa Nagar Pramukh ;

(m) refund and forfeiture of deposits;

(n) manner in which votes are to be given by Nirvachan Adhyaksha (Presiding Officer), polling agent or any other person who being an elector for a ward is appointed for duty at a polling station at which he is not entitled to vote;

(o) the procedure to be followed in respect of the tender of vote by person representing himself to be an elector after another person has voted as such elector;

(p) the safe custody of ballot boxes, ballot papers and other election papers, the period for which such papers shall be preserved and the inspection and production of such papers;

(q) [xxx][6]

(r) issue of copies of election papers and fixing of charges for such copies;

(s) maintaining of list of Sabhasads [xxx][2] for the purposes of elections of [xxx][2] [[xxx][8] the Upa Nagar Pramukh][4] ; and

(t) generally on all matters relating to conduct of elections.

Failure of elections

47- (1) If at any election of Sabhasads [XXX][3] any seat remains unfilled, a fresh election shall be held to fill the vacancy.

---

1. Del. by section 14 (b) of U.P. Act No. 12 of 1977.
2. Deleted by section 14 (c) ibid.
3. Deleted by section 15 (a) ibid.
4. Subs. by section 7 of U. P. Act No. 17 of 1982.
5. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
6. Substituted by section 35 (b) ibid.
7. Omitted by section 35 (c) ibid.
8. Omitted by section 35 (d) ibid.

(2) For the purposes of conduct of election and ascertainment of the term of a Sabhasad [xxx][2] and election under sub-section (1) shall be deemed to be an election to fill a casual vacancy.

Electoral offences

48- [(1) The provisions of sections 125, 126,127, 127-A, 128,129, 130, 131, 132, 134, 134-A, 135, [135-A][10] and 136 of Chapter III of Part VII of the- Representation of the People Act, 1951 shall have effect as if-

(a) the reference therein to an election were a reference to an

election held under this Act;

(b) for the word 'constituency' the word 'ward' had been substituted;

(bb) in section 127-A in sub-section (2) in clause (b), in sub-clause (i), for the words the Chief Electoral Officer the words the ["Chief Election Officer (Urban Local Bodies)"][9] had been substituted;

(c) in sections 134 and 136 for the words by or under this Act the words by or under the Uttar Pradesh [Municipal Corporation Act,][7] 1959 had been substituted;][3]

(2) If the ["Chief Election Officer (Urban Local Bodies)"][9] has reason tobelieve that any offence punishable under section 129 or 134 [or 134-A][4] under clause (a) of sub-section (2) of section 136 of the said chapter has been committed in reference to any election to a [Corporation][6] he may cause such enquiries to be made and such prosecutions to be instituted as the, circumstances of the case may appear to him to require.

(3) No court shall take cognizance of any offence punishable under section 129 or under section 134 [or under section 134-A][5] or under clause (a) of sub-section (2) of section 136 unless there is a complaint made by order of or under authority from the ["Chief Election Officer (Urban Local Bodies)"][9] .

[Bar on jurisdiction of civil Court

49- [No civil court shall have jurisdiction-

(a) to entertain or adjudicate upon the question whether any person is or is not entitled to be registered in an electoral roll for a ward; or

[(b) to question the legality of any action taken by or under the authority of the State Election Commission in respect of preparation and publication of electoral roll; or][8]

---

1. Deleted by section 15 (a) of U.P. Act No. 12 of 1977.
2. Omitted by section 15 (b) ibid.
3. Subs. by section 9 (a) of U.P. Act No. 35 of 1978.
4. Ins. by section 9 (b) ibid,
5. Ins. by section 9 (c) ibid.
6. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
7. Substituted by section 36 (b) ibid.
8. Subs. by section 37 ibid.
9. Subs. by section 16 (a) of U.P. Act No. 26 of 1995.
10. Added. by section 16 (b) ibid.

(c) to question the legality of any action taken or of any decision given by the Nirvachan Adhikari (Returning Officer) or by any other person appointed under this Act in connection with an election.][2]

Notification for election and vacancy

[50- (1) A general election shall be held for the purpose of constituting or reconstituting a Corporation.

(2) For the said purpose, the State Government shall, by notification published in the official Gazette, on such date as may be recommended by the

State Election Commission, call upon all wards in the City to elect Subheads and the Nagar Pramukh in accordance with the provisions of this Act and of the rules and orders made there under.

(3) If a casual vacancy occurs in the office of Nagar Pramukh, Upa Nagar Pramukh or a Sabhadad owing to death or resignation or any other cause, such officer or seat, as the case may be, shall be declared vacant by the State Government by notification published in the official Gazette.

(4) When an office or seat has been declared vacant, the State Election Commission shall, by a notification in the official Gazette, call upon the ward concerned or, as the case may be, the Sabhashads, to elect a person for the purpose of filling the vacancy so caused in accordance with the provisions of this Act and of the rules and orders made thereunder before such date as any be specified in the notification.][5]

Executive Committee

Constitution and term of Executive Committee

51- (1) The Executive Committee shall consist of-

(a) the [Nagar Pramukh][1] who shall be ex-officio Chairman of the Executive Committee; and

(b) twelve persons to be elected by the [Corporation][4] out of Sabhashads [xxx][3].

[(2)The Deputy Mayor shall be ex-officio Chairman of the Executive Committee.][6]

(3) [***][7]

(4) The persons referred to in clause (b) of sub-section (1) shall be elected by the [Corporation][4] at its first meeting after general elections.

(5) One-half of the members of the Executive Committee shall retire every succeeding year .at noon on the first-day of the month in which the first meeting of the [Corporation][4] mentioned in sub-section (4) was held :

1. Substituted by section 15. of U.P. Act. No. 41 of 1976.
2. Subs. by s. 10 of U. P. Act No. 12 of 1977.
3. Del. by section 17 ibid.
4. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
5. Substituted by section 38 ibid.
6. Substituted by section 4 (a) of Uttaranchal Act. No. 12 of 2005.
7. Substituted by section 4 (b) ibid.

Provided that all the members of the Executive Committee in office when general elections are held shall retire from office on the election of a new committee under sub-section (4).

(6) The members who shall retire under sub-section (5) one year after their election under sub-section (4) shall be selected by lot at such time previous to the date for retirement specified in sub-section (5) and in such manner as the Chairman of the Executive Committee may determine, and in succeeding years the members who shall retire under this section shall be

those who have been longest in office:

Provided that, in the case of a member who has been re-appointed, the term of his office for the purposes of this sub-section shall be computed from the date of his re-appointment.

(7) The [Corporation][2] shall at its meeting held in the month preceding the date of retirement specified in sub-section (5) appoint fresh members of the Executive Committee to fill the offices of those who are due to retire on the said date.

(8) A casual vacancy in the seat of a member of the Committee shall be filled by electing a member for the remainder of the term of the member outgone:

Provided that where the remainder of the term of the Committee is less than two months, the vacancy shall not be filled unless the [Corporation][2] resolves otherwise.

(9) A retiring member shall be eligible for re-election.

Election of members of Executive Committee

52- The election of members of the Executive Committee and of the Vice-Chairman thereof shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot.

Resignation of members of Executive Committee

53- A member of the Executive Committee wishing to resign his office may do so in writing under his hand addressed to the Nagar Pramukh and it shall take effect from the moment of its receipt by the Nagar Pramukh.

Development Committee

Constitution and term of Development Committee

54- (1) The Development Committee shall consist of-

(a) the Upa Nagar Pramukh who shall be its ex-officio Chairman;

(b) ten persons to be elected by the [Corporation][2] out of Sabahsads [xxx][1]; and

(c) two persons to be co-opted by the members referred to in clauses (a) and (b) from among persons who in the opinion of the said members have experience of [Corporation][2] administration of matters pertaining to development improvement or planning.

1. Subs. by section 18 of U. P. Act No. 12 of 1977.
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(2) The Development Committee shall at its first meeting and so often thereafter as may be necessary on account of a vacancy in the once of Vice-Chairman elect one of its elected members to be its Vice-Chairman.

(3) A Vice-Chairman shall cease to hold office as soon as he ceases to be a member.

(4) A co-opted member shall have the right to speak in and other-wise to take part in the proceedings of the Development Committee or of any sub-committee thereof of which he may be a member but shall not by virtue of

this sub-section be entitled to vote.

(5) The term of a co-opted member shall be one year.

(6) The persons referred to in clause (b) of sub-section (1) shall be elected by the [Corporation][1] at its first meeting after general elections.

(7) One-half of the members of the Development Committee shall retire every succeeding year at noon on the first day of the month in which the first meeting of the [Corporation][1] mentioned in sub section (6) was held:

Provided that all the members of the Development Committee in office when general elections are held shall retire from office on the election of a new Committee under sub-section (6).

(8) The members who shall retire under sub-section (7) one year after their elections under sub-section (6) shall be selected by lot at such time previous to the date for retirement specified in sub-section (7) and in such manner as the Chairman of the Development Committee may determine, and in succeeding years the members who shall retire under this section shall be those who have been longest in office:

Provided that, in the case of a member who has been re-appointed, the term of his office for the purposes of this sub-section shall be computed from the date of his re-appointment.

(9) The [Corporation][1] shall at its meeting held in the month preceding the date of retirement specified in sub-section (7) appoint fresh members of the Development Committee to fill the offices of those who are due to retire on the said date.

(10) A casual vacancy in the seat of a member of the Committee shall be filled for the remainder of the term of the member outgone:

Provided that if the remainder of the term is less than two months, the vacancy shall not be filled unless the [Corporation][1] resolves othewise.

(11) A retiring member whether elected or co-opted shall be eligible for re-election or re-co-option.

Election of members of Development Committee

55- The election of members of the Development Committee and its Vice-Chairman shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of the single, transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Resignation of members of Development Committee

56- A member of the Development Committee wishing to resign his office may forward a written resignation signed by him to the Nagar Pramukh and his resignation shall take effect upon the receipt of-such writing by the Nagar Pramukh.

Committees under clause (e) of section 5

Constitution of Committee under clause (e) of section 5

57- (1) A committee constituted under clause (e) of section 5 shall consist of as many members not exceeding twelve as the [Corporation][1] may determine.

(2) Subject to the directions, if any, of the State Government in this behalf, the members of a committee referred to in sub-section (1) shall

elect from among themselves a Chairman and a Vice-Chairman and shall fill any casual vacancy in the office of Chairman or Vice-Chairman by fresh election.

(3) The provisions relating to the term and manner of election of members of Executive Committee shall, as far as may be, apply to a committee constituted under clause (e) of section 5.

Metropolitan planning committee

[2][57-A (1) There shall be constituted in every Metropolitan area a Metropolitan Planning Committee to prepare a draft development plan for the Metropolitan area as a whole.

(2) The Metropolitan Planning Committee, referred to in sub-section (1) shall consist of a Chairperson who shall be chosen in such manner as may e prescribed by rules and such number of members not less than twenty one and not more then thirty, as the State Government may by order specify.

(3) Out of the total number of members specified under sub-section (2)—

(a) two thirds of the members shall be elected by and from amoungs, the elected members of the [Municipal Corporation][3]and chairpersons of the Panchayats in the Metropolitan area in proportion ot the ratio between the population of the [Municipal Corporation][3]and of the Panchayats in the area; and

(b) one third of the members shall be nominated by the State Government from amoungst –

(i) an officer, not below the rank of Deputy Secretary to the Central Government in the Ministry of Urban Development;

(ii) an officer, not below the rank of Join Secretary to the State Government in the Urban Development Department;

(iii) an officer not below the rank of Joint Secretary to the State Governemtn in the Forest Department;

(iv) the Chief Town and Country Planner, Uttar Pradesh;

(v) Director, Environment, Uttar Pradesh;

(vi) the Managing Director of Jal Nigam established under the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975;

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
2. Inser. of section 39 ibid.
3. Substituted by section 4 of Uttaranchal Act. No. 6 of 2008.

(vii) the General Manager of Jal Sansthan established under the Uttar Pradesh Water Supply and Sewegate Act, 1975 situated in the Metropolitan area;

(viii) a Superintending Engineer of the Public Works Department;

(ix) a Superintending Enginee of the Uttar Pradesh State Electricity Board;

(x) Vice Chairman of the Development Authority in the Metropolitan Area.

(3) The elected member of the Metropolitan Planning Committee referred to in clause (a) of sub-section (3) shall cease to hold office as soon

as he ceases to hold the office by virtue of which he became such member.

(4) A member referred to in sub-clause (i) of clause (b) of sun-section (3) shall be nominated on the recommendation of the Secretary to the Government of India in the Urban Development Department.

(5) Any vacancy of members shall be no bar to the constitution or reconstitution of the Metropolitan Planning Committee.

(6) The Metropolitan Planning Committee shall, in preparing the draft development plan –

(a) have regard to –

(I) the plans prepared by the Municipalities and the Panchayats in the Metropolitan area;

(ii) matters of common interest between the municipalities and the panchayats including coordinated spatial planning or the area, sharing of water and other physical and natural resources, the integrated development of infrastructure and environmental conservation;

(iii) the overall objectives and priorities set by the Government of Indian and the State Government;

(iv) the extent and nature of investment likely to be made in the metropolitan area by agencies of the Government of India and other available resources whether financial or otherwise.

(b) consult such institutions and organizations as the Governor may by order, specify.

(7) The Chairperson of a Metropolitan Planning Committee shall forward the development plan as recommended by such Committee to the State Government.

Explanation—For the purposes of this section "Municipalities" means the Municipal Corporation, Municipal Council and Nagar Panchayat.][2]

Mukhya Nagar Adhikari

Appointment of Mukhya Nagar Adhikari and Upar Mukhya Nagar Adhikari

[58 - (1) For every Municipal Corporation, the State Government shall appoint a Mushya Nagar Adhikari and one or more Apar Mukhya Nagar Adhikari as it may consider necessary :--

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
2. Insert. of section 39 ibid.

Provided that no person not already in the service of [the Government may be appointed as Mukhya Nagar Adhikari][7] unless his appointment has been approved by the State Public Service Commission.][5]

[Provided further that no person may be appointed as Apar Mukhya Nagar Adhikari unless he is an Upa Nagar Adhikari of the Corporatino in the senior most scale.][8]

Salary and allowances. etc. of Mukhya

59- (1) The Mukhya Nagar Adhikari [and the Apar Mukhya Nagar Adhikari][6] shall receive from the [Corporation][4] Fund such monthly salary and allowances, as the State Government may from time to time determine.

(2) The other, terms of employment including leave, pension, contribution to Provident Fund, shall be such as the State Government may prescribe.

NagarAdhikari [and the Apar Mukhya Nagar Adhikari][7]

Disputes relating to Elections

Election valid unless Questioned, etc.

60- No election under this Act shall be called in question except as provided by or under this Act.

Questioning of election of [Nagar Pramukh or Up Nagar Pramukh][4]

61- (1) The election of a person as [Nagar Pramukh or Upa Nagar Prarnukh][3] may be questioned by any unsuccessful candidate or by any person whose nomination paper was rejected of by any member of the [Corporation][4] by presenting a petition to the District Judge exercising jurisdiction in the city on anyone or more of the grounds mentioned in section

(2) The petition shall be presented within seven days of the declaration of the result of election.

Questioning of election of Sabhasad

62- [(1) The election of any person as Sabhasad may be questioned by any unsuccessful candidate at the election of by any person whose Domination paper was rejected at the election or by any elector of the ward concerned.][1]

(2) The petition may be presented on any one or more of the- grounds mentioned in section 71.

(3) The election of any person as [xxx][2] Sabhasad shall not be questioned on the ground that the name of any person qualified to vote, has been omitted from, or the name of any person not qualified to vote, has been inserted in the electoral roll or rolls.

---

1. Subs. by s. 19(a) of U.P. Act No. 12 of 1977.
2. Omitted by section 19 (b) ibid.
3. Subs. by s. 8 of U.P. Act No. 17 or 1982.
4. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
5. Subs. of section 40 ibid.
6. Subs. by section 41 (a) and (b) ibid.
7. Subs. by section 17 (a) of U.P. Act No. 26 of 1995.
8. Added by section 17 (b) ibid.

[(4) The petition shall be presented to the District Judge exercising jurisdiction in the city within 30 days of the declaration of result of the election.][3]

Form and contents of petition

63- (1) An election petition shall specify the ground or grounds on which the election of respondent is questioned and shall contain a concise statement of the material facts on which the petitioner relies, and shall set forth full particulars of any corrupt practice which the petioner alleges, including as full a statement as possible as to the names of the parties alleged to have committed such corrupt practice and the date and place of the commission of each such practice.

(2) The petition and if there is any ,schedule or annexure to the petition, such schedule or annexure also, shall be signed by the petitioner and verified in the manner laid down in the Code of Civil Procedure, 1908, for the verification of pleadings.

(3) A petitioner shall join as respondent to his petition:

(a) where the petitioner claims a declaration under [XXX][1] section 64, all the contesting candidates, other than the petitioner, and in any other case all the returned candidates; and

(b) any other candidate against whom allegations of any corrupt practice are made in the petition.

Relief that may be claimed by the petitioner

64- A petitioner, may in addition to claiming a declaration that the election of all or any of the returned candidates is void, claims a further declaration that he himself or any other candidate has been duly elected.

Recrimination

65- (1) Where in an election petition a declaration that any candidate other than the returned candidate has been duly elected is claimed, the returned candidate or any other party may give evidence to prove that the election of such candidate would have been void if he had been the returned candidate and a petition had been presented calling in question his election:

Provided that the returned. candidate or such other party as aforesaid shall not be entitled to give such evidence unless he has, within 21 days of the service upon him of notice of the election petition in case the election questioned is as [XXX][2] Sabhasad and three days in all other cases given a notice to the. District Judge trying the election petition of his intention to do so and has also given the security, if any, prescribed under section 79.

(2) Every notice referred to in sub-section (1) shall be accompanied by the specification, statement and particulars required by section 63 in the case of an election petition and shall be signed and verified in like manner.

---

1. Del. by section 8 of U.P. Act No. 21 of 1964.
2. Del. by section 20 of U. P. Act No. 12 of 1977
3. Subs. by section 19 (c) ibid.
4. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Petition when to be dismissed

66- If an election petition has not been presented within the time allowed by this Act or it does not comply with any provisions made under section 79 relating to deposit of security or the necessary court fee payable thereon is not furnished within the time allowed therefor it shall forthwith be rejected by the District Judge.

Procedure of hearing of petition

67- (1) An ejection petition not rejected under section 66 shall be heard by the District Judge.

(2) The District Judge hearing the petition shall follow such procedure as may be prescribed by rules under section 79.

Transfer of petition

68- (1) On the application of any party to an election petition and after notice to the other parties thereto and after hearing such of them as desire to be heard or, of its own motion without such notice, the High Court may at any stage-

(a) transfer an election petition pending before a District Judge for trial to any other District Judge; or

(b) re-transfer the same for trial to the District Judge from whom it was withdrawn.

(2) Where any election petition has been transferred or re-transferred under sub-section (1), the, District Judge who thereafter tries such petition may, subject to any direction in the order of transfer to the contrary, proceed from the point at which it was transferred or re-transferred :

Provided that he may, if he thinks fit, recall and re-examine any of the witnesses already examined.

Decision on the petition

69- If the petition has not otherwise been dismissed in the course of hearing, the District Judge shall at the conclusion of the trial of an election petition make an order- --

(a) dismissing the election petition; or

(b) declaring the election of all or any or the returned candidates to be void; or

(c) declaring the election of all or any of the returned candidates to be void and the petitioner or any other candidate to have been duly elected.

Other orders to be made while disposing of the petition

70- At the time of making an order under section 69 the District Judge shall also make an order-

(a) where any charge is made in the petition of any corrupt practice having been committed at the election, recording-

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(i) a finding whether any corrupt practice has or has not been proved to have been committed by, or with the consent of, any candidate or his agent at the election, and the nature of that corrupt practice; and

(ii) the names of all persons, if any, who have been proved at the trial to have been guilty of any corrupt practice and the nature of that practice ; and

(b) fixing the total. amount of costs payable, and specifying the persons by and to whom costs shall be paid :

Provided that no person shall be named in the order under sub-clause (ii) of clause (a) unless-

(a) he has been given notice to appear before the District Judge and to show cause why he should not be so named; and

(b) if he appears in pursuance of the notice, he has been given an opportunity of cross-examining any witness who has already been examined by the District Judge and has given evidence against him, of calling evidence in his defence and of being heard.

Grounds for declaring an election to be void

71- If the District Judge is of opinion--

(a) that on the 'date of his election a returned candidate was not qualified, or was disqualified to be chosen to fill the seat under this Act; or

(b) that any corrupt practice specified in section 78 has been committed by a returned candidate or his election agent or by any other person with the consent of a returned candidate or his election agent ; or

(c) that any nomination has been improperly rejected; or

(d) that the result of the election, in so far as it concerns a returned candidate, has been materially affected-

(i) by the improper acceptance of any nomination, or

(ii) by any corrupt practice committed in the interests of the returned candidate by a person other than that candidate or his election agent or a person acting with the consent of such candidate or election agent, or

(iii) by the improper reception, refusal or rejection of any vote or the reception of any vote which is void, or

(iv) by any non compliance With the provisions of this Act or of any rules or orders made thereunder, the District Judge shall declare the election of the returned candidate to be void.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Grounds for which candidate other than the returned candidate may be declared elected

72- If any person who has lodged a petition has, in addition to calling in question the election of the returned candidate, claimed a declaration that he himself or any other candidate has been duly elected and the District Judge is of opinion-

(a) that in fact the petitioner or such other candidate received a majority of the valid votes; or

(b) that but for the votes obtained by the returned candidate by corrupt practice the petitioner or such other candidate would have obtained majority of the valid votes;

the, District Judge shall after declaring the election of the returned candidate to be void declare the petitioner or such other candidate, as the case may be, to have been duly elected.

Procedure in case of equality

73- If during the trial of an election petition it appears that there is- an equality of votes between any candidates, at the election and that the addition of a vote would entitle any of these candidates to be declared elected then --

of vote

(a) any decision made by the Nirvachan Adhikari (Returning Officer) under, the provisions of-this Act shall, in so far as it determines the question between these candidates, be effective also for the purpose of the petition; and

(b) in so far as that question is not determined by such a decision, the District Judge shall decide between them by lot and proceed as if the one on whom the lot then falls had received an additional vote.

Appeal against order of District Judge

74- (1) An appeal shall lie from every order made by the District Judge under section, 69 or section 70 to the High Court within thirty days from the date of the order:

Provided that the High Court may entertain an appeal after the expiry of the said period thirty days if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within-such period.

(2) Every person who prefers an appeal under sub-section (1) shall enclose with the memorandum of appeal a Government Treasury receipt showing that a deposit of five hundred rupees has been made by him either in a Government Treasury or in the State Bank of India in favour of the High Court as security costs of the appeal.

(3) The High Court shall, subject to the provisions of this Act, have the same powers, jurisdiction and authority, and follow the same procedure, with respect to an appeal under this Chapter as if the appeal were an appeal from an original decree passed by a civil court situated within the local limits of its civil appellate jurisdiction:

Provided that every appeal under this section shall be heard by a bench of not less than two judges.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(4) Every appeal shall be decided as expeditiously as possible and endeavour shall be made to determine it finally within three months from the date on which the memorandum of appeal is presented to the High Court.

(5) A copy of the order of the High Court on appeal shall be sent by the Registrar of the High Court to the State Government for information.

(6) Where an appeal has been preferred against an order under clause (b) of section 69, the High Court may, on sufficient cause being shown, stay operation of the order appealed from and in such a case the order shall be deemed never to have taken effect under section 77 and shall not take effect until the dismissal of the appeal.

Finality of orders and decision

75- The decision of the High Court on appeal under section 74 and subject only to such decision the order of the District Judge under section 69 or section 70 shall be final and conclusive.

Communication order — 76- The District Judge shall after pronouncing his orders made under sections 69 and 70 send a copy thereof to the State Government.

Taking effect of order — 77- An order of the District Judge under section 69 or section 70 shall take effect on the day next following the day on which the same is pronounced.

Corrupt practices — 78- The following-shall be deemed to be corrupt practices for the purposes of this Act:

(1) Bribery, that is to say, any gift, offer or promise by a candidate or his agent or by any other person of any gratification to any person whom so ever, with the object directly or indirectly of inducing-

(a) a person to stand or not to stand as, or to withdraw from being a candidate, or to retire from contest at an election;

(b) an elector to vote or refrain from voting at an election, or as a reward to-

(i) a person for having so stood or not stood or for having withdrawn his candidature, or for having retired from contest; or

(ii) an elector for having voted or refrained from voting.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Explanation-For the purposes of this clause the term "gratification" is not restricted to pecuniary gratifications or gratifications estimable in money and it includes all forms of entertainment and all forms of employment for reward.

(2) Undue influence, that is to say, any direct or indirect interference or attempt to interfere on the part of the candidate or his agent, or of any other person, with the free exercise of any electoral right at an election :

Provided that--

(a) without prejudice to the generality of the provisions of this clause any such person as is referred to therein who-

(i) threatens any candidate, or any elector or any person in whom a candidate or any elector is interested, with injury of any kind including social ostracism and excommunication or expulsion from any caste or community; or

(ii) induces or attempts to induce a candidate or an elector to believe that he, or any person in whom he is interested, will become or will be rendered an object of divine displeasure or spiritual censure,

shall be deemed to interfere with the free exercise of the electoral right of such candidate or elector within the meaning of this clause;

(b) a declaration of public policy, or a promise of public action, or the mere exercise of a legal right without intent to interfere with an electoral right, shall not be deemed to be interference within the meaning of this clause.

(3) The systematic appeal by a candidate or his agent or by any other person, to vote or refrain from voting on grounds of caste, race, community or religion or the use of, or appeal to, religious symbols or the use of, or appeal to, national symbols, 'such as the national flag or the national emblem for the furtherance of the prospects of that candidate's election.

(4) The publication by a candidate or his agent or by any other person of any statement of fact which is false, and which he either believes to be false or does not believe to be true in relation to the candidature, or withdrawal, or retirement from contest, of any candidate, being a statement reasonably calculated to prejudice the prospects of that candidate's election.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(5) The procuring or abetting or attempting to procure by a candidate or his agent, the application by a person whether for a ballot paper in the name of any other person, whether living or dead or in a fictitious name, or by a person for a ballot paper in his own name when by reason of the fact that he bas already voted in the same or some other ward, he is not entitled to vote.

(6) The hiring or procuring, whether on payment or otherwise of any vehicle or vessel by a candidate or his agent or by any other person, for the conveyance of any elector (other than the candidate himself, the members of his family or his agent) to or from any polling station provided under order issued in pursuance of section 46 :

Provided that the hiring of a vehicle or vessel by an elector or by several electors at their joint costs for the purpose of conveying him or them to and from any such polling station or place fixed for the poll shall not be deemed to be a corrupt practice under this clause if the vehicle or vessel so hired is it vehicle or vessel not propelled by mechanical power:

Provided further that the use of any public transport vehicle or vessel or any tramcar or railway carriage by any elector at his own cost for the purpose of going to or coming from any such polling station or place fixed for the poll shall not be deemed to be a corrupt practice under this clause.

Explanation-In this clause, the expression "vehicle" means any vehicle used or capable of being used for the purpose or road transport, whether propelled by mechanical power or otherwise and whether used for drawing other vehicles or otherwise

(7) The obtaining or procuring or abetting or attempting to obtain or procure by a candidate or his agent, or, by any other person, any assistance (other than tile giving of vote), for the furtherance of the prospects of that candidate's election, from any person in the service of the Government and belonging to any of the following classes, namely: -

(a) gazetted officers;

(b) stipendiary judges and magistrates;

(c) members of the armed forces of the Union;

(d) members of, the police forces:

(e) excise officers ;

(f) revenue officers including village accountants, such as patwaris, lekhpals, talatis, karnams and the like but excluding other village officers; and

(g) such other class of persons in the service of the Government as may be prescribed.

Rules regarding decision of disputes relating to elections

79- The State Government may make rules with respect to the following matters-

---

1.Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(a) appointment and remuneration of staff for District Judge trying election petitions:

(b) abatement and withdrawal of ejection petitions;

(c) dismissal of election petitions for non-appearance, non-prosecution or non-compliance with orders of court, and with the provisions of the Act and orders made there under;

(d) procedure at hearing of election petitions;

(e) powers of District Judge trying election petitions;

(f) place of trial;

(g) deposit of security and additional security;

(h) refund and forfeiture of security deposits ;

(I) recovery of costs awarded under section 70;

(j) substitution of parties ;

(k) consignment and weeding out of records of decisions of election petitions ;

(l) any other matter about which provision is necessary in the opinion of the State Government.

Disqualification for electoral

80- (1) Offences punishable with imprisonment under section 171-E or section l71-F of the Indian Penal Code, 1860, and offences punishable under

offences and corrupt practices

section 135 or section 136 of the Representation of the People Act, 1951 as applied to election under this Act by section 48 shall entail disqualification for membership of a [Corporation][2] .

(2) The corrupt practices specified in section 78 shall entail disqualification for membership of a [Corporation][2].

(3) The period of disqualification shall be five years commencing in the case of disqualification under sub-section (1) from the date of the conviction for the offence and in the case of disqualification under sub- section (2) from the date on which the finding of the District Judge under section 70 take, effect under section 77.

Certain Other Matters

Penalty for sitting and voting before making oath or affirmation or when not qualified or disqualified

81- If a person sits or votes as a Nagar Pramukh, Upa Nagar Pramukh or member of a [Corporation][2] at a meeting of the [Corporation][2] or any Committee thereof before he has complied with the requirements of sub-section (1) of section 85 or when he knows that he is not qualified or that he is disqualified for being a Nagar Pramukh, Upa Nagar Pramukh, [xxx][1] or Sabhasad as the case may be, he shall be liable in respect of each day on which he so sits or votes to a penalty of fifty rupees to be recovered as a debt due to the State.

1. Del. by section 21 of U.P. Act No. 12 of 1977.
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Questions as to disqualifications to be determined by the State Government

82- If any question arises as to whether a member of a [Corporation][2] has become subject to any of the disqualifications mentioned in section 25 the question shall be referred in the manner prescribed for ·decision to the State Government and the decision of the State Government shall be final.

Removal of members

83- (1) The State Government may remove a member of the [Corporation][2] or of any Committee thereof on any of the following grounds:-

(a) that he has acted as a [xxx][1] Sabhasad or member of any Committee, as the case may be, by voting or taking part in the discussion of any matter other than a matter referred to in clause (e) of section 25 in which he has directly or indirectly a personal interest or in which he is professionally interested on behalf of a client, principal or other person;

(b) that he has become physically or mentally incapacitated for performing his duties as such member;

(c) that he has been guilty of gross misconduct in the discharge of his duty as such member:

Provided that no order of removal shall be made by the State Government under this section unless a [xxx][1] Sabhasad or member of Committee to whom it relates has been given a reasonable opportunity of showing cause why such order should not be made.

(2) The removal shall be made by notification in the official Gazelle and

shall become effective from the date of publication of such notification.

(3) The Stale Government may direct a member who is suffering from any of the serious infectious diseases to be specified by the State Government, by order not to attend any meeting of the [Corporation][2] or any Committee, Joint Committee or sub-committee thereof and any member who has been so directed shall not be qualified to attend any meeting of the [Corporation][2] or any Committee, Joint Committee or sub-committee thereof until upon his furnishing proof to the satisfaction of the State Government of his having been cured of the disease the Stare Government withdraw the direction.

(4) A person who has been removed from membership of the [Corporation][2] under sub-section (l) shall be disqualified for, being elected and for being a member of the [Corporation][2] for a period of four years from the date of his removal and a person who has been removed from the membership of any committee of the [Corporation][2] shall be disqualified for being elected or for being a member of such committee for a period of four years from the date of his removal:

Provided that the State Government may at any time by order remove the disqualification.

---

1. Del. by section 22 of U.P. Act No.12 of 1977.
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

84- [xxx][1]

Oath of allegiance to be taken by the Nagar Pramukh and members

85- [(1) Notwithstanding anything contained in the Indian Oaths Act, 1873, every person who is elected a Sabhasad [xxx][3] or co-opted as a member of the Development Committee and every person who is elected a Nagar Pramukh shall before taking his seat make an oath or affirmation in the following form, namely:

"I,-------- A.B., having been elected Sabhasad (co-opted member of the Development Committee) [xxx][4] Nagar Pramukh of this [Corporation][9] do swear in the name of God solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter.][1]

[(1-A) Within seven days of t he constitution under section 9 or reconstitution under section 538 [***][11] of the [Corporation][9] the Mukhya Nagar Adhikari shall convene a meeting of the Nagar Pramukh, [and Sabhasads][5] who have been declared elected. The Commissioner of the Division and in his absence the District Magistrate shall administer the oath or affirmation to the Nagar Pramukh and thereafter the Nagar Pramukh shall administer the oath or affirmation to such Sabhasads [x x x][6] as may be present.][2]

(2) Any person who having been elected a Sabhasad or Nagar Pramukh [xxx][7] or co-opted a member of the Development Committee fails to make within three months of the dale on which his term of office commences or at one of the- first three meetings of the [Corporation][9] held after the said date, whichever is later, the oath or affirmation laid down in and required to be taken by sub-section (1) shall cease to hold his, office and his seat shall be deemed to have become vacant.

(3) Any person required under sub-section (1) to make an oath or

affirmation shall not take his seat at, a meeting of the [Corporation][9] in the case of a person co-opted a member of the Development Committee. at a meeting of such Committee, or do any act as Sabhasad, [xxx][8] or Nagar Pramukh or such member of the Development Committee, as the case may be, unless he has made an oath or affirmation as laid down in sub-section (1).

Expenses of election

86- (1) All expenditure incurred in connection with the preparation and revision of electoral rolls for a city and the conduct of all elections under this Act in respect of that City shall except as otherwise directed by the State Government be charged to and be realizable from the [Corporation][9] to the extent and in the manner laid down by the State Government.

---

1. Subs. by s. 9 (1) of U.P. Act No. 21 of 1964.
2. Ins. by s. 9 (2) ibid.
3. Del. by s. 23 (a) (i) of U.P. Act No. 12 of 1977.
4. Del. by s. 23 (a) (ii) ibid.
5. Subs. by s. 23(b) (i) ibid.
6. Del. by s. 23(b)(ii) ibid.
7. Del. by s. 23(c) ibid.
8. Del. by s. 23(d) ibid.
9. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
10. Deleted by section 43 ibid.
11. Omitted by section 18 of U.P. Act No. 26 of 1995.

(2) The Nirvachan Adhikari (Returning-Officer) or any officer charged with the duty of conducting any election may require the [Corporation][3] to advance such sum as may be necessary for the conduct of that election and the [Corporation][3] shall thereupon make that sum available to the Nirvachan Adhikari (Returning Officer) or other officer concerned.

Power to make rules

87- (1) The State Government may make rules in respect of matters to be prescribed but which are not prescribed in the Act or by order.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power such rules may provide for-

(a) the manner of notification of election of Nagar Pramukh, Upa Nagar Pramukh, [xxx][2] or Sabhasad, and of a vacancy in the office of Nagar Prarnukh, Upa Nagar Pramukh, [xxx][2] or Sabhasad;

(b) manner of election of members of Executive Committee, Development Committee and committees constituted under clause (e) of section 5 and of co-option of members of the Development committee;

(c) manner of election of Vice-Chairman of the Executive Committee and Development Committee and Chairman and Vice- Chairman of committees constituted under clause (e) of section 5;

(d) maximum salary and allowances of Mukhya Nagar Adhikari;

(e) manner of reference under section 82 of any question as to disqualification of member;

(f) procedure for ascertaining if a member is suffering from a serious infectious disease for the purposes of sections 25 and 83; and

(g) matters relating to 'taking of oath under section 85.

CHAPTER III

Proceedings of the [Corporation][3], Executive Committee, Development Committee and other Committees

Meeting of [Corporation][3]

88- (1) The [Corporation][3] shall meet for the transaction of business six times at least in every year and more than two months shall not intervene between its last sitting and the date appointed for the first sitting of the next meeting.

(2) The Nagar Pramukh and in the absence of the Nagar Pramukh, the Upa Nagar Pramukh may whenever he thinks fit, and shall, upon a requisition made in writing by not less than one-sixth of the total number of members of the [Corporation][3] call a meeting of the [Corporation][3]. The requisition may be delivered to the Nagar Pramukh or, as the case may be, to the Upa Nagar Pramukh by any member subscribing the same, or sent to him by registered post [The meeting on such requisition shall be convened within fifteen days from the date of delivery or service thereof.][1]

1. Ins. by s. 10 (i) of U. P. Act No. 21 of 1964.
2. Del. by s. 24 of U. P. Act No. 12 of 1977.
3. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

[(2-A), Notwithstanding anything contained in. sub-section (2), where a meeting has already been called to be held within a period of fifteen days from the date of delivery or service of a requisition. the Nagar Pramukh or Upa Nagar Pramukh, as the case may be, may instead of calling a separate meeting upon that requisition, include, subject to the provisions· of sub-section (I) of section 91, the matters mentioned in such requisition in the list of business to be transacted at the meeting already called and thereupon such meeting shall be deemed to be a meeting convened on that requisition as well.

(2-B) The Nagar Pramukh or tile Upa Nagar Pramukh, as the case may be, may, for reasons to be recorded, postpone a, meeting, other than a meeting, convened on requisition of members, by giving such notice as may be provided by bye-laws in this behalf.][1]

(3) Every meeting of the [Corporation][2] shall be open to the public unless the Presiding Officer considers that the public shall be excluded during the whole or any part of the meeting.

Meeting of executive Committee, etc.

89- (1) The Executive Committee, [the Development Committee, the Wards Committees][3] and any other Committee constituted under section 5 shall meet once at least in every month for the transaction of business.

(2) The Chairman or in the absence of the Chairman the Vice- Chairman of any Committee referred to in sub-section (1) may, whenever he thinks fit, and shall, upon a requisition made in writing by not less than one-fourth of the total number of members or the Committee, call a meeting of the Committee.

Quorum 90- (1) Where any business is required to be transacted by special resolution, the quorum for the transaction of such business shall be at least one-half of members of the [Corporation][2] or the Committee, as the case may be.

(2) No business shall, except as provided in sub-section (3), be transacted at any meeting of the [Corporation][2], the Executive Committee, [the Development Committee, the Wards Committees][3]or any other Committee constituted under section 5 unless at least one-fifth of the total number of members thereof be present throughout the meeting.

(3) Where any meeting fails or is unable to continue to transact its business for want of quorum, the Presiding Officer of the meeting shall direct that a meeting be held at such time and place as he thinks fit and thereupon the Mukhya Nagar Adhikari shall give notice to all members of the time and place of such meeting and the business which had been listed for transaction at the original meeting may be brought forward and transacted in the usual manner at such meeting but no quorum shall be necessary thereat.

---

1. Ins. by s. 10 (ii) of U. P. Act No. 21 of 1964.
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
3. Substituted by section 44 ibid.

Notice of meeting and business 91- (1) A list of the business to be transacted at every meeting except an adjourned meeting, shall be sent to the address, given by him self of each member of the [Corporation][2] , the Executive Committee, [the Development Committee, the Wards Committees][3], or other Committee constituted under clause (e) of section 5, as the case may be, at least ninety-six hours in the case of a meeting of the [Corporation][2] and seventy-two hours in the case of a meeting of any such Committee before the time fixed for such meeting and no business, except as provided in sub-section (2), shall be brought or transacted at any meeting other than a business of which notice has been given:

Provided that if the list of business aforesaid is sent by post it shall be sent under a certificate of posting.

(2) Any member of the [Corporation][2] or of a Committee referred to insub-section (i), as the case may be, may send or deliver to the Mukhya Nagar Adhikari notice of any resolution with a copy thereof proposed to be moved by him at any meeting of which notice has been sent under section (1). The notice shall be sent or delivered at least forty-eight hours in the case of a meeting of the [Corporation][2] and twenty-four hours in the case of a meeting of any Committee before the date fixed for the meeting and thereupon the Mukhya Nagar Adhikari shall with all possible despatch cause to be circulated such resolution to every member, in such manner as he may think fit. Any resolution so circulated may, unless the meeting otherwise decides, be considered and disposed of thereat.

Vote of majority decisive at meetings of the [Corporation][2] 92- (1) All matters required to be decided by the [Corporation][2] or by any Committee thereof shall, save as otherwise provided in this Act, be determined by a majority of the members present and voting at the meeting. [xxx][1]

(2) The voting at all meetings shall be by show of hands but the bye-laws to be framed by the [Corporation][2] may provide that any question or class of questions as may be specified, be decided by secret ballot.

(3) At any meeting, unless a poll be demanded by at least one-fourth of the members present, a declaration by the Presiding Officer at such meeting that the resolution has been carried or lost and an entry to that effect in the minutes of the proceedings shall, for the purposes of this Act, be conclusive evidence of the fact without proof of the number or proportion of the votes recorded in favour of or against such resolution.

(4) If a poll be demanded by at least one-fourth of the members present at a meeting the votes of all the members present who desire to vote shall be taken under the direction of the Presiding Officer of the meeting and the result of such poll shall be. Deemed to be the resolution of the [Corporation][2] at such meeting.

Adjournment of meeting of [Corporation][2] and Committee, etc.

93- The Presiding Officer of any meeting of the [Corporation][2] or of any Committee referred to in section 89 at which a quorum of the members is present may, with the consent of the majority of the members present, adjourn the meeting from time to time.

---

1. Omit. by s. 9 of U.P. Act No, 17 of 1982.
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
3. Substituted by section 44 ibid.

Presiding officers at meetings

94- (1) The Nagar Pramukh and in his absence the Upa Nagar Pramukh shall preside at meetings of the [Corporation][1].

(2) In the absence of the Chairman of any Committee the Vice-Chairman thereof shall preside at meetings of the Committee.

(3) The members present at any meeting shall in the absence of the Nagar Pramukh and the Upa Nagar Pramukh in the case of the [Corporation][1] and the Chairman or Vice-Chairman, in the case of any Committee referred to in section 89, choose one of their members to preside at the meeting.

(4) Subject to the provisions of section 17 a person presiding at a meeting of the [Corporation][1] or of any Committee may vote on any motion before the [Corporation][1] or the Committee, as the case may be, and in the case of equality of votes shall have also a casting vote.

Special Committees and Joint Committees

95- (1) The [Corporation][1] may from time to time by special resolution constitute a Special Committee consisting of such members and other persons, it any, as it may think fit, to enquire into and report upon any matter connected with its powers, duties or functions: Every member of a Special Committee shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of, the Committee, but no member who is not a member of the [Corporation][1] shall have a right to vote at any meeting of the Committee.

(2) The [Corporation][1] may from time to time by resolution appoint a Joint Committee of any two or more of the committees mentioned in section 5 in respect of matters in which such committees may be jointly interested.

(3) Every Special Committee and Joint Committee shall conform to any instructions that may from time to time be given to by the [Corporation][1].

(4) The [Corporation][1] may at any time dissolve or alter the constitution of any Special Committee or Joint Committee or may at any time withdraw from any Special Committee any of the powers, duties and functions delegated

to it.

(5) Every Special Committee and Joint Committee shall appoint one of their members to be the Chairman, provided that no member of the [Corporation][1] may be the Chairman of more than one Special Committee or Joint Committee and no person who is not a member of the [Corporation][1] shall be appointed Chairman of any committee.

(6) In the absence of a Chairman at any meeting the members of a Special Committee or Joint Committee shall choose one of their members to preside at the meeting provided that no person who is not a member of the [Corporation][1] shall be so chosen.

(7) The report of any Special Committee shall, as soon as may be practicable, be laid before the [Corporation][1] which may thereupon take such action as it thinks fit or may refer back the matter to the Special Committee for such further investigation and report as it may direct.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Joint transaction with other local authorities

96- (1) The [Corporation][1] may from time to time and shall if so required by the State Government, join with a Cantonment authority or any other local authority or with a combination of such authorities-

(a) in appointing a joint committee out of their respective bodies for any purpose in which they are jointly interested, and in appointing a Chairman of such committee;

(b) in delegating to any such committee power to frame terms binding on each such body as to the construction and future maintenance of any joint work and any power which might be exercised by any of such bodies, and

(c) in framing and modifying bye-laws for regulating the proceedings of, any such committee in respect of the purpose for which the committee is appointed.

(2) Where the [Corporation][1] has requested the concurrence of any other local authority under the provisions of sub-section (l) in respect of any matter and such other local authority has refused to concur, the State Government may pass such orders as it deems, fit requiring the concurrence of such other authority, not being a Cantonment authority, in the matter aforesaid and such other authority shall comply with such orders.

(3) If any difference of opinion arises between the [Corporation][1] and any such other local authority which has joined the, [Corporation][1] under this section, the matter shall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final and binding :

Provided that, if the authority concerned is a Cantonment authority, any such decision shall not be binding unless it is confirmed by the Central Government.

(4) The [Corporation][1] may from time to time enter into an agreement with a Cantonment authority, or a local authority or with a combination of such authorities for the levy of octroi or terminal tax or tolls by the [Corporation][1] on

behalf of the authorities so agreeing and, in that event, the provisions of this Act shall apply in respect of such levy as if the area of the City were extended so as to include the area or areas subject to the control of such authority or such combination of authorities.

(5) The terms on which the [Corporation][1] proposes to join with a Cantonment authority or a local authority or a combination of such authorities under sub-section (1) or sub-section (4) shall be reduced to writing and be subject to prior approval of the State Government.

(6) Subject to the prior approval of the State Government the terms referred to in sub-section (5) may be varied or rescinded with the concurrence of all the local authorities concerned and any such variation or rescission shall take effect from such date as may be agreed upon and specified by the said local authorities.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Sub-Committees

97- (1) The Executive Committee, [the Development Committee, the Wards Committees][3]or any Committee appointed under clause (e) of section 5 or a Joint Committee may appoint one or more sub-committees for any purpose with which it is entitled to deal and which, in its opinion, can be more usefully carried out by a sub-committee.

(2) A sub-committee appointed under sub-section (l) shall possess such powers and perform such duties and functions as the Committee appointing it may from time to time delegate or confer.

Right to ask questions

98- A Sabhasad [xxx][1] may, subject to the conditions prescribed by rules, ask questions on any matter relating to the administration of this Act or the [Corporation][2] government of the City.

Attendance of Chairman of a Committee at meetings of other Committees

99- With the permission of the Nagar Pramukh the Chairman of any committee of the [Corporation][2] may be present at and address a meeting of any other Committee, of the [Corporation][2] but he shall not, by virtue of this section, be entitled to vote thereat.

Vacancy in the offices of both NagarPramukh and Upa Nagar Pramukh

100- Whenever the office of the Nagar Pramukh as well as of the Upa Nagar Pramukh is vacant, the 1;1ukhya Nagar Adhikari shall, subject to any directions which the Prescribed Authority may give in this behalf, carryon the routine duties of the Nagar Pramukh till a Nagar Parmukh or Upa Nagar Pramukh is elected.

Presence of Mukhya Nagar Adhikari and other officers at meetings

101- (1) The Mukhya Nagar Adhikari shall have the right of being present at a meeting of the [Corporation][2] or of any Committee, sub-committee, Joint Committee or Special Committee constituted under this Act and of taking part in the discussion thereat and with the permission of the Presiding Officer, may at any time make a statement or explanation of facts but shall not be at liberty to vote upon or to make any proposition at such meeting.

(2) The [Corporation][2] or any Committee, Special Committee, Joint Committee or sub-committee referred to in sub-section (1) may require any of the officers of the [Corporation][2] to attend any of its meetings or meeting at which any

matter dealt with by such officer in the, course of his duties is being discussed and if any officer is required to attend at such meeting, he may be' called upon to make a statement or explanation. of facts or supply such I information in his possession relating to any matter dealt with by him as the [Corporation][2], or any Committee, Special Committee, Joint Committee or sub-committee, as the case may be, may require.

(3) Any officer specially authorized by the State Government in this behalf shall be entitled to attend the meeting of the [Corporation][2] and to address it on any matter affecting his department or in respect of which he has special knowledge.

(4) The [Corporation][2] may request the State Government to direct the Head of any Government department or any other officer of that department to attend a meeting of the [Corporation][2].

---

1. Del. by s. 25 of U. P. Act No. 12 of 1977.
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
3. Substituted by section 44 ibid.

Proceedings of the [Corporation][1], Executive Committee etc.

102- The meeting of the, [Corporation][1], the Executive-Committee, [the Development Committee, the Wards Committees][2] and all other Committees and sub-committees shall be held and the business before them conducted and disposed of in the manner prescribed by bye-laws made by the [Corporation][1].

Bye-laws under this Chapter

103- (1) Subject to and consistent with the provisions of this Act, the [Corporation][1] may make bye-laws for regulating the holding of and theconduct of business at its meeting and the meetings of Executive, Committee, [the Development Committee, the Wards Committees][2] Committees constituted under section 5, Special Committees, Joint Committees and sub committees.

(2) Without prejudice to the generality of powers conferred under sub-section (1) the bye-laws may provide for:--

(i) the time and place of meetings of the [Corporation][1], committees and sub-committees;

(ii) the manner in which notice of such meetings shall be given;

(iii) the management and adjournment of such meetings, and the regulation of orderly conduct of business thereat, including the withdrawal or suspension of members guilty of disorderly conduct;

(iv) the procedure at meetings of the [Corporation][1], committees and sub-committees;

(v) the minute book and keeping of record of proceedings of [Corporation][1], Committees and sub-committees;

(vi) inspection of minutes and report of proceedings and supply of copies thereof to members and other persons on payment of fee or otherwise;

(vii) constitution of Committees and sub-committees;

(viii) appeal from decisions of sub-committees to the Committee appointing it;

(ix) Conditions attaching to the right to ask questions and the answering of such questions.

(3) The bye-laws made under this section shall be subject to the provisions of sections 542, 543, 544, 546, 547 and 549.

Vacancies etc. not to invalidate proceedings

104- (1) No act or proceeding of the [Corporation][1] or of any Committee or sub-committee appointed under this Act shall be invalid or be questioned on account of any vacancy in its body.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
2. Substituted by section 44 ibid.

(2) No disqualification of, or defect in, the .election or appointment of any person acting as a Sabhasad [x x x][1] or as Nagar Pramukh or Upa Nagar Pramukh or Presiding Officer of the [Corporation][2] or as Chairman or Vice-Chairman or member of any Committee or sub-committee appointed under this Act shall be deemed to vitiate any act or proceeding of the [Corporation][2] or of any such Committee or sub-committee, as the case may be, in which such person has taken part, provided, the majority of the persons who were parties to such act or proceedings were entitled to act.

(3) Until the contrary is proved, every meeting of the [Corporation][2] or of a Committee or sub-committee in respect of the proceedings whereof a minute has been made and signed in accordance with this Act or the bye-laws shall be deemed to have been duly convened and held, and. all the members of the meeting shall be deemed to have been duly qualified; and where the proceeding are proceedings of a Committee or-sub-committee, sub-committee or sub-committee shall be deemed to have been drily constituted and to have had power to deal with the matters referred to in the minutes.

Bar to questioning of act and procee-ding on ground of mere-irregularity

105- No act done or proceeding taken under this Act shall be called in question in any court on the ground merely of any defect or, irregularity in procedure not affecting the substance.

CHAPTER IV

Officers and Staff

Creation of posts

106- (1) Subject to such conditions as may be prescribed a [Corporation][2] may from time to time create one or more of the following posts, as it may consider necessary, in connexion with its affiairs; namely,-

(i) Upa Nagar Adhikari;

(ii) Sahayak Nagar Adhikari ;

[(iii) Mukhya Abhiyanta ;][3]

(iv) Nagar Swasthya Adhikari ;

(v) Mukhya Nagar Lekha Parikshak ; and

(vi) other posts of officers, staff and other servants necessary for the efficient discharge of its functions:

Provided that where the State Government orders to the effect that the [Corporation][2] do create a post, it shall be obligatory for the [Corporation][2] to create such post:

Provided further that a post created under the firs, proviso shall not be abolished without the sanction of the State Government.

1. Del. by s, 26 of U.P. Act No, 12 of 1977.
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
3. Substituted by section 45 ibid.

(2) The qualifications of persons to be appointed to posts created under sub-section (1) shall be such as may be prescribed by the State Government.

Appointment to posts

107. (1) [Appointments to the posts of Upa Nagar Adhikari, Sahayak Nagar Adhikari, [Mukhya Abhiyanta, Nagar Swasthya Adhikari, Mukhya Nagar Lekha Parikshak and to other posts as the State Government may specify, [shall be made by the Nagar Pramukh][8]][6] after consultation with the State public Service Commission in the manner prescribed and riot otherwise.][3]

Provided that the appointment of Nagar Swasthya Adhikari shall preferably be made out of officers of the Public Health Department of the State Government whom the State Government may be agreeable to send on deputation and in such case consultation with the Public Service Commission shall not be necessary .

(2) [[Appointments to the posts not included in the posts referred to in sub-section (1)][7] shall be made after consultation with the State public Service Commission in the manner prescribed and not otherwise.][4] The authority to appoint such officers and servants of the [Corporation][5] shall vest-

(a) in respect of those officers and servants who are immediately subordinate to the Mukhya Nagar Lekha Parikshak, in the Mukhya Nagar Lekha Parikshak, and

(b) in respect of all other officers and servants, in the Mukhya Nagar Adhikari.

(3) All other appointments except those specified in sub-sections (1), (2) and (5) shall be made in accordance with the recommendations of a Selection Committee constituted under sub-section (4) and the authority to make such appointments shall vest-

(a) in respect of those officers and servants, who are immediately sub- ordinate to the Mukhya Nagar Lekha Parikshak, in the Mukhya Nagar Lekha Parikshak, and

(b) in respect of all other officers, and servants, in the Mukhya Nagar Adhikari.

(4) The Selection Committee referred to in sub-section (3) shall consist of the Mukhya Nagar Adhikari or his nominee, [the Mukhya Nagar Lekha Parikshak][2] and the Head of the department for which the appointment is to be made. The Mukhya Nagar Adhikari and, in his absence the members designated by him for the purpose, shall be the Chairman of the Selection Committee :

[Provided that the Committee referred to above which may be constituted in-

connection with, the appointment of officers and servants immediately subordinate to the Mukhya Nagar Adhikari or the Mukhya Nagar Lekha Parikshak shall consist of the Mukhya Nagar Lekha Parikshak as the case may be, as Chairman and two other officers of the [Corporation][5], who shall be nominated by the Executive Committee as members.][1]

---

1. Subs. by s, 5 of U. P. Act No. 14 of 1959.
2. Ins. by s. 2 of U. P. Act No. 22 of 1961.
3. Subs. by section 11 (i) of U. P. Act No. 21 of 1964.
4. Subs by s. 11 (ii) ibid.
5. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
6. Substituted by section 46 (a) ibid.
7. Substituted by section 46 (b) ibid.
8. Substituted by section 19 of U.P. Act No. 26 of 1995

(5) Appointments to posts in the engineering, [public-health and other departments of the [Corporation][3] carrying Scales of pay lower than the scales of pay of the posts referred to in sub-section (3)][4] shall be made by the Heads of the departments concerned specified under section 112 subject however to any bye-laws made by the [Corporation][3] in this behalf.

(6) In the case of any difference of opinion between the appointing authority and the State Public Service Commission a reference shall be made by the Mukhya Nagar Adhikari to the State Government whose decision shall be final.

Officiating and temporary appointments to certain posts

108. Notwithstanding anything contained in section 107 officiating and temporary appointments to posts mentioned in sub-sections (1), (2) and (3) of the said section may be made by the appointing authorities specified in those sub-sections, without consulting the State Public Service Commission or obtaining the recommendation of the selection Committee but to such appointment nor shall be made where it is expected to last for more than a year, without consulting the State Public Service Commission or otherwise than in accordance with the recommendation of the Selection Committee, as the case may be.

Appointment of teachers of institutions maintained by [Corporations][3]

[108-A Notwithstanding anything in sections 107 and 108,-

(a) the appointment of a, teacher in any college, affiliated to any University as defined in the Uttar Pradesh State Universities Act 1973 and- maintained by a [Municipal Corporation][3] shall be made in accordance with the provisions of that Act, and

(b) the appointment of a teacher or Head of an institution recognised in accordance with the Intermediate Education Act, 1921, and maintained ·by a [Municipal Corporation][3] shall be made in accordance with the provisions of that Act.][1]

Condition of service etc.

109- The emoluments and other conditions of service of officers, staff and other servants of the [Corporation][3] shall be such as may be prescribed by the State Governmen

Punishment of officers of the [Corporation]

110- [(1) No officer or servant of the [Corporation][3] shall be dismissed or removed or otherwise punished by an authority subordinate to that by which he was appointed:

Provided that in the case of an officer or servant whose appointment is required to be made in consultation with the State Public Service Commission under section 107, it shall be necessary for the authority concerned to consult the

Commission in the manner prescribed, before passing an order for the dismissal removal or reduction in rank of any such officer or servant.][2]

(2) Punishment of officers and servants of the [Corporation][3] shall be subject to such right of appeal as may be prescribed.

---

1. Subs. by s. 3 (i) of U. P. Act. No. 10 of 1978.
2. Substituted by section 5.
3. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
4. Substituted by section 46 (c) ibid.

Power of the State Government to make appointments

111- Where any authority specified in section 107 fails within a reasonable time to make appointment to any post specified in section 106 or created there under the State Government may after giving the authority due opportunity and consulting the State Public Service Commission, if necessary, male appointment thereto and such appointment shall then be deemed for all purposes to have been made by the authority concerned.

Power and duties of certain officers

112- (1) [The Apar Mukhya Nagar Adhikari, Upa Nagar Adhikari][5] and Sahayak Nagar Adhikari shall, subject to the control of the Mukhya Nagar Adhikari, exercise such powers and perform such duties of the Mukhya Nagar Adhikari as the Mukhya Nagar Adhikari may specify in this behalf.

(2) All acts done and jurisdictions exercised by [the Apar Mukhya Nagar Adhikari or][6] the Upa Nagar Adhikari or the Sahayak Nagar Adhikari in pursuance of the powers delegated to him under sub-section (1) shall, for all purposes, be deemed to have been performed and done by the Mukhya Nagar Adhikari.

(3) [The Mukhya Abhiyanta][7], the Nagar Swasthya Adhikari, the Mukhya Nagar Lekha Parikshak and such other officers as may be specified by the State Government shall be called the Heads of the Departments or the [Corporation][4] and shall perform such duties and shall exercise such powers as are imposed upon them by or under this Act or any other enactment for the time being in force.

Centralization of services

[112-A (1) Notwithstanding anything contained in sections 106 to 110, the State Government may at any time by rules provide for the creation of one or more services of such officers and servants as the State Government may deem fit, common to the [Corporations][4] or to the [Corporations][4], [Nagar Panchayat, Municipal Council][8] and Jal Sansthans of the State, and prescribe the method of recruitment and conditions of service of persons appointed to any such service.][3]

[1][(2) When any such service is created, officers and servant serving on the posts included in the service as well as officers and servants performing the duties and functions of those posts under sub-clause (1) of clause (ee) of section 577 may, if found suitable, be absorbed in the service, provisionally or finally, and the services of others shall stand determined, ill the prescribed manner:

[Provided that such absorption in the service shall not operate as a bar against holding or continuing to hold any disciplinary proceedings against a member of the service 10 respect of any act committed before the date of such absorption.][2]

(3) Without prejudice to the generality of the provisions of sub- sections (I)

and (2) such rules may also provide for consultation with the State Public Service Commission in respect of any of the matters referred to in the said sub-section.][1]

---

1. Subs. by s. 6 of U.P. Act 29 of 1966.
2. Ins. by s. 3(a) of U.P. Act 15 of 1983 and be deemed always to have been inserted.
3. Sub. by section 10 of U.P. Act 5 of 1984.
4. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
5. Substituted by section 47 (a) ibid.
6. Substituted by section 47 (b) ibid.
7. Substituted by section 47 (c) ibid.
8. Substituted by section 48 (a) ibid

[(4) Notwithstanding anything contained in the preceding sub- sections (1), (2) and (3) or in an other provision of the Act, the State Government may by rules also provide for regularisation of temporary and adhoc appointments, made before the prescribed date, without consolation with the State Public Service Commission.][1]

[Explanation—For the purposes of this sub-section it is clarified that services common to Nagar Panchayats and Munnicipal Councils or Nagar Panchayats, Municipal Councils, Municipal Corporations and Jal Sansthan in the districts comprised in the kumaun and Garhwal divisions of the State may be created.][3]

Essential services

112-B The following services of the [Corporation][2] shall be the essential services, namely-

(a) medical and public health services;

(b) water works and mechanical engineering services;

(c) sweepers;

(d) staff of the lighting department;

(e) transport services; and

(f) such other services as may be specified in the rules.

Members of essential services not to resign, etc. without permission

112-C No member of an essential service shall-

(a) resign his office or withdraw or absent himself from the duties thereof, except-

(i) after obtaining written permission from the Mukhya Nagar Adhikari or any officer authorised by him in this behalf; or

(ii) in the event of illness or accident disabling him from the discharge of his duties or for such other reasons as the Mukhya Nagar Adhikari or other officer authorised by him in this behalf may consider sufficient; or

(iii) after giving three months notice in writing to the Mukhya Nagar Adhikari; or

(b) neglect or refuse to perform his duties or wilfully perform them in a manner which, in the opinion of the Mukhya Nagar Adhikari or such other officer, as aforesaid, is inefficient.

Power of State Government to declare emergency

112-D (1) If the State Government is of the opinion that the stoppage or the cessation of the performance of any of the essential services will be prejudicial to the safety or health or to the maintenance of services essential to the life of the community in the city it may, by notification in the official Gazette, declare that an emergency exists in the City and specify the period for which such declaration shall be in operation.

---

1. Sub. by section 3(b) of U.P. Act, 15 of 1983.
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
3. Substituted by section 48 (b) ibid.

(2) While a declaration of emergency under sub-section (1) is in operation no member of such of the essential services as may be specified in the notification shall, notwithstanding any law or agreement to the contrary for the time being in force-

(a) withdraw or absent himself from his duties except in the event of illness or accident disabling him from the discharge of his duties; or

(b) Neglect or refuse to perform his duties or wilfully perform them in a manner which in the opinion of such officer as the State Government may specify in this behalf is inefficient.][1]

Power to make rules

113- (1) The State Government may make rules for the purposes of carrying into effect the provisions of this chapter.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers such rules may provide for :-

(a) the method of recruitment, and qualification of persons to be appointed, to the posts created in connexion with the affairs of the [Corporation][5] ;

(b) the designation and grade of posts of officers, staff and other servants created under clause (vi) of sub-section (1) of section 106;

(c) the appointment of persons in temporary or officiating capacity;

(d) the salaries emoluments and other allowances of persons appointed to the aforesaid posts;

(e) the leave, punishment, including dismissal and removal, appeal and other disciplinary matters and other conditions of service of the officers, staff and other servants of the [Corporation][5] ; [xxx][2]

(f) specification of officers as Head of department of the [Corporation][5] [; and][3]

[(g) the creation of municipal services under section 112-A and recruitment thereto, absorption of existing officers and servants therein, and transfer, leave, punishment, including dismissal and removal, appeal and other disciplinary matters and other conditions of service of such officers and servants.][4]

1. New sections 112-A to 112-D add. by s. 12 of U.P. Act No.: 21 of 1964.
2. Subs. and Del. by s. 13 (i) ibid.
3. Subs. and add. by s. I3 (ii) ibid.
4. Ins. by s. 13 (iii) ibid.
5. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

CHAPTER V

Duties and Powers of the [Corporation][1] and [Corporation][1] Authorities

Obligatory duties of the [Corporation][1]

114 - It shall be incumbent on the [Corporation][1] to make reasonable and adequate provision, by any means or measures which it is lawfully competent to it to use or to take, for each of the following matters, namely-

(i) erection, where there are no natural boundary marks, of substantial boundary marks of such description and in such a position as shall be approved by the State Government defining the limits or any alteration in the limits of the City;

(ii) the naming or numbering of streets and of public places vesting in the [Corporation][1] and the numbering of premises;

(iii) the collection and, removal of se wage, offensive matter and rubbish and treatment and disposal thereof including establishing and maintaining farm or factory;

(iv) the watering, scavenging and cleansing of all public streets and places in the City and the removal of all sweepings there from;

(v) the construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works, and of public latrines, waterclosets, urinals and similar conveniences;

(vi) supplying, constructing and maintaining, in accordance with the general system approved by the [Corporation][1] receptacles, fittings pipes and other appliances whatsoever on or for the use of premises for receiving and conducting the sewage thereof into drains under the control of the [Corporation][1];

(vii) the management and maintenance of all [Corporation][1] waterworks and the construction or acquisition of new works necessary for a sufficient supply of water [for domestic, industrial and commercial purposes][2];

(viii) guarding from pollution water used for human consumption and preventing polluted water from being so used;

(ix) the lighting of public streets, [Corporation][1] markets and public buildings and other public places vested in the [Corporation][1];

[(ix-a) the construction and maintenance of parking plots, bus-stops and public conveniences;][3]

(x) the establishment, maintenance or support of public hospitals and dispensaries including hospitals for the insolation and treatment of persons

suffering or suspected to be infected with a contagious or infectious disease and carrying out other measures necessary for public medical relief;

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
2. Substituted by section 49 (a) ibid.
3. Substituted by section 49 (b) ibid.

(xi) preventing and checking the spread of contagious, infectious and dangerous disease's;

(xii) provision for anti-rabic treatment;

(xiii) maintenance of ambulance service;

(xiv) establishing and maintaining a system of public vaccination;

(xv) the registration of vital statistics including births and deaths;

[(xvi) establishing, maintaining and assisting maternity centres and child welfare and birth control clinics and promoting population control, family welfare and small family norms;][2]

(xvii) the organization, maintenance or management of chemical or bacteriological laboratories for the examination or analysis of water, food or drugs, for the detection of diseases or adulteration or for researches connected with public health;

(xviii) the reclamation of unhealthy localities, the removal of noxious. vegetation and generally the abatement of all nuisances;

(xix) the regulation and abatement of offensive, and dangerous trades, callings or practices including prostitution ;

(xx) the maintenance, fixing and regulation of places for the disposal of the dead and the provision of new places for the said purpose and disposing of unclaimed dead bodies or aiding within its means any arrangement made with the same objects by any other institution ;

(xxi) the construction and maintenance of public markets and slaughter-houses [tannerties][3] and the regulation of all markets and slaughter houses;

(xxii) the securing or removal of dangerous buildings and places;

(xxiii) maintaining hydrants and rendering such assistance, including the maintaining or managing of a fire brigade in extinguishing fires and protecting life and property when fires occur, as the State Government may by general or special order direct from time to time;

(xxiv) the removal of obstructions and projections in or upon streets, bridges and other public places;

(xxv) establishing, maintaining, aiding and suitably accommodating schools for primary education including nursery education;

(xxvi) establishing and maintaining or granting aid to institutions of physical culture;

(xxvii) maintaining or contributing to the maintenance of veterinary hospitals;

1. ~~Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.~~
2. Substituted by section 49 (c) ibid.
3. Inserted by section 49 (d) ibid.

(xxviii) the construction or acquisition and maintenance of cattle- pounds;

(xxix) the construction, maintenance, alteration and improvement of public streets, bridges, subways culverts, causeways and the like.

(xxx) planting and maintaining trees on road sides and other public places;

(xxxi) regulation of traffic and provision of traffic signs;

(xxxii) assisting by constructing and maintaining residential quarters, by giving loans in the proper housing of [Corporation][1] conservancy staff and all sections of working classes;

(xxxiii) town planning and improvement including slum clearance and preparation and execution of housing schemes and laying out of new streets;

[(xxxiii-a) promoting urban forestry and ecological aspects and protection of the environment;][2]

(xxxiv) maintaining and developing the value of property vested in, or entrusted to the management of the [Corporation][1];

[(xxxiv-a) safeguarding the interest of weaker sections of society including the handicapped and mentally retarded;

(xxxiv-b) the promotion of cultural, educational and aesthetic aspects;

(xxxiv-c) the construction and maintenance of cattle punds and prevention of cruelty to animals;][3]

(xxxv) the maintenance of a [Corporation][1] office and of all public monuments and open space and other property, vesting in the [Corporation][1];

(xxxvi) the issue of a Bulletin reporting proceedings or substance of proceeding of the [Corporation][1] and of its committees and, giving other information about the activities of the [Corporation][1];

(xxxvii) prompt attention to official letters and preparation and submission of such return, statements and reports as the state Government requires the [Corporation][1] to submit, and,

(xxxviii) fulfillment of any obligation imposed by or under the Act or any other law for the time being in force;

[(xxxix) slum improvement and upgradation;

(xl) urban proverty alleviation;

(xli) providing urban amenities and facilities such as parks,, gardens and play-

grounds.][4]

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
2. Inserted by section 49 (e) ibid.
3. Inserted by section 49 (f) ibid.
4. Inserted by section 49 (g) ibid.

Discretionary duties of [Corporation][1]

115- The [Corporation][1] may, in its discretion, provide from time to time, either wholly or partly, for all or any of the following, matters namely:-

(i) the organization, maintenance or management of institutions including lunatic asylums, leper homes, orphanages and rescue homes for women, within or without the City for the care of persons who are infirm, sick or incurable; or for the care and training of blind, deaf, mute or otherwise disabled persons or of handicapped children;

(ii) the provision of milk to expectant or nursing mothers or infants or school children;

(iii) swimming pools, public wash houses, bathing places and other institutions designed for the improvement and construction of bathing ghats on river banks;

(iv) dairies or farms within or .without the City for the supply, distribution and processing of milk or milk products for the benefit of the residents of the City;

(v) the construction and maintenance in public streets or places of drinking fountains or drinking sheds or stand-posts for human beings and water-troughs for animals;

(vi) encouraging music and other fine arts and providing music in public place or places of public resort;

(vii) making grants to educational and cultural institutions situated with in and outside the City;

(viii) the provision of [***][2] recreation grounds, installing statues and beautifying the City;

(ix) the holding of exhibitions, athletics or games;

(x) the regulation of lodging houses camping grounds and rest houses in the City;

(xi) the construction establishment and maintenance of theatres, rest- houses and other public buildings;

(xii) the organization or maintenance , in time of scarcity, of shops or stalls for the sale of necessaries of life;

(xiii) the building or purchase and maintenance of dwellings for [Corporation][1] officers and servants;

(xiv) the grant of loan for building purposes to [Corporation][1] servants on such terms and subject to such conditions as may be prescribed by the [Corporation][1];

(xv) any other measures for the welfare of [Corporation][1] servants or any class of them;

(xvi) with the State Government's previous sanction, the purchase of any undertaking for the supply of electrical energy or gas or the starting or subsidizing of any, such undertaking which may be in the general interest of the public;

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
2. Omitted by section 50 ibid.

(xvii) with the State Government's previous sanction the construction, purchase, organization, maintenance or management of tramways, trackless trams or motor transport facilities for the conveyance of the public or goods within or without the City;

(xviii) the furtherance of educational objects other than those mentioned in clause (xxv) of section 114 and making grants to educational institutions within or without the City;

(xix) the establishment and maintenance or the aiding of libraries, museums and art galleries, botanical or zoological collections and the purchase or construction of buildings therefor;

(xx) construction, establishment, maintenance or contribution to the maintenance of baths, bathing ghats, washing places, tanks, wells, dams and other works of public utility;

(xxi) the construction or maintenance of infirmaries or hospitals for animals;

(xxii) the destruction of birds or animals causing a nuisance or of vermin, and the confinement or destruction of , stray or ownerless dogs;

(xxiii) contributions towards any public fund raised for the relief of human suffering within the City or for the public welfare;

(xxiv) presentation of civic addresses and holding of civic receptions;

(xxv) the acquisition and maintenance of grazing grounds and the establishment and maintenance of a breeding stud;

(xxvi) grant of loans or other facilities to any person, society or, institution interested in the provision of dwellings or the execution of house scheme;

(xxvii) the provision of poor relief;

(xxviii) the-building or purchase and maintenance of gaushalas and of sanitary stables of horses, ponies or cattle used in hackney carriages or carts;

(xxix) surveys of buildings or lands;

(xxx) relief measures to meet any calamity affecting the public in the City;

(xxxi) the adoption of any measure likely to promote the public safety, health or convenience than a measure specified in section 114 or in the other clauses of this section;

(xxxii) subject to the provision in the budget, the making of a contribution towards any public ceremony or entertainment in the City;

(xxxiii) the establishment and maintenance of tourist bureau;

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(xxxiv) the establishment and maintenance of a press and workshop for [Corporation][1] work as-also for undertaking private work on charges in spare time;

(xxxv) making arrangement for preparation of compost manure from night soil and rubbish;

(xxxvi) taking measures to promote trade and industry and establishing a [Corporation][1] bank;

(xxxvii) establishing Labour Welfare Centres for its employee; and subsidizing the activities of any association, union or club of such employees by grant or loan for its general advancement;

(xxxviii) organizing or contributing to municipal board unions;

(xxxix) making provision for removal of social disabilities of scheduled castes and backward classes;

(xl) taking measures for the control and relief of beggary;

(xli) with the previous sanction of the State Government, the setting up and maintenance of a [Corporation][1] police force for taking over and discharging such police duties. and in .such manner as may be prescribed;

(xlii) with the previous sanction of the State Government, the under taking of any commercial duty providing or promoting amenity or employment or removing unemployment;

(xliii) the doing of anything whereupon expenditure is declared by the State Government or by the [Corporation][1] with the sanction of the State Government to be an appropriate charge on the [Corporation][1] fund:

Provided that the State Government may in respect of any [Corporation][1] or all [Corporations][1] by notification in the official Gazelle declare any of the functions mentioned in this section to be a duty of the [Corporation][1] or all [Corporations][1] and thereupon the provisions of this Act shall apply thereto as if it had been a duty imposed by section 114.

Division of functions between [Corporation][1] authorities

116- (1) The respective functions of the several [Corporation][1] authorities shall be such as are specifically prescribed by or under this Act.

(2) In the event of any doubt or dispute as to which [Corporation][1] authority any particular function belongs the Mukhya Nagar Adhikari may, and if the Nagar Pramukh so requires shall, refer the doubt or dispute to the State Government whose decision shall be final and not open to question in any court of law.

Functions of [Corporation][1]

117- (1) Except as otherwise expressly provided in the Act, the [Corporation][1] administration of the City shall vest in the [Corporation][1].

authorities

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

[(1-A) Except as otherwise expressly provided in this Act, every Ward Committee shall be vested, on behalf of the Corporation in relation to the area for which it has been constituted, with such powers and functions as may be prescribed by rules.][3]

(2) Except as otherwise expressly provided in this Act the Executive Committee shall be vested, for and on behalf of the [Corporation][2], with the superintendence of the [Corporation][2] administration of the City.

(3) The Development Committee shall perform the functions and have the powers mentioned in Chapter XIV.

(4) The functions and powers of a Committee appointed under clause (e) of section 5 shall be such as may be assigned to it by the [Corporation][2] with the previous sanction of the State Government.

(5) [Subject to the general control and direction of the Nagar Pramukh, and wherever it is hereinafter expressly so directed, to the sanction of the [Corporation][2]][1] or of the Executive Committee, as the case may be, and subject to all other restrictions, limitations and conditions imposed by or under this Act, the executive power ,for the purposes of carrying out the provisions of this Act shall be vested in the Mukhya Nagar Adhikari who shall also perform all the duties and exercise all the powers specifically imposed or conferred on him.

(6) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (5), the Mukhya Nagar Adhikari shall also-

(a) subject to the provisions of this Act and the rules made there-under, prescribe the duties of and exercise supervision and control over the acts and proceedings of all [Corporation][2] officers and servants other than the Mukhya Nagar Lekha Parikshak and the Mahapalika officers and servants immediately subordinate to him and dispose of all questions relating to, the service of the said officers and servants and privileges and allowances;

(b) in any emergency take such immediate action for the service or safety of the public or the protection of the property of the [Corporation][2] as the emergency shall require notwithstanding that such action cannot be taken under this Act without the sanction, approval or authority of some other municipal authority or of
the State Government:

Provided that the Mukhya Nagar Adhikari shall report forthwith to the Executive Committee and to the [Corporation][2] the action taken by him and the reasons for taking the same and the amount of cost, if any, incurred or likely to be incurred in consequence of such action not already covered by a budget grant:

Provided further that the Mukhya Nagar Adhikari shall not exercise his powers under this clause if the expenditure likely to be incurred over and above the budget grant in taking the particular action will---

1. Subs. by s. 17 of U.P Act No. 41 of 1976.
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
3. Insertion of section 51 ibid.

(a) exceed Rs, 10,000 or where the Nagar Pramukh concurs in the taking of that action, Rs. 20,000; or

(b) together with any expenditure over and above the budget grant already incurred under this clause in the financial year, exceed Rs.50,000, or, where the Nagar Pramukh concurs in the taking of that action, Rs. 1,00,000.

Powers and duties of Mukhya Nagar Lekha Parikshak

118- The Mukhya Nagar Lekha Parikshak shall-

(a) perform such duties as he is directed by or under this Act to perform and such other duties with regard to the audit of the accounts of the [Corporation][1] Fund as shall be required of him by the [Corporation] or by the Executive Committee ;

(b) prescribe, subject to Such directions as the Executive Committee may from time to time give, the duties of the auditors, and assistant auditors, clerks and servants immediately subordinate to him; and

(c) subject to the orders of the Executive Committee, exercise super-vision and control over the acts and proceedings of the said auditors, assistant auditors, clerks and servants and, subject to the rules dispose of all questions relating to the service, remuneration and privileges of the said auditors, assistant auditors, clerks and servants.

Delegation of functions

119- (1) Subject to the other provisions of this Act arid the rules there under and subject to such conditions and restrictions as may be specified by the [Corporation][1]--

(a) the [Corporation][1] may delegate to the Executive Committee or to the Mukhya Nagar Adhikari any of its functions' under this Act other than those specified in Part A of Schedule I ;

(b) the Executive Committee may delegate to the Mukhya Nagar Adhikari any of its functions under this Act other than those specified in Part B of Schedule I;

(c) the Development Committee may delegate to the Mukhya Nagar Adhikari any of its functions under the Act other than those specified in Part C of Schedule I;

(d) the Mukhya Nagar Adhikari may delegate to any [Corporation][1] servant any of his functions other than those specified in Part D of Schedule-I :

1.Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Provided that the State Government may from time to time by notification in the official Gazette declare any function specified in Part A, Part B, Part C or Part D of Schedule-I to be delegable or any function not specified therein to be, non-delegable and upon such declaration that function may be delegated or shall cease to be delegable, as the case may be, as if it were not specified in Schedule I or were specified therein.

(2) Whenever there is delegation of functions by the Mukhya Nagar Adhikari, a copy of the order by which delegation is made shall be placed before the Executive Committee for information.

(3) Notwithstanding the delegation by the Mukhya Nagar Adhikari of any function under the Act under this section, the Mukhya Nagar Adhikari shall continue to be responsible for the due performance of the function.

Mukhya Nagar Adhikari to exercise powers and perform duties of [Corporation] under other laws

120- (1) Any powers, duties and functions conferred or imposed upon or vested in the [Corporation][1] by any other law for the time being in force shall, subject to the provisions of such law and to such restrictions, limitations and conditions as the [Corporation][1] may impose, be exercised, performed or discharged by the Mukhya Nagar Adhikari.

(2) The Mukhya Nagar Adhikari may, subject to any rules in that behalf, by order in writing of which a copy shall be placed before the Executive Committee for information empower any [Corporation][1] Officer other than the Mukhya Nagar Lekha Parikshak to exercise, perform or discharge any such power, duty or function under the control of the Mukhya Nagar Adhikari and subject to his revision and to such conditions and limitations, if any, as he may think fit to impose.

[Corporation][1] may call For extract form proc-endings, etc. from the Executive Committee

121- The [Corporation][1] may at any time call for any extract from any proceedings of any Committee or sub-committee constituted under this Act, and call for a return statement, account or report concerning or connected with any matter with which any such Committee or sub-committee as is empowered by or under this Act to deal, and every such requisition shall be complied with by the Committee or sub-committee, as the case may be, without unreasonable delay.

Power of the [Corporation][1] to require Mukhya Nagar Adhikari to produce documents and furnish returns, reports, etc.

122- (1) The [Corporation][1] or the Executive Committee may at any time require the Mukhya Nagar Adhikari-

(a) to produce any record, correspondence, plan or other document which is in his possession or under his control as Mukhya Nagar Adhikari or which is recorded on files in his office or in the office of any [Corporation][1] officer or servant subordinate to him;

(b) to furnish any return, plan, estimate, statement, account or statistics concerning or connected with any matter appertaining to the administration of this Act or the municipal administration of the City;

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(c) to furnish a report by himself or to obtain from any officer subordinate to him and furnish, with his own remarks thereon, a report, upon any subject concerning or connected with the administration of this Act or the municipal administration of the City.

(2) The Mukhya Nagar Adhikari shall comply with every such requisition unless in his opinion immediate compliance therewith would, be prejudicial to the interest of the [Corporation][1] or of the public, in which case he shall make a declaration in writing to that effect and shall if required by the [Corporation][1] or the Executive Committee refer the question to the Nagar Pramukh whose decision shall be final.

Exercise of powers to be subject to sanction by [Corporation][1] of the necessary expenditure

123 - The exercise by any [Corporation][1] authority of any power conferred or the performance of any duty imposed by or under this Act which will involve expenditure shall, except where it is expressly provided otherwise by or under this Act, be subject to the conditions that-

(a) such expenditure, so far as it is to be incurred in the financial year in which such power is exercised or duty performed, is provided for under a budget grant, and

(b) if the exercise of such power or the performance of such duty involves or is likely to involve expenditure for any period or at any time after the close of the said financial year, the sanction of the [Corporation][1] is taken before the liability for such expenditure is incurred.

Power to make rules

124 - (1) The State Government may make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Chapter.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power such rules may provide for-

(a) the manner of approval of the description and position of boundary marks under clause (i) of section 114;

(b) the manner and the procedure relating to the discharge of duties or fulfillment of obligations referred to in sections 114 and 115, in cases for which no specific provision has been, made in the Act;

(c) the procedure relating to the exercise of powers of superintendence by the Executive Committee of the municipal administration of the City;

(d) the manner in which the executive powers shall be exercised by the Mukhya Nagar Adhikari;

(e) the matters relating to the duties, supervision and control of the [Municipal Corporation][2] Officers and servants referred to in clause (a) of sub- section (6) of section 117;

(f) the decision of doubts and disputes about functions of officers and servants subordinate to the Mukhya Nagar Adhikari;

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

2. Substituted by section 6 of U.K. Act No. 4 of 2008.

(g) the matters relating to the delegation of powers of the Mukhya Nagar Adhikari to any other officer under section 119 and sub-section (2) of section 120 ;

(h) the procedure relating to the delegation of his powers by the Mukhya Nagar Adhikari under sub-section (2) of section 120;

(i) the manner in which requisition for production of extracts from proceedings or other documents or papers, etc. shall be made under sections 121 and 122;

(j) the procedure relating to the compliance of such requisition;

(k) the manner in which the question regarding production of documents or other papers under sub-section (I) of section 122 shall be referred to the Nagar Pramukh for final decision;

(l) the manner in which declaration of the Mukhya Nagar Adhikari under sub-section (2) of section 122 shall be communicated to the [Corporation];

(m) the guidance generally of the [Corporation] or the Mukhya Nagar Adhikari in any matter connected with the discharge of their duties or performance of their functions or exercise of their powers under this Chapter, and

(n) The matters which are to be or may be prescribed under this Chapter.

CHAPTER VI

Property and Contracts

Powers of [Corporation][2] as to acquisition and holding of property

125 - (1) The [Corporation][2] shall, for purposes of this Act, have power to acquire, hold and dispose of property or any interest therein whether within or without the limits of the City.

(2) All property and interests in property acquired by the [Corporation][2] shall vest in the [Corporation][2] for the purposes of this Act and subject to its provisions.

(3) Any immovable property which may be transferred to the [Corporation][2] by the Government shall be held by it, subject to such conditions including resumption by the Government on the occurrence of a specified contingency and shall be applied to such purposes as the Government may impose or specify while making the transfer.

Succession to property, assets, rights, liabilities and obligations in certain cases

126 - (1) As from the appointed day [and subject to any directions of the State Government in this behalf --][1]

1. Ins. by s. 6(i) of U.P. Act No. 14 of 1959
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(a) all property, interests in property and assets including cash balances, wherever situate which immediately before such day were vested in any [Municipal Council][4], Improvement Trust or other local authority established for the area included in the City or any part of such area or in any local authority having jurisdiction both within and outside such area shall [xxx][1] vest in and be held by the [Corporation][3] of such City, for the. purposes of this Act, and

(b) all rights, liabilities and obligations of the aforesaid [Municipal Council][4] Improvement Trust or other local authority [in relation to the area included in the city][2] whether arising out of any contract or otherwise, existing immediately before such day shall be the rights, liabilities and obligations of such [Corporation][3].

(2) Where any doubt, or dispute arises as to whether any property, interest or asset has vested in a [Corporation][3] under sub-section (1) or any rights, liabilities or obligations have become the rights, liabilities or obligations of a [Corporation][3] such doubt or dispute shall be referred by the Mukhya Nagar Adhikari to the State Government whose decision shall unless superseded by any decision of a court of law be final.

Certain provisions governing acquisition of property

127 - (1) All acquisitions of property shall be made by the Mukhya Nagar Adhikari on behalf of the [Corporation][3].

(2) Wherever it is provided that the Mukhya Nagar Adhikari may acquire or wherever it is necessary or expedient for any purpose of this Act that the Mukhya Nagar Adhikari shall acquire any movable or immovable property within or without the City or any interest in such property, the same may be acquired by the Mukhya Nagar Adhikari, whether by agreement or otherwise:

Provided that-

(a) the Mukhya Nagar Adhikari shall be bound by any resolution of the Executive Committee fixing terms, rates or maximum prices for a -particular case or for any class of case ;

(b) the sanction of the Executive Committee shall be required-

(i) for the compulsory acquisition, of any property,

(ii) for the exchange of any immovable property,

(iii) for the-taking of any property on lease for a term exceeding twelve months, or

(iv) for the acceptance of any gift or bequest of property burdened by an obligation, and

---

1. Omitted by section 6 (ii) of U.P. Act No. 14 of 1959.
2. Ins. by section 6 (iii) ibid.
3. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
4. Subs. by section 52 ibid.

(c) the sanction of the [Corporation][1] shall be required-

(i) For the acceptance of acquisition of any immovable property. if the value of the property which it is, proposed to accept, acquire or give in exchange exceeds five thousand rupees,

(ii) for the taking of any property on lease for a term, exceeding three years, or

(iii) For the acceptance of any gift of bequest or property burdened by an obligation if the value of such property exceeds five thousand rupees.

Power to dispose of property

128- The [Corporation][1] shall, for the purposes of this Act, and subject to the provisions thereof and rules made thereunder, have power to sell, let on hire, lease, exchange, mortgage, grant or otherwise dispose of any property or any interest therein acquired by or vested in the [Corporation][1] under this Act :

Provided that no property transferred to the [Corporation][1] by the Government shall be sold, let on hire, exchanged or mortgaged or otherwise conveyed in any manner contrary to the terms of the transfer except withthe prior sanction of the State Government.

Provisions governing disposal of property

129- With respect to the disposal of property belonging to the [Corporation][1] the following provisions shall have effect, namely :-

(1) Every disposal of property belonging to the [Corporation][1] shall be made by the Mukhya Nagar Adhikari on behalf of the [Corporation][1].

(2) The Mukhya Nagar Adhikari may, in his discretion, dispose of by sale, letting out on hire or otherwise, any movable property belonging to the [Corporation][1] not exceeding in value in each instance five hundred rupees or such higher amount as the [Corporation][1] may, with the approval of the State Government, from time to time determine, or grant a lease of any immovable property belonging to the [Corporation][1] including any right of fishing or of gathering and taking fruit, and the like, for any period not exceeding twelve months at a time:

Provided that the Mukhya Nagar Adhikari shall report to the Executive Committee every lease of immovable property within fifteen days of the grant thereof unless it is a contract for a monthly tenancy or the annual rent thereof does not exceed three thousand rupees.

(3) The Mukhya Nagar Adhikari may with the sanction of the Executive Committee dispose of by sale, letting out on hire or otherwise any movable property belonging to the [Corporation][1], of which the value does not exceed five thousand rupees; and may with the like sanction grant a lease of any immovable property belonging to the [Corporation][1], including any such right as aforesaid, for any period exceeding one year or sell or grant a lease in perpetuity of any immovable property belonging to the [Corporation][1] the value or premium whereof does not exceed fifty thousand rupees or the annual rental whereof does not exceed three thousand rupees.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(4) The Mukhya Nagar Adhikari may, with the sanction of the [Corporation][2] lease, sell, let out on hire or otherwise convey any property movable or

immovable, belonging to the [Corporation][2].

[(5) Except as provided in sub-sections (5-A) and (5-B), no immovable property belonging to the [Corporation][2] shall be sold, leased or otherwise transferred for a sum less than the market-value thereof except in the case of sale, lease or other transfer of land-

(a) to a statutory corporation,

(b) to a person displaced from any land (not being land held or occupied for purposes connected with agriculture, horticulture or animal husbandry which includes pisciculture and poultry farming) or building by reason of the compulsory acquisition thereof under this Adhiniyam and who does not own any land or building within the city, or

(c) for an educational, cultural or other charitable purpose (not including the practice or propagation of any religion and not involving discrimination in respect of the beneficiaries on the ground of religion, caste or place of birth) to a society registered under the Societies Registration Act, 1860 :

Provided that except in the case of a sale, lease or other transfer of land with the previous approval of the State Government, the value of any concession so granted shall not exceed-

(i) in the case of a lease, one-half of the annual rental value;

(ii) in the case of any other transfer, one half of the market value or ten thousand rupees whichever is less.

Explanation-If any question arises as to the value of a proposed concession or as to whether the purpose of a proposed transfer is an educational, cultural or other charitable purpose as aforesaid the decision of the State Government shall be final.

(5-A) A house built or a plot of land acquired by the [Corporation][2] from a loan granted by the Central Government or the State Government or any other authority be sold, leased or otherwise transferred by the [Corporation][2] in accordance with the terms and conditions of such loan.

(5-B) Subject to any general or special order of the State Government in that behalf, a house or a house-site belonging to the [Corporation][2] may be sold, leased or otherwise transferred either free of cost or on such concessional terms as the [Corporation][2] thinks fit, in favour of any member of the armed foces of the Union in whose favour the prescribed authority under the Indian Soldiers (Litigation) Act, 1925 has issued a certificate that he has been disabled by enemy action or where .the said prescribed authority has certified that he has died by enemy action, then in favour of such of his heirs as were dependant on him at the time of his death.][1]

---

1. Subs. by s. 3 of U.P. Act No. 24 of 1972.
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(6) The sanction of the Executive Committee or of the [Corporation][2] under sub-section (3) or sub section (4), may be given either generally for any class of cases or specially in any particular case.

(7) The aforesaid provisions of this section and the provisions of the rules shall apply to every disposal of property belonging to the [Corporation][2] made under or for any purposes of this Act.

Application of chapter VII of Act I of 1966 to [Corporation][2] premises

[129-A The provisions of chapter VII of the Uttar Pradesh Avas EvamVikas Parishad Adhiniyam, 1965, shall apply in relation to any premises belonging to or vesting in the [Corporation][2] or taken on lease by the [Corporation][2] for the purposes of this Act as they apply in relation to Board premises as defined in that Act and the references therein to the Board and matters prescribed under that Act shall respectively be construed as references to the [Corporation][2] and matters prescribed under this Act.][1]

Procedure when immovable properly con not be acquired by agreement

130- (1) Whenever the Mukhya Nagar Adhikari is unable under section 127 to acquire by agreement any immovable property or any easement affecting any immovable property vested in the [Corporation][2] or whenever any immovable property or any easement affecting any immovable property vested in the [Corporation][2] is required for the purposes of this Act, the State, Government may; in its discretion, upon the application of the Mukhya Nagar Adhikari made with the approval of the Executive Committee arid subject to the other provisions of this Act, order proceedings to be taken for acquiring the same on behalf of the [Corporation][2], as if such property or easement were land needed for a public purpose within the meaning of the Land Acquisition Act, 1894 or other law which may be applicable to the case.

(2) Whenever an application is made under sub-section (1), for the acquisition of land for the purpose of providing a new Street or for widening or improving an existing street it shall be lawful for the Mukhya Nagar Adhikari to apply for the acquisition of such additional land immediately adjoining the land to be occupied by such new street or existing street as is required for the sites of buildings to be erected on either side of the street, and such additional land shall be deemed to be required for the purpose of this Act.

(3) This section does not apply to the acquisition under Chapter XIV.

Power of [Corporation][2] to the making of contracts

131- Subject to the provisions of this Act, the [Corporation][2] shall have power to enter into contracts which may be necessary or expedient under or for any purposes of this Act.

---

1. Subs. by section 19 (4) of U.P, Act No. 22 of 1972.
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Certain provisions relating to the execution of contracts

132- (1) All contracts referred to in section 131 including contracts relating to the acquisition and disposal of immovable property or any interest therein made in connexion with the affairs of the [Corporation][1] under this Act, shall be expressed to be made, for and on behalf of the [Corporation][1], and all such contracts and all

assurances of property made in exercise of that power shall be executed, for and on behalf of the [Corporation][1], by the Mukhya Nagar Adhikari or by such other officer of the [Corporation][1] as may be authorized in writing by the Mukhya Nagar Adhikari either generally or for any particular case or class of cases.

(2) No contract for any purpose, which in accordance with any provisions of this Act or any rules made thereunder the Mukhya Nagar Adhikari may not carry out without the sanction of one of the other [Corporation][1] authorities, shall be made by him unless such sanction has been given.

(3) No contract involving an expenditure exceeding [one lakh][2] rupees and not exceeding [five lakh][2] rupees shall be made by the Mukhya Nagar Adhikari unless, it has been sanctioned by the Executive Committee.

(4) No contract involving an expenditure exceeding [five lakh][3] rupees shall be made by the Mukhya Nagar Adhikari unless it has been sanctioned by the [Corporation][1].

(5) Every contract made by the Mukhya Nagar Adhikari involving an expenditure exceeding [fifty thousand][4] rupees and not exceeding [one lakh][4] rupees shall be reported to the Executive Committee within fifteen days after it has been made.

(6) The foregoing provisions of this section shall apply to every variation or discharge of a contract as well as to an original contract.

Manner of execution

133- (1) Every contract entered into by the Mukhya Nagar Adhikari on behalf of the [Corporation][1] shall be entered into in such manner and form as would bind him if it were made on his own behalf and may in like manner and form be varied or discharged:

Provided that-

(a) the common seal of the [Corporation][1] shall be affixed to every contract which, if made between private persons, would require to be under seal, and

(b) every contract for the execution of any work or the supply of any materials or goods which in involve an expenditure exceeding two thousand and five hundred rupees shall be in writing, shall be sealed with the seal of the [Corporation][1] and shall specify--

(i) the work to be done or the materials or goods to be supplied, as the case may be;

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
2. Substituted by section 53 (a) ibid.
3. Substituted by section 53 (b) ibid.
4. Substituted by section 53 (c) ibid.

(ii) the price to be paid for such work, materials, or goods; and

(iii) the time or times within which the contract or specified portion thereof shall be carried out.

(2) The common seal of the [Corporation][3] shall remain in the custody of the

Mukhya Nagar Adhikari and shall not be affixed to any contract or other instrument except in the presence of a Sabhasad [XXX][1] who shall attach his signature to the contract or instrument in token that the same was sealed in his presence.

(3) The signature of the said Sabhasad [xxx][2] shall be distinct from the signature of any witness to the execution of such contract or instrument.

(4) No contract exeuted otherwise than as provided in this section shall be binding on the [Corporation][3].

Execution of works

134- The [Corporation][3] may determine either generally for any class of cases or specially for any particular case whether the Mukhya Nagar Adhikari shall execute the work by a contract or otherwise.

Estimates not exceeding five lakh rupees

[135- (1) The Mukhya Nagar Adhikari may sanction any estimate the amount of which does not exceed one lakh rupees:

Provided that an estimate, the amount of which exceeds fifty thousand rupees, may be sanction by the Mukhya Nagar Adhikari only with the prior approval of the Nagar Pramukh.

(2) The Executive Committee may sanction any estimate the amount of which does not exceed five lakh rupees.][4]

Estimates exceeding [five lakh rupees][5]

136- (1) Where a project is framed for the execution of any work or series of works the entire estimated cost of which exceeds [five lakh rupees][6] -

(a) the Mukhya Nagar Adhikari shall cause a detailed report to be prepared including such estimates and drawings as may be requisite and forward the same to the Executive Committee who shall submit the same before the [Corporation][3] with its suggestions, if any;

(b) the [Corporation][3] shall consider the report and the suggestions and may reject the project or may approve it either in its entirety or subject to modifications.

---

1. Del. by section 27 (a) of U. P. Act No. 12 of 1977.
2. Del by section 27 (b) ibid.
3. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
4. Substituted by section 54 ibid.
5. Substituted by section 55 (a) ibid.
6. Substituted by section 55 (b) ibid.

(2) (a) Where the [Corporation][2] approves the project and the entire estimated cost exceeds [ten lakhs of rupees][1] the report, subject to any modifications as aforesaid, shall be submitted to the State Government.

(b) The State Government may reject the project or may sanction it either

in its entirety or subject to modifications.

(c) The work shall not be commenced before the project has been sanctioned by the State Government with or without modifications.

(d) No material changes in the project sanctioned as aforesaid shall be carried into effect without the sanction of the State Government.

Explanation-In this section and in section 135, the expression "estimate" means the total estimate for the whole of a project including the whole of the series of transactions constituting the project.

Special provisions regarding certain projects

[136-A Notwithstanding anything contained in this Act, every contract or estimate in respect of an urban development project sponsored by the Government of India or receiving aid from the Work Bank or any other foreign organization, shall be made or sanctioned in accordance with the scheme approved by the State Government:

Provided that the meeting of the Corporation for sanction of funds for such urban development projects shall be convened and decision taken within one month from the date of approval of the project by the State Government:

Provided further that if the meeting of the Corporation is not convened or decision is not taken within the time specified in the first proviso, the Corporation shall be deemed to have sanctioned the fund and if the sanction is refused or is accorded with modification, the matter shall be referred to the State Government and the decision of the State Government shall be final and binding on the Corporation and the Corporation shall be deemed to have sanctioned the fund accordingly. The Mukhya Nagar Adhikari may thereupon excecute the project, spend funds and ensure the completion of project within the stipulated time:

Provided also that the Corporation shall undertake regular monitoring of the projects and shall send its report to the State Government.][3]

Powers of [Corporation][2] to enforce covenants against owner for the time being of land

137- A covenant concerning any immovable property for the purposes of this Act entered into with the [Corporation][2] by the owner of such property or by any person to whom such property of the [Corporation][2] has been transferred by sale or exchange shall be enforceable by the [Corporation][2] against any person deriving title under the covenant or notwithstanding that the [Corporation][2] is not in possession of, or interested in, any immovable proper to for the benefit of which the covenant was entered into, in the like mariner and to the like extent as if it had been possessed of or interested in such property.

1. ~~Chapter-IV of substituted by section 8(ii) by U.P. Act No. 3 of 1987.~~
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
3. Inserted by section 56 ibid.

Power to make rules

138- (1) The State Government may make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Chapter.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for-

(a) the procedure for ascertaining the property and assets to be vested in

the [Corporation][1] under clause (a) of, sub-section (1) of section 126;

(b) the procedure for ascertaining the rights, liabilities and obligations of the [Corporation][1] under clause (b) of sub-section (l) of section 126;

(c) the procedure in general for the purchase or acquisition of the property, for and on behalf of the [Corporation][1], or sale, lease, hire, exchange, grant or disposal of the property vested in or acquired by the [Corporation][1] ;

(d) the terms and the rates at which any immovable property may be purchased or acquired by agreement for the [Corporation][1];

(e) the payment of the expenses and the compensation awarded and other charges incurred for the compulsory acquisition of property for and on behalf of the [Corporation][1];

(f) the procedure relating to entering into contracts;

(g) the manner in 'which contracts may be, executed;

(h) the security to be demanded for the due performance of' contracts;

(i) the preparation and sanctioning of detailed plans and estimates for works and the calling, examination and acceptance of tenders;

(j) the execution of works and conditions of sanction;

(k) The matters which are to be or may be prescribed.

[CHAPTER VI-A

Finance Commission

Finance Commission

138-A (1) The Finance Commission shall review the financial position of the [Corporation][1] and make recommendations to the Governor as to –

(a) the principles which should govern—

(i) the distribution between the State and the [Corporation][1] of the new proceeds of the taxs, duties, tolls and fees leviable by the State which may be divided between them and allocation of share or such proceeds to the [Corporation][1] ;

(ii) the determination of the taxes, duties, tolls and fees which may be assigned to or appropriated by the [Corporation][1] ;

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
2. Substituted by section 6 of U.P. Act No. 4 of 2008.

(iii) the grants-in-aid to the [Corporation][2] from Consolidated Fund of the State;

(b) the measures needed to improve the financial positin of the Corporation;

(c) any other matter referred to the Finance Commission by the Governor in the interest of sound finance of the Corporation.

(2) Every recommendation of the Finance Commission made under sub-section (1) shall, together with an explanatory memorandum as to the action taken theron, be laid before both the Houses of the State Legislature.][3]

CHAPTER VII

[Corporation][2] and other Funds

Constitution of [Corporation][2] and other funds

139. (1) There shall, be established a fund for each [Corporation][2], hereinafter called the [Corporation][2] Fund, and, subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder there shall be placed at the, credit thereof all moneys received by or on behalf of the [Corporation][2] under this Act or any other law, or contract, including-

(a) the proceeds of the property of the [Corporation][2];

(b) the rents of the property of the [Corporation][2];

(c) the proceeds of all taxes or fees and fines (other than fines imposed by a court), levied by or under this Act;

(d) all moneys received by way of compensation or for compounding offences under the provisions of this Act;

(e) all interests and profits arising from any investment of, or from any transaction in connexion with, any money belonging to the [Corporation][2];

(f) all moneys received by or on behalf of the [Corporation][2] from the Government [including grants-in-aid from the Consolidated Fund of the State][4] or public bodies, private bodies or other persons by way of grant, gift or deposit, subject, however, to the conditions, if any, attached to such grant, gift or deposit.

(2) All moneys payable to the credit of the [Corporation][2] Fund shall be received by the Mukhya Nagar Adhikari and shall forthwith be paid into the State Bank of India [or with the previous sanction of the State Government into the U. P. Co-operative Bank or such other scheduled bank or banks as the [Corporation][2] may appoint][1] to the credit of an account which shall be styled the account of the [Corporation][2] Fund of :

---

1. Subs. by s. 15 of U. P. Act 21 of 1964.
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
3. Insertion by section 57 ibid.
4. Insertion by section 58 ibid.

Provided that the Mukhya Nagar Adhikari may, subject to any general or special directions issued by the Executive Committee, retain such balances in cash as may be necessary for current payments

(3) The [Corporation][2] [shall constitute a Development Fund and][1] may also constitute such special funds as may be prescribed and such other funds as may be necessary for the purposes of this Act. The constitution and disposal of such funds shall be effected in the manner prescribed.

[Purposes for which [Corporation][4] Fund is to be applied

140- The moneys credited to the [Corporation][4] Fund from time to time shall, in the first place, be applied for payment of salaries and allowances of Safai Mazdoars and then in the following order of preference :][2]

Firstly, in making due provision for the repayment of all loans payable by the [Corporation][4] under the provisions of Chapter VIII:

Secondly, in discharge of all liabilities imposed on the [Corporation][4] by clause (b) of sub-section (1) of-section 126 :

Thirdly, in payment of all sums, charges and costs necessary for the purposes specified in sections ,114 and 115 and; for otherwise carrying this Act into effect, or of which the payment shall be duly sanctioned under any of the provisions of this Act inclusive of--

(a) the cost of auditing the [Corporation][4] accounts;

(b) the expenses of every election held under' this Act;

(c) the salaries, allowances and contributions to pensions and leave salaries of the Mukhya Nagar Adhikari and of any other officer whose services may at the -request of the [Corporation][4] be placed by the State Government at the disposal of the [Corporation][4] ;

[(d) the salaries and allowances of [Corporation][4] officers and servants other than Safai Mazdoors, and all pensions, gratuities, contributions and compassionate allowances payable to all officers and servants of [Corporation][4] under the provisions of this Act ;][3]

(e) the salaries and fees of experts for service or advice in connexion with any matter arising out of the administration or undertaking of the [Corporation][4] ;

(f) all expenses and costs incurred by the, [Corporation][4] or by any [Corporation][4] officer on behalf of the [Corporation][4] in the exercise of any power conferred, or the discharge of any duty imposed on it or them by this Act, including moneys which the [Corporation][4] is required or empowered to pay by way of compensation;

---

1. Ins. by s. 4 of U. P. Act 22 of 1961.
2. Subs. by s. 4(a) of U.P. Act 15 of 1983.
5. Subs. by s. 4 (b) ibid.
6. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(g) every sum payable-

(i) by order of the State Government or under an, award made under the Arbitration Act, 1940, or a decree or order of a civil court, as the case may be ;

(ii) under a decree or order of a civil or criminal court passed against the Mukhya Nagar Adhikari ;

(iii) under a compromise of any suit or other legal proceeding

or claim;

(h) Contriutions to public institutions which the State Government may, after consulting the [Corporation][3], declare to be in the interest of the inhabitants of the City.

[Explanation-For the purposes of this section, a person shall be deemed to be a Safai Mazdoor if he is employed by [Corporation][3] for the the purposes of sweeping and cleaning of, [Corporation][3] roads, lanes, path- ways, drains, sewers, latrines and urinals, carrying of dead animals and refuge and for other jobs of the like nature.][2]

Restriction on expenditure, from [Corporation][3] fund over certain litigation

[140-A No expenditure from the [Corporation][3] fund shall be incurred without the prior sanction in writing of the Director for the purpose of defraying the costs of any proceeding instituted or commenced in any court of law by or on behalf of any [Municipal Corporation][3] or the Nagar Pramukh or any authority thereof in respect of any order made or purporting to have been made by the State Government under section 83, section 84, section 534, section 535, [section 537 or section 538][4].][1]

Temporary payments from [Corporation][3] Fund for works urgently required for public service

141- (1) On the written requisition of the State Government, or the Prescribed Authority the Mukhya, Nagar Adhikari may at any time undertake the execution or any work certified by the State Government or such authority, as the case may be, to be urgently required for a work, of public utility and for this purpose may make payments from the [Corporation][3] Fund so far as the same can be made without unduly interfering with the regular working of the [Corporation][3] administration.

(2) On receipt of requisition under sub-section (1) the Mukhya Nagar Adhikari shall forth with forward a copy there of to the [Corporation][3] together with a report of the action taken by him thereon for its information.

(3) The cost of all work executed under sub-section (1) and of the establishment engaged in executing the same shall be paid by the State Government and credited to the [Corporation][3] Fund.

Maintenance and audit of accounts

142- (1) The account of the receipt and expenditure of the [Corporation][3] shall be maintained in such manner as may be prescribed.

---

1. Ins. by s. 18 of U. P. Act No. 41 of 1976.
2. Ins. by s, 4 (c) of U. P. Act No. 15 of 1983.
3. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
4. Substituted by section 59 ibid.

(2) The Mukhya Nagar Lekha Parikshak shall conduct a monthly examination and audit of the [Corporation][1] accounts and shall within a month report thereon to the Executive Committee who shall publish monthly an abstract of the receipts and expenditure of the .month last preceding, signed by not less than two members of that committee and by the Mukhya Nagar Lekha Parikshak.

(3) The Executive Committee may also from time to time and for such period as they think fit conduct independently an examination and audit of the [Corporation][1] accounts.

special Audit 143- The State Government may at any time direct special examination and audit of [Corporation][1] accounts for such period as they think fit by auditors appointed by the State Government in that behalf and a report of such examination and audit shall be submitted by the said auditors to the State Government.

Auditors to have access to all the [Corporation][1] accounts and to all records, etc.

144- (1) For the purposes of examination and audit of accounts under section 142 or 143 the Mukhya Nagar Lekha Parikshak and theauditors appointed under section 143 shall have access to all the [Corporation][1] accounts and to all records and correspondence relating thereto and the Mukhya Nagar Adhikari shall forthwith furnish to the said auditors or to the Executive Committee any explanation- concerning receipts and disposal which they may call for.

(2) All charges, fees and expenses necessary for the examination and audit of accounts under these sections shall be paid by the [Corporation][1].

preparation of annual administration report and statement of accounts

145- (1)The Mukhya Nagar Adhikari shall, as soon as may be after the first day-of April in each year, have prepared a detailed report of the [Corporation][1] administration of the, City during the previous official year, together with a statement showing the accounts of the receipts and disbursements credited and debited to the [Corporation][1] Fund during the said year and the balance at the credit of the Fund at the close of the said year and shall submit the same to the Executive Committee.

(2) The report shall be in such form and shall contain such information as the Executive Committee may from time to time direct.

(3) The Executive Committee shall then examine the report and the statement, and a copy of the said statement together with a copy of the Committee's review shall be forwarded to the Slate Government and to each member and copies, thereof shall also be placed on sale at the [Corporation][1] office.

budget 146- (1) The Mukhya Nagar Adhikari shall on or before the tenth day of December each year in the case of indebted [Corporations][1] and tenth day of January each year in the case of other [Corporations][1] cause to be prepared and laid before the Executive Committee in such form as, may be prescribed and in such manner as the Executive Committee may approve budget estimates of the income and expenditure of the [Corporation][1] Fund for the next financial year.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(2) Such estimates shall-

(a) take into account loans and grants from Government;

(b) provide for the repayment of all loans including loans taken from Government with interest due thereon for the repayment of which the [Corporation][1] is liable;

(c) provide for the discharge of liabilities imposed on the [Corporation][1] by clause (b) of sub, section (1) of section 126;

(d) provide for payment in convenient installments or lump sum from the

[Corporation][1] Fund of an amount equal to the grant assigned for education;

(e) allow for a cash balance at the end of the said year of notless than such sum as may be prescribed by the State Government;

(f) Provide for a sum of money not exceeding five thousand rupees to be spent by the Nagar Pramukh in his discretion on anyone or more of the matters specified in section 114 or 115.

(3) The Executive Committee shall, on or as soon as may be after the tenth day of December or January, as the case may be, consider the budget estimates prepared by the Mukhya Nagar Adhikari and make such modifications thereto as it shall think fit and submit the same to the [Corporation][1] not later than the fifteenth day of January following in the, case of indebted [Corporations][1] and the fifteenth day of February in other cases.

(4) The [Corporation][1] shall finally adopt the budget estimates before March 1, if it is an indebted [Corporation][1] and before the beginning of the year to which they relate, if it is not an indebted [Corporation][1] and shall forthwith submit copies thereof to the State Government:

Provided that if for any reason the [Corporation][1] has not finally adopted the budget estimates before the commencement of the financial year to which they relate, the budget estimates as prepared by the Mukhya Nagar Adhikari or if the Executive Committee has submitted budget estimates under sub-section (3), such budget estimates shall be deemed to be the budget estimates for that year until action has been taken by the [Corporation][1]:

Provided further that in the case of an indebted [Corporation][1] the adoption of budget estimates under this sub-section shall be subject to confirmation by the State Government.

revised Budget Estimates

147 - As soon as may be after the first day of September if it is an indebted [Corporation][1] and the first day of October if it is not an indebted [Corporation][1] revised budget estimates for the year shall be adopted by the [Corporation][1] and the revised estimates shall, as far as may be, but subject to the modifications mentioned herein, be subject to all the provisions of section 146.

Modifications:--

(i) In sub sections (I) and (3) of section 146 for "tenth day of December" and tenth day of January", "tenth day of August" and tenth day of September" shall respectively be deemed to be substituted ;

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(ii) In sub section (3) of section 146 for "fifteenth day of January" and "fifteenth day of February", "fifteenth day of August" and "fifteenth day of September" shall respectively be deemed to be substituted, and

(iii) For the first proviso at the end of the section the following proviso shall be deemed to be substituted:

Provided that as long as the [Corporation][1] has not adopted the revised budget estimates the budget estimates in force under the provisions of this Act on the first day of October of the year in question shall subject to the provisions of

sections 149 and 151 remain the budget estimates for the year.

determination of rates of taxes

148- The [Corporation][1] shall on or before February 15 if it is an indebted [Corporation][1] but on or before March 15 otherwise, after considering the proposal of the Executive Committee, determine, subject to the limitations and conditions prescribed in Chapter IX the rates at which [Corporation][1] taxes referred to in sub-section (1) of the section 172 shall be levied in the next ensuing financial year.

[Corporation][1] may in crease amount of budget grants and make additional grants

149- (1) On the recommendation of the Executive Committee (the [Corporation][1] may, from time to time during a financial year, increase the amount of any budget grant, or make an additional budget grant for the purpose of meeting any special or unforeseen requirement arising during the said year, but not so that the estimated cash balance at the close of the year exclusive of the balance, if any, of any special fund shall be reduced below the amount prescribed under clause (e) of, sub-section (2) of section 146 or such higher amount as may have been fixed for the time being in this behalf by the [Corporation][1] in the case of either the [Corporation][1] Fund or other special funds.

(2) Such increased or additional budget grants shall be deemed to be included in the budget estimates approved by the [Corporation][1] for the year in which they are made.

(3) Reductions in and transfers from one budget head to another or within a budget head shall be made in accordance with the rules by the Executive Committee.

restrictions on expenditure from [Corporation] fund

150- Except as may be provided by rules in this behalf, no expenditure shall be incurred or payment made of any sum out of the [Corporation][1] Fund unless the same is covered by a current budget grant, and sufficient balance of such budget grant is still available, notwithstanding any reduction or transfer thereof which may have been made in accordance with the provisions of sub-section (3) of section 149 :

alteration in budget estimates

151- The [Corporation][1] may vary or alter from time, to time as circumstances may render desirable, the budget estimates adopted under section 146 or section 147 :

Provided that in the case of an indebted [Corporation][1] every variation or alteration under this section shall be subject to confirmation by the State Government.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

indebted [Corporation][4]

152- Where in the opinion of the State Government the condition of indebtedness of any [Corporation][4] is such as to make the control of the State Government over its budget desirable the State Government may by order notified in the official Gazette declare that such is the case and such [Corporation][4] shall for the purposes of this Act be deemed to be an indebted [Corporation][4].

[Surcharge

152-A (1) The Nagar Pramukh, Upa Nagar Pramukh, and every member, officer and servant of the [Corporation][4] shall be liable to surcharge for the loss, waste or

misapplication of any money or property of the [Corporation][4], if such loss, waste or misapplication is a direct consequence of his neglect or misconduct while acting as such Nagar Pramukh, Upa Nagar Pramukh, member, officer or servant.

(2) The procedure of surcharge and the manner of recovery of the amount involved in loss, waste or misapplication shall be such as may be prescribed by rules.

(3) Where no surcharge proceedings are taken the Mabapalika may with the previous sanction of the State Government institute a suit for compensation against such Nagar Pramukh, Upa Nagar Pramukh, member, officer or servant.][1]

power to make rules

153- The State Government may make rules to carry out all or any of the purposes of this Chapter, and in particularly without, affecting the, generality of the power conferred hereby, make rules for the following purposes- ,

(a) receiving of payment of the Mukhya Nagar Adhikari to the account of the [Corporation][4] Fund and lodging, of the money received in a bank or banks;

(b) operation of the funds of the [Corporation][4] ;

(c) deposit of portion of [Corporation][4] Fund with bank or agency outside the City;

(d) investment or surplus moneys;

(e) the account to be kept by the [Corporation][4], the manner in which accounts shall be audited and published [,]2 the power of auditors in respect of disallowance and surcharge [and the manner in which surcharge proceedings will be undertaken;][3]

(f) reductions in or transfers 'from one budget head to another or without a budget head;

(g) preparation of annual administration report and statement of accounts;

(h) Manner of keeping of [Corporation][4] accounts.

---

1. Ins. by s. 16 of U. P. Act. 21 of 1964.
2. Subs. by s. 17 ibid.
3. Ins. by s. 17 ibid.
4. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

CHAPTER VIII

Borrowing Powers

power of [Corporation][1] to borrow money

154- (1) The, [Corporation][1] may, with the previous sanction of the State Government and subject to the provisions of section 31 of the Reserve Bank of India Act, 1934 from time to time, borrow or re-borrow and take up at interest by the issue of debentures or otherwise on the security of any immovable property vested in the [Corporation][1] or proposed to be acquired by it under this Act or of ,all or any taxes, duties, tolls, cesses, fees and dues which it is authorized to levy for the purposes of this Act, or of all or any of those

securities, any sum necessary for the "purpose of-

(a) defraying any costs, charges or expenses; incurred by, it in the execution of this Act ;

(b) For discharging any loan contracted under' this Act or any other loan or debt for the repayment of. which the [Corporation][1] is liable ;

(c) generally for carrying out the purposes of this Act, including the advance of lonas authorized thereunder:

Provided that-

(i) No loan shall be raised for the execution of any work other than a permanent work which expression shall include any work of which the cost should, in the opinion of the State Government, be spread over a term of years;

(ii) no loan shall: be raised unless the State Government has approved the purpose and amount of the loan, the rate of interest and other terms thereof including the date of flotation and the period and method of repayment;

(iii) The period within which the loan is to be repaid shall in no case exceed thirty years.

(2) When any sum of money has been borrowed or re-borrowed under sub section (1)-

(a) no portion thereof shall without the previous sanction of the State Government, be applied to any purpose other than that for which it was borrowed; and

(b) no portion of any sum of money borrowed or re-borrowed for the execution of any work shall be applied to the payment of salaries or allowances of any [Corporation][1] officer or servant other than those who are exclusively employed upon the work for the construction of which the money was borrowed, or for meeting expenditure of recurring nature:

Provided that such share of the cost on account of the salaries and allowances of [Corporation][1] officers or servants employed in part upon the preparation of plans and estimates or the construction or supervision of or upon the maintenance of the accounts of such work as the Executive Committee may fix, may be paid out of the sum so borrowed or re-borrowed.

1.Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

power of [Corporation][1] to borrow from banks against public securities

155- Notwithstanding anything contained in section 154 but subject to the provisions of section 31 of the Reserve Bank of India Act, 1934 the [Corporation][1] may borrow for the purposes of this Act from any bank or banks in which the surplus moneys at the credit of the [Corporation][1] Fund may be deposited, against any public securities in which for the time being the cash balance for the [Corporation][1] may be invested;

Provided that in the case of an indebted [Corporation][1], borrowing under this section shall be made with the previous approval of the State' Government.

when and how loan should be repaid

156- (1) Every loan raised under section 154 shall be paid within the time approved therefor under the said section and by such of the following methods as may be approved under the said provision, namely-

(a) by payment from a sinking fund established under section 157 in respect of the loan;

(b) by equal payments of principal and interest ;

(c) from any sum borrowed for the purpose under clause (b) of sub-section (1) of section 154;

(d) partly from a sinking fund, established under section 157 in respect of the loan and partly from money borrowed for the purpose under clause (b) of sub-section (1) of section 154;

(e) By such other method including drawings as the State Government may specify.

(2) In the case of a loan borrowed before the appointed day, repayment shall normally be made by the method which was in operation for the repayment of such loan or if there was no such method, by any of the methods specified in sub-section (1).

maintenance and application of sinking fund

157- (1) Whenever the repayment of a loan from a sinking fund has been sanctioned under proviso (ii) to sub-section (1) of section 154, the [Corporation][1] shall establish such a fund and shall pay into it, on such dates as may have been approved under the said proviso such sum as will, with accumulations of compound interest, be sufficient after payment of all expenses to payoff the loan within the period approved;

Provided that if at any time the sum standing to the, credit of the sinking fund established for the repayment of any loan is of such amount that, if allowed to accumulate at compound interest it will be sufficient to repay the loan within the period approved, then, with the permission of the State Government further payments into such fund may be discontinued.

(2) The [Corporation][1] may apply a sinking fund, or any part thereof, in or towards the discharge of the loan for which such fund is established, and, until such loan or part is wholly discharged, shall not apply the same for any other purpose.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

investment of sinking fund

158- (1) All moneys paid into a sinking fund shall, as soon as possible, be invested by the [Corporation][1] in the name of the Mukhya Nagar Adhikari-

(a) in Government securities, or

(b) in securities guaranteed by Government, or

(c) in debentures of the [Corporation][1];

and shall be held by the [Corporation][1], for the purpose of repaying from

time to time the, debentures issued by it:

(2) All dividends, interest and, other sums received in respect of any, such investment shall, as soon as possible after receipt, be paid into the appropriate sinking .fund and invested in the manner prescribed by sub- section (1).

(3) Money standing to the credit of two or more, sinking funds may, at the discretion, of the [Corporation][1], he invested in a common fund and it shall not be necessary for the [Corporation][1] to allocate the securities held in such investments among the, several sinking funds.

(4) When any part of sinking fund is invested in the debentures of the [Corporation][1] or is, applied to paying of any part of a loan before the period fixed, for repayment, the interest which would, otherwise have been payable on such debentures or on such part of the loan, shall be paid into the sinking fund and, investment in the manner laid down in sub-section (1).

(5) Any investment made under this section may, subject to the provisions of sub-section (I), be varied or transposed:

Provided that whenever any transposition is made the sinking fund from which any part is transposed shall be increased by a sum equal to, the sum transposed.

(6) During, the year in which the, loan for the repayment of which, a sinking fund is, established is due for repayment, the sum to be set apart as portion of the principal of such sinking fund and the sum received on account of interest on moneys forming part of such sinking fund may be retained by the [Corporation][1] in such form as it thinks fit.

investment of sinking fund and surplus moneys in debentures issued by [Corporation][1]

159- (1) In respect of any sinking funds which by this Act the [Corporation][1] is directed or authorized to invest in public. securities and in respect of any surplus moneys which by this Act the Mukbya Nagar Adikari on behalf of the [Corporation][1] is empowered to invest in the securities, it shall be lawful for the [Corporation][1] to reserve and set apart for the purpose of any such investment, any debentures issued or to be issued on account of any loan for which the sanction of the State Government shall have been duly obtained :

Provided that the intention so to reserve and set apart such debentures shall have been notified to the State Government as a condition of the issue of the loan.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(2) The issue of any such debentures direct to and in the name of the Mukhya Nagar Adhikari on behalf of the [Corporation][1] shall not operate to extinguish or cancel such debentures, but every 'debenture so issued shall be valid in all respects as if issued to and in the .name of any other person.

(3)The purchase by, or the transfer assignment or endorsement to, the [Corporation][1] or the Mukhya Nagar Adhikari of any debenture issued by the [Corporation][1] shall not operate to extinguish, or cancel any such debenture, but the same shall be valid and negotiable in the same manner and to the same extent as if held by, or transferred, assigned or endorsed, to any other person.

annual examination of sinking funds

160- (1) All sinking funds established or maintained under this, Act shall be subject to annual examination by the Examiner, Local Fund Accounts, who shall ascertain whether the cash and the value of the securities belonging thereto are actually equal to the amount which should be at the credit of such funds had investments been regularly made and had the rate of interest as originally estimated been obtained therefrom.

(2) The amount which should be at the credit of a sinking fund shall be calculated on the basis of the present value of all future payments required to be made to such fund under the provisions of this Act, on the assumption that all investments are regularly made and the rate of interest as originally estimated is obtained therefrom.

(3) The securities belonging to a sinking fund shall be valued for the purposes of this section at their current market value, except in the case of debentures issued under this Act which will be valued at par, provided that the [Corporation][1] shall make good immediately any loss which may accrue on the actual sale of such debentures, at the time of repayment of the loan.

(4) The [Corporation][1] shall forthwith pay into any sinking fund any amount which the Examiner, Local Fund Accounts may certify to be deficient, unless the State Government specially sanctions a gradual re- adjustment.

(5) If the cash and the value of the securities at the credit of any sinking fund are in excess of the amount which should be at its credit, the Examiner, Local Fund Accounts shall certify the amount of such excess sum and the [Corporation][1] may thereupon transfer the excess sum to the [Corporation][1] Funds.

(6) If any dispute arises as to the accuracy of any certificate made by the Examiner, Local Fund Accounts under sub-section (4) or (5) the [Corporation][1] may, after making the payment or transfer, refer the matter to the State Government whose decision shall be final.

Attachment of [Corporation][1] Fund in default of repayment of loan

161- (1) If any money borrowed by the [Corporation][1] or any interest or costs due in respect thereof are not repaid according to the conditions of the loan, the State Government, if it has itself given the loan, may, and in other cases shall, on the application of the lender after considering the explanation of the [Corporation][1], if any, attach the [Corporation][1] Fund or a portion of the [Corporation][1] Fund.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(2) After such attachment no person, except an officer appointed in this behalf by the State Government shall in any way deal with the attached fund or portion thereof but such officer may do an acts in respect thereof which any [Corporation][1] author its officer or servant might have done if such attachment had not taken place and may apply the proceeds in satisfaction of the arrears and of all interest and costs due in respect thereon and of all expenses caused by the attachment and subsequent proceedings :

Provided that no such attachment shall defeat or prejudice any debt for which the Fund or portion thereof attached was previously pledged in

accordance with law, and all such prior charges shall be paid out, of the proceeds of the Fund or portion thereof before any part of the proceeds is applied to the satisfaction of the liability in respect of which such attachment is made.

Form of debentures

162- (1) Debentures issued under this Act shall be in such form as the [Corporation][1] may with the previous sanction of the State Government from time to time determine.

(2) The holder of any debenture in any form duly authorized under sub-section (1) may obtain in exchange therefor, upon such terms as the [Corporation][1] shall from time to time determine, a debenture in any other form so authorized.

(3) Every debenture issued by the [Corporation][1] under this Act shall be transferable by endorsement.

(4) The right to payment of the moneys secured by any of such debentures and to sue in respect thereof shall vest in the holder for the time being without any preference by reason of some of such debentures being prior in date to others.

Coupons attached to debentures to bear signature of Chairman of Executive Committee and Mukhya Nagar Adhikari

163- All coupons attached to debentures issued under this Act shall be signed by the Chairman of the Executive Committee and the Mukhya Nagar Adhikari on be he if of the [Corporation][1] and such signatures may be engraved, lithographed or impressed by any mechanical process.

debentures issued to two or more persons jointly

164- Notwithstanding anything contained in section 45 of the Indian Contract Act, 1872-

(1) Where any debenture or security issued under this Act is payable to two or more persons jointly, and either or any of them dies, the debenture or security shall be payable to the survivor or survivors of such persons:

Provided that nothing in this sub-section shall affect any claim by the legal representative of a deceased person against such survivor or survivors.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(2) When two or more persons are joint holders of any debenture or security issued under this Act, anyone of such persons may give an effectual receipt, for an interest or dividend payable in respect of such debenture or security unless notice to the contrary has been given to the [Corporation][1] by any other of such persons.

issue of duplicate securities

165- (1) When a debenture issued under this Act is alleged to have been lost, stolen or destroyed either wholly or in part or has been defaced or mutilated and a person claims to be the person to whom but for the loss, theft, destruction, defacement or mutilation it would be payable, he may, on application to the Mukhya Nagar Adhikari, and on producing proof of his satisfaction of the loss, theft, destruction, defacement or mutilation and of the justice of the claim,

obtain from him an order-

(a) if the debenture alleged to have been lost, stolen, destroyed, defaced or' mutilated is payable more than six years after the date of publication of the notification referred to in sub- section (2)-

(i) for the payment of interest in respect of the debenture pending the issue of a duplicate debenture; and

(ii) for the issue of a duplicate debenture payable to the applicant, or

(b) if the debenture alleged to have been lost, stolen, destroyed, defaced or mutilated is payable not more than six years after the date of publication of the notification referred to in sub- section (2)---

(i) for the payment of interest in respect of the debenture, without the issue of a duplicate debenture; and

(ii) for the payment of the applicant of the principal sum due in respect of the debenture on or after the date on which the payment becomes due.

(2) An order shall not be passed under sub-section (1) until after the issue of such notification of the Joss, theft, destruction. defacement or mutilation of the debenture as may be prescribed by the [Corporation][1], and after the expiration of such period as may be prescribed by the [Corporation][1] nor until the applicant has given such indemnity as may be required by the [Corporation][1] against the claims of all persons deriving title under the debenture lost, stolen, destroyed, defaced or mutilated.

(3) A list of the debentures in respect of which an order is passed under sub-section (1) shall be published in the official Gazette.

(4) If at any time before the [Corporation][1] becomes discharged under the provisions of section 168 from liability in respect of any debenture the whole of which is alleged to have been lost, stolen, destroyed defaced or mutilated, such debenture is found, any order passed in respect thereof under this section shall be cancelled but subject to any payments of principal or interest already made.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Renewal of debentures

166- (1) A person claiming to be entitled to a debenture issued under this Act, may on applying to the Mukhya Nagar Adhikari and on satisfying him of the justice of his claim and delivering the debenture receipted in such manner and paying such fee as may be prescribed by the Mukhya Nagar Adhikari obtain a renewed debenture payable to the person applying.

(2) Where there is a dispute as to the title to a debenture issued under this Act in respect of which an application of renewal has been made, the Mukhya Nagar Adhikari may-

(a) where any party to the dispute has obtained a final decision from a Court of competent jurisdiction declaring him to be entitled to such debenture, issue a renewed debenture in favour of such party;

(b) refuse to renew the debenture until such decision has been obtained ; or

(c) after such inquiry as is herein after provided and on consideration of the result thereof declare by order in writing which of the parties is in his opinion entitled to such debenture and may, after the expiration of three months from the date of such declaration, issue a renewed debenture in favour of such party in accordance with the provisions of sub-section (1) unless within that period he has received notice that proceedings have been instituted by any person in a court of competent jurisdiction for the purpose of establishing a title to such debenture.

Explanation-For the purposes of this sub-section the expression final decision" means a decision which is not appealable or a decision which is appealable but against which no appeal has been filed within the period of limitation allowed by law,

(3) For the purposes of the inquiry referred to in sub-section (2) the Mukhya Nagar Adhikari may himself record or may request the District Magistrate to record or to have recorded by any Magistrate subordinate to him the whole or any part of such evidence as the parties may produce. The Magistrate who records the evidence shall forward the record of such evidence to the Mukhya Nagar Adhikari.

(4) The Mukhya Nagar Adhikari or any Magistrate acting under this section may, if he thinks fit, record evidence on oath.

liability in respect of debenture renewed

167- (1) When a renewed debenture has been issued under section 166 in favour of any person, the debenture so issued shall be deemed to constitute a new contract between the Mahapilika and such person and all persons deriving title thereafter through him.

(2) No such renewal shall affect the rights as against the [Corporation][1] of any other person to the debenture so renewed.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

discharge in certain cases

168- When a duplicate debenture has been issued under section 165 or when a renewed debenture has been issued under section 166 or when the principal sum due on a debenture in respect of which an order has been made under section 165 for the payment of the principal sum without the issue of a duplicate debenture has been paid on or after the date on which such payment became due the [Corporation][1] shall be discharged from all liability in respect of the debenture in place of which a duplicate or renewed ,debenture has been so issued or in respect of which such payment has been made, as the case may be-

(a) in the case of a duplicate debenture, after the lapse of six years from the date of the publication of the notification referred to in sub section (3) of section 165 or from the date of the last payment of interest on the original debenture, whichever date is later:

(b) in the case of a renewed debenture after the lapse of six years from

the date of the issue thereof, and

(c) in the case of payment of the principal sum without the issue of a duplicate debenture, after the lapse of six years from the date of the publication of the notification referred to in sub-section (2) of section 165.

indemnity 169- Notwithstanding anything in section 166 the Mukhya Nagar Adhikari may in any case arising thereunder-

(1) issue a renewed debenture upon receiving such indemnity in favour of the [Corporation][1] and the Mukhya Nagar Adhikari as he shall think fit against the Claims of all persons claiming under the original debenture, or

(2) refuse to issue-a renewed debenture unless such indemnity is given.

annual Statement to be prepared by Mukhya Natgar Adhikari 170- (1) The Mukhya Nagar Adhikari shall, at the end of each year, prepare a statement showing-

(a) the loan borrowed in previous years for which the [Corporation][1] is liable and which have not' been completely repaid before the commencement of the year, with particulars of the amount outstanding at the commencement of the year, the date of borrowing and the annual loan charges:

(b) the loans borrowed by the [Corporation][1] in the year with particulars as to the amount and the date of' borrowing and the annual loan charges ;

(c) In the case of every loan for which a sinking fund is maintained the amount of accumulation in the sinking fund at the close of the year showing separately the amount to the credit of the fund. in the year ;

(d) the loans repaid in the year and, in the case of the loans repaid in instalments or by annual drawings, the amounts repair in the year, and the balance due at the close of the year;

(e) The particulars of securities in which the sinking funds have been invested or reserved therefor.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(2) Every such statement shall be laid before a meeting of the [Corporation][2] and shall be published in the official Gazette and a copy of such statement shall be sent to the State Government and to the Examiner, Local Fund Accounts.

power to make rules 171- The State Government may make rules to carry out all or any of the purposes of this chapter, and in particular, without affecting the generality of the power conferred hereby, make rules for the following purposes :-

(a) procedure for obtaining sanction of the State Government under this Chapter;

(b) establishment of sinking fund;

(c) investment of money in the sinking fund ;

(d) annual examination and audit of sinking fund;

(e) manner of attachment of [Corporation][2] Fund; and

(f) Printing of debentures.

CHAPTER IX

[Corporation][2] Taxation

taxes to be imposed under this Act

172- (1) For the purposes of this Act and, subject to the provisions thereof and of article 285 of the Constitution of India the [Corporation][2] shall impose the following taxes, namely-

(a) property taxes,

(b) a tax on vehicles other than mechanically propelled vehicles, and other conveyances plying for hire or kept within the City or on boats moored therein,

(c) a tax on animals used .for riding, driving, draught or burden, when kept within the City.

(2) In addition to the taxes specified in sub-section (1) the [Corporation][2] may for the purposes of this Act and subject to the provisions thereof impose any of the following taxes; namely-

(a) a tax on trades, callings and professions and holding of public or private appointments;

(b) {***}[1]

(c) {***}[1]

(d) {***}[1]

(e) a tax on dogs kept within the City;

a. ~~Omitted by section 8 of Chapter III of U.P. Act No. 9 of 1991.~~
b. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(f) a betterment tax;

(g) a tax on deeds of transfer of immovable property situated within the City;

(h) a tax on advertisements not being advertisements published In newspapers;

(i) a theatre tax, and

(j) [***][1]

[***][1]

(3) The [Corporation][2] taxes shall be assessed and levied in accordance with the provisions of this Act and the rules and bye-laws framed thereunder.

(4) Nothing in this section shall authorize the imposition of any tax which the State Legislature has no power to impose in the State under the Constitution of India:

Provided that where any tax was being lawfully levied in the area included in the City immediately before the commencement of the Constitution of India such tax may continue to be levied and applied for the purposes' of this Act until provision to the contrary is made by Parliament.

Property Taxes

property taxes leviable

173- (1) For the purposes of sub-section (1) of section 172 property taxes shall comprise the following taxes which shall subject to the exceptions, limitation and conditions hereinafter provided, be levied on buildings and lands in the City-

(a) a general tax which may be levied, if the [Corporation][2] so determines, on a graduated scale;

(b) a water tax;

(c) drainage tax leviable in the areas provided with sewer system by the [Corporation][2];

(d) a conservancy tax in areas in which the [Corporation][2] undertakes, the collection; removal and disposal of excrementious and , polluted-matter from privies, urinal and cesspools.

---

1. Omitted by section 8 of Chapter-3 of U.P. Act No. 9 of 1991.
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(2) Save as otherwise expressly provided in this Act or rules made thereunder, these taxes shall be levied on the annual value of buildings or land, as the case may be :

Provided that the aggregate of the property taxes shall in no case be less than 15 per cent nor more than 25 per cent of the annual value of the building or land or both assessed to such taxes.

definition of Annual Value

174- "Annual value" means-

[(a) in the case of railway stations, colleges, schools, hostels, factories, commercial buildings and other non-residential buildings, a proportion not below 5 per cent to be fixed by rule made in this behalf of the sum obtained by adding the estimated present cost of erecting the building, less depreciation at a rate to be fixed by rules, to the estimated value of the land appurtenant thereto, and][1]

(b) in the case of a building or land not falling within the provisions of clause (a) the gross annual rent for which such building exclusive of furniture or machinery therein, or such land is actually let, or where the building or land is not let or in the opinion of the assessing authority is let for a sum less than its fair letting value, might reasonably be expected to be let from year to year,

Provided that where the annual value of any building would, by reason of exceptional circumstances, in the opinion of the [Corporation][2], be excessive if calculated in the aforesaid manner, the [Corporation][2] may fix the annual value at any less amount which appears to it equitable;

Provided further that where the [Corporation][2] so resolves, the annual value in the case of owner occupied buildings and land shall for the purposes of assessment of property taxes be deemed to be 25 per cent less than the annual value otherwise determined under this section.

Restriction on the imposition of water tax

[175- The imposition of a tax under clause (b) of sub-section (1) of section 173 shall be subject to the restriction that the tax shall not be imposed-

(i) on any land exclusively" for agricultural- purposes, unless the water is supplied by the [Corporation][2] for such purposes; or

(ii) on a plot of land or building' the annual, value whereof does not exceed rupees three hundred and sixty and to which no water is supplied by the [Corporation][2] ; or

(iii) on any plot or building, no part of which is within the radius prescribed for the city, from the nearest stand-pipe or other water-works whereat water is made available to the public by the [Corporation][2]

. Explanation -For the purposes of this section-

(a) 'building' shall include the compound, if any, thereof, and, where there are several buildings in a common compound, all such buildings and the common compound;

(b) 'a plot of land' means any piece' of land held by a single occupier, or held in common by several' co-occupiers, whereof no one portion is entirely separated from any other portion by the land of another occupier or of other occupiers or, by public property.][3]

---

1. Substituted by section 3 of chapter iv of U.P. Act No.9 of 1987

2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

3. Subsituted by section 36 of U.P. Act No. 10 of 1978.

Pooling of income from waterworks, drainage works, etc.

176- The proceeds of the water, drainage and conservancy taxes and all other incomes derived from waterworks, drainage works, drains and excrementitious and polluted matter collected from privies, urinals and cesspools and from disposal of such matters and income from sullage farms shall be pooled together and shall be defrayed on purposes connected with the construction, maintenance, extension or improvement of such waterworks and drainage works and with the collection, removal and disposal of excrementitious and polluted matter from privies, urinals and cesspools including maintenance of sullage farms.

General tax on what premises to be levied

177- The general tax shall be levied in respect of all buildings and land in the City except-

(a) buildings and lands solely used for purposes connected with the disposal of the dead ;

(b) buildings and lands, or portions thereof solely occupied and used for public worship or far a charitable purpose;

[(c) building solely used as jails, court houses, treasuries, schools and colleges ;][4]

(d) ancient monuments as defined in the Ancient Monuments Preservation Act, 1904, subject to any direction of the State Government in respect of any such monument ;

[(e) any building or land the annual value of which is rupees three hundred and sixty or less, provided ·that the owner thereof does riot own any other building or land in the same city [and provided further that in the case of a building situated within thirty metres from the main or branch sewer line of the [Corporation][4] it has a latrine with arrangements for flushing][2], and][1]

(f) Buildings and lands vesting in the Union of India except where provision if of clause (2) of article, 285 of the Constitution of India Apply.

---

1. Subs. by s, 7 of U.P. Act No. 10 of 1978.
2. Ins, by s. 12 of U. P, Act No 35 of 1978 and shall be deemed to have been inserted w. e. f. March 1, 1979 under notification No. 424IB/1l-6-77-391(77 Adhi/59 dated Feb. 28, 1979.
3. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
4. Substituted by section 8 (a) of U. k. Act No. 19 of 2002.
5. Ins. by s. 8 (a) ibid.

Remission by reasons of non-occupation

178 - (1) When a building or land has remained vacant and unproductive of rent for ninety or more consecutive days during any year the Mukhya Nagar Adhikari shall, remit or refund so much of each of the property taxes of that year as may be proportionate to the number of days that the said building or land has remained vacant and unproductive of rent.

(2) When a building consists of two or more separate tenements and one or more such tenements has remained vacant and unproductive of rent during any such period as aforesaid, the Mukhya Nagar Adhikari may remit or refund such portion (if any) of each tax or installment as may be prescribed:

Provided that no remission shall be granted unless notice in writing of the fact of the building or land being vacant and unproductive of rent has been given to the [Corporation][1], and that no remission or refund shall take effect for any period previous to the day of the delivery of such notice.

(3) The burden of proving the facts entitling a person to remission or refund under this section shall be upon the person claiming the same.

(4) For the purposes of this section a building or land shall not be deemed to be vacant, if it is maintained as a pleasure resort or town or country house, or be deemed to be unproductive of rent, if it is let to a tenant who has a continuing right of occupation thereof, whether, he is in actual occupation or not.

primary responsibility for certain property taxes on annual value

179 - (1) Except where otherwise prescribed, every tax (other than a drainage tax or a conservancy tax) on the annual value of buildings or lands shall be leviable primarily from the actual occupier of the property upon which the tax is assessed, if he is the owner of the buildings or lands or holds them on a building or other lease from the Central or the State Government or from the [Corporation][1] or on a building lease from any person.

(2) In any other case the tax shall be primarily leviable as follows, namely-

(a) if the property is let from the lessor ;

(b) if the property is subjet from the superior lessor ;

(c) if the property is unlet from the person in wham the right to let the same vests.

(3) On failure to recover any sum due on account of such tax from the person primarily liable, the Mukhya Nagar Adhikari may recover from the occupier of any part of the buildings or lands in respect of which it is due that portion thereof which bears to the whole amount due the same ratio as the rent annually payable by such occupier bears to the aggregate amount of the rent payable in respect of the whole of the said building or lands, or to the aggregate amount of the letting value thereof in the authenticated assessment list.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(4) An occupier who makes any payment for which he is not primarily liable under the foregoing provisions shall, in the absence of any contract to the contrary be entitled to be reimbursed by, the person primarily liable.

Liability for payment of other such taxes

180 - (1) A drainage tax, or a conservancy tax on the annual value of buildings or lands shall be levied from the actual occupier of the property upon which the taxes are assessed:

Provided that, where such property is let to more occupiers than one, the Mukhya Nagar Adhikari may at his option levy the tax from the lessor instead of from the actual occupiers.

(2) A lessor from whom a tax is levied under the proviso to sub-section (I) may, in the absence of a contract to the contrary, recover the tax from any or all of the actual occupiers.

property taxes to be a first charge on permises on which they are asscssed

181 - (1) Property taxes due under this Act in respect of any building or land shall, subject to prior payment of the land revenue, if any, due to the State Government thereupon, be a first charge, in the case of any building or land held immediately from the State, upon the interest in such building or land' of the person liable for such taxes and upon the movable property, if any, found within or upon such building or land belonging to such person; and, in the case of any other building or land, upon the said building or land and. belonging to the person liable for such taxes.

Explanation-The term "property-taxes" in this section shall be deemed to include any charges payable for water supplied to any premises and the costs of recovery of property taxes as specified in the rules.

(2) In any decree in a suit for the enforcement of the charge created by sub-section (1), the Court may order the payment to [Corporation][1] of interest on the sum found to be due at such rate as the Court deems reasonable from the date of the institution of the suit-until realization, and such interest and the cost of enforcing the said charge, including the cost of the suit and the costs of bringing the premises or movable property in question to sale under the decree, shall subject as aforesaid, be a first charge on such premises and movable property along with the amount found to be due, and the Court may direct payment thereof to be made to the [Corporation][1] out of the sale proceeds.

Taxes on Vehicles, Boats and Animals

Taxes on vehicles, boats and animals

182 - (1) A tax under clause (b) or clause (c) of sub-section (1) of section 172 shall be 'levied at rates not exceeding those prescribed by rule by the State Government in this behalf, from time to time on vehicles and boats or an animals, as the case may be.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(2) The [Corporation][1] shall from year to year, in accordance with section 148 determine the rates at which the tax referred to in sub-section (1) shall be levied.

(3) A vehicle, boat or animal kept outside the limits of the City but regularly used within such limits shall be deemed to be kept for use in the City.

Exemptions from certain taxes mentioned in section 172

183 - (1) The tax under clause (b) of sub-section (1) of section 172shall not be leviable in respect of -;

(a) vehicles and boats belonging to the [Corporation][1] ;

(b) vehicles and boats vesting in the Union of India except where the provisions of clause (2) of article 285 of the Constitution of India apply;

(c) vehicles and boats vesting in any State comprised in the Union of India and used solely for public purposes and not used or intended to be used for purposes of profit:

(d) vehicles and boats intended exclusively for conveyance 'free of charge of the injured, sick or dead;

(e) children's perambulators and tricycles;

(f) Vehicles or boats kept by bona fide dealers in vehicles or boats for

sale merely, and not used.

(2) The tax under clause (c) of sub-section (1) of section 172 shall not be leviable in respect of-

(a) animals belonging to the [Corporation][1] ;

(b) animals vesting in the Union of India except where the provisions of clause (2) of article 285 of the Constitution of India apply;

(c) animals vesting in any State comprised in the Union of India and used solely for public purposes and not used or intended to be used for purposes of profit.

(3) If any question arises under clause (b) or clause (c) of sub-section (I) or clause (b) or clause (c) of sub-section (2) whether any vehicle, boat or animal vesting in the Union of India or any State comprised therein is or is not used or intended to be used for purposes of profit, such question shall be determined by the State Government whose decision shall be final.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Other Taxes

Betterment tax 184 - "Betterment tax" means a tax to be charged on the increase in the value of the land comprised in a scheme put into operation under Chapter XIV, but not actually required for the execution thereof, or on the increase in the value of any land adjacent to and within one quarter of a mile of the boundaries of such scheme, provided that such adjacent land is situated within the City.

Amount of Betterment tax 185 - The Betterment tax shall be an amount equal to one-half of the difference between the market value of the land on the date specified-in the public notice under sub-section (2) of section 187 and the market value of such land on or immediately before the date on which the scheme was finally notified under Chapter XIV:

Provided that for the purposes of calculation under this section the land shall be treated as free of all buildings.

Payment of Betterment tax 186 - Where a [Corporation][1] has imposed a tax mentioned in clause (f} of sub-section (2) of section 172 every owner of land mentioned in section 184 or any person, having an interest therein in respect of the increase in the value of such land, shall in the manner hereinafter provided pay to the [Corporation][1] such Betterment tax as may be determined by the Mukhya Nagar Adhikari,

Notice of levy of Betterment tax 187 - (1) The State Government shall, by notification in the official Gazette, declare the date on which a scheme shall be deemed to have been completed.

(2) Within one year of the date of the completion of the scheme declared in sub-section (1), the Mukhya Nagar Adhikari shall give public notice of the

intention of the [Corporation][1] to levy a Betterment tax from a specified date.

Assessment of Betterment tax 188 - (1) The Mukhya Nagar Adhikari shall at any time after one month from the publication of such notice assess the amount of Betterment tax payable by the person concerned and shall give a notice in writing to such person stating the amount of the tax and the instalments, if any, and the dates on which the tax shall be paid together-with such other particulars as may be necessary.

(2) Any person on whom a notice of assessment is served in sub-section (1) may, within one month from the date of the service of such notice, file an objection against such assessment before the Mukhya Nagar Adhikari :

Provided that an objection may be entertained even after the expiry of the period mentioned in sub-section (1) if the Executive Committee or sub-committee thereof referred to in sub-section (3) is satisfied that the failure to file objection was due to causes beyond the control of the objector.

(3) After an opportunity has been given to the objector of being heard the Executive Committee or a sub-committee thereof appointed in this behalf shall decide the objection and may then confirm, modify or cancel the assessment.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(4) If the person on whom a notice of assessment is served under sub-section (1) fails to file an objection, Under sub-section (2), the order of assessment shall be conclusive and shall not be questioned before any court of law or tribunal.

Alternative to payment of Betterment tax 189 - (1) A person liable to pay Betterment tax may at his option in stead of paying thereof to the [Corporation][2], execute an agreement with the [Corporation][2] to leave the said payment outstanding as a charge on his interest in the land, subject to the payment in perpetuity of interest at the rate of 6 per cent per annum.

(2) A person who has exercised his option under sub-section (1) may at any time, subject to his giving six months notice of his intention, pay the amount of Betterment tax assessed under section 188.

Recovery of arrears of Betterment tax 190 - Arrears of Betterment tax shall be realized in the manner provided in Chapter XXI.

Tax on deeds of transfer of immovable property 191 - (1) Where the [Corporation][2] has imposed a tax referred to in clause (g) of section 172, the duty imposed by the Indian Stamp Act, 1899 on any deed of transfer of immovable property shall, in the case of immovable property situated within the City, be increased by 2 per cent [on the amount or value of the consideration with reference to which the duty is calculated under the said Act.][1]

(2) All collections resulting from the said increase shall, after the deduction of incidental expense-s, if any, be paid to the [Corporation][2] by the State Government in such manner as may be prescribed by rules.

(3) For the purpose of this section, section 27 of the Indian Stamp Act,

1899, shall be so read and construed as if it specifically required the particulars referred to therein to be separately set forth in respect of-

(a) property situated within the City, and

(b) property situated outside the City.

(4) For the purposes of this section, section 64 of the Indian Stamp Act, 1899, shall be so read and construed as if it referred to the [Corporation][2] as well as to the Government.

Tax on advertisements

192 - Where a [Corporation][2] imposes a tax mentioned in clause (h) of sub-section (2)' of section 172, every person who erects, exhibits, fixes or retains upon or over any land, building, wall, hoarding or structure any advertisement or who displays any advertisement to public view in any manner whatsoever, in any place whether public or private, shall pay on ,every advertisement which is so erected, exhibited, fixed, retained or displayed to public view, a tax calculated at such rates and in such manner and subject to such exemptions as may be provided by the Act or rules made there-under:

1. Substituted by section 7 of U.P. Act No. 29 of 1966.
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Provided that-no tax shall be levied under this section On any advertisement or a notice-

(a) of public meetings, or

(b) of an election to any legislative body or the [Corporation][2],

(c) of a candidature in respect of such an election:

Provided also that no such tax shall be levied on any advertisement which is not a sky-sign and which-

(a) is exhibited within the window of any building; or

(b) relates to the trade or business carried on within the land or building upon or over which advertisement is exhibited, or to any sale or letting of such land or building or any effects therein or to any sale, entertainment or meeting to be held upon or in the same, or

(c) relates to the name of the land or building upon or over which the advertisement is exhibited or to the name of the owner or occupier of such land or building, or

(d) relates to the business of any railway administration, or

(e) is exhibited within any railway station or upon any wall or other property of a railway administration except any portion of the surface of such wall or property fronting any street.

Explanation I-The word "structure" in this section shall include any movable board on wheels used as an advertisement or an advertisement medium.

Explanation 2-"Public place" shall, for the purpose of this section mean any place which is open to the use and enjoyment of the public, whether it is actually

used or enjoyed by the public or not.

Prohibition of adver- tisements without written permission of Mukhya Nagar Adhikari

193 - (1) No advertisement shall, after the levy of the tax under section 192 has been determined upon by the [Corporation][2], be erected, exhibited, fixed or retained upon or over any land, building, wall, hoarding or structure within the City or shall be displayed in any manner whatsoever, in any place without the written permission of' the Mukhya Nagar Adhikari.

(2) The Mukhya Nagar Adhikari shall not grant such permission if-

(a) the advertisement contravenes any bye-law made by the [Corporation][2] under [clause (48)][1] of section 541, or

(b) the tax, if any, due in respect of the advertisement has not been paid,

---

1. Subs. by s. 2 of U.P. Act No. 23 of 1961.
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(3) Subject to the provisions of sub-section (2) in the case of an advertisement liable to the advertisement tax the Mukhya Nagar Adhikari shall grant permission for the period to which the payment of the tax relates and no fee shall be charged in respect of such permission:

Provided that the provisions of this section shall not apply to any advertisement erected, exhibited, fixed or retained on the railway premises or relating to the business of any railway administration.

Permission of the Mukhya Nagar Adhikari to become void in certain cases

194 - The permission granted under section 193 shall become void in the following cases, namely:

(a) if the advertisement contravenes any bye-law made by the [Corporation][2] under clause [(48)][1] of section 541 ;

(b) if any addition to the advertisement be made except for the purpose of making it secure under the direction of the Mukhya Nagar Adhikari;

(c) if any material change be made in the advertisement or any part thereof;

(d) if the advertisement or any part thereof falls otherwise than through accident;

(e) if any addition or alteration be made to, or in the building wall or structure upon or over which the advertisement is erected, exhibited, fixed or retained if such addition or alteration involves the disturbance of the advertisement or any part there- of; and

(f) if the building, wall or structure upon or over which the advertisement is erected, exhibited, fixed or retained be demolished or destroyed.

Beneficiary from advertisement to be deemed responsible

195 - Where any advertisement shall be erected, exhibited ,fixed or retained upon or over any land, building wall, hoarding or structure in contravention of the provisions of section 192 or section 193 or after the written permission for the erection, exhibition, fixation or retention there of for, any period shall have expired or become void, the person for whom or for whose purposes the

advertisement has prima facie been so erected, exhibited, fixed or retained shall be deemed to be the person who has erected, exhibited, fixed or retained such advertisement in such contravention unless the proves that such contravention was committed by a person not In his employment or under his control or was committed without, his connivance.

Removal of unauthorized advertisements

196- If any advertisement be erected, exhibited, fixed or retained contrary to the provisions of section 192 or section 193 or after the written permission for the erection, exhibition, fixation or retention thereof for any period shall have expired or become void, the Mukhya Nagar Adhikari may, by notice in writing require the owner or occupier of the land, building, wall, hoarding or structure upon or over which the same is erected, exhibited, fixed or retained to take down or remove such advertisement or may enter any building, land or property and have the advertisement removed.

---

1. Subs. by s. 2 of U.P. Act No. 23 or 1961.
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

exemption from theatre tax

197- The theatre tax shall not be leviable in respect of-

(a) any entertainment or amusement for admission to which no charge is made or only a nominal charge is made;

(b) any entertainment or amusement which is not open to the general public on payment;

(c) any entertainment or amusement the full proceeds of which, without the deduction of expenses, are intended to be utilized for a public charitable purpose.

Explanation-For the purposes of this section a nominal charge shall be such charge as may be fixed by the rules.

198- {***}[1]

Framing of preliminary proposals

199- (1) When a [Corporation][2] desires to impose a tax specified in sub-section (2) of section 172 it shall by resolution direct the Executive Committee to frame proposal specifying-

(a) the tax, being one of the taxes described in sub-section (2) of section 172 which it desires to impose;

(b) the persons or class of persons to be made liable, and the description of property or other taxable thing or circumstances in respect of which they are to be made liable, except where and in so far as any class or description is already sufficiently defined under clause (a) or by this Act;

(c) the amount or rate leviable from each such person or class of persons;

(d) any other matter referred to in section 219 which the State-Government requires by rule to be specified.

(2) Upon a resolution being passed under sub-section (1) the Executive Committee shall frame the proposals and also prepare a draft of the rules which it

desires the State Government to make in respect of the matters referred to in section 219.

(3) The Executive Committee shall, thereafter, publish in the manner prescribed by rule the proposals framed under sub-section (1) and the draft rules framed under sub-section (2) alongwith a notice in the form to be prescribed by rule.

procedure subsequent to farming proposals

200- (1) Any inhabitant of the City may, within two weeks from the publication of the said notice, submit to the [Corporation][1] an objection in writing to all or any of the proposals framed under the preceding section, and the [Corporation][1] shall take any objection so submitted into consideration and pass orders thereon by special resolution.

---

1. Chapter-III of omitted by section 9 of U.P. Act No. 9 of 1991.
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(2) If the [Corporation][1] decides to modify the proposals of the Executive Committee or any of them the Mukhya Nagar Adhikari shall publish the modified proposals and, if necessary, revised draft rules alougwith a notice indicating that the proposals and rules (if any) are in modification of proposals and rules previously published for objection.

(3) Any objections which may be received to the modified proposals shall be dealt with in the manner prescribed in sub-section (1).

(4) When the [Corporation][1] bas finally settled its proposals, the Mukhya Nagar Adhrkari shall submit them along with the objections (if any) made in connexion therewith to the State Government.

power of State Government to reject, sanction or modify proposals

201- Upon receipt of the proposals and objection under the preceding section the State Government may either refuse to sanction the proposals or return them to the [Corporation][1] for further consideration or sanction them without modification or with such modification not involving an increase of the amount to be imposed, as it deems fit.

Resolution of [Corporation] directing imposition of taxes

202- (1) When the proposals have been sanctioned by the State Government, the State Government after taking into consideration the draft rules submitted by the [Corporation][1], shall proceed forth with to make such rules in respect of the tax as for the time being it considers necessary.

(2) When the rule have been made the order of sanction and a copy of the rules shall be sent to the [Corporation][1], and thereupon the [Corporation][1] shall by special resolution direct the imposition of the tax with effect from a date to be specified in the resolution.

Imposition

203- (1) A copy of the resolution passed under section 202 shall be submitted to the State Government.

(2) Upon receipt of the copy of the resolution the State Government shall notify in the official Gazette, the imposition of the tax from the appointed date, and the imposition of a tax shall in all cases be subject to the condition that it has been so notified.

(3) A notification of the imposition of a tax under sub-section (2) shall be conclusive proof that the tax has been imposed in accordance with the

provisions of this Act.

procedure for altering taxes 204- The procedure for abolishing a tax, or for altering a tax in respect Of the matters specified in clauses (b) and (c) of sub-section (1) of section 199 shall, so far as may be, be the procedure prescribed by sections 199 to 202 for the imposition of a tax.

Power of State Government to remedy or abolish tax 205- (1) Whenever it appears, on complaint made or otherwise to the State Government, that the levy of any tax is contrary to the public interest or that any tax is unfair in its incidence the State Government may, after considering the explanation of the [Corporation][1] concerned, by order require such [Corporation][1] to take measures within a time to be specified in the order, for the removal of any defect which' it considers to exist in the tax or in the method of assessing or collecting the, tax.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(2) Upon the failure or inability of the [Corporation][4] to comply, to the satisfaction of the Stale Government, with an order made under sub-section (1), the Slate Government, may by notification, suspend the levy of the tax, or of any portion thereof, until the defect is removed, or may abolish or reduce the tax.

Power of State Government to require [Corporation][4] to impose 206- (1) The State Government, may, be general or special order published in the official Gazette, require a [Corporation][4] to impose any tax mentioned in sub-section (2) of-section 172 not, already imposed, at such rate and within such period as may be specified in-the notification and the [Corporation][4] shall thereupon act accordingly.

(2) The State Government" may require a [Corporation][4] to increase, modify or very the rate of any tax, already imposed and the reupon the [Corporation][4] shall increase; modify or vary the tax as required.

(3) If the [Corporation][4] fails to carry out the order passed under sub-section (1) or (2), the State Government may pass suitable order imposing, increasing, modifying or varying the tax and thereupon the order of the State Government shall operate as if it had been' a resolution duly passed by the [Corporation][4].

Assessment and Levy of Property Taxes

Preparation of assessment list 207- The Mukhya Nagar Adhikari shall cause assessment list of all buildings or lands or both [in the City or part thereof to be prepared from time to time][2] containing-

(a) the name of the street or mohalla in which the property is situated;

(b) the designation of the property, either by name or by number sufficient for identification;

(c) the names of the owner and occupier, if known;

(d) the annual letting value or other particulars determining the annual value; and

(e) the amount of the tax assessed thereon.

publication of list 208- [When assessment list for the whole of the City or of [any part thereof][3] containing the particulars mentioned in clauses (n) to (e) of section 207 has been

prepared][1] the Mukhya Nagar Adhikari shall give public notice of the place where [that list][1] or a copy thereof may be inspected, and every person claiming to be either owner or occupier of property included in [that list][1] and an agent of such person shall be at liberty to inspect [that list][1] and to make extracts therefrom without charge.

---

1. Substituted by section 2 of U.P. Act No. 8 of 1970.
2. Chapter-IV of substituted by section 9 of U.P. Act No. 3 of 1987.
3. Subs. by 11 ibid.
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

objections to entries in list

209- (1) The Mukhya Nagar Adhikari shall at the same time give public notice of a date, not less than one month thereafter, when the Executive Committee will proceed to consider the valuation and assessment [entered in, the list mentioned in section 208][2] and in all cases in which any property is for the first time assessed or the assessment is increased, he shall also give notice thereof to the owner or occupier of the property, if known.

(2) All objections to valuations and assessments shall be made to the Mukhya Nagar Adhikari, before the date fixed in the notice, by application in writing stating the grounds on which the valuation and assessment are disputed, and all applications so made shall be registered in a, book to be kept by the Mukhya Nagar Adhikarl for the purpose.

(3) The Executive Committee or a sub-committee thereof appointed by the Executive Committee in this behalf shall, after allowing the applicant an opportunity of being heard in person or by agent-

(a) investigate and dispose of the objections;

(b) cause the result thereof to be noted in the book kept under sub-section (2); and

(c) Cause any amendment necessary in accordance with such result to be made in the assessment list.

Authentication and custody of list

[210- (1) After the disposal of all objections pertaining to the list for the City or of [any part thereof][4] as the case may be, the Chairman of the [Executive][7] Committee or of the Sub-Committee concerned, if any, shall authenticate by his signature that list as well as all amendments made therein under sub-section (3) of section 209.

(2) Every list so authenticated shall be deposited in the office of the [Corporation][6].

(3) As soon as the list for the entire City is so deposited it shall be declared by public notice to be open for inspection.][3]

Revision and duration of list

211- (1) A new assessment list shall ordinarily be prepared in the manner prescribed by sections 207 to 210 once in every five years.

(2) Subject to any alteration or amendment made under section 213 and to the result of any appeal under section 472 every valuation and assessment entered in a valuation list shall be valid from the date on which the list takes

effect [in the City or Part thereof and until the first day of the month next following the completion of the new list.][5]

[Provided that where as a result of any order or adjudication of a court of law the new assessment list or any portion thereof cannot take effect, the old assessment list or the corresponding portion thereof shall, subject to such order or adjudication, be deemed to have continued to be effective.][1]

1. Ins. by s. 18 of U. P. Act No. 21 of 1964
2. Subs. by s. 3 of U. P. Act No.8 of 1970
3. Subs. by s. 4 ibid.
4. Chapter-IV of substituted by section 9 of U.P. Act No. 3 of 1987.
5. Substituted by section 13 ibid.
6. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
7. Substituted by section 61 ibid.

conclusiveness of entries in list

212- An entry in an assessment list shall be conclusive proof-

(a) for any purpose connected with a tax to which the list refers, of the amount leviable in respect of any building or land during the period to which the list relates, and

(b) for the purpose of assessing any other [Corporation][4] tax, of the annual value of any building or land during the said period.

Amendment and alteration of list

213- (1) The Executive Committee or a sub-committee thereof appointed in this behalf may at any time alter or amend the assessment list-

(a) by entering therein the name of any person or any property which ought to have been entered or any property which has become liable to taxation· after the authentication of the assessment list; or

(b) by substituting therein for the name of the owner or occupier of any property the name of any other person who has succeeded by transfer or otherwise to the ownership or occupation of the property ; or

(c) by enhancing the valuation of, or assessment on, any property which [has been incorrectly valued or assessed or which, by reason of fraud, misrepresentation or mistake, had been incorrectly valued or assessed][3]; or

(d) by revaluing or re-assessing any property the value of which has been increased by additions or alterations to buildings; or

(e) where the percentage on the annual value at which any tax is to be levied has been altered by the [Corporation][4] under the provisions [of this Act][1] by making a corresponding alteration in the amount of the tax payable in each case; or

(f) by reducing upon the application of the owner or on satisfactory evidence that the owner is untraceable and the need for reduction established, upon its own initiative, the valuation of any building which has been wholly or partly demolished or destroyed ; or

(g) by correcting any clerical, arithmetical or other apparent error:

Provided that the Executive Committee or the sub-committee, as the case may be, shall give at least one month's notice to any person interested in any

alteration [or amendment][2] which the Executive Committee or sub-committee proposes to make under clauses (a), (b), (c) or (d) of sub- section (1) and the date on which the alteration [or amendment][2] will be made.

---

1. Subs. by s. 2 of U.P. Act No. 23 or 1961.
2. Ins. by s. 19(1) of U.P. Act No. 21 of 1964.
3. Chapter-IV of substituted by section 14 of U.P. Act No. 3 of 1987.
4. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

[(1-A) For the removal of doubts it is hereby declared that it shall not be necessary to follow the procedure laid down in sections 199 to 203 or in sections 207 to 210 in respect of any alteration made under clause (e) of sub-section (I) as a result of determination of the rate of the tax under section 148.][3]

(2) The provisions of sub-sections (2) and (3) of section 209 applicable to the objections thereunder mentioned shall, so far as may he, apply to any objection made [in pursuance of a notice issued under the proviso to sub-section (1)][1] and to any application made under clause (f) of sub-section (1) .

(3) Every alteration [or amendment][2] made under sub-section (I) shall be authenticated by the signature or signatures of the person authorized by section 210 and, subject to the result of as appeal under section 472, shall take effect from the date on which the next instalment falls due.

Obligation to supply information for purposes of amendment

214- When a building is built, re-built or enlarged, the owner shall give notice thereof to the Mukhya Nagar Adhikari within fifteen days from the date of completion of such building, re-building or enlargement or from the date of the occupation of such building, whichever date happens first.

Obligation to give notice of re-occupation

215- The owner of a building or land for which a remission or re-fund of the tax has been given under section 178 shall give notice of the reoccupation of such building or land within fifteen days of such re-occupation.

Consolidation of taxes

216- For the purpose of assessing, levying or collecting, but not for the purpose of imposing or granting exemption from, the property taxes described in section 173 a [Corporation][4] may consolidate any two or more of such taxes:

Provided that in any register or assessment list relating to a consolidated tax and used for the purpose of informing a person of his liability thereunder or for the purpose of securing compliance with the provisions of section 175 or section 176 the Mukhya Nagar Adhikari shall, in the manner prescribed, apportion the consolidated tax amongst the several taxes comprised therein, so as to show approximately the amount assessed or collected on account of each separate tax.

Deduction required by exemptions

217- (1) In assessing a consolidated tax effect shall be given to any partial or total exemption from any single tax comprised therein.

(2) Such effect shall be given-

(a) in the case of partial exemption, by means of the deduction from the

total amount of the consolidated tax which would otherwise be leviable or assessable in respect of any buildings, or lands or both, to which the exemption applies, of a proportionate part, corresponding to the exemption of the amount which might otherwise have been assessed on account of the single tax, and

---

1. Subs. by s. 2 of U.P. Act No.23 of 1961.
2. Ins. by s. 19 (1) of U.P. Act No. 21 of 1964.
3. Ins. by s. 19 (2) ibid.
4. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(b) In the case of a total exemption, by means of the deduction from such total amount of the whole amount assessed on account of the single tax.

Summary proceedings may be taken against persons about to leave the City

218- (1) If any sum recoverable under the provisions of this Chapter is due or is about to become due from any person, and if the Mukhya Nagar Adhikari shall have reason to believe that such person is about to leave the limits of the City the Mukhya Nagar Adhikari may direct the immediate payment by such person of such sum and cause a bill for the same to be presented-

(2) If on presentation of such bill the said person does not forth with pay the said sum or does not furnish security to the satisfaction of the Mukhya Nagar Adhikari, the amount shall be levied by distress and sale of his movable property or by attachment and sale of his immoveable property in the manner specified in Chapter XXI except that it shall not be necessary to serve upon him any notice of demand and the Mukhya Nagar Adhikari's warrant for distress and sale may be issued and executed without any delay.

Other matters

Rules as to assessment, collection and other matters

219- The following matters shall be regulated and governed by rules except in so far as provision therefor is made by this Act, namely-

(a) The assessment, collection or composition of taxes, {***}[1]

(b) The prevention of evasion of taxes;

(c) The system on which refunds shall be allowed and paid;

(d) The fees for notices demanding payments on account of a tax and for the execution of warrants of distress;

(e) the rates to be charged for maintaining livestock distained ; and

(f) Any other matters relating to taxes in respect of which this Act makes no provision or insufficient provision and provision is, in the opinion of the State Government, necessary.

Composition

220- (1) Subject to the provisions of any rule, a [Corporation][2] may by a special resolution confirmed by the State Government, provide that all or any persons may be allowed to compound for a tax.

(2) Every sum due by reason of the composition of a tax under- sub-section

(1) shall be recoverable in the manner provided by Chapter XXI.

Exemption 221- (1) A [Corporation][2] may exempt, for a period not exceeding one year, from the payment of a tax or any portion of a tax, imposed under this Act, any person who is in its opinion, by reason of poverty unable to pay the same, and may renew such exemption as often as it deems necessary.

---

1. omitted by section 10 of Chapter-III of U.P. Act No. 9 of 1991.
2.Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(2) A [Corporation][1] may, by a special resolution confirmed by the State Government, exempt from the payment of a tax or any portion or a tax, imposed under this Act, any person or class of persons or any property or description of property.

(3) The State Government may, by order exempt from the payment of a tax, or any portion of a tax, imposed under this Act, any person or class of persons or any property or description of property.

Obligation to disclose liability 222- (1) The [Corporation][1] may by written communication call upon an inhabitant of the City to furnish such information as may be necessary in order to ascertain-

(a) whether such inhabitant is liable to pay a tax imposed under this Act;

(b) at what amount he should be assessed;

(c) the annual value of the building or land which he occupied and the name and address of the owner.

(2) If an inhabitant so called upon to furnish information omits to furnish it or furnishes information which is untrue, he shall be liable upon, conviction to a fine which may extend to five hundred rupees.

Powers of discovery 223. The Mukhya Nagar Adhikari or any other officer or servant of the [Corporation][1] authorised in this behalf may enter, inspect and measure a building for the purposes of valuation, or enter and inspect a stable, coach house or other place wherein, there is reason to believe that there is a vehicle or animal liable to taxation under this Act and the provisions of sections 560, 562 and 563 shall apply to such inspections.

Savings 224- No assessment list or other list, notice, bill or other such document specifying, or purporting to specify, with reference to any tax, charge, rent or fee, any person, property, thing or circumstances shall be invalid by reason only of the mistake in the name, residence, place of business or occupation of the person, or in the description of the property, thing or circumstances, or by reason of any more clerical error or defect of form and it shall be sufficient that the person, property, thing or circumstance is described sufficiently for the purpose of identification, and it shall not be necessary to name the owner or occupier of any property liable in respect of a tax.

Supplementary taxation

Any tax imposable under this Act may be increased or newly imposed by way of imposing supple-mentary taxation

225- Whenever the [Corporation][1] determines to have recourse to supplementary taxation in any financial year, it shall do so by increasing, for the unexpired portion of the said year, the rates at which any tax imposable under this Act is being levied, subject to the limit and conditions for such tax prescribed in this Act or in the orders of sanction of the State Government or by levying, with due sanction, a tax imposable under this Act but not being levied at the time being.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Bar to Jurisdiction of civil and criminal courts in matters of taxation

226- No objection shall be taken to a valuation or assessment nor shall the liability of a person to be assessed or taxed be questioned in. any other manner or before any other authority than is provided in this Act.

power to make rules

227- (1) The State Government may make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Chapter.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power such rules may provide for-

(a) matters referred to in section 219;

(b) maintenance and inspection of register regarding taxes on vehicle, boat and animal;

(c) {***}[1]

(d) {***}[1]

(e) advance payment of taxes;

(f) summary disposal of objections to distress and attachment;

(g) the conditions on which exemptions and refunds of taxes shall be allowed.

CHAPTER X

Drains and Drainage [Corporation][2] Drains

Drains to be constructed and kept in repair by the Mukhya Nagar Adhikari

228- (1) Subject to any general directions which the Executive Committee may from time to time give in this behalf, the Mukhya Nagar Adhikari shall maintain and keep in repair all [Corporation][2] drains and may with the approval of the Executive Committee construct such drains both within and without the City as shall from time to time be necessary for effectually draining the City and areas immediately around it :

Provided that no drain shall be constructed within the limits of a Cantonment without the approval of the State Government and otherwise than with the concurrence of the General Officer Commanding the Division in which such Cantonment is situated or, in the event of such concurrence being withheld, the previous sanction of the Central Government.

(2) The Mukhya Nagar Adhikari shall also, in the case of any street in which there is a [Corporation][2] drain, construct at the charge of the

[Corporation][2] Fund such portion of the drain of any premises to be connected with such a [Corporation][2] drain as it shall be necessary to lay under any part of such street and the portion of any connecting drains so laid under the street shall vest in the [Corporation][2] and be maintained and kept in repair by the Mukhya Nagar Adhikari as a [Corporation][2] drain,

1. Chapter-III of omitted by section 11 of U.P. Act No. 9 of 1991.
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Adoption by [Corporation][1] of drains and drainage or sewage disposal works

229- (1) Subject to the other provisions of this Act Mukhya Nagar Adhikari may at any time with the approval of the [Corporation][1] declare that any drain or part thereof or any drainage or sewage disposal works situate within the City or serving the City or any part thereof shall, from such date as may be specified in the declaration, become vested in the [Corporation][1] -

(2) Mukhya Nagar Adhikari in deciding whether a declaration should be made under sub-section (I) shall have regard to all the circumstances of the case and in particular, to be following considerations-

(a) whether the drain or works in question is or are adapted to or required for, any general system of drainage or drainage disposal or sewage disposal which the Mukhya Nagar Adhikari bas provided for the City or any part thereof;

(b) whether the drain is constructed under a street or under land reserved by or under the provision of this Act or any other law for the time being in force for a street;

(c) the number of buildings which the drain is intended to serve, and whether, regard being bad to the proximity of other buildings or the prospect of future development, it is likely to be required to serve additional buildings;

(d) The method of construction and state of repair of the drain or works; and

(e) whether the making of the proposed declaration would be seriously detrimental to the owner of the drain or works in question.

(3) Whenever it is proposed to make a declaration under sub-section (1), the Mukhya Nagar Adhikari shall give written notice of the proposal to the owners of the drain or works in question to show cause against it within a period of one month from the date of service and the declaration shall not be made until the expiry of the period aforesaid, or where any objection has been lodged until the objection has been disposed of.

(4) Where a declaration referred to in sub-section (l) relates to a drain or drainage or sewage disposal works 'Situate within the jurisdiction of some local authority other than the [Corporation][1] or situate within the City but serving an area, or part of an area, within the jurisdiction of such local authority, the Mukhya Nagar Adhikari shall also give notice to, that authority and no declaration shall, be made 'until either that authority has consented thereto or the State Government has dispensed with the necessity of such consent; whether un-conditionaly or subject to the such conditions as it may think fit to impose.

(5) No declaration under sub-section (I) shall be made with respect to any drain or part of a drain or any works as is or are vested in some local authority other than the [Corporation][1] or the central Government or a Railway Administration, except on

the request of the authority, the Government or Railway Administration, concerned.

(6) Any person who, immediately before the making of a declaration under sub-section/ I) was entitled to me the drain in question shall not withstanding the declaration be entitled to use it, or any drain substituted there for, to the same extent as previously.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Power of Making drains

230- (1) The Muhkya Nagar Adhikari may carry any [Corporation][1] drain through, across or under any street or any place laid out as or intended for a street or under cellar or vault which may be under any street, and after giving reasonable notice in writing to the owner or occupier, into, through or under any land whatsoever within the City or for the purpose of outfall or distribution of sewage, without the City.

(2) The Mukhya Nagar Adhikari may enter upon, and construct any new drain in the place of an existing drain in any land wherein any [Corporation][1] dram has been already lawfully constructed, or repair or alter any [Corporation][1] drain so constructed.

Alteration, etc. and discontinuance of drains

231- The Mukhya Nagar Adhikari may enlarge, alter the course of, deepen, lessen, arch over or otherwise improve any [Corporation][1] drain which has, in his opinion, become useless or unnecessary, or prohibit the use of any such drain either entirely or for the purpose of foul water drain age or for the purpose of surface drainage:

Provided that, if by reason of anything, done under this section any person is deprived of the lawful use of any drain, the Mukhya Nagar Adhikari shall as soon as may be provide, at the cost of the [Corporation][1] for his use some other drain as effectual as the one which has been discontinued, closed up or destroyed or the use of which has been prohibited.

Cleansing of drains

232- (1) The [Corporation][1] drains shall be so constructed, maintained, and kept as to create the least practicable nuisance .and shall be from time to time properly flushed, cleansed and emptied.

(2) For the purpose of flushing, cleansing and emptying the said drains, the Mukhya Nagar Adhikari may construct or set up such reservoirs, sluices, engines and other works as he shall from time to time deem necessary.

Drains of Private Streets and Drainage of Premises

Power to connect drain of private street with [Corporation][1] drain

233- The owner of a private street may, subject to his fulfilling the conditions to be prescribed connect the drain of such street with a [Corporation][1] drain.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Right of owners and occupiers of buildings and lands to drain into [Corporation][1] drains

234- (1) Subject to the other provisions of this section, the owner or occupier of any premises shall be entitled to cause his drain to empty into a [Corporation][1] drain or other place lawfully set apart for the discharge of drainage:

Provided that nothing III this sub-section shall entitle any person-

(a) to discharge directly or indirectly into any [Corporation][1] drain any trade effluent except in accordance with the provisions of section 240 or any liquid or other matter the discharge of which is prohibited by or under this Act or any other law for the time being in force;

(b) where separate [Corporation][1] drains are provided for foul water and for surface water to discharge directly or indirectly-

(i) foul water into a drain provided for surface water; or

(ii) except with the permission of the Mukhya Nagar Adhikari surface water into a drain provided for foul water; or

(c) to have his drain made to communicate direct with a storm water overflow drain.

(2) Every person desirous of availing himself of the provision of sub-section (1) shall obtain the written permission of the Mukhya Nagar Adhikari and shall comply with such conditions as the Mukhya Nagar Adhikarimay prescribe as to the mode in which and the superintendence under which connections with [Corporation][1] drains or other places aforesaid are to be made.

(3) The Mukhya Nagar Adhikari may, if he thinks fit, in lieu of giving permission aforesaid under sub-section (2) himself so connect the drain, or sewer after giving notice to the person concerned within fourteen days of the receipt of his application. In any case where the Mukhya Nagar Adhikari proceeds under this sub-section, the reasonable expenses of any work so done shall be paid by the person aforesaid.

Power of Mukhya Nagar Adhikari to require drain or pro- posed drain to be so constructed as to form part of general system

235- (1) Where a person proposes to construct a drain, the Mukhya Nagar Adhikari may, if he considers that the proposed drain is or is likely to be needed to form part of a general drainage system which the [Corporation][1] has provided or proposes to provide, require him to construct the drain in a manner differing, as regards material or size of pipes, depth, fall, direction or outfall or otherwise from the manner in which he proposes to construct, and thereupon it shall be the duty of such person to comply with the requisition of the Mukhya Nagar Adhikari.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(2) The Mukhya Nagar Adhikari shall reimburse from the [Corporation][1] [1]Fund to the person constructing a drain in accordance with sub- section (1), the extra expenditure reasonably incurred by him in complying with the requisition and until the drain becomes a [Corporation][1] drain, he shall also from time to time reimburse to him from the [Corporation][1] Fund so much of any expenses reasonably incurred by him in repairing or maintaining it as may be attributable to the requisition having been made and complied With.

connections with [Corporation][1] drains not to be made except in conformity with sections 233 and 234

236- Except as provided by sections 233 and 23A or as may be prescribed, no person shall make or cause to be made any connection of a drain belonging to himself or to some other person with any [Corporation][1] drain or other place lawfully set apart for the discharge of drainage, and the Mukhya Nagar Adhikari may, after giving notice to the person concerned, close, demolish, alter or remake any such connection made in contravention of this section, and the expenses incurred by the Mukhya Nagar Adhikari in so doing shall be paid by the owner of the street, or the owner or occupier of the premises, for the benefit of which the connection was made, or by the person offending

Right of owners and occupiers of premises to carry drain through land belonging to other persons

237- (1) If it shall appear to the Mukhya Nagar Adhikari that the, only means or the most convenient means by which the owner or occupier of any premises. can cause his drain to empty into a [Corporation][1] drain or other place lawfully set apart for the discharge of drainage, is by carrying the same into, through or under any land belonging to some person other than the said owner or occupier, the Mukhya Nagar Adhikari may, by order in writing, authorize the said owner or occupier to carry his drain into, through or under the said land ill such manner as he shall think fit to allow.

(2) No authorization shall be made under sub-section (1), except after notice to the owner of the land and considering-the objection, if any filed by him.

(3) Every such order under sub-section (I) bearing the signature of the Mukhya Nagar Adhikari shall be a complete authority to the person in, whose favour it is made, or his agent or servant to enter after reasonablewritten notice, upon the said land with assistants and, workmen, at any time between sunrise and sunset and to execute the necessary work.

(4) Subject to the provision of this Act, the owner or occupier of any premises, any agent or person employed by him for this purpose, may, after giving or tendering to the owner of any land, wherein a drain has been already lawfully constructed for the drainage of his said premises, reasonable written notice of his intention so to do, enter upon the said land with assistants and workmen at any time between sunrise and sunset and construct a new drain in the place of the existing drain or repair or alter any drain so constructed.

(5) In executing any work under this section-as little damage, as may be, shall be done, and the owner or occupier of the premises for the benefit of which, the work is done shall-

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(a) cause the work to be executed with the least practicable delay;

(b) fill in, reinstate and make good, at his own cost and with the least practicable delay, the ground or portion of any building or other construction opened, broken up or removed for the purpose of executing the said work ;

(c) pay compensation to any person who sustains, damage by the execution of the said work.

(6) If the owner of any land, into, through or under which a drain has been carried under this section whilst such land was un built upon, shall subsequently at any time desire to erect a building on such land, the Mukhya Nagar Adhikari shall by written notice require the owner or occupier of the premises for the benefit of which such drain was constructed to close, remove divert the same in such manner as shall be approved by the Mukhya Nagar Adhikari and to fill in, reinstate and make good the land as if the drain had not peen carried into, through or under the same:

Provided that no such requisition shall be made, unless in the, opinion of the Mukhya Nagar Adhikari it is necessary or, expedient, in order toadmit of the construction of the proposed building or, the safe enjoyment thereof, that the drain be closed, removed or diverted.

Mukhya Nagar Adhikari may enforce drainage of undrained premises situate with in hundred feet of Mahapa-lika drain

238- Where any premises are, in the opinion of the Mukhya Nagar Adhikari, without sufficient means of effectual drainage and a [Corporation][1] drain or some place lawfully set apart for the discharge, of drainage is situate at distance not exceeding one hundred feet from some part of the said premises the Mukhya Nagar Adhikari may, by written notice, require the owner or occupier of the said premises- -

(a) to make a drain of such material, size, description and, laid at such level and according to such alignment and emptying into such [Corporation][1] drain or place aforesaid as the Mukhya Nagar Adhikari may consider necessary or suitable;

(b) to provide and set up all such appliances and fittings as may appear to the Mukhya Nagar Adhikari necessary for the purposes of gathering and receiving the drainage from and conveying the same off the said premises and of effectually flushing such drain and every fixture connected therewith;

(c) to remove any existing drain, or other appliance or thing used or intended to be used for drainage, which in the opinion of the Mukhya Nagar Adhikari is injurious to health or to provide a closed drain in substitution of an open drain or to provide similarly such other appliances or things as he may consider necessary;

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(d) to provide and set up all such appliances and fittings as may appear to the Mukhya Nagar Adhikari to be necessary for the purpose of gathering and receiving the waste water from floors and galleries of buildings when they are washed, and conveying the same through spouts or by down take pipes, so as to prevent such waste water from discharge indirectly on streets or inside any lower portion of the premises.

Mukhya Nagar Adhikari may enforce drainage of undrained premises not situate within hundred feet of [Corporation][1]

239- Where any premises are, in the opinion of the Mukhya Nagar Adhikari, without sufficient means of effectual drainage, but no [Corporation][1] drain is situated within one hundred feet from some part of the said pre-mises, the Mukhya Nagar Adhikari may, by written notice, require the owner or occupier of the said premises -

(a) to construct a drain up to a point to be prescribed in such notice-but not distant more than one hundred feet from some part of the said premises ; or

(b) to construct a closed cesspool of such meterial, size and description in such position, at such level, and with allowance for such fall as the Mukhya Nagar Adhikari thinks necessary and also construct a drain or drains emptying into such cesspool.

Special provisions relating to trade effluent

240- Subject to the provisions of this Act, the rules and the bye- laws and any other law in that behalf, the occupier of any trade premises may, discharge into the [Corporation][1] drains any trade effluent proceeding from those premises.

Power of Mukhya Nagar Adhikari to drain premises in combination

241- (1) Where the Mukhya Nagar Adhikari is of the opinion that any group or block of premises, any part of which is situated within one hundred feet of a [Corporation][1] drain, or other place set apart by the [Corporation][1] for the discharge of drainage already existing or about to be constructed, may be drained economically or advantageously in combination than separately, the Mukhya Nagar Adhikari may cause such group or block of premises drained by such method as appears to the Mukhya Nagar Adhikari to be best suited therefor, and the expenses incurred by the Mukhya Nagar Adhikari in so doing shall be paid by the owners of such premises in such proportions as the Mukhya Nagar Adhikari thinks fit.

(2) Not less than fifteen days before any work under this section is commenced the Mukhya Nagar Adhikari shall give, written notice to the owners of all the premises to be drained, of-

(a) the nature of intended work;
(b) the estimated expenses thereof; and
(c) the proportion of such expenses payable by each owner.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(3) The owners for the time being of the several premises constituting a group or block drained under sub-section (I) shall be the joint owners of every drain constructed, erected or fixed, or continued for the special use and benefit only of such premise and shall in the proportions in which it is determined that the owners of such premises are to contribute to the expenses incurred by the Mukhya Nagar Adhikari under sub-section (1), be responsible for the expenses of maintaining every such drain in good repair and efficient condition:

Provided that every such drain shall from time to time be flushed, cleansed and emptied by the Mukhya Nagar Adhikari at the charge of the, [Corporation][1] Fund.

Mukhya Nagar Adhikari may close or limit the use of existing private drains

242- (1) Where a drain connecting any premises with a [Corporation][1] drain or other place lawfully set apart for the discharge drainage, even though such drain is sufficient for the effectual drainage of the said premises and is otherwise unobjectionable, is not, in the opinion of the Mukhya Nagar Adhikari, adapted to the general drainage system of the City or the part of the City in which such drain is situated, the Mukhya Nagar Adhikari may-

(a) subject to the provisions of sub-section (2), close, discontinue or destroy the said drain and after notice to the owner or occupier of the premises, cause any work necessary for that purpose to be done;

(b) direct that such drain shall, from such date as he may specify in this behalf, be used for sullage and sewage only, or for rain-water only or for unpolluted sub-soil water only, or for both rain water and unpolluted sub-soil water only, and by written notice require the owner or occupier of the premises to make an entirely distinct drain for rain-water or unpolluted sub-soil water or for both rain-water and unpolluted sub-soil water, or for sullage and sewage.

(2) No drain may be closed, discontinued or destroyed by the Mukhya Nagar Adhikari under clause (a) of sub-section (I) except on condition of his providing another drain as effectual for the drainage of the premises and communicating with any [Corporation][1] drain or other place aforesaid which the Mukhya Nagar Adhikari thinks fit; and the expense of the construction of any drain so provided by the Mukhya Nagar Adhikari and of any work done under the said clause shall be paid by the Mukhya Nagar Adhikari.

vesting and maintenance of drains for sole use of properties

243- Subject to the provisions of sub-section (2) of section 228 every drain which has been constructed, laid, erected or set up, whether at the expense of [Corporation][1] or not, or which is continued for the sole use and benefit of any premises or group of premises shall-

(a) notwithstanding anything contained in section 244 vest in the owner of such premises, or group of premises on and from the appointed day;

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(b) be provided with all such further appliances and fittings as may appear to the Mukhya Nagar Adhikari necessary for the more effectual working of the same, and also be maintained in good repair and efficient condition by the owner of such premises or group of premises, and be from time to time flushed, cleansed and emptied by the Mukhya Nagar Adhikari at the charge of the [Corporation][1] Fund.

Right of [Corporation][1] to drains, etc. constructed at charge of [Corporation][1] Fund on premises not belonging to [Corporation][1]

244- All drains, ventilation-shafts and pipes and all appliances and fittings connected with drainage works constructed, erected or set up at any time at the charge of the [Corporation][1] Fund or at the charge of the funds of any local authority having jurisdiction in any part of the City before the date of the establishment of the [Corporation][1] upon any premises not belonging to the [Corporation][1] and otherwise than for the sole use and benefit of the premises or group of premises shall, unless the [Corporation][1] has otherwise determined, vest in the Mahaplika.

New buildings not to be erected without drains

245- (1) It shall not be lawful newly to erect any building or re-erect any building, or to occupy any building newly erected or re-erected unless and until-

(a) a drain be constructed of such size, material and description, at such level and with such fall as shall appear to the Mukhya Nagar Adhikari to be necessary for the effectual drainage of such building;

(b) there have been provided for and set up in such building and in the premises appurtenant thereto, all such appliances and fittings as may appear to the Mukhya Nagar Adhikari to be necessary for the purposes of gathering and receiving the drainage from, and conveying the same off, the said building and the said premises, and of effectually flushing the drain of the said building and every fixture connected therewith.

(2) The drain to be constructed as aforesaid shall empty into a [Corporation][1] drain or into some place lawfully set apart for the discharge of drainage situated at a distance not exceeding one hundred feet from the premises in which such building is situated; but if no such drain or place is within that distance then such drain shall empty into such cesspool as the Mukhya Nagar Adhikari may direct.

Obligation of owners of drains to allow use or joint ownership to others

246- Every owner of a drain connected with a [Corporation][1] drain or other place lawfully set apart for the discharge of drainage shall be bound to allow the use of it to others or to admit other persons as joint owners thereof, on such terms as may be prescribed under section 247.

How right of use or joint ownership of a drain may be obtained by a person other than the owner

247- (1) Any person desiring to drain his premises into a [Corporation][1] drain through a drain of which he is not an owner, may make a private arrangement with the owner for permitting his use of the drain, or may apply to the Mukhya Nagar Adhikari for authority to use such drain or to be declared joint owner thereof.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(2) Where the Mukhya Nagar Adhikari is of opinion, whether on receipt of such application or otherwise, that the only, or the most convenient, means by which the owner or occupier of any premises can cause the drain of such premises to empty into a [Corporation][1] drain or other place legally set apart for the discharge of drainage is through a drain communicating with such [Corporation][1] drain or place aforesaid but belonging to some person other than the said owner or occupier, the Mukhya Nagar Adhikari, after giving the owner of the drain a reasonable opportunity of stating any objection thereto, may, if no objection is raised or if an objection is raised the same is -disallowed by an order in writing, either authorize the said owner or occupier to use the drain or declare him to be a joint owner thereof, on such conditions as to the payment of rent or compensation and as to connecting the drain of the said premises with the communication drain and as to the respective responsibilities of the parties for maintaining, repairing, flushing, cleansing and emptying the joint drain, or otherwise as may appear to him to be equitable.

(3) Every such order bearing the signature of the Mukhya Nagar Adhikari shall be a complete authority to the person in whose favour it is made, or to any agent or person employed by him for this purpose, after giving or tendering to the owner of the drain the compensation or rent specified in the said order and otherwise fulfilling as far as possible, the conditions of the said order and after giving to the owner of the drain reason-able written notice of his intention so to do, to enter upon the land in which the said drain is situate with assistants and workmen, at any time between sunrise and sunset, and, subject to all provisions of this Act, to do all such things as may be necessary for-

(a) connecting the two drains; or

(b) renewing, repairing or altering the connections; or

(c) discharging any responsibility attaching to the persons in whose favour the Mukhya Nagar Adhikari's order is made for maintaining, repairing, flushing, cleansing or emptying the joint drain or any part thereof.

(4) In respect of the execution of any work under sub-section (3) the person in whose favour the Mukhya Nagar Adhikari's order is made shall be subject to the same restrictions and liabilities which are specified in sub- section (4) of section 237.

Sewage and rain-water drains to be distinct

248 - Whenever it is provided in this Chapter that steps shall or may be taken for the effectual drainage of any premises, the Mukhya Nagar Adhikari may require that there shall be one drain for sullage, excrementitious matter and polluted water and another and an entirely distinct drain for rain-water and unpolluted sub-soil water, or for both rain-water and unpolluted sub-soil water each emptying into separate [Corporation]1 drains or other places lawfully set apart for the discharge of drainage or other suitable places.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Affixing of pipes for ventilation of drains, etc.

249- (1) For the purpose of ventilating any drain or cesspool, whether belonging to the [Corporation][1] or to any other person, the Mukhya Nagar Adhikari may erect upon any premises or affix to the outside any building. or to any tree any such shaft or pipe as shall appear to the Mukhya Nagar Adhikari necessary and cut through any projection from any building including the eaves of any roof thereof in order to carry up such shaft or pipe through any such projection and lay in through, or under any land such appliances as may in the opinion of the Mukhya Nagar Adhikari be necessary for connecting such ventilating shaft or pipe with the drain or cesspool intended to be ventilated.

(2) Such shaft or pipe shall be erected or affixed or removed in such a manner as may be prescribed.

(3) If the Mukhya Nagar Adhikari declines to remove a shaft, or pipe when so required by the owner of the premises, building or tree, upon or to which the same has been erected or affixed, in accordance with the rules made in this behalf, the owner may within fifteen days of the receipt by him of the reply of the Mukhya Nagar Adhikari apply to the Judge for an order that the same be removed.

(4) In the hearing and the disposal of the application under sub-section (3), the Judge shall follow such procedure as may be prescribed and the order passed by the Judge shall be final and binding upon the parties.

(5) Where the owner of any building or hind cut through, opened or otherwise dealt with under sub-section (1) is not the owner of the drain or cesspool intended to be ventilated, the Mukhya Nagar Adhikari shall, so far as practicable, reinstate and make good such building, and fill in and make good such land, at the charge of the [Corporation][1] Fund.

Disposal of Sewage

Appointment of places for emptying of drains and disposal of sewage

250- The Mukhya Nagar Adhikari may cause all or any [Corporation][1] drains to empty into any place, whether within or without the City, and dispose of the sewage at any place whether within or without the City, and in any manner which he shall deem suitable for such purpose:

Provided that-

(a) the Mukhya Nagar Adhikari shall not cause any [Corporation][1] drain to empty into any place into which a [Corporation][1] drain has not heretofore emptied, or dispose of sewage of any place or in any manner at or in which sewage has not heretofore been disposed of, without the sanction of the [Corporation][1];

(b) no [Corporation][1] drain shall be made to empty into any place, and no sewage shall be disposed of at any place or in any manner which the State Government shall think fit to disallow.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Provision of means for disposal of sewage

251- The Mukhya Nagar Adhikari may, for the purpose of receiving, treating, storing, disinfecting, distributing or otherwise disposing of sewage, construct any work within or without the City or purchase or take on lease any land, building, engine material or apparatus either within or without the City or enter into any arrangement with any person for any period not exceeding twenty years for removal or disposal of sewage within or without the City.

Water-closets, Privies, Urinals, etc.

Construction of water closets and privies

252- (1) It shall not be lawful to construct any water closet or privy for any premises except with the written permission of the Mukhya Nagar Adhikari and in accordance with such terms not being inconsistent with any rule or bye-law for the time being in force, as he may prescribe.

(2) In prescribing any such terms the Mukhya Nagar Adhikari may determine in each case-

(a) whether the premises shall be served by the water-closeter or by the privy system, or partly by one and partly by the other; and

(b) what shall be the site or position of such water-closet or privy.

(3) If any water-closet or privy is constructed on any premises in contravention of sub-section (1), the Mukhya Nagar Adhikari may, after giving not less than ten days no lice to the owner or occupier of such premises, close such water-closet or privy and alter or demolish the same, and expenses incurred by the Mukhya Nagar Adhikari in so doing shall be paid by such owner or occupier or by the per3011 offending.

Water-closets and other accommodation in buildings newly erected or re-erected

253- (1) It shall not be lawful to erect or to re-erect or convert within the meaning of section 315 any building for, or intended for, human habitation at or in which labourers or workmen are to be employed, without such water-closet or privy accommodation and such urinal accommodation and accommodation for bathing or for the washing of clothes and domestic utensils of such building as the Mukhya Nagar Adhikari may prescribe.

(2) In prescribing any such accommodation the Mukhya Nagar Adhikari may determine in each case-

(a) whether such building or work shall be served by the water-closet or by the privy system, or partly by' one and partly by the other;

(b) what shall be the site or position of each water-closet, privy, urinal or bathing or washing place and their number'

(3) In determining the accommodation to be required under sub- section (2) the Mukhya Nagar Adhikari shall have regard to the necessity of providing adequate and suitable water-closet or privies and bathing places for domestic servants employed by the occupants of the building.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Public necessities 254- The Mukhya Nagar Adhikari shall provide and maintain in proper and convenient situations water-closets, latriens, privies and urinals, and other similar convenience, for public accommodation.

Inspection

Drains etc. not be longing to [Corporation][1] to be subject to inspection and examination

255- (1) All drains, ventilation shafts and pipes, cesspools, house- gullies, water-closets, privies, latrines and urinals and bathing and washing places which do not belong to the [Corporation][1] or which have been constructed, erected or set up at the charge of the [Corporation][1] Fund on premises not belonging to the [Corporation][1], for the use or benefit of the owner or occupier of the said premises, shall be open to, inspection and examination by the Mukhya Nagar Adhikari.

(2) The Mukhya Nagar Adhikari may, in the course of an inspection or examination under sub-section (I) obtain and take away a sample of any trade effluent which is passing from the premises inspected or examined in to a [Corporation][1] drain. The analysis of such sample shall be made in the manner prescribed.

(3) The results of any analysis of the sample taken under sub-section (2) shall be admissible as evidence in any legal proceedings under this Act.

Power to open ground, etc., for purposes of inspection or examination

256- For the purpose of such inspection or examination the Mukhya Nagar Adhikari may cause the ground or any portion of any drain or other work exterior or to a building, which he shall think fit ,to be opened, broken up or removed :

Provided that in the prosecution of any such inspection and examination as little damage as possible shall be done.

Mukhya Nagar Adhikari may require repairs etc. to be made

257- When as a result of any inspection or examination under section 255 the Mukhya Nagar Adhikari finds that any drain, ventilation-shaft or pipe, cesspool, house-gully, water closet, privy, latrine, urinal or bathing or washing place is not in good order or condition or, except when the same has been erected by or under the order of the Mukhya Nagar Adhikari, if it has been constructed in contravention of any of the provisions of this Act or the rules or bye-laws or of any enactment for the time being in force, the Mukhya Nagar Adhikari may require the owner by written notice to remove the defect in such manner as he may, subject to any rules or bye- laws in force, direct.

General provisions

Prohibition of acts contravening the provisions of the Act, rule, or bye-laws or done without sanction

258- (1) No person shall-

(a) in contravention of any of the provisions of this Act or rules or bye-laws or of any notice issued or direction given under this Act or without the written permission of the Mukhya Nagar Adhikari, in any way alter the fixing, disposition or position of, or construct, erect, set up, renew, rebuild, remove, obstruct, stop up, destroy, or change any drain, ventilation shaft or pipe, cesspool, water-closet, privy, latrine or urinal or bathing or washing place or any trap, covering or other fitting or appliance connected therewith;

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(b) without the written permission of the Mukhya Nagar Adhikari, renew, rebuild or unstop any drain, ventilation-shaft or pipe, cesspool, water-closet, privy, latrine or the bathing or washing place or any fitting or appliance, which has been or has been ordered to be discontinued, demolished or stopped up under any of the provisions of this Act or the rules or bye-laws;

(c) without the written permission of the Mukhya Nagar Adhikari, make any projection over or encroachment upon or in any way injure or cause or permit to be injured, any drain, cesspool, house-gully, water-closet, privy, latrine or urinal or bathing or washing place;

Provided that nothing in this clause shall apply to any weather- shade in width hot exceeding three feet over any window which does not front a wall or window of any adjoining house;

(d) drop, pass or place, or cause or permit to be dropped, passed or placed, into or in any drain any brick, stone, earth, ashes, dung or any substance or matter which is likely to injure the drain or interfere with the free flow of its contents, or to affect prejudicially the treatment and disposal of its contents;

(e) pass or permit or cause to be passed, into any drain provided for a particular purpose any matter or liquid for the conveyance of which such drain has not been provided;

(f) except as provided by or under this Act cause or suffer to be discharged into any drain any chemical refuse or waste steam or any liquid of temperature higher than one hundred and twenty degrees Fahrenheit, being refuse or steam which when so treated is, either along or in combination with the contents of the drain dangerous or the cause of a nuisance or prejudicial to health;

(g) cause or suffer to be discharged into any drain, carbide of calcium or any such crude petroleum, any such oil made from petroleum, coal, shale or bituminous substances, or such product of petroleum or mixture containing petroleum as gives off under test an inflammable vapour at a temperature of less than seventy-three degrees Fahrenheit.

(2) If the person carrying out any work or doing any act in contravention of the clauses of sub-section (1) is not at the time of notice the owner of such building or work then the owner of such building or work shall be deemed to have been responsible for carrying out all such requisitions in the same way as the person so earring out would have been liable.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Water-closets 259- (1) No person shall injure or foul any water-closet, privy, urinal or bathing

not to be injured or improperly fouled

or washing place or any fittings or appliances in connection therewith which have been provided for the use in common of the inhabitants of one or more buildings.

(2) If any such water-closet, privy, urinal or bathing or washing place or any fitting or appliance in connection therewith or the approaches thereto or the walls, floors or seats or anything used in connection there-with are in such a state as to be nuisance or source of annoyance" to any inhabitants of the locality or passer-by for want of proper cleaning thereof, such of the persons having the use thereof as may be in default or in the absence of evidence as to Which of the persons having the use thereof in common is in default, every such person shall be deemed to have con-travened the provisions of this section.

(3) The provisions of this section shall not exempt the owner of the building or buildings from any penalty to which he may otherwise have rendered himself liable.

State Government may extend provision of Chapter outside limits of City

260- The State Government may, by order which shall be published in the official Gazette, apply to any area to be specified in the order but not lying beyond a distance of two miles from the limits of the City, the provisions of any section in this Chapter and of rules made thereunder, subject to such adaptations whether by way of modification, addition or omission, as it may deem to be necessary and expedient and thereupon the provision and rules so applied shall have effect in that area as if it were within the City.

Appeals

261- Any person aggrieved by-

(a) a declaration under sub-section (1) of section 229, or

(b) notice under sub-section (1) of section 230 to connect the drain, or sewer, or

(c) the requisition of the Mukhya Nagar Adhikari under sub-section (1) of section 235 to construct a drain in a different manner, or

(d) a notice of the Mukhya Nagar Adhikari under section 236 of his intention to close, demolish, alter or remake any connection, or

(e) an order of the Mukhya Nagar Adhikari under sub-section (1) of section 237 authorizing an owner or occupier to carry his drain, into, through or under the land of another person, or

(f) a notice of the Mukhya Nagar Adhikari under sub-section (6) of section 237 requiring the owner or occupier of any premises to close, remove or divert the drain in a particular manner, or

(g) a notice of the Mukhya Nagar Adhikari under section 239, or

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(h) a notice under clause (a) or a direction Or notice under clause (b), of sub-section (1) of section 242 issued by the Mukhya Nagar Adhikari, or

(i) a notice under sub-section (3) of section 252 of the Mukhya Nagar

Adhikari's intention to close any water-closet or privy or to alter or demolish it, or

(j) a notice under section 257 requiring the owner to remove defects in any washing place,

may, within the prescribed time and in the prescribed manner, appeal to the Judge.

power to make rules

262- (1) The State Government may make rules for the purposes of carrying into effect the provisions of the Chapter.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers such rules may provide for-

(a) filing and disposal of objections to any notice under sub-section (3) of section 229 ;

(b) the conditions and restrictions to be observed with reference to drains;

(c) the construction maintenance, improvement, alteration and discontinuance of drains;

(d) the conditions for connections with [Corporation] drains;

(e) the conditions on which occupiers of trade premises may discharge any trade effluent into [Corporation] drains;

(f) the manner in which samples of trade effluent shall be analysed :

(g) the conditions to be observed in erecting or affixing ventilation shafts or pipes under section 249 ;

(h) the construction, position and maintenance of water-closets, privies, urinals, bathing places or washing places;

(i) the manner in which the Mukhya Nagar Adhikari shall exercise his powers under sections 255 and 256 ;

(j) payment of expenses of inspection and examination under sections 255 and 256 ;

(k) the manner of filing and disposal of appeals filed under section 261 and the period within which appeals may be filed.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

CHAPTER XI

Water-supply

Construction and Maintenance of [Corporation][1] Waterworks

Power of the [Corporation][1] to construct, run or close water-works

263- For the purposes of providing the City with a supply of water, proper and sufficient, for public and private purposes, the Mukhya Nagar Adhikari may, subject to the provisions of this Act, construct, maintain, repair, alter, improve and extend waterworks either within or without the City or close any such work and substitute other such works and for the purposes aforesaid do all such acts as may be incidental or necessary, including in particular-

(i) the carrying of such works through, across, over or under any street or place and after reasonable notice in writing to the owner or occupier, into, through, over or under any building or land;

(ii) purchasing or taking on lease any waterworks or right to store or to take or convey water either within or without the limits of [Corporation][1].

Inspection of water-works

264- (1) The State Government may appoint any person for the purposes of inspecting any waterworks referred to in section 263 or any water connection and such person shall have liberty to enter upon and inspect any such waterworks or water connection.

(2) The Mukhya Nagar Adhikari and any person appointed under sub-section (1) may, for the purpose of inspecting, repairing Or executing any work in, upon or in connection with any waterworks, or water connection at all reasonable times-

(a) enter upon and pass through any land within or without the City, adjacent to or in the vicinity of such waterworks, or water connection in whomsoever such land may vest;

(b) cause to be conveyed into and through any such land all necessary men, materials, tools and implements.

(3) In the exercise of any power conferred by this section, as little damage as can be, shall be done, and compensation for any damage which may be done in the exercise of any of the said powers-shall be paid from the funds of the [Corporation],

(4) Where any. person has been appointed by the State Government for the purposes of inspection under sub-section (1) he shall, as soon as may be, submit his report to the Mukhya Nagar Adhikari who shall without delay lay it before the Executive Committee which shall then forward it to the State Government with its comments.

(5) The State Government shall upon receipt of the report with the comments, if any, of the Executive Committee, consider it and communicate its decision to the [Corporation][1] and the [Corporation][1] shall be bound to implement the decision of he State Government, subject to funds being available for the purpose.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Fire-hydrants to be provided by

265- The Mukhya Nagar Adhikari shall provide, maintain and repair fire-hydrants and all incidental works for the supplying of water in case of fire at all

the [Corporation][1] such places as shall be deemed to be necessary.

Power of carrying water-mains, etc. 266- (1) For the purpose of carrying, renewing and repairing water mains, pipes and ducts within or without the City, the Mukhya Nagar Ahdikari shall have the same powers and be subject to the same restrictions as he has, and is subject to, under the provisions hereinbefore contained for carrying, renewing and repairing drains within the City.

(2) This section shall apply in respect of carrying, renewing and repairing private water-mains, pipes and ducts as it applies in respect of carrying, renewing, and repairing, [Corporation][1] water-mains, pipes and ducts.

Prohibition of certain acts affecting the [Corporation][1] water- works 267- (1) Except with the prior written sanction of the Mukhya Nagar Adhikari, no person shall erect or re-erect any building, wall or structure of any kind or construct any street or minor railway over any [Corporation][1] water-mains.

(2) Except with the permission of the [Corporation][1], no person shall--

(a) erect any building for any purpose whatsoever on any part of such area as shall be demarcated by the Mukhya Nagar Adhikari near any lake, tank, well, reservoir or river from which a supply of water is derived for a [Corporation] water- works;

(b) remove, alter, injure, damage or in any way interfere with the demarcation works of the area aforesaid;

(c) extend, alter or apply to any purpose different to that which the same has been heretofore applied, any building already existing within the area aforesaid; or

(d) carryon, within the area aforesaid, any operation of manufacture, trade or agriculture in any manner or do any act what so ever, whereby injury may arise to any such lake, tank, well, reservoir or river or to any portion thereof or whereby the water of any such lake, tank, well, reservoir or river may be fouled or rendered less wholesome.

(3) Except as hereinafter provided, no person shall-

(a) cause or suffer to percolate or drain into or upon any [Corporation][1] waterworks or to be brought there into or thereupon anything or to be done any act, whereby the water therein may in any way be fouled or polluted or its quality altered:

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(b) alter the surface of any [Corporation][1] land adjacent to or forming part of any such work by digging therein to or depositing thereon any substance;

(c) cause or suffer to enter into the water in such work any animal;

(d) throw or put anything into or upon the water in such work;

(e) bathe in or near such work; or

(f) wash or cause to be washed in or near such work any animal or thing.

Remedy against acts in contrivention of section 267 and removal of latrines, etc. near any source of water-supply

268- (1) For any building, wall or structure erected or re-erected in contravention of the provisions of sub-section (I) of section 267 or any building erected in contravention of clause (a) of sub-section (2) of section 267, the Mukhya Nagar Adhikari may, with the approval of the Executive Committee, cause the same to be removed or otherwise dealt with as shall appear fit to him and the expenses thereby incurred shall be paid by the person offending.

(2) If any person persists in acting in contravention of the provisions of clauses (b), (c) and (d) of sub-section (2) of section 267, the Mukhya Nagar Adhikari may, with the approval of the Executive Committee, take measures including the use of such minimum force, as may be necessary, to stop further contravention of the provisions of the aforesaid clauses.

(3) The Mukhya Nagar Adhikari may by notice require the owner or occupier on whose land a drain, privy, latrine, urinal, cesspool or other receptacle for filth or refuse exists within fifty feet of a spring, well, tank, reservoir, river or other source from which water is, or may be; derived for public use, to remove or close the same within one week from the service of such notice and if such owner or occupier fails to comply with the demand within the time allowed, the Mukhya Nagar Adhikari, may cause the same to be removed or closed and the expenses thereby incurred shall be paid by the person offending .

Obligations of [Corporation] imposing water-tax

269- Where water-tax is levied on any building or land it shall be incumbent on the Mukhya Nagar Adhikari to make provision; for supply of water to owners and occupiers of such buildings or land in such manner, during such time and in such quantity as may be prescribed by rules:

Provided that the Mabapalika shall not be liable to any forfeiture, penalty or damages for failure to supply water if the same arises from accident or from unusual drought or other unavoidable causes.

Prohibition of fraudulent and unauthorised use of water .

270- (1) No person shall fraudulently dispose of any water supplied to him by the [Corporation][1].

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(2) No person to whom a private supply of water is furnished by the [Corporation][1] shall, except when the water-supply is charged for by measurement, permit any person who does not reside on premises in respect of which water taxis paid to carry away water from the premises to which it is supplied.

(3) No person who does not reside on premises in respect of which water-tax is paid shall carry away water from any premises to which the private supply is furnished by the [Corporation][1], unless in any case in which supply is charged for by measurement, he does so with the permission of the person to whom the said supply is furnished.

Power to make rules

271- (1) The State Government may make rules for the purpose of earring into effect the provisions of this Chapter.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers such rules may provide for-

(a) the maintenance, cleansing, efficient running and closure of a private water course, etc. within the limits of the [Corporation][1];

(b) the provision for suitable measures for the inspection, disinfecting of any well, tank or other places from which water is likely to be taken for the purpose of drinking and for such steps as may be deemed necessary to prevent removal of water from the same;

(c) the supply of water by agreement to any owner or occupier of a land or building within the limits of the [Corporation][1] with conditions and rates therefor;

(d) purpose for the supply of water;

(e) precedence in' the matter of supply of water for domestic purpose over all other purposes ;

(f) the installation of water meters and connection pipes;

(g) the size and nature of the meters, pipes, stand-pipes or pumps and hydrants, the manner in which they will be laid, constructed, controlled and maintained, with a view to maintain an efficient supply of water;

(h) the mains or pipes in which fire plugs are to be fixed and the places at which keys of the fire plugs are to be deposited;

(i) the periodical analysis by a qualified analyst of the water-supply by the [Corporation][1];

(j) the conservation and prevention of injury or contamination to sources and means of water supply and appliances for the distribution of water, whether within or without the limits of the [Corporation][1] ;

(k) the manner in which' connections with water works may be constructed or maintained and the agency which shall or may be employed for such construction or maintenance;

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(l) the regulation of all matters for the supply of water including the turning on and turning off and preventing the waste of water, and

(m) the supply of water outside the limit of the [Corporation][1] and the collection of water-taxes and of charges relating to such supply and the prevention of evasion of the taxes

CHAPTER XII

Streets

Construction, Maintenance and Improvement of Streets

Vesting of public streets in Mabapalika

272- (1) Subject to any special reservation made by the State Government from time to time all streets within the City being, or which at any time become, public streets, except streets which on the appointed day vested in the State Government or the Central Government or after the said day may be constructed and maintained by an authority other than the Mabapalika, with the soil, sub-soil and the side drains, foot ways, pavements, stones and other materials thereof, shall vest in the [Corporation][1] and be under the control of the Mukhya Nagar Adhikari.

(2) The State Government may after consulting the [Corporation][1] by notification withdraw any such street with the soil, sub-soil and the side drains, footways, pavements, stones and other materials thereof from the control of the [Corporation][1].

Power of Mukhya Nagar Adhikari in respect of public streets

273- (1) The Mukhya Nagar Adhikari shall from time to time cause all public streets vested in the [Corporation][1] to be levelled, metalled or paved, channelled, altered and repaired as occasion shall require, and may also from time to time widen, extend or otherwise improve any such street or cause the soil to be raised, lowered, or altered and may place and keep in repair fences and posts for the safety of pedestrians:

Provided that no widening, extension or other improvement of a public street, the aggregate cost of which will exceed five thousand rupees or such higher amount as the [Corporation][1] may from time to time fix, shall be undertaken by the Mukhya Nagar Adhikari unless or until such undertaking has been authorised by the [Corporation][1].

(2) With the sanction of the [Corporation][1] given in accordance with the rules and bye-laws in force in that behalf, the Mukhya Nagar Adhikari may turn, divert, discontinue the public use of, or permanently close the whole or any part of a public street vested in the [Corporation][1] and upon such closure may, subject to the previous sanction of the State Government and the [Corporation]1 dispose of the site of such street, or of the portion thereof which has been closed, as land vesting in the [Corporation][1].

Power to make new public streets

274- The Mukhya Nagar Adhikari when authorized by the [Corporation][1] in this behalf, may at any time-

(a) layout and make a new public street;

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(b) agree with any person for the making of a street for public use through the land of such person, either entirely at the expense of such person or partly at the expense of such person and partly at the expense of the [Corporation][1], and may further agree that such street shall, on completion, become a public street and vest in the [Corporation][1] ;

(c) construct tunnels, bridges, causeways and other works subsidiary to

the layout and making of a new public street;

(d) divert or turn an existing public street vested in the [Corporation][1] or a portion thereof.

minimum width of new public street

275- (1) The [Corporation][1] shall from time to time specify the minimum width for different classes of public streets according to the nature of the traffic likely to be carried thereon, the localities in which they are situated, the heights up to which buildings abutting thereon may be erected and other similar considerations.

(2) The width of a new public street made under section 274 shall not be less than prescribed under sub-section (I) for the class to which. it belongs, and no steps and, except with the written permission of the Mukhya Nagar Adhikari under section 293 no other projections shall project over or extend into any such street.

(3) The Mukhya Nagar Adhikari may, with the approval of the Executive Committee, by written notice require the owner or occupier of any premises to remove or to take such order as he may direct with any premises to remove or to take such order as he may direct with any projection existing within the minimum width of any street specified, under sub-section (1):

Provided that if in any such case the projection was lawfully erected or setup compensation shall be paid by the Mukhya Nagar Adhikari to every person who sustains loss or damage by the removal or alteration thereof.

power to adopt, construct or alter any subway, bridge, etc.

276- The Mukhya Nagar Adhikari when authorized by the [Corporation][1] in this behalf, may agree with any person-

(a) to adopt and maintain any existing or projected sub-way, bridge, viaduct or arch, and the approaches thereto, and may accordingly adopt and maintain such sub-way, bridge, viaduct or arch and approaches as parts of public streets, or as property vested in the [Corporation][1], or

(b) for the construction or alteration of any such sub-way, bridge, viaduct or arch or for the purchase or acquisition of any adjoining land required for the foundations and support thereof or for the approaches thereto, either entirely at the expense of such person or partly at the expense of such person and partly at the expense of the [Corporation][1].

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Power to prohibit use of public streets for certain kinds of traffic

277- (1) It shall be lawful for the Mukhya Nagar Adhikari with the sanction of the [Corporation][1] to-

(a) prohibit vehicular traffic in any particular public street vesting in the [Corporation][1] so as to prevent danger, obstruction or in-convenience to the public by fixing up posts at both ends of such street or portion of such street;

(b) prohibit in respect of all public streets, or particular public streets the transit of any vehicle of such form, construction, weight or size or laden with such heavy or unwieldy objects as may be deemed likely to cause' injury to the roadways or any construction thereon, or risk or obstruction to other vehicles or to pedestrians along or over such street or streets, except under such conditions as to time, mode of traction or locomotion, use of appliances for protection of the roadways, number of lights and assistants, and other general precautions and the payment of special charges as may be specified by the Mukhya Nagar Adhikari generally or specially in each case.

(2) Notices of such prohibition as are imposed under sub-section (I) shall be posted up in conspicuous places at or near both ends of the- public streets or portions thereof to which they relate, unless such prohibitions apply generally to all public streets.

Power to acquire premises for improvement of public streets

278- (1) The Mukhya Nagar Adhikari may, subject to the provisions of this Act and the rules-

(a) acquire any land required for 'the purpose of opening, widening, extending, diverting or otherwise improving any public street, bridge or sub-way or of making any new public street, bridge or sub-way and the buildings, if any, standing upon such land;

(b) acquire in addition to the said land and the buildings, if any, standing thereon, all such land with the buildings, if any, standing thereon, as it shall seem expedient in the public interest to acquire outside of the regular line, or of the intended regular line, of such streets;

(c) lease, sell or otherwise dispose of any land or building acquired under clause (b).

(2) The acquisition of land for providing, extending or improving a place for the parking of vehicles shall be deemed to be acquisition of land for the purpose of providing, extending or improving a public street.

(3) Any conveyance of land or of a building under clause (c) of sub- section (1) may comprise such conditions as the Mukhya Nagar Adhikari thinks fit, as to the removal of the existing building, the description of new building to be erected, the period within which such new building shall be completed and other such matters.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

power to prescribe street lines

279- (1) The Mukhya Nagar Adhikari may prescribe a line on one or both sides of any public street:

Provided that every regular line of a public street operative under any law for the time being in force in any part of the City on the day immediately preceding the appointed day shall be deemed to be a line prescribed under this Act until a fresh line is prescribed by the Mukhya Nagar Adhikari under this section :

Provided further that whenever it is proposed to prescribe a fresh line in substitution for any existing line or for any part thereof, previous approval of the Executive Committee shall be had.

(2) The line for the time being prescribed shall be called the regular line of the street.

(3) A register with plans attached shall be kept by the Mukhya Nagar Adhikari showing all public streets in respect of which a regular line of the street has been prescribed and such register shall contain such particulars as to the Mukhya Nagar Adhikari may appear to be necessary and shall be open to inspection by any person upon payment of such fee as may from time to time be prescribed by the Executive Committee.

(4) (a) Subject to the provisions of sub-section (5) no person shall construct or reconstruct any portion of any building on arid within the regular line of the street except with the written permission of the Mukhya Nagar Adhikari and in accordance with the conditions imposed therein and the Muhkya Nagar Adhikari shall in every case in which he gives such permission, at the same time, report his reasons in writing to the Executive Committee.

(b) No person shall construct or re-construct any boundary wall or a portion of a boundary wall within the regular line of the street except with the written permission of the Mukhya Nagar Adhikari :

Provided that if, within sixty days after the receipt of an application from any person for permission to construct or reconstruct a boundary wall or a portion thereof, the Mukhya Nagar Adhikan fails to acquire the land within the regular line of the street under section 282, the person may, subject to any other provisions of this Act or the rules or bye-laws, proceed with the work of construction or reconstruction of such boundary wall or a portion thereof, as the case may be.

(5) (a) When the Mukhya Nagar Adhikari grants permission under clause (a) of sub-section (4) for the construction or reconstruction of. any building on land within the regular line of the street he may require the owner of the building to execute an agreement binding himself and his successors in-title not to claim compensation in the event of the Mukhya Nagar Adhikari at any time thereafter calling upon him or any of his successors by written notice to remove any work carried out in pursuance of such permission or any portion thereof and to pay the expenses of such removal if, in default, such removal is carried out by the Mukhya Nagar Adhikari.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(b) The Mukhya Nagar Adhikari may before granting such permission require the owner to deposit in the [Corporation][1] office an amount sufficient in his opinion to cover the cost of removal and such compensation, as may be payable to any successor-in-title or transferee of such building.

Setting back buildings to the regular line of the street

280- (1) If any building or any part of a building abuting on a public street is within the regular line of the street, the Mukhya Nagar Adhikari may, whenever it is proposed-

(a) to rebuild such building or to take down such building to an extent exceeding one-half thereof above the ground level, such half to be measured

in cubic feet; or

(b) to remove, reconstruct or make any addition to or structural alteration in any portion of such building which is within the regular line of the street,

require such building to be set back to the regular line of the street.

(2) When any building or any part thereof within the regular line of the street falls down or is burnt down or is taken down whether under the provision of this Act or otherwise, the Mukhya Nagar Adhikari may at once take possession on behalf of the [Corporation][1] of the portion of land within the regular line of the street theretofore occupied by the said building and, if necessary, clear the same.

(3) Land acquired under this section shall thence forward be deemed a part of the public street and shall vest, as such, in the [Corporation][1].

Additional power of Mukhya Nagar Adhikari to order setting back of buildings to regular line of street

281- (1) Where any building or any part thereof is within the regular line of a public street and if, in the opinion of the Mukhya Nagar Adhikari it is necessary to set back the building to the line of the street he may, if the provisions of section 280 do not apply, by written notice require the owner of such building to show cause within a period to be specified, why such building or any part thereof which is within the regular line of the street be not pulled down and the land within the said line acquired by the Mukhya Nagar Adhikari.

(2) If in pursuance of the notice under sub-section (1) the owner fails to show sufficient cause to the satisfaction of the Mukhya Nagar Adhikari the Mukhya Nagar Adhikari may, with the approval of the Executive Committee, require the owner by a written notice to pull down the building or the part thereof which is within the. regular line of the street within a period to be specified in the notice.

(3) If within the period specified in the notice under sub-section (2) the owner of such building fails to pull down the building or any part thereof coming within the said line, the Mukhya Nagar Adhikari may pull down the same and recover all the expenses incurred in so doing from the Owner.

(4) The Mukhya Nagar Adhikari shall also take possession on behalf of the [Corporation][1] of the portion of the land within the said line thereto- fore occupied by the said building and such land shall then ceforward be deemed a part of the public street and shall vest, as such, in the [Corporation][1].

(5) Nothing in this section shall be deemed to apply to buildings vesting in the State.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Acquisition of open land or of land occupied by platforms, etc. within regular line of street

282- If any land not vesting in the [Corporation][1] whether open or closed, lies within the regular line of a public street and is not occupied by a building, or if a platform, verandah, step, compound wall, hedge or fence or some other structure external to a building, abutting on a public street or a portion or a platform, verandah, step, compound wall, hedge, or fence or other such structure, is within the regular line of such street, the Mukhya Nagar Adhikari may, after giving to the owner of the land or building not less than fourteen clear days written notice of his Intention to do so, and after hearing any objection which may be filed during this time take possession on behalf of the [Corporation][1] of the said land within its enclosing wall, hedge or fence, if any,

or of the said platform, verandah, step or other such structure as afore said or of the portion of the said platform, verandah, step or other such structure as aforesaid which is within the regular line of the street and, if necessary, clear the same and the land so acquired, shall thenceforward be deemed a part of the public street:

Provided that when the land or building is vested in the State Government or the Central Government, possession shall not be taken as aforesaid, without the previous sanction of the Government concerned and, when the land or building is vested in any [Corporation][1] constituted by any law for the time being in force, possession shall not be taken as aforesaid, without the previous sanction of the State Government.

Acquisition of the remaining parts of building and land after their portions within a regular line of the street are acquired

283- (1) If a building or land is partly within the regular line of a public street and if the Mukhya Nagar Adhikari is satisfied that the land remaining after the exclusion of the portion within the said line will not be suitable or fit for any beneficial use, he may, at the request of the owner, acquire such land in addition to the land within the said line and such surplus land shall be deemed to be a part of the public street vesting in the [Corporation][1].

(2) Such surplus land may thereafter be utilized for the purpose of setting forward of buildings under section 284.

Setting forward of buildings to the line of the street

284- (1) If any building which abuts on a public street is in rear of the regular line of such street, the Mukhya Nagar Adhikari may, when-ever it is proposed-

(a) to rebuild such building, or

(b) to alter or repair such building in any manner that will involve the removal or re-erection of such building, or of the portion thereof which abuts on the said street to an extent exceeding one- half of such building or portion thereof above the ground level, such half to be measured in cubic feet,

in any order which he issues concerning the rebuilding, alteration or repair of such building, permit or with the approval of the Executive Committee, require such building to be set forward to the regular line of the street.

(2) For the purpose of this section, a wall separating any premises from a public street shall be deemed to be a building; and it shall be deemed to be a sufficient compliance with a permission or requisition to set forward a building to the regular line of a street if a wall of such materials and dimensions as are approved by the Mukhya Nagar Adhikari, is erected along the said line.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Compensation to be paid and betterment charges to be levied

285- (1) Compensation shall be paid by the Mukhya Nagar Adhikari to the owner of any building or land required for a public street under sections 280,281,282 or 283 for any loss which such owner may sustain inconsequence of his building or land being so acquired and for any expense incurred by such owner in consequence of the order made by the Mukhya Nagar Adhikari :

Provided that-

(i) any increase or decrease in the value of the remainder of the property of which the building or land so acquired formed part likely to accrue from the setback to the regular line of the street shall be, taken into consideration and allowed for in determining the amount of such

compensation;

(ii) if any such increase in value exceeds the amount of loss sustained or expenses incurred by the said owner, the Mukhya Nagar Adhikari may recover from such owner half the amount of such excess as a betterment charge.

(2) If in consequence of an order to set forward a building made by the Mukhya Nagar Adhikari under section 284, the owner of such building sustains any loss or damage, compensation shall be paid to him by the Mukhya Nagar Adhikari for such loss or damage after taking into, account any increase in value likely to accrue from the set-forward.

(3) If the additional land which will be included in the premises of any person required or permitted under section 284 to set forward a building belongs to the [Corporation][1], the order or permission of the Mukhya Nagar Adhikari to set forward the building shall be sufficient conveyance to the said ow.ner of the said land and the price to be paid to the [Corporation][1] by the said owner for such additional land and the other terms and conditions of the conveyance shall be set forth in the said order or permission.

(4) If, when the Mukhya Nagar Adhikari requires a building to be set forward, the owner of the building is dissatisfied with the price fixed to be paid to the [Corporation][1] or any of the other terms or conditions of the conveyance, the Mukhya Nagar Adhikari, shall, upon the application of the said owner at any time within fifteen days after the said terms and conditions are communicated to him refer the case for the determination of the Judge.

Provisions regarding Private Streets

Owner's obligation to make a street when disposing of land as building sites

286- If the owner of any land utilizes, sells, leases or otherwise disposes of such land or any portion or portions of the same as site for the construction of buildings, he shall save in such cases as the site or sites may abut on an existing public or private street, lay down and make a street or streets or road or roads giving access to the site or sites and connecting with an existing public or private street.

Notice of laying out lands for building and for private streets

287- (1) Every person who intends-

(a) to sell or let on lease any land subject to a covenant or agreement on the part of a purchaser or lessee to erect buildings thereon;

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(b) to divide land (whether un-built or partly built) into building plots; or

(c) to use any land or a portion thereof or permit the same to be used for building purposes; or

(d) to make or layout a private street, whether it is intended to allow the public a right of passage or access over such street or not;

shall give written notice of his intention to the Mukhya Nagar Adhikari in the manner laid down in the rules and bye-laws.

(2) The Mukhya Nagar Adhikari shall proceed with the notice under sub-section (1), in the manner prescribed by rules and bye-laws and subject to such general directions as the Executive Committee may give in this behalf from time to time, determine the laying out of land for building, the dimensions and

area of each building plot, the level, direction, width and means of drainage of every private street, the kind and number of trees to be planted and reared beside such streets and the height and means of drainage and ventilation of and access to all buildings to be erected on such land or on either side of such street;

Provided that if the Mukhya Nagar Adhikari neglects or omits for sixty days after the receipt of t he notice under sub-section (1) or of the plans, sections, descriptions, schemes, or further information, if any, called for under the rules, to communicate to the person who gave the notice his disapproval with regard to any of the matters such person may, by a written communication call the attention of the Mukhya Nagar Adhikari to the neglect or omission and if such neglect or omission continues for a further period of thirty days from the date of the receipt of the written communication by the Mukhya Nagar Adhikari, the proposal of the said person shall be deemed to have been approved by the Mukhya Nagar Adhikari :

Provided further that nothing contained herein shall be construed to authorize any person to act in contravention of any provisions of the Act or any bye-laws.

(3) When the Mukhya Nagar Adhikari signifies in writing to the said person his approval of the said work under certain conditions or without any conditions, or when the said work is deemed to have been approved by the Mukhya Nagar Adhikari as aforesaid, the said person may at any time Within one year from the date of the delivery of the notice under sub-section (1) to the Mukhya Nagar Adhikari, proceed with the said work in accordance with the intention-as described in the notice or in any of the documents aforesaid and in accordance with the condition, if any, prescribed by the Mukhya Nagar Adhikari, but not so as to contravene any of the provisions of this Act or any rule or bye-law.

Land not to be appropriated for building and private street not to be laid out until expiration of notice

288- (1) No person shall sell, let, use or permit the use of any land whether undeveloped or partly developed for building or divide any such land into building plots, or make or layout any private street-

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(a) without complying with the provisions of section 286:

(b) unless such person has given previous written notice of his intention as provided in section 287 nor until the expiration of sixty days from delivery of such notice, nor otherwise than in accordance with such directions (if any), as may have been fixed and determined under sub-section (2) of section 287;

(c) after the expiration of the period of one year specified in sub-section (3) of section 287:

Provided that if a person who is entitled to proceed with any work under sub-section (3) of section 287 fails so to do within the period of one year specified therein he may at any time give fresh notice of his intention to execute such work and such notice shall be treated as a new notice under sub-section (1) of section 287;

(d) unless such person gives written notice to the Mukhya Nagar Adhikari of the date on which he proposes to proceed with any work which he is entitled to carry out and commences such work within seven days of the date mentioned in the notice.

(2) If any act be done or permitted in contravention of this section the Mukhya Nagar Adhikari may by written notice require any person doing or permitting such act-

(a) to show cause on or before such day as shall be specified in such notice by statement in writing subscribed by him in that behalf and addressed to the Mukhya Nagar Adhikari, why the laying out, plotting, street or building contravening this section should not be altered to the satisfaction of the Mukhya Nagar Adhikaari, or, if that be in his opinion impracticable, why such street or building should not be demolished or removed or why the land should not be restored to the condition in which it was prior to the execution of the unauthorized work, or

(b) to attend personally or by an agent duly authorized by him in that behalf on such day and at such time and place as shall be specified in such notice and show cause as aforesaid.

(3) If such person shall fail to show cause to the satisfaction of the Mukhya Nagar Adhikari why such street or building should not be so altered, demolished or removed or why such land should not be so restored, the Mukhya Nagar Adhikari may cause the work of alteration, demolition, removal or restoration to be carried out and the expenses thereof shall be paid by the said person.

(4) In a case of contravention of the provisions of section 286, the Mukhya Nagar Adhikari, may, instead Of taking action as provided in sub-section (3), proceed to make a street or streets or road or roads giving access to the site or sites referred to in section 286 and connecting with an existing public or private street and recover the amount of expenditure incurred in doing so from the owner or owners of the site or sites in such proportion or in such manner as may be prescribed.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Levelling and drainage of private streets and means of access

289- (1) If any private street or any other means of access to a building be not levelled, metalled, flagged or paved, sewered, drained, channelled, lighted, or provided with trees for shade to the satisfaction of the Mukhya Nagar Adhikati, he may, with the sanction of the Executive Committee, by written notice, require the owner or owners of the several premises fronting or adjoining the said street or other means of access or abutting thereon or to which access is obtained through such street or other means of access or which will benefit by works executed under this section to carry out anyone or more of the aforesaid requirements in such manner as he shall direct.

(2) If the requirement or requirements is or are not carried out within the time and in the manner specified in the notice, the Mukhya Nagar Adhikari may, if he thinks fit, carry out the same and the expenses incurred shall be recovered from the owner or owners in default under Chapter XXI.

(3) Where the recovery is to be made from two or more owners in default, it shall be made according to the frontage of their respective premises and in such proportion as may be settled by the Executive Committee.

Powers to declare private streets as public streets

290- (1) When any private street has been levelled, metalled, flagged or paved, sewered, drained, channelled and made good to the satisfaction of the Mukhya Nagar Adhikari he may and, upon the request of the owners or of any of the owners of such street, shall, if lamp-posts and other apparatus necessary for lighting such street have been provided to his satisfaction, declare the same to be a public street by notice in writing put up in any part of such street, and thereupon the same shall become a public street and vest in the [Corporation][1] as such:

Provided that no such street shall become a public street, if, within one month after such notice has been put up, the owner of such street or the greater part thereof shall by notice in writing to the Mukhya Nagar Adhikari, object thereto.

(2) The Mukhya Nagar Adhikari may, by public notice in writing put up in any part of a street which is not a public street and is not covered by sub-section (I), give intimation of his intention to declare the same a public street. Within two months after such notice has been so posted up the owner or owners of such street may lodge objections at the office of the [Corporation][1] against the notice. The Executive Committee shall consider the objections lodged and if it rejects them the Mukhya Nagar Adhikari shall by further public notice posted up in such street or such part declare the same to be a public street.

Applicability of sections 289 and 290 when a street is in part public and in part private

291- If a portion only of any street is a public street, the other portion of such street may for all purposes of sections 289 and 290 be deemed to be a private street.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Projections and Obstructions

Prohibition of projection upon streets, etc.

292- (1) Except as provided in section 293, no person shall erect, set up, add to, or place against or in front of any premises any structure or fixture, which will-

(a) overhang, jut or project into, or in any way encroach upon or obstruct in any way the safe or convenient passage of the public along, any street, or

(b) jut or project into or encroach upon any drain or open channel in any street, so as in any way to interfere with the use or proper working of such drain or channel or to impede the inspection or cleansing thereof.

(2) The Mukhya Nagar Adhikari may, by written notice, require the owner or occupier of any premises to remove or to take such other order as he may direct with any structure or fixture which has been erected, set up, added

to or placed against, or in front of, the said premises in contravention of this section or of any law in force in the City on the day immediately preceding the appointed day.

(3) If the occupier of the said premises removes or alters any structure or fixture in accordance with such notice, he shall be entitled, unless the structure or fixture was erected, set up or placed by himself, to credit in account with the owner of the premises for all reasonable expenses incurred by him in complying with the said notice.

(4) If any such structure or fixture as is described in sub-section (1) has been erected, set up, added to, or placed against or in front of any premises at any time before the first day of April, 1901, the Mukhya Nagar Adhikari may give notice as aforesaid to the owner or occupier of the said premises:

Provided that if in any such case the structure or fixture was lawfully erected, set up, added to or placed, compensation shall be paid by the Mukhya Nagar Adhikari to every person who sustains loss or damage by the removal or alteration thereof:

Projections over streets may be permitted in certain cases

293- (1) The Mukhya Nagar Adhikari may give a written permission; on such terms as he shall in each case think fit, to the owner or occupier of any building abutting on any street-

(a) to erect an arcade over such street or any portion thereof, or

(b) to put up a verandah, balcony, arch, connecting passage, sunshade, weather-frame, canopy, awning or other such structure or thing projecting from any storey over or across any street or portion thereof:

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Provided that no permission shall be given by the Mukhya Nagar Adhikari for the erection of an arcade in any public street in which the construction of arcade has not been generally sanctioned by the [Corporation][1] or where the width of the street between kerbs is less than sixty feet.

(2) The provisions of section 292 shall not be deemed to apply to any arcade, verandah, balcony, arch connecting passage, sun-shade, weather frame, canopy, awning or other structure or thing erected or put up under and in accordance with the terms of a permission granted under this section.

(3) The Mukhya Nagar Adhikari may at any time, by written notice, require the owner or occupier of any building to remove a verandah, balcony, sunshade, weather-frame or the like put up in accordance with the provisions of sub-section (1) and such owner or occupier shall be bound to take action accordingly but shall be entitled to compensation for the loss caused to him by such removal and the cost incurred thereon.

Ground floor doors etc. not to open out-wards on streets

294- (1) No door, gate, bar or ground floor window shall without a licence from the Mukhya Nagar Adhikari, be hung or placed so as to open outwards upon any street.

(2) The Mukhya Nagar Adhikari may at any time, by written notice, require the owner of any premises on the ground floor of which any door, gate, bar or window opens outwards upon a street, or upon any land required for the improvement of a street, in such manner as, in the opinion of the Mukhya Nagar Adhikari, to obstruct the safe or convenient passage of the public along such street, to have the said door, gate, bar or window altered so as not to open outwards.

Other prohibit-tions relating to streets

295- (1) No person shall, except with the permission of the Mukhya Nagar Adhikari under section 293 or 300 erect or set up any wall, fence, rail, post, step, booth or other structure whether fixed or movable and whether of a permanent or a temporary nature, or any fixture, in or upon any street or upon or over any open channel, drain, well or tank in any street so as to form an obstruction to, or an encroachment upon, or a projection over, or to occupy. any portion of such street, channel, drain, well or tank:

Provided that nothing in this section shall be deemed to apply to any erection or thing to which clause (c) of sub-section (I) of section 302 applies.

(2) No person shall except with the written permission of the Mukhya Nagar Adhikari--

(a) place or deposit upon any street, or upon any open channel, drain or well in any street or in any public place any stall, chair, bench, box, ladder, bale or other thing whatever, so as to form an obstruction thereto or encroachment thereon;

(b) project at a height of less than twelve feet from the surface of the street, any board or chair, beyond the line of the plinth of any building over any street, or over any open channel, drain, well or tank in any street;

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(c) attach to, or suspend from, any wall or portion of a building abutting on a street, at a lower height than aforesaid anything whatever:

Provided that nothing in clause (a) applies to building materials.

(3) No person shall tether any animal or cause or permit the same to be tethered by any member of his family or house-hold, in any public street and any animal tethered as aforesaid may be removed by the Mukhya Nagar Adhikari, or by any [Corporation][1] officer or servant, who shall deal therewith as with an animal found straying.

Mukhya Nagar Adhikari may, without notice, remove anything erected, deposited or hawked or exposed (or sale

296- The Mukhya Nagar Adhikari, may, without notice, cause to be removed-

(a) any wall, fence, rail, post, step, booth or other structure whether fixed or movable and whether of a permanent or a temporary nature or any fixture which shall be erected or set up in or upon or over any street or upon or over any open channel, drain, well or tank contrary to the provisions of this Act after the appointed day;

in contravention of Act

(b) any stall, chair, bench, box, ladder, bale, board or shelf, or any other thing whatever placed, deposited, projected, attached or suspended in, upon from or to any place in contravention of this Act;

(c) any article whatsoever hawked or exposed for sale in a public place or in any public street in contravention of the provisions of" this Act and any vehicle, package, box or any other thing in or on which such article is placed.

Power to require trimming of hedges and trees

297- The Mukhya Nagar Adhikari may, by notice, require the Owner or occupier of any land to cut or trim the hedges growing thereon and bordering 0n a street, or any branches of trees growing thereon which overhang a street and obstruct the same or cause danger.

Power to remove accidental obstructions

298- When a private house, wall or other erection or any thing fixed thereto or a tree shall fall down and obstruct a public drain or encumber a street the Mukhya Nagar Adhikari may remove such obstruction or encumbrance at the expense of the owner of the same and may recover such expense in the manner provided by Chapter XXI, or may, by notice, require the owner to remove the same within a time to be specified in the notice.

Power to require removal of any structure or fixture erected or set up before the appointed day

299- (1) The Mukhya Nagar Adhikari may, by written notice, require the owner or occupier of any premises contiguous to, or in front of, or in connection with which any wall, fence, rail, post, step, booth or other structure or fixture which it would be unlawful to erect or set up under this Act, has been erected or set up before the appointed day, to remove the said wall, fence, rail, post, step, stall or other structure or thing.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(2) If the owner or occupier of the premises proves that any such projection, encroachment or obstruction has existed for a period sufficient under the law of limitation to gave him a prescriptive title (or where such period is less than thirty years, a period of thirty years), or that it was erected with the consent of any [Corporation][1] authority duly empowered in that behalf, and that the period, if any, for which the consent is valid has not expired, the [Corporation][1] shall make reasonable compensation to every person who suffers damage by the removal or alteration of the same.

Mukhya Nagar Adhikari may permit booths etc. to be erected on festivals

300- With the concurrence of the District Magistrate or such other officer as the District Magistrate may nominate in this behalf from time to time the Mukhya Nagar Adhikari may grant a written permission for the temporary erection of a booth and any other such structure on any such street on occasions of ceremonies and festivals.

Provisions concerning execution of works in or near to streets

Execution of

301- Whenever there is any work in execution in or near to any street on behalf

works in or near to streets

of the [Corporation][1] the Mukhya Nagar Adhikari shall take such step in regard to safety and convenience as he may be required to take under the rules. Whilst any such work as aforesaid or any work which may lawfully be executed in a street is in progress the Mukhya Nagar Adhikari may in the manner laid down in rules close the street wholly or partly for traffic or for traffic of any such description as he may deem fit.

Streets not to be opened or broken up and building materials not to be deposited thereon without permission

302- (1) No person other than the Mukhya Nagar Adhikari or a [Corporation][1] Officer or servant as such shall, without the written permission of the Mukhya Nagar Adhikari or without other lawful authority-

(a) open, break up, displace, take up or make any alteration, in or cause any injury to, the soil or pavement, or any wall, fence, port; chain or other material or thing forming part of any street or in any open space vested in the [Corporation][1];

(b) deposit any building materials in any street or open space vested in the [Corporation][1];

(c) set up in any street or open space vested in the [Corporation][1] any scaffold or any temporary erection for the purpose of any work whatever, or any posts, bars, rails, board or other things by way of enclosure, for the purpose of making mortar or depositing bricks, lime, rubbish or other materials.

(2) Any permission granted under clause (b) or (c) of sub-section (1) shall be terminable at the discretion of the Mukhya Nagar Adhikari, on his giving not less than twenty-four hours written notice of the termination thereof to the person to whom such permission was granted.

(3) The Mukhya Nagar Adhikari may, without notice- ---

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(a) cause the soil or pavement or any wall, fence, post, bar or other material or thing forming part of the street to be restored to the condition it was in or alteration or injury made or done without the permission of the Mukhya Nagar Adhikari under sub-section (1) ;

(b) except in cases in which permission has been applied for under clause (b) of sub-section (1) for the deposit of building materials in any street and no reply has been sent to the applicant within seven days from the date of the application, cause to be removed any building materials, or any scaffold, or any temporary erection, or any posts, bars, rails, boards or other things by way of enclosure, which have been deposited or set up in any street without the permission or authority specified in sub-section (1), or which, having been deposited or set up with such permission or authority, have not been removed within the period specified in the notice issued under sub-section (2).

Precautions for public safety to be taken by person to whom

303- (1) Every person to whom any permission is granted under section 302 shall, at his own expense, cause the place where the soil or pavement has been opened or broken up or where he has deposited building materials, or set up any scaffold, erection or other thing, to be properly fenced and guarded, and, in all cases in which

permission is granted under section 302

the same is necessary to prevent accidents, shall cause such place to be well lighted during the night.

(2) Every person to whom permission is granted under section 302 to open or break up the soil or pavement of any street, or who, under other lawful authority, opens or breaks up the soil or pavement of any street, shall with all convenient speed complete the work for which the same shall be opened or broken up, and fill in the ground and reinstate and make good the street or pavement so opened or broken up without delay to the satisfaction of the Mukhya Nagar Adhikari :

Provided that if the said person shall fail to reinstate and make good the street or pavement as aforesaid, the Mukhya Nagar Adhikari may restore such street or pavement, and the expenses incurred by the Mukhya Nagar Adhikari in so doing shall be paid by the said person.

(3) The Mukhya Nagar Adhikari may, by written notice, require any person to whom permission is granted under section 302 to open or break up the soil or pavement of any street, or who under any other lawful authority, opens or breaks up the soil or pavement of any street for the purpose of executing any work, to make provisions to his satisfaction for the passage or diversion of traffic for securing access to the premises approached from such street and for any drainage, water supply or means of lighting which may be interrupted by reason of the execution of the said work.

buildings at corners of streets

304- (1) The Mukhya Nagar Adhikari may, with the approval of the Executive Committee, require by written order the corner of any building which has already been erected or which is to be newly erected or which is to be reconstructed or repaired and which is situated at the junction of two or more streets to be rounded or splayed off to such height and in such manner as he may determine and may also in such order impose such conditions as he deems necessary as to the construction of a compound wall or fence or hedge or any other structure whatsoever or the planting or retention of any tree on the premises appurtenant to such building.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(2) Compensation shall be paid by the Mukhya Nagar Adhikari for any loss or damage caused by the issue of an order under sub- section (l).

(3) In determining such compensation, allowance shall be made for any benefit accruing to the same premises from the improvement of the streets.

Sky-signs and Advertisements

Regulations as to sky-signs

305- (1) No person shall, without the written permission of the Mukhya Nagar Adhikari, erect, fix or retain any sky-sign of the kind prescribed by rules whether existing on the appointed day or not. Such written permission shall be granted, or renewed, for any period not exceeding two years from. the date of each such permission or renewal, subject to the condition that such permission shall be deemed to be void if-

(a) any addition is made to the sky-sign except for the purpose of making it secure under the direction of the Mukhya Nagar Adhikari;

(b) any change is made in the sky-sign or any part thereof;

(c) the sky-sign or any part thereof fall either through accident, decay or any other cause;

(d) any addition or alteration is made to, or in, the building or structure upon or over which the sky-sign is erected, fixed or retained, involving the disturbance of the sky-sign or any part thereof;

(e) the building or structure upon or over which the sky-sign is erected, fixed or retained becomes unoccupied or be demolished or destroyed.

(2) Where any sky-sign shall be erected, fixed or retained after the appointed day upon or over any land, building or structure, save and except as permitted as hereinbefore provided the owner or person in occupation of such land, building or structure shall be deemed to be the person who has erected, fixed or retained such sky-sign in contravention of the provisions of this section, unless he proves that such contravention was committed by a person not in his employment or under his control, or was committed without his connivance.

(3) If any sky-sign be erected, fixed or retained contrary to the provisions of this section, or after permission for the erection, fixing or retention thereof for any period shall have expired or become void, the· Mukhya Nagar Adhikari may, by written notice, require the owner or occupier of the land, building or structure upon or over which the sky-sign is erected, fixed or retained, to take down and remove such sky-sign.

Regulation and control of advertisements

306- (1) The Mukhya Nagar Adhikari may, by notice in writing, require the owner or the person in occupation of any land, building, wall, hoarding or structure to take down or remove within such period as is specified in the notice, any advertisement upon such land, building, wall, hoarding or structure.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(2) If the advertisement is not taken down or removed within such period, the Mukhya Nagar Adhikari may cause it to be taken down or removed, and the expenses reasonably incurred on taking down or removal thereof shall be paid by such owner or person.

(3) The provisions. of this section shall not apply to any advertisement which-

(a) is exhibited within the window of any building;

(b) relates to the trade or business carried on within the land or building upon which such advertisement is exhibited or to any sale or letting of such land or building or any effects therein, or to any sale, entertainment or meeting to be held upon or in the same;

(c) relates to the business of any railway administration;

(d) is exhibited within any railway station or upon any wall or other property of a railway administration, except any portion of the surface of such wall or property fronting any street.

Dangerous places and places where some work affecting human safety or convenience is carried on

Hoards to be set up during work on any building adjacent to street

307- (1) No person who proposes to build, take down or rebuild any building or wall, or to alter or repair any part of any building or wall, shall in any case in which the footway in any adjacent street will be thereby obstructed or rendered less convenient, commence doing so without first having caused to be put up a proper and sufficient hoard or fence, with a convenient platform and hand-rail if there be room enough for the same and the Mukhya Nagar Adhikari shall think the same desirable, to serve as a footway for passengers outside of such hoard or fence.

(2) No hoard or fence shall be so put up without the previous written permission of the Mukhya Nagar Adhikari, and every such hoard or fence, put up with such permission, with such platform and hand-rail as aforesaid, shall be continued standing and maintained in good condition, to the satisfaction of the Mukhya Nagar Adhikari, by the person who carries on the work, during such time as may be necessary for the public safety and convenience and, in all cases in which the same is necessary to prevent accidents, the said person shall cause such hoard or fence to be well lighted during the night.

(3) The Mukhya Nagar Adhikari may, by written notice require the person aforesaid to remove any hoard or fence so put up.

Mukhya Nagar Adhikari to take proceedings for repairing or closing danger-ous place or places where some work affe-ctting safety or convenience is carried on

308- (1) If any place is, in the opinion of the Mukhya Nagar Adhikari, for want of sufficient repair, protection or enclosure or owing to some work being carried on thereupon dangerous to passengers along a street, or to the neighborhood thereof or if any such work, in the opinion of the Mukhya Nagar Adhikari, affects the safety or convenience of such persons, he may by notice in writing require the owner or occupier thereof to repair, protect or enclose the said place or take such other step as shall appear to the Mukhya Nagar Adhikari necessary in order to prevent danger there from or to ensure safety or convenience of such persons.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(2) The Mukhya Nagar Adhikari may, before giving any such notice or before the period of any such notice has expired, take such temporary measurers as he thinks fit to prevent danger from the said place or to ensure safety or convenience at such work, and any expense incurred by the Mukhya Nagar Adhikari in taking such temporary measure shall be paid by the owner or occupier of the place to which the said notice refers.

Protective measures during demolition work

309- (1) No person who proposes to take down a building or a part thereof, shall commence doing so without providing in addition to such hoard or fence which he may be required to provide under section 307, screens extending to the full height of such building on all sides thereof so as to prevent pollution of the surrounding air with dust or injury or damage caused by the falling of any debris, bricks, wood and other material.

(2) If any such work is commenced in contravention of sub-section (l) the Mukhya Nagar Adhikari may cause it to be stopped forthwith and any person carrying it out to be removed from the premises by a police officer.

Lighting of Streets

Public streets to be lighted

310- (1) The Mukhya Nagar Adhikari shall---

(a) take measures for lighting in· a suitable manner the public streets, [Corporation][1] gardens and open spaces and [Corporation][1] markets and all buildings vesting in the [Corporation][1] ;

(b) procure, erect and maintain such number of lamps, lamp-posts and other appurtenances as may be necessary for the said purpose: and

(c) cause such lamps to be lighted by means of oil, gas, electricity or such other light as the [Corporation][1] shall from time to time determine.

(2) The Mukhya Nagar Adhikari may place and maintain electric wires for the purpose of lighting such lamps under, over, along or across, and posts, poles, standards, stays, struts, brackets, and other contrivances for carrying, suspending or supporting lamps or electric wires in or upon any immovable property without being liable to any Claim for compensation therefor:

Provided that such wires, posts, poles, standards, stays, struts, brackets and other contrivances shall be so placed as to occassion the least practicable inconvenience or nuisance to any person.

Watering of streets

Measures for watering streets

311- The Mukhya Nagar Adhikari may-

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(a) take measures for having the public street watered at such time and seasons and in such manner as he shall think fit ;

(b) procure and maintain such vehicles, animals and apparatus as he shall think fit for the said purpose

Miscellaneous

Prohibition of removal etc. of lamps, or any Mahapahka property on streets

312- (1) No person shall, without lawful authority, take away, or wilfully break, throw down or damage-

(a) any lamp, lamp-post or lamps-iron set up in any public street or in any [Corporation][1] garden, open space or market or building vesting in the [Corporation][1];

(b) any electric wire for lighting any such lamps;

(c) any post, pole, standard, stay, strut, bracket or other contrivance for carrying, suspending or supporting any such electric wire or lamp;

(d) any property of the [Corporation][1] on any street;

and no person shall wilfully extinguish the light or damage any

appurtenance of any such lamp.

(2) If any person shall, through negligence or accident or otherwise break any lamp set up in any public street or [Corporation][1] market, garden or public place or building vesting in the [Corporation][1] or shah break or damage any property of the [Corporation][1] on any street, he shall pay the expenses of repairing the damage so done by him.

State Government may extend provision of Chapter outside limits of city

313- The State Government may, by order which shall be published in the official Gazette, apply to any area to be specified in the order but not lying beyond a distance of two miles from the limits of the City, the provisions of any section in this Chapter and of rules made thereunder, subject to such adaptations whether by way of modification, addition or omission as it may deem to be necessary and expedient and thereupon, the provisions and rules 'so applied shall have effect in that area as if it were within the City.

Power to make rules

314- (1) The State Government may make rules for the purposes of carrying into effect the provisions of this Chapter.

(2) without prejudice to the generality of the foregoing powers such rules may provide for-

(a) manner in which the [Corporation][1] shall sanction the closing of any public street and the disposal of the site of such street under section 273;

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(b) manner in which the sanction of the Executive Committee to prescribe a fresh street line in place of any existing line shall be given under section 279;

(c) manner in which a person shall give notice of his intention to sell, let, etc, land for building purposes or to layout a private street under section 287 and the procedure to be adopted by the Mukhya Nagar Adhikari in dealing with such notice including, asking for more information or authenticated plan, etc;

(d) steps to be taken under section 301 by the Mukhya Nagar Adhikari for safety and, convenience of the public when any work in or near to streets is in execution.

CHAPTER XIII

Building Regulations

Notice Regarding Erection etc. of Buildings

definition

315- In this Chapter the expression "to erect building" shall include-

(a) subject as may be prescribed by rules the re-erection of a substantial portion or any existing building;

(b) the conversion into a dwelling house of any building or part of a building not originally intended or already used for human habitation;

(c) the conversion by any structural alteration of a single tenement or two or more tenements in a building into a greater or lesser number of dwelling houses so as to affect its drainage or sanitary arrangement or its stability;

(d) the conversion by any structural alteration of any building into a place of religious worship or into a sacred building not originally meant or constructed for such purpose;

(e) the covering or roofing of an open space between walls or buildings as regards the structure which is formed by roofing or covering such space;

(f) the conversion into a stall, shop, warehouse or godown of a building not originally constructed for any such use;

(g) the construction in a wall adjoining any street or land not vested in the owner of the wall, a door opening on such street or land, and

(h) any other operation declared by a bye-law made in this behalf to be deemed to be erection of a building.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

notice of erection of building

316- Every person intending to erect a building shall give to the Mukhya Nagar Adhikari a notice in writing of his intention to do so in such form and manner and containing such particulars as may be prescribed by bye-laws.

notice of repairs, alteration etc. in building

317- Every person intending-

(a) to make any addition to a building;

(b) to make any alteration or repairs to a building, not being a frame-building, involving the removal or re-erection of any external or party wall thereof or of any wall which supports the roof thereof to an extent exceeding one-half of such wall above the plinth level, such half to be measured in superficial feet;

(c) to make any alteration or repairs to a frame-building, involving the removal or re-erection of more than one-half of the posts or beams in any such -wall thereof as aforesaid, or involving the removal-or re-erection of any such wall thereof as aforesaid, to, an extent exceeding one-half of such wall above plinth level, such half to be measured in superficial feet;

(d) to make any alteration in a building involving- ---

(i) the sub-division of any room in such building so as to convert the same into two or more separate rooms;

(ii) the conversion of any passage or space in such building into a room or rooms;

(iii) to repair, remove, construct, re-construct or add to any portions of a building abutting on a street which stands within the regular line of such street;

(e) to carry out any work in a building involving---

(i) the construction or re-construction of a roof;
(ii) the conversion of a roof into a terrace;

(iii) the conversion of a terrace into a roof; or

(iv) the construction of a lift shaft;

(f) to carry out any repairs to a building involving the construction of a floor of a room (excluding the ground floor);

(g) to permanently close any door or window in an external wall; or

(h) to remove or re-construct the principal staircase or to alter its position,

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

shall give notice in writing to the Mukhya Nagar Adhrkari in such form and containing such information as may be required to be furnished under the bye-laws framed therefor and accompanied by such documents and plans as may be prescribed.

Rejection of plan, etc. if not drawn in the prescribed man-ner or where the applicant fails to supply the parti-culars called for by the Mukhya Nagar Adhikari

318- Any plan, section, description, structural drawings or structural calculations and any notice not fulfilling the conditions prescribed therefor or in respect of which the further particulars or details are not supplied to the Mukhya Nagar Adhikari within such period as may be fixed by him, shall not be treated as sufficient and valid for the purposes of this Act.

Period within which Mukhya Nagar Adhikari is to grant or refuse to grant permission to execute work

319- Within thirty days after the receipt of any application made under section 316 or section 317 or of any information or of documents or further information or documents required under rule, or bye-laws the Mukhya Nagar Adhikari shall by written order either grant such permission or refuse on one or more of the grounds mentioned in section 321 or section 322 to grant it.

Reference to Executive Committee if Mukhya Nagar Adhikari delays grant or refusal of approval or

320- (1) If, within the period laid down in section 318 or section 319, as the case may be; the Mukhya Nagar Adhikari has neither given nor refused his permission to erect building or to execute work referred to in section 317 as may have been applied for, the Executive Committee shall be bound, on the written request of the applicant, to determine by written order whether such .approval or permission should be given or not.

permission

(2) If the Executive Committee does not, within one month from the receipt of such written request, determine whether such permission should be given or not, such permission shall be deemed to have been given and the applicant may proceed to execute the work, but not so as to contravene any of the provisions of this Act or any rules or bye-laws made under this Act.

Grounds on which approval of site for or permission to construct or reconstruct building may be refused

321- (1) The only grounds on which permission to erect a building or to execute any work referred to in section 317 may be refused, are the following, namely-

(a) that the work or the use of the site for the work or any of the particulars comprised in the site plan, ground plan, elevations, sections, or specifications would contravene some specified provision of any law or some specified order, rule, declaration or bye-law made under any law;

(b) that the application for such permission does not contain the particulars or is not prepared in the manner required under rules or bye-laws or is not signed as required under rules or bye-laws;

(c) that any information or documents required by the Mukhya Nagar Adhikari under the rules or bye-laws has or have not been duly furnished;

(d) that the proposed building would be an encroachment upon Government or [Corporation][1] and;

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(e) that the site of such building does not abut on a street or a projected street, and there is no access to such building from any such street by a passage or pathway appertaining to 'Such site and not less than 12 feet wide at any part;

(f) that the site of the proposed building is of the nature specified in section 323;

(g) that the site for the work forms a part of the areas, lay-out plan of which has not been sanctioned as provided in section 287;

(h) that the use of the proposed building or plan is not in conformity with the Master Plan of the City framed under section 383.

(2) Whenever the Mukhya Nagar Adhikari or the Executive Committee refuses to grant permission to erect a building or to execute any work referred to in section 317 the reasons for such refusal shall be specifically stated in the order.

Special powers for suspending permission to construct buildings

322- Notwithstanding anything contained in section 321 if any street shown in the site-plan is an intended private street the Mukhya Nagar Adhikari may at his discretion refuse to grant permission to construct a building, until the street is commenced or completed.

Restriction of the power to sanction construction of a

323- Notwithstanding anything contained in this Act or any rule or bye-law made thereunder, the construction of, or any addition to, any building of public entertainment or any addition thereto, shall not, except with the previous approval of the State Government, be sanctioned by the Mukhya Nagar

place of entertainment in certain cases

Adhikari or the Executive Committee, if the site of, or proposed for such building is-

(a) within a radius of one furlong from-

(i) any residential institution attached to a recognized educational institution such as a college, high school or girls school; or

(ii) a public hospital with a large indoor patient ward; or

(iii) an orphanage containing one hundred or more inmates; or

(b) in any thickly populated residential area which is either exclusively residential or reserved or used generally for residential as distinguished from business purposes; or

(c) in any area reserved for residential purposes by any housing or planning scheme or otherwise under any enactment:

Provided that no permission to construct any building intended to be used for cinematograph exhibition shall be given unless the Executive Committee is satisfied that sanction to the plans and specifications have been obtained in accordance with the rules framed under the Cinematograph Act, 1918.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Commencement of Work

Erection of building or execution of work how to be carried out

324- Every person intending to erect a new building or to execute any work referred to in section 317 shall erect the building or execute the work in such manner, under such supervision, through such qualified agency and subject to such conditions and restrictions as may be provided therefor by the bye-laws.

Inspection by Mukhya Nagar Adhikari of building in course of erection alteration etc,

325- The Mukhya Nagar Adhikari or any Officer or servant of the [Corporation][1] authorized in this behalf may, at any time during the erection of the building or the execution of any work referred to in section 317, or within three months of the completion of such building or work, make an inspection thereof and if he has reasonable ground to suspect that in the erection of any such building or in the execution of any such work anything has been done contrary to any provisions of this Act or of any rule or bye- law framed thereunder, he may after 15 days prior notice in writing to the person erecting such building or executing such work cut into or lay open or pull down such portion, if any, of the building as prevents the discovery of facts sufficient to confirm or dispel the suspicion:

Provided that the person whose building or construction has been cut into or laid open shall be paid compensation by the Mukhya Nagar Adhikari for the damage caused to his building or work because of the aforesaid Act, where it is found that in the erection of the building or the execution of such work nothing was done by him contrary to the provisions of this Act.

Enforcement of provisions

326- Where the Mukhya Nagar Adhikari at any time during the erection of the building or the execution of such work as aforesaid or at any time within three

concerning buildings and works

months after the completion thereof, whether as a result of his inspection or otherwise comes to know of any matter In respect of which the erection of such building or the execution of such work is in contravention of any provision of this Act or of any rule or bye-law framed thereunder, he may require the owner erecting or executing or who has erected or executed the said building or work, to cause, anything done contrary to any such provision, rule or bye-law, to be amended or to do anything which by any such provision, rule or bye-law, may be required to be done but which has been omitted to be done.

Proceedings to be taken in respect of building or work commenced contrary to Act, rules or bye-laws

327- (1) If the erection of any building or the execution of any such work as is referred to in section 317 is commenced or carried out contrary to the provisions of the rules or by-laws, the Mukhya Nagar Adhikari, unless he deems it necessary to take proceedings in respect of such building or work under section 328 shall---

(a) by written notice, require the person who is erecting such building or executing such work or has erected such building or executed such work on or before such day as shall be specified in such notice, by a statement in writing subscribed by him or by an agent duly authorized by him in that behalf and addressed to the Mukhya Nagar Adhikari, to show sufficient cause, why such building or work shall not be removed, altered or pulled down, or

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(b) require the said person on such day and at such time and place as shall be specified in such notice to attend personally or by an agent duly authorized by him in that behalf, and show sufficient cause why such building or work shall not be removed, altered or pulled down.

(2) If such person shall fail to show sufficient cause, to the satisfaction of the Mukhya Nagar Adhikari, why such building or work shall not be removed, altered or pulled down the Mukhya Nagar Adhikari may remove, alter or pull down the building or work and the expenses thereof shall be paid by the said person.

Power of Mukhya Nagar Adhikari to cancel permission on ground of material mis-representation by applicant

328- If at any time after permission to proceed with any building or work has been given under this Act, the Mukhya Nagar Adhikari is satisfied that such permission was granted in consequence of any material misrepresentation or fraudulent statement contained in the notice given or information furnished under section 316 or 317, or further information, if any, furnished, he may cancel such permission and any work done thereunder shall be deemed to have been done without his permission.

Completion certificates, permission to occupy or use

329- (1) Every person shall, within one month after the completion of the erection of a building or the execution of any such work as is referred to in section 317, deliver or send or cause to be delivered or sent to the Mukhya Nagar Adhikari at his office, notice in writing of such completion, accompanied by a certificate in the form prescribed in the bye-laws signed and subscribed in the manner so prescribed, and shall give to the Mukhya Nagar Adhkari all necessary facilities for the inspection of such building or of such work and shall apply for permission to occupy the building.

(2) No person shall occupy or permit to be occupied any such building, or

use or permit to be used the building or part thereof affected by any work, until-

(a) permission has been received from the Mukhya Nagar Adhikari in this behalf, or

(b) the Mukhya Nagar Adhikari has failed for twenty-one days after receipt of the notice of completion to intimate his refusal of the said permission:

Provided that an application under sub-section (1) may be made and permission of the Mukhya Nagar Adhikari to occupy given in respect of part of a building also where the Mukhya Nagar Adhikari is satisfied that part has become habitable.

Dangerous structures

Periodic inspection of buildings

330- (1) It shall be incumbent on the owner of every building to maintain every part thereof and everything appurtenant thereto in such repair as to prevent its becoming dangerous.

(2) The Mukhya Nagar Adhikari may by written notice require the owner of any building to get the building inspected at such intervals and in such manner as may be prescribed in the bye-laws.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(3) The owner shall within two months of the inspection under sub- section (2) undertake such repairs as the inspection shall show to be necessary for the purpose of securing the stability of structure within the meaning of section 331, after complying with all the provisions of this Act and the rules and bye-laws in regard to such repairs and shall, on Completion of such repairs, submit to the Mukhya Nagar Adhikari a certificate signed by the person who made the inspection, of his having carried out the repairs saris, factorily.

(4) A report of every inspection made under sub-section (2) shall forthwith be submitted to the Mukhya Nagar Adhikari by the person who carried it out and the Mukhya Nagar Adhikari may take such action in respect of such building as he deems fit under this section or under any other provision Of this Act if the owner fails to comply with the requirements of sub-section (3).

(5) The expenses incurred by the Mukhya Nagar Adhikari under sub-section (4) shall be paid by the owner.

Removal of structures etc. which are in ruins or likely to fall

331 - (1) If it shall at any time appear to the Mukhya Nagar Adhikari that any structure (including under this expression any building, wall, parapet, pavement, floor, steps, railing, door or window frames or shutters or roof, or other structure and anything affixed to or projecting from or resting on, any building, wall, parapet or other structure) is in a ruinous condition' or likely to fall, or in any way dangerous to any person occupying, resorting to or passing by such structure or any other structure or place in the neighborhood thereof, the Mukhya Nagar Adhikari may, by written notice, require the owner or occupier of such structure to pull down, secure, remove or repair, such structure or thing or do one or more of such things and to prevent all causes of danger therefrom.

(2) The Mukhya Nagar Adhikari may also, if he thinks fit, require the said

Owner or occupier by the said notice, either forwith or before proceeding to pull down, secure, remove or repair the said structure or thing, to set up a proper and sufficient hoard or fence for the protection of passers-by and other persons, with a convenient platfrom and hand-rail, if there be room enough for the same and the Mukhya Nagar Adhikari shall think the same desirable, to serve as a footway for passengers outside of such board or fence.

(3) If it appears to the Mukhya Nagar Adhikari that the danger from a structure which is ruinous or about to fall is imminent he may, before giving notice as aforesaid or before the period of notice expires, fence off, take down, secure or repair the said structure or take steps or cause such work to be executed as may be required to arrest the danger.

(4) Any expenses incurred by the Mukhya Nagar Adhikari under sub-section (3) shall be paid by the owner or occupier of the structure.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(5) (a) Where the Mukhya Nagar Adhikari is of opinion whether on receipt of an application or otherwise that the only or the most convenient means by which the owner or occupier of a structure such as is referred to in sub-section (1) can pull down, secure, remove or repair such structure, is by entering any of the adjoining premises belonging to some other person the Mukhya Nagar Adhikari after giving such person a reasonable opportunity of stating any objection may, if no such objection is raised or if any objection which is raised appears to him invalid or insufficient, by an order in writing, authorize the said owner or occupier to enter such adjoining premises.

(b) Every such order bearing the signature of the Mukhya Nagar Adhikari shall be a sufficient authority to the person in whose favour it is made, or to any agent or person employed by him for this purpose, after giving to the owner of the premises reasonable written notice of his intention so to do, to enter upon the said premises with assistants and workmen, at any time between sunrise and sunset, and to execute the necessary work.

(c) In executing any work under this section as little damage as can be, shall be done to the adjoining owner's property, and the owner or occupier of premises for the benefit of which the work is done, shall-

(i) cause the work to be executed with the least practicable delay;

(ii) pay compensation to any person who sustains damage by the execution of the said work.

Dangerous opening in buildings

332- If it shall at any time appear to the Mukhya Nagar Adhikari that any opening in any part of a building is so situated as to constitute a danger to human life, he may, by written notice, require that such opening shall be

enclosed or protected by bars, grills or such other device to his satisfaction.

works unlawfully carried on

Power of Mukhya Nagar Adbikari to direct removal of person directing un- lawful work

333- (1) If the Mukhya Nagar Adhikari is satisfied that the erection of, any building or the execution or any such work as is referred to in section 317 has been unlawfully commenced or is being unlawfully carried on upon any premises he may, by written notice, require the person dire ting or carrying on such erection or execution to stop the same forthwith.

(2) If such erection or execution is not stopped forthwith, the Mukhya Nagar Adhikari may direct that any person directing or carrying on such erection or execution shall be removed from such premises by any police officer and may cause such steps to be taken as he may consider necessary to prevent the re-entry of such person on the premises without his permission.

(3) The cost of any measures taken under sub-section (2) shall be paid by the said person.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Power to vacate premises

Power of the Mukhya Nagar Adhikari to vacate any building in certain circumstances

334- (1) Notwithstanding the provisions of any other law to the contrary, the Mnkhya Nagar Adhikari may, by notice in writing specifying the grounds therefor, order any building or any portion thereof to be vacated forthwith or within such time as may be specified in the notice-

(a) if such building or portion thereof has been unlawfully occupied in contravention of section 329 ;

(b) if a notice has been issued in respect of such building or part there-of requiring the alteration or reconstruction of any existing staircase, lobby, passage or landing, and the works specified in such, notice have not been commenced or completed ;

(c) if the building or part thereof is in a ruinous or dangerous condition within the meaning of section 331.

(2) The affixing of such written notice on any part of such premises shall be deemed a sufficient intimation to the occupiers of such building or portion thereof.

(3) On the issue of a notice under sub-section (I) every person in occupation of the building or portion thereof to which the notice relates shall vacate such building or portion as directed in the notice and no person shall so long as the notice is not withdrawn enter the building or portion thereof except for the purpose of carrying out any work which he may lawfully carry out.

(4) The Mukhya Nagar Adhikari may direct that any person who acts in contravention of sub-section (3) shall be removed from such building or part thereof by any police officer.

(5) The Mukhya Nagar Adhikari shall, on the application of any person who

has vacated any premises in pursuance of a notice under sub- section (1), reinstate such person in the premises on the withdrawal of such notice, unless it is in his opinion impracticable to restore substantially the same terms of occupation by reason of any structural alteration or demolition.

(6) The Mukhya Nagar Adhikari may direct the removal from the said premises by any police officer of any person who obstructs him in any action taken under sub-section (5) and may also use such force as is reasonably necessary to affect entry in the said premises.

Regulation of certain classes of buildings in particular streets or localities

Power to regulate future construction of certain classes of buildings in particular streets or localities

335- (1) The Mukhya Nagar Adhikari may give public notice of his intention to declare subject to any valid objection that may be preferred within a period of three months-

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(a) that in any streets or portions of streets specified in such notice the elevation and construction of the frontage of all buildings or any classes of buildings thereafter erected or re-erected shall in respect of their architectural features be such as the [Corporation][1] may consider Suitable to the locality;

(b) that in any localities specified in the notice there shall be allowed the construction of only detached or semi detached buildings or both and the land appurtenant to each such building shall be of an area not less than that specified in such notice;

(c) that the minimum size of building plots in particular localities shall be of a specified area ;

(d) that in any localities specified 10 the notice the construction of more than a specified number of buildings on each acre of land shall not be allowed ; or

(e) that in any streets, portions of streets or localities specified in such notice the construction of shops, warehouses, factories, huts or buildings designed for particular use shall not be allowed without the special permission of the Mukhya Nagar Adhikari granted in accordance with general regulations flamed by the Executive Committee in this behalf and subject to the terms of such permission only.

(2) The Executive Committee shall consider all objections received within a period of three months from the publication of such notice, and shall then submit the notice with a statement of objections received and of its opinion thereon to the [Corporation][1].

(3) No objection received after the said period of three months shall be considered.

(4) Within a period of two months after the receipt of the same the [Corporation][1] shall submit all the documents referred to in sub-section (2) with a statement of its opinion thereon to the State Government,

(5) The State Government may pass such orders with respect to such declaration as it may think fit :

Provided that such declaration shall not thereby be made applicable to any street, portion of a street or locality not specified in the notice issued under sub-section (1).

(6) The declaration as confirmed or modified by the State Government shall be published in the official Gazelle and shall take effect from the date of such publication.

(7) No person shall erect or re-erect any building in contravention of any such declaration.

Power of Mukhya Nagar Adhikari in cases of contravention of provisions of section 335

336- The Mukhya Nagar Adhikari shall have power to take such action against the persons contravening the provisions of section 335 as may be prescribed by bye-laws or rules.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Abandoned or unoccupied premise

337- If it appears to the Mukhya Nagar Adhikari that any building. or structure has been abandoned or is unoccupied and has become a resort of disorderly persons or is by reason of its condition seriously detrimental to the amenities of the neighborhood, the Mukhya Nagar Adhikari may give a written notice to the owner of such building ,or structure if he is known and found to be a resident within the limits of the [Corporation][1] or to any person who is known or believed to claim to be the owner, if such person is resident within the limits of the [Corporation][1], and shall also affix a copy of the notice on some conspicuous part of the building or structure requiring all persons having any right or interest therein to take such order with the said building or structure as may, in the opinion of the Mukhya Nagar Adhikari, be necessary to prevent the same from being resorted to as aforesaid or from being seriously detrimental to the amenities in the neighborhood.

Power to prohibit re- erection of building on inaccessible sites

338- (1) If any building so situated as to be inaccessible to a fire-engine or as to cause obstruction to a fire-engine from reaching other building is demolished or destroyed by fire or otherwise, the Mukhya Nagar Adhikari may by a notice in writing addressed to the owner of the building demolished or destroyed as aforesaid direct that no building shall be erected which would be inaccessible to a fire engine or which would cause obstruction to a fire-engine from reaching other buildings.

(2) No person shall erect or re-erect any building in contravention of a notice, vide sub-section (I).

Removal of building materials from any premises in certain cases

339- If it appears to the Mukhya Nagar Adhikari that any stones, rafters, building materials or debris of building materials are stored or collected in or upon any premises in such quantity or bulk or in such a way as to constitute a harborage or breeding place for rats or other vermin or is otherwise a source of danger or nuisance to the occupiers of the said premises or to persons residing in the

neighborhood thereof the Mukhya Nagar Adhikari may by a written notice require the owner of such premises, or the owner of the materials or debris so stored or collected therein, within a reasonable time to be specified in the notice, to remove or dispose of the same or to take such order with the same as may, in the opinion of the Mukhya Nagar Adhikari, be necessary or expedient to abate the nuisance or prevent a recurrence thereof.

Power of Mukhya Nagar Adhikari to call for statement of accommodation

340- (1) The owner of a building shall within a period of seven days of the receipt of a written notice from the Mukhya Nagar Adhikari, supply such information with respect to such building or its occupants as the [Corporation][1] may prescribe.

(2) The occupier of a building occupied as a separate tenement shall on like notice and within the like period supply such information as may be prescribed with respect to such building as aforesaid which is in his occupation.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

State Government may extend provisions of Chapter out side limits of City

341- The State Government may, by order which shall be published in the official Gazette, apply to any area to be specified in the order but not lying beyond a distance of two miles from the limits of the City the provisions of any section in this Chapter and of rules made thereunder, subject to such adaptations whether by way of modification, addition or omission as it may deem to be necessary and expedient and thereupon the provisions and rules so applied shall have effect in that area as if it were within the City.

Power to make rules

342- (1) The State Government may make rules to carry out the provisions of this Chapter.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for-

(a) the manner of giving permission to the erection of buildings;

(b) the manner of effecting repairs in and pulling down, securing and removing of dangerous buildings and recovery of expenses of such repairs, pulling down, securing or removal;

(c) the restrictions under which alterations may be made in the use of buildings;

(d) the inspection of newly constructed buildings;

(e) the conditions on which loans' may be granted out of the [Corporation][1] Fund for building and the form of application for such loans.

CHAPTER XIV

Improvement Schemes

Types of improvement Schemes

343- For the purposes of effecting improvement' in the City, an improvement scheme may be of one of the following types, or may combine any two or more of such types, or special features thereof, that is to say --

(a) a Samanya Vikas Yojana (general improvement scheme);

(b) a Basti Sudhar Yojana (slum clearance and rebuilding scheme):

(c) a Grih Punarnirman Yojana (re-housing scheme) ;

(d) a Sarak Yojana (street scheme) ;

(e) a Bhavi Sarak Yojana (deferred street scheme) ;

(f) a Grib Sthan Yojana (housing accomodation scheme) ; and

(g) a Nagar Prasar Yojana (City expansion scheme).

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Samauya Vikas Yojana (General improvement Scheme)

344- Whenever it appears to the Development Committee-

(a) that any buildings in any area which are used or are intended or likely to be used as dwelling places are unfit for human habitation; or

(b) that danger to the health of the inhabitants of buildings in any area or in any neighboring buildings is caused by-

(i) the narrowness, closeness or bad arrangement and condition of streets or buildings or groups of buildings in such area, or

(ii) the want of light, air, ventilation or proper conveniences in' such area, or

(iii) any other sanitary defects in such area,

the Development Committee may pass a resolution to the effect that such an area is an insanitary area, and that a Samanya Vikas Yojana (general improvement scheme) be framed in respect of such area.

Basti Sudhar Yojana (Slum Clearance and re-building scheme)

345- (1) When it appears to the Development Committee that any area is an insanitary area within the meaning of the preceding section and that, regard being had to the comparative value of the buildings in such area and of the sites on which they are erected, the most satisfactory method of dealing with the area or any part thereof is clearance of the insanitary area of existing buildings and erecting new buildings, it may by resolution direct that a Basti Sudhar Yojana (slum clearance and re-building scheme) in accordance with the provisions of this section be framed.

(2) A Basti Sudhar Yojana (slum clearance and re-building scheme) may provide for-

(a) the reservation of streets, back lanes and open spaces and the enlargement of existing streets, back lanes and open spaces to such an extent as may be necessary for the purposes of the scheme;

(b) the re-laying out of the sites of the area upon such streets, back lanes, or open spaces so reserved or enlarged;

(c) the payment of compensation in respect of any such reservation or enlargement, and the construction of the streets, back lanes and open spaces so reserved or enlarged;

(d) the demolition of the existing buildings and their appurtenances by the owners, or by the [Corporation][1] in default of the owners; and the erection of buildings in accordance with the scheme by the said owners or by the [Corporation][1] in default of the owners upon the sites as defined under the scheme;

(e) the advance to the owners, upon such terms and conditions as to interest and sinking fund and otherwise as may be prescribed under the scheme, of such sums as may be necessary to assist them to erect new buildings in accordance with the scheme;

(f) the acquisition by the [Corporation][1] of any site or building comprised in the area included in the scheme:

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Provided that the [Corporation][1] may exclude any building from demolition if it is satisfied that the particular building is not unfit for human habitation or dangerous or injurious to health or is capable of being so improved as to render it healthy and fit for human habitation and does not obstruct the clearance of the area or its re-development.

Grih Punarnir-man Yojana (Re-housing Scheme)

346- The Development Committee when it resolves that an Improvement Scheme which is likely to displace persons be framed, shall also by resolution, require the Mukhya Nagar Adhikari to frame a scheme (herein called housing scheme) for construction, maintenance and re-management of such and so many dwelling and shops as it may consider ought to be provided for persons who-

(a) are displaced by the ,execution of any improvement scheme sanctioned under this Act, or

(b) are likely to be displaced by the execution of any improvement scheme which it is intended to frame, or to submit to the State Government for sanction under this Act:

Provided that the State Government may for reasons to be recorded in writing exempt a Development Committee from the liability under this section.

Sarak Yoiane (Street Scheme)

347- (1) Whenever the Development Committee is of opinion that, for the purpose of-

(a) providing buildings sites, or

(b) remedying defective ventilation, or

(c) creating new or improving existing means of communication and' facilities for traffic, or

(d) affording better facilities for conservancy,

it is expedient to layout new streets or alter existing streets (including bridges, causeways and culverts) and that this object cannot be achieved by taking action under Chapter XLI, the Development Committee may by resolution require the Mukhya Nagar Adhikari to frame 'a scheme to be called a “Sarak Yojana” (Street Scheme).

(2) A Sarak Yojana (street scheme) may within the limits of the area comprised in the scheme provide for-

(a) the acquisition of any land which will, in the opinion of the Development Committee, be necessary for its execution;

(b) the re-laying out of all or any of the lands so acquired, including the construction of buildings by the [Corporation][1] or by any other person and the laying out, construction and alteration of streets;

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(c) the drainage, water-supply and lighting of streets so constructed or altered;

(d) the raising, lowering, or reclamation of any land vested in, or to, be acquired by, the [Corporation][3] for the purposes of the scheme;

(e) the formation of open spaces for the better ventilation of the area comprised in the scheme;

(f) the acquisition of any land adjoining any street or open space included in the scheme.

Bhavi Sarak Yojana (Deferred Street Scheme)

348- (1) (a) Whenever the Development Committee is of opinion that it is expedient for any purpose mentioned in section 347 to provide for the ultimate widening of any street by altering the existing alignment of such street to improve alignments to be prescribed by the Mukhya Nagar Adhikari but that it is not expedient immediately to acquire all or any of the properties lying within the proposed improved alignments, the Development Committee, if satisfied of the sufficiency of the resources of the [Corporation][3] by a resolution require the Mukhya Nagar Adhikari to make a scheme to be called a Bhavi Sarak Yojana (Deferred Street scheme) prescribing an alignment on each side of such street.

[(aa) The said resolution shall specify the time-limit for the execution of the scheme, which may be extended by the Development Committee by resolution from time to time:

Provided that in the case of a scheme notified before the commencement of the Uttar Pradesh [Municipal Corporation][3] (Amendment) Act, 1972 such time limit if not already specified, shall be specified by a fresh resolution of the Development Committee not later than one year after the commencement of the said Act:

Provided further that such time limit, including extensions, if any, shall in no case exceed twenty years from the date of notification of the scheme

under section 363.][1];

(b) [After the scheme has been notified under section 363 no person shall, within the time-limit for its execution][2] erect, re-erect, add to, or alter any building or wall so as to make the same project beyond the prescribed alignment of the street except with the written permission of the [Corporation][3].

(2) The Bhavi Sarak Yojana (deferred street scheme) shall provide for-

(a) the acquisition of the whole or any part of any property lying within the prescribed street alignment;

(b) the re-laying out of all or any such property including the construction and re-construction of buildings by the [Corporation][3] or by any other person, and the formation and alteration of the street;

---

1. Ins. by section 4. (i) (a) of U. P. Act No. 24 of 1972.
2. Subs. by section 4 (i) (b) ibid.
3. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(c) the drainage and lighting of the street so formed and altered.

[(3) The owner of any property included in a Bhavi Sarak Yojana (Deferred Street Scheme) may, at any time after the scheme has been notified under section 363 but within the time limit for its execution or within three years thereafter give the [Corporation][5] notice requiring it to acquire such property before the expiration of six months from the date of such notice. The [Corporation][5] shall thereupon acquire the property accordingly, and if it fails to do so it shall pay such compensation as may be determined by the Tribunal referred to in section 372 in accordance with the provisions of this Act and the rules.][1]

(4) Before proceeding to acquire any property within the limit to the scheme other than the property regarding which it has received a notice under sub-section (3), the [Corporation][5] shall give six months' notice to the owner of its intention to acquire the property.

Grih Sthan Yojana,(Housing Accommodation Scheme)

349 - Whenever the Development Committee is of opinion that it is expedient and for the public advantage to provide house accommodation for any class of the inhabitants of the City, [it may by resolution require the Mukhya Nagar Adhikari][2] to frame a scheme to be called a Grih Sthan Yojana" (Housing Accommodation Scheme) for the purpose aforesaid.

Nagar Prasar Yojana (City Expansion Scheme)

350 - (1) Whenever the Development Committee is of opinion that it is expedient and for the public advantage to control and provide for the future expansion of the City, [it may by resolution require][3] the Mukhya Nagar Adhikari to frame a scheme to be called 'Nagar Prasar Yojana the (City Expansion Scheme).

[(I-a) The said resolution shall specify the time-limit for the execution of the schemes, which may be extended by the Development Committee by resolution from time to time:

Provided that in the case of a scheme notified before the commencement of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika (Amendment) Act, 1972, such time-limit, if not already specified, shall be specified by a fresh resolution of the Development

Committee not later than one year after the commencement of the said Act:

Provided further that such time-limit, including extensions, if any, shall in no case exceed twenty years from the date of notification of the scheme under section 363.][4]

(2) Such scheme shall show the method in which it is proposed to layout the area to be developed and the purposes for which particular areas are to be utilized.

(3) For the purposes of a Nagar Prasar Yojana (City Expansion Scheme) the provisions of clause (a) of sub-section (2) of section 360 shall not be applicable but the [Corporation][5] shall be required to supply such details as the State Government may consider necessary.

---

1. Subs. by section 4 (ii) of U. P. Act No. 24 of 1972.
2. Subs. by section 5 ibid,
3. Subs. by section 6 (i) ibid.
4. Ins. by section 6 (ii)
5. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(4) [At any time ,after such scheme has been notified under section 363, but within the time-limit for its execution][1] if any person desires to erect, re-erect, add to or alter any building or wall within the area comprised in the said scheme, he shall apply to the [Corporation][2] for permission to do so.

(5) If the [Corporation][2] refuses to grant permission to any person to erect, re-erect add to or alter any building or wall on his land in the area aforesaid, and if it does not proceed to acquire such land within one year from the date of such refusal, it shall pay reasonable compensation to such person for any damage sustained by him, in consequence of such refusal.

Framing of Scheme

351- (1) Whenever an improvement scheme is required to be framed under any of the preceding sections, it shall be the duty of the Mukhya Nagar Adhikari to prepare a draft scheme and to lay it for consideration before the Development Committee.

(2) With the previous approval of the Development Committee, the Mukhya Nagar Adhikari may, for the purpose of making an improve-ment scheme, cause surveys to be made in areas either inside or outside the limits of the area.

Combination of Improvement Schemes

352- Any number of areas in respect of which improvement schemes have been or are proposed to be framed, may at any time be included in one combined scheme.

Matters to be provided for by Improvement Scheme

353- (1) An improvement scheme may provide for all or any of the following matters as the nature of the scheme may demand-

(a) The acquisition by purchase, exchange, or otherwise of any property necessary for or affected by the execution of the scheme.

(b) The re-laying out of any land comprised in the scheme.

(c) The re-distribution of sites belonging to owners of properly comprised in the scheme.

(d) The closure or demolition of dwellings or portions of dwellings unfit for human habitation.

(e) The demolition of obstructive buildings or portions of buildings.

(f) The construction and re-construction of buildings.

(g) The sale, letting, or exchange of any property comprised III the scheme.

(h) The construction and alteration of streets and back lanes and the: provision of side- walks for pedestrians.

---

1. Substituted by section 6(iii) of U.P. Act No. 24 of 1972.
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(i) The drainage, water-supply, and lighting of streets so constructed or altered.

(j) The provision of open spaces for the benefit of any area comprised in the scheme or any adjoining area, and for the enlargement of existing open spaces and approaches.

(k) The sanitary arrangements required for the area comprised in the scheme, including the conservation and prevention for injury or contamination to rivers or other sources and means of water supply.

(l) The provision of accommodation for any class of the inhabitants.

(m) The advance of money for the purposes of the scheme.

(n) The provision of facilities for communication.

(o) The reclamation or reservation of land for market, gardens, afforestation, the provision of fuel and grass-supply and other needs of the population.

(p) The provision for preventing over-crowding in the area covered by the Scheme.

(q) Any other matter for which, in the opinion of the State Government, it is expedient to make provision with a view to the improvement of any area in question or the general efficiency of the scheme.

(2) The [Corporation][1] may from time to time lay down by resolution what shall constitute overcrowding for the purposes of this section and may in such resolution specify the minimum space to be allowed for each person according to age in premises used exclusively as a dwelling and in premises used as a dwelling as well as for some other purpose.

Inclusion of areas outside City in certain Improvement Schemes

354- An Improvement Scheme mentioned in clause (a) or (b) or (g) of section 343 may include within it in whole or in part any such area lying within two miles outside the limits of the City as the State Government may by notification in the official Gazette specify and such area shall, for the purposes of this Chapter be deemed to be area lying within the City.

Matters to be considered when framing improvement schemes

355- When framing an improvement scheme in respect of any area, regard shall be had to-

(a) the nature and the conditions of neighboring areas and of the- City as a whole;

(b) the several directions in which the expansion of the City appears likely to take place, and

(c) the likelihood of improvement schemes being required for other parts of the City.

Consideration by Development Committee

356- (1) The Development Committee shall consider the scheme placed before it by the Mukhya Nagar Adhikari and accept it with or with- out modifications or require the Mukhya Nagar Adhikari to make alterations in it and to resubmit it for consideration.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(2) The Development Committee shall record in writing its acceptance of the scheme and direct that the scheme be notified.

Notice of Improvement Scheme

357- (1) Upon the approval of the draft improvement scheme by the Development Committee the Mukhya Nagar Adhikari shall prepare a notice stating-

(a) the fact that the scheme has been framed,

(b) the boundaries of the area comprised in the scheme, and

(c) the place at which particulars of the scheme, a map of the area comprised in the scheme and a statement of the land which it is proposed to acquire may be seen.

(2) The Mukhya Nagar Adhikari shall cause the said notice to be published for three consecutive weeks in the official Gazette and the Bulletin of [Corporation][1], if any, and also in One or more local newspaper or news- papers as the Mukhya Nagar Adhikari thinks fit, with a statement of period within which objections will be received. A copy of the notice shall be sent to the President of the Cantonment Board if there is a Cantonment adjoining the City.

(3) The Mukhya Nagar Adhikari shall cause copies of all documents referred to in clause (c) of sub-section (1) to be delivered to any applicant on payment of such fee as may be prescribed.

Notice of pro- posed acquisition or land

358- (1) During the thirty days next following the first day on which any notice is published under section 357 in respect of any improvement scheme, the Mukhya Nagar Adhikari shall serve a notice on-

(a) every person whose name appears in the [Corporation][1] assessment list as being primarily liable to pay any tax assessed upon the annual value of any building or land which it is proposed to acquire in executing the scheme, and

(b) the occupier (who need not be named) of each premises, entered in the [Corporation][1] assessment list which the [Corporation][1] proposes to

acquire in executing the scheme.

(2) Such notice shall-

(a) state that the [Corporation][1] proposes to acquire such land for the purposes of carrying out an improvement scheme, and

(b) require such person, if he dissents from such acquisition, to state his reasons in writing within a period of sixty days from the service of notice.

Consideration of the Scheme by the [Corporation][1]

359- After the expiry of the periods respectively prescribed under sections 357 and 358 in respect of any improvement scheme, the Development Committee shall consider any objection or representation received thereunder and after hearing all persons making any such objection or representation who may desire to be heard, and after inserting in the scheme such modifications, if any, as it thinks fit, submit to the [Corporation][1] the scheme together with any objection or representation with its recommendation either that the scheme be abandoned or sanctioned.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Abandonment or sanction of scheme by Mahapalika

360- (1) The [Corporation][1] shall on receipt of scheme from the Development Committee proceed to take such scheme into consideration together with any objection or representation received or made under sections 357 and 358 and the recommendation of the Development Committee under section 359 and shall either abandon the scheme or sanction the scheme with such modifications, if any, as it may consider necessary:

Provided that in the case of a scheme of the estimated cost of over Rs. 10,00,000 the sanction of the State Government shall also be obtained.

(2) Every scheme submitted to the State Government under proviso to sub-section (1) shall contain the following:

(a) a description of, and full particulars relating to, the scheme, and complete plans and estimates of the cost" of executing the scheme;

(b) a statement of the reasons for any modifications made in the scheme as originally framed ;

(c) a statement of objection (if any), received under section 357:

(d) a list of names of all persons (if any), who have dissented, under clause (b) of sub-section (2) of section 358 from the proposed acquisition of their land and a statement of the reasons given for such dissent, and

(e) a statement of the arrangements made or proposed by the [Corporation][1] for the re-housing of persons likely to be displaced by the execution of the scheme, for whose re-housing provision is required.

(3) When a scheme has been submitted to the State Government under the proviso to sub-section (1), the Mukhya Nagar Adhikari shall cause notice of the fact to be published for two consecutive weeks in the official Gazette and in the Bulletin of the [Corporation][1], if any, and in the manner provided in section 357.

(4) If the [Corporation][1] declines to approve the scheme the Mukhya Nagar Adhikari shall forthwith draw up and publish in the manner provided in section

357 a notice stating that the [Corporation][1] has resolved not to proceed with the making of the scheme, and on such publication the notification relating to the scheme published under section 357 shall be deemed to be cancelled.

State Government's power in respect of the scheme

361- (1) The State Government may sanction either with or without modification, or may refuse to sanction, or may return for reconsideration, any improvement scheme submitted to it under section 360.

(2) If a scheme returned for reconsideration under sub-section (1) is modified by the [Corporation][1], it shall be republished in accordance with section 357-

(a) in every case in which the modification affects the boundaries of the area comprised in the scheme, or involves the acquisition of any land not previously, proposed to be acquired, and

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(b) in every other case, unless the modification is, in the opinion of the State Government, not of sufficient, importance to require republication.

Procedure on scheme being modified by the [Corporation][3]

362- The provisions of section 357 shall apply mutatis mutandis to any scheme that the [Corporation][3] on its own authority is entitled to sanction, if after the consideration of objections and representations under section 360 any modification in the original scheme is made which gives rise to the conditions mentioned in sub-section (2) of section 361.

Notification of sanction of improvement scheme

363- Whenever a scheme is sanctioned whether by the [Corporation][3] on its own authority or with the sanction of the State Government under the proviso to sub-section (1) of section 360, the fact shall be announced by notification in the official Gazette and it shall be incumbent on the [Corporation][3], when it sanctions the scheme under its own authority, immediately to inform the State Government and to submit for the information of the State Government the details required by sub-section (2) of section 360.

Alteration of Improvement Scheme after sanction

364- At any time after an improvement scheme has been sanctioned by the State Government or by the [Corporation][3] on its own authority and before it has been completed, the [Corporation][3] may alter it :

Provided that--

(a) in the case of a scheme sanctioned by the State Government if any alteration is estimated to increase the estimated net cost of executing the scheme by more than rupees one lac, such alteration shall not be made without the previous sanction of the State Government,

(b) in the case of a scheme sanctioned by the [Corporation][3] on its own authority the alteration shall be sent to the State Government for information,

(c) if any alteration, involves the acquisition, otherwise than by agreement, of any land the acquisition of which has not been sanctioned by

the State Government, the procedure prescribed in the fore-going sections of this Chapter shall, so far as applicable, be followed as if the alteration were a separate scheme.

Acquisition of land acquired for Improvement Scheme

365- (1) Upon the sanction of an improvement scheme [under this chapter][1] the Mukhya Nagar Adhikari may enter into an agreement with any person for the purchase, leasing or exchange by the [Corporation][3] from such person of any land which the [Corporation][3] is authorized to acquire for an improvement scheme or any interest in such land

(2) The [Corporation][3] may for tile purposes of an improvement scheme sanctioned [under this chapter][2] acquire land or interest in land under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894, as modified by the provisions of this Chapter.

1. Subs. by s. 20 (i) of U.P. Act No. 21 of 1964.
2. Subs. by s, 20 (ii) ibid.
3. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(3) The Mukhya Nagar Adhikari may for the purposes of an improvement scheme exercise any of the powers conferred upon him under sub-section (2) of section 273 and section 290.

(4) All acquisition of land and interest in land for an improvement scheme authorized under this Chapter [other than a Bhavi Sarak Yojana or a Nagar Prasar Yojana][1] shall be completed at least upto the stage of making of awards within a period of five years from the date of the notification of the Scheme under section 363 and any land in respect of which the acquisition is not so completed and the owner and occupier thereof shall cease to be subject to any liabilities under this Chapter:

[Provided that-

(a) in relation to any improvement scheme (other than a deferred street scheme or a town expansion scheme) notified under section 42 of the United Provinces Town Improvement Act, 1919 or section 60 of the Cawnpore Urban Area Development Act, 1945, which by virtue of clause (c) of section 577 may be continued and if it had been initiated under this Act, this sub-section shall

be so construed as if for the words and figures within a period of five years from the date of the notification of the scheme under section 363' the words and figures 'on or before the thirty- first day of December, 1973' were substituted;

(b) in relation to any improvement scheme notified under section 363 before the commencement of the Uttar Pradesh [Municipal Corporation][3] (Amendment) Act, 1972, this sub-section shall be so construed as if for the words 'five years' the words 'ten years' were substituted. :

Provided further that the State Government by general or special order made before the expiry of the said period of five years or of ten. years, or, as the case may be, the said period ending on the thirty-first day of December, 1973, may, for reasons to be recorded in writing, extend the said period by one year.][2]

Restrictions

366- When a notice has been published under section 357 in respect of' a slum

against building etc.

clearance and re-building scheme, no person shall erect re-erect, add to or alter any building or otherwise develop any land comprised in the in-sanitary and re-building area except in accordance with the re-building plan for the area covered by the scheme and subject to such restrictions and conditions as the Mukhya Nagar Adhikari may think fit to impose:

Provided that an owner who is aggrieved by a restriction or condition so imposed on the use of his land, or by a subsequent refusal of· the Mukhya Nagar Adhikan to cancel or modify any such restriction or condition, may within thirty days appeal to the Judge. The Judge shall make such order in the matter as he thinks proper, and the decision of the Judge shall be final.

---

1. Substituted by section 7(i) of U.P. Act No. 24 of 1972.
2. Subs. by section 7 (ii) ibid.
3. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Clearance orders

367- The Mukhya Nagar Adhikari with the sanction of the Development Committee may at any time after the notification of sanction bas been. published under section 363 require the occupiers of any building or buildings comprised in the insanitary area to be vacated for purposes of demolition within three months of the notice; and require the owner or owners of such building or buildings to demolish the same within a further period of one month and if the building is not demolished before the expiration of that period the Mukhya Nagar Adhikari shall take measures to demolish the building or buildings at the risk and cost of the owner, sell materials thereof and clear the site:

Provided that the vacation and demolition of buildings may proceed simultaneously.

Abandonment of Scheme

[367-A The [Corporation][2] may at any time with the prior approval of, and in accordance with such conditions as may be imposed by the State Government, abandon any scheme notified under section 42 of the U. P. Town Improvement Act, 1919, section 60 of the Cawnpore Urban Area Development Act, 1945 or section 363 of this Act, and upon such abandonment, any land in respect of which the acquisition is not complete up to the stage of making of award, and the owner and occupier of such land, shall cease to be subject to any liabilities under this chapter.][1]

Power to dispose of land

368- Subject to the rules made under this Act [Corporation][2] may retain, lease, sell, exchange or otherwise dispose of any land vested in or acquired by it under this Chapter:

Provided that in leasing, selling, exchanging or otherwise disposing of land acquired for any scheme under this Chapter preference to such extent and in such manner as may be prescribed shall be given to the persons whose land was acquired for such schemes.

Power to make survey

369- The Mukhya Nagar Adhikari may cause a survey of any land to be made whenever it considers that a survey is necessary for carrying out any of the purposes of this Chapter.

Power of entry

370- (1) The Mukhya Nagar Adhikari may, subject to the provisions of section 562 with or without assistants or workmen, enter into or upon any land in order--

(a) to make any inspection, survey, measurement, valuation or inquiry,

(b) to take levels,

(c) to dig or bore into the sub-soil,

(d) to set out boundaries and intended lines of work,

(e) to mark such levels, boundaries and lines by marks and cutting trenches, or

(f) to do any other thing.

---

1. Add by section 21 of U. P. Act No. 20 of 1964.
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

whenever it is necessary to do so for any of the purposes of this Chapter, any rule or bye-law made, or scheme sanctioned under this Chapter.

(2) Whenever the Mukhya Nagar Adhikari enters into or upon any land in pursuance of sub-section (I), the [Corporation][2] shall pay for any damage that may be caused.

(3) The Mukhya Nagar Adhikari may make an entry for the purpose of inspection or search and may open or cause to be opened a door, gate or other barrier -

(a) if he considers the opening thereof necessary for the· purpose of such entry, inspection or search, and

(b) if the owner or occupier is absent, or being present refuses to open such door or gate or barrier.

Tribunal to be constituted

371- (1) A Tribunal shall be constituted for the City by the State Government with the powers and duties specified hereinafter.

(2) The Tribunal constituted under section 57 of the United Provinces Town Improvement Act, 1919, or the Cawnpore Urban Area Development Act, 1945, as the case may be, shall from the appointed day be dissolved.

(3) All suits and proceedings pending before the Tribunal constituted under the United Provinces Town Improvement Act, 1919 or the Cawnpore Urban Area Development Act, 1945, as the case may be, shall be tried and proceeded with by the Tribunal constituted under sub-section (1) as if they had been filed before such Tribunal and the provisions of this Act and any rules made thereunder shall apply to all such suits and proceedings.

Duties of Tribunal

372- [(1)][1] The Tribunal shall perform the functions of the Court with reference to all acquisition of land for the [Corporation][2] for the purposes of this Act under the Land Acquisition Act, 1894 :

Provided that no such claim shall be entertained by the Tribunal, unless the

claimant has deposited in Court such sum, not exceeding Rs. 7,000, as the Tribunal may fix, as security, for the costs, which in the event of the claimant's failure may be awarded against him.

[(2) The Tribunal shall also perform the functions referred to in Chapter VII of the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965, as applicable to [Corporation] premises under section 129-A.][1]

1. Re-numbered as sub-section (I) and new sub-section (2) ins. by s. 29 of U. P. Act No. 30 of 1970.
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Personnel of Tribunal

373- (1) The Tribunal shall consist of[a single member, to be referred to as its presiding officer.][1]

(2) [The said member][2] shall be a Civil Judicial officer not below the rank of a District Judge.

[XXX][3]

(3) [The said member][4] shall be appointed by the State Government.

[(4) If for any reason a vacancy occurs in the office of the presiding officer of the Tribunal the State Government shall appoint another person in accordance with this section to fill the vacancy, and the proceedings may be continued before the Tribunal from the stage at which the vacancy is filled.

(5) Any proceeding pending before the Tribunal (consisting of a Chairman and two assessors) immediately before the commencement of the Uttar Pradesh [Municipal Corporation] (Amendment) Act, 1972, may after such commencement be continued before the Tribunal consisting of the said Chari man as its presiding officer from the stage at which the constitution of the Tribunal is so changed.][5]

Remuneration

374- [The presiding officer][6] of the Tribunal shall be paid from the [Corporation][9] such fixed remuneration, if any, as the State Government may prescribe.

Staff of Tribunal

375- (1) [The Tribunal][7] shall from time to time prepare a statement showing-

(a) the number and grades of the members of the staff necessary for the Tribunal,

(b) the salary to be paid to each member of the staff.

(2) The terms and conditions of service of the members of the staff of the Tribunal shall be determined by [xxx][8] the State Government.

Modification of the Land Acquisition Act,

376- For the purpose of the acquisition of land for the [Corporation][9] under the Land Acquisition Act, 1894, whether under this Chapter or any other Chapter of this Act-

1894 (a) the said Act shall be subject to the modifications specified in the Schedule to this Act;

1. Subs. by section 8 (i) of U. P. Act No. 24 of 1972.
2. Subs. by section 8 (ii) ibid.
3. Del by section 8 (ii) ibid.
4. Subs, by section 8 (iii) ibid.
5. Del, by section 8 (iv) ibid.
6. Subs, by section 9 ibid.
7. Del. by section 10 (i) ibid.
8. Subs. by section 10 (ii) ibid.
9. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(b) the award of the Tribunal shall be deemed to be the award of the Court under the Land Acquisition Act, 1894.

Law applicable to the Tribunal

377- In so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act the provision of the Code of Civil Procedure, 1908, and the Indian Evidence Act, 1872, shall apply to all proceedings before the Tribunal.

378- [x x x][1]

Decision of the Tribunal to be final

379- Subject to the provisions of section 381 the decision of the Tribunal shall be final, and shall not he questioned in any court of law.

Enforcement of orders of the Tribunal

380- Every order made by the Tribunal for the payment of money shall be enforced, on application, by the Court of Small Causes of the City, as if it were a decree of that Court.

Appeals

381- (1) An appeal to the High Court shall lie from a decision of the Tribunal if-

(a) [the Tribunal][2] grants certificate that the case is a fit one for appeal, or

(b) the High Court grants special leave to appeal, provided that the High Court shall not grant such special leave unless the Chairman of the Tribunal has refused to grant a certificate under clause (a).

(2) An appeal under sub-section (I) shall lie only on one or more of the following grounds, namely-

(a) the decision being contrary to law or to some usage having the force of law;

(b) the decision having failed to determine some material issue of law or usage having the force of law;

(c) a substantial error or defect which may have produced an error or defect in the decision of the case upon merits either on a point of fact or of law.

(3) Not withstanding anything contained in the foregoing provisions, no appeal shall lie under this section unless the appellant has deposited the money which he is liable to pay under the order from which the appeal is filed.

(4) Subject to, the provisions of sub-section (I), the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908, with respect to appeals from original decrees, shall, so far as may be, apply to appeals under this Act.

---

1. Del. by section 11 of U. P. Act No. 24 of 1972.
2. Subs. by section 12 (a) ibid.
3. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

[(5) (i) An application for the grant of a certificate under clause (a) of sub-section (I) may be made within thirty days from the date of decision of the Tribunal.

(ii) An appeal' against the decision of the Tribunal may be preferred within sixty days from the date of the grant of the said certificate.

(iii) An application to the High Court for special leave to appeal under clause (b) of sub-section (1) may be made within sixty days from the date of the order of refusal of the said certificate.

(5-A) The provisions of sections 5 and 12 of the Limitation Act, 1963, shall mutatis mutandis apply to an appeal or application under sub-section (5).][1]

(6) An order passed by the High Court on appeal under this Act shall be enforced, on application, by the Court of Small Causes of the City, as if it were a decree of that Court.

Preservation of trees and woodland

382- (1) If it appears to the Development Committee that it is expedient in the interest of amenity to make provision for the preservation of any trees or woodlands in the City it may authorize the Mukhya Nagar Adhikari to make an order-

(a) prohibiting, except with his permission, the cutting down, topping, lopping or wilful destruction of any tree or group of trees to be specified in the order;

(b) securing (he replanting in such a manner as may be specified in the order of any part or a woodland of which trees have been felled in the course of forestry operations whether with or without the permission of the Mukhya Nagar Adhikari.

(2) Any person aggrieved by an order of the Mukhya Nagar Adhikari under sub-section (1) may appeal to the State Government within 30 days from the service of the order upon him and the State Government may confirm any such order without modification or subject to such modification as it considers fit or revoke the order.

Master plan for the City

383- (1) A [Corporation] may, and if so required by the State Government shall, prepare in the manner and subject to the conditions prescribed by rules made in this behalf a Master Plan for the City.

Explanation- In this section "Master Plan" means a comprehensive plan showing therein the existing and proposed location and general layout of-

(a) arterial streets and transportation lines;

(b) residential sections;

(c) business areas;

(d) industrial area;

---

1. Substituted by section 12 (b) of U.P. Act No. 24 of 1972.
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(e) educational institutions;

(f) public parks, play grounds and other recreational facilities;

(g) public and semi-public buildings;

(h) other land uses which are necessary.

(2) A Master Plan shall be revised at the end of every 10 years and may be revised earlier if the [Corporation][1] so thinks fit.

(3) Notwithstanding anything in this Act, the improvement schemes and the layout of new streets, drains, parks, factories and buildings shall, as far as may be, be inconformity with the Master Plan:

Provided that nothing in this section shall apply to the improvement schemes already sanctioned under the U. P. Town Improvement Act, 1919 or the U.P. Cawnpore Urban Area Development Act, 1945.

Preparation of development plan for the city

[383-A (1) A Corporation shall prepare every year a development plan for the City.

(2) The Plan referred to in sub-section (1) shall be prepared by the Development Committee of the Corporation in the manner prescribed by rules.

(3) The plan shall be laid before the Corporation which may approve it with or without modifications in such form as it may think fit and the Mukhya Nagar Adhikari shall submit it to the District Planning Committee referred to in Article 243-ZD of the Constitution by such date as may be prescribed by rules.][2]

Power to make rules

384- (1) The State Government may make rules to carry out the purposes of this Chapter.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for-

(a) the conduct of the business of the Tribunal, not being rules repugnant to the Code of Civil Procedure;

(b) the manner of giving of public and personal notices in respect of

improvement schemes;

(c) submission by [Corporation][1] to the State Government progress reports about improvement schemes;

(d) all matters relating to the preparation and revision of Master Plan for the City:

(e) regulation of changes in land uses.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
2. Insertion of section 62 ibid.

CHAPTER XV

Sanitary Provisions

Scavenging and Cleansing

Mukhya Nagar Adbikari to provide for clean nsing of streets and removal of refuse

385- For the purpose of securing the efficient scavenging and cleansing of all streets and premises the Mukhya Nagar Adhikari shall-

(1) provide for the surface cleansing of all streets in the City and removal of the sweeping therefrom;

(2) provide or appoint in proper and convenient situations, public receptacles, depots and places for the temporary deposit of-

(a) dust, ashes, refuse and rubbish,

(b) trade refuse,

(c) carcasses of dead animals;

(d) excrementitious and polluted matters.

(3) provide for the removal of the contents of all receptacles and deposits and of the accumulations at all places provided or appointed by him under the provisions of this Act for the temporary deposit of dust, ashes refuse, rubbish, trade refuse, carcasses of dead animals and extrementitious and polluted matter:

Provided that the final disposal of the matters referred to in clauses (a) to (d) of sub- section (2) shall be subject to any general or special directions of the [Corporation][1] or the State Government.

Regulation of the disposal of rubbish, etc. removed through private agency

386- (1) The Mukhya Nagar Adhikari may, with the previous sanction of the Executive Committee by public notice to be given in the manner prescribed by rule, issue directions as to the time, manner and conditions etc., in and subject to which any matters specified in sub- section (2) of section 385 may be removed along a street, deposited or otherwise disposed of.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, a direction issued under sub-section (1) may require that all matters specified in sub-section·{2) of section 385 collected by scavengers by private scavenging shall be

deposited in the public receptacles, depots, and places provided or appointed under the said sub-section.

(3) Where any direction has been issued under sub-section (I), no person shall remove along a street, deposit or otherwise dispose of any matters specified in sub-section (2) of section 385 in contravention of such direction.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Refuse, etc., to be the property of the [Corporation][1]

387- All matters deposited in public receptacles, depots and places provided or appointed under section 385 and all matters collected by [Corporation][1] servants or contractors in pursuance of that section and section 386 shall be the property of the [Corporation][1].

Provision may be made by Mukhya Nagar Adhikari for collection, etc., of excrementitious and polluted matter

388- (1) The Mukhya Nagar Adhikari may give public notice of his intention to provide, in such portion of the City as he may specify, for the collection, removal and disposal by [Corporation][1] agency, of all excrementitious and polluted matter from privies, urinals and cesspools, and thereupon it shall be the duty of the Mukhya Nagar Adhikari to take measures for the daily collection, removal and disposal of such matter from all premises situated in such portion of the City.

(2) In any such portion as is mentioned in sub-section (1) and in any premises, wherever situated, in which there is a water-closet or privy connected with a [Corporation][1] drain it shall not be lawful, except with the written permission of the Mukhya Nagar Adhikari, for any person who is not employed by or on behalf of the Mukhya Nagar Adhikari to discharge any of the duties of scavengers.

Special sanitary arrangements at certain places

389- (1) The Mukhya Nagar Adikari, may make such special arrangements, as he considers adequate for maintaining sanitation in the vicinity of any temple, math, mosque, tomb or any place or religious worship or instruction or entertainment to which large numbers of persons resort on particular occasions or in any place which is used for holding fairs, festivals or other public gatherings.

(2) The Mukhya Nagar Adhikari may require any person having control over any such place as aforesaid to pay to the [Corporation][1] such contribution towards the cost of the special measures taken under sub- section (l) as the Executive Committee may from time to time fix, and such person shall be bound to pay the same out of the funds relating to such place.

Inspection and Sanitary Regulation of Premises

Power to Inspect premises for sanitary purpose

390- (1) The Mukhya Nagar Adhikari may inspect any building or other premises for the purpose of ascertaining the sanitary condition thereof.

(2) If it shall appear to the Mukhya Nagar Adhikari necessary for sanitary reasons so to do, he may, by written notice, require the owner or occupier of any building to cause the same or any portion thereof to be limewashed, disinfected or otherwise cleansed.

Building or rooms in

391- (1) If the Mukhya Nagar Adhikari is of the opinion that any building or portion of a building intended for or used as a dwelling is unfit for human

buildings unfit for human habitation

habitation, he may, with the previous approval of the Executive Committee and, unless there is in his opinion imminent danger to the occupier after the owner or occupier of such building has been given an opportunity in the manner prescribed to shall cause, by order in writing prohibit the use of such building or portion as a dwelling till such time as the same has been rendered fit for habitation.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Explanation-The expression "unfit for human habitation" in this section means unfit for human habitation by reasons of sanitary defects, that is lack of air space or ventilation, darkness, dampness, absence of adequate and readily accessible water-supply or sanitary accommodation or of other convenience and inadequate drainage of courtyard or passages.

(2) Where any order as is referred to in sub-section (1) has been made the owner or occupier of the building shall not use or suffer the same to be used for human habitation until the Mukhya Nagar Adhikari certifies that the same has been so rendered fit.

(3) Where the Mukhya Nagar Adhikari has made any order under sub-section (1) he shall give written instructions to the owner or occupier as to what modifications or alterations are required to be made for rendering such building or portion of building fit for human habitation.

(4) The Mukhya Nagar Adhikari may cause any person using any building or room in contravention of sub-section (2) to be removed from such building or portion by any police officer or [Corporation] servant.

(5) The provisions of sub-sections (5) and (6) of section 334 shall apply on the issue by the Mukhya Nagar Adhikari of a certificate that the building or portion of building, as the case may be, has been Tendered fit for habitation as if such certificate were the' withdrawal of notice issued under sub-section (I) of the said section.

Power to require repairs of insa-nitary buildings

392- (1) if it shall appear to the Mukhya Nagar Adhikari that any building intended for or used as a dwelling is in any respect unfit for human habitation the Mukhya Nagar Adhikari may, by written notice, require the owner of the building to show cause why an order be Dot made to execute such works or carry out such alterations as would render the building fit for human habitation.

(2) In addition to serving a notice under this section on the owner of the building the Mukhya Nagar Adhikari may serve a copy of the notice on any other person having an interest in the building or in the land, on which such building has been erected, whether as mortgagee, lessee or otherwise,

(3) If t he owner arid any persons referred to m sub-section (2) fail to file any objection or the Mukhya Nagar Adhikari upon hearing of any objections filed is satisfied that the execution of works or carrying out of alteration is necessary to render the building fit for human habitation he shall by written notice require the owner of the building within a reasonable time, not being less than 21 days as may be specified in the notice, to execute such works or carry out such alterations,

(4) Where it appears to the Mukhya Nagar Adhikari that immediate action is necessary for the purpose of preventing imminent danger to any person or property by the continuance of a, dwelling in a state unfit for human habitation, he may dispense with the issue of a notice under sub- section (1) and forthwith issue the notice referred to in sub-section (3) and serve a copy thereof on any other person referred to in sub-section (2).

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Power to order demolition of insanitary buildings

393- (1) If it shall appear to the Mukhya Nagar Adhikari that any building intended for or used as a dwelling is unfit for human habitation and is not capable at a reasonable expense of being rendered so fit, he shall serve upon the occupier of the building and the owner thereof a notice stating the date, not being less than twenty-one days after the service of the notice, and place at which the condition of the building and any offer with respect to the carrying out of works or the future use of the building will be considered by the Executive Committee, and every person upon whom such notice is served shall be entitled to be heard when the matter is so taken into consideration.

(2) A person upon whom notice is served under sub-section (I) shall if he intends to submit an offer with respect to the carrying out of works, within twenty-one days from the dale of the service of the notice upon him, serve upon the Mukhya Nagar Adhikari notice in writing of his intention to make the offer and shall, within such reasonable period as the Mukhya Nagar Adhikari may allow submit to him a list of the works which he offers to carry out.

(3) The Mukhya Nagar Adhikari may, with the previous approval of the Executive Committee, accept from any owner or any other person interested, an undertaking either that he will within a specified period carry out such works as will in the opinion of the Mukhya Nagar Adhikari render the building fit for human habitation, or that it shall not be used for human habitation until the Mukhya Nagar Adhikari on being satisfied that it has been rendered fit for that purpose and with the previous approval of the Executive Committee cancels the undertaking.

(4) If no such undertaking as is mentioned in sub-section (3) is accepted by the Mukhya Nagar Adhikari or if, in a case where the Mukhya Nagar Adhikari has accepted such an undertaking, any work to which the undertaking relates is not carried out within the specified period, 'or the building is at any time used in contravention of the terms of the under- taking, the Mukhya Nagar Adhikari may, with the previous approval of the Executive Committee, make a demolition order requiring that the building shall be vacated within a period to be specified in the order, not being less than twenty-eight days from the date on which the order becomes operative, and that it shall within such further period be demolished as the Mukhya Nagar Adhikari deems, reasonable and shall serve a copy of the order upon every person upon whom the notice under sub-section (I) was served.

(5) Where it appears to the Mukhya Nagar Adhikari that immediate action is necessary for the purpose of preventing imminent danger to any person or property or a building of the nature specified in sub-section (I) and that the object of taking action under this section would be defeated by the delay in giving notice under that sub-section, he may with the previous approval of the Executive Committee make an order for demolition in the manner, as far as may be, provided in sub-section (4) but with the minimum period for compliance with

the order reduced to seven days.

Procedure where demolition order made

394- (1) As soon as a demolition order under section 393 has become operative, the owner of the building shall demolish it within the time limited in that behalf by the order, and if the building is not demolished within that time the Mukhya Nagar Adhikari may take measures to demolish the building and sell the materrals thereof.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(2) Any expenses incurred by the Mukhya Nagar Adhikari under sub-section (1), after giving credit for the amount realized by sale of the materials, shall be payable by the owner of the building, and any surplus in the hands of the Mukhya Nagar Adhikari after payment of such expenses shall be refunded to the Owner.

(3) Any person aggrieved by the decision of the Mukhya Nagar Adhikari under sub-section (2) may, within a period of one month, appeal to the Judge.

Appeal against demolition orders

395- Any person aggrieved by-

(i) an order under sub-section (I) of section 391; or

(ii) an order under sub-section (3) or sub-section (4) of section 392; or

(iii) a demolition order made under section 393, but not being an order made under sub-section (5) thereof;

may within twenty-one days after the date of the service of a copy of the order appeal to the Judge, and no proceedings shall be taken by the Mukhya Nagar Adhikari to enforce any order in relation to which an appeal is brought before the appeal is finally determined.

Diposal of Carcasses of Animals

Removal of carcasses of dead animals

396- (1) It shall be the duty of the Mukhya Nagar Adhikari to provide for the removal of the carcasses of all animals dying within the City.

(2) The occupier of any premises in or upon which any animal shall die or in or upon which the carcass of any animal shall be found, and the person having the charge of any animal which -dies in the street or in any open place, shall within three hours after the death of such animal or, if the death occurs at night within three hours after sunrise, report the death of such animal at the nearest office of the [Corporation][1] health department.

(3) For every carcass removed by [Corporation][1] agency, whether from any private premises or from public street or place, a fee for the removal of such amount as shall be fixed by the Mukhya Nagar Adhikari shall be paid by the owner of the animal or, if the owner is not known, by the occupier of the premises in or upon which, or by the person in "hose charge, the said animal died.

Prohibition of cultivation use of manure or irrigation injurious to health

397- If the Director of Medical [Health and Family welfare,Uttar Pradeshor the Chief Medical Officer][2]or the Nagar Swasthya Adhikari certifies that the cultivation of any description of crops or the use of any kind of manure or the irrigation of land in any specified manner-

(a) in a place within the limits of a City is injurious or facilitates

practices which are injurious to the, health of persons dwelling in the neighborhood, or

(b) in a place within or beyond the limits of a City is likely to contaminate the water-supply of such City or otherwise render it unfit for drinking purposes,

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
2. Substituted by section 63 ibid.

the Mukhya Nagar Adhikari may by public notice prohibit the cultivation of such crop, the use of such manure or the use of the method of irrigation so reported to be injurious, or impose such conditions with respect there to as may prevent the injury or contamination:

Provided that when, on any land in respect of which such notice is issued, the act prohibited has been practised in the ordinary course of husbandry for the five successive years next preceding the date of prohibition, compensation shall be paid from the [Corporation][1] Fund to all persons interested, therein for damage caused to them by such prohibition.

Power to require owners to clear away noxious vegetation

398- The Mukhya Nagar Adhikari may, by notice, require the owner or occupier of any land to clear away and remove any vegetation or under-growth which may be injurious to health or offensive to the neighborhood.

Regulation of Public Bathing, Washing, etc.

Places for public bathing, etc. to be fixed by Mukhya Nagar Adhikari and regulation of use of such places

399- (1) The Mukhya Nagar Adhikari may from' time to time by public notice-

(a) set apart portions of a river or other suitable places vesting in the [Corporation][1] for use by the public for bathing or for washing animals, or for washing or for drying clothes;

(b) specify the times at which and the sex of persons by whom, such places may be used:

(c) prohibit the use by the public for any of the said purposes of any place not so set apart;

(d) prohibit the use by the public of any portion of a river or place not vesting in the [Corporation][1] for any of the said purposes;'

(e) regulate the use by the public of any portion of a river or other place vesting in the Mahapalika and set apart by him for any of the said purposes; and

(f) regulate the use by the public of any portion of a river or other place not vesting in the [Corporation][1] for any of the said purposes, and of any work, and of the water in any work, assigned and set apart under this Act for any particular purpose.

(2) The Mukhya Nagar Adhikari may charge such fees as the Executive Committee may fix for the use 'of any place set apart under clause (a) of sub-section (1), by any specified class or classes of persons or by the public generally.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Prohibition of bathing, contrary to order

400- Except as may be permitted by any order made by the Mukhya Nagar Adhikari in that behalf no person shall-

(a) bathe in or near any lake, tank, reservoir, fountain, cistern, duct, stand-pipe, stream or well or on any part of a river or other place vesting in the [Corporation][1];

(b) introduce in any tank, reservoir, stream, wall or ditch, any animal, vegetable or mineral matter likely to render the water thereof offensive or dangerous to health;

(c) whilst suffering from any contagious, infectious or loathsome disease, bathe on, in or near any bathing platform, lake, tank, reservoir, fountain, cistern, duct, stand-pipe, stream or well;

(d) wash or cause to be washed in or near any such place or work; any animal, clothes or other articles;

(e) throw, put or cause to enter into the water in any such place or work, any animal or other thing;

(f) cause or suffer to drain into or upon any such place or work, or to be brought thereinto or thereupon, anything, or do anything whereby the water shall be in any degree fouled or corrupted;

(g) dry clothes in or upon any such place;

(h) in contravention of any order made by the Mukhya Nagar Adhikari under section 399 use any portion of a river or any place not vesting in the [Corporation][1] for any purpose mentioned in the said section;

(i) contravene the provisions of any notice given by the Mukhya Nagar Adhikari under section 399 for the use of any such portion of a river or place for any such purpose.

Regulation of Factories, Trades, etc.

Factory, etc., not to be newly established without permission of Mukhya Nagar Adhikari

401- No person shall-

(i) newly establish in any premises,

(ii) remove from one place to another,

(iii) re-open or renew after discontinuance for a period of not less than three years, or

(iv) enlarge or extend the area or dimensions of, any factory, workshop or workplace in which it is intended to employ steam, water, electrical or other

mechanical power or any bakery except with the previous written permission of the Mukhya Nagar Adhikari nor shall any person work or allow to be worked any such factory, workshop, workplace or bakery without such permission:

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Provided that for the purpose of clause (iii) no such permission shall be required if during the period of discontinuance the machinery has not been removed from the place where the factory, workshop or bakery was originally established.

Prohibition of pollution or contamination of water by chemical, etc.

402- No person engaged in any trade or manufacture specified in section 438 or the rules shall-

(a) wilfully cause or suffer to be brought or to flow into any lake, tank, reservoir, cistern, well, duct or other place for water be-longing to the [Corporation][1] or into any drain or pipe communicating therewith, any washing or other substance produced in the course of any such trade or manufacture as aforesaid,

(b) wilfulIy do any act connected with any such trade or manufacture as aforesaid, whereby the water in any such lake, tank, reservoir, cistern, well, duct or other place for water is fouled, polluted or contaminated.

Power to require private water course, etc. to be cleaned or closed

403- (1) The Mukhya Nagar Adhikari may, by notice, require the owner of, or the person having control over, a private water-course, spring, tank, well or other place, the water of which is used for drinking, to' keep and maintain the same in good repair and to clean the same, from time to time, of silt, refuse or decaying vegetation, and may also require him to protect the same from pollution in such manner as the [Corporation][1] may think fit.

(2) When the water of any such water-course, spring, tank, well or other place is proved to the satisfaction of the Mukhya Nagar Adhikari to be unfit for drinking the Mukhya Nagar Adhikari may, by notice, require the owner or person having control thereof to desist from so using such water or permitting others to so use it, and if, after such. notice, such water is used by any person for drinking, the Mukhya Nagar Adhikari, may by notice require the owner or person having control thereof to close such well, either temporarily or permanently, or to enclose or fence such water-course, spring, tank, well or other place in such manner as he may direct, so that the water thereof may not be so used.

Latrines for factories, schools and places of public resort

404- The Mukhya Nagar Adhikari may require by notice any person employing more than twenty workmen or labourers or owning, managing or having, control of a market, school or theatre or other place of public resort to provide such latrines and urinals as it may deem fit, and to cause the same to be kept in proper order and to be daily cleansed:

Provided that nothing in this section shall apply to a factory regulated by the

[Factories Act, 1948].[1]

1. Subs. by section 7 of U.P. Act No. 14 of 1959.
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Power to require removal of nuisance arising from tanks etc.

405- The Mukhya Nagar Adhikari may by notice require the owner- or occupier of any land or building to cleanse, repair, cover, fill up or drain off a private well, tank, reservoir, pool, depression or excavation therein which may appear to the Mukhya Nagar Adhikari to be injurious to health or offensive to the neighborhood:

Provided that the owner or occupier may require the Mukhya Nagar Adhikari to acquire at the expense of the [Corporation] or otherwise provide, any land or rights in land necessary for the purpose of effecting drainage ordered under this section.

Prevention and Checking of Dangerous Diseases

Power of Mukhya Nagar Adhikari, Nagar Swasthya Adhikari, etc, in ease of dangerous diseases

406- Where a person attacked with a dangerous disease or suffering from such disease is-

(a) found lying in any vehicle or any public place, or

(b) without proper lodging or accommodation, or

(c) living in a room or house which he neither owns nor is otherwise. entitled to occupy, or

(d) lodged in a room or set of apartments occupied by more than one family and any of the occupiers objects to this continuing to lodge therein,

the Mukhya Nagar Adhikari may on the advice of a medical officer of rank not inferior to that of an Assistant Surgeon remove the patient to the hospital or a place at which persons suffering from such disease are received for medical treatment and may do anything necessary for such removal.

Any place may at any lime be inspected for purpose of preventing spread of dangerous disease

407- The Mukhya Nagar Adhikari may at any time, by day or by night, without notice or after giving such notice of his intention as shall in the circumstances, appear to him to be reasonable, inspect an y place in which any dangerous disease is reputed or suspected to exist, and take such measures as he shall think fit to prevent the spread of the said disease beyond such place.

Information of dangerous disease to be liven

408- Every person-

(a) being a medical practitioner and in the course of such practice becoming cognizant of the existence of any dangerous disease m any dwelling other than a public hospital in the City, or

(b) in default of such medical practitioner, being the owner or

occupier of such dwelling, and being cognizant of the existence of any such dangerous disease therein, or

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(c) in default of such owner or occupier, being the person in charge of, or in attendance on, a person suffering from any such dangerous disease in such dwelling and being cognizant of the existence of the disease therein;

shall give information to such officer as the Mukhya Nagar Adhikari may appoint in this behalf respecting the existence of such disease.

Closure of lodging and eating houses

409- The Mukhya Nagar Adhikari may on being satisfied that it is in the public interest so to do, by written order direct that any lodging house or any place where articles of food and drink are sold or prepared, stored or exposed for sale, being a lodging house or place in which a case of dangerous disease exists or has recently occurred, shall be closed for such period as may be specified in the order:

Provided that such lodging house or place may be declared to be open if the Nagar Swasthya Adhikari certifies that it has been disinfected or is free from infection.

Persons suffering from dangerous disease, etc. not to do certain things

410- No person while suffering from any dangerous disease or loathsome disorder shall-

(a) make or offer for sale an article of food or drink for human consumption or a medicine or drug, or

(b) wilfully touch any such article, medicine or drug when exposed for sale by others, or

(c) take any part in the business of washing or carrying soiled clothes.

Mukhya Nagar Adhikari may take special mea-sures on out-break of any dangerous disease

411- (1) In the event of the City being at any time visited or threatened with an outbreak of any dangerous disease, or in the event of any infections disease breaking out or being likely to be introduced into the City, the Mukhya Nagar Adhikari if he thinks the ordinary provisions of this Act and any rules thereunder or of any other law at the time in force are insufficient for the purpose, may, with the sanction of the State Government-

(a) take such special measures, and

(b) by public notice prescribe such temporary orders to be observed by the public or by any person or class of persons, as are specified in any rules in this behalf and as he shall deem necessary to prevent the outbreak of such disease or the spread thereof.

(2) The Mukhya Nagar Adhikari shall forthwith report to the [Corporation][1] any measures taken and any orders made by him under sub-section (I).

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Disposal of the Dead

Places for disposal or the dead to be registered

412- (1) Every owner or person having the control of any place already used for burying or otherwise disposing of the dead, shall apply to the Mukhya Nagar Adhikari within a period of six months from the appointed day to register the same and the Mukhya Nagar Adhikari shall cause the same to be registered.

(2) Such applications shall be accompanied by a plan bearing the signature of a licensed surveyor in token of its having been prepared by or under the supervision of such surveyor, of the place to be registered, showing the locality, boundaries and extent of the same. The application shall also contain information as regards the name of the owner or person or community interested therein, the system of management and such further particulars as the Mukhya Nagar Adhikari may require.

(3) The Mukhya Nagar Adhikari may, on receipt of such application and plan, register the said place in a register which shall be kept for this purpose.

(4) The Mukhya Nagar Adhikari shall cause to be deposited in the [Corporation][1] office at the time of registration the plan referred to in sub-section (2).

(5) If the Mukhya Nagar Adhikari is not satisfied, with the plan or statement of particulars he may refuse or postpone registration, until his objections have been removed.

(6) Every place vesting in the [Corporation][1] used for burying, burning or otherwise disposing of the dead shall be registered in the register kept under sub-section (3), and a plan showing the locality, extent and boundaries thereof and bearing the signature of the Mukhaya Nagar Adhikari shall be deposited in the [Corporation][1] office.

New places for disposal of the dead net to be opened without permission of Mukhya Nagar Adhikari

413- No place shall which has never previously been lawfully used as a place for the disposal of the dead and registered as such be opened by any person for the said purpose without the written permission of the Mukhya Nagar Adhikari who, with the approval of the [Corporation][1], may grant or withhold such permission.

Provisions of new places for disposal of the dead

414- (1) If the existing places for the disposal of the dead shall at any time appear to be insufficient or if any place is closed under the provisions of section 415 the Mukhya Nagar Adhikari shall, with the sanction of the [Corporation][1] provide other fit and convenient places for the said purpose, either within or without the city, and shall cause the same to be registered in the register kept under section 412 and shall deposit in the [Corporation][1] office, at the time of registration of each place so provided, a plan thereof showing the locality, extent and boundaries of the same.

(2) All the provisions of this Act and the rules and byelaws shall apply to any place provided under sub-section (I) without the City and vesting in the [Corporation][1] as if such place were situate within the City.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Places for disposal of the dead to be registered

415- (1) If after personal inspection the Mukhya Nagar Adhikari is at any time of opinion-

(a) that any place of public worship is or is likely to become injurious to health by reason of the state of the vaults or graves within the walls of or underneath the same, or in any churchyard or burial ground adjacent thereto, or

(b) that any other place used for the disposal of the dead is or is likely to become injurious to public health,

he may submit his considered opinion with the reasons therefor to the [Corporation][2], and the [Corporation][2] shall forward the same with its opinion, for the consideration of the State Government.

(2) Upon receipt of the opinion mentioned in sub-section (1) the State Government after such further enquiry as it deems fit to make, may, by notification published in the official Gazette and in such newspapers all it may deem necessary, direct that such place of public worship or other place shall no longer be used for the disposal of the dead.

(3) On the expiration of three months from the date of any such notification, the place to which it relates hall no longer be used for the disposal of the dead.

(4) Private space set apart for burial may be exempted from any such direction subject to such conditions as the Mukhya Nagar Adhikari may impose III this behalf, provided that the limits of such space are suffciently defined and that it shall only be used for the burial of members of the family of the owners thereof.

re-opening of place for burial of the dead

416- (1) If, after personal inspection, the Mukhya Nagar Adhikari is of opinion that any place which bad been closed under the provisions of section 415 has, be lapse of time, become no longer injurious to health and may without risk or danger be again used for the said purpose, he may submit his opinion with the reasons therefor to the [Corporation][2], which shall forward the same, with its opinion for the consideration of the Stale Government.

(2) Upon receipt of such opinion the State Government after such further enquiry as it deems fit to make, may, by notification in the official Gazette direct that such place be re-opened for the disposal of the dead.

Burials within places of worship and exhumations not to be made without permission of Mukhya Nagar Adhikari

417- (1) No person shall, without the written permission of the Mukhya Nagar Adhikari under sub-section (2)-

[(a) make any vault 01 grave or interment within any wall of any place of worship or underneath any passage, porch, portico, plinth or verandah of any such place;][1]

(b) make any internment or otherwise dispose of any corpse in any place which is closed for the dead under section 415;

1. Sub. by s. 22 of U.P. Act No. 21 of 1964.

2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(c) build, dig, or cause to be built or dug any grave or vault, or in any way dispose of or suffer or permit to be disposed of, any corpse at any place which is not registered in the register kept under section 412;

(d) exhume any body, except under the provisions of section 176 of the Code of Criminal Procedure, 1898, or of any other law for the time being in force from any place for the disposal of the dead.

(2) The Mukhya Nagar Adhikari may in special cases grant permission for any of the purposes aforesaid, subject to such general or special orders as the State Government may from time to time make in this behalf.

Acts prohibited in connection with disposal of dead

418- No person shall-

(a) retain a corpse on any premises without burning, burying or otherwise lawfully disposing of the same, for so long a time after death as to create a nuisance;

(b) carry a corpse or part of a corpse along any street without having and keeping the same decently covered or Without taking such precautions to prevent risk of infection or injury to the public health as the Mukhya Nagar Adhikari may, by public notice, from time to time think fit to require;

(c) except where no other route is available, carry a corpse or part of a corpse along any street along which the carrying of corpse is prohibited by a public notice issued by the Mukhya Nagar Adhikari in this behalf;

(d) remove a corpse or part of a corpse, which has been kept or used for purposes of dissection, otherwise than in a closed receptacle or vehicle;

(e) whilst conveying a corpse or part of a corpse place or leave the same on or near any street without urgent necessity;

(f) bury or cause to be buried any corpse or part of a corpse in a grave or vault or otherwise in such manner as that the surface of the coffin, or, when no coffin is used, the corpse or part of a corpse shall be at a less depth than six feet from the surface of the ground;

(g) build or dig, or cause to be built or dug, any grave or vault in any burial ground at a less distance than two feet from the margin of any other grave or vault;

(h) build or dig or cause to be built or dug, a grave or vault in any burial ground in any line not marked out for this purpose by or under the order of the Mukhya Nagar Adhikari ;

(i) without the written permission of the Mukhya Nagar Adhikari, re-open for the internment of a corpse or of any part of a corpse, a grave or vault already occupied:

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(j) after bringing or causing to be brought to a burning ground any corpse or part of a corpse, fail to burn or cause the same to be burnt within six hours from the time of the arrival thereof at such ground;

(k) When burning or causing to be burnt any corpse, or part of a corpse, permit the same or any portion thereof to remain with- out being completely reduced to ashes or permit any cloth or other article used for the conveyance or burning of such corpse or part of a corpse to be removed or to remain on or near the place of burning without its being completely reduced to ashes.

State Govern- ment may extend provisions of chapter outside limits of City

419- The State Government may, by order which shall be published in the official Gazette apply to any area to be specified in the order but not lying beyond a distance of two miles from the limits of the City, the provisions of any section in this chapter and of rules made thereunder, subject to adaptations whether by way of modification, addition or omission, as it may deem to be necessary and expedient and thereupon they provisions and rules so applied shall have effect in that area as if it were within the City.

Power to make rules

420- (1) The State Government may make rules for the purposes of carrying into effect the provisions of this Chapter.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers such rules may be provided for- --

(i) liability of owners and occupiers to collect and deposit dust, etc;

(ii) liability of occupiers in areas not covered by section 388 to have collected and conveyed to receptacles, etc provided under section 385 excrementitious and polluted matter accumulating upon their premises;

(iii) removal of rubbish and filth accumulating in large quantities on premises;

(iv) removal of nuisance caused by-

(a) accumulating of building materials on premises;

(b) defective roofs or other insanitary condition of premises;

(c) smoke of kitchens in dwelling houses and other smoke, dust, etc.

(d) pools, swamp, ditch, tank, well, pond, quarry holes, drain, water-course or any collection of water;

(e) dangerous tanks, wells, holes, etc. ;

(f) dangerous quarrying;

(g) collection of offensive matter in premises;

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(v) cleansing of insanitary private water-course, spring, tank, well, etc. used for drinking;

(vi) regulation of keeping and tethering of animals in the City;

(vii) sanitary regulation of factories or workshops, work-place, etc. subject to the provisions of the Indian Boilers Act, 1923 and supplying of information connected therewith;

(viii) regulation of washing of clothes by washer men and provision of washing places;

(ix) giving of information of animals suffering from contagious or infection diseases;

(x) disinfection of houses and other public and private places to prevent spread of dangerous diseases;

(xi) prohibition and regulation of the use of whistles, trumpets, loudspeakers and other noise-producing instrument operated by any mechanical means;

(xii) the removal, trimming and cutting of trees and hedges.

CHAPTER XVI

Regulation of Markets, Slaughter-houses, Certain Trades and Acts, etc.

What to be deemed private markets and slaughter-houses

421- For the purposes of this Chapter all markets and slaughter houses other than [Corporation][1] markets and slaughter-houses shall be deemed to be private markets and slaughter-houses.

Mukhya Nagar Adhikari's powers in respect of [Corporation][1] markets and slaughter houses, etc.

422- Subject to the provisions of this Act and the rules and bye-laws framed thereunder the Mukhya Nagar Adhikari shall have the power-

(a) upon being authorized by the [Corporation][1] in that behalf, to construct, purchase, take on lease or otherwise acquire any building or land for the purpose of establishing a [Corporation][1] market or a [Corporation][1] slaughter-house or stock-yard within, and with the prior sanction of the State Government, without the limits of the [Corporation][1] and of extending or improving any existing [Corporation][1] market or Slaughter-house;

(b) from time to time, to build and maintain such [Corporation][1] markets, slaughter-houses and stock-yards and such stall, shops, sheds, pens and other buildings or conveniences as may be deemed necessary for the use of the persons carrying on trade or business in, or frequenting, such [Corporation][1] markets, slaughter- houses or stock-yards;

(c) to provide for maintaining in any such [Corporation][1] markets, such buildings, places, machines, weights, scales and measures for weighing and measuring, goods sold therein as he shall think fit ;

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(d) upon being authorized by the Mabapalika in that behalf, to close any [Corporation][1] market or slaughter-house or stock-yard or any portion thereof and to dispose of as the property of the [Corporation][1] the premises occupied for

any market or slaughter-house or stock-yard or any portion thereof so closed;

(e) with the previous sanction of the [Corporation][1],to prohibit by public notice from time to time within a distance of fifty yards of any [Corporation][1] market the sale or exposure for sale of the commodities or of any of the commodities specified in the notice ordinarily sold in the said [Corporation][1] market and with like sanction to cancel or modify any such notice at any time;

(f) to charge for the occupation or use of any stall, shop, standing, shed or pen or other building in a [Corporation][1] market, slaughter-house or stock-yard, and for the right to expose goods for sale in a [Corporation][1] market, and for weighing and measuring goods sold in any such market and for the right to slaughter animals in any [Corporation][1] slaughter-houses, such stallages, rents and fees as shall, from time to time be fixed by him, with the approval of the Executive Committee, in that behalf;

(g) with the approval of the Executive Committee, farm the stallages, rents and fee leviable as aforesaid or any portion thereof, for any period not exceeding one year at a time, or

(h) to put up to public auction or with the approval of the Executive Committee, dispose of, by private sale, the privilege of occupying or using any stall, shop, standing, shed or pen or other building in a [Corporation][1] market, slaughter-house or stock-yard for such term and on such conditions as he shall think fit.

Opening of private markets and of private slaughter houses

423- (1) The [Corporation][1] shall from time to time determine whether the establishment of new private markets or the establishment or maintenance of private slaughter-houses shall be permitted in the City or in any specified portion of the City.

(2) No person shall establish a private market for the sale of, or for the purpose of exposing for sale, animals intended for human food, or any article of human food or livestock or articles of food for livestock or shall establish or maintain a private slaughter-house except with the sanction of and after obtaining a licence from the Mukhya Nagar Adhikari who shall be guided in giving such sanction and licence by the decisions of the [Corporation][1] at the time in force under sub-section (1) :

Provided that the Mukhya Nagar Adhikari shall not refuse to give sanction or to grant licence for running a private market or a slaughter- house already lawfully established on, the appointed day if application for such sanction and licence is made within two months of the appointed day, except on the ground that the place where the market or slaughter-house is established fails to comply with any requirements of this Act or of any rule or bye-law framed thereunder.

(3) When the establishment of a private market or a slaughter-house has been so sanctioned, the Mukhya Nagar Adhikari shall cause a notice of such sanction to be affixed in Hindi and such other language or languages as the [Corporation][1] may from time to time specify on some conspicuous spot on or near the building or place where such market is to be held.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Explanation-For the purpose of sub-section (2) the owner or occupier of a place in which a private market or slaughter house is established shall be deemed to have established such market.

(4) The Mukhya Nagar Adhikari shall not cancel or suspend or refuse to renew any licence for keeping open a private market for any cause other than the failure of the owner thereof to comply with some provision of this Act, or with some regulation or with some bye-law.

(5) The Mukhya Nagar Adhikari may cancel or suspend any licence for failure of the owner of a private market to give in accordance with the conditions of his licence a written receipt for any stallage, rent, fee, or other payment received by him or his agent from any persons for the occupation or use of any stall, shop, standing, shed, pen or other place therein.

(6) When the Mukhya Nagar Adhikari has refused, cancelled or suspended any licence to keep open a private market he shall cause a notice of his having so done to be affixed in such language or languages as the [Corporation] may from time to time specify on some conspicuous spot on or near the building or place where such market has been held.

Removal of live cattle, sheep, goats or swine from any [Corporation] slaughter-house, stock-yard, market or premises

424- No person shall, without the written permission of the Mukhya Nagar Adhikari and without the payment of such fees as may be prescribed by him, remove any live cattle, sheep, goats or swine from any [Corporation][1] slaughter-house or stock-yard or from any [Corporation][1] market or premises used or intended to be used for or in connexion with such slaughter-house or stock-yard:

Provided that such permission shall not be required for the removal of any animal which has not been sold within such slaughter-house, stock-yard, market or premises and which has not been within such slaughter- house, stock-yard, market or premises for a period longer than that prescribed under orders made by the Mukhya Nagar Adhikari in this behalf, or which has in accordance with any bye-laws, been rejected as unfit for slaughter at such slaughter-house, market or premises.

Power to expel persons contravening rules, bye-laws or regulations

425- (1) The Mukhya Nagar Adhikari may expel from any [Corporation][1] market, slaughter-house or stock-yard any person, who or whose servant has been convicted of contravening any rule, bye-law or regulation in force in such market, slaughter-house or stock-yard and may prevent such person by himself or his servants from further carrying on any trade or business in such market, slaughter-house or stock-yard or occupying any stall, shop-standing, shed, pen or other place therein, and may determine any lease or tenure which such person may have in any such stall, shop, standing, shed, pen or place.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(2) If the owner of any private market or slaughter-house licensed under this Act or the lessee of such market or slaughter-house or any stall therein or any agent or servant of such owner or lessee has been convicted for contravention of any rule, bye-law or regulation the Mukhya Nagar Adhikari may require such

owner, lessee, agent or servant to re-move himself from any such market or slaughter-house within such time as may be mentioned in the requisition and if he fails to comply with such requisition, he may in addition to any penalty which may be imposed on him under this Act, be summarily removed from such premises:

(3) If it appears to the Mukhya Nagar Adhikari that in any such case the owner or lessee is acting in collusion with a servant or agent convicted as aforesaid who fails to comply with a requisition under sub- section (2), the Mukhya Nagar Adhikari may, if he thinks fit, cancel the licence of such owner or lessee in respect of such premises.

Prohibition of sale in [Corporation][1] markets without licence

426- (1) No person shall, without licence from the Mukhya Nagar Adhikari sell or expose for sale any animal or article in any [Corporation][1] market.

(2) Any person contravening this section may be summarily removed by any [Corporation][1] officer or servant.

Prohibition of sale in unautho- rized private markets

427- No person who knows that any private market has been established without the sanction of the Mukhya Nagar Adhikari, or is kept open after a licence for keeping the same open has been refused, cancelled or suspended by the Mukhya Nagar Adhikari, shall sell or expose for sale therein any animal or articles of human food or any livestock or food for livestock.

Prohibition of sale of animals etc. except in markets

428- No person shall, without a licence from the Mukhya Nagar Adhikari, sell or expose for sale-

(a) any four-footed animal or any meat or fish intended for human food, in any place other than a [Corporation][1] or private market;

(b) ices and syrups or aerated waters, Kulfi, sugarcane juice, cut or peeled fruit and vegetables, any confectionary or sweetmeats whatsoever or such other cooked food or other articles intended for human consumption as may from time to time by public notice be specified by the Mukhya Nagar Adhikari in any place other than a [Corporation][1] or private market or licensed eating house or sweetmeat shop.

Restriction on slaughter of animals for sale

429- No person shall without the permission of the Mukhya Nagar Adhikari slaughter or cause to be slaughtered any animal for sale in the City except in a [Corporation][1] slaughter-house or a licensed private slaughter-house.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Places for slaughter of animals not intended for sale or slaughtered for religious

430- The Mukhya Nagar Adhikari may, by public notice, and with the previous sanction of the [Corporation][1], fix premises within the City in which the slaughter of animals of any particular kind not for sale or the cutting up of carcass of any such animal shall be premitted, and prohibit, except in case of

purposes

necessity, such slaughter elsewhere within the City:

Provided that the provisions of this section shall not apply to animals slaughtered for any religious purpose.

Powers of District Magistrate in respect of animals not slaughtered for sale

431- Whenever it appears to the District Magistrate to be necessary for the preservation of the public peace or order, he may, subject to the control of the Prescribed Authority, prohibit or regulate, by public notice the slaughter, within the limits of a City, of animal or animals of any specified description for purposes other than sale and prescribe the mode and route in and by which such animals shall be brought to and meat shall be conveyed from, the place of slaughter.

Prohibition of import of cattle etc. into City without permission

432- (1) No person shall without the written permission of the Mukhya Nagar Adhikari bring into the City any cattle, sheep, goats or swine intended for human consumption, or the flesh of any such animal which has been slaughtered at any slaughter-house or place not maintained or licensed under this Act.

(2) Any police officer may arrest without warrant any person bringing into the City any animal or flesh in contravention of sub- section (I).

(3) Any animal brought into the City in contravention of this section may be seized by the Mukhya Nagar Adhikari or by any [Corporation] officer or servant or by any Police Officer or in or upon Railway premises by any Railway servant and any animal or flesh so seized may be sold or otherwise disposed of as the Mukhya Nagar Adhikari shall direct and the proceeds, if any, shall belong to the [Corporation][1] .

(4) Nothing in this section shall be deemed to apply to cured or preserved meat.

Mukhya Nagar Adhikari may enter any place where slaughter of animals or sale of flesh contrary to the provisions of this Act suspected

433- (1) If the Mukhya Nagar Adhikari shall have reason to believe that any animal intended for human consumption, has been or is likely to be slaughtered, or that the flesh of any such animal is being sold or exposed for sale, in any place or manner not duly authorized under the provisions of this Act, the Mukhya Nagar Adhikari may at any time, by day or by night, without notice, enter such place for the purpose of satisfying himself as to whether any provision of this Act or of any bye-law is being contravened thereat and may seize any such animal or the carcass of such animal or such flesh found therein .

(2) The Mukhya Nagar Adhikari may remove and sell by auction of otherwise dispose of any animal or the carcass of any animal or any flesh seized under sub-section (1).

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(3) If within one month of such seizure the owner of the animal, carcass or flesh fails to appear and prove his claim to the satisfaction of the Mukhya Nagar Adhikari or if such owner is convicted of an offence under this Act in respect of such animal or carcass or flesh the proceeds of any sale under sub-section (I) shall vest in the [Corporation][1].

(4) No claim shall lie against any person for compensation for any damage neccessarily caused by any entry made under sub-section (I) or by the use of any

force necessary for effecting such entry.

Mukhya Nagar Adhikari to provide for inspection of articles exposed for sale for human food

434- It shall be the duly of the Mukhya Nagar Akhikari to make provision for the constant and vigilant inspection of animals, carcasses, meat, poultry, game, flesh, fish, fruit, vegetables, corn, bread, flour, dairy produce and any other article exposed or hawked about for sale or deposited in or brought to any place for the purpose of sale or of preparation for sale and intended for human food or for medicine, the proof that the same was not exposed or hawked about or deposited or brought for any such purpose or was not intended for human food or for medicine resting with the party charged.

Unwholesome articles etc. to be seized

435- (1) The Mukhya Nagar Adhikari may at all reasonable times inspect and examine any such animal or article as aforesaid and any utensil or vessel used for preparing, manufacturing or containing the same.

(2) If any such animal or article appears to the Mukhya Nagar Adhikari to be diseased or unsound or unwholesome or unfit for human consumption, as the case may be, or is not what it is represented to be, or if any such utensil or vessel is of such kind or in such state as to render any article prepared, manufactured or, contained therein unwholesome or unfit for human consumption, he may seize and carry away such animal, article, utensil or vessel, in order that the same may be dealt with as hereinafter provided and he may arrest and take to the nearest police station any person in charge of any such animal or article.

Disposal of perishable articles seized under section 435

436- If any meat, fish, vegetable or other article of a perishable nature be seized under section 435 and the same is in the opinion of the Mukhya Nagar Adhikari, diseased, unsound, unwholesome or unfit for human consumption, as the case may be, the Mukhya Nagar Adhikari shall cause the same to be forthwith destroyed in such manner as to prevent its being again .exposed for sale or used for human consumption and the expense thereof shall be paid by the person in whose possession such article was at the time of its seizure.

Regulation of offensive trade

437- (1) If it is shown to the satisfaction of the Mukhya Nagar Adhikari that any building or place within the limits of the City which any person uses or intends to use as a factory or other place of business for the manufacture, storage, treatment or disposal of any article, by reason of such use, or by reason of such intended use, occasions or is likely to occasion a public nuisance, the Mukhya Nagar Adhikari may at his option require by notice the owner or occupier of the building or place-

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(a) to desist or refrain, as the case may be, from using or allowing to be used, the building or place for such purpose, or

(b) only to use, or allow to be used, the building or place for such purpose under such conditions or after such structural alterations as the [Corporation][1] imposes or prescribes in the notice with the object of rendering the use of the building or place for such purpose free from objection.

(2) Whoever, after receiving a notice given under sub-section (I), uses or allows to be used any building or place in contravention of the notice shall be liable on conviction to a fine which may extend to two hundred rupees and to a further fine which may extend to forty rupees for every day on which he so uses of allows to be used the place or building after the date of the first conviction.

Certain things not be kept, and certain trade and operations not to be carried on without licence

438- (1) Except under and in confirmity with the terms and conditions of a licence granted by the Mukhya Nagar Adhikari, no person shall-

(a) keep in or upon any premises any article specified in the bye- laws in any quantity or in excess of the quantity specified in the bye-laws as the maximum quantity of such article which may at one time be kept in or upon the same premises without a licence, and

(b) keep in or upon any building intended for or used as a dwelling or within fifteen feet of such building cotton, in pressed bales or boras, or loose, in quantity exceeding four hundred-weight;

(c) keep, or allow to be kept, in or upon any premises horses, cattle or other four-footed animals-

(i) for sale,

(ii) for letting out on hire,

(iii) for any purposes for which any charge is made or any remuneration is received, or

(iv) for sale of any produce thereof;

(d) carryon or allow to be carried on, in or upon any premises-

(i) any trade or operations connected with any trade specified in the bye-laws,

(ii) any trade or operation which is dangerous to life or health or property, or likely to create a nuisance either from its nature or by reason of the manner in which or the conditions under which, the same, is or is proposed to be carried on;

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(e) carryon within the City, or use any premises, for trade or operation of a farrier.

(2) A person shall be deemed to have known that a trade or operation is dangerous or likely to create a nuisance within the meaning of paragraph (ii) of clause (d) of sub-section (I), if written notice to that effect, signed by the Mukhya Nagar Adhikari, has been served upon such person or affixed to the premises to which it relates.

(3) A person shall be deemed to carryon or to allow to be carried on a trade or operation within the meaning of clause (d) of sub-section (I) if he does any act in furtherance of such trade or is in any way engaged or concerned therein whether as principal, agent, clerk, master, servant, workman, handicraftsman or otherwise.

(4) when any premises are used in the manner prescribed in clause (c) or (d) of sub-section (1) it shall be presumed, until the contrary is proved, that the owner or occupier of such premises, or both have permitted such use.

(5) It shall be lawful for the Mukhya Nagar Adhikari---

(a) to grant any licence referred to in sub-section (1) subject to such further restriction or conditions (if any), as he shall think fit in the circumstances of the case, or

(b) to withhold any such licence.

(6) Every person to whom a licence is granted by the Mukhya Nagar Adhikari under sub-section (l) shall keep such licence in or upon the premises, if any, to which it relates.

(7) The Mukhya Nagar Adhikari may at any time by day or night enter or inspect any premises, for the use of which a licence has been granted under this section.

(8) Nothing in sub-sections (6) and (7) shall be deemed to apply to mills for spinning or weaving cotton, jute, wool or silk or to any other large mill or factory which the Mukhya Nagar Adhikari may from time to time with the approval of the Executive Committee, specially exempt from, the operation thereof.

(9) No claim shall lie against any person for compensation for any damage necessarily caused by any such entry or by the Use of any force necessary for effecting such entry provided that force shall not be used for effecting an entry, unless when there is reason to believe that an offence is being committed against some provision of this Act or some bye-law made under this Act.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Butchers and persons who sell flesh of animals to be licensed

439- No person shall, without or otherwise than in conformity with the terms of a licence granted by the Mukhya Nagar Adhikari in this behalf-

(a) carryon within the City, or at any [Corporation][1] slaughter-house, the trade of a butcher ;

(b) use any place in the City for the sale of the flesh of any animal intended for human consumption or any place without the City for the sale of such-flesh for consumption in the City.

Licence required

440- No person shall without, or otherwise than in conformity with the terms of a

for dealing in dairy produce

licence granted by the Mukhya Nagar Adhikari in this behalf-

(a) carry on within the City the trade or business of a dairyman;

(b) use any place in the Pity as a dairy or for the sale of any dairy produce.

Conditions under which architects, engineers, structural designers, surveyors, or plumbers, can carry on their respective professions in the City

441- (1) Every-architect, engineer, structural designer, surveyor or plumber carrying on his profession in the City shall take out a licence in that behalf from the Mukhya Nagar Adhikari.

(2) The licence shall be for a term to be fixed by bye-laws, but may be renewed as often as may be necessary for further terms on payment of the prescribed fee.

(3) No licence shall be granted under section (1) unless the person applying therefor possesses the qualifications prescribed in that behalf and no application for a licence shall be refused if the applicant possesses those qualifications except on the ground that there is a reasonable apprehension that he is incompetent or has been found guilty of gross misconduct in the discharge of his duty as architect, engineer, structural designer, surveyor, or plumber, as the case may be.

Licenced plumbers to be bound to execute work properly

442- No licensed plumber shall execute any work under this Act carelessly or negligently make use of bad material, appliance or fitting for the purpose of such work.

Executive Committee to fix fees for plumbers

443- The Executive Committee shall fix the fees or charges to be paid to licensed plumbers for any work done by this for all or any purpose under this Act, and no licensed plumber shall demand or receive more than the fee or charge so prescribed for-any such work.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Loitering and soliciting for immoral purpose

444- Whoever, in a street or public place .within the limits of the City loiters for the purpose of prostitution or importunes a person to the commission of sexual immorality, shall be liable on conviction to a fine which may extend to fifty rupees :

Provided that no. court shall take cognizance of an offence under this section except on the complaint of the person importuned or on the complaint of a [Corporation][1] or a police officer not below the rank of a sub-inspector respectively authorized in this behalf in writing by the [Corporation][1] and the District Magistrate.

Brothels etc. 445- (1) When a magistrate of the first class receives information-

(a) that a house in the vicinity of a place of worship or an educational institution or a boarding house, hostel or mess used or occupied by students is used as a brothel or for the purpose of habitual prostitution or by disorderly persons of any description, or

(b) that any house is used as aforesaid to the annoyance of respectable inhabitants in the vicinity, or

(c) that a house in the immediate neighborhood of a Cantonment is used as a brothel or for the purpose of habitual prostitution, he may summon the owner, tenant, manager or occupier of the house to appear before him either in person or by agent; and if satisfied that the house is used as described in clause (a), clause (b), or clause (c), may by a written: order, direct such owner, tenant, manager, or occupier, within a period to be stated in such order, not less than five days from the date thereof; to discontinue such use:

Provided that action under this sub-section shall be taken only—

(i) with the sanction or by order of the District Magistrate, or

(ii) on the complaint of three or more persons residing in the immediate vicinity of the house to which the complaint refers, or

(iii) on the complaint of the [Corporation][1].

(2) If a person against whom an order has been passed by a Magistrate under sub-section (1) fails to comply with such order within the period stated therein, the Magistrate may impose on him a fine which may extend to one hundred rupees for every day after the expiration of that period during which the house is so used.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

begging, etc. 446- whoever, in a street or public place within the City, begs importunately for alms, or exposes or exhibits with the objects of exciting charity a deformity or disease or an offensive sore or wound, shall be liable on conviction to imprisonment which may extend to one month or to a fine which may extend to fifty rupees or to both.

Improper feeding of animals kept for dairy, purposes or used for food 447- No person shall feed or allow to be fed animal which is kept for dairy purposes, or may be used for food, on filthy or deleterious substances.

Stacking, etc. of in-flammable materials

448- The Mukhya Nagar Adhikari may, where it appears to be necessary for the prevention of danger to life or property, by public notice prohibit all persons from stacking or collecting wood, dry grass, straw or other inflammable materials, or from placing mats or thatched huts or lighting fires in a place or within limits specified in the notice.

displacing pavements, etc.

449- (1) No person shall displace, take up or make an alteration in, or otherwise interfere with, the pavement, gutter flags or other materials of public street, or the fences, walls or posts thereof, or a [Corporation][1] lamp, lamp-post, bracket, direction-post stand-post, hydrant or other such [Corporation][1] property therein without the written consent of the Mukhya Nagar Adhikari or other lawful authority, and no person shall extinguish a [Corporation][1] light.

(2) Any expense incurred by the [Corporation][1] by reason of the doing of any such things as is mentioned in sub-section (I) may be recovered from the offender in the manner provided by Chapter XXI.

Discharging firearms, etc.

450- No one shall discharge firearms or let off fireworks or fire baloons or engage in a game, in such a manner as to cause, or to be likely to cause, danger to persons passing by or dwelling or working in the neighborhood, or risk of injury to property.

General provisions regarding grant, suspension or revocation of licence and written permission and levy of fees, etc,

451- (1) Whenever it is provided by or under this Act that a licence or a written permission may be given for any purpose, such licence or written permission shall specify the period for which and the restrictions and conditions subject to which, the same is granted and the date by which an application for the renewal of the same shall be made and shall be given under the signature of the Mukhya Nagar Adhikari or of a [Corporation][1] Officer empowered under section its to grant the same.

(2) Except as may otherwise be provided by or under this Act, for every such licence or written permission a fee may be charged at such rate as shall from time to time be fixed by, the Mukhya Nagar Adhikari, with the sanction of the [Corporation][1].

1. ~~Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.~~

(3) Subject to the provisions of the proviso to sub-section (2) of section 423 any licence or written permission granted under this Act may at any time be suspended or revoked by the Mukhya Nagar Adhikari, if he is satisfied that it has been secured by the holder through misrepresentation or-fraud or if any of its respecting or condition is infringed or evaded by the person to whom the same has been granted, or if the said person is convicted of an infringement of any of the provisions of this Act or of any rule, bye-law or regulation in any matter or to which such licence or permission relates.

(4) When any such licence or written permission is 'Suspended or removed, or when the period for which the same was granted has expired, the person to whom the same was granted shall, for all purposes of this Act be deemed to be without a licence or written permission, until the Mukhya Nagar Adhikari's

order for suspending or revoking the licence or written permission is cancelled by him or until the licence or written permission is renewed, as the case may be:

Provided that when an application has been made for the renewal of a licence or permission by the date specified therein the applicant shall be entitled to act as if it has been renewed pending the receipt of orders.

(5) Every person to whom any such licence or written permission has been granted shall, at all reasonable times, while such written permission or licence remains in force, if so required by the Mukhya Nagar Adhikari, produce such licence or written permission.

(6) Every application for a licence or permission shall be addressed to the Mukhya Nagar Adhikari,

(7) The acceptance by or on behalf of the Mukhya Nagar Adhikari of the fee for a licence or permission shall not in itself entitle the person paying the fee to the licence or permission.

Licence fees, etc.

452- The Mukhya Nagar Adhikari may charge a fee to be fixed by bye-law for any licence, sanction or permissision which he is entitled or required to grant by or under this Act.

Power to make rules

453- (1) The State Government may make rules to carry out the purposes of this Chapter.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power such rules may provide for-

(a) the regulation of sales with a or outside [Corporation] or private markets;

(b) defining or determining the limits of private markets;

(c) proper approaches and environs and ventilation for private markets;

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(d) proper pavement and drainage of private markets and slaughter-houses;

(e) issue or orders for the guidance of licensed surveyors, architects or engineers, structural designers, clerks, clerks of works and plumbers, respectively.

CHAPTER XVII

Vital Statistics

Registration of births and deaths

454- The Mukhya Nagar Adhikari shall cause to be maintained a register of births and deaths in which shall be entered in the manner prescribed, every birth or death taking place in the City.

Power to make rules

455- The State Government may frame, rules to provide for ;-

(a) the procedure for securing information regarding births and deaths in the City;

(b) the particulars to be entered in any register of births and deaths;

(c) the powers to be exercised by officers and servants of the [Corporation][1] for collecting the information regarding births and deaths.

(d) giving of information of each birth and deaths in the City by, the father, another, or other relation of the new born or the de- ceased, as the case may be, or by any, other person, to officer and servants of the [Corporation][1] and correction of errors in registers of births and deaths: -

(e) registration of the name of the child or of alteration of the names; and

(f) such other incidental and consequential matters as may be necessary for the purpose of carrying out the provisions of this Chapter.

CHAPTER XVIII

Compensation

General power of Mukhya Nagar Adhikari to pay compensation

456- In any case not otherwise expressly provided form this Act, or in any rule or bye-law made thereunder, the Mukhya Nagar Adhikari may with the previous approval of the Executive committee, pay compensation to any person who sustains damage by reason of the exercise of any of the powers vested by this Act or by any such rule or bye-laws in the Mukhya Nagar Adhikari, or in any Mahapalika Officer or servant.

Compensation to the owner for value of immovable property deteriorated

457- (1) In any case in which, immovable property has deteriorated in value owing to the exercise of any power conferred by sections 231, 232, 249, 250, 151 and 284, the [Corporation][1] may offer to the owner of the property reasonable compensation .

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(2) If the owner of the property which has deteriorated in value accepts the, compensation, he Shall be deemed to have granted to the [Corporation][1] a perpetual right to continue the exercise of its powers under any of the said sections in such manner as not to create greater nuisance or to cause greater damage than was being created, or caused at the time when compensation was received.

Principle on which and manner in which compensation should be determined

458- (1) In determining the amount of compensation to be paid under sub-section (1) of section 457 the Mukhya Nagar Adhikari or the [Corporation][1], as the case may be, shall be guided as far as may be, by the provisions of section, 23 and 24 of the Land Acquisition Act, 1894 as amended by this Act and as to matters which cannot be dealt with under these provisions by such provisions as may be prescribed by rules.

(2) Any person aggrieved by the decision of the Mukhya Nagar Adhikari or

the [Corporation][1] in the matter of award of compensation, under section 456 or section 457, as the case may be, may within period-of one month, appeal to the judge in accordance with the provisions of Chapter XX.

power to make rules 459- (1) The State Government may make rules to carry out the purposes of this Chapter.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power such rules may provide for--

(a) the principles on the basis of which compensation shall be determined;

(b) assessment of compensation by the Mukhya Nagar Adhikari ;

(c) filing and disposal of objections to tentative assessments .

CHAPTER XIX

Penalties

Certain offence a punishable with fine 460- (1) Whoever-

(a)contravenes any provision of any of the sections, sub-sections or clauses mentioned in the first column of Part I of the table in Schedule III or of any order made thereunder, or

(b) fails to comply with any requisition lawfully made upon him under any of the said sections, sub-sections or clauses,

shall be punished, for each such offence with fine which may extend to the amount mentioned in that behalf in the second column of the said Part.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(2) Whoever, after having been convicted of-

(a) contravening any provision of any of the sections, sub-sections or clauses mentioned in the first column of Part II of the table in Schedule III or of any order made thereunder, or

(b) failing to comply with any requisition lawfully made upon him under any of the said sections, sub-sections or clauses,

Continues to contravene the said provision or to neglect to comply with the said requisition or fails to remove or rectify any work or thing done in contravention of the said provision, as the case may be, or fails to vacate any premises shall be punished, for each day that he continues so to offend, with fine which may extend to the amount mentioned in that behalf in the second column of the said Part.

Offence punishable under the Penal Code

461- (1) Whoever contravenes any provision of any of the sections, sub-sections or clauses of this Act mentioned in the first column of the following table or of any order made thereunder, and whoever fail s to comply with any requisition lawfully made upon him under any of the said· sections, sub-sections or clauses, shall be deemed to have committed an offence punishable under the section of the Indian Penal Code respectively specified in the second column of the said table as the section of the said Code under which such person shall be punishable, namely :

section of this Act	sections of the Indian Penal Code under which offenders are punishable
[267 (3)][1], 400, clauses (a), (b), (c), (d), (e), and (f)	277
411	188
556	177

(2) Whoever fails to comply with a lawful requisition, notice or order of the Mukhya Nagar Adhikari for information or a written return relative to the determination of the annual value of any building or to the levy or assessment of any [Corporation] tax or whoever furnishes information or makes a return which he knows to be false, incorrect or misleading shall be deemed to have committed an offence punishable under section 176 or section 177 of the Indian Penal Code, as the case may be.

462- [***][3]

1. Subs, by section 2 (6) of U. P. Act No. 23 of 1961.
2. substituted by section 3 of U.P. Act No. 12 of 1994.
3. Omitted by section 64 ibid.

Penalty on member or Nagar Pramukh acquiring interest in contract etc.

463- A member or Nagar Pramukh of a [Corporation][1] who, otherwise than with the permission in writing of the Prescribed Authority, knowingly acquires or continues to have, directly or indirectly, by himself or his partner, any share or interest in any contract or employment; with by, or on behalf of the [Corporation][1], shall be deemed to have committed an offence under section l68 of the Indian Penal Code:

Provided that a person shall not be deemed for the purposes of this section to acquire, or continue to have, any share or interest in a contract or employment by reason only of his-

(a) having a share or interest in any lease, sale or purchase of land or buildings or in any agreement for the same, provided that such share or interest was acquired before he became a member or Nagar Pramukh, or

(b) having a share in a joint stock company which shall contract with, or be employed by, or on behalf of, the [Corporation],[1] or

(c) having a share or interest in a newspaper in which an advertisement

relating to the affairs of the [Corporation][1] is inserted, or

(d) holding a debenture or otherwise being interested in a loan raised by, or on behalf of, the [Corporation][1], or

(e) being retained by the [Corporation][1] as a legal practitioner, or

(f) having a share or interest in the occasional, sale of an articlein which he regularly trades to the [Corporation][1] to a value not exceeding, in anyone year, such amount as the [Corporation][1], with the sanction of the State Government, fixes in this behalf, or

(g) being a party to an agreement made with the [Corporation][1] for the supply of water for charges.

Provision against servants being interested in contract. etc.

464- (1) A person who has directly or indirectly, by himself or his partner, a share or interest in a contract with, by, or on behalf of a [Corporation][1] or in any employment with, under, by or on behalf of, a Mabapalika, other than as a [Corporation][1] servant, shall be disqualified for being a servant of such [Corporation][1].

(2) A [Corporation][1] servant who shall acquire or continue to have, directly or indirectly, by himself or his partner, a share or interest in any, such contract or employment as aforesaid shall cease to be a [Corporation][1] servant, and his office shall become vacant.

(3) A [Corporation][1] servant who knowingly acquires or continues to have, directly or indirectly, a share or interest in a contract or, except in so far as concerns his employments a [Corporation][1] servant, in any employment with, under, by or on behalf of, a [Corporation][1] of which he is a servant, shall be deemed to have committed an offence under section 168 of the Indian Penal Code.

1. substituted by section 3 of U.P. Act No. 12 of 1994.

(4) Nothing in this section shall apply to any such share or interest in a contract or employment with, under, by, or on behalf of, the [Corporation][4] as is referred to in clauses (b), (d), and (g) of proviso to section 463, or to any share or interest acquired or retained with the permission of the Prescribed Authority, in any lease, sale or purchase of land or buildings, or in any agreement for the same.

Punishment for contravention of sections 112-C and 112-D

[464-A Whoever acts or abets the commission of an act which is in contravention of the provisions of section 112-C or section 112-D shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to five hundred rupees or with both.][2]

Punishment for offences against section 267

465- (1) Whoever contravenes any provision of [sub-section (2)][3] of section 267 shall, on conviction, be punished with imprisonment which may extend to one month or with fine which may extend to one hundred rupees or with both.

(2) When any person is convicted under sub-section (1) the Magistrate who convicts him may order the immediate removal of any, building, or the immediate

discontinuance of the operation or use of land, in respect of which such conviction has been held.

(3) If any order made under sub-section (2) is disobeyed or the execution thereof resisted, the offender shall, on conviction, be punished with imprisonment which may extend to one month or with fine which may extend to one hundred rupees or with both.

466- {***}[3]

General penalty 467- Whoever contravenes any provision of this Act or rule, bye-law, regulation, licence, permission or notice issued thereunder or fails to comply with any requisition lawfully made under any such provision shall, if no penalty is provided in any other provision of this Act for such contravention or failure, be punished; for, each such offence, with fine which may extend to one hundred rupees and with further fine which may extend to twenty rupees for every day on which such contravention or failure continues after he first conviction.

Extent of penal responsibility of agents and trustees of owners 468- No person who receives the rent of any premises in any capacity described in paragraphs (i), (ii) or (iii) of sub-clause (a) of clause (52) of section 2 shall be liable to any penalty under this Act for omitting to do any act as the owner of such premises, if he shall prove that his default was caused by his not having funds of, or due to, the owner sufficient to defray the cost of doing the act required:

---

1. Subs. by s. 2 (7) of U. P. Act No. 23 or 1961.
2. Add. by s.23 of U. P. Act. No. 21 of 1964.
3. Chapter-III of omitted by section 12 of U.P. Act No. 09 of 1991.
4. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Offence by companies etc. 469- Where a person committing an offence under this Act or any rule, bye-law or regulation is a company or a body corporate, or an association of persons (whether incorporated or not), or a firm, every director, manager; secretary, agent or other officer or person concerned with the management thereof, and every partner of the firm shall, unless he proves that the offence was committed without his knowledge or consent, be deemed to be guilty of such offence.

Compensation payable by offenders against this Act for damage caused by them 470- (1) If, on account of any act or omission, any person has been convicted of an offence against this Act or against any rule, regulation or bye-law, and by reason of such act or, omission of the said person damage has occurred to any property of the [Corporation][1], compensation shall be paid by the said person for the said damage notwithstanding any' punishment to which he may have been sentenced for the said offence.

(2) In the event of dispute, the amount of compensation payable by the said person shall be determined by the Magistrate before whom he was convicted of

the said offence; and on non-payment of the amount of compensation so determined, the same shall be recovered under a warrant from the said Magistrate as, if it were a. fine inflicted by him on the person liable therefor.

CHAPTER XX

Proceedings before Judge, District Judge, Magistrate and others

References to the Judge

471- In the following cases a reference shall be made, to the Judge-

(1) whether the Mukhya Nagar Adhikari may be directed to remove a shaft or pipe on the application of the owner of a building or hut under section 249 ;

(2) regarding the amount of the price for the land required for setting forward a building under section 284 ;

(3) regarding the amount or payment of expenses for any work executed or any, measure taken or things done under the orders of the Mukhya Nagar Adhikari or any [Corporation][1] Officer under section 522;

(4) regarding the amount or payment of expenses or compensation and the apportionment thereof falling under any of the provisions of this Act or any rule or bye-law thereunder not otherwise specifically provided for.

Appeals against Valuations and Taxes

Appeals when and to whom to lie

472- (1) Subject to the provisions hereinafter contained, appeals against any annual value or tax fixed or charged under this Act shall be heard and determined by the Judge :

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

[Provided that any such appeal pending at any stage before the Judge may be transferred by the District Judge for hearing and disposal, to any Additional Judge of the Court of Small Causes or Civil Judge or Additional Civil Judge having Jurisdiction in the city.][6]

(2) No such appeal shall be heard unless-

(a) it is brought within fifteen days after the accrual of the cause of complaint;

(b) in the case of an appeal against an annual value an objection has previously been made [and has been disposed of under section 209;][1]

(c) in the Case of an appeal against any tax in respect of' which provision exists under this Act for an objection to be made to the Mukhya Nagar Adhikari against the demand, such objection has previously been made and disposed of;

[(d) in the case of an appeal against any amendment or alteration made in the assessment list for property taxes under sub-section (1) of section 213 an objection has been made in pursuance of a notice issued under the proviso to the said sub-section and such objection has been disposed of;][2]

(e) in the case of an appeal against a tax, or in the case or an appeal made against an annual value after a bill for any property tax assessed upon such value has been presented to the appellant, the amount claimed from the appellant has been deposited by him with the Mukhya Nagar Adhikari.

Cause of complaint when to be deemed to have accrued

473- For the purposes of section 472, cause of complaint shall be deemed to have accrued as follows, namely-

(a) in the case of an appeal against an annual value, on the day when the objection made [against such value under section 209][3] is disposed of;

(b) in the case of an appeal against any tax referred to in clause (c) of sub-section (2) of [section 472][4] on the day when the objection against the tax is disposed of by the authority concerned;

[(c) in the case of an appeal against any amendment or alteration made in the assessment list for property taxes under sub-section (1) of section 213, on the day when the objection made in pursuance of a notice issued under the proviso to the said sub- section is disposed of;][5]

---

1. Subs. by s. 24 (i) of U.P. Act No. 21 of 1964.
2. Subs. by s. 24 (ii) ibid.
3. Subs. by 8. 25 (i) ibid.
4. Subs. by s. 25 (ii) ibid
5. Subs. by s. 25 (iii) ibid
6. Ins. by s. 13 of U.P. Act No. 35 of 1978.
7. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(d) in the case of an appeal against a tax not covered by clause (b) above on the day when payment thereof is demanded or when a bill therefor is served.

Arbitration

474- Where any appeal against the annual value, or tax fixed or charged under this Act is pending and all the parties interested agree that any matter in difference between them shall be referred to arbitration, they may, at any time before a decision is given in such appeal, apply in writing to the Judge for an order of reference on such matter and on such application being made the provisions of the Arbitration Act, 1940, relating to arbitration in suits shall, so far as they can be made applicable, apply to such application and the proceedings to follow thereon, as if the said Judge were a Court within the meaning of the Act and the application were an application made in a suit.

Appointment of expert valuer

475- (1) If any party to an appeal against an annual value makes an application to the Judge either before the hearing of the appeal or at any time during the hearing of the appeal, but before evidence as to value bas been adduced, to direct a valuation of any premises in relation to which the appeal is made, the

Judge may, in his discretion, appoint a competent person to make the valuation and any person so appointed shall have power to enter on, survey and value the premises in respect of which the direction is given:

Provided that, except when the application is made by the Mukhya Nagar Adhikari no such direction shall be made by the Judge unless the applicant gives such security as the Judge thinks proper for the payment of the costs of valuation under this sub-section.

(2) The costs incurred for valuation under sub-section (1) shall be costs in the appeal, but shall be payable in the first instance by the applicant.

(3) The Judge may, and on the application of any party to the appeal shall, call as a witness the person under sub-section (l) for making the valuation and, when he is so called any party to the appeal shall be entitled to cross-examine him.

Appeal to the District Judge

476- An appeal shall lie to the District Judge- -

(a) from any decision of the Judge in an appeal under section 472 by which an annual value in excess of twelve thousand rupees is fixed, and

(b) from any other decision of the Judge in an appeal under the said section, upon a question of law or usage having the force of law or the construction of a document :

Provided that no such appeal shall be heard by the District Judge unless It is filed within One month from the date of the decision of the Judge.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Costs of proceedings in appeal

477- The costs of all proceedings in appeal under section 472 before the Judge including those of arbitration under section 474 and of valuation under section 475 shall be payable by such parties in such proportion as' the Judge shall direct and the amount thereof shall, if necessary, be recoverable, as if the same were due under a decree of a Court of Small Causes under the Provincial Small Cause Courts Act, 1887.

Un-appealed values and taxes and decisions on appeal to be final

478- (1) Every annual value fixed under this Act against which no complaint is made as hereinbefore provided and the amount of every sum claimed from any person under this Act on account of any tax, if no appeal therefrom is made as herein before provided, and the decision of the Judge aforesaid upon any appeal against any such value or tax if no appeal is made therefrom under section 476 and if such appeal is made the decision of the District Judge In such appeal shall be final.

(2) Effect shall be given by the Mukhya Nagar Adhikari to every decision of the said Judge or District Judge on any appeal against any such value or tax.

Appeals to the Judge and the District Judge

Appeals to the judge

479- In addition to any other appeals to the Judge provided under this Act, appeals shall lie to the Judge against the orders of the Mukhya Nagar Adhikari in the following cases, namely- -

(1) an order declining to remove a shaft or pipe under section 249;

(2) an order requiring a building to be set forward under section 284 ;

(3) an order requiring the owner or occupier to repair, protect or enclose a place found to be dangerous under section 308:

Provided that no such appeal shall lie unless it is filed within one month from the date of the order of the Mukhya Nagar Adhikari.

Appeal against demolition orders

480- (1) On an appeal being made under section 395 against a demolition order made under section 393 the Judge may make such order either confirming or quashing or varying the order as he thinks fit, and he may if he thinks tit, accept from an appellant any such undertaking as might have been accepted by the Mukhya Nagar Adhikari and any under-taking so accepted by the Judge shall have the like effect as if it had been given to and accepted by the Mukhya Nagar Adhikari under section 393 :

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Provided that the Judge shall not accept from an appellant upon whom such a notice as is mentioned in sub-section: (1), of section 393 was served, an undertaking to carry out any work unless the appellant complied with the requirements of sub-section (2) of that section.

(2) An appeal shall lie to the District Judge from a decision of the Judge on an appeal under this section, within one month of such decision, when the annual value entered in the Mukhya Nagar Adhikari's assessment book in accordance with the provisions of this Act, of the premises to which the demolition order appealed against wholly or partially relates, exceeds two thousand rupees.

(3) A decision passed by the Judge under this section if any appeal does not lie therefrom under sub-section (2), or if no appeal is filed; and if an appeal is filed, the decision of the District Judge in appeal, shall be final.

(4) Any order against which an appeal might be brought under this section shall if no such appeal is brought, become operative on the expiration of the period of twenty-one days mentioned in section, 395, and shall be final and conclusive as to any matters which could have been raised on such an appeal, and any such order against which an appeal is brought shall if and, so far as it is confirmed by the Judge, or the District Judge become operative as from the date of the final determination of the appeal.

(5) For the purposes of this section, the withdrawal of an appeal shall be deemed to be the final determination thereof, having the like effect as decision confirming the order repealed against and, subject as aforesaid, an appeal shall be deemed to be finally determined on the date when-the decision of the District Judge is given, or in a case where no appeal is brought to the District Judge, upon the expiration of the period within which such an appeal might have been brought, or in a case where no appeal lies to the District Judge on the date when the decision of the Judge is given.

Appeal against decision of the Judge regarding payment of expenses for works executed

481- (1) An appeal shall lie to the District Judge from a decision of the Judge, regarding the amount or payment of expenses for any work executed; when the amount of the claim in respect of which the decision is given exceeds two thousand rupees :

Provided that no such appeal shall be heard by the District Judge unless it is filed within one month from the date of the decision of the Judie.

(2) The decision of the Judge regarding the amount or payment of expenses for any work executed, if no appeal is filed under this section and, if an appeal is filed, the decision of the District Judge in such appeal shall be final.

(3) When an appeal is tiled under sub-section (1) in respect of a decision regarding the amount or payment of expenses for any work executed, the Mukhya Nagar Adhikari shall defer proceedings for the recovery of the amount determined under the said section to be due pending the decision of the District Judge and, after the decision, shall proceed to recover only such amount, if any, as shall be thereby determined to be due.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Proceedings before Judge

Remedy of owner of building or land against occupier who prevents his complying with any provisions of this Act

482- (l) If the owner of any building or land is prevented by the occupier thereof from complying with any provision of this Act or of any rule, regulation or bye-law or with any requisition made under this Act, or under any such rule, regulation or bye-law in respect of such building, or land, the owner may apply to the Judge.

(2) The Judge, on receipt of any such application, may make a written order requiring the occupier of the building or land to afford all reasonable facilities to the owner for complying with the said provision or requisition, or to vacate the premises temporarily if the said provision or requisition relates to any action under section 331 involving the safety or convenience of such occupier, and may also, if he thinks fit, direct that the colt of such application and order be paid by the occupier.

(3) After eight days from the date of such order, it shall be incumbent on the said occupier to afford all such reasonable facilities to the owner for the purpose aforesaid or to vacate the premises temporarily as shall be prescribed in the said order; and in the event of his continued refusal so to do the owner shall be discharged, during the continuance of such refusal, from any liability which he would otherwise incur by reason of his failure to comply with the said provision or requisition.

(4) Nothing in this section shall affect the powers of the Mukhya Nagar Adhikari under any provision of this Act to cause any premises to be vacated.

Power to summon witnesses and compel production of documents

483- The Judge shall, for the purposes of this Chapter, have the same powers as are vested in a Court under the Code of Civil Procedure, 1908, when trying a suit in respect of the following matters, namely-

(a) enforcing the attendance of any person, and examining him on oath or affirmation;

(b) compelling the production of documents, and

(c) issuing Commissions for the examination of witnesses and any proceeding before Judge under, this Chapter shall be deemed a Judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228 and for the purposes of section 196 of the Indian Penal Code.

Fees in proceedings before the Judge

484- (1) The State Government may, from time to time by notification in the official Gazette, prescribe what fee, if any, shall be paid-

(a) on any application, appeal or reference made under this Act to the Judge, and

(b) previous to the issue, in any inquiry or proceeding of the Judge under this Act, of any summons or other process :

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Provided that the fees, if any, prescribed under clause (a) shall not, in cases in which the value of the claim or subject-matter is Capable of being estimated in money, exceed the fees for the time being levied, under the provisions of the [Court Fees Act, 1870][1] in cases in which the value of the claim or subject-matter is of like amount. .

(2) The State Government may from time to time by a like notification determine by what person any fee prescribed under clause (a) of sub-section (1) shall be payable.

(3) No application, appeal or reference shall be received by the Judge until the fee, if any, prescribed therefor under clause (a) of sub-section (1) has been paid.

Exemption of poor persons from fees

485- The Judge may, whenever he thinks fit, receive an application, appeal or reference made under this Act, by or on behalf of a poor person, and may issue process on behalf of any such person without payment or on a part payment of the fees prescribed under section 484.

Repayment of half fees on settlement before hearing

486- Whenever any application, appeal or reference made. to the Judge under this Act is settled by agreement of the parties before the hearing, half the amount of all fees paid up to that time shall be repaid by the Judge to the parties by whom the same have been respectively paid.

Appointment of Magistrates

Appointment of a Magistrate of the First Class

487- (1) The State Government may with the consent of the [Corporation] create one or more, posts of Magistrates of the First Class for the trial of offences against this Act, or may "appoint any person to such post and may also appoint such ministerial officers or the court of any such Magistrate as it may think necessary;

Provided that notwithstanding the appointment of one or more Magistrates of the, First Class under this section, it shall be open, to the District Magistrate subject to the rules for the time being in force under section 17 of the Code of Criminal Procedure, 1898, regulating the distribution of business in the Courts of Magistrates of the First Class to make such distribution of the work of trial of such offences and of all other work before the courts of the Magistrates (including limy appointed under this section) as may appear to him most conducive to efficiency.

(2) Such Magistrate or Magistrates and their establishments shall be paid such salary, pension, leave allowance and other allowances as may, from time to time, be fixed by the State Government.

---

1. Substituted by section 5 of U.P. Act No. 22 of 1961.
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(3) The amounts of the salary and other allowances as fixed under sub-section (2), together with all other incidental charges shall be re-imbrued to the State Government by the [Corporation][1], which shall also pay to the State Government such contribution towards the pension, leave and other allowances of such Magistrate or Magistrates and their establishment as may from time to time to fixed by the State Government:

Provided that the State Government may, with the concurrence of the [Corporation][1], direct that in lieu of the amounts payable; under this section the [Corporation][1] shall pay to the State Government annually on such date as may be fixed by the Government in this behalf such fixed sum as may be determined by the State Government in this behalf.

References to Magistrates

references to Magistrates

488- A reference shall be made to a Magistrate of the First Class having jurisdiction within the limits of the City in the matter of the detention of a person suffering from a dangerous disease in a public hospital under the rules.

Disposal of animals and articles of non-

489- (1) Any animal and any article not of a perishable nature and any utensil or vessel seized under section 435 shall be taken before a Magistrate of the First

perishable nature seized under section 435

Class.

(2) If it shall appear to such Magistrate that any such animal or article is diseased, unsound or unwholesome or unfit for human consumption, as the case may be, or is not what it was represented to be or that such utensil or vessel is of such kind or in such state as to render any article prepared, manufactured or contained therein unwholesome of unfit for human consumption, he may, and if it is diseased, unsound, un whole some or unfit for human consumption, he shall cause the. same to be destroyed, at the charge of the person in whose possession it was at the time of its seizure, in such manner as to prevent the same being again exposed or hawked about for sale or used for human consumption, or for the preparation or manufacture of, or 'for containing any such article as aforesaid.

Penalty for possessing food which appears to be diseased un-sound or un whole some or unfit for human food

490- In every case in which food, on being dealt with under section 489, appears to the Magistrate to be diseased, unsound or unwholesome or unfit for human consumption, the owner thereof or the person in whose possession it was found, not being merely bailee or carrier thereof, shall on conviction, if in such case the provisions of section 273 of the Indian Penal Code do not apply, be punished with fine which may extend to five hundred rupees.

Application for sum-mons to be refused if not applied for with-in a reasonable time

491- In all prosecutions under section 490 the, Magistrate shall refuse to issue a summons for the attendance of any person accused of an offence against such section, unless the summons is applied for within a reasonable time from the alleged date of the offence of which such person, is accused.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Proceedings before Magistrates and the Sessions Court

Cognizance of offences

492- (1) An offence for the contravention of [section 112-C, section 122-D or section][1] 417 shall be cognizable.

(2) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1898, all offences against this Act, or against any rule, regulation or bye-law, whether committed within or without the City, shall be cognizable by a Magistrate of the First Class having jurisdiction in the City and no such Magistrate shall be deemed to be incapable of taking cognizance, of any such offence or of any offence against any enactment hereby repealed, by reason only of his being liable to pay any [Corporation][2] tax or of his being benefited by the [Corporation][2] Fund.

(3) Notwithstanding anything contained in section 200 of the said Code, it shall not be necessary in respect or any offence against this Act or any rule, regulation or bye-law made thereunder, to examine the complainant when the complaint is presented in writing.

Limitation of time within which complain-ts of offences

493- No Magistrate shall take cognizance of any offence punishable under this Act, or any rule, regulation or bye-law, unless complaint of such offences made before him-

punishable under this Act shall be entertained

(a) within six months next after the date of the commission of such offence; or

(b) if such date is not known or the offence is a continuing one within six months next after the commission or discovery of such offence.

Power of Magistrate to hear cases in absence of accused

494- If any person summoned to appear before a Magistrate to answer a charge of an offence punishable under this Act or any rule, regulation or bye-law, fails to appear at the time and place mentioned in the summons, and if service of summons is proved to the satisfaction of the Magistrate and no sufficient cause is shown for the non-appearance of such person the Magistrate may hear and determine the case in his absence.

Report of Public Analyst to Government

495- Any document purporting to be a report under the hand of the Public Analyst to the Government of Uttar Pradesh upon any article dilly submitted to him for analysis may be used as evidence of the facts therein stated in any inquiry, or prosecution under this Act without proof thereof.

Complaint concerning nuisances

496- (1) Any person who resides in the City may complain to a Magistrate of the First Class having jurisdiction therein of the existence of any nuisance or that in the exercise of any power conferred by section, 231, 232, 249, 250, 251, 310 or 385 more than the least practicable nuisance has been created.

1.Ins. by section 26 of U.P. Act No.21 of 1964.
2.Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(2) Upon receipt of any such complaint, the Magistrate, after making such inquiry as he thinks necessary, may, if he sees fit direct the Mukhya Nagar Adhikari-

(a) to put in force any of the provisions of this Act or of any rule, regulation or bye-law or to take such measures as to such Magistrate shall seem practicable and reasonable for preventing, abating, diminishing or remedying such nuisance;

(b) to pay to the complainant such reasonable costs of and relating to the said complaint and order as the Said Magistrate shall determine, inclusive of compensation for the complainant's loss of time in prosecuting such complaint.

(3) Subject to the provisions of section 497 it shall be incumbent on the Mukhya Nagar Adhikari to obey every such order.

(4) Nothing in this Act contained shall interfere with the right of any person who may suffer injury or whose property may be injuriously affected by any act done in the exercise of any power conferred by sections 231, 232, 249, 250, 251, 310 or 385 to recover the damages for the same.

Appeal to the Sessions Court from order passed under section

497- (1) An appeal shall lie to the Sessions Court from an order passed by a Magistrate under section 496 within one month of the date thereof.

(2) The Sessions Court may, when disposing of an appeal under sub-section (1), direct by whom and in what proportions, if any, the costs of the appeal are to be paid, and costs so directed to be paid may, on application to a

Magistrate of the First Class having jurisdiction in the City be re-covered by him, in accordance with the direction of the Sessions Court, as if there were a fine imposed by himself.

(3) When an appeal has been preferred to the Sessions Court under this section, the Mukhya Nagar Adhikari shall defer action upon the order of the Magistrate until such appeal has been disposed of and shall there-upon forthwith give effect to the order passed in such appeal by the Sessions Court, or if the order of the Magistrate has not been disturbed by the Sessions Court, then to his order.

(4) The State Government may, after consulting the High Court, from time to time, make rules for regulating the admission of appeals under sub- section (1) and the procedure to be followed in the adjudication thereof.

Arrest of Offenders

Offenders against this Act may in certain cases be arrested by police officers

498- (1) Any police officer may arrest any person who commits in his view any offence against this Act or against any rule, regulation or bye-law, if the name and address of such person be unknown to him, and if such person, on demand, declines to give his name and address or gives a name and address which such officer has reason to believe to be false.

(2) No person so arrested shall be detained in custody after his true name and address are ascertained or, without the order of a Magistrate, for any longer time; not exceeding twenty-four hours from the arrest, than is necessary for bringing him before a Magistrate competent to take cognizance of his offence.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Miscellaneous

Code of Civil Procedure to apply

499- (1) Save as expressly provided by this Chapter, the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908, relating to appeals from original decree shall mutatis mutandis apply to appeals to the District Judge.

(2) All other matters for which no specific provision has been made under this Act shall be governed by such rules as the State Government may from time to time make after consultation with the High Court.

Limitation

500- (1) In computing the period of limitation prescribed for an appeal or application referred to in this Chapter, the provisions of sections 5, 12 and 14 of the Indian Limitation Act, 1908, shall, so far as may be, apply.

(2) When no time is prescribed by this Act for the presentation of an appeal, application or reference, such appeal or application shall be presented or reference shall be made within thirty days from the date of the order in respect of or against which the appeal application or reference is presented or made.

Execution of order of the Judge and District Judge

501- (1) All orders of the Judge shall be executed in the same manner as if they were decrees of the Court of Small Causes passed under the Provincial Small Causes Court Act, 1887.

(2) All orders of the District Judge shall be executed as if they were the

decrees of his Court.

Criminal Procedure Code to apply to all inquiries and proceedings before Magistrate

502- The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1898, shall, so far as maybe, apply to all inquiries and proceedings under this Act before the Magistrate.

CHAPTER XXI

Recovery of Taxes and other Mahapalika dues

Manner of recovering [Corporation][2] taxes

503- A [Corporation][2] tax may be recovered by the following processes in the manner prescribed by rules-

(1) by presenting a bill,

(2) by serving a written notice of demand,

(3) by, distraint and sale of a defaulter's movable property,

(4) by the attachment and sale of a defaulter's immovable property,

(5) {***}[1]

1. Chapter 3 of omitted by section 13 of U.P. Act No. 9 of 1991.
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(6) in the case of-property tax by the attachment of rent due in respect of the property, and

(7) by a suit.

Presentation of bill

504- (1) As soon as a person becomes liable for the payment of any sum on account of a tax, other than [any tax][1] payable upon immediate demand, the Mukhya Nagar Adhikari shall, with all convenient speed, cause a bill to be presented to the person so liable.

(2) Unless otherwise provided by rule, a person shall be deemed to become liable for the payment of every tax and licence fee upon the commencement of the period in respect of which such tax or fee is payable.

Contents of bill

505- Every such bill shall specify-

(a) the period for which and the property, occupation, circumstances or thing in respect of which the sum is claimed, and

(b) the liability or penalty enforceable in default of payment, and

(c) the time, (if any), within which an appeal may be preferred as provided in section 472.

Notice of demand 506- If the sum for which a bill has been presented as aforesaid is not paid into the office of the [Corporation][1], or to a person empowered by a regulation to receive such payments, within fifteen days from the presentation thereof, the Mukhya Nagar Adhikari may cause to be served upon the person liable for the payment of the said sum a notice of demand in the form prescribed by rule.

Issue of warrant 507- (1) If the person liable for the payment of the said sum does not, within fifteen days from the service of such notice of demand either-

(a) pay the sum demanded in the notice, or

(b) show cause to the satisfaction of the Mukhya Nagar Adhikari or of such officer as the [Corporation][1] by regulation may appoint in this behalf, why he should not pay the same,

such sum with all costs of the recovery may be recovered under a warrant caused to be issued by the [Corporation][1] in the form prescribed by rule, or to the like effect, by distress and sale of the movable property of the defaulter.

(2) Every warrant issued under this section shall be signed by the Mukhya Nagar Adbikari, or by the officer referred to in clause (b) of sub-section (1).

---

1. Chapter 3 of omitted by section 14 of U.P. Act No. 9 of 1991.

2.Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Forcible entry for purpose of executing warrant 508- It shall be lawful for a [Corporation][1] officer to whom a warrant issued under section 507 is addressed, to break open, at any time between sunrise and sunset, any outer or inner door or window of a building, in order to make the distress directed in the warrant in the following circumstances and not otherwise:

(a) if the warrant contains a special order authorizing him in this behalf;

(b) if he has reasonable grounds for believing that the building contains property which is liable to seizure under the warrant, and

(c) if, after notifying his authority and purpose and duly demanding admittance he cannot otherwise obtain admittance:

Provided that such officer shall not enter or break open the door of an apartment appropriated for women, until he has given any women therein an opportunity to withdraw.

Manner of executing warrant 509- (1) It shall also be lawful for such officer to distrain, wherever it may be found, any movable property of the person therein named as defaulter, subject to the provisions of sub-sections (2) and (3).

(2) The following property shall not be distrained :

(a) the necessary wearing apparel and bedding of the defaulter, his wife and children;

(b) the tools of artisans;

(c) books of account;

(d) When the defaulter is an agriculturist, his implements of husbandry, seedgrain and such cattle as may be necessary to enable him to earn his livelihood.

(3) The distress shall not he excessive, that is to say, the property distrainsd shall be as nearly as possible - equal in value to the amount recoverable under the warrant, and if any articles have been distrained which in the opinion of the person authorized under sub-section (2) of section 507 to sign a warrant, should not have been so distrained, they shall forthwith be returned.

(4) The officer shall on seizing the property, forthwith make an inventory thereof, and shall before removing the same give to the person in possession thereof at the time of seizure a written notice in the form prescribed by rule that the said property will be sold as shall be specified in such notice.

Sale of goods under warrant and application of proceeds

510- (1) When the property seized is subject to speedy and natural decay, or when the expense of keeping it in custody together with the amount to be recovered is likely to exceed its value, the Mukhya Nagar Adhikari or other officer by whom the warrant was signed, shall at once give notice to the person in whose possession the property was seized to the effect that it will be sold at once, and shall sell it accordingly unless the amount named in the warrant be forthwith paid.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(2) If not sold at once under sub-section (1) the property seized or a sufficient portion thereof may, on the expiration of the time specified in the notice served by the officer executing the warrant, be sold by public auction under the orders of the [Corporation][1] unless the warrant is suspended by the person who signed it or the sum due from the defaulter is paid together with all costs incidental to the notice, warrant of distress and detention of the property.

(3) The surplus, if any, shall be forthwith credited to the [Corporation][1] fund, notice of such credit being given at the same time to the person from whose possession the property was taken; but if the same be claimed by written application made to the Mukhya Nagar Adhikari within one year from the date of the notice, a refund thereof shall be' made to such person. Any sum not claimed within one year from the d ate of such notice shall be the property of the [Corporation][1].

Procedure in case of execution against property outside the City

511- (1) If no sufficient movable property belonging to a defaulter, or being upon the premises in respect of which he is assessed, can be found within the City, the District Magistrate may, on the application of the [Corporation][1], issue his warrant to an officer of his court-

(a) for the distress and sale of any movable property or effects belonging to the defaulter within any other part of the jurisdiction of the District Magistrate, or

(b) for the distress and sale of any movable property belonging to the

defaulter within the jurisdiction of any other District Magistrate exercising jurisdiction within Uttar Pradesh.

(2) In the case of action being taken under clause (b) of sub-section (1), the other District Magistrate shall endorse the warrant so issued, and cause it to be executed, and any amount recovered to be remitted to the District Magistrate issuing the warrant, who shall remit the same to the [Corporation][1].

Recovery by attachment and sale of defaulter's immovable property

512- In the circumstances mentioned in sub-section (1) of section 507, the Mukhya Nagar Adhikari or the officer referred to in clause (b) of sub-section (l) of section 507, may in lieu of issuing a warrant for distress and sale of movable property or where such warrant has been issued but the amount recoverable has not been recovered in whole or part issue a warrant for the attachment and sale of the defaulter's immoveable property.

Warrant how to be executed in the case of immovable property

513- (1) When a warrant is issued under section 512 for the attachment and sale of immovable property, the attachment shall be made by an order prohibiting the defaulter from transferring or charging the property in any way, and all persons from taking any benefit from such transfer or charge, and declaring that the property will be sold unless the amount due, with the costs of recovery, are paid into the [Corporation][1] office within five days.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(2) Such order shall be proclaimed at some place on or adjacent to. the property by beat of drum or other customary mode, and a copy of the order shall be fixed on a conspicuous part of the property and upon a conspicuous part of the office of the [Corporation][2] and also, when the property is land paying revenue to the State Government, in the office of the Collector of the district in which the land is situate.

(3) Any transfer of a charge on the property attached or of any interest therein made without the written permission of the Mukhya Nagar Adhikiri shall be void as against all claims of the [Corporation][2] enforceable under the attachment.

Sale of immovable property

514- (1) If the amount due is not paid within the period stated in sub-section (I) of section 513 the immovable property or a sufficient portion thereof may be sold by public auction by order of the Mukhya Nagar Adhikari unless the warrant is suspended by him, or the sum due and the cost of recovery are paid by the defaulter and the Mukhya Nagar Adhikari shall, apply the proceeds or such part thereof as shall be requisite in discharge of the sum due and of the costs of recovery.

(2) The surplus, if any, shall be forthwith credited to the [Corporation][2] Fund, but if the same be claimed by written application to the Mukhya Nagar Adhikari within six months from the date of the sale, a refund there of shall be made to the defaulter and any surplus not claimed within six mouths as aforesaid shall be the property of the [Corporation][2].

(3) Where the sum due and the costs of recovery are paid by the defaulter before a sale is effected; the attachment of immovable property shall be deemed to have been removed.

(4) Sales of immovable property under this section shall be held in the manner laid down in the rules.

(5) After sale of the immovable properly as aforesaid, the Mukhya Nagar Adhikari shall put the person declared to be the purchaser in possession of, the same and shall grant him a certificate to the effect that he has purchased the property to which the certificate refers.

(6) It shall be lawful for the Mukhya Nagar Adhikari on behalf of the [Corporation][2] to offer a nominal bid in the case of any immovable property put up for sale, provided the previous approval of the Executive Committee is obtained to such bidding.

(7) The Mukhya Nagar Adhikari may direct the removal from the immovable property by any police officer of any person who obstructs him in any action taken in pursuance of sub-section (5) and may also use such force as is reasonably necessary to effect entry on the said property.

515- {***}[1]

1. Chapter 3 of omitted by section 15 of U.P. Act No. 9 of 1991.
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Attachment of rent due

516- (1) Where a bill for any sum due on account of any property tax is served upon an occupier of premises pursuant to sub-section (1) of section 504, the Mukhya Nagar Adhikari may at the time of service or at any subsequent time cause to be served upon the occupier a notice requiring him to pay to the [Corporation][1] any rent due or falling due from him to the person primarily liable for the payment of the said tax to the extent necessary to satisfy the said sum due.

(2) Such notice shall operate as an attachment of the said rent until the said sum due on account of property tax shall have been paid and satisfied, and the occupier shall be entitled to credit in account with the person to whom the said rent is due for any sum paid by him to the [Corporation][1] in pursuance of such notice.

(3) If the occupier shall fail to pay to the [Corporation][1] any rent due or falling due which he has been required to pay in pursuance of a notice served upon him as aforesaid the amount of such rent may be recovered from him by the Mukhya Nagar Adhikari as if it were an arrear of property tax under section 504.

Defaulters may be sued for arrears, if necessary

517- Instead of proceeding against a defaulter by distress, attachment and sale as hereinbefore provided, or after a defaulter shall have been so proceeded against unsuccessfully or with only partial success, any sum due or the balance of any sum due, as the case may be, by such defaulter, on account of a tax may be recovered from him by a suit in any Court of competent jurisdiction.

Fees and cost

518- Fees for-

(a) every notice issued under section 506,

(b) every distress made under section 509,

(c) the costs of maintaining any livestock seized under the said section,

shall be chargeable at the rates respectively specified in such behalf in rules made by the State Government, and shall be included in the costs of recovery to be levied under section 507.

519- No distress, attachment or sale made under this Act shall be deemed unlawful, nor shall any person making the same be deemed a trcspasser, on account of an error, defect or want of form in the bill, notice, warrant of distress, inventory or other proceeding relating thereto.

Recovery of dues declared recoverable as tax

520- Any [Corporation][1] dues declared by this Act or by rules or bye-law to be recoverable in the manner provided by this Chapter may be recovered by the Mukhya Nagar Adhikari in accordance, as far as may be, with the provisions of sections 504 to 514 and 516 to 519 as if the amount due were a tax.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Recovery of expenses of removals by Mukhya Nagar Adhikari under certain sections

521- (1) The expenses incurred by the Mukhya Nagar Adhikari in effecting any removal under section 296 or sub-section (3) of section 302, or in the event of a written notice issued under sub-section (2) of section 292 or sub-section (3) of section 293 or section 303 or sub-section (3) of section 305 or sub-section (1) of section 306, or section 331 not being complied with under section 558, and all other expenses and charges specified in sub-section (2), if any, shall, subject to the, provisions of sub-section (2), be recoverable by the sale of the materials removed, and if the proceeds of such sale do not suffice, the balance shall be paid by the owner of the said materials.

(2) If the expenses of removal are in any case paid before the materials are sold, the Mukhya Nagar Adhikari shall restore the materials to the owner thereof, on his claiming the same at any time before they are sold or otherwise disposed of, and on his paying all other expenses, if any, incurred by the Mukhya Nagar Adhikari in respect thereof or in respect of the intended sale or disposal thereof and all such charges, if any, as the Mukhya Nagar Adhikari may fix for the storage of the materials.

(3) If the materials are not restored to the owner thereof under sub. section (2), they shall be sold by auction or otherwise disposed of as the Mukhya Nagar Adhikari thinks fit :

Provided that, if the materials are perishable, they may be sold or disposed of forthwith, and, if other than perishable, they shall be sold or disposed of as soon as conveniently may be after one month from the date of their removal whether the expenses of removal and the charges, if any, for storage have in the meantime been paid or not and the proceeds, if any, of the sale or other disposal, shall, after defraying therefrom the costs of the sale or other disposal, and, if necessary, of the removal and the charges for storage be paid to the credit of the [Corporation][1] Fund, and shall be the property of the [Corporation][1].

Expenses recoverable under the Act to be payable on demand and if Dot paid on demand may be recovered as arrear of property tax

522- (1) Whenever under this Act, or any rule, regulation or bye-law, the expenses of any work executed or of any measure taken or thing done by or under the order of the Mukhya Nagar Adhikari or of any Mahapalika officer empowered under section 119 in this behalf are payable by any person, the same shall be payable on demand.

(2) If not paid on demand, the said expenses shall be recoverable by the Mukhya Nagar Adhikari subject to the provisions of sub-section (4) of this section and sub-section (3) of section 481 by distress and sale of the movable property or attachment and sale of the immovable property of the defaulter, as if the amount thereof were a property-tax due by the said defaulter.

(3) If, when the Mukhya Nagar Adhikari demands payments of any expenses under sub-section (1), his right to demand the same or the amount of the demand is disputed, or if, in the case of expenses incurred by the Mukhya Nagar Adhikari in taking temporary measures under sub-section (2) of section 308, the necessity for such temporary measures is disputed, the Mukhya Nagar Adhikari shall refer the case for the determination of the Judge.

(4) pending the Judge's decision the Mukhya Nagar Adhikari shall defer further proceedings for the recovery of the sum claimed by him, and after decision, shall, subject to the provisions of section 481, proceed to recover only such amount, if any, as shall be thereby determined to be due.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

If defaulter is owner of premises in respect of which expenses are payable, occupier to be also liable for payment thereof

523- If the expenses referred to in section 522 are due in respect of some work executed or thing done to, upon or in connexion with, some building or land or of some measure taken with respect to some building or land in respect of a private street and the defaulter is the owner of such building or land or of the premises fronting or adjoining such street or abutting thereon, as the case may be, the amount thereof may be demanded from any person who at any time, before the said expenses have been paid, occupied the said building, land or premises under the said owner and in the event of the said person failing to pay the same, they may be recovered by distress and sale of the movable property or the attachment and sale of the immovable property of the said person, as if the amount thereof were a property tax due by him:

Provided that-

(a) unless the said person neglects or refuses at the request of the Mukhya Nagar Adhikari truly to disclose the amount of the rent payable by him in respect of the said building or

(b) premises and the name and address of the person to whom the same is payable, the said person shall not be liable to pay on account of the said expenses any larger sum than, up to the time of demand, is payable by him to the owner on account of rent of the said building, land or premises; but it shall rest upon the said person to prove that the amount of the expenses demanded of him is in excess of the sum payable by him to the owner;

(b) the said person shall be entitled to credit in account with the owner for any sum paid by or recovered from him on account of the said expenses;

(c) nothing in this section shall affect any agreement made between the said person and the owner of the building, land or premises in his

occupation respecting the payment of the expenses of any such work, thing or measure as aforesaid.

Mukhya Nagar Adhikari may agree to receive payment of expenses in instalment

524- Insead of recovering any such expenses as aforesaid in any manner hereinbefore provided, the Mukhya Nagar Adhikari may, if he thinks fit and with the approval of the Executive Committee, take an agreement from the person liable for payment thereof, to pay the same in Instalments of such amounts and at such intervals as will secure the payment of the whole amount· due, with interest thereon, at such rate not exceeding nine per cent per annum as the Executive Committee may fix from time to time, within a period of not more than five years.

Certain expenses may be declared to be improvement expenses

525- (1) Any expenses incurred by the Mukhya Nagar Adhikari under any provision of this Act in respect of any material or fittings supplied or work executed or thing done to, upon or in connexion with some building or land which are recoverable from the owner or occupier of such building or land may, subject to the regulations be declared to be improvement expenses if the Mukhya Nagar Adhikari with the approval of the [Corporation][1], thinks fit so to declare them, and on such declaration being made, such expenses together with interest thereon payable under sub-section (2), shall be a charge on the premises in respect of which, or for the benefit of which the expenses have been incurred.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(2) Improvement expenses shall be recoverable in instalments of such amount not being less for any premises than twelve rupees per annum, and at such intervals as. will suffice to discharge such expenses together with interest thereon at such rate not exceeding six per cent per annum as the Executive Committee may fix from time to time, within such period not exceeding thirty years as the Mukhya Nagar Adhikari with the approval of the [Corporation][1] may in each case determine.

(3) The said instalments shall be payable by the occupier of the premises on which the expenses and interest thereon are so charged or, in the event of the said premises becoming unoccupied at any time before the expiration of the period fixed for the payment of such expenses or before the sum, with interest as aforesaid, are fully paid off, by the owner for the time being of the said premises, so long as the same continue to be unoccupied.

Proportion of Improvement expenses may be deducted from rent

526- (1) Where the occupier by whom any improvement expenses are paid holds the premises on which the expenses together with interest thereon are charged on rent, he shall be entitled to deduct three-fourths of the amount paid by him on account of such expenses and interest thereon as aforesaid from the rent payable by him to his landlord.

(2) If the landlord from whose rent any deduction is so made is him-self liable to the payment. of rent for the premises in respect of which the deduction is made and holds the same for a term of which less then twenty years is unexpired (but not otherwise), he may deduct from the relit so payable by him such proportion of the same deducted from the rent payable to him, as the rent payable by him bears to the rent payable to him and so in succession with respect to every land or (holding for a term of which less than twenty years is unexpired) of the same premises both receiving and liable to pay rent in respect thereof:

Provided that nothing in this section shall be construed to entitle any person to deduct from the rent payable by him more than the whole sum deducted from the rent payable to him.

Redemption of charge for improvement expenses

527- At any time before the expiration of the period for the payment of any improvement expenses together with interest thereon, the owner or occupier of the premises on which they are charged may redeem such charge by paying to the Mukhya Nagar Adhikari such part of the said expenses and such interest due, if any, as may, not have been already paid or recovered.

Recovery of instalments due under sections 524 and 525

528- Any instalment payable under section 524 or 525 which is not paid when the same becomes due, may be recovered by the Mukhya Nagar Adhikari by distress and sale of the movable property or the attachment and sale of immovable property of the person by whom it is due as if it were a property tax due by the said person.

In default of owner the occu-pier of any pre-mises may exe-cute required work and recover expenses from the owner

529- Whenever the owner of any building or land fails to execute any work which he is required to execute under this Act or under any rule, regulation or bye-law, the occupier, if any, of such building or land may with the approval of the Mukhya Nagar Adhikari execute the said work, and he shall be entitled to recover the reasonable expenses incurred by him in so doing from the owner and may without prejudice to any other right of recovery deduct the amount thereof from the rent which from time to time becomes due by him to the owner.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Persons liable for expenses or compensation may be sued for recovery thereof

530- Instead of proceeding in any manner aforesaid for the recovery of any expenses or compensation of which the amount due has been ascertained as hereinbefore provided, or after such proceedings have been taken unsuccessfully or with only partial success, the sum due, or the balance of the sum due, as the case may be, may be recovered by a suit brought against the person liable for the same in any court of competent jurisdiction.

CHAPTER XXII

Control

Power of State Government to call for extracts from procee-dings etc.

531- (1) The State Government may at any time call upon the [Corporation][1] to furnish it with any extract from any proceedings of the [Corporation][1], the Executive Committee, or any other Committee constituted under this Act or from any record under the control of the [Corporation][1] and with any statistics concerning or connected with the administration of this Act; and the [Corporation][1] shall furnish the same without unreasonable delay.

(2) The State Government may at any time call upon the Mukhya Nagar Adhikari to furnish it with any information, report, explanation or statistics concerning or connected with the executive administration of this Act and the Mukhya Nagar Adhikari shall furnish the same without unreasonable delay.

State Govern-ment power to cause inspection to be made

532- The State Government may depute any officer to inspect or examine any [Corporation][1] department, office, service, work or thing and of report thereon and any officer so deputed may, for the purposes of such inspection, or

examination exercise all the powers conferred by section 531 upon the State Government.

State Government power to direct the taking of action

533- If on receipt of any information or report obtained under section 531 or 532 or otherwise the State Government are of opinion--

(a) that any duty imposed on any [Corporation][1] authority by or under this Act has not been performed or has been performed in an imperfect, inefficient or unsuitable manner, or

(b) that adequate financial provision has not been made for the performance of any such duty,

the State Government may, by an order, direct the [Corporation][1] or the Mukhya Nagar Adhikari within a period to be specified in the order to make arrangements to their satisfaction for the proper performance of the duty, or to make financial provision to their satisfaction for the performance of the duty, as the case may be :

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Provided that, unless in the opinion of the State Government the immediate execution of such order is for reasons to be recorded in writing necessary, the State Government shall, before making an order under this section, give the [Corporation][1] an opportunity of showing cause why such order should not be made.

State Government's power to appoint a person to take action in default at expense of [Corporation][1]

534- (1) If within the period fixed by an order issued under section 533, any action directed under that section has not been duly taken, the State Government may by order-

(a) appoint some person to take the action so directed;

(b) fix the remuneration to be paid to him; and

(c) direct that such remuneration and the cost of taking such action shall be defrayed out of the [Corporation][1] Fund, and, if necessary, that anyone or more of the taxes authorized under Chapter IX shall be levied or increased, but not so as to exceed any maximum prescribed by that Chapter.

(2) For the purpose of taking the action directed as aforesaid the' person appointed under sub-section (1) shall have power to make such con- tracts as are necessary, and may exercise any of the powers conferred on any [Corporation][1] authority by or under this Act and specified in this behalf in the order issued under sub-section (1), and shall be entitled to protection under this Act as if he were a [Corporation][1] authority.

(3) The State Government may, in addition to or instead of, directing the levy or increase of any of the said taxes, direct by notification that any sum of money which may in their opinion be required for giving effect, to their orders be borrowed by debenture on the security of all or any of the said taxes at such rate or interest and upon such terms as to the time of repayment and otherwise as may be specified in the notification.

(4) The provisions of sections 156 to 170 shall, as far as may be, apply to any

loan raised in pursuance of this section.

Powers of State Government in case of emergency

535- (1) In case of emergency the State Government may provide for the execution through such agency and in such manner as it ,may specify in its order of any work or the doing of any act which the Mahapalika or the Mukhya Nagar Adhikari with or without the sanction of the [Corporation][1] or the Executive Committee is empowered to execute or do and of which the immediate execution or doing is, in its opinion, necessary for the safety or protection of the public and may direct that the expense of executing the work or doing the act shall be forthwith paid by the Mahapalika,:

(2) If the expense is not so paid the State Government may make an order directing the person having the custody of the [Corporation][1] Fund to pay the expense from such fund.

Prescribed copies of all resolutions to State Government

536- The Mukhya Nagar Adhikari shall submit to the State Government, and if so directed by the State Government, to the Prescribed Authority copies of all resolutions of the [Corporation][1], the Executive Committee, the Development Committee and of other committees, and joint committees and sub-committees of the [Corporation][1].

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

State Government's power to appoint a person to take action in default at expense of [Corporation]

537- (1) If the State Government is of opinion that the execution of any resolution or order of the [Corporation][1] or of any other [Corporation][1] authority or of any other committee, joint committee or sub-committee or of any officer or servant of the [Corporation][1] or the doing of any act which is about to be done or is being done by or on behalf of the [Corporation][1] is in contravention of or in excess of the powers conferred by this Act or of any other law for the time being in force or has been passed or made in abuse of any such power or is likely to lead to a breach of the peace or to cause obstruction, injury or annoyance to the public or to any class or body of persons or danger to human life, health or safety or, is prejudicial to public interest, the State Government may, by order in writing, suspend the execution of such resolution or order, or prohibit the doing of any such act.

(2) A copy of such order shall forthwith be sent to the [Corporation][1] by the State Government.

(3) The State Government may at any time, on representation by the [Corporation][1] or otherwise, revise, modify or revoke an order passed under sub-section (1).

Power of State Government to dissolve [Corporation] in case of incompetency persistent default or excess or abuse of power

538- (1) If at any the upon representation .made it appears to the State Government that the [Corporation][1] is not competent to perform or persistently makes default in the performance of the duties ,imposed upon it by or under this Act or any other law for the time -being in force or exceeds or abuses more than once its powers, the State Government may, after having given the [Corporation][1] an opportunity to show cause why, such order should not be made, by an order ,published with the reasons therefor in the official Gazette dissolve the [Corporation][1].

(2) A copy of the order under sub-section (1) shall be laid as soon as may be, before each House of the Uttar Pradesh Legislature.

[(3) When a Corporation is dissolved under sub-section (1), the following consequences shall ensue :--

(a) the Nagar Pramukh, the Upa Nagar Pramukh and all Sabhasads shall, on a date to be specified in the order, vacate their respective offices but without prejudice to the eligibility for re-election,

(b) till the constitution of the Corporation under clause (b) of sub-section (2), of section (8), the Mukhya Nagar Adhikari shall carry on the routine work of the Corporation and the Committees mentioned in section 5.][2]

539- [***][3]

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
2. Substituted by section 65 ibid.
3. Omitted by section 66 ibid.

CHAPTER XXIII

Rules, Bye-laws and Regulations

Making of rules by State Government

540- (I) In addition to the power conferred upon the State Government under the preceding Chapters of this Act to make rules the State Government may make rules to carry out the purposes for the Act and may also make model rules for the guidance of a [Corporation][1] in any matter connected with the carrying out of the provisions of this or 'any other enactment.

Explanation-- The power conferred by this sub-section includes the power to make rules regulating the holding of meetings of the [Corporation][1] and its Committees and the conduct of business at such meetings till bye-laws are framed under the Act for the purpose.

(2) The power of the State Government to make rules under this Act shall be subject to the condition of the rules being made after previous publication and of not taking effect until they have been published in the official Gazette.

(3) Any rule made by the State Government may be general for all [Corporations][1] or may be special for anyone or more [Corporations][1] to be specified.

(4) [***][2]

Bye-laws for what purpose to be made

541- The [Corporation][1] may from time to time make bye-laws, not inconsistent with this Act and the rules, with respect to the following matters, namely:

(1) regulating, in any particular not specifically provided for in this Act or the rules, the construction, maintenance, protecting, flushing, cleansing and controls of drains, ventilation shafts or pipes, cesspools, water-

closets, privies, latrines, urinals, washing places, drainage works of every description, whether belonging to the [Corporation][1] or other persons, [Corporation][1] waterworks, private communication pipes, private streets and public streets:

(2) regulating all matters and things connected with supply and use of water:

(3) regulating the maintenance, supervision and use of public and private cart-stands and the levy of fees for the use of such of them as belong to the [Corporation][1].

(4) prescribing the forms of notice under sections 316 and 317, the information documents and plans to be furnished therewith in respect of different classes of structures of works, the manner in which the persons by whom notices shall be signed and the manner in which plans, sections, descriptions, structural drawings or structural calculations shall be drawn, given, prepared and signed;

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
2. Omitted by section 67 ibid.

(5) regulating the manner in which, the supervision under which, the agency through which, the conditions and restrictions under which the work of erecting or re-erecting buildings of particular classes arid any work such as is described in section 317 shall be carried out;

(6) the structure of walls, foundations, roofs, and chimneys, the number, width and position of staircases, the width of corridors and passages, the materials, dimensions and strength of floors and staircases and of all scantlings, girders, posts and columns of buildings for securing stability and prevention of fires and the safety of the inmates in the event of fire and for purposes of health, either generally or with reference to the type of the structure and the use to which it is intended to be put;

(7) the construction of scaffolding for building operations to secure the safety of the operatives and of the general public;

(8) the provision and maintenance of sufficient open space, either external or internal, about buildings to secure a free circulation of air, and of other means for the adequate ventilation of buildings;

(9) the provision and maintenance of suitable means of access to buildings and preventing encroachment thereon;

(10) the provision and maintenance of house-gullies and service passages;

(11) regulating the conditions on which frame buildings may be constructed;

(12) regulating the use of land as building sites, prescribing the mini- mum size of such sites, either generally or for specified areas and prescribing set-backs from the street margin for all or particular classes of buildings on specified streets or classes of streets of specified localities;

(13) regulating the height of structures generally or with reference to the

materials of which they are constructed of the width of the streets on which the front or' the areas in which they are situated or the purposes for which they are intended to be used;

(14) regulating the number and height above the ground or above the next lower storey or the storeys of which a building may consist;

(15) prescribing the form of the completion certificates required under section 329 and the manner in which and the person by whom it shall be signed and subscribed;

(16) regulating the intervals at which, the manner in which, the persons by whom buildings shall be periodically inspected under section 330;

(17) regulating the management, maintenance, control and use of dwellings intended for the poorer sections of the community vesting in the [Corporation][1];

(18) prescribing the qualifications and experience of licensed surveyors, architects, engineers structural designers, clerks of works and plumbers;

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(19) regulating in any particular not specifically provided for in this Act conservancy and sanitation, the destruction of rodents and other vermin, preventive and remedial measures against mosquitoes, flies and other insect pests;

(20) the control and supervision of all premises used for any of the purposes mentioned in section 438 and of all trades and manufactures carried thereon and the prescribing and regulating of the construction, dimensions, ventilation, lighting, cleansing. drainage and water-supply of any such premises;

(21) the inspection of milch-cattle, and prescribing and regulating the construction, dimensions, ventilation, lighting, cleansing, drainage and water-supply of cattle-sheds and dairies;

(22) securing the cleanliness of milk-stores, milk-shops, milk-vessels used by dairy men or milk-sellers for containing milk;

(23) regulating the sale of milk in the City, the protection of milk against contamination and the prevention of the sale of contaminated milk;

(24) requiring notice to be given whenever any milch animal is affected with any contagious disease and prescribing precautions to be taken for protecting milch-cattle and milk against infection or contamination;

(25) regulating the measures to be taken in the event of the outbreak of any disease among animals which is communicable to man and the supply of information which will facilitate the taking of such measures;

(26) securing the efficient inspection of markets and slaughter-houses and of shops in which articles intended for human food are kept or sold;

(27) the control and supervision of butchers carrying on business with in the

City or at a [Corporation][1] slaughter-house without the City;

(28) regulating the use of any [Corporation][1] market building, market place or slaughter-houses or any part thereof;

(29) controlling and regulating the sanitary condition of markets and slaughter-houses and preventing the exercise of cruelty therein;

(30) the licensing of hand-carts, other than those exempted from taxation under section 183, and the seizure and detention of any such hand-cart that has not been duly licensed;

(31) requiring notice to be given of the occurrence of cases of any infectious, epidemic or epidemic disease, not being a dangerous disease, which may be specified and prescribing the precautions to be taken by persons' suffering from, or exposed to infection from, any such disease;

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(32) regulating the disposal of the dead and the maintenance of all places for the disposal of the dead in good order and in a safe sanitary condition, due regard being bad to the religious usages of the several classes of the community;

(33) regulating the use of any place for the skinning and cutting up of the carcasses of animals ;

(34) facilitating and securing complete and accurate registration of births and deaths ;

(35) the registration of marriages;

(36) securing the protection of public markets, gardens, public parking places and open spaces vested in or under the control of the [Corporation][1] from injury, or misuse, or regulating their management and the manner in which they may be used by the public and providing for the proper behavior of persons in them;

(37) regulating the use of barbed-wire or other material for the fencing of land or premises abutting on any street, pathway or place which the public are entitled to use or frequent;

(38) regulating trade in rags, bones or second-hand clothing, bedding or other similar articles including measures for disinfecting on import or before removal, sale or exposure for sale or use in any manufacturing process of any such article;

(39) regulating the holding of fairs and industrial exhibitions in the City;

(40) regulating and prohibiting the stocking of inflammable materials and of the lighting or fires in any specified portion of the City;

(41) fixing of fees for any licence, sanction or permission to be granted by

or under this Act;

(42) regulating the charges for services rendered by any [Corporation][1] authority;

(43) regulating admission to and use by members of the public of, [Corporation][1] hospitals, dispensaries, infirmaries, homes and similar institutions and the levy of fees therein ;

(44) the protection of the property of the [Corporation][1];

(45) regulating the inspection by members of the public of [Corporation][1] records and the fees to be charged before such inspection is allowed;

(46) regulating the grant of certified copies or extracts from [Corporation][1] records, and the fees chargeable for such copies of extracts;

(47) regulating the appointment by owners of buildings or lands in the City who are not resident there in of agents residing in or near the City to act for such owners for all or any of the purposes of this Act or the rules, regulations or bye-laws;

(48) prohibition and regulation of advertisements; and

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

[(48-A) the provision and the manner for allotment of land to the person engaged traditionally in the vocation of making earthen pottery.

Explanation—A person shall be deemed to be engaged traditionally in such vocation if he belongs to such class of persons as may be notified by the State Government.][2]

(49) carrying out generally the provisions and intentions of this Act.

Mukhya Nagar Adhikari to lay draft byelaws before the [Corporation][1] for its consideration

542- It shall be the duty of the Mukhya Nagar Adhikari from time to time to lay before the [Corporation][1] for its consideration a draft of any bye-law which he shall think necessary or desirable for the furtherance of any purpose of this Act.

Hearing by [Corporation] of objections to proposed bye-laws

543- No bye-law shall be made by the [Corporation][1], unless-

(a) a notice of the intention of the [Corporation][1] to take such bye-law into consideration on or after a date to be specified in the notice shall have been given in the official Gazette and in the Bulletin of the [Corporation][1], if any, before such date;

(b) a printed copy of such bye-law shall have been kept at the chief [Corporation][1] office and made available for public inspection free of charge by any person desiring to peruse the same at any reasonable time from the date of the notice given under clause (a) ;

(c) printed copies of such bye-law shall have been delivered to any person requiring the same on payment of such fee for each copy as shall be fixed by the Mukhya Nagar Adhikari ;

(d) all objections and suggestions which may be made in writing by any

person with respect thereto before the date of the notice given under clause (a) shall have been considered by the [Corporation][1].

Bye-laws to be published [544- The bye-laws made under section 541 shall be published in the *Official Gazette*.][3]

Printed copies of bye- laws to be kept on sale 545- (1) The Mukhya Nagar Adhikari shall cause all bye-laws from time to time in force to be printed, and shall cause printed copies thereof to be delivered to any person requiring the same, on payment of such fee for each copy, as he may fix.

(2) Printed copies of the bye-laws for the time being in force shall be kept for public inspection in some part of the [Corporation][1] office to which the general public has access and in such other places, in any, like places of public resort, markets, slaughter-houses and other works or places affected thereby, as the Mukhya Nagar Adhikari thinks fit, and the said copies shall from time to time be renewed by the Mukhya Nagar Adhikari.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
2. Chapter 2 of added by section 20 of U.P. Act No. 26 of 1995.
3. Subs. by section 21 ibid.

Modification and rescission of by-laws by [Corporation][1] 546- (1) A [Corporation][1] may modify or rescind any bye-law made by it.

(2) The provisions of sections, 542, 543 and 544 shall mutatis mutandis apply to the modifications or rescission of a bye-law under sub-section (I).

State Government may modify or repeal bye-laws 547- (1) If it shall at any time appear to the State Government that any bye-law should be modified or repealed either wholly or in part, it shall cause it reasons for such opinion to be communicated to the [Corporation][1] and prescribe a reasonable period within which the [Corporation][1] may make any representation with regard thereto which it shall think, fit.

(2) After receipt and consideration of any such representation or, if in the meantime no such representation is received, after the expiry of the prescribed period, the Slate Government may at any time by notification in the official Gazette, modify or repeal such bye-law either wholly or in part.

(3) The modification or repeal of a bye-law under sub-section (2) shall take effect from such date as the State Government shall in the said notification direct or, if no such date is specified, from the date of the publication of the said notification in the official Gazette, except as to anything done or suffered or omitted to be done before such date.

(4) The said notification shall also be published in the Bulletin of the [Corporation], if any.

Regulation 548- (1) The Executive Committee shall from time to time frame regulations; not inconsistent with this Act and the rules and bye-laws but in consonance with any resolution that may be passed by the [Corporation][1] --

(a) fixing the amount and the nature of the security to be furnished by any [Corporation][1] officer or servant from whom it may be deemed

expedient to require security;

(b) regulating the grant of leave to [Corporation][1] officers and servants;

(c) determining the remuneration to be paid to the persons appointed to act for any of the said officers or servants during their absence on leave;

(d) authorizing the payment of travelling or conveyance allowance to the said officers and servants;

(e) regulating the period of service of all the said officers and servants;

(f) determining the conditions under which the said officers and servants, or any of them, shall on retirement or discharge receive pensions, gratuities or compassionate allowances, and under which the surviving spouse or children and, in the absence of the surviving spouse or children, the parents, brothers and sisters, if any, dependent on any of the said officers and servants, shall after their death, receive compassionate allowances and the amounts of such pensions, gratuities or compassionate allowances;

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(g) authorizing the payment of contributions, at certain prescribed rates and subject to certain prescribed conditions, to any pension or provident fund which may, with the approval of the Executive Committee be established by the said officers and servants or to such provident fund, if any, as may be established by the [Corporation][1] for the benefit of the said officers and servants;

(h) prescribing the conditions under which and, the authority by whom, any officer or servant, may be permitted while on duty or during leave to perform a specified service or series of services for a private person or body or for a public body, including a local authority, or for the Government and to receive remuneration therefor;

(i) in general prescribing-any other conditions of service of the said officers and servants.

(2) The Executive Committee may also from time to time frame regulations not inconsistent with the provisions of this Act and the rules-

(a) determining the standard of fitness of buildings for human habitation;

(b) regulating the declaration of expenses incurred by the Mukhya Nagar Adhikari under the provisions of this Act and the rules in respect of any materials or fittings supplied or work executed or thing done to, upon or in connexion with some building or land which are recoverable from the owner or occupier to be improvement expenses;

(c) regulating the grant of permission by Mukhya Nagar Adhikari for the construction of shops, ware-house, factories, huts or buildings designed for particular uses in any streets, portion of streets or localities specified in a declaration in force under section 335.

(3) No regulation under sub-section (I) or under clause (a) of sub- section (2) shall have effect until it has been confirmed by the [Corporation][1] and, if made under clause (h) of sub-section (I), until it has in addition been confirmed by the State Government and in either case, has been published in the official Gazette.

(4) The [Corporation][1] or the State Government may decline to confirm a regulation when placed before it under sub-section (3) or confirm it without modification or after making such modifications as it may think fit.

State Govern-ment's power to make bye- laws and regulations

549- (1) If in respect of any matters specified in section 541 the [Corporation][1] has failed to make any bye-law or if the bye-laws made by the [Corporation][1] are not, in the opinion of the State Government, adequate; the State Government may make bye-laws, providing for such matter to such extent as it may think fit.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(2) The provisions of section 543 shall apply to the making of bye- laws under this section with the substitution of the words "Slate Government" for the words [Corporation][1] and the bye-laws shall have force of law upon their publication in the official Gazette.

(3) If any provision of a bye-law made under this section is repugnant to any provision of a bye-law made by the [Corporation][1] the bye-law under this section shall prevail and the bye-law made under section 541 shall, to the extent of the repugnancy, be void.

(4) The State Government may, if it thinks fit by publication in the official Gazette, make regulations consistent with this Act and the rules and bye-Jaws in respect of matter referred to in clause (f) of sub-section (1) of section 548.

Penalty for breach of rules, bye-laws or regulations

550- In making rules, bye-laws or regulations, the [Corporation][1] or the Executive Committee, or the State Government, as the case may be, may provide that for any breach thereof the offender shall on conviction-

(a) be punished with fine which may extend to five-hundred rupees, and in the case of a continuing breach with fine which may extend to twenty rupees for every day during which the breach continues, after conviction for first breach;

(b) be punished with fine which may extend to twenty rupees for every day during which the breach continues, after receipt of written notice from the Mukhya Nagar Adhikari or any [Corporation][1] officer duly authorized in that behalf to discontinue the breach;

(c) in addition to the imposition of such fine be required to remedy the mischief so far as lies, in his power.

CHAPTER XXIV

Miscellaneous

Public Notices and Advertisements

Public notices bow to be made known

551- Whenever it is provided by or under this Act that public notice shall or may be given of anything, such public notice shall, in the absence of special provisions to the contrary, be in, writing under the signature of, the Mukhya Nagar Adhikari or of a [Corporation][1] officer empowered under the Act to give the same, and shall be widely made known in the locality to be affected thereby, by affixing copies thereof in conspicuous public places within the said locality, or by publishing same by beat of drum or by advertisement in the local newspapers, or by publication in the Bulletin of the [Corporation][1] or by any two or more of these means and by any other means that the Mukhya Nagar Adhikari shall think fit.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Advertisement how to be made

552- Whenever it is provided by or under this Act that notice shall be given by advertisement in the local newspapers, or that a notification or any information shall be published in the local newspapers, such notice, notification or information shall be inserted, if practicable, in at least two newspapers in such language or languages as the [Corporation][1] may from time to time specify in this behalf published or circulating in the City:

Provided that where the [Corporation][1] has its own Bulletin the publication of the said notice in two consecutive issues of the Bulletin of the [Corporation][1] shall be deemed sufficient for the purposes of this section.

Consent, etc. of [Corporation][1], etc. may be provided by written document

553- (I) Whenever under this Act or any rule, bye-law, regulation or order, the doing or the omitting to do anything or the validity of anything depends upon the consent, sanction, approval, concurrence, confirmation, declaration, opinion or satisfaction of-

(a) the [Corporation][1], the Executive Committee, or any other Committee; or

(b) the Mukhya Nagar Adhikari or any [Corporation][1] officer, a written document signed as provided in sub-section (2) purporting to, conveyor setforth such consent, sanction, approval, concurrence confirmation, declaration, opinion or satisfaction shall be sufficient evidence of such consent, sanction, approval, concurrence, confirmation, declaration, opinion or satisfaction.

(2) The written document referred to in sub-section (1) shall unless otherwise provided by or under this Act be signed-

(a) when the authority concerned is the [Corporation][1] or the Executive Committee or any other Committee by the Mukhya Nagar Adhikari on behalf of such authority;

(b) when the authority concerned is the Mukhya Nagar Adhikari or any [Corporation] officer, the Mukhya Nagar Adhikari, or such [Corporation][1] officer, as the case may be.

Service of Notices, etc.

Notice and their service

554- (1) Notices, bills, schedules, summonses and other such documents required by this Act or by any rule, regulation or bye-law to be served upon or issued or presented or given to any person, shall be served, issued, presented or given by [Corporation][1] officers or servants or by other persons authorized by the Mukhya Nagar Adhikari in this behalf.

(2) When any notice, bill, schedule, summons or other such document is required by this Act, or by any rule, regulation or bye-law to be served upon or issued or presented to any person, such service, issue or presentation shall, except in the cases otherwise expressly provided for in sub-section (3), be effected--

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(a) by giving or tendering to such person the said notice, bill, schedule, summons or other document; or

(b) if such person is not found, by leaving the said notice, bill, schedule, summons or other document at his last known place of abode in the City, or by giving or tendering the same to some adult member or servant of his family, or by leaving the same at his usual place of business, if any, by giving or tendering the same to some adult employee, if any, of his at such place; or

if such person does not reside in the City and his address else- where is known to the Mukhya Nagar Adhikari, by forwarding the said notice, bill, schedule, summons or other document to him by post under cover, bearing the said address; or

(d) if none of the means aforesaid be available, by causing the said notice, bills, schedule, summons or other document to be affixed on some conspicuous part of the building or land, if any, to which the same relates.

(3) When any notice, bill, schedule, summons or other such document is required by this Act, or by any rule, regulation or bye-law, to be served upon or issued or presented to the owner or occupier of any building or land it shall not be necessary to name the owner or occupier therein, and the service, issue or presentation thereof shall be effected, not in accordance with the provisions of the last preceding sub-section, but as follows, namely-

(a) by giving or tendering the said notice, -bill, schedule, summons or other document to the owner or occupier or if there be more than one owner or occupier; to anyone of the owners or occupiers of such building or land ;

(b) if the owner or occupier or no one of the owners or occupiers is found, by giving or tendering the said notice, bill, schedule, summons or other document to some adult member or servant of the family of the owner or occupier or of any of the owners or occupiers; or

(c) if none of the means aforesaid be available by causing the said notice, bill, schedule, summons or other document to be affixed on some conspicuous part of the building or land to which the same relates.

(4) Whenever the person on whom any notice, bill, schedule, summons or other such document is to be served is a minor, service upon his guardian or upon an adult male member or servant of his family shall be deemed to be service upon minor.

(5) Nothing in this section applies to any summons issued under this Act by a Magistrate.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Signature on notices, etc. may be stamped

555- (1) Every licence, written permission, notice, bill, schedule, summons or other document required by this Act or by any rule, regulation or bye-law to bear the signature of the Mukhya Nagar Adhikari or of any [Corporation][1] officer shall be deemed to be properly signed if it bears a facsimile of the signature of the Mukhya Nagar Adhikari or of such [Corporation][1] officer, as the case may be, stamped thereupon.

(2) Nothing in this section shall be deemed to apply to cheque drawn upon the [Corporation][1] Fund under any of the provisions of this Act, or to any deed of contract.

Power of Mukhya Nagar Adhikari to call for information as to ownership of premises

556- (1) The Mukhya Nagar Adhikari may, in order to facilitate the service, issue, presentation or giving of any notice bill, schedule, summons or other such document upon or to any person by written notice require the owner or occupier of any permises, or of any portion thereof to state in writing, within such period as the Mukhya Nagar Adhikari may specify in the notice, the nature of his interest therein and the name and address of any other person having an interest therein, whether as freeholder, mortgagee, lessee or otherwise, so far as such name and address is known to him.

(2) Any person required by the Mukhya Nagar Adhikari in pursuance of sub-section (I) to give the Mukhya Nagar Adhikari any information shall be found to comply with the same and to give true information to the best of his knowledge and belief.

Unauthorized Works

Work or thing done without written permi-ssion of the Mukhya Nagar Adhikari to be deemed un-authorised

557- (1) If any work or thing requiring the written permission of the Mukhya Nagar Adhikari under any provision of this Act or any rule, regulation or bye-law is done by any person without obtaining such written permission or if such written permission is subsequently suspended or revoked for any reason by the Mukhya Nagar Adhikari, such work or thing shall be deemed to be unauthorized and, subject to any other provision of this Act; the Mukhya Nagar Adhikari may at any time, by written notice, require that the same shall be removed, pulled down or undone, as the case may be, by the person so carrying out or doing. If

the person carrying out such work or doing such thing is not the owner at the time of such notice then the owner at the time of giving such notice shall be liable for carrying out the requisitions of the' Mukhya Nagar Adhikari.

(2) If within the period specified in such written notice the requistions contained therein are not carried out by the person or owner, as the case may be, the Mukhya Nagar Adhikari may remove or alter such work or undo such thing and the expenses thereof shall be paid by such person or owner, as the case may be.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Enforcement orders in execution of Work, etc.

Works. etc., which any person is required to execute may in certain Cases be executed by Mukhya Nagar Adhikari at such person's cost

558- (1) Subject to the provisions of this Act, and of the rules, bye- laws and regulations, when any requisition is made under any provision of this Act or of any rule, bye-law or regulation by written notice by the Mukhya Nagar Adhikari, or by any [Corporation][1] officer duly empowered in this behalf, a reasonable period shall be prescribed in such notice for carrying such requisition or order into effect, and if, within the period so prescribed, such requisition or order or any portion of such requisition or order is not complied with, the Mukhya Nagar Adhikari may take such measures or cause such work to be executed or such thing to be done as shall, in his opinion, be necessary for giving due effect to the requisition or order so made; and unless it is in this Act otherwise expressly provided, the expenses thereof shall be paid by the person or by anyone of the persons to whom such requisition or order was addressed.

(2) The Mukhya Nagar Adhikari may take any measure, execute any work or cause anything to be done under this section, whether or not the person who has failed to comply with the requisition or order is liable to punishment or has been prosecuted or sentenced to any punishment for such failure.

Supply of materials

559- On the written request of any person who is required under any of the provisions of this Act, or any rule, regulation or bye-law to supply any materials or fittings, the Mukhya Nagar Adhikari may, on such person's behalf, supply the necessary materials and fittings and cause the work to be done:

Provided that, where the provisions of section 524 or 525 will not apply, a deposit shall first of all be made by the said person of a sum which will in the opinion of the Mukhya Nagar Adhikari, suffice to cover the cost of the said materials, fittings and work.

Power of Entry and Inspection

Power of entry and inspection

560- (1) The Mukhya Nagar Adhikari or any [Corporation][1] officer or servant authorized by him in this behalf may enter into or upon any premises, with or without assistants or workmen, which he is empowered by or under the provisions of this Act or the rules to enter or inspect or in order to make any inspection, search, survey, measurement, valuation or inquiry or to execute any

work which is authorized by or under this Act or which it is necessary for any of the purposes, or in pursuance of any of the provisions, of this Act, or of any rules, bye-laws or regulations thereunder to make or execute ..

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the Mukhya Nagar Adhikari or any [Corporation][1] officer or servant authorized by him in this behalf shall have power to enter and inspect any place or article in the following cases, namely-

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(a) any stable, garage, coach-house or any place where: any vehicle, boat or animal liable to tax is kept;

(b) any land whereon any [Corporation][1] drain has been or is proposed to be constructed-under section 230 ;

(c) any land belonging to any person for the purpose of emptying his own drain into a [Corporation][1] drain-under sections 234, 236, 241 and 242 ;

(d) any land whereon shaft or pipes for ventilating drains are required to be fixed-under section 249 ;

(e) drains, ventilators, shafts, pipes, cesspools, latrines, urinals, bathing and washing places-under section 255 ;

(f) any land which provides access to any [Corporation][1] waterworks-under section 264 :

(g) any premises which are suspected to have been used for any trade or keeping any article in contravention of section 438 ;

(h) any premises for the use of which a licence is required and has been granted under the provisions of this Act;

(i) any building during its erection or any work during its execution;

(j) any premises which are provided by the [Corporation][1] for the residence of [Corporation][1] officers and servants.

(3) The Mukhya Nagar Adhikari or such authorized person shall not use any force for the purpose of effecting any entry under sub-section (1) unless-

(i) such entry cannot otherwise be effected, and

(ii) there is reason to believe that an offence is being or has been committed against any provisions of this Act or any rule or bye- law made thereunder.

Power of Mukhya Nagar Adhikai to enter on lands adjacent to work.

561- (1) The Mukhya Nagar Adhikari may enter upon any land adjoining or within one hundred yards of any works authorized by this Act or by any rule or bye-law made thereunder for the purpose of depositing upon such land any soil, gravel, sand, lime, bricks, stone or other materials, or of obtaining access of such works, or for any other purpose connected with the carrying on of such works.

(2) The Mukhya Nagar Adhikari shall, before entering upon any land under

sub-section (1) unless otherwise provided in this Act or any rule or bye-law made thereunder, give the owner and occupier (if any) three days previous written notice of his intention to make such entry, and of the purpose thereof, and shall, if so required by the owner or occupier, set apart by sufficient fences so much of the land as may be required for the purpose mentioned in the said sub-section.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(3) The Mukhya Nagar Adhikari shall not be bound to make any payment, tender or deposit before entering upon any land under sub section (1), but shall do as little damage as may be, and shall pay compensation to the owner and occupier (if any) of the land for such entry and for any temporary damage that may be done in consequence thereof, and shall also pay compensation to the said owner for any permanent damage resulting therefrom.

Time of making entry

562- (1) No such entry shall be made after sunset and before sunrise:

Provided that in any case in which it has been expressly provided by or under this Act such entry may be made by day or night.

(2) Except as otherwise expressly provided by or under this Act, no building used as a human dwelling shall be entered except with the consent of the occupier thereof or without giving him at least six hours notice in writing of the intended entry and, except when it is deemed inexpedient to mention the purpose thereof, of such purpose.

(3) When such premises may otherwise be entered without notice, sufficient notice shall be given in every instance to enable the inmates of any apartment appropriated to females to remove themselves.

(4) Due regard shall always be had, so far as may be compatible with the exigencies of the purpose for which the entry is made, to the social and religious usages of the occupants of the premises entered.

(5) No claim shall lie against any person for compensation for any damage necessarily caused by an entry under sub-section (7) of section 438 or by the use of any force necessary for effecting such entry.

Prohibition of obstructing entry under section 560 or section 561

563- No person shall, in any way, obstruct the Mukhya Nagar Adhikari in making any entry under section 560, or section 561 or any [Corporation][1] officer or other person accompanying the Mukhya Nagar Adhikari at his request or acting under his orders for the purposes of such entry.

Legal Proceedings

Provisions respecting institution etc. of civil and

564- (1) The Mukhya Nagar Adhikari may-

(a) take, or withdraw from proceedings against any person who is Charged with-

criminal action and obtaining legal advice

(i) any offence against this Act or any rule, regulation or bye-law;

(ii) any offence which affects or is likely to affect any property or interest of the [Corporation][1] or the due administration of this Act;

(iii) committing any nuisance whatever;

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

[(b) subject to any general or special orders of the State Government in this behalf, compound any offence punishable under this Act, or rules, bye-laws or regulations made thereunder, either before or after the institution of the prosecution, on realisation of such amount of composition fee as he thinks fit not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence and where the offence is so compounded:-

(i) before the institution of the prosecution; the offender shall not be liable to prosecution from such offence, and shall, if in custody, be set at liberty;

(ii) after the institution of the prosecution the composition shall amount to acquittal of the offender.][1]

(c) defend any election petition brought under the Act or any other proceeding relating to elections under the Act if he or the [Corporation][2] or any other [Corporation][2] authority is sued; or

(d) defend, admit or compromise any appeal against an annual value or tax brought under section 472 ;

(e) take, withdraw from or compromise, proceedings under sub-section (2) of section 470, sub-sections (3) and (4) of section 522 and section 481 and for the recovery of expenses or compensation claimed to be due to the [Corporation][2] ;

(f) withdraw from or compromise any claim for a sum not exceeding five hundred rupees against any person in respect of a penalty under a contract entered into with such person by the Mukhya Nagar Adhikari or, with the approval of the Executive Committee, any such claim for any sum exceeding five hindered rupees;

(g) defend any suit or other legal proceedings brought against the [Corporation][2] or against the Mukhya Nagar Adhikari or a [Corporation][2] officer or servant in respect of anything done or omitted to be done by them, respectively, in their official capacity;

(h) with the approval of the Executive Committee admit or compromise any claim, suit or legal proceeding brought against the [Corporation][2] or against the Mukhya Nagar Adhikari or a [Corporation][2] officer or servant in respect of anything done or omitted to be done as aforesaid

(i) with the like approval, institute and prosecute any suit or with- draw from or compromise any suit or any claim, other than a claim of the

description specified in clause (f), which has been instituted or made in the name of the [Corporation][2] or the Mukhya Nagar Adhikari ;

1. Subs. by section 7 of U.P. Act No. 35 of 1979.
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(j) obtain and pay for such legal advice and assistance as he may, from time to time, think it necessary or expedient to obtain or as he may be desired by the [Corporation][2] or the Executive Committee to obtain, for any of the purposes mentioned in the fore-going clauses of this sub-section or for securing the exercise or discharge of any power or duty vesting in or imposed upon any [Corporation][2] authority or any [Corporation][2] officer or servant:

Provided that the Mukhya Nagar Adhikari shall not defend any suit or legal proceeding under clause (g) without first of all taking legal advice with regard thereto, and shall institute and prosecute any suit which the [Corporation][2] shall determine to have instituted and prosecuted.

General

Sabhasads etc. to be deemed to be public servants

565- (1) The Mukhya Nagar Adhikari and every Sabhasad [***][1] and every [Corporation][2] officer or servant appointed under this Act, and every contractor or agent for the collection of any [Corporation][2] tax, fee or other sum due to the [Corporation][2] and every servant or other person employed by any such contractor or agent shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

(2) For the purposes of sub-section (I) the word "Government" in the definition of "Legal remuneration" in section, 161 of the Indian Penal Code shall be deemed to include the [Corporation][2].

Duties of police officers

566- It shall be the duty of every police officer-

(a) to communicate without delay to the proper [Corporation][2] officer any information which he receives of the design to commit or of the commission of any offence under this Act or any rule, bye- law or regulation made under it ;

(b) to assit the Mukhya Nagar Adhikari or any [Corporation][2] officer or servant, or any person to whom the Mukhya Nagar Adhikari has lawfully delegated powers reasonably demanding his aid for the lawful exercise of any power vesting in the Mukhya Nagar Adhikari or in such [Corporation][2] officer or servant or person under this Act, or any such rule, bye-law or regulation,

and for all such purposes he shall have the same powers which he has in the exercise of his ordinary police duties.

Power of police officers to arrest persons

567- (1) If any police officer sees any person committing an offence against any of the provisions of this Act, or of any rule, bye-law or regulation made under it, he shall, if the name and address of such person, are unknown to him and if the said person on demand declines to give his name and address or gives a name and address which such officer has reason to believe to be false, arrest such

person.

1. Del. by section 30 of U. P. Act No. 12 of 1977.
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(2) No person, arrested under sub-section (1) shall be detained in custody-

(a) after his true, name and address are ascertained, or

(b) without the, order of a magistrate for any longer time not exceeding twenty-four hours from the hour of arrest, than is necessary for bringing him before a magistrate.

Exercise of powers of police by [Corporation] servants

568- The State Government may empower any [Corporation][2] officer or servant or any class of [Corporation][2] officers or servants to exercise the powers of a police officer for the purposes of this Act.

Informalities and errors in assessment etc., not to be deemed to invalidate such assessment, etc.

569- (1) Any informality, clerical, error, omission or other defects in any assessment made or any distress levied or attachment made or in any notice, bill, schedule, summons or other document issued under this Act or under any rule, regulation or bye-law may at any time, as far as possible, be rectified.

(2) No such informality, clerical error, omission or other defect shall be deemed to render the assessment, distress, attachment, notice, bill, schedule, summons or other document invalid or illegal if the provisions of this Act and of the rules, regulations or bye-laws have in substance and effect been complied with, but any person who sustains any special damage by reason of any such informality, clerical error, omission or other defect shall be entitled to recover compensation for the same by suit in a court of competent jurisdiction.

Indemnity for acts done in good faith

570- No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie in respect of anything in good faith done or purported or intended to be done under this Act against the State Government, any Sabhasad, [***][1], Nagar Pramukh or against the Mukhya Nagar Adhikari, or any [Corporation][2] officer or servant or against person acting under and in accordance with the directions under this Act of the State Government, the [Corporation][2], any committee constituted under this Act, the Mukhya Nagar Adhikari, any [Corporation][2] officer or servant or of a magistrate.

Protection of persons acting under this Act against suits

571- (1) No suit shall be instituted against the [Corporation][2] or against the Mukhya Nagar Adhikari, or against any [Corporation][2] officer or servant, in respect of any act done or purported to be done in pursuance or execution or intcl1d~d execution of this Act or in respect of any alleged neglect or default in the execution of this Act-

1. Del. by section 31 of U. P. Act No. 12 of 1977.
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(a) until the expiration of two months next after notice if writing has been, in the case of the [Corporation][2], left at the [Corporation][2] office and, in the case of the Mukhya Nagar Adhikari or of a [Corporation][2] officer or servant delivered to him or left at his office, stating with reasonable particularity the cause of action the nature of the relief sought, the amount of compensation claimed, if any, and the name and place of abode of the intending plaintiff and of his attorney, advocate, pleader or agent, if any, for the purpose of such suit, nor

(b) unless it is commenced within six months next after the accrual of the cause of action:

Provided that nothing in this sub-section shall be construed to apply to a suit wherein the only relief claimed is an injuction of which the object would be defeated by the giving of the notice or the postponement of the commencement of the suit or proceeding.

(2) At the trial of any such suit-

(a) the plaintiff-shall not be permitted to go into evidence of any cause of action except such as is set forth in the notice delivered or left by him as aforesaid;

(b) the claim, if it be for damages, shall be dismissed if tender of sufficient amends shall have been made before the suit was Instituted or if, after the institution of the suit, a sufficient sum of money is paid into Court with costs.

(3) When the defendant in any such suit is a [Corporation][2] officer or servant, payment of sum or of any part of any sum payable by him in, or in consequence of the suit, whether in respect of costs, charges, expenses, compensation for damages or otherwise, may be made, with the previous sanction of the Executive Committee from the [Corporation][2] Fund.

Mode of proof of [Corporation][2] records

[571-A A copy of any receipt, application, plan, notice, order, entry in a register or other document in the possession of a [Corporation][2] shall, if duly certified by the legal keeper thereof or a person authorised by the Mukhya Nagar Adhikari in this behalf, be received as prima facie evidence of the existence of the entry or document and shall be admitted as evidence of the matters and transactions therein recorded in every case where, and to the same extent as, the original entry or document would, if produced, have been admissible to prove such matters.

Restriction on summoning of [Corporation][2] officers or

571-B No [Corporation][2] officer or servant shall. in any legal proceedings to which [Corporation][2] is not a party be required to produce any register or document the contents of which can be proved under the last preceding section

servants to produce documents

by a certified copy or to appear as a witness to prove the matters and transactions recorded therein unless by order of the Court made for special cause.][1]

1.Add. by s. 27 of U. P. Act No. 21 of 1964.

2.Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

Civil Court not to grant temporary in-junction in certain cases

572- No Civil Court shall in the course of any suit grant any temporary injunction or make any interim order-

(a) restraining any person from exercising the powers or performing the functions or duties of a Sabhasad, [***][1]; officer or servant of a [Corporation][2] or of a committee or sub-committee of a [Corporation][2] on the ground that such person has not been duly elected, or appointed, as the case may be ; or

(b) restraining any person or persons or any [Corporation][2] committee or sub-committee of a [Corporation][2] from holding any election, or from holding any election in any particular manner.

Limitation of liability of agent or trustee of owner

573- (1) No person who receives the rent of any premises in any capacity described in paragraphs (i), (ii) or (iii) of sub-clause (a) of clause (52) of section 2 shall be liable to do anything which is by this Act required to be done by the owner unless he has or, but for his own improper act or default, might have had sufficient funds of or due to the owner to pay for the same.

(2) The burden of proving the facts entitling any person to relief under sub-section (1) shall rest on such person.

(3) When any person has secured relief under sub-section (1) the Mukhya Nagar Adhikari may, by written notice, require such person to apply to the discharge of any obligation which he would, but for such relief, be bound to discharge the first moneys which shall come to his hand on behalf of or for the use of the owner, and any person who fails to comply With such notice shall be deemed to personally liable to discharge such obligation.

(4) Nothing in this section shall be deemed to prevent the Mukhya, Nagar Adhikari from carrying out the necessary work and recovering the expenses from the actual owner.

CHAPTER XXV

Transitory Provisions, Repeals and Amendments

Constructions of re-ferences in other enactments

574- [(1)][3] In any enactment other than the V.P. Municipalities Act, 1916, the U. P. Town Improvement Act, 1919 and the Cawnpore Urban Area Development Act, 1945, in force on the date immediately preceding the appointed day in a City or any rule, order or notification made or issued thereunder and in force on such date in the said City unless' a different intention appears-

1. Deleted by section 32 of U.P. Act No. 12 of 1977.
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
3. Renumbered by section 68 ibid.

(a) references to [municipality or municipal area and Municipal Board or [Municipal Corporation][3], as the case may be][2] constituted under the U.P. Municipalities Act,1916, shall be construed as references to the [City and to the Corporation][3] of the said City, as the case may be, and such enactment, rule, order or notification shall apply to the said City or [Corporation][1];

(b) references to President or the Vice-President of the [or as the case may be, of the Municipal Board][4] constituted under the U. P. Municipalities Act, 1916, shall be construed in respect of the City as references to the Mukhya Nagar Adhikari, appointed under this Act;

(c) references to the Improvement Trust or Development Board constituted under the U. P. Town Improvement Act, 1919, or the Cawnpore Urban Area Development Act, 1945 and to the Chairman or President of such Trust or Board shall in respect of the City be construed as references respectively to the Development Committee constituted under this Act and to the Mukhya Nagar Adhikari;

(d) references to the member of a [or as the case may be, [Municipal Corporation][6] of the Municipal Board][4] constituted under the U. P. Municipalities Act, 1916, shall in respect of the City be construed as references to the members of the [Corporation][1] constituted under this Act for the City; and

(e) references to any chapter or section of the U. P. Municipalities Act,1916, the U. P. Town Improvement Act, 1919 and the Cawnpore Urban Area Development, Act, 1945, shall as far as possible be const rued in respect of the City as references to this Act or its corresponding chapter or section.

[(2) On and from the date of commencement of the Uttar Pradeesh Urban Local Self Government Laws (Amendment) Act, 1994, any reference to the Nagar Mahapalika or Mahapalika in any rules, regulations, bye-laws. statutory instruments or in any toher law for the time being in force, or in any document or proceedings shall be construed as references respectively to the Municipal Corporation or the Corporation.][2]

Sums due 575- All sums due to [Municipal Board or, as the case may be, to the Municipal Corporation][5] or local authority for the area which has been constituted a City, whether on account of any tax or any other account, shall be recoverable by the Mukhya Nagar Adhikari for the City and for the purpose of such recovery shall be competent to take any measure or institute any proceeding which it would have been open to the authority of [Municipal Corporation][6] or, as the case may be, to the Municipal Council][5] or local authority to take or institute, if this Act had not come into operation and the said area had not been constituted to be a City.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
2. Insertion of section 68 ibid.
3. Chapter 2 of added by section 22 (a)(i) and (ii) of U.P. Act No. 26 of 1995.
4. Subs. by section 22(b) ibid.
5. Subs. by section 23 and ibid.
6. Subs. by Section 6 of Uttarakhand. Act No. 4 of 2008.

Debts, obligetions, contract and pending proceedings

576- (1) All debts and obligations incurred and all contracts made by or on behalf of the [Municipal Board or, as the case may be, to the [Municipal Corporation][3] Council][2] or local authority immediately before the appointed day and subsisting on the said day shall be deemed to have been incurred and made by the Mukhya Nagar Adhikari for the said City in exercise of the powers conferred on him by this Act and shall continue in operation accordingly.

(2) All proceedings pending before any authority of the [Municipal Board or, as the case may be, to the [Municipal Council][2] or local authority on the said day which under the provisions of this Act are required to be instituted before or undertaken by the Mukhya Nagar Adhikari shall be transferred to and continued by him and all other such proceedings shall, so far as may be, be transferred to and continued by such authority before or by whom they have to be instituted or under-taken under the provisions of this Act.

(3) All appeals pending before any authority of the [Municipal Board or, as the case may be, to the [Municipal Corporation][3] Council][2] or local authority on the said date shall, so far as may be practicable, be disposed of as if the area was constituted to be City when they were filed.

(4) All prosecutions instituted by or on behalf of the [Municipal Board or, as the case may be, to the [Municipal Corporation][3] Council][2] or local authority and all suits and other legal proceedings instituted by or against the [Municipal Board or, as the case may be, to the [Municipal Corporation][3] Council][2], local authority or any officer of the [Municipal Board or, as the case may be, to the [Municipal Corporation][3] Council][2] or local authority pending On the said date shall be continued by or against the Mukhya Nagar Adhikari or the [Corporation][1] for the said City, as the case may be, as if the area was constituted to be a City when such prosecution, suit or proceeding was instituted.

Continuation of appointments, taxes, budget estimate, assessment etc.

577- Save as expressly provided by the provisions of this Chapter or by a notification issued under section 579-

(a) any appointment, delegation, notification, notice, tax, order, direction, scheme, licence, permission, registration, rule, bye-law regulation, form made, issued, imposed or granted under the U. P. Municipalities Act, 1916 or the Cawnpore Urban Area Development Act, 1945, or the U. P. Town Improvement Act, 1919, or any other law in force in any local area constituted to be a City immediately before the appointed clay shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, continue in force until it is superseded by any appointment, delegation, notification, notice, tax, order, direction, scheme, licence, permission, registration, rule, bye-law, or form made, issued imposed or granted under this Act or any other law as aforesaid, as the case may be;

(b) any notice or notification or sanction of any improvement scheme for the area included in the City issued under the U. P. Town Improvement Act, 1919 or the Cawnpore Urban Area Development Act, 1945, shall be deemed to have been issued under this Act and all further proceedings in furtherance of such scheme may be taken accordingly;

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
2. Chapter 2 of added by section 24 of U.P. Act No. 26 of 1995.
3. Section 6 of Uttarakhand. Act No. 4 of 2008.

(c) all proceedings for acquisition of land whether in pursuance of any scheme of improvement or otherwise initiated under the U. P. Town Improvement Act, 1919, the Cawnpore Urban Area Development Act, 1945, or the U. P. Municipalities Act, 1916 or any other enactment applicable to the area included in the City may be continued as if they had been initiated under this Act;

(d) all budget estimates, valuations, measurements, and divisions made under the U. P, Municipalities Act, 1916, or the U. P. Town Improvement Act, 1919, or the Cawnpore Urban Area Development Act, 1945 or any other law in force in any area constituted to be a City immediately before the appointed day shall, in so far as they are consistent with the provisions of this Act, be deemed to have been made under this Act;

(e) all officers and servants in the employ of the [Municipal Board or, as the case may be, the [Municipal Corporation][4] Council][3], Improvement Trust, Development Board or local authority immediately before the appointed day shall, notwithstanding anything in sections 106 and 107, be officers and servants employed by the [Corporation][2] in a temporary capacity under this Act and [for so long as they are not appointed to posts created under this Act or finally absorbed in any centralised service created by rules made under section 112-A or their services do not stand determined in accordance with such rules, they shall draw the same salaries and allowances and, except as otherwise provided in such rules, be subject to the same conditions of service to which they were entitled or were subject immediately before the appointed day.][1]

[(ee) For so 10:1g as the posts mentioned in section 106 are not created by the [Corporation][2] and formal appointments are not made there to as provided in this Act-

(1) the Mukhya Nagar Adhikari shall be competent to make such changes in the designations of the existing officers and servants mentioned in clause (e) as may be necessary having regard to the provisions of this Act and the rules made thereunder, and the officers and servants so designated shall be competent to exercise and perform the powers, duties and functions assigned to them under the Act and the said rules:

Provided that a copy of every order of the Mukhya Nagar Adhikari made under this sub-clause shall be sent to the State Government which may make such modifications therein as may be necessary or desirable;

(2) Such officer or officers of the State Health Service as the State Government may nominate or designate in this behalf shall function as Nagar Swasthya Adhikari or as Nagar Swasthya Adhikaris under the Act;

(3) Servants of the Slate Government who are on deputation with the Municipal Board or, as the case may be, the [Municipal Corporation][4] Council][3], Improverment Trust, Development Board or local authority immediately before the appointed day shall, notwithstanding anything contained in sections 106 and 107 be deemed to be on deputation with the [Corporation][2] :

---

1. Ins, by section 8 (a) of U. P. Act No. 29 of 1966.
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
3. Added by section 25 of Chapter 2 of U.P. Act No. 26 of 1995.

Provided that the State Government may, at any time, of its own accord or on a request being made by the [Corporation][3] withdraw any such officer or substitute any such officer by a new officer.][1]

(f) [subject to the provisions of any rules made under section 112-A the following procedure shall be followed][2] in appointing the officers and servants referred to in clause (e) to the posts created by the [Corporation][3] under section 106-

(1) appointments to posts for which consultation of the State Public Service Commission is necessary under section 107 shall be made according to the provisions of that section;

(2) appointments to other posts shall be made by the Mukhya Nagar Adhikari in consultation with the Nagar Pramukh and in accordance with any general or special directions of the State Government in this behalf;

(3) if for any post a suitable person out of the temporary officers and servants aforesaid is not available, appointment to such post shall be made otherwise under the provisions of this Act;

(4) if any temporary officer or servant as aforesaid is found not to be suitable for any post by the [Corporation][3] or he declines to accept the post to which he is appointed on the ground that its pay or time scale of the pay is less than his present pay or time scale, his service shall be terminated after giving him necessary notice as required under the terms of his service but each such officer or servant whose services have been terminated in this manner shall be entitled to such leave, pension or gratuity as he would have been entitled to take or receive on termination of his service if this Act had not been passed;

(g) the service rendered by the officers and servants referred to in clause (e) before the appointed day shall be deemed to be service rendered in the service of the [Corporation][3].

Continuation of Service 577-A [All officers and servants in the employment of a Nagar Mahapalika as it stood immediately before the commencement of the Uttar Pradesh Urban Local Self Government Laws (Amendment) Act, 1994, shall on such commencement, be the officers and servants of the Corporation under this Act and shall draw the same salaries and allowances and be subject to the same conditions of service to which they were entitled or subjected to immediately before such commencement.][4]

1. Subs. by s. 28 of U. P. Act. No. 21 of 1964.
2. Subs. by s. 8 (b) of U. P. Act. No. 29 of 1966.
3. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

4. Chapter 2 of added by section 26 of U.P. Act No. 26 of 1995.

Provision of [Municipal Corporation][7] or local authority which is [***][4] dissolved

578- Any reference in the foregoing sections to a [Municipal Corporation][7] or a local authority shall, in case such [Municipal Corporation][7] or local authority has been [***][4] dissolved or placed under the charge of an administrator under any enactment made for that purpose be deemed to be a reference to the person or persons appointed to exercise the powers or to perform the functions of such [Municipal Corporation][7] or local authority under any law relating to such [Municipal Corporation][7] or local authority.

Special provisions

579- (1) [Where any area is specified to be a larger urban area under clause (2) of article 243-Q of the Constitution][3], the State Government may, notwithstanding anything in this Act or any other enactment for the time being in force in such area-

(a) by notification in the official Gazette appoint an interim Mukhya Nagar Adhikari to exercise the powers and perfrom the functions of a Mukhya Nagar Adhikari under this Act [***][4];

(b) requisition the services of any officer or servant of the [Municipal Corporation][7] Council][4], Improvement Trust or Development Board or other local authority functioning in relation to the area included in such City for the purposes of all works relating to the establishment of the [Corporation][1] of such City;

(c) by order provide for such other matters as may be necessary for facilitating the establishment of the [Corporation][1] for such City.

(2) The salary and allowances of the officers and servants referred to in clause (b) of sub-section (1) shall be paid out of the funds of the respective local authority of which they were officers or servants at the time of requisition of their services and the salary and allowances of the interim Mukhya Nagar Adhikari shall be paid" out of the fund of such local authority as the Slate Government my direct.

[Provisions until the constitution of Municipal Corporation

579-A (1) Notwithstanding anything in this Act, during the period between the commencement of the Uttar Pradesh Urban local Self Government Laws (Amendment) Act, 1904, [and the first Constitution of the Municipal Corporation under this Act as amended by the said Act][6], the Nagar Mahaplika and its Nagar Pramuk, Upa Nagar Pramukh and members shall respectively exercise, perform , and discharge the powers, functions and duties of the Municipal Corporation, its Nagar Pramuk, Upa Nagar Pramukh and members shall be deemed respectively to be the Municipal Corporation, its Nagar Pramukh, Upa Nagar Pramukh and members.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
2. Chapter 2 of del by section 27 of U.P. Act No. 26 of 1995.
3. Subs by section 28 (a) ibid.
4. Del. by section 28 (b) ibid.
5. Subs. by section 28 (c) ibid.
6. Subs. by section 29 (a) ibid.
7. Section 6 of Uttarakhand. Act No. 4 of 2008.

(2) Where the term or the extended term of [the Nagar [Corporation][1] as it stood immediately before the commencement of the Uttar Pradesh Urban Local Self Government Laws (Amendment) Act, 1994, [has expired before such commencement and an officer has been appointed by the State Government (hereinafter referred to as the Administrator then until the first Constitution of the Corporation][4]].[3]--

(a) [***][5]

(b) all powers, functions and duties of the Corporation, its Nagar Pramukh, Upa Nagar Pramukh, Executive Committee, Development Commuttee and other Committees appointed under clause (e) of section 5 and of the Mukhya Nagar Adhikari shall [continue to vest in and be exercised, performed and discharged by the Administrator who shall][6] be deemed in law to be the Corporation, the Nagar Pramukh, the Upa Nagar Pramukh, Executive Committee, Development Committee, other Committees or the Mukhya Nagar Adhikari as the occasion may require :

(c) subject to any general or special orders of the State Government, the Administrator may in respect of all or any of the powers conferred on him by clause (b) –

(i) consult such Committee or other body, if any, constituted in such manner as may be specified by him in that behalf; or

(ii) delegate, subject to such conditions as he may think fit to impose the powers so conferred, to any person or to any committee or other body constituted under sub-clause (i), to be specified by him in that behalf:

(d) such salary and allowances of the Administrator as may be fixed by general or special order of the State Government in that behalf shall he paid out of the Corporation Fund.][2]

[(3) Notwithstanding anything in sub-section (2), the elections to constitute the Corporation shall be held within a period of one and a half years from the date of commencement of the Uttar Pradesh Urban Local Self Government Laws (Amendment) Act, 1994 in accordance with the provisions of this Act as amended by the said Act and on the Constitution of the Corporation, the provisions of clauses (b), (c) and (d) of sub-section (2) shall cease to have effect.][7]

(4) [***][8]

Power to remove difficulties

[580- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act or, by reason of anything contained in this Act, or any other enactment for the time being in force, the Stare Government may, as occasion requires, by a notified order, direct that this Act shall effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem to be necessary and expedient.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
2. Subs. by section 69 ibid.
3. Chapter 2 of added by section 29 (c) of U.P. Act No. 26 of 1995
4. Subs. by section 29 (b) (i-a) ibid.
5. Subs. by section 29 (b) (ii) ibid.
6. Subs. by section 29 (b) (iii) ibid.

7. Subs. by section 29 (c) ibid.
8. Subs. by section 29 (d) ibid.

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of the period of two years from the commencement of the Uttar Pradesh Urban local Self Government Laws (Amendment) Act, 1994.

(3) The provisions made by any order sub-section (1) shall have effect as if enacted in this Act and any such order may be made so as to be retrospective to any date not earlier than the date of commencement of the Uttar Pradesh urban Local Self Government Laws (Amendment) Act, 1994.

(4) Every order made under sub-section (1), shall be laid, as soon as may be before both the Houses of the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

Succession to property, assets, rights, liabilities and obligations in certain cases

580-A (1) On and from the date of commencement of the Uttar Pradesh Urban Local Self Government Laws (Amendment) Act, 1994 and subject to the provisions of section 140--

(a) all property, interest in property and assets, including cash balances wherever situate, which immediately before such date were vested in the Nagar Mahapalika shall vest in and be held by the Corporation for the purposes of this Act; and

(b) all rights, liabilities and obligations of the aforesaid Nagar [Corporation][1]whether arising out of any contract or otherwise existing immediately before such date, shall be the rights, liabilities and obligations of the Corporation.

(2) Where any doubt or dispute arises as to whether any property, interest or asset has vested in Corporation under sub-section (1), or any rights, liaoility or obligation has become the right, liability or obligation or Corporation such doubt or dispute shall be referred by the Mukhya Nagar Adhikari to the State Government whose decision shall unless superseded by any decision of a court of law shall be final.

Sums dues [to the [Corporation][1]][2]

580-B All sums due to the Nagar [Corporation][1] whether on account of any tax or any other account: shall be recoverable by the [Corporation][1] and for the purpose of such recovery, it shall be competent to the [Corporation][1] to take any measure or institute any proceeding which it would have been open to the Nagar [Corporation][1] to take or institute, if the Uttar Pradesh Urban Local Self Government Laws (Amendment) Act, 1994 had not come into force.

Debts, oblige-tions, contracts and pending proceedings [of the [Corporation][1]][3]

580-C (1) All debts and obligations occurred and all contracts made by or on behalf of the Nagar [Corporation][1] before the date referred to in sub-section (1) of section 580-A and subsisting on the said date shall be deemed to have been incurred and made by the [Corporation][1] in exercise of the powers conferred on it by this Act and shall continue in operation accordingly.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
2. Chapter 2 of added by section 30 of U.P. Act No. 26 of 1995.

3. Added by section 31 ibid.

(2) All proceedings pending before any authority of, the said Nagar [Corporation][1] on the said date, which under the provisions of this Act, are required to be instituted before or undertaken by the Corporation shall be transferred to and continued by the Corporation and all other such proceedings shall, so for as may be, be transferred to and continued by such authority before or by whom they have to be instituted or undertaken under the provisions of this Act.

(3) All appeals pending before any authority of the said Nagar [Corporation][1] on the date shall, so far as may be practicable, be disposed of, as if there was a Corporation, when they were filed.

(4) All prosecutions instituted by or on behalf of the said Nagar [Corporation][1] and all suits and other legal proceedings by or against the said Nagar [Corporation][1] or any officer of the said Nagar [Corporation][1] pending on the said date, shal1 be continued by or against the [Corporation][1] or the officer, as the case may be, as if there was a Corporation constituted when such prosecution, suit or proceeding was instituted.][2]

Repeal 581- The U. P. Municipalities Act, 1916, the U. P. Town Areas Act, 1914, U. P. Town Improvement Act, 1919, the U P. Town Improvement (Appeals) Act, 1920, the U. P. Town Improvement (Adaptation) Act, 1948 [the U. P. District Boards Act, 1922, the U. P. Local Bodies (Appointment of Administrators) Act, 1953][2] and the Cawnpore Urban Area Development Act, 1945, shall with effect from the appointed day, stand repealed in so far as they may be applicable to any area included in the City.

---

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
2. Substituted by Sec.70 and extended by section 580(a) to 580(c) ibid.

SCHEDULE 1

(Section 119)

Non-delegable functions of [Corporation][1] authorities

PART A

Functions of [Corporation][1] which may not be delegated

chapter	section	Function
III	95(1)	To constitute Special Committees or Joint Committee.
	96(1)	To join with a Cantonment Authority or any other local authority or with a combination of such authorities.
VI	127	To sanction the acceptance, or acquisition of immovable property if the value-of the property which it is proposed to accept, acquire or give in exchange exceeds rupees five Thousand.
		To sanction the taking of any property on lease for a term exceeding three years.
		To sanction the acceptance of any gift or bequest of property burdened by an obligation if the value exceeds five thousand rupees.
VII	139	To-constitute special fund.
	146(4)	To adopt the budget.
	148	To determine the rates or taxes.
	151	To vary or alter the budget estimates adopted by it.
VIII	154	To borrow money.
	155	
	157	To constitute sinking fund.
IX	172	To impose a tax.
	204	To abolish or alter a tax.
	216	To consolidate taxes.
	225	To have recourse to supplementary taxation.
XIV	360	To abandon or sanction the scheme with or without modifications submitted to it by the Development Committee.
	364	To alter a scheme after it has-been passed either by the [Corporation][1] or by the –State Government.
XVI	423	To determine whether the establishment of new private markets or maintenance of private slaughter-house shall be permitted in the City or in any specified portion of the City.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

PART B

Functions of Executive Committee which may not be delegated

chapter	section	Function
VI	127	(i) to fix terms, rates or maximum prices for the acquisition of property, (ii) to sanction compulsory acquisition of any property and the exchange of any immovable property, and (iii) to sanction the taking of any property on lease for a term exceeding twelve months.
	135	To sanction estimates of projects costing more than ten thousand rupees.
IX	213	To alter or amend the assessment list.
XVI	443	To fix fees for plumbers.

PART C

Functions of Development Committee which may not be delegated—

chapter	section	Function
XIV	344	To declare an area to be insanitary area.
	345	To direct the framing of a Basti Sudhar Yojana (slum, clearance and re-building scheme).
	351	To give permission for surveys to be made. -
	356	To accept with or without modification a scheme prepared by the Mukhya Nagar Adhikari,
	359	To consider objections or representations in regard to an improvement scheme.

PART D

Functions of the Mukhya Nagar Adhikari which may not be delegated to other officers or servants

chapter	section	Function
IV	107(2)	[not included in the posts referred to in sub-section (1) of section 107.][2]
VI	127	To acquire any movable or immovable property within or without the City or any interest in such property.
	129	To dispose of any property on behalf of the [Corporation][1],
	229	To declare that any drain or part thereof or any drainage or sewage disposal works shall vest in the, [Corporation][1].

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.
2. Substituted by section 71 ibid.

chapter	section	Function
	250	To appoint places for emptying of drains and disposal of sewage.
XII	277 278	To prohibit use of public streets for certain kinds of traffic.

	279	To acquire premises for improvement of public streets.
	280	To prescribe a street line.
	281 282	To order setting back of buildings to regular line of the street and pulling down buildings or any part thereof in case of default.
	283	To acquire open land or land occupied by platforms within regular line of street.
	284	To order setting forward of buildings.
	290	To declare a private street to be a public street.
	293	To permit projections over streets.
	299	To require removal of any structure or fixture erected or set up before the appointed day.
	305	To permit erection, etc. of sky signs.
XIII	322	To refuse to grant permission to construct a building until the street is commenced or completed,
	328	To cancel permission to proceed with any building or work on ground of material misrepresentation by applicant.
	333	To direct removal of persons directing unlawful work.
	334	To issue notice for the vacation of any building in certain circumstances.
	335	To regulate future construction of buildings in particular streets or localities.
	338	To prohibit re-erection of buildings on inaccessible sites.
	340	To call for statement of accommodation.
XVI	430	To fix with the permission of the [Corporation][1] premises within the City for the slaughter of animals.
XXI	525	To declare with the approval of the [Corporation][1] certain expenses to be improvement expenses.

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

SCHEDULE II

(Section 376)

Modifications in the Land Acquisition Act, 1894 (hereinafter called "the said Act")

Amendment of section 3

1. After clause (e) of section 3 of the said Act, the following shall be deemed to be inserted, namely-

"(ee) the expression 'local authority' includes a [Corporation][2] constituted

under the Uttar Pradesh [Municipal Corporation][2] Adhiniyam, 1959."

Notification under section 4 and section 6 to be replaced in the case of improvement schemes by notifications under sections 357 and 363 of this Act

2. (l) The first publication of a notice of an improvement scheme under sections 357 of this Act shall be substituted for and have the same effect as publication, in the official Gazette, and in the locality, of a notification under sub-section (I) of section 4 of the said Act, except where a declaration under section 4 or section 6 of the said Act has previously been made and is still in force.

(2) Subject to the provisions of paragraphs 10 and 11 of this Schedule, the issue of a notice under sub-section (4) of section 348 of this Act in the case of land acquired under that sub-section and the publication of a notification under section 363 of this Act in the case of land acquired under any other improvement scheme under this Act shall be substituted for and have the same effect as a declaration by the State Government under section 6 of the said Act, unless a declaration under the last mentioned section has previously been made and is still in force.

Amendment of section 11

3. The full-stop at the end of section 11 of the said Act shall be deemed to be changed to a semi-colon, and the following shall be deemed to be added, namely-

"and

(iv) the cost which, in his opinion, should be allowed to any person who is found to be entitled to compensation [***][1] as having been actually and reasonably incurred by such person in preparing his claim and putting his case before the Collector.

The Collector may disallow, wholly or in part costs incurred by any person, if he considers that the claim made by such person for compensation is extravagant."

Amendment of section 15

4. In section 15 of the said Act, for the word and figures "and 24" the figures, word and letters "24 and 24-A" proceeded by a comma, shall be deemed to be substituted.

Amendment of section 17

5. (1) In sub-section (3) of section 17 of the said Act, after the figures "24" the words, figures and letter "or section 24-A" shall be deemed to be inserted.

(2) To the said section 17, the following shall be deemed to be added, namely:

---

1. Del. by section 2 of U. P. Act No. 23 of 1961.
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

"(5)[1] Sub-sections (1) and (3) shall apply also in the case of any area which is stated in a certificate granted by the District Magistrate or a Magistrate of the first class to be unhealthy.

(6)[1] Before granting any such certificate, the Magistrate shall cause notice to be served as promptly as may be on the persons referred to in sub-section (3) of section 9, and shall hear without any avoid able delay any objection which may be urged by them.

(7)[1] When proceedings have been taken under this section, for the acquisition of any land, and any person sustains damage in consequence of being suddenly dispossessed of such land, compensation shall be paid to such person for such dispossession.

Transfer or land to '[Corporation][2]

6. After section 17 of the said Act, the following shall be deemed to be inserted, namely:

"17-A. In every case referred to in section 16 or section 17, the Collector shall, upon payment of the cost of acquisition, make over charge of the land to the Mushy Nagar Adhikari; and the land shall thereupon vest in the [Corporation][2], subject to the liability of the [Corporation][2] to pay any further costs which may be incurred on account of the acquisition."

Amendment of section 18

7. The full stop at the end of sub-section (l) of section 18 of the said Act shall be deemed to be changed to a comma, and the words "or the amount of the costs allowed" shall" be deemed to be added.

Amendment of section 19

8. After the words "amount of compensation" in clause (c) of section 19 of the said Act the words "and of costs" (if any"), shall be deemed to be inserted.

Amendment of section 20

9. After the words "amount of the compensation" in clause (c) of section 20 of the said Act, the words "or costs" shall be deemed to be inserted.

Amendment of section 23

10. (1) In clause first and clause sixth of sub-section (1) of section 23 of the said Act, after the words "publication of the notification under section 4, sub-section (I)", and words "publication of declaration, under section 6" shall be deemed to be added-

(a) if the land is being acquired under sub-section (3) of section 348 of this Act, the words "or in the case of acquisition under sub- section (3) of section 348 of the U. P. [Municipal Corporation][2] Adhiniyam, 1959 of the issue of the notice under sub-section (3) of section 348 of that Act" and

(b) in any other case, the words "or in the case of acquisition of land under any improvement scheme other than a deferred street scheme under Chapter XIV of the U. P. [Municipal Corporation][2] Adhiniyam, 1959, of the first publication of the notification under section 357 of that Act."

---

1. Renumbered by section 2 of U. P. Act No. 23 of 1961.
2. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(2) [***][2]

[(3)][1] At the end of section 23 of the said Act, the following shall be deemed to be added namely:

"(2) for the purposes of clause first of sub-section (I) of this section-

(a) the market-value of the land shall be the market-value according to the use to which the land was put at the date with reference to which

the market-value is to be determined under that clause;

(b) if it be shown that before such date the owner of the land had in good faith taken active steps and incurred expenditure to secure a more profitable use of the same, further compensation based on his actual loss may be paid to him;

(c) if any person, without the permission of the Mukhya Nagar Adhikari required by clause (b) of sub-section (1) of section 348 or by sub-section (4) of section 350 of the [Municipal Corporation][3] Adhiniyam, 1959, bas erected, re-erected, added or altered any building or wall so as to make the same project beyond the street alignment prescribed under the said section 348 or within the area specified in sub-section (4) of the said section 350, as the case may be, then any increase in the market-value resulting from such erection, re-erection, addition or alteration shall be disregarded.

(d) if the market-value has been increased by means of any improvement made by the owner or his predecessor-in interest within two years before the aforesaid date, such increase shall be disregarded unless it be proved that the improvement so made was made in good faith and not in contemplation of proceedings for the acquisition of the land being taken under this Act;

(e) if the market-value is specially high in consequence of the land being put to a use which is unlawful or contrary to public policy, that use shall be disregarded and the market-value shall be deemed to be the market-value of the land if Put to ordinary uses;

(f) if the market-value of any building is specially high in consequence of the building being so overcrowded as to be dangerous to the health of the inmates such overcrowding shall be disregarded, and the market-value shall be deemed to be the market-value of the building if occupied by such number of persons only as could be accommodated in it without risk of danger from overcrowding;

---

1. Renumbered by s. 10 of U.P. Act 14 of 1959
2. Del. by s. 2 of, U.P. Act No. 23 of 1961. .
3. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(g) when the owner of the land or building has after the passing of the U.P. [Municipal Corporation][1] Adhiniyam, 1959, and within two years preceding the date with reference to which the market value is to be determined, made a return under section 158 of the United Provinces Municipalities Act, 1916, of the rent of the land or building, the rent of the land or building shall not, in any case, be deemed to be greater than the rent shown in the latest return so made, save as the court may otherwise direct, and the market-value may be determined, on the basis of such rent:

Provided that where any addition to, or improvement of, the land or

building has been made after the date of such latest return and previous to the date with reference to which the market-value is to be determined, the Court may take into consideration any increase in the letting value of the land due to such addition or improvement.

Amendment of section 24

11. For clause "seventhly" of section 24 of the said Act, the following shall be deemed to be substituted, namely:

"Seventhly, any outlay on additions or improvements to land acquired, which was incurred after the date with reference to which the market-value is to be determined, unless such additions or improvements, were necessary for the maintenance of any building in a proper state of repair."

New section 24-A

12. After section 24 of the said Act" the following shall be deemed to be inserted, namely:

Further provision for determining compensation

"24 A. In determining the amount of compensation to be awarded for any land acquired under this Act for a [Corporation][1] established under U. P. [Municipal Corporation][1] Adhiniyam, 1959, the Court shall also have regard to the following provisions, namely---

(1) when any interest in any land acquired under this Act has been acquired after the date with reference to which the market- value is to be determined, no separate estimate of such interest shall be made so as to increase the amount of compensation to be paid for such land;

(2) if, in the opinion of the Court any building is in a defective state, from: a sanitary point of view, or is not in a reasonably good state of repair, the amount of compensation, for such building shall not exceed the sum which the Court considers the building would be worth if it were put into a sanitary condition, or into reasonably good state of repair, as the case may be, minus the estimated cost of putting it into such condition or state;

1.Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

(3) if, in the opinion of the Court, any building which is uses or is intended or likely to be used for human habitation, is not reasonably capable of being made fit for human habitation, the amount of compensation for such building shall not exceed the value of the materials of the building, minus the cost of demolishing the budding."

Amendment of section 31

13- (1) After the words "the compensation" in sub-section (I) of section 31 of the said Act, and after the words "the amount of the compensation" in section (2) of that section, the words "and costs (if any)" shall be deemed to be inserted.

(2) After the words "any compensation" in the concluding proviso to sub-section (2) of section 31 of the said Act, the words "or costs" shall be deemed

to be inserted.

New section 48-A 14- After section 48 of the said Act, the following shall be deemed to be inserted, namely:

Compensation to be awarded when land not acquired within two years

"48-A. (1) If within a period of two years from the date of the publication of the declaration under section 6 in respect of .any land, the Collector has not made an award under section 11, with respect to such land, the owner of the land shall, unless he has been to a material extent responsible for the delay, be entitled to receive compensation for the damage suffered by him in consequence of the delay.

(2) The provisions of Part III of this Act shall apply, so far as may be, to the determination of the compensation payable under this section."

Amendment of section 49 15- After sub-section (1) of section 49 of the said Act, the following shall be deemed to be inserted, namely:

"(1-a) For the purposes of sub-section (I) land which is held with: and attached to a house and is reasonably required for the enjoyment and use of the house shall be deemed to be part of the house."

1. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

SCHEDULE III
(See Section 460)
Table of penalties
PART I

sections, sub-section and clauses	fine which may be imposed
396(2), 397, 398, 400,g), 400(h), 400(1), 403, 404, 405···	Ten rupees.
388(2), 408, 425(2), 438l6), 442, 443, 447,448, 449···	Twenty Rupees
246, 277, [***][1], 294, 303(1), 307, 422(e), 424, 426(1),	Fifty rupees.
428, 451(5)	
238, 239, 242, (1) (b), 243. (b), 248, 257, 258, 259(1),	One hundred rupees

259(2), 270, 281 (2), 289, 293(3), 295(1), 295(2), 299(1), 302(1), 303(2), 304(l), 305(l), 305(3), 309(1) 312, 330(4), 332, 409,410,41 I, 418, 427, 430, 432(1), 439.	
236, 252(1), 253, 267(1), 292(1), (2), (4), 303(3), 308(1), 330(2), 330(3), 333(1), 334(3), 392(3), 423(2), 400, [482(3)][2]	Two hundred rupees
245(1), 288(1), 324, [***][3], 329, 331 (1),331(2),391(2), 394(1), 413, 417(1), 438(1).	Five hundred rupees
279(4),326,335(7),401,402	One thousand rupees

1. Del, by s. 2 of U.P. Act. No. 23 of 1961
2. Subs. by s. 2 ibid.
3. Del. by s. 2 ibid.
4. Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.

PART II

sections, sub-section and clauses	fine which may be imposed
293(3),294,427,428,438(6)	Five rupees
236,238,239,242 (I) (b), 243(b), 246, 248, 257, 258, 259(1),259(2),267(1),270,289, 292(2), (4), 295(1), 295(2), 299,303(2) 305(I), 305(3),308(1) ,309 (1), 330(4),422(e), 439,45 I (5)	Ten rupees
304(1),307,330(2),330(3),333(I),334(3),440	Twenty rupees
245(I),281 (2),302(1),303(1),332,391 (2),392(3) 394(I),423(2),438(I), [482 (3)][1]	Fifty rupees
279(4),324,329,331(1),331 (2),335(7)	One hundred rupees

401, 402	Five hundred rupees

1- Subs. by s. 2 of U. P. Act No. 23 of 1961.
2- Substituted by section 3 of Chapter II of U.P.Act No.12 of 1994.